उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

UGHI-06 / CSSHI-06

हिन्दी भाषा : इतिहास और वर्तमान

खंड
1
भारत की भाषाएँ और हिंदी

इकाई 1
भाषा की परिभाषा 5

इकाई 2
भारतीय भाषाएँ और भारोपीय परिवार 18

इकाई 3
भारतीय आर्य भाषाएँ 28

इकाई 4
हिंदी भाषा 40

इकाई 5
भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता 52

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

डॉ. भ.ह. राजूरकर
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
औरंगाबाद

डॉ. राम सिंह तोमर
28, पूर्वपल्ली
विश्वभारती विश्वविद्यालय
शांतिनिकेतन
पं. बंगाल

प्रो. भीमसेन निर्मल
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

डॉ. संसार चन्द्र
अवकाश प्राप्त आचार्य एवं
अध्यक्ष (हिंदी विभाग)
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू

डॉ. अंबाशंकर नागर
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

डॉ. रमानाथ सहाय
आगरा

डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा
हिंदी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

डॉ. बख्शीश सिंह
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रो. डॉ. बी.रा. जगन्नाथन (संयोजक)
निदेशक, मानविकी
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

पाठ लेखक
प्रो. रमानाथ सहाय
प्रो. बी.रा. जगन्नाथन

संपादक
प्रो. बी.रा. जगन्नाथन

मुद्रण प्रस्तुति

सुश्री पुष्पा गुप्ता
कापी एडिटर
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मई 1997 (पुनः मुद्रित)

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1991

ISBN-81-7091-924-X

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक मानविकी विद्यापीठ, प्रो. आर.. एस. कबर द्वारा पुनः मुद्रित।

UGHI-06/CSSHI-06/2
[FIFA-152]

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुमति से पुनः मुद्रित। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से डॉ.अरुण कुमार गुप्ता कुलसचिव द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित, 2019
मुद्रक : चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा. लि., 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड, प्रयागराज, 211002

पाठ्यक्रम परिचय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को हिंदी विषय में कुल आठ ऐच्छिक पाठ्यक्रम देने की योजना है। ये पाठ्यक्रम हैं–

साहित्य धारा

ई.एच.डी. 01 हिंदी गद्य

ई.एच.डी. 02 हिंदी काव्य

ई.एच.डी. 03 हिंदी साहित्य का इतिहास

ई.एच.डी. 04 मध्यकालीन भारतीय साहित्य

ई.एच.डी. 05 आधुनिक भारतीय साहित्य

भाषा की धारा

ई.एच.डी. 06 हिंदी भाषा : इतिहास और वर्तमान

ई.एच.डी. 07 हिंदी भाषा की संरचना

ई.एच.डी. 08 प्रयोजनमूलक हिंदी

विश्वविद्यालय के छात्र किसी भी विषय में अधिक से अधिक छह ऐच्छिक पाठ्यक्रम ले सकते हैं। इस तरह जो हिंदी में छह पाठ्यक्रम लेना चाहें, उनके लिए आवश्यक होगा कि वे साहित्य और भाषा दोनों धाराओं में से पाठ्यक्रम चुनें। हम चाहते हैं कि हिंदी में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहने वाले छात्र एकांगी दृष्टि न विकसित करें, बल्कि समग्र दृष्टि का विकास करें। हिंदी एक आधुनिक देश की विकासशील भाषा है, जिसे जीवन के कई क्षेत्रों में कई भूमिकाएँ निभानी हैं। हिंदी शिक्षा की भाषा है, संपर्क की भाषा है और राजकाज की भाषा है। आज के युग में हमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हिंदी भाषा का उपयोग करना है, जिससे लोग इन यंत्रों के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रयोग करें और अपने कार्य को सरल और सही ढंग से संपन्न करें। इन्हीं बातों के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पिछले कई वर्षों से इस बात पर बल दे रहा है कि हिंदी में जीवन के विविध क्षेत्रों में काम करने वालों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रयोजनमूलक या व्यावहारिक पाठ्यक्रम चलाये जाने चाहिए। इस संदर्भ में कई विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कई उपयोगी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। हम स्नातक स्तर से ही ऐसे भाषा-उन्मुख प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रमों का प्रारंभ कर रहे हैं।

इस पाठ्यक्रम में पहले तीन खंडों में हिंदी भाषा के इतिहास का परिचय दिया गया है। संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक का विकास क्रम स्पष्ट किया गया है। किस तरह संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत आदि भाषाओं के सोपानों से होते हुए हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ, हिंदी और उर्दू का सम्मिलित उद्‌भव और अलग दिशाओं में विकास किस तरह हुआ, हिंदी और अन्य बोलियों का क्या संबंध है आदि इसके विवेच्य बिंदु हैं। आधुनिक काल तक आते-आते हिंदी भाषा का पर्याप्त विकास हो चुका था। लेकिन इसे नई भूमिकाओं का निर्वाह करना था। 1947 तक अंग्रेज़ों के शासन काल में अंग्रेज़ी ही जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवहृत होती रही। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। विकासशील, आधुनिक राष्ट्र की भाषा होने के नाते इसे शिक्षा के क्षेत्र में माध्यम की भूमिका निभानी थी। ये भूमिकाएँ क्या हैं और इनके लिए हिंदी को कैसे विकसित किया गया है (और किया जा रहा है), इसके बारे में आप इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे।

खंड का परिचय

यह **हिंदी भाषा : इतिहास और वर्तमान** नामक पाठ्यक्रम का पहला खंड है। इसमें हम भारतीय भाषाओं के व्यापक संदर्भ में हिंदी की स्थिति का अध्ययन करेंगे।

आप इस पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के बारे में अध्ययन करने वाले है। हिंदी विश्व की लगभग 4000 भाषाओं में से एक है। विश्व की भाषाओं को दस भाषा परिवारों में बाँटा गया है। हिंदी इनमें से एक परिवार याने भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। आप यह जानना चाहेंगे कि आखिर भाषा परिवार किसे कहते हैं, ये परिवार कौन-से हैं और हिंदी का इनमें क्या स्थान है? भारत में चार भाषा परिवार हैं और इन चारों परिवारों की लगभग 1650 भाषाएँ हैं। आप इस पाठ्यक्रम में भारत की भाषाई स्थिति का अध्ययन करेंगे।

एक परिवार की भाषाओं की कई सामान्य विशेषताएँ होती हैं, लेकिन विभिन्न भाषा परिवारों की भाषाओं में बहुत अंतर होना चाहिए। आप यह पढ़ेंगे कि किस तरह सांस्कृतिक एकता के कारण भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता विकसित हुई है, परस्पर सहयोग के कारण एकता पैदा हुई और एकता के कारण ये भाषाएँ विकास की समान दिशा में बढ़ रही हैं।

भाषा का अध्ययन एक विज्ञान है। अतः इस पाठ्यक्रम में आपको मेहनत करनी होगी। हमने अपनी ओर से सरल ढंग से केवल महत्त्वपूर्ण बातें ही आपके सामने रखी हैं। इस कारण लगन से आप पढ़ें तो यह पाठ्यक्रम आपको रोचक भी लगेगा।

इकाई 1 भाषा की परिभाषा

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य
1.1 प्रस्तावना
1.2 भाषा-संप्रेषण के रूप में
  1.2.1 संप्रेषण का स्वरूप
  1.2.2 प्रतीक व्यवस्था
1.3 भाषा—सामाजिक व्यवहार के रूप में
  1.3.1 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
  1.3.2 भाषा सामाजिक व्यवहार है
  1.3.3 समाज में भाषा
  1.3.4 भाषा में परिवर्तन
1.4 भाषा—संरचना के रूप में
  1.4.1 संरचना का तात्पर्य
  1.4.2 भाषा की संरचना
  1.4.3 भाषिक संरचनाएँ
1.5 सारांश
1.6 शब्दावली
1.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
1.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि:

- संप्रेषण क्या है और 'भाषा' किस प्रकार एक विशेष प्रकार का संप्रेषण है;
- मानव भाषा किस प्रकार पशु-पक्षियों की भाषा से भिन्न है;
- सामाजिक व्यवहार की प्रकृति कैसी होती है;
- 'भाषा' किस प्रकार एक विशेष सामाजिक व्यवहार है;
- संरचना के संरचकों की क्या भूमिका होती है; और
- भाषा किस प्रकार अन्य संरचनाओं से भिन्न है।

1.1 प्रस्तावना

'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है'। इस कथन को कुछ सुधार कर यह कहा जाए कि 'मनुष्य एक भाषाई प्राणी है' तो कुछ अनुचित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य इसी कारण अन्य जीव-जंतुओं और पशु-पक्षियों से भिन्न है कि उसके पास भाषा की शक्ति है और इसी भाषाई शक्ति के आधार पर वह सामाजिक प्राणी बन सका है। हम बचपन से बुढ़ापे तक भाषा से घिरे रहते हैं—हम उसी में सोचते हैं, उसी से बोलते हैं, उसी से सामाजिक संपर्क बनाते हैं। अतएव आप के हृदय में यह कुतूहल अवश्य उत्पन्न होगा कि माया के समान चारों ओर छाई हुई भाषा स्वयं में क्या है। यह इकाई इस कुतूहल को ही शांत करने का एक छोटा-सा प्रयास है। यहाँ हम भाषा को i) संप्रेषण, ii) सामाजिक व्यवहार और iii) संरचना की दृष्टि से देखेंगे।

'संप्रेषण' शब्द का अर्थ है—सं (ठीक प्रकार से) + प्रेषण (भेजना)। भाषा द्वारा मनुष्य अपनी बात दूसरे के पास 'ठीक प्रकार से पहुँचाता' है। हम प्रायः मुँह से बोलते हुए बातचीत करते हैं इसलिए भाषा एक मौखिक संप्रेषण है। भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य दूसरों से मौखिक रीति से बातचीत (विचारों का आदान-प्रदान) करता है।

'सामाजिक व्यवहार' उन व्यवहारों को कहते हैं जो मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में दूसरे सदस्य के प्रति करता है। अध्यापक के आने पर अपनी सीट से खड़े हो जाना एक सामाजिक व्यवहार है। भाषा सामाजिक व्यवहार का एक साधन है, इसके द्वारा मनुष्य दूसरों के साथ संपर्क, सहयोग आदि करता है। 'संरचना' ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कई भाग जुड़कर एक वस्तु या इकाई बनाते हैं। आप 'ध्वनि', 'शब्द', 'वाक्य' जैसे शब्दों से व्याकरण पढ़ते समय परिचित हो चुके होंगे। भाषा इन्हीं तत्वों से बनी एक संरचना है। इस इकाई में इन्हीं तीनों दृष्टियों पर आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।

1.2 भाषा—संप्रेषण के रूप में

इस भाग में हम भाषा के माध्यम से संप्रेषण की व्यवस्था और भाषा की संप्रेषण क्षमता के बारे में पढ़ेंगे।

1.2.1 संप्रेषण का स्वरूप

संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आप एक प्रयोग करें। कागज़ पेंसिल ले लें और पिछले एक घंटे में आपने जो भी बातें किसी से की हों उन्हें नोट कर लें और देखें कि आपने जो कहा उसे क्यों कहा। आप जब अपने कथनों पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि या तो आपने किसी से कुछ पूछा है अर्थात् कुछ जानकारी पाना चाहा (जैसे, तुम दिल्ली कब जा रहे हो?—साबुन कहाँ रख दिया है?—आज तुम परेशान क्यों हो? इत्यादि), या आपने किसी के कुछ पूछे हुए का उत्तर दिया है अर्थात् जो जानकारी पूछने वाला पाना चाहता था वह उसे दी है (जैसे, चिट्ठी आज ही आई है।—चाबी मेज के उपर रखी है इत्यादि), या आपने किसी से अनुरोध किया है या आपने किसी को कोई आदेश आदि दिया है (जैसे, मिठाई की प्लेट ज़रा इधर खिसका दीजिए।—अब आप कढ़ाई में तेल डालें आदि), या आपने किसी के अनुरोध या आदेश आदि को स्वीकारा है या ठुकराया है या जो काम पूरा कर दिया है इसकी सूचना दी है (जैसे, हाँ, स्टेशन ठीक समय पहुँच जाऊँगा।—खेद है, स्टेशन मैं नहीं जा पाऊँगा।—तुम कह रही थीं न, मैंने चिट्ठी लिख दी है इत्यादि), या आप किसी को ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जिसे आप मानते हैं कि वह नहीं जानता है और जानना उसके हित में है (जैसे, सुनती हो, आज रश्मि की चिट्ठी आई है, कल वह आ रही है), या आप शरीर की किसी स्थिति अथवा मन के किसी भाव को बताना चाहते हैं (जैसे, आज बहुत ठंड है।—लगता है उसकी तबीयत खराब है इत्यादि)। इन सबसे स्पष्ट होता है कि आप तभी बोलते हैं जब आपके पास श्रोता के लिए कोई अभिप्रायपूर्ण संदेश हो, बिना प्रयोजन के कोई भी नहीं बोलता। मनुष्य से भिन्न प्राणियों का संप्रेषण इस दिशा में सीमित होता है—किसी खतरे से आगाह करना, अपने प्रति आकर्षित करना, किसी को पास बुलाना या दूर भगाना, भोजन कहाँ है इसकी सूचना देना, खेल खेलते समय हर्ष प्रकट करना अथवा आनंद प्रकट करना (जैसे, चिड़ियों का चहचहाना), किंतु मनुष्य भाँति-भाँति के प्रयोजनों के लिए संदेश की रचना करता है।

इसके अतिरिक्त आपने यह भी नोट किया होगा कि संभाषण (बातचीत) की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब एक से अधिक—कम से कम दो—व्यक्ति हों। सामान्य रीति से व्यक्ति तभी बोलता है जब कोई सुनने वाला हो और सुनने के बाद उससे जैसी अनुक्रिया चाहते हैं वैसी अनुक्रिया करता हो। यदि सुनने वाला बीच में उठकर चला जाए अथवा सुनता हुआ दिखाई तो दे किंतु न तो मुँह से कुछ हाँ, हूँ बोले और न सिर आदि हिलाये, तो बोलने वाला थोड़ी देर बाद वार्तालाप अपने-आप बंद कर देता है। बिना श्रोता के वक्ता कुछ उद्‌गार—ओफ़! कितना सुंदर है! बड़ा कष्ट है इस बेचारे को—आदि बोल सकता है किंतु ऐसी उक्तियाँ (कथन) छोटी होती हैं, लंबी और बिना दूसरे व्यक्ति के बोली जाने वाली उक्तियाँ या तो बड़बड़ाना कहलाती हैं या अर्धचेतना वाले व्यक्तियों अथवा पागलों का प्रलाप। इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया में (1) वक्ता और (2) श्रोता होना चाहिए और होना चाहिए (3) कुछ संदेश, जिसे वक्ता श्रोता के पास पहुँचा रहा है और इस संदेश को (4) प्रयोजनपूर्ण होना चाहिए। इस स्थिति को निम्नलिखित आरेख से दिखाया जा सकता है :

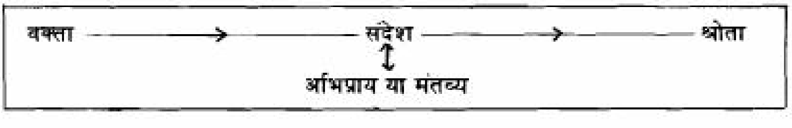

1.2.2 प्रतीक व्यवस्था

वक्ता-श्रोता-संदेश की स्थिति तो हो गई। किंतु संदेश वक्ता से श्रोता तक पहुँचे कैसे? अतएव एक माध्यम या चैनल की भी आवश्यकता होगी और माध्यम वही होगा जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ग्रहण कर सकें। ऐसे माध्यम पाँच हो सकते हैं—नेत्रों के लिए दृश्य माध्यम, कानों के लिए श्रव्य माध्यम, नाक के लिए गंध माध्यम, जिह्वा के लिए स्वाद माध्यम, और त्वचा के लिए स्पर्श माध्यम। प्राणी इन सब माध्यमों से संप्रेषण करते हैं। वैज्ञानिकों ने जीव-जंतुओं के संप्रेषण के आधार पर पता लगाया है कि चींटियाँ गंध के माध्यम से अर्थ संप्रेषण करती हैं। मधुमक्खियाँ दृश्य माध्यम से अर्थ प्रकट करती हैं। जब कोई मधुमक्खी कहीं शहद मिलने की सूचना प्राप्त करती है, तो अपने छत्ते के बाहर गोल-गोल चक्कर लगाते हुए उड़ती है। चक्कर की आवृत्ति और आकृति के आधार पर दूसरी मधुमक्खियाँ सूचना प्राप्त करती हैं। अन्य प्राणी भी दूसरे प्राणियों के हाव-भाव, चाल-ढाल आदि को देखते हुए स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस कारण कई प्राणी अपनी आंगिक चेष्टाओं से दूसरे प्राणियों तक अपने अभिप्राय को पहुँचाते हैं। श्रव्य माध्यम शायद प्राणियों के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। स्तनपायी जानवरों का रेंकना, रंभाना, गरजना, गुर्राना, चीखना, चिड़ियों का चहचहाना आदि वागिंद्रियों से संपन्न होते हैं। कीड़े आदि निम्न स्तर के जीव, जिनकी वागिंद्रियाँ ध्वनि उत्पादन के लिए उपयुक्त या विकसित नहीं हैं, शरीर के किसी अंग को रगड़ने या पंख फड़फड़ाने आदि क्रियाओं से ध्वनि उत्पन्न करते हैं।

जहाँ तक मनुष्य का सवाल है, उच्चरित माध्यम उसके लिए सबसे प्रमुख माध्यम है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की वागिंद्रियाँ प्राणिजगत में सबसे विकसित अंग हैं। यों कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों के उच्चारण की उत्कृष्ट * व्यवस्था के कारण मनुष्य में गंध, स्पर्श आदि अन्य शक्तियाँ प्राणियों की तुलना में कम होती गयी हैं और उसके संप्रेषण के लिए उच्चरित भाषा सबसे प्रमुख साधन हो गयी है।

माध्यम (चैनल) तो संदेश को वक्ता के पास से श्रोता के पास ले जाने का काम करता है, किंतु संदेश को तो मन ही उत्पन्न करता है और मन ही ग्रहण करता है। मन आँख-कान-नाक-जिह्वा-त्वचा के समान कोई स्थूल वस्तु नहीं है। वह अमूर्त है, अतएव संदेश को स्वयं में अमूर्त होना होगा। यह अमूर्त होने की शर्त कोड (Code) को जन्म देती है, क्योंकि अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए हमें प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है। चौराहे पर लाल-पीली-हरी (लाल-हरी) बत्तियाँ होती हैं। वे एक प्रतीक व्यवस्था को प्रदर्शित करती हैं—'लाल' का तात्पर्य होता है कि यातायात रुक जाए, 'हरे' का तात्पर्य *होता है कि यातायात चल दे, और पीले का तात्पर्य होता है कि यातायात चलने या रुकने* के लिए तैयार हो जाए। ये स्थूल (मूर्त) प्रतीक स्थूल नेत्र से ग्रहण किये जाते हैं किंतु इस कोड का अर्थ मन निकालता है। यहाँ रंग के 'आयाम' में लाल-पीला-हरा तीन प्रतीक हैं और एक समय में एक ही रंग सामने आता है, अतएव 3 × 1 = 3 तीन तात्पर्य/अर्थ प्रकट होते हैं। यदि एक समय में दो रंग आने की कोड व्यवस्था होती तो हम 3 × 3 = 9 तात्पर्य/अर्थ प्रकट कर सकते हैं।

लाल	लाल	लाल	पीला	पीला	पीला	हरा	हरा	हरा
लाल	*पीला*	*हरा*	*लाल*	*पीला*	*हरा*	*लाल*	*पीला*	*हरा*

प्राणी भी भाव संप्रेषण के लिए विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे डालफ़िन श्रव्य प्रतीकों का उपयोग करके अर्थ संप्रेषण करता है। उसके भाषा-कोष में लगभग 40 ध्वनियाँ हैं और हर ध्वनि का एक अर्थ है। इसका यह भी तात्पर्य है कि उसकी भाषा 40 शब्दों में समाप्त हो जाती है और वह 41वाँ शब्द (या उक्ति) उत्पन्न नहीं कर सकता। मानव की भाषा कोड के रूप में भिन्न है, अति विकसित है। मनुष्य भी आम तौर पर 40-50 ध्वनियाँ ही बोल पाता है। हर भाषा में 10-15 स्वर और 30-40 व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। मान लें कि हर ध्वनि का एक अर्थ हो, तो मनुष्य भी 40-50 शब्दों/उक्तियों से अधिक कुछ उत्पन्न नहीं कर पाता। लेकिन मनुष्य ने ऊपर रंगों के संदर्भ में बताये अनुसार ध्वनियों से विस्तृत कोड व्यवस्था निर्मित की है। दो या तीन या चार ध्वनियों से वह शब्दों का निर्माण करता है और शब्दों में अर्थ का आरोपण करता है। याने मनुष्य की भाषा में ध्वनियाँ प्रतीक नहीं हैं, ध्वनियों से बने शब्द प्रतीक हैं। यही कारण है कि मनुष्य 40-50 ध्वनियों से लाखों शब्दों का निर्माण करता है, जिससे जटिल से जटिल विचारों की अभिव्यक्ति कर सके।

भाषा के प्रतीक यादृच्छिक (arbitrary) प्रतीक माने जाते हैं। अर्थात् भाषा के शब्दों का उनके अर्थ के साथ कोई सहज संबंध नहीं है। अन्यथा सारी भाषाओं की शब्दावली एक ही होती। जिसे हम 'आम' कहते हैं, वह अंग्रेजी में mango है और तमिल में 'माङ्गाय'। किस शब्द का क्या अर्थ हो, यह निर्णय भाषा बोलने वाला समुदाय करता है। इसी कारण शब्दों को यादृच्छिक प्रतीक कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संप्रेषण के लिए कोड तैयार करने का दायित्व वह भाषा बोलने वाले जन समुदाय का है। याने भाषा उस समुदाय की सृष्टि है।

माध्यम और कोड को संप्रेषण प्रक्रिया में शामिल करने पर नया आरेख इस रूप में दिखाया जा सकता है :

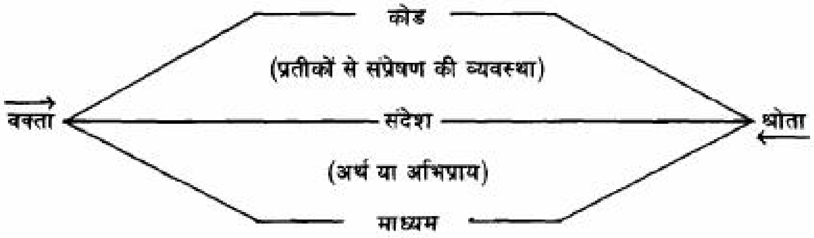

प्रतीकों के निर्माण का आधार

इसके अनुसार संप्रेषण के लिए आवश्यकता है : (1) वक्ता और (2) श्रोता (दोनों सजीव प्राणी), (3) माध्यम (भौतिक) और (4) माध्यम द्वारा प्रेषित प्रतीकों की कोड व्यवस्था (अमूर्त) ताकि (5) कोड में बँधे संदेश को श्रोता तक पहुँचाया जा सके। मानव संप्रेषण में घटक इस प्रकार हैं :

1) वक्ता (मनुष्य)
2) श्रोता (मनुष्य)

} बातचीत के दौरान एक व्यक्ति बारी-बारी से वक्ता और श्रोता की भूमिकाएँ निभाता है।

3) माध्यम (मुँह से निकली, ध्वनि तरंगों द्वारा संचारित, कानों द्वारा ग्रहण की गयी ध्वनियाँ)
4) कोड व्यवस्था (हमारी भाषा)
5) संदेश (सामाजिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए)

इस प्रकार भाषा की एक परिभाषा यह हो सकती है :

भाषा यादृच्छिक प्रतीकों से निर्मित कोड-व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य दूसरे मनुष्यों के मुख से नि:सृत* ध्वनियों के माध्यम से सामाजिक प्रयोजनों की सिद्धि* के लिए संदेशों का परस्पर आदान-प्रदान करता है।

बोध प्रश्न : इस पाठ्यक्रम में इकाइयों के भीतर कुछ अंशों के बाद बोध प्रश्न दिए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि आप स्वयं अपनी प्रगति की जाँच कर सकें। उत्तर लिखने के बाद इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान करें। अगर आप पाठांश को पढ़ने के बाद अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे सकें, तो अध्ययन में आपकी गति ठीक है।

उत्तर लिखने से पहले दिए गए उत्तर को देखने का लोभ न करें। यह कोई परीक्षा नहीं है, न ही आपको अंक मिलने वाले हैं। उत्तर लिखने की खानापूरी से कोई लाभ नहीं होगा। 'हाँ/नहीं', 'उचित शब्दों से वाक्य पूर्ति' आदि प्रश्नों में आपको सामान्यत: पाठ भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको यह देखना है कि आपने कितना ग्रहण किया है। प्रश्नों के उत्तर को अध्ययन केंद्र या विश्वविद्यालय में न भेजें। इनकी जाँच नहीं करानी है। सभी इकाइयों को अपने पास सुरक्षित रखें जिससे आवश्यकतानुसार इन्हें देख सकें।

बोध प्रश्न 1

1) निम्नलिखित में से कौन-कौन सी प्रतीक व्यवस्था हैं?

क) रेलगाड़ी का सिग्नल
ख) दिशासूचक पट्टियाँ
ग) दरवाज़े पर लगा नाम पट्ट
घ) किसी बच्चे का फ़ोटो

2) निम्नलिखित में से कौन-कौन से कथन सही हैं?

   i) प्राणी ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनसे और विचारों के लिए कोड का निर्माण नहीं कर पाते।

   ii) प्रतीक यादृच्छिक होते हैं (जैसे किसी समाज में लाल मंगल का सूचक है तो किसी में क्रांति का)।

   iii) संदेश जिस माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, उसी को कोड कहते हैं।

   iv) जिस भाषा में जितने अधिक स्वर और व्यंजन होंगे उसमें उतने अधिक शब्द भी होंगे।

   v) भाषा के स्वरूप का निर्धारण उसे बोलने वाला समुदाय ही करता है।

   vi) प्राणी भी मनुष्य की तरह अपनी भाषा के माध्यम से विचार-विमर्श कर सकते हैं।

3) भाषा के निर्माण में ध्वनियाँ, प्रतीक और कोड व्यवस्था इन तीनों संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। अपना उत्तर लगभग 9 पंक्तियों में दीजिए।

....
....
....
....
....
....
....
....
....

1.3 भाषा—सामाजिक व्यवहार के रूप में

समाज ही भाषा की कोड व्यवस्था को जन्म देता है इस तरह भाषा समाज की वस्तु है। इस भाग में हम समाज में भाषा के महत्त्व की चर्चा करेंगे।

1.3.1 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है

यह कथन इस बात पर बल देता है कि मनुष्य के सभी व्यवहारों के मूल में समाज है और सभी व्यवहार समाज पर आश्रित अथवा निर्भर हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए ज़रा मनुष्य से भिन्न प्राणियों के व्यवहारों को देखें। इन प्राणियों की सभी क्रियाएँ मुख्य रूप से जैविक* होती हैं और प्रकृति उनके मूल में होती है। उनकी क्रियाओं का उद्देश्य है—देहरक्षा और वंश वृद्धि। देहरक्षा के लिए जीवों को कुछ-न-कुछ आहार ग्रहण करना होता है और शत्रुओं तथा प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों से बचने के लिए किसी आश्रयस्थल (घोंसला, माँद, बिल आदि) की आवश्यकता होती है। वंश वृद्धि के लिए संगी बनाना होता है और संतान को समर्थ होने तक पालना होता है। अतएव जीवों की सारी सामाजिक व्यवस्था और संप्रेषण व्यवस्था इसी *दिशा में कार्य करती है। किंतु, मनुष्य का* दायरा बड़ा है—वह स्वयं तक अथवा अपने वंश तक सीमित नहीं है। "वसुधैव कुटुम्बकम" (सारी पृथ्वी ही परिवार है) का आदर्श मनुष्य को देह और वंश से ऊपर उठाकर समाज, राष्ट्र और विश्व के धरातल पर पहुँचा देता है। उसे अपने समाज में रहने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और इस भाषा को वह अपने समाज से ही अर्जित करता है। इसी भाषा के माध्यम से वह समाज से अपना संबंध जोड़ता है और समाज को *गति देता है। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है और भाषा इस सामाजिक* या सामुदायिक जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग है।

भाषा जन्मजात गुण नहीं है, न ही पैतृक* संपत्ति है। प्राणियों की आवाज़ें जन्मजात प्रवृत्ति हैं। अगर किसी प्राणी का बच्चा जन्म से ही अलग रखा जाए तो भी वह अपने को

अभिव्यक्त करने के लिए वे ही ध्वनियाँ निकालेगा जो उसके वर्ग के लिए सामान्य हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी प्राणी वर्ग अतिरिक्त रूप से प्रतीकों का निर्माण भी नहीं कर सकता, जबकि कई परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि कोई भी मानव शिशु एकाकी रहकर कोई भाषा नहीं सीख सकता। वह समाज से ही भाषा सीख सकता है। भेड़िया बालक ''रामू'' भेड़ियों की ही आवाज़ निकालता था। भाषा पैतृक भी नहीं है। बच्चा जिस समाज में पलेगा उसी समाज की भाषा सीखेगा। हिंदी भाषी माँ-बाप का बच्चा जन्म से ही किसी चीनी परिवार में पले, तो वह चीनी भाषी ही बनेगा। कुछ साल बाद वह अपने माँ-बाप के पास आए और चीनी भाषा का प्रयोग न करे, तो चीनी भाषा भूल जाएगा और फिर हिंदी भाषी बन जाएगा। इसका कारण यही है कि भाषा समाज में बने रहने का साधन है और समाज से ही अर्जित होती है। पिछले ज़माने में लोग भाषा को दैवी शक्ति मानते थे। इस मान्यता का एक आधार था। धर्म ग्रंथ मानते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने भाषा दी है। समस्त सृष्टि ही ईश्वरदत्त है, तो भाषा भी ईश्वरीय शक्ति तो है ही। उस ज़माने में प्राचीन भाषाएं (संस्कृत, लैटिन, प्राचीन मिस्र, हीब्रू, चीनी, अरबी आदि) बोलने वाले समुदायों के धार्मिक ग्रंथों का, उनके धार्मिक-सांस्कृतिक विचारों की वाहिका रहीं। इसलिए भाषाओं को ईश्वरीय शक्ति और दैवी गुणों से संपन्न साधन मानना समीचीन* था। इस विचार की महत्ता कम न करते हुए हम उनके सामाजिक महत्त्व पर भी उतना ही बल देना चाहेंगे।

1.3.2 भाषा सामाजिक व्यवहार है

मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में जो व्यवहार करता है उसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। नमस्ते करना एक सामाजिक व्यवहार है, कपड़े पहनना एक सामाजिक व्यवहार है, खान-पान, रहन-सहन आदि सामाजिक व्यवहार हैं। पहली बात यह है कि सामाजिक व्यवहार अलग-अलग समाजों में अलग-अलग होते हैं। कहीं हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, कहीं हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं, कहीं ज़रा झुककर सलाम करते हुए अभिवादन करते हैं, तो कहीं नाक से नाक मिलाकर। दूसरी बात यह है कि सामाजिक व्यवहार के पीछे कोई तर्क नहीं होता, उनकी तुलना कर के किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हम क्यों हाथ जोड़ते हैं और अंग्रेज़ क्यों हाथ मिलाते हैं, इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, और हाथ जोड़ना 'अच्छा' है और हाथ मिलाना 'बुरा' इत्यादि भी नहीं कह सकते। हम इसलिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं कि हमारे समाज में यही प्रचलन है, हम अपने बड़े से ऐसा करना ही सीखते हैं, यही हमारे लिए शिष्टाचार है, संक्षेप में यही हमारी सामाजिक परंपरा अथवा रूढ़ि है। इस दृष्टि से सामाजिक व्यवहार भी भाषा के प्रतीकों की तरह यादृच्छिक हैं। अंग्रेज़ इसलिए हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं कि उनके समाज में वही प्रचलन है, उन्होंने अपने बड़ों से वैसा करना ही सीखा है, वही उनके लिए शिष्टाचार है, संक्षेप में वही उनकी सामाजिक परंपरा अथवा रूढ़ि है।

भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, मनुष्य उसे समाज से सीखता है और समाज में प्रयोग में लाता है। इसलिए अलग-अलग समाजों में अलग-अलग भाषाएँ होती हैं, हमारे यहाँ हिंदी आदि हैं, अंग्रेज़ों के यहाँ अंग्रेज़ी। हिंदी में जिसे ''कुत्ता'' कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे dog कहते हैं। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, शब्द और वस्तु में कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। सभी शब्दों का, उन शब्दों द्वारा द्योतित वस्तु आदि से जो संबंध है वह यादृच्छिक है। इसी प्रकार फ़ारसी-अरबी में ग़, ज़, फ़, आदि ध्वनियों का होना और हिंदी में न होना इत्यादि सामाजिक परंपरा/रूढ़ि के कारण है, इसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है, केवल यादृच्छिकता है। हम वाक्य में कर्ता-कर्म-क्रिया का क्रम रखते हैं, तो अंग्रेज़ी कर्ता-क्रिया-कर्म का। इसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है, केवल यादृच्छिक संबंध है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अन्य सामाजिक व्यवहारों के समान भाषा के तत्वों को निर्धारित करने वाला तत्व सामाजिक परंपरा या रूढ़ि है और भाषाई कोड के मूल में यादृच्छिकता है।

भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। यह व्यवहार बिना भाषा के अन्य व्यापारों से भी संभव है। मान लें कि किसी बैठक में कोई वक्ता बोलते-बोलते खाँसने लगता है। अध्यक्ष नज़र घुमाकर किसी की तरफ़ देखते हैं, कोई व्यक्ति दौड़कर जाता है और पानी लेकर आता है; वक्ता पानी पीते हैं, मुस्कराकर पानी लाने वाले को धन्यवाद देते हैं, फिर दूसरी मुस्कराहट से श्रोताओं से माफ़ी माँगकर भाषण शुरू करते हैं। ये सब कार्य व्यापार भाषा के माध्यम से भी हो सकते हैं। प्रयोजन एक ही है—अर्थ संप्रेषण। शारीरिक व्यापारों की तुलना में भाषा अर्थ संप्रेषण के लिए अधिक उपयुक्त माध्यम है, क्योंकि इससे हम जटिल से जटिल विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं।

अर्थ संप्रेषण सामाजिक आवश्यकता है। हम अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ माँगने के लिए अनुनय-विनय कर सकते हैं, फुसला-बहका सकते हैं, किसी बात से इनकार या इसरार कर सकते हैं, दूसरों के कार्य की निंदा या प्रशंसा कर सकते हैं तथा सहमति या सुझाव दे सकते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते ये सब व्यापार आवश्यक होते हैं और इन्हें भाषा के माध्यम से ही बखूबी निभाया जा सकता है। सामाजिक धरातल पर भाषा के माध्यम से अर्थ संप्रेषण को हम निम्नलिखित आरेख द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं :

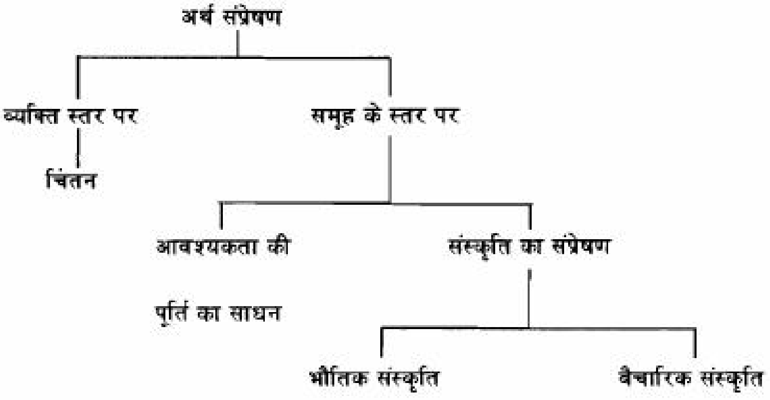

जिसे हम चिंतन कहते हैं, वह सामाजिक व्यवहार के लिए व्यक्ति की निजी भूमिका है, अर्थात चिंतन भी भाषा द्वारा संप्रेषण का ही एक रूप है। भाषा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर आदान-प्रदान का साधन है। इसी से सामाजिक जीवन संपन्न होता है। वर्तमान समाज की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भाषा द्वारा होती है।

वर्तमान से अतीत की तरफ कदम बढ़ाएँ, तो हम संस्कृति की झलक देख सकते हैं। संस्कृति भाषा के बिना संभव नहीं। उस समाज के धार्मिक विचार, ज्ञान-विज्ञान का भंडार, साहित्य सभी भाषा के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। इस तरह भाषा समाज की सांस्कृतिक धरोहर का वाहक है।

भाषा व्यक्तित्व के विकास का आधार है। भाषा भौतिक संस्कृति के विकास का आधार है। किसी वस्तु के निर्माण में हाथ जितने उपयोगी हैं, उनसे ज्यादा उपयोगी है ऐसे कार्यों को संपन्न करने के लिए अनुभव द्वारा प्राप्त मनुष्य का संचित ज्ञान, जो भाषा के माध्यम से ही समाज को विरासत में मिलता है। भाषा संस्कृति की पोषिका* है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम विचारों की गहराइयों तक जा पाते हैं। भाषा के इस सामाजिक प्रकार्य को समझने के बाद हम समाज और भाषा के संबंधों की चर्चा आगे करेंगे और देखेंगे कि समाज भाषा का किन संदर्भों में और किस प्रकार उपयोग करता है।

1.3.3 समाज में भाषा

सामाजिक व्यवहार समाज की संरचना पर भी निर्भर होता है। समाज के एक सदस्य की सामाजिक संरचना के अनुसार विविध सामाजिक भूमिकाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए यद्यपि आप एक हैं किंतु आप अनेक सामाजिक भूमिकाएँ निभाते हैं—अपने माता-पिता के लिए पुत्र, पत्नी के लिए पति, भाई-बहनों के लिए भाई, बच्चों के लिए पिता, पड़ोसियों के लिए पड़ोसी, मित्रों के लिए मित्र, गुरु के लिए शिष्य, अधिकारी के लिए अधीनस्थ कर्मचारी और अधीनस्थों के लिए अधिकारी आदि। इन भूमिकाओं के अनुसार आपका सामाजिक व्यवहार भिन्न-भिन्न होता है। जैसा सामाजिक व्यवहार आप अपने पिता के सामने करते हैं, वैसा पुत्र के सामने नहीं; जैसा व्यवहार आप अपने अधीनस्थ से करते हैं, वैसा अपने अफसर के सामने नहीं। उदाहरणतः अभिवादन के लिए कहीं साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो कहीं चरण-स्पर्श; कहीं हाथ जोड़कर 'प्रणाम' या 'नमस्कार' कहते हैं तो कहीं हाथ मिलाकर 'हैलो', कहीं हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं तो कहीं प्यार से सिर पर हाथ फेरते हैं। भाषा में 'तू', 'तुम' अथवा 'आप' सर्वनाम रूपों, 'जा', 'जाओ', 'जाइए' आदि क्रिया रूपों, संबोधन की विविध शैलियों, खाना-भोजन, आहार आदि पर्यायों द्वारा ये भिन्नताएँ प्रकट होती हैं। यह विभिन्नता विविध वार्ता शैलियों द्वारा भी प्रकट होती है :

i) अंतरंग शैली — सुनते हो, ज़रा इधर आना।

ii) अनौपचारिक — ज़रा इधर आओ।

iii) सामान्य शैली — कृपया इधर आइए।

iv) औपचारिक — यदि कष्ट न हो तो इधर आएँ।

v) रूढ़ शैली — मेरा निवेदन है कि इधर आने की कृपा करें।

सामाजिक व्यवहार में विभिन्नता की एक अन्य स्थिति का संबंध जीवन के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से है। मनुष्य के जीवन में एक साथ विविध सामाजिक क्षेत्र आते हैं। ये सामाजिक क्षेत्र मोटे तौर से हैं—घर-परिवार, पड़ोस, स्कूल, कॉलेज-विश्वविद्यालय, खेल-क्रीड़ा, आमोद-प्रमोद, बाज़ार, कार्यालय, न्यायालय, फ़ैक्टरी, धर्मस्थल आदि। इन विविध क्षेत्रों में एक ही मनुष्य क्षेत्रों की विभिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न सामाजिक व्यवहार करता है। हमारे एक मित्र पुलिस अधिकारी हैं। वे बीबी-बच्चों के सामने बनियान-पैजामा, घर में अभ्यागत आने पर कुर्ता-पैजामा, बाज़ार या बाहर पैंट-बुशर्ट, पूजा के समय केवल धोती, किंतु ड्यूटी पर पुलिस की वर्दी में दिखाई पड़ते हैं। कपड़ों का यह अंतर सामाजिक क्षेत्र की विभिन्नता के कारण है। भाषा के साथ इसकी समानांतर स्थिति है। हमारे वे ही मित्र घर में भोजपुरी, नौकर-चाकरों के बीच ब्रज, अभ्यागतों और बाज़ार आदि में हिंदी, औपचारिक स्थिति में अंग्रेज़ी किंतु पूजा घर में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। इस तरह अनेक भाषाओं का एक ही व्यक्ति/समाज द्वारा प्रयोग, 'अनेक भाषीयता/बहुभाषीयता' कहा जाता है। ऐसी संस्कृति में जहाँ कालक्रम अथवा एक ही समय में अनेक भाषा बोलने वाले व्यक्ति/समाज आए दिन परस्पर संपर्क में आते हैं, ऐसी स्थिति स्वाभाविक है। यदि इतना भाषा-संपर्क न भी हो, तो भी सभी सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति एक-सा नहीं बोलता। घर में आत्मीयता दिखाने वाले शब्द, 'तू', 'तुम', का प्रयोग, और वाक्य रचना की शिथिलता, खंडित वाक्य आदि का प्रयोग होता है, तो कार्यालय में सरकारी कामकाज में अकर्मक क्रिया (आपको सूचित किया जाता है) से युक्त बंधे हुए और अखंडित वाक्य आदि दिखाई पड़ते हैं। न्यायालय में 'मीलार्ड' का संबोधन मिलता है जिसका प्रयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। विभिन्न क्षेत्रों में बोली के प्रयोग की कुछ-न-कुछ विशिष्टता दिखाई देती है, कहीं यह विशिष्टता सामान्य बोल-चाल की बोली से स्पष्ट रूप से और काफ़ी भिन्न होती है और लोग उसे सुनते या पढ़ते ही बता देते हैं कि यह अमुक क्षेत्र की भाषा है। संक्षेप में भाषा अनेकरूपा है—बहुत-सी भाषाओं के संपर्क की स्थिति के कारण (बहुभाषीयता) अथवा सामाजिक क्षेत्रों में बहुत-सी प्रयुक्तियों की उपस्थिति के कारण! भाषा में यह विविध-रूपता समाज की देन है।

1.3.4 भाषा में परिवर्तन

समय की दृष्टि से भी समाज में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अतीत में पूर्वजों के सामाजिक व्यवहार तो स्पष्टतया हम नहीं देख सकते, किंतु इन सामाजिक व्यवहारों में से एक, वेश-भूषा, मूर्तियों और चित्रों में दिखाई पड़ती है। यदि इन्हें देखें तो पता चलेगा कि पुराने ज़माने में और आज के कपड़ों या ज़ेवरों में, मूल में एक होते हुए, कितनी विभिन्नता है। भाषा, जैसे कि आप जानते हैं, एक सामाजिक व्यवहार है और इस कारण कालक्रम में इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृत में सात को 'सप्त' कहा जाता था, इस ने समय की धारा में 'सत्त' और 'सात' का रूप लिया। इसी तरह कर्ण-कण्ण-कान, कर्म-कम्म-काम, कृष्ण-कण्ह-कान्ह आदि में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ध्वनियों में भी हम 'ऋ', 'ज्ञ', 'ष', 'ण' आदि का उच्चारण उस प्रकार नहीं करते जैसे वेदकालीन ऋषि करते थे। अर्थ की दृष्टि से भी परिवर्तन मिलते हैं—पहले मुनि के योग-व्यवहार को 'मौन' कहते थे, अब 'मौन' चुप्पी है। कालक्रमिक परिवर्तनों के अलावा अन्य संस्कृतियों के संपर्क से भी सामाजिक व्यवहारों में भिन्नता आती है। वेश-भूषा के क्षेत्र को ही लें, तो पता चलेगा कि अरबी-फ़ारसी संस्कृति के प्रभाव से हम कुर्ता-पैजामा पहनते हैं और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से शर्ट-बुशर्ट, कोट-पैंट आदि। किंतु आज हमारे व्यवहार में ये विदेशी नहीं हैं, बल्कि इन्हें हमने अपना लिया है। भाषा के संबंध में भी ऐसी ही स्थिति है। हिंदी में बड़ी संख्या में फ़ारसी से (कलम, कागज आदि) और अंग्रेजी से (रेडियो, टिकट, राशन, पोस्टकार्ड आदि) शब्द आए हैं और कहीं-कहीं तो इन्होंने संस्कृत से आए शब्दों को भी हटा दिया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर लोग कहते हैं, 'भाषा सदैव परिवर्तित होती रहती है', 'जीवन्त भाषा कभी भी स्थिर नहीं रह सकती' आदि। संक्षेप में कह सकते हैं कि भाषा में निरंतर समय अथवा संपर्क के कारण परिवर्तन होते रहते हैं।

सामाजिक व्यवहार के रूप में भाषा की स्थिति भाषा की निम्नलिखित प्रकृति को स्पष्ट करने में सहायक हैं :

1) भाषा जन्मना प्राप्त नहीं होती, यद्यपि भाषा सीखने की क्षमता प्राकृतिक है।
2) भाषा के तत्व यादृच्छिक होते हैं।
3) भाषा अनेकरूपा होती है।
4) भाषा सदैव परिवर्तनशील है।

बोध प्रश्न 2

4) बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत :
   i) पशु-पक्षी अपने माता-पिता या साथियों के बीच रहकर ही अपनी बोली सीखते हैं।
   ii) भाषा सदैव अपरिवर्तित और समानरूपा होती है।
   iii) अंग्रेज़ी शब्द 'man' और वास्तविक 'मनुष्य' के बीच प्राकृतिक संबंध है।
   iv) मनुष्य भिन्न-भिन्न सामाजिक भूमिकाओं में भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हैं।

5) कॉलम 'क' के वाक्यांश का कॉलम 'ख' के वाक्यांश से सही मिलान कीजिए।

(कॉलम 'क')	(कॉलम 'ख')
i) हिंदी में बड़ों के लिए	क) कचहरी में ही मिलता है।
ii) पशु-पक्षियों के व्यवहार के पीछे	ख) भाषा में कालक्रम से उत्पन्न परिवर्तन के कारण आया है।
iii) 'मीलार्ड' का प्रयोग	ग) भाषाओं के संपर्क के कारण आया है।
iv) हिंदी में 'रेडियो' शब्द का प्रयोग	घ) सर्वनाम "आप" का प्रयोग होता है।
	ङ) देह रक्षा और वंश रक्षा की भावना है।

6) इकाई पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए शब्दों से कीजिए।
   i) सामाजिक प्राणी के नाते मनुष्य के सभी व्यवहारों के मूल में .... है।
   ii) कालक्रम से भाषा में .... होते हैं, जैसे संस्कृत में 'अष्ट' और हिंदी में 'आठ'।
   iii) व्यवसायों में प्रयुक्त भाषा रूप को तकनीकी शब्दावली में .... कहते हैं।
   iv) शब्दों और शब्दों द्वारा द्योतित वस्तु के संबंध को .... संबंध कहते हैं।

यादृच्छिक   परिवर्तन   बहुभाषीयता   प्रयुक्ति
परिवार   समाज   सामाजिक परंपरा

1.4 भाषा-संरचना के रूप में

इस भाग में हम भाषा के संरचना पक्ष का अध्ययन करेंगे।

1.4.1 संरचना का तात्पर्य

संसार की सभी वस्तुएँ संरचना द्वारा बनी हुई हैं, अर्थात् कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके एक से अधिक अवयव या कारक या घटक या संरचक न हों और जो इन संरचकों के एक विशेष क्रमबद्ध संयोजन से उत्पन्न न हो। इस कारण संरचना की व्यवस्था से आप किसी न किसी रूप में परिचित ही होंगे, फिर भी एकाध उदाहरणों से संरचना की संकल्पना को स्पष्ट किया जा रहा है।

मान लीजिए आपको साइकिल की संरचना समझनी है। सभी संरचनाओं के समान साईकिल के भी अनेक संरचक या अवयव या घटक हैं। मोटे तौर से एक फ्रेम है, हैंडिल है, सीट है, पैडिल है और दो पहिये हैं। इन संरचकों का साइकिल की संरचना में अपना-अपना महत्त्व या प्रकार्य (function) है। हम सीट पर बैठते हैं, हैंडिल से संतुलन बनाए रखने के अतिरिक्त साइकिल को इधर-उधर मोड़ सकते हैं, पैडिल-चेन से मनुष्य पैर की गति को बढ़ा देता है, पहिये गति देते हैं, फ्रेम सब संरचकों को पक्के बाँधे रखता है और ये सब मिलकर साइकिल के प्रकार्य को (तेज़ गति से चलने को) पूरा करते हैं। अतएव संरचना के सभी संरचकों का कोई न कोई कार्य/प्रकार्य होता है।

संरचकों की संख्या और संरचकों के प्रकार्यों के अतिरिक्त संरचकों के, पूरी संरचना में, विशेष स्थान होते हैं। हैंडिल आगे की ओर फिट किया जाएगा, न कि पीछे की ओर, सीट हैंडिल की तुलना में पीछे होगी, न कि आगे, पहिये नीचे होंगे। प्रत्येक संरचक को अपने-अपने स्थान पर लगाने से ही साइकिल बनेगी। इस प्रकार केवल संरचकों की i) संख्या ii) प्रकार्य और iii) स्थान ही निश्चित नहीं होते बल्कि यह भी निश्चित होता है कि वे किस क्रम से संरचना में आएँ अर्थात् उनकी iv) क्रमबद्धता भी निश्चित होती है।

क्रमबद्धता के साथ-साथ सोपान-क्रम का भी संरचना-प्रक्रिया में महत्त्व है। सोपान-क्रम (hierarchy) में अनेक सोपान होते हैं जैसे किसी मकान के जीने में कई सोपान होते हैं और आदमी एक-एक सोपान चढ़ते हुए ऊपर पहुँचता है। सामाजिक जीवन में बहुत से स्थानों पर सोपान क्रम दिखाई पड़ता है। कार्यालय व्यवस्था को लें। नीचे के सोपान पर क्लर्क हैं, उससे ऊँचे सोपान पर असिस्टेंट हैं, उससे ऊपर सुपरइनटेंडेंट है, उससे ऊपर मैनेजर, डाइरेक्टर आदि। व्यक्ति की पदोन्नति भी इसी सोपान-क्रम में होती है, और फ़ाइलें भी ऊपर इसी क्रम से निर्णय देने वाले अधिकारी तक पहुँचती हैं और इसी क्रम में ऊपर से नीचे आती हैं। स्थान के अतिरिक्त सोपान-क्रम में अधिकार शक्ति भी ऊपर बढ़ती जाती है। जितना अधिकार मैनेजर का है उससे कम सुपरइनटेंडेंट का, जितना सुपरइनटेंडेंट का है उससे कम असिस्टेंट का। इस प्रकार यह अधिकार का सोपान-क्रम है। प्रशासन व्यवस्था में एक अफ़सर के अधीन कई अधीनस्थ अफ़सर होते हैं, उन अधीनस्थ अफ़सरों के अधीन उनसे छोटे कई अफ़सर होते हैं। प्रत्येक अफसर अपने से नीचे अफ़सर का काम देखता है और उनसे काम करवाता है, किंतु अपने से ऊपर के अफ़सर के दिशा-निर्देश में स्वयं कार्य करता है। संरचना के सोपान-क्रम में प्रत्येक संरचक अपने से ऊपर के संरचक का अंग है किंतु अपने से नीचे के संरचकों का अंगी (स्वामी)। जैसे साइकिल की संरचना की दृष्टि से पहिया एक संरचक अथवा अंग है, किंतु अपने संरचकों—अक्ष, तीलियों, टायर, ट्यूब आदि—की दृष्टि से पहिया बनी हुई (अर्थात् अंगी/स्वामी) संरचना है; ट्यूब फिर स्वयं एक संरचना है जिसके संरचक रबड़ का गोला, नाज़ेल, ढकनी आदि हैं। वस्तु या संगठन जितना ही जटिल होगा, उतने ही अधिक सोपान-क्रम में सोपान होंगे। इस प्रकार संरचना में संरचकों की i) संख्या, ii) प्रकार्य, iii) स्थान, iv) क्रमबद्धता के अतिरिक्त v) सोपान-क्रम का भी बहुत महत्त्व है। किसी भी संरचना को भली-भाँति समझने के लिए इन पाँचों को समझना अत्यावश्यक है।

1.4.2 भाषा की संरचना

भाषा एक संरचना है। हमारी बातचीत वाक्यों से ही बनती है, इसलिए उदाहरण के रूप में एक वाक्य लिया जा रहा है और आप स्वयं देखेंगे कि इसकी संरचना में उपरिलिखित पाँचों तत्त्व मिलते हैं।

लड़के	मैदान में	शाम को	गेंद	खेलते हैं।
अ	आ	इ	ई	ऊ

उपरिलिखित वाक्य एक संरचना है। **अ, आ, इ, ई,** और **ऊ,** इसके संरचक हैं। ये संरचक संख्या में पाँच हैं। इन संरचकों के अपने-अपने प्रकार्य हैं—(अ) का प्रकार्य कर्ता का है, (ई) **का प्रकार्य** कर्म का है, (ऊ) का प्रकार्य क्रिया का है। इसके अतिरिक्त (आ) का प्रकार्य 'स्थान' की सूचना देना है और (इ) का प्रकार्य 'समय' की सूचना देना है।

इन प्रकार्यों के बाद आइए 'स्थान' पर विचार करें। स्थान की दृष्टि से हिंदी वाक्य-संरचना में कर्ता सबसे पहले स्थान पर, कर्म उसके बाद और क्रिया सबसे अंतिम स्थान पर आते हैं। 'स्थानसूचक' (जैसे आ) और समय सूचक (जैसे इ) क्रिया के पूर्व कहीं भी आ सकते हैं,

पर सामान्यतया कर्ता और कर्म के बीच आते हैं। (अंग्रेज़ी के समानांतर अनुवाद वाक्य में भी संरचकों की संख्या पाँच होती है, उनके प्रकार्य भी वही होते हैं किंतु स्थान-क्रम में भेद होता है—वहाँ क्रिया संरचक कर्ता और संरचक कर्म के बीच में होती है।)

यह वाक्य स्थान-क्रम में बद्ध है। बंधन उस प्रकार का है जैसे किसी ज़ंजीर की कड़ियों में होता है। इस शृंखला (ज़ंजीर)—बंधन में क्रिया मुख्य होती है—वही कर्ता, कर्म आदि को बाँधे रखती है। सोपान-क्रम में मोटे तौर पर सोपान ये हैं:

1) वाक्य—/लड़के मैदान में शाम को गेंद खेलते हैं।

2) पदबंध—/लड़के/, /मैदान में/, /शाम को/, /गेंद/, /खेलते हैं/

3) शब्द—/लड़का (ए)/, /मैदान (में)/, /शाम (को)/, /गेंद/, /खेल (ते) + हो (एँ)/

4) शब्दांश—/लड़का/, /ए/, /मैदान/, /में/, /शाम/, /को/, /गेंद/, /खेल/, /त/, /ए/, /हो/

इस प्रकार 1.4.1 में बताए पाँचों संरचक इस वाक्य में हैं।

1.4.3 भाषिक संरचनाएँ

यहाँ तक तो भाषाई संरचना अन्य वस्तुओं की संरचना के समान है। किंतु भाषाई संरचना-प्रक्रिया वस्तुओं की संरचनाओं से अधिक जटिल, सूक्ष्म और अमूर्त है। इसे समझने के लिए आइए संप्रेषण के आरेख को कुछ आगे बढ़ाएँ:

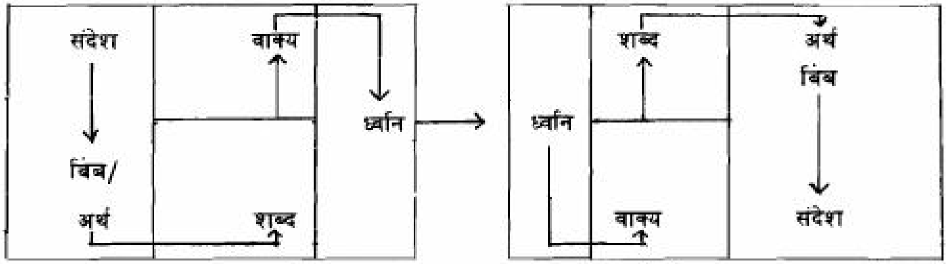

क द्वारा कोडन ख द्वारा विकोडन

मान लीजिए **क** मेज के नीचे एक साँप देखता है और वह चाहता है कि इसकी जानकारी **ख** को मिल जाए कि वहाँ साँप है। दोनों का समान कोड है। अब क उन संप्रत्ययों (Concepts) के लिए सबसे उपयुक्त शब्द-शब्दांशों को चुनेगा। उसके सामने संप्रत्यय है—साँप, मेज़ (ये स्थूल वस्तुएँ हैं), मेज़ और मेज़ का एकवचनत्व। इसके लिए वह शब्दकोशीय शब्दों या व्याकरणिक शब्दों/शब्दांशों को ढूँढ़ेगा। भाषा हिंदी है, इसलिए क्रमशः साँप (शब्दकोशीय शब्द), मेज़ (शब्दकोशीय शब्द), के नीचे (व्याकरणिक शब्द) है (अस्तित्व-वर्तमान-एकवचन) आएँगे। इसे वाक्य-संरचना के नियमों के अनुसार संरचित करने पर वाक्य बना 'मेज़ के नीचे साँप है'। यह वाक्य अमूर्त है, इसे ध्वनि-कोड में बाँधा गया और मूर्त ध्वनियों द्वारा प्रकट किया गया। ध्वनियाँ ध्वनि तरंगों* के चैनल से श्रोता के पास पहुँची। श्रोता ने ध्वनियों के माध्यम से वाक्य को ग्रहण किया, वाक्य में सम्मिलित शब्दों/शब्दांशों को समझा, उनसे निकले बिंबों और बिंब संबंधों को समझते हुए संदेश ग्रहण किया।

भाषा की संरचना पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि भाषा में एक तरफ़ संदेश है और दूसरी तरफ़ बोली हुई भाषा का रूप। संदेश भाषा का अर्थ पक्ष है। बोली हुई भाषा उस अर्थ को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की व्यवस्था है। बोली हुई भाषा ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त है, शब्द किसी व्यवस्था में आते हैं, जिसकी अपनी संरचना होती है। भाषा की व्यवस्था को हम निम्न प्रकार से एक आरेख में देख सकते हैं—

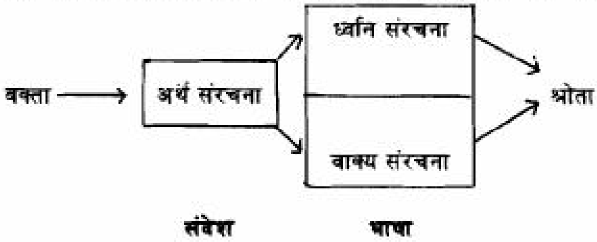

भाषा की तीन संरचनाएँ

इस प्रकार भाषा में तीन संरचनाएँ हैं। ध्वनि संरचना प्रतीकों के निर्माण और उच्चारण की अन्य व्यवस्थाओं को स्पष्ट करती है। वाक्य संरचना में शब्दों की रचना और शब्दों से वाक्यों की रचना का स्वरूप प्रकट होता है। अर्थ संरचना में वाक्यों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति की चर्चा होती है। आप पाठ्यक्रम 7 में हिंदी भाषा की संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संक्षेप में हम अब भाषा की परिभाषा देना चाहेंगे।

भाषा मुख से निसृत यादृच्छिक वाक्प्रतीकों से बनी व्यवस्था है जिससे समाज के व्यक्ति आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

इस परिभाषा में आप प्रतीक व्यवस्था के रूप में भाषा, सामाजिक व्यवहार या संप्रेषण के लिए भाषा और व्यवस्था या संरचना के रूप में भाषा तीनों का संकेत देख सकते हैं।

बोध प्रश्न 3

7) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

   i) भाषा के तीन पक्ष हैं : .... पक्ष .... पक्ष और .... पक्ष।

   ii) संरचना में संरचकों की संख्या, प्रकार्य, ... क्रमबद्धता और .... का बहुत महत्त्व है।

8) चार्ट के अनुसार अ, आ, इ, ई, और उ का सही मिलान (i) (ii) (iii) (iv) (v) और (vi) से कीजिए :

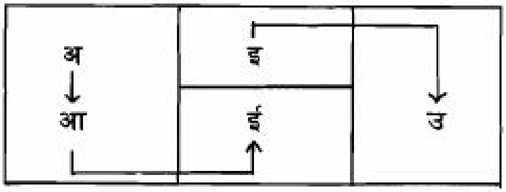

कॉलम 'क'	कॉलम 'ख'
अ	(i) वाक्य
आ	(ii) ध्वनि
इ	iii) बिंब/अर्थ
ई	(iv) संदेश
उ	(v) शब्द
	(vi) कोड

9) 'हम भारत के निवासी सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं।' इस वाक्य के 'पदबंध' और 'शब्द/शब्दांश' निकालिए।
   (नोट : 'के', 'का' का विकारी रूप है। इसके शब्दांश न निकालें)

1.5 सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा कि भाषा की विवेचना तीन दृष्टियों से की जा सकती है—संप्रेषण के रूप में, सामाजिक व्यवहार के रूप में और संरचना के रूप में।

संप्रेषण के घटकों को देखते हुए भाषा एक ऐसी कोड व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, मुख से नि:सृत ध्वनियों के माध्यम से सामाजिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए संदेशों का परस्पर आदान-प्रदान करता है। सामाजिक व्यवहार के रूप में भाषा परिवर्तनशील और अनेकरूपा है और इसके तत्वों में यादृच्छिकता के गुण हैं। यह ऐसी कोड व्यवस्था है जो समाज के बीच रहकर ही सीखी जाती है।

संरचना की दृष्टि से भाषा एक ऐसी त्रिपक्षीय संरचना है जिसमें अनेक संरचक अपने-अपने प्रकार्यों के अनुसार निश्चित स्थानों पर निश्चित शृंखला क्रम और सोपान-क्रम से व्यवस्थित होते हैं और जिसमें यादृच्छिकता के कारण अनेक स्तरों पर संयोजन बनाने की अद्भुत क्षमता है।

1.6 शब्दावली

उत्कृष्ट : श्रेष्ठ
नि:सृत : निकली हुई
सिद्धि : प्राप्ति
जैविक : जीव (जीवित प्राणी) से संबंधित
पैतृक : पिता की (विरासत में मिली)
समीचीन : ठीक, उचित
पोषिका : पोषण (पालन) करने वाली
ध्वनि तरंगें : ध्वनियाँ हवा में तरंगों (लहरों) के रूप में जाती हैं

1.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. *आधुनिक भाषा विज्ञान*; कृपाशंकर सिंह और चतुर्भुज सहाय; नेशनल पब्लिशिंग हाऊस; नई दिल्ली, 1977
2. *प्रयोग और प्रयोग*; वी.रा. जगन्नाथन; आक्सफोर्ड यूनि. प्रेस; नई दिल्ली, 1981
3. *सामान्य भाषा विज्ञान*; बाबूराम सक्सेना; हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

1.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) क, ख और ग

2) i) ii) v)

3) ध्वनियाँ भाषा उच्चरित प्रतीकों का निर्माण करती हैं। प्रतीक यादृच्छिक (समाज सापेक्ष) हैं, अर्थ के वाहक हैं। प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण की व्यवस्था कोड है।

बोध प्रश्न 2

4) i) गलत ii) गलत iii) गलत iv) सही

5) i) घ ii) ङ iii) क iv) ग

6) i) सामाजिक परंपरा ii) परिवर्तन iii) प्रयुक्ति iV) यादृच्छिक

बोध प्रश्न 3

7) i) अर्थ, व्याकरण, उच्चारण ii) स्थान, सोपान-क्रम

8) अ) संदेश आ) बिंब/अर्थ इ) वाक्य ई) शब्द उ) ध्वनि

9) हम—कर्ता, भारत के निवासी—कर्ता पूरक, सदा—समयवाचक क्रिया विशेषण, सच्चाई के मार्ग पर—स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चलना चाहते हैं—क्रिया।

इकाई 2 भारतीय भाषाएँ और भारोपीय परिवार

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य
2.1 प्रस्तावना
2.2 विश्व की भाषाएँ तथा भाषा परिवार
 2.2.1 भाषा परिवार
 2.2.2 विश्व के भाषा परिवार
2.3 भारोपीय परिवार
2.4 भारत-ईरानी शाखा
 2.4.1 ईरानी उपशाखा
 2.4.2 दरद उपशाखा
 2.4.3 भारतीय आर्य भाषाएँ
2.5 भारोपीय परिवार की विशेषताएँ
2.6 सारांश
2.7 शब्दावली
2.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
2.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप विश्व की भाषाओं में भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार में भारत-ईरानी शाखा, भारत ईरानी शाखा में भारतीय भाषाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे। इस इंकाई के अध्ययन के बाद आप :

- विश्व की भाषाओं का परिचय दे सकेंगे;
- विश्व के भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार का महत्त्व बता सकेंगे;
- भारोपीय परिवार की शाखाओं में भारतीय आर्य भाषाओं का स्थान स्पष्ट कर सकेंगे; और
- भारत के अन्य भाषा परिवारों की भाषाओं का वर्णन कर सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

आप हिंदी भाषा के अध्येता हैं। हिंदी साहित्य के अध्ययन में भी भाषा की प्रकृति और महत्त्व को जानने-समझने की ज़रूरत होती है। भाषा के महत्त्व और प्रकृति को हम उसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में अधिक पहचान सकते हैं। जैसे, हिंदी राजभाषा क्यों बनी? इसका एक ऐतिहासिक आधार है, एक लोकतांत्रिक आधार है। हिंदी में 'यत्न' 'जतन' दो शब्द क्यों हैं, इनमें सही रूप कौन-सा है? इसका एक ऐतिहासिक कारण है। हिंदी के शब्द संस्कृत से आए हैं। गुजराती सुनने में सरल लगती है, तमिल नहीं, फिर भी तमिल भी समझ में आ जाती है, इसका कारण क्या है? हिंदी और गुजराती की विरासत एक है, दोनों में बोधगम्यता की मात्रा अधिक है। इस तरह के अनेकों प्रश्न हैं, जिनका उत्तर ढूँढ़ने के लिए आवश्यक है कि आप यह जानें कि हिंदी का संसार की भाषाओं में क्या स्थान है, भारत की भाषाई स्थिति क्या है और इस भाषा का अन्य भारतीय भाषाओं से क्या संबंध है। इसी उद्देश्य से हम इस इकाई में विश्व के भाषा परिवारों और भारत की भाषाओं का सामान्य परिचय दे रहे हैं।

2.2 विश्व की भाषाएँ तथा भाषा परिवार

आप जानते हैं कि विश्व में कई भाषाएँ बोली जाती हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, फ्रांस में

फ्रांसीसी, रूस में रूसी। भारत में भी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। आप जानना चाहेंगे कि विश्व में कुल कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं। दो सौ? चार सौ? अनुमान है विश्व में कुल 4,000 भाषाएँ बोली जाती हैं। और भारत में? 1981 की मतगणना के अनुसार भारत में कुल 1650 भाषाएँ बोली जाती हैं। आइए हम विश्व की भाषाओं के बारे में थोड़ी-सी जानकारी लें।

2.2.1 भाषा परिवार

विश्व की समस्त भाषाओं को दस परिवारों में बाँटा जाता है। भाषा परिवार की संकल्पना भी बड़ी ही रोचक है। आप जानते हैं कि हिंदी और गुजराती भाषाएँ मिलती-जुलती हैं। गुजराती में कोई बोले, तो हिंदी भाषी उसे समझ सकता है, भले वह गुजराती में उत्तर न दे सके। इसका कारण क्या है? दोनों भाषाओं की उच्चारण की व्यवस्था एक जैसी है, वाक्य संरचनाओं में साम्य है, दोनों की क्रिया रचना एक जैसी है, दोनों में कई शब्द समान हैं। इसका कारण यह है कि दोनों भाषाएँ एक मूल से निकली हैं, याने दोनों एक परिवार की हैं। जबकि कोई हिंदी भाषी और चीनी भाषी एक दूसरे को अपनी-अपनी भाषा के माध्यम से समझ नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों भाषाएँ भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले दो परिवारों की हैं। जिस तरह एक प्रजाति के लोगों में शारीरिक संरचना संबंधी कई सामान्य बातें होती हैं, इसी तरह एक परिवार की भाषाओं में कई सामान्य बातें होती हैं, कई सामान्य तत्व मिलते हैं। परिवार की संकल्पना आगे और स्पष्ट होगी, जब हम संस्कृत से भारतीय भाषाओं के विकास की चर्चा करेंगे।

2.2.2 विश्व के भाषा परिवार

आगे हम विश्व के दस भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे।

1) **भारोपीय परिवार या भारत-यूरोप परिवार** : यह परिवार उन्नत भाषाओं की दृष्टि से, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस परिवार में प्राचीन भाषाएँ संस्कृत, लैटिन, ग्रीक शामिल हैं; इस परिवार की आधुनिक भाषाओं में अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, स्पैनिश, ग्रीक, रूसी, चेक, फारसी, पश्तो आदि के साथ हिंदी, बांगला, गुजराती, मराठी आदि भारतीय भाषाएँ, सिंहली आदि आती हैं। इसका मतलब यह है कि इस परिवार की भाषाएँ बोलने वाले अमेरिका महाद्वीप, आस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप में अधिसंख्यक हैं, एशिया में भी इस भाषा परिवार के बोलने वालों की अच्छी संख्या है। भारत-ईरानी इसी परिवार का एक उपकुल है और हिंदी आदि भारतीय आर्य भाषाएँ इस उपकुल की एक प्रमुख शाखा में आती हैं। हम इस परिवार की भाषाओं की विस्तार में चर्चा अगले प्रकरण में करेंगे।

2) **सेमेटिक-हैमेटिक परिवार** : सेमेटिक वर्ग में पुरानी हीब्रू और अरबी भाषा उल्लेखनीय हैं। इन भाषाओं के बोलने वालों का क्षेत्र याने मध्य एशिया पुरानी बैबिलोन और सुमेर संस्कृतियों का केंद्र था। यह क्षेत्र प्राचीन युग का सांस्कृतिक केंद्र था। संभवतः लिपि का उदय इसी क्षेत्र में हुआ। यहाँ की पुरानी लिपि 'कीलाक्षर' अब भी सुरक्षित है। हीब्रू में बाइबिल की रचना हुई और अरबी में कुरान की। पुरानी हीब्रू लगभग समाप्त हो गयी थी, लेकिन अब इस्राइल में बसे यहूदियों ने इसे पुनर्जीवित किया। पुरानी अरबी अब नये रूपों में मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में बोली जाती है। हीब्रू और अरबी की अपनी अलग लिपियाँ हैं। हैमेटिक वर्ग की भाषाएँ उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में बोली जाती हैं। हौज़ा इस वर्ग की प्रमुख भाषा है। कई विद्वान इन दोनों वर्गों को अलग परिवार मानते हैं।

3) **सूडानी भाषा परिवार** : इसका क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में सूडान तथा अन्य देश हैं। वास्तव में यह कई भिन्न भाषा परिवारों का समूह है।

4) **नाइजर-कांगो परिवार** : इसका क्षेत्र शेष अफ्रीका है। इसमें कई शाखाएँ हैं। पश्चिमी अफ्रीका शाखा में नाइजीरिया की कई भाषाएँ हैं। मध्य शाखा विस्तार के कारण महत्त्वपूर्ण है। इसमें स्वाहिली, और दक्षिणी अफ्रीका की बुशमैन महत्त्वपूर्ण हैं। ये भाषाएँ अब रोमन में लिखी जा रही हैं और इनमें आधुनिक युग में साहित्य रचना हो रही है।

5) **यूरल-अल्टाइक परिवार** : इस परिवार के दो प्रमुख वर्ग हैं। फिनलैंड-अग्रिक वर्ग में फिनलैंड की भाषा, हंगेरी की भाषा आती हैं। अल्टाइक वर्ग में तुर्की, मंगोल भाषा, मंचू

भाषा आदि आती हैं। कई विद्वान जापानी तथा कोरियाई भाषाओं को भी इसी परिवार में गिनते हैं और कुछ उन्हें अलग परिवार में रखते हैं।

6) **द्रविड़ भाषा परिवार** : इस परिवार की भाषाएँ दक्षिण भारत में बोली जाती हैं जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएँ शामिल हैं। इन भाषाओं में संस्कृत और अरबी-फ़ारसी के हज़ारों शब्द हैं, जिनके कारण ये आर्य भाषाओं के निकट आती हैं। इस पर हम आगे ''भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता'' नामक इकाई में चर्चा करेंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इनकी वाक्य संरचना आदि की मूल प्रकृति आर्य भाषाओं से भिन्न है। हम इन भाषाओं के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे।

7) **चीनी-तिब्बती परिवार** : जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, चीनी और तिब्बती भाषाएँ इस वर्ग की प्रमुख भाषाएँ हैं। साथ ही इसमें म्यानमार की बर्मी आदि भाषाएँ हैं। चीन की संस्कृति प्राचीन और उन्नत है। चीनी भाषा की लिपि चित्रात्मक (हर शब्द का एक वर्ण वाली) है, अध्ययन की दृष्टि से जटिल है। तिब्बती में कई प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं। भारत में पूर्वी क्षेत्र में इस परिवार की कई भाषाएँ बोली जाती हैं। गारो, बोडो आदि पहाड़ी भाषाएँ, अरुणाचल की भाषाएँ, नागा भाषाएँ, मिजो, मणिपुरी आदि इस परिवार की भारतीय भाषाएँ हैं।

8) **आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार** : इस परिवार का क्षेत्र भारत से लेकर पूर्व एशिया में इंडो-चीन तक है। दक्षिण म्यानमार की मोन, कंबोडिया की ख्मेर, विएतनामी इस वर्ग की भाषाएँ हैं। भारत में मुंडा भाषाएँ आस्ट्रिक भाषाएँ हैं, जिनमें बिहार की संथाली प्रमुख है। मेघालय की खासी भाषा, निकोबार की निकोबारी आदि इस परिवार की भारतीय भाषाएँ हैं।

9) **मलाय-पालिनेशियन परिवार** : इस परिवार में दो वर्ग हैं। मलाय वर्ग में मलाया की भाषा मलाय और इंडोनेशिया की भाषा इंडोनेशियन आती हैं। पालिनेशियन वर्ग में न्यूज़ीलैंड से हवाई द्वीप समूह तक की कई भाषाएँ आती हैं।

10) **अमेरिकी भाषाएँ** : मूल अमेरिकी निवासी (रेड इंडियन) अमेरिकी भाषाएँ बोलते हैं। वैसे ये निवासी कम होते जा रहे हैं और कई अंग्रेज़ी भाषी हो गए हैं।

इनके अलावा काकेशियन भाषाएँ, बैस्क क्षेत्र की भाषाएँ, आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की भाषाएँ अवर्गीकृत हैं या अपने में स्वतंत्र परिवार हैं। परिवारों के वर्गीकरण में ऐसी कई अनबूझ पहेलियाँ रह ही जाती हैं।

बोध प्रश्न 1

1) बिना पाठ देखे, अपनी याद से नीचे दिए हर भाषा परिवार की एक भाषा का नाम बताइए।
   क) द्रविड़ परिवार
   ख) भारोपीय परिवार
   ग) चीनी-तिब्बती परिवार
   घ) सेमेटिक-हैमेटिक परिवार
   ङ) आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार

2) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।
   i) भाषा की आधारभूत विशेषताओं को आधार बनाकर पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है।
   ii) संसार में सिर्फ़ दस भाषा परिवार हैं।
   iii) मलाय-पालिनेशियन भाषाएँ अफ़्रीका में बोली जाती हैं।
   iv) भारत में चार परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं।
   v) मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा है।
   vi) अंग्रेज़ी, स्पेनिश आदि अमेरिकी परिवार की भाषाएँ हैं।
   vii) तुर्की और मंगोल भाषा एक ही वर्ग की भाषाएँ हैं।

viii) मेसोपोटामिया एक प्राचीन संस्कृति थी।

3) आपकी भाषा किस परिवार की भाषा है?

....

4) आपकी भाषा की लिपि कौन-सी है?

....

2.3 भारोपीय परिवार

जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया था, भारोपीय परिवार विश्व का प्रमुख भाषा परिवार है और भारतीय आर्य भाषाएँ इसी वर्ग में आती हैं। इस वर्ग में संस्कृत, लैटिन (पुरानी), ग्रीक आदि प्राचीन भाषाएँ और हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, फ़ारसी आदि आधुनिक भाषाएँ आती हैं।

इन भाषाओं के एक परिवार में होने का आधार इनकी शब्दावली तथा वाक्य स्तर पर साम्य है, जो एक मूल भाषा से निकले होने के कारण इनमें विरासत में आया है। इसे सामान्य भाषा में समझने के लिए हम ऐसे शब्दों को देख सकते हैं, जो पारिवारिक संबंधों को सूचित करने वाले शब्द हैं और भाषा के संबंध को भी प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी* कहा जाता है। इसी तरह हिंदी, पंजाबी आदि भाषाओं को भगिनी* या सहोदर* भाषाएँ कहा जाता है।

एक परिवार की भाषाओं के समान लक्षणों को समझने के लिए आप निम्नलिखित शब्दों को देख सकते हैं।

संस्कृत	अंग्रेज़ी	फ़ारसी	रूसी	लैटिन	फ्रेंच
भ्राता	brother		ब्रात	frater	
वप्र		बर्फ़			
द्वे	two	दो	द्वा	duo	द्वे
वदम्	water		वदा		
पाद	foot			ped	pied
दुहित (बेटी)	daughter	दुख़्तर			
जनु	nee			genos	genou

ये शब्द इन भाषाओं में हज़ारों की संख्या में हैं, परिवर्तन के कारण इनमें उच्चारण भेद दिखायी पड़ता है।

इसी तरह वाक्य संरचना में भी बहुत समानताएँ हैं, जिसे हम संस्कृत और लैटिन की क्रिया संरचना से स्पष्ट कर सकते हैं।

भारोपीय परिवार की भाषाओं के आठ वर्ग हैं। इन्हें हम दो वर्गों या समूहों में बाँटते हैं। ये हैं केंटुम (Centum) वर्ग तथा शतम् वर्ग। इस वर्गीकरण का आधार यह है कि केंटुम वर्ग की भाषाओं में कई शब्द "क" (C) से आते हैं और शतम् वर्ग में उन्हीं शब्दों में "क" के स्थान पर "श" का प्रयोग होता है। अर्थात सौ के लिए लैटिन शब्द centum है और संस्कृत शब्द शतम् है। (यह दूसरी बात है कि आधुनिक भाषाओं में "C" के लिए "स" का उच्चारण होने लगा है और Cent अंग्रेज़ी में (सेंट) बोला जाता है, फ्रेंच में/सॉं/इसी तरह के अन्य शब्द हैं :)

शतम्	केंटुम
दश (संस्कृत)	डेका (ग्रीक)

भारोपीय परिवार के वर्ग तथा 8 प्रमुख शाखाएँ निम्न प्रकार से हैं (पुस्तकों में अधिक शाखाओं का भी उल्लेख मिल सकता है, लेकिन आप मूल बातें ही जान लें, तो काफी होगा।)

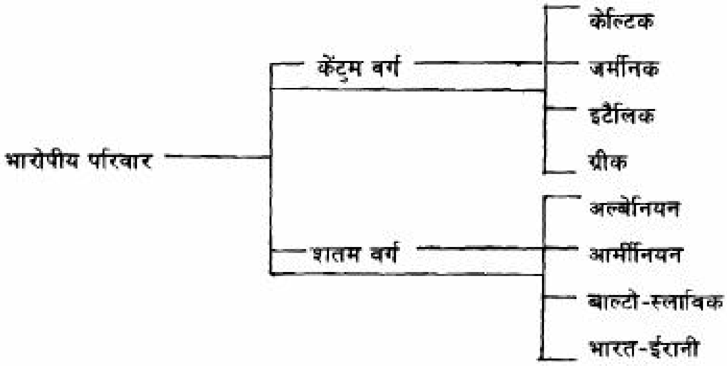

आइए हम इन शाखाओं का संक्षिप्त परिचय जान लें।

केंटुम वर्ग

1) केल्टिक : यह मध्य यूरोप की शाखा है। प्राचीन युग में इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस के क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती थी। इसी तरह मूल अंग्रेज जाति केल्ट थी। आज वेल्श, आइरिश आदि इस शाखा की प्रमुख भाषाएँ हैं।

2) जर्मनिक : यूरोप की दो प्रमुख भाषाएँ अंग्रेज़ी और जर्मनी इसी वर्ग की भाषाएँ हैं। इस शाखा की उत्तरी उपशाखा में स्वीडन, डेनमार्क और नार्वे की भाषाएँ (स्वीडिश, डेनिश और नार्वीजियन) आती हैं। अंग्रेज़ी पश्चिमी उपशाखा की ही भाषा थी, जिसका व्यवहार आंग्ल और सैक्सन नामक जातियाँ करती थीं। इन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण कर उसपर आधिपत्य किया। इसी कारण पुरानी अंग्रेज़ी को एंग्लो-सैक्सन भी कहा जाता था। डच, जर्मन इस शाखा की अन्य प्रमुख भाषाएँ हैं। पूर्वी उपशाखा में पुरानी भाषा गाथिक का नाम उल्लेखनीय है, जिसमें पाँचवीं शताब्दी के लेख मिलते हैं। यह उपशाखा लुप्तप्राय है।

3) इटैलिक : इस शाखा की प्राचीन भाषा लैटिन थी, जो धर्म और ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थी। बाईबिल का न्यू टेस्टामेंट लैटिन में ही लिखा गया था। वर्जिल, होरेस आदि लैटिन के प्रमुख लेखक थे। लैटिन से आधुनिक यूरोप की फ्रेंच, स्पैनिश, इटालियन, पुर्तगाली, रोमेनियन आदि महत्त्वपूर्ण भाषाएँ विकसित हुईं।

4) ग्रीक : नाम से ही स्पष्ट है कि यह उपशाखा ग्रीस देश (यूनान) में व्यवहृत होती थी। ग्रीक प्राचीन भाषा है, साहित्य की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। होमर के महाकाव्य इलियड एवं ओडेसी इसी भाषा में लिखे गये। अरस्तू, प्लेटो, सुकरात आदि महान दार्शनिकों ने इसी भाषा में लिखा था। आधुनिक ग्रीक इस शाखा की प्रमुख भाषा है।

शतम् वर्ग

5) अल्बेनियन : इस शाखा की इसी नाम की आधुनिक भाषा अल्बेनिया में बोली जाती है।

6) आर्मीनियन : इस उपशाखा की भाषाएँ तुर्की के पश्चिम में पूर्वी यूरोप में बोली जाती हैं।

7) बाल्टो-स्लाविक : इस शाखा का क्षेत्र पूर्वी यूरोप तथा रूस है। इस शाखा की दो उपशाखाएँ हैं—बाल्टिक और स्लैविक। बाल्टिक उपशाखा में उत्तर पश्चिमी रूस के लिथुएनिया, लैटविया की भाषाएँ हैं। स्लाविक उपशाखा क्षेत्र और बोलने वालों की संख्या के हिसाब से बड़ी है। इस उपशाखा के दक्षिणी समूह में बुलगारी (बल्गेरियन) है, पश्चिमी समूह में चेक, स्लोवाक, पोलिश भाषाएँ हैं, पूर्वी समूह की प्रमुख भाषा रूसी है।

8) भारत-ईरानी : जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस उपशाखा में ईरान और भारतीय प्रायद्वीप में व्यवहृत भाषाएँ शामिल हैं। हम इन भाषाओं के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे।

बोध प्रश्न 2

5) भारोपीय परिवार शब्द कैसे बना?

....

6) किन दो ध्वनियों के आधार पर केंटुम और शतम वर्ग का विभाजन किया गया है?

....

7) भारोपीय परिवार में कितनी शाखाएँ हैं?

....

8) भारत की आर्य भाषाएँ किस शाखा में आती हैं?

....

9) शाखा और भाषा का मिलान कीजिए।

i) जर्मनिक	क) डच
ii) इटैलिक	ख) फ्रेंच
iii) भारत-ईरानी	ग) रूसी
iv) बाल्टो स्लाविक	घ) इतालवी
v) केल्टिक	ड) अंग्रेज़ी
	च) आइरिश
	छ) चेक
	ज) कश्मीरी

2.4 भारत-ईरानी शाखा

भारत-ईरानी शाखा भारोपीय परिवार की एक शाखा है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है इस शाखा में भारत की आर्य भाषाएँ हैं, दूसरी तरफ ईरान क्षेत्र की भाषाएँ हैं जिनमें फ़ारसी प्रमुख है।

इन दोनों को एक वर्ग में रखने का भाषा वैज्ञानिक आधार यही है कि दोनों भाषाओं में काफ़ी निकटता है। क्या दोनों उपशाखाओं की भाषाएँ बोलने वाले कभी एक थे और बाद में उनकी भाषाओं में अधिक अंतर आने लगा? ईरान के निवासी भी आर्य थे। ईरान शब्द ही "आर्यों का" (आर्याणाम्) का बदला हुआ रूप लगता है। प्राचीन ईरानी भाषा 'अवेस्ता' में आर्य का रूप "ऐर्य" था। यह संबंध काल्पनिक नहीं है, प्राचीन युग में भारत और ईरान में धर्म का स्वरूप एक था, दोनों की भाषाओं (अवेस्ता और संस्कृत) में बहुत समानता थी। क्या ये लोग किसी तीसरी जगह से आकर इन दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग बस गये थे? इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। लेकिन यह बात निर्विवाद है कि भारत और ईरान के आर्य एक ही मूल के थे।

भारत-ईरानी शाखा की तीन उपशाखाएँ मानी जाती हैं। इन्हें निम्न प्रकार से एक आरेख से दिखा सकते हैं :

भारत-ईरानी —
- भारतीय आर्य भाषाएँ
- दरद
- ईरानी

आइए, हम तीनों उपशाखाओं का कुछ परिचय प्राप्त करें।

2.4.1 ईरानी उपशाखा

ईरानी उपशाखा में प्रमुख रूप से फ़ारसी भाषा आती है। ईरानी शब्द संभवत: आर्याणाम् (आर्यों का) से आया है, क्योंकि उस समय यह आर्यों का देश कहा जाता था। आज भी इसका प्रमुख क्षेत्र ईरान देश है और देशवासी ईरानी कहलाते हैं। वर्तमान ईरान को प्रारंभ में संस्कृत में पारस कहा जाता था। पारस देश की भाषा पारसी थी, जो आगे चलकर फ़ारसी बन गयी। फ़ारसी आज के ईरान देश की भाषा है। हम भी आगे इसे फ़ारसी के नाम से अभिहित करेंगे।

फ़ारसी : फ़ारसी के तीन प्रमुख काल हैं।

प्राचीन काल : यह युग ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर ई. पू. तीसरी शताब्दी तक का है। इस युग में दो प्रकार की भाषाएँ थीं।

प्राचीन फ़ारसी : यह भाषा रूप में संस्कृत के समान थी। अर्थात् थोड़े से रूप परिवर्तन से संस्कृत से इसका निकट संबंध देखा जा सकता है उदाहरण देखिए–

प्राचीन फ़ारसी– पसाव कम्बुजिय मुद्रण्यम् अशियव। यथा कम्बुजिय मुद्रायम् अशियव पसावकार अरिक अबव। पसाव द्रउग दह्यउवा वसइय अबव उता पार्सइय् उता मादइय् उता अनियाउवा दह्यशुवा।

संस्कृत–पश्चात् अवत् (एतत्) कम्बुजो मिस्र अच्यवत्। यदा कम्बुजो मिस्र अच्यवत् पश्चात् अवत् (एतत्) कारा: (लोका:) अरिकं अभवन्। पश्चात् अवत् द्रोहः दस्यौ (देशे) आ वशी अभवत्, उत पारस (देशे) उत मद (देशे) उत अन्येषु आ दस्युषु (देशेषु) आ।

हिंदी–पश्चात् इसके कम्बुज मिस्र चला गया। जब कम्बुज मिस्र चला गया, पश्चात् इसके, लोग अरि हो गए। पश्चात् इसके सभी देशों में द्रोह फैल गया, फ़ारस में, मद (मीडिया) में, और अन्य देशों में।

(स्रोत : हिंदी भाषा का उद्भव और विकास–उदय नारायण तिवारी)

प्राचीन फ़ारसी के क्षेत्र का पुराना नाम 'पारस' या 'फ़ार्स' था। इसी आधार पर 'फ़ारसी' शब्द बना है। प्राचीन फ़ारसी का काल प्रारंभ से लेकर ईसा की दूसरी सदी ई. पू. तक है।

अवेस्ता : अवेस्ता का अर्थ है, ''शास्त्र'' या ''ज्ञान ग्रंथ''। जिस तरह से ''वेद'' 'विद्' (जानना) से बना है, ''अवेस्ता'' शब्द इसी अर्थ में वित् धातु से बना है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है, उसकी भाषा भी इसी नाम से जानी जाती है। इसके उपास्य देव अहुरमज़्दा (असुरमेधा) हैं। यह भाषा भी संस्कृत व्याकरण से समानता रखती है और थोड़े से रूप परिवर्तन से हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ,

अवेस्ता–हओम न्मानोइतें वीस्पइतें
ज़ंतु पइतें दइँहु पइतें स्पनङ्ह बएद्या-पइतें।
अमाइच थ्वा वृथ्राग्नाइच
मावोय उप-स्रुये तनुये
थ्रिमाइ-च यत् पों उरु–बओख़्शनहें।

संस्कृत–सोम दम्पते बिश्पते
जन्तुपदे दस्युपते श्वनसा विद्यापते
अमाय च त्वा बृत्रघ्नाय च
महयम् उपस्रु वे तन्वे
त्रिमाय च यत् पुरुभोजसे।

हिंदी–हे सोम, घर के मालिक, ग्राम के मालिक, प्रान्त के मालिक, देश के मालिक और अपनी पवित्रता से विद्या के मालिक! मैं तुझे शक्ति के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए, अपने आप के लिए, और उस रक्षा के लिए, जो बहुतों को बचाने वाली है, बुलाता हूँ।

(स्रोत : हिंदी भाषा–भोलानाथ तिवारी)

मध्यकालीन फ़ारसी : इस भाषा का समय तीसरी शताब्दी ई. पू. से पाँचवीं शताब्दी ई. तक है। इस युग की भाषा को पहलवी भी कहते हैं। पहलवी शब्द पार्थव से निकाला है और पहलवी साम्राज्य अंग्रेज़ी में पार्थियन राजबंश कहलाता है।

आधुनिक फ़ारसी : ईरानी शाखा की प्रमुख भाषा फ़ारसी है और आधुनिक फ़ारसी का समय नवीं शताब्दी ईसवी से माना जाता है। इस युग तक ईरान में इस्लाम का प्रभाव पड़ चुका था। इस कारण फ़ारसी ने अरबी लिपि को अपनाया और बड़ी संख्या में अरबी भाषा से शब्द ग्रहण किए। फिर भी इसकी आधारभूत शब्दावली भारतीय भाषाओं की शब्दावली के समान है। जैसे कर्दन (करना), ख़रीदन (ख़रीदना) (क्रीत + ना प्रत्यक्ष), दस्त (हस्त), पा (पाद ''पैर'')। ईरानी उपशाखा की तीन-चार और प्रमुख भाषाएँ हैं। ये हैं–

पश्तो–यह अफ़गानिस्तान की भाषा है। यह आर्य भाषाओं के अधिक निकट है। इस भाषा में टवर्ग की ध्वनियाँ भी हैं, जो आर्य भाषाओं की विशेषता है।

बलूच–यह पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र की भाषा है।

कुर्दी–यह कुर्द जाति की भाषा है। यह भाषा बोलने वाले उत्तरी ईराक, पश्चिमी ईरान और दक्षिण-पूर्वी तुर्की में हैं।

2.4.2 दरद उपशाखा

यह वर्ग अपनी भाषिक विशेषताओं के कारण ईरानी और भारतीय भाषाओं के बीच है। इसमें दोनों उपशाखाओं की कुछ विशेषताएँ देखी जा सकती हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी इस उपशाखा के बोलने वाले मध्यवर्ती क्षेत्र में याने भारत के कश्मीर राज्य और पामीर पठार में रहते हैं। कश्मीरी इस उपशाखा की प्रमुख भाषा है। कश्मीरी में 13 वीं शताब्दी से ही साहित्य रचना आरंभ हो गयी थी। कवयित्री लल्लयिद्य ने 14वीं शताब्दी में भक्ति साहित्य की रचना की। प्राचीन काल से ही कश्मीर में संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत में काव्य रचना और ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथों का प्रणयन किया। इस दृष्टि से कश्मीरी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर मुसलमानों के कारण इसने फ़ारसी लिपि को अपनाया और कश्मीरी में कई अरबी-फ़ारसी शब्द व्यवहृत होते हैं।

2.4.3 भारतीय आर्य भाषाएँ

यद्यपि आर्य शब्द भारतीय भाषाओं के साथ ही जुड़ा है, आम राय यह है कि यूरोप के अधिकांश लोग मूलतः आर्य ही थे। यह भी मत है कि आर्यों का मध्य एशिया से भारत में आगमन हुआ। इस विवाद में न जाकर इतना ही बताना काफ़ी होगा कि भारोपीय परिवार की भाषाओं में जो अद्भुत समानता मिलती है, खासकर प्राचीन संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अवेस्ता आदि भाषाओं में, उससे यह तो कहा ही जा सकता है कि इन भाषाओं के बोलने वाले एक ही मूल के थे, इनकी भाषाओं का स्रोत एक था।

भारतीय आर्य भाषाओं के मूल में संस्कृत भाषा है। इसी भाषा से आधुनिक युग की भाषाएँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांगला, ओड़िया, असमिया आदि विकसित हुईं। आज के पाकिस्तान की भाषाएँ लहंदा और सिंधी भी इसी उपशाखा की भाषाएँ हैं। नेपाल की भाषा नेपाली और श्रीलंका (सिंहल) की भाषा सिंहली भी आर्य भाषाएँ हैं।

संस्कृत से कालक्रम में इन भाषाओं के विकास के बारे में हम अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे और अगली इकाई में भारतीय आर्य भाषाओं का विस्तृत परिचय देंगे।

2.5 भारोपीय परिवार की विशेषताएँ

भारोपीय परिवार की भाषाओं की विशेषताओं को हम तभी अच्छी तरह समझ सकते हैं, जब अन्य परिवारों की भाषाओं की भिन्न प्रकृति को जानें। चीनी भाषा परिवार की भाषाएँ शब्द के मूल रूप में परिवर्तन नहीं करतीं। याने एक क्रिया के पुल्लिंग, स्त्रिलिंग, भूतकाल आदि विभिन्न रूप नहीं बनते। मूल शब्द में शब्द जोड़कर इन व्याकरणिक विशेषताओं को प्रकट किया जाता है। इसकी तुलना में संस्कृत में एक संज्ञा शब्द के 24 रूप बनते हैं और एक क्रिया धातु के विभिन्न काल आदि में लगभग 90 रूप मिलते हैं। सेमेटिक भाषाओं में अर्थात् अरबी आदि में शब्द निर्माण की प्रक्रिया भिन्न प्रकार की है। शब्द का मूलांश (radical) तीन व्यंजनों का होता है, बीच के स्वरों को बदलने से तथा आगे पीछे अन्य शब्द खंड जोड़ने से विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है। जैसे

क्त्ब् -- मूलांश

किताब
कुतुब (किताबें)
कातिब (लेखक)
मकतब (स्कूल)

अमेरिकी भाषाओं में शब्द नाम की संकल्पना ही नहीं है। वाक्य के सारे शब्द एक ही उच्चारण खंड हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द हर परिवेश में भिन्न रूपों में आते हैं। इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकृति के भाषा परिवारों के संदर्भ में भारोपीय परिवार की भाषाओं की प्रकृति एक जैसी है, हमारे लिए परिचित-सी लगती है। इनमें शब्द रचना और वाक्य रचना की प्रकृति एक है, भले ही भाषाओं में कई जगह अंतर आ गया हो। इस कारण इन भाषाओं का एक जैसा व्याकरण भी लिखा जा सकता है। इस व्याकरण की चीनी, अरबी या एस्किमो भाषा के वर्णन में कोई उपयोगिता नहीं रहेगी।

भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाओं में संज्ञा शब्द तथा क्रिया रूपों की रचना में बहुत साम्य था। सभी भाषाओं में संस्कृत जैसे ही शब्द रूप बनते थे। कुछ हद तक आज भी जर्मन और रूसी भाषाओं में यह विशेषता सुरक्षित है। आधुनिक भाषाएँ लगभग समान रूप से सरल होती गयीं। कृदंतों* और सहायक क्रियाओं* से क्रिया रचना अब सब भाषाओं की विशेषता हो गयी है। इस तरह इस परिवार की भाषाएँ समान विकास की दिशा में चलती आयी हैं। भारोपीय परिवार की सबसे बड़ी विशेषता इनकी आधारभूत शब्दावली* की समानता है। हमने ऊपर पिता, माता, भ्राता आदि शब्दों की चर्चा की। इस तरह के शब्द, उच्चारण परिवर्तन के बावजूद इन सभी भाषाओं में सुरक्षित हैं। इस तरह कह सकते हैं कि भाषा परिवार की संकल्पना ऐतिहासिक सत्य ही नहीं, भाषिक सत्य भी है।

बोध प्रश्न 3

10) निम्नलिखित भाषाएँ किस उपशाखा की हैं?

i) पश्तो ii) कश्मीरी

iii) नेपाली iv) पहलवी

v) संस्कृत

11) वाक्य पूरे कीजिए।

i) भारत-ईरानी शाखा की.......... उप शाखाएँ हैं।

ii) अवेस्ता.......... उप शाखा की एक प्राचीन भाषा है।

iii) आज फ़ारसी भाषा.......... लिपि में लिखी जाती है।

iv) यह माना जाता है कि भारत में आर्य.......... से आए।

v) .... भाषा में शब्दों के विकारी रूप नहीं मिलते।

12) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i) कश्मीरी दरद उपशाखा की एक प्रमुख भाषा है।

ii) सिंहली भाषा एक आस्ट्रिक भाषा है।

iii) पश्तो भाषा संस्कृत से निकली है।

iv) संस्कृत, लैटिन और ग्रीक में शब्द रचना में साम्य था।

v) अरबी और हिंदी में कई आधारभूत शब्द हैं।

2.6 सारांश

इस इकाई में हमने विश्व की भाषाओं और भाषा परिवारों का अध्ययन किया। विश्व में दस प्रमुख भाषा परिवार हैं। यह विश्लेषण भाषाओं के किसी एक मूल से विकसित होने पर आधारित है। एक मूल स्रोत से निकली भाषाओं में संरचना के समान तत्व होते हैं। तत्वों की समानता का अध्ययन कई भाषाओं के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद पैदा करता है। इस कारण भाषा परिवारों की संख्या के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। हमने भारोपीय परिवार का विश्लेषण किया और उसकी आठ प्रमुख शाखाओं का परिचय प्राप्त किया। इस परिवार में यूरोप और एशिया की अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी आदि भाषाएँ शामिल हैं। इस परिवार की भाषाएँ प्राचीन हैं, साहित्य की दृष्टि से संपन्न हैं और बोलने वाले लोगों की संख्या से महत्त्वपूर्ण हैं। इस परिवार की भाषाओं का गहराई से अध्ययन किया जा चुका है।

हमने भारत-ईरानी शाखा की भाषाओं का परिचय प्राप्त किया। भारतीय आर्य भाषाएँ इसकी उपशाखा हैं। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। इस उपशाखा का अध्ययन हम अगली इकाई में करेंगे। इस परिवार में हिंदी की स्थिति को हम निम्नलिखित आरेख से दिखा सकते हैं–

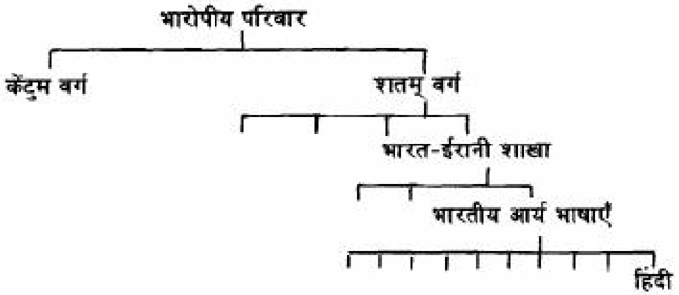

इकाई के अंत में हमने भारतीय परिवार की सामान्य विशेषताओं का परिचय दिया।

2.7 शब्दावली

जननी—माँ

भगिनी—बहन

सहोदर—एक माँ के बच्चे

कृदंत—'जाता', 'गया' आदि कृदंत रूप हैं (विस्तार अगले खंड में देखें)

सहायक क्रिया—है, था आदि (जाता है, जाता था में) सहायक क्रियाएँ हैं

आधारभूत शब्दावली—सर्वनाम, संख्यावाचक, संख्यावाचक शब्द, प्रमुख क्रियाएँ, घर, प्रकृति, शरीर आदि से संबंधित शब्द। ये शब्द भाषा के अपने अंग होते हैं, खत्म नहीं होते।

2.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिंदी भाषा का उद्‌भव और विकास; उदय नारायण तिवारी; भारती भंडार; इलाहाबाद; 1966

हिंदी भाषा; भोलानाथ तिवारी; किताब महल; इलाहाबाद; 1966

2.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

2) i) हाँ ii) नहीं iii) नहीं iv) हाँ, v) नहीं vi) नहीं
vii) हाँ viii) हाँ

बोध प्रश्न 2

5) भारत और यूरोप की भाषाएँ, जो इस परिवार में आती हैं।

6) क (c) और श

7) 8 प्रमुख शाखाएँ

8) भारत-ईरानी

9) i) डच, अंग्रेज़ी ii) फ्रेंच, इतालवी iii) कश्मीरी iv) रूसी, चेक
v) आइरिश

बोध प्रश्न 3

10) i) ईरानी ii) दरद iii) भारतीय आर्य भाषाएँ iv) ईरानी v) भारतीय आर्य भाषाएँ

11) i) 3 ii) ईरानी iii) अरबी iv) मध्य एशिया v) चीनी

12) i) हाँ ii) नहीं iii) नहीं iv) हाँ v) नहीं

इकाई 3 भारतीय आर्य भाषाएँ

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य
3.1 प्रस्तावना
3.2 भारत के भाषा परिवार
  3.2.1 द्रविड़ भाषा परिवार
  3.2.2 आस्ट्रिक भाषा परिवार
  3.2.3 चीनी-तिब्बती भाषा परिवार
3.3 भारतीय आर्य भाषाएँ : एक विहंगम दृष्टि
3.4 भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण
  3.4.1 ग्रियर्सन का वर्गीकरण
  3.4.2 डॉ. चटर्जी का वर्गीकरण
  3.4.3 दोनों वर्गीकरणों का तुलनात्मक विवेचन
3.5 भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय
3.6 भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएँ
3.7 सारांश
3.8 शब्दावली
3.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
3.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम भारत के भाषा परिवारों के बारे में अध्ययन करेंगे और भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- भारत के चारों भाषा परिवारों की स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे;
- भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण की व्यावहारिक विशेषता बता सकेंगे;
- प्रमुख आर्य भाषाओं का परिचय दे सकेंगे;
- भारतीय आर्य भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ गिना सकेंगे; और
- भारत की भाषाई स्थिति के संदर्भ में हिंदी भाषा का स्थान और महत्त्व बता सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने विश्व की भाषाओं के संदर्भ में भारत की भाषाई स्थिति का अध्ययन किया और भारत के चार भाषा परिवारों का परिचय प्राप्त किया। भारत का सबसे प्रमुख भाषा परिवार भारोपीय वर्ग की भाषाएँ हैं, जिन्हें हम भारत के संदर्भ में भारतीय आर्य भाषाएँ कहते हैं। इस इकाई में भारतीय आर्य भाषाओं की चर्चा करेंगे।

इन भाषाओं को हम वर्गों में बाँटते हैं। इस विभाजन का आधार भाषा की संरचना है। हम इस इकाई में उन भाषिक विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे, जिनके आधार पर इन भाषाओं का विभिन्न वर्गों में विभाजन किया जाता है।

3.2 भारत के भाषा परिवार

जैसे कि विश्व के भाषा परिवारों की चर्चा (इकाई 2), के संदर्भ में उल्लेख किया गया था भारत में चार भाषा परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं। ये हैं:

1) भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य भाषाएँ जिसमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाएँ शामिल हैं।
2) द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएँ शामिल हैं।
3) आस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें मुंडा, खासी, संथाली आदि भाषाएँ आती हैं।
4) चीनी-तिब्बती भाषा परिवार की शाखा तिब्बती-वर्मी जिसमें मणिपुरी, नागा, मिज़ो आदि भाषाएँ शामिल हैं।

यहाँ हम इन भाषाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे।

3.2.1 द्रविड़ भाषा परिवार

द्रविड़ भाषाएँ प्रमुखत: भारत के दक्षिण में बोली जाती हैं। ये चारों द्रविड़ भाषाएँ बोलने वालों की संख्या, उनके साहित्य आदि के कारण महत्त्वपूर्ण हैं। ये हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। हम पहले इन चारों भाषाओं की चर्चा करेंगे और बाद में अन्य द्रविड़ भाषाओं की।

तमिल : तमिल भाषा द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन है। इसमें उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट है कि इसका समय ईसा पूर्व की शताब्दियों का है। तमिल का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य संघ साहित्य है। परवर्ती साहित्य में महत्त्वपूर्ण कृति है कवि तिरुवल्लुवर रचित तिरुक्कुरल है। तिरुक्कुरल के बाद शिलप्पधिकारम्, मणिमेखला आदि खंड काव्य लिखे गये। यह परवर्ती साहित्य ईसवी दूसरी या तीसरी शताब्दी का है। परवर्ती साहित्य की भाषा से संघ साहित्य की भाषा की तुलना करने पर अनुमान किया जा सकता है कि संघ काल परवर्ती साहित्य से कम से कम पाँच सौ साल पहले का है। अर्थात् यह मान सकते हैं कि संघ काल ईसा पूर्व का युग है। पाँचवीं-छठी शताब्दी में तमिल में भक्ति साहित्य की रचना प्रारंभ हुई। वैष्णव भक्त कवि आलवार और शैव भक्त कवि नायनमार थे, जिन्होंने तमिल में साहित्य की रचना की। इस तरह सातवीं-आठवीं शताब्दी तक तमिल में विपुल साहित्य की सृष्टि हो चुकी थी।

'तमिल' शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि द्रविड़ से ही तमिल बना। तमिल भाषी विद्वान मानते हैं कि अमिषृतु (= अमृत, मधु, शहद) के विपर्यय* से 'तमिल' शब्द बना। तमिल भाषा का क्षेत्र आज का तमिलनाडु राज्य है, जो पहले मद्रास प्रांत कहलाता था। यह तमिलनाडु की राजभाषा है। भारत के बाहर मध्ययुग में व्यापारिक संबंध रहे, इस कारण श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, आदि देशों में तमिल भाषी बसे। उल्लेखनीय है कि तमिल श्रीलंका की दूसरी राजभाषा है और सिंगापुर की चार राजभाषाओं में एक है।

श्रीलंका और मलेशिया के तमिल भाषी लेखक तमिल साहित्य की रचना में योगदान भी देते हैं। आधुनिक युग में खेतिहर मज़दूरों की भर्ती के सिलसिले में तमिल भाषी मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में भी बसे।

तमिल भाषा की अपनी लिपि है जो ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से व्युत्पन्न है। इसलिए इसमें कई वर्ण देवनागरी वर्णों के समान हैं। तमिल में महाप्राण ध्वनियाँ नहीं हैं। अत: व्यंजनों की संख्या सिर्फ़ अठारह है। तमिल भाषा में संस्कृत और उर्दू से लिए हुए कई सौ शब्द हैं, हालाँकि तमिल की साहित्यिक भाषा में मूल तमिल शब्दों का प्रयोग अधिक होता है।

मलयालम : मलयालम आज के केरल राज्य की राजभाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या चारों द्रविड़ भाषाओं में सबसे कम है। लेकिन आधुनिक भारतीय साहित्य के संदर्भ में इस भाषा का योगदान इतना ही महत्त्वपूर्ण है। यों कह सकते हैं कि आधुनिक द्रविड़ भाषाओं में मलयालम की साहित्यिक परंपरा बहुत समृद्ध है। इस भाषा में कुमारन आशान, तकषि शिवशंकर पिल्लै, शंकर कुरुप आदि लेखकों ने योगदान किया। मलयालम भाषा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। पंद्रहवीं शताब्दी में ही इसमें साहित्य रचना का प्रारंभ हुआ। इसका उद्भव काल ईसा की तेरहवीं शताब्दी के आसपास है। उससे पहले संभवत: केरल प्रांत में तमिल भाषा ही व्यवहार में थी। इस दृष्टि से कुछ लोग कह सकते हैं कि तमिल भाषा से ही मलयालम का विकास हुआ। लेकिन कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। सत्य जो भी हो, मलयालम भाषा उच्चारण, शब्दावली और वाक्य संरचना की दृष्टि से तमिल के सबसे निकट है। मलयालम भाषा की एक और प्रमुख विशेषता है। चारों द्रविड़ भाषाओं में मलयालम में बोलचाल की भाषा में भी सबसे ज्यादा संस्कृत के शब्द हैं।

मलयालम की लिपि तमिल लिपि से मिलती है। लेकिन इसमें देवनागरी के समान सारे वर्ण हैं। इसमें सारे महाप्राण व्यंजन लिखे जाते हैं, फिर भी उच्चारण की पद्धति हिंदी के अनुसार नहीं है। तमिल और मलयालम दोनों की उच्चारण व्यवस्था द्रविड़ शाखा की उच्चारण व्यवस्था के अनुरूप है।

कन्नड़ : कन्नड़ वर्तमान कर्नाटक राज्य की भाषा है। यह कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। कन्नड़ संभवतया द्रविड़ परिवार की भाषाओं में प्राचीनता की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। इसमें ईसा की सातवीं शताब्दी के शिलालेख मिलते हैं। उस समय से मध्ययुग तक की कन्नड़ भाषा को पुरानी कन्नड़ (हले कन्नड) कहा जाता है, जो रूप में नयी कन्नड़ (होस कन्नड) से भिन्न है। दसवीं शताब्दी में ही कन्नड़ में साहित्य रचना प्रारंभ हो गयी थी। पंप भारत और आदि पुराण प्राचीन काव्य ग्रंथ है।

कन्नड़ शब्द वास्तव में कर्नाटक से उद्भूत है। लेकिन कर्नाटक शब्द का अर्थ निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता। कुछ विद्वान इसे करु + नाटु ''श्याम प्रदेश'' मानते हैं। लेकिन प्रदेश की श्यामता का तात्पर्य समझ में नहीं आता। इसी के आधार पर प्रदेश का नाम 'कर्नाटक' पड़ा है। कन्नड़ भाषा की लिपि अलग है। यह लिपि भी वर्णमाला क्रम में देवनागरी की तरह है, यद्यपि बोलचाल की भाषा में महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। ह्रस्व एँ, ह्रस्व ओँ, ऌ आदि अन्य कुछ वर्ण हैं जो देवनागरी में नहीं हैं।

तेलुगु : तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार में बोलने वालों की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है। तेलुगु वर्तमान आंध्र प्रदेश की भाषा है, वहाँ की राजभाषा है। दक्षिण उड़ीसा, उत्तर तमिलनाडु, पूर्वी कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी कई तेलुगु भाषा भाषी हैं।

तेलुगु भाषा का इतिहास कितना पुराना है, यह विवाद का विषय है। तेलुगु भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ नन्नय का महाभारत है, जिसका रचना काल 1000 ई. है। उसके बाद वेमना, पोतना आदि कवियों ने काव्य रचना की। आधुनिक युग में भी तेलुगु में कई महान रचनाकार हुए हैं। तेलुगु भाषा रचना की दृष्टि से अन्य द्रविड़ भाषाओं से कुछ भिन्न है। इसलिए भाषा वैज्ञानिक इसे द्रविड़ की बाह्य शाखा में मानते हैं और इसे औरों से भिन्न शाखा में रखते हैं।

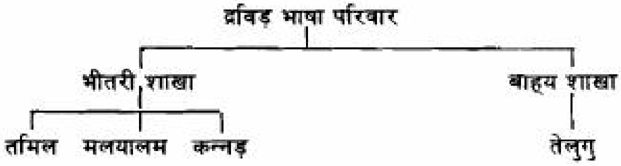

तेलुगु और कन्नड़ भाषा की लिपि एक ही है, सिर्फ़ कुछ वर्णों के आकारों में अंतर है और मात्रा लिखने की शैली भिन्न है। आधुनिक युग में दोनों भाषाओं की एक लिपि के निर्माण के प्रयत्न हुए हैं, लेकिन अभी तक एकीकरण संभव नहीं हो पाया है।

द्रविड़ भाषाओं में मलयालम के बाद तेलुगु में सबसे अधिक संस्कृत शब्द हैं। आधुनिक युग तक के तेलुगु काव्य में बड़ी संख्या में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता रहा। संस्कृत जैसे ही विस्तृत समासों का प्रयोग होता रहा। तमिल भाषियों की तरह तेलुगु भाषी पूर्व एशिया में मलेशिया आदि देशों में और पश्चिम में मॉरिशस आदि देशों में बसे।

अन्य द्रविड़ भाषाओं और उनके स्थान का विवरण यों है—

तुलु : कर्नाटक प्रदेश में मंगलूर आदि क्षेत्रों में व्यवहृत है। इसमें लिखित साहित्य कम है। आधुनिक युग में तुलु भाषी इसके विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। यह कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है।

कोडगु या कूर्ग : यह उत्तरी कर्नाटक में कूर्ग क्षेत्र की भाषा है।

तोडा : यह तमिलनाडु के नीलगिरि ज़िले की तोडा जनजाति की भाषा है।

गोंडी : इसका स्थान मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश है।

कुई : इसका स्थान उड़ीसा प्रदेश है।

कुडुख या ओराँव : इसका स्थान मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा है।

माल्तो : यह राजमहल की पहाड़ियों में बोली जाती है।

द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा ब्राहुई है, जो आज भी अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। इस बात की संभावना कम है कि दक्षिण भारत से द्रविड़ अफ़गानिस्तान तक गये हों। इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे और उत्तर भारत में रहते थे। आर्यों के आगमन के कारण ये दक्षिण की तरफ़ चले गए और उनमें कुछ जातियाँ पीछे रह गईं या उत्तर में अन्य स्थानों में बिखर गयीं। ये तर्क अनुमान पर आधारित हैं, प्रमाणसिद्ध नहीं हैं।

3.2.2 आस्ट्रिक भाषा परिवार

हमने पिछली इकाई में आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की चर्चा की। एक विद्वान् ने आस्ट्रो-एशियाटिक और मलाय-पालिनेशियन दोनों को मिलाकर आस्ट्रिक नाम दिया। हम भी इस पाठ्यक्रम में आस्ट्रो-एशियाटिक को संक्षेप में आस्ट्रिक परिवार कहेंगे।

इस परिवार की दो शाखाएँ हैं। मान-ख्मेर शाखा की भाषाएँ बर्मा तथा हिंदी-चीन के कुछ देशों में बोली जाती हैं। भारत में इस शाखा की भाषाएँ खासी और निकोबारी हैं। खासी मेघालय की भाषा है। यह पहले विकसित भाषा नहीं थी, लेकिन अब इसमें साहित्य रचना होने लगी है। खासी रोमन में लिखी जाती है और स्कूलों में मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। दूसरी भाषा निकोबारी निकोबार द्वीप समूह में व्यवहृत है। निकोबार के निवासी जनजातीय हैं। यह भाषा अधिक विकसित नहीं है।

दूसरी उपशाखा को मुंडा भाषाएँ कहा जाता है। मुंडा भाषाएँ बोलने वाले सिर्फ़ भारत में हैं। संस्कृत में इन भाषाओं में बोलने वालों को 'निषाद' की संज्ञा दी गयी थी और इनकी भाषा को 'कोल' कहा जाता था। मुंडा भाषाओं का क्षेत्र प्रमुखतः बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र है। मुंडा भाषाएँ बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए हैं।

भारत की प्रमुख मुंडा भाषाओं में बिहार की संथाली भाषा है। संथाली देवनागरी में लिखी जाती है। आधुनिक युग में इनमें साहित्यिक रचना भी होने लगी है। अन्य मुंडा भाषाएँ हैं--मुंडारी, कुर्कू, सवर (शबर), हो आदि। कुल मिलाकर मुंडा भाषाएँ अधिक विकसित नहीं हैं। हमने पिछली इकाई में ज़िक्र किया था कि भिन्न भाषा परिवारों में रचना की भिन्नता मिलती है। मुंडा भाषाओं में मध्यवर्ग या मध्य प्रत्यय से शब्द रचना होती है। यह विशेषता आर्य भाषाओं में नहीं होती। जैसे 'दल' (मारना) से 'दपल' (आपस में मारना) 'ददल' (खूब मारना), 'आल' (लिखना) से 'अकाल' (खूब लिखना) की रचना इस परिवार की विशेषता है। इस तरह धातु शब्द दो वर्ण वाले होते हैं और बहुधा मध्यसर्ग से शब्द रचना होती है। चूँकि मुंडा भाषाएँ चारों तरफ़ आर्य भाषाओं से घिरी हैं, इनमें आर्य भाषाओं की कई विशेषताएँ भी आ गई हैं और इस कारण समानताएँ विकसित हो गयी हैं।

3.2.3 चीनी-तिब्बती भाषा परिवार

इस परिवार की दो शाखाएँ हैं--तिब्बत-बर्मी और चीनी। भारत में तिब्बती-बर्मी वर्ग की भाषाएँ बोली जाती हैं। इन भाषाओं का क्षेत्र तिब्बत और म्यानमार (बर्मा) के बीच का पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर आदि राज्य आते हैं। इन भाषाओं के बोलने वालों को संस्कृत में किरात कहा गया है।

इन भाषाओं के बोलने वाले ज़्यादातर जनजातियाँ हैं। इस कारण अधिकतर भाषाएँ लिखी भी नहीं गयी हैं और इनमें अधिक साहित्य नहीं मिलता। इनमें सबसे विकसित भाषा मणिपुरी या मेईथेई है जो मणिपुर की भाषा है। मणिपुरी भाषा में 15वीं शताब्दी से ही साहित्य रचना होती रही है। मणिपुरी भाषा का उच्च स्तर तक अध्यापन होता है। यह बांगला लिपि में लिखी जाती है। मिज़ोरम की भाषा मिज़ो है। यह रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसमें साहित्य रचना होने लगी है। नागालैंड में आओ, अगामी आदि 16 प्रमुख भाषाएँ हैं। ये भाषा-भाषी आपस में नागामीस नामक मिली-जुली संपर्क भाषा का उपयोग करते हैं। कई नागा भाषाएँ प्राथमिक स्तर की शिक्षा में पढ़ायी जाती हैं। अरुणाचल में कई भाषाएँ हैं। आदी, मिश्मी, वांचू आदि जनजातियों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं। ये भाषाएँ अलिखित हैं, इनमें साहित्य नहीं है। इनके अलावा नेपाल में नेवारी, सिक्किम में लेपचा तथा भोटिया, असम में बोडो, गारो आदि कई तिब्बत-बर्मी भाषाएँ बोली जाती हैं।

जैसे पिछली इकाई में चर्चा की गई थी, इस परिवार की भाषाओं में शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता। भारत में चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाएँ बोलने वाले दूर के इलाकों में रहते हैं। इस तरह भाषिक दूरी और भौगोलिक दूरी दोनों के कारण भारत की अन्य भाषाओं और इस परिवार की भाषाओं में कम संपर्क रहा।

बोध प्रश्न 1

1) बिना पाठ देखे द्रविड़ भाषा परिवार की चार प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए।

   i) ii) iii) iv)

2) अपनी याद से राज्य के नाम के सामने उसकी भाषा का नाम लिखए।

   i) मिज़ोरम ii) मेघालय

   iii) मणिपुर iv) सिक्किम

3) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) तमिल भाषा में लगभग दो हज़ार पूर्व का साहित्य उपलब्ध है।

   ii) द्रविड़ भाषाओं में तेलुगु बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है।

   iii) कन्नड़ केरल की भाषा है।

   iv) नागालैंड में सोलह नागा भाषाएँ हैं।

   v) खासी भाषा चीनी परिवार की भाषा है।

3.3 भारतीय आर्य भाषाएँ : एक विहंगम दृष्टि

आपने अध्ययन किया था कि 1981 की जनगणना के आधार पर भारत की भाषाओं की संख्या 1650 है। भारतीय आर्य भाषाओं की संख्या कुल 300 है। बोलने वालों की संख्या के आधार पर आर्य भाषाएँ जिनकी मातृभाषा है, उनकी संख्या लगभग 50 करोड़ है, याने कुल आबादी का 74 प्रतिशत है।

'भारतीय आर्य भाषाएँ' शब्द को आप सिर्फ़ राष्ट्र के संदर्भ में न लें। यह तो मात्र एक नाम है उन भाषाओं का, जो इस भूखंड में बोली जाती हैं। भारत के बाहर भी चार देशों में भारतीय आर्य भाषाओं का व्यवहार होता है। पाकिस्तान में इस शाखा की तीन प्रमुख भाषाएँ—पंजाबी, सिंधी और लहंदा—बोली जाती हैं। बांगला देश की भाषा बांगला है, जो इस शाखा की एक प्रमुख भाषा है। नेपाल में नेपाली भाषा है, जो भारतीय आर्य भाषा शाखा की भाषा है। श्रीलंका में एक भाषा सिंहली है (दूसरी भाषा तमिल द्रविड़ परिवार की है) जो एक भारतीय आर्य भाषा है। इसके अलावा फ़िजी, सूरिनाम, ट्रिनीडैड मौरिशस जैसे देशों में भारतीय आर्य भाषएँ बोलने वाले प्रवासी भारतीय हैं। इस तरह विश्व की आबादी में भारतीय आर्य भाषाएँ बोलने वालों की संख्या कुल आबादी की लगभग 16 प्रतिशत है। लेकिन इस इकाई में हम सिर्फ़ भारतीय आर्य भाषा शाखा की भारत की भाषाओं की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारत की भाषाओं की वर्तमान स्थिति का परिचय देना है।

भारतीय आर्य भाषाएँ कुल 300 हैं। इनमें प्रमुख भाषाएँ वे हैं जो संविधान की अष्टम सूची में उल्लिखित हैं। हम अष्टम सूची की भाषाओं के बारे में इकाई 24 में पढ़ेंगे। अष्टम सूची की आर्य भाषाएँ हैं—संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांगला, असमिया, ओड़िया, और सिंधी। इनके अतिरिक्त इस वर्ग में डोगरी, कोंकणी, भीली, खानदेशी आदि प्रमुख भाषाएँ भी हैं।

3.4 भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण

3.4.1 गियर्सन का वर्गीकरण

भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण आधुनिक प्रयास है। 19वीं शताब्दी के अंत में

डा. गियर्सन नामक, अंग्रेज़ भारत में प्रशासनिक सेवा में थे। उन्होंने 1890 में भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण के आधार पर "भारतीय भाषा सर्वेक्षण" (A Linguistic Survey of India) नामक विशाल कार्य किया। यह ग्रंथ 12 भागों में प्रस्तुत है। उस ग्रंथ में उन्होंने सारी भारतीय भाषाओं का विस्तार से अध्ययन किया, उनकी शब्दावली, रूप रचना आदि व्याकरणिक विशेषताओं का विश्लेषण किया और उक्त विश्लेषण के आधार पर उन्होंने भाषाओं को परिवारों में और परिवार के भीतर समूहों या वर्गों में विभाजित किया। गियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार से है:

गियर्सन के अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के दो आयाम हैं। सबसे पहले वे इन भाषाओं को बाहरी, बीच की, भीतरी तीन उपशाखाओं में बाँटते हैं और फिर इन उपशाखाओं के भीतर मिलती-जुलती भाषाओं के समुदायों की चर्चा करते हैं।

आपने अपने सर्वेक्षण के प्रथम भाग में आधुनिक आर्य भाषाओं का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया है।

क) बाहरी उपशाखा
प्रथम–उत्तरी-पश्चिमी समुदाय
1) लहंदा अथवा पश्चिमी पंजाबी
2) सिन्धी
द्वितीय–दक्षिणी समुदाय
3) मराठी
तृतीय–पूर्वी समुदाय
4) ओड़िया
5) बिहारी
6) बांगला
7) असमिया
ख) मध्य उपशाखा
चतुर्थ–बीच का समुदाय
8) पूर्वी हिंदी
ग) भीतरी उपशाखा
पञ्चम–केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय
9) पश्चिमी हिंदी
10) पंजाबी
11) गुजराती
12) भीली
13) खानदेशी
14) राजस्थानी
षष्ठ–पहाड़ी समुदाय
15) पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली
16) मध्य या केंद्रीय पहाड़ी
17) पश्चिमी पहाड़ी

3.4.2 डॉ. चटर्जी का वर्गीकरण

गियर्सन के वर्गीकरण की चर्चा के बाद हम डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण को जान लें। चटर्जी ने 'बांगला भाषा का उद्गम और विकास' शीर्षक अंग्रेज़ी शोध ग्रंथ (Origin and development of Bengali Language) में ग्रियर्सन के वर्गीकरण का खंडन करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो निम्न प्रकार से है:

क) उदीच्य (उत्तरी)
1) सिन्धी
2) लहंदा
3) पूर्वी पंजाबी
ख) प्रतीच्य (पश्चिमी)
4) गुजराती
5) राजस्थानी

ग) मध्य देशीय
  6) पश्चिमी हिन्दी
घ) प्राच्य (पूर्वी)
  7) (i) कोसली या पूर्वी हिन्दी
   (ii) मागधी प्रसूत
  8) बिहारी
  9) ओड़िया
  10) बांगला
  11) असमिया
ङ) दाक्षिणात्य (दक्षिणी)
  12) मराठी

3.4.3 दोनों वर्गीकरणों का तुलनात्मक विवेचन

यहाँ हम वर्गीकरण के भाषाई आधारों और भाषा वैज्ञानिक आधार पर खंडन-मंडन की चर्चा नहीं करेंगे। यह विवेचन इस पाठ्यक्रम की सीमा के बाहर की चीज़ है। अगर आप इस विवेचन में रुचि रखते हों, तो उच्च अध्ययन में इस विषय का गंभीरता से अध्ययन कर सकते हैं। दोनों वर्गीकरणों की तुलना से पहले हम कुछ खोज करें और देखें कि अंतर किस प्रकार का है। हमें सबसे पहला अंतर तो यह दिखायी पड़ता है कि दोनों में भाषाओं की संख्या समान नहीं है। गियर्सन 17 भाषाओं का उल्लेख करते हैं, जबकि चटर्जी 12 का। ये अतिरिक्त भाषाएँ कहाँ से आ गयीं? अतिरिक्त रूप से गियर्सन ने पाँच भाषाएँ ली हैं–नेपाली, केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, भीली, खानदेशी।

इन विद्वानों के वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर किए गए हैं। लेकिन इन दोनों के मतों को अपनाने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। चटर्जी महोदय ने पहाड़ी भाषाओं को क्यों छोड़ दिया? क्या वे उन्हें भाषाएँ नहीं गिनते। नेपाली के प्रश्न को यहाँ छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह इस समय भारत की भाषा नहीं है। शेष दो पहाड़ी भाषा समूह वास्तव में बोलियों का समूह है। वे उन्हें भाषा नहीं गिनते। इसी आधार पर बिहारी या राजस्थानी किसी भाषा का नाम नहीं है, किन्हीं बोलियों या भाषाओं का समूह है। जिस अर्थ में सिंधी, लहंदा, असमिया, ओड़िया, गुजराती या पंजाबी भाषाएँ हैं, उस अर्थ में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी (और पहाड़ी, जिसका उल्लेख चटर्जी ने नहीं किया है) भाषाएँ नहीं हैं। आज के विचार से ये सब हिंदी भाषा की क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। अतः इन बोलियों को एक समुदाय या समूह में दिखाया जाना चाहिए, इन्हें अलग वर्गों में बाँटने पर हिंदी भाषा क्षेत्र की विशेषता स्पष्ट नहीं होती।

इस व्यावहारिक कठिनाई का ध्यान रखते हुए डॉ. धीरेंद्र वर्मा ने भाषाओं के वर्गीकरण का एक व्यावहारिक सुझाव दिया है। उनके वर्गीकरण का आधार डॉ. चटर्जी का ही वर्गीकरण है, सिर्फ़ हिंदी क्षेत्र को एक वर्ग में जोड़ दिया गया है। उनका वर्गीकरण यों है :

क) उत्तरी (सिंधी, लहंदा, पंजाबी)

ख) पश्चिमी (गुजराती)

ग) मध्यदेशीय (राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी)

घ) पूर्वी (ओड़िया, बांगला, असमिया)

ङ) दक्षिणी (मराठी)

इस आधार पर राजस्थानी आदि हिंदी भाषा की उपभाषाएँ मानी जाती है। हिंदी की बोलियों के वर्गीकरण का हम विस्तार से अध्ययन इकाई 11 में करेंगे और इस इकाई में सिर्फ़ अन्य आर्य भाषाओं का परिचय प्राप्त करेंगे।

3.5 भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय

यहाँ हम प्रमुख भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत और हिंदी की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है। इनके बारे में हम आगे की इकाइयों में विस्तार से चर्चा करेंगे।

1) सिंधी : सिंधी मूलतः आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के निवासियों की भाषा है। *भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय सिंधी भाषी पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए और* भारत के कई स्थानों में बसे, इस कारण सिंधी भाषा का अपना कोई प्रदेश नहीं है, जैसे कि अन्य कई भाषाओं के संदर्भ में देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं। सिंध प्रांत में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे और मुस्लिम बहुतायत थी। इस कारण सिंधी भाषा में अरबी-फ़ारसी शब्दों की बहुलता है और इसकी लिपि फ़ारसी लिपि पर आधारित रूप है। आज भारत में बसे हुए सिंधी भाषी अपनी भाषा को देवनागरी में भी लिखने का यत्न कर रहे हैं। सिंधी भाषा में साहित्य बहुत कम है। इस भाषा की एक बोली भारत में कच्छ में बोली जाती है, जिसे कच्छी कहते हैं। कच्छी पर गुजराती *भाषा का गहरा प्रभाव दिखाई* पड़ता है।

2) लहंदा : लहंदा पश्चिमी पंजाब की भाषा है, जो इस समय पाकिस्तान का एक हिस्सा है। स्वभावतः भारत-पाक विभाजन के बाद कई लहंदा भाषी भारत आए और भारत के कई स्थानों में बस गए। लहंदा शब्द का अर्थ है सूर्यास्त की दिशा अर्थात् पश्चिम। इसलिए इस नाम का तात्पर्य है पश्चिम की बोली। यह भाषा भी फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। इस भाषा में भी लिखित साहित्य *अधिक उपलब्ध नहीं होता।*

3) पंजाबी : पंजाबी भाषा पूर्वी पंजाब जो कि भारत में है और पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश (पश्चिमी पंजाब) दोनों की भाषा है। पंजाब शब्द फ़ारसी का है, इसका अर्थ है पाँच नदियों का देश। पंजाब प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम पंजाबी पड़ा है। भारतीय क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोलने वालों में सिक्ख प्रमुख हैं। सिक्खों के गुरु अंगद ने इसके लिए स्थानीय लंडा लिपि को देवनागरी की सहायता से सुधारा। लंडा का यह नया रूप गुरुमुखी कहलाया। इस तरह पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। *सिक्खों के पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथसाहब'* की लिखाई गुरुमुखी अक्षरों में हुई है। चूँकि पूर्व पंजाब प्रदेश में मुस्लिम भी पंजाबी भाषा का व्यवहार करते थे, इस भाषा को उर्दू लिपि में भी लिखा जाता था। इसी तरह उर्दू के *व्यापक परिचय के कारण* पंजाबी भाषा में अरबी-फ़ारसी शब्दों की बहुलता भी दिखाई पड़ती है।

पंजाबी के दो प्रमुख रूप हैं : एक आदर्श या परिनिष्ठित पंजाबी है जो मध्यवर्ती पंजाब के *मैदानों में प्रयुक्त होती थी। माना जाता है कि* इसका परिनिष्ठित रूप अमृतसर के आस-पास माँझ में पाया जाता है, इसीलिए पंजाबी के इस रूप को माँझी भी कहते हैं। पंजाबी का दूसरा रूप डोगरी है, जो जम्मू प्रदेश में व्यवहृत होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि डोगरी के लिए अलग भाषा का दर्जा माँगने का प्रयत्न हुआ है।

सिंधी और लहंदा के मुकाबले में साहित्य लेखन बहुत पहले से होता रहा है। आधुनिक पंजाबी और डोगरी में भी बृहत् साहित्य सृजन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

4) गुजराती : गुजराती आज के गुजरात प्रांत की भाषा है और उत्तरी महाराष्ट्र में भी विशेषकर बंबई में गुजराती भाषियों की अच्छी संख्या है। इसी क्षेत्र के पारसियों ने भी अपनी पुरानी भाषा के स्थान पर गुजराती को अपना लिया है। गुजराती की अपनी लिपि है *जो देवनागरी से मिलती-जुलती है।*

गुजरात शब्द गुर्जर से बना होगा अर्थात् यह गुर्जर जाति के लोगों का प्रदेश था। गुजराती में 12वीं शताब्दी से ही साहित्य सृजन के लक्षण मिलते हैं। गुजराती के प्रमुख कवि नरसी मेहता, जिन्होंने *कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की, 15वीं शताब्दी के हैं।* इसी तरह प्रेमानंद, अखो भगत आदि प्राचीन लेखक थे। आधुनिक युग में भी गुजराती में कई अच्छे प्रतिष्ठित लेखक हुए हैं।

5) मराठी : मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। साथ ही गोवा प्रदेश की भी एक बड़ी आबादी मराठी भाषा बोलती है। मराठी भाषा साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न भाषा है। पुराने लेखकों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि भक्त कवि रहे हैं और इन्होंने मराठी *साहित्य को काफ़ी ऊँचाई तक पहुँचाया है। आधुनिक युग में वी. स. खांडेकर* जैसे प्रमुख लेखकों ने इसके आधुनिक साहित्य को समृद्ध किया है।

अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मराठी पर दक्षिण की भाषाओं का विशेषकर तेलुगु और कन्नड़ का प्रभाव और उनसे इस भाषा का आदान-प्रदान दिखाई पड़ता है। मराठी भाषा की कई बोलियाँ हैं। जैसे विदर्भ की मराठी, मराठवाड़ा की मराठी आदि। पुणे के आस-पास बोली जाने वाली मराठी भाषा मानक मानी जाती है। गोवा की प्रमुख भाषा कोंकणी है, जिसे कुछ विद्वान मराठी भाषा की ही बोली या उप-भाषा मानते हैं। *लेकिन कोंकणी को*

मराठी से भिन्न भाषा के रूप में स्वीकृति हेतु कोंकणी भाषी प्रयत्नशील हैं। मराठी पहले मोड़ी नाम की लिपि में लिखी जाती थी लेकिन आधुनिक मराठी ने देवनागरी को लिपि के रूप में अपना लिया है।

6) **ओड़िया** : यह उड़ीसा प्रदेश की भाषा है। उड़ीसा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से, उत्तर में पश्चिम बंगाल से और पूर्व में बिहार तथा मध्यप्रदेश से घिरा हुआ है, इसलिए इस भाषा में आस-पड़ोस की भाषाओं और बोलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ओड़िया शब्द का अर्थ क्या है? यह मतभेद का सवाल है। विद्वान मानते हैं कि यह उड्र देश या उत्कल देश की भाषा है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, जो अब व्यवहृत नहीं होता। उड्र देश का अर्थ संभवतः कृषि का देश है और उड़ीसा की भाषा ओड़िया कहलाती है।

ओड़िया भाषा की अपनी लिपि है जो ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से निकली हुई है। जिस तरह द्रविड़ भाषाएँ गोल-गोल अक्षरों में लिखी जाती थीं और ताड़ पत्रों में गोल अक्षर लिखना आवश्यक था उसी प्रकार उड़िया लिपि भी काफ़ी गोलाकार लिये हुए है। इसमें सीधी शिरोरेखा के स्थान पर गोल शिरोरेखा मिलती है। इस विशिष्टता के कारण ओड़िया लिपि देखने में चित्रात्मक और सुंदर लगती है, लेकिन कुछ कठिन भी दिखाई पड़ती है। यह भाषा पूर्व की भाषा है, इसलिए पूर्वी भाषाओं के कुछ गुण इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसमें अकार का गोलाकार उच्चारण होता है, जैसे बांगला में भी होता है। इस भाषा में भक्ति संबंधी मध्यकालीन साहित्य की रचना मिलती है और इसका आधुनिक साहित्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

7) **बांगला** : बांगला भाषा बंगाल प्रदेश की भाषा है। बांगला वास्तव में संस्कृत शब्द बंग देश का आधुनिक रूप है। आप जानते ही हैं कि भारत-पाक विभाजन के समय बंगाल भी दो भागों में बँट गया। पश्चिम बंगाल भारत में आया और पूर्वी बंगाल इस समय बांगला देश के नाम से एक अलग देश है। इस तरह बांगला बांगला देश की राजभाषा है।

बांगला की लिपि ब्राह्मी की पूर्वी लिपि है। इसी लिपि में कुछ संशोधन के साथ असमी भाषा भी लिखी जाती है और मणिपुरी भाषा भी। बांगला भाषा पूर्व की भाषाओं की प्रमुख भाषा है इसलिए इसमें पूर्व की भाषाओं के कुछ प्रमुख लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे अ का उच्चारण ओकार लिये हुए होना, /स/का/श/के रूप में उच्चारण और व्यंजन गुच्छों का कई जगह **समीकरण**। यह प्रवृत्ति असमी भाषा में भी दिखाई पड़ती है।

बांगला भाषा साहित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भाषा है। मध्य युग में इस भाषा में भक्ति साहित्य की रचना हुई। आधुनिक युग में इसके प्रमुख कवि, लेखक रवीन्द्र नाथ ठाकुर विश्व प्रसिद्ध हुए जिनकी कृति 'गीतांजलि' पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पूर्व आधुनिक युग में शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चन्द्र चटर्जी आदि बड़े लेखक हुए। और आधुनिक युग में भी बांगला में कई प्रसिद्ध लेखक साहित्य सृजन कर रहे हैं।

8) **असमी भाषा** : असमी भाषा असम प्रदेश की भाषा है। असम शब्द के अर्थ के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। इस प्रदेश का ऐतिहासिक नाम कामरूप था लेकिन यह कैसे असम हुआ इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। असमी भाषी अपनी भाषा को असमिया कहते हैं। इसकी लिपि के बारे में पहले उल्लेख किया जा चुका है कि यह बांगला लिपि के अधिक निकट है, केवल कुछ अक्षरों में अंतर है। असमी भाषा का साहित्य प्राचीन है। असमी में मध्य युग में शंकरदेव आदि प्रतिष्ठित लेखक हुए और आधुनिक युग में भी असमी में अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है।

अभ्यास 1

i) आप जिस राज्य /प्रदेश में रहते हैं, उसकी भाषाओं की सूची बनाएँ।

ii) अपनी भाषा का विस्तृत परिचय लिखिए।

3.6 भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएँ

भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के संदर्भ में उल्लेख किया गया था कि वर्गीकरण भाषिक आधारों पर किया जाता है। हम यहाँ उन विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जो इन भाषाओं में समानता या अंतर के तत्व हैं।

1) इन भाषाओं को पश्चिमी और पूर्वी वर्गों में बाँटने का एक प्रमुख आधार "ने" की रचना याने कर्मणि प्रयोग की व्यवस्था दिखायी पड़ती है। इस व्यवस्था में भूतकाल में क्रिया की अन्विति कर्ता से नहीं, कर्म से होती है। जैसे मैंने आम खाया—मैंने रोटी खायी। पश्चिमी वर्ग की भाषाओं के उदाहरण देखिए—

गुजराती	— में चोपडी वांची (हुं = मैं; में = मैंने)
मराठी	— मीं पोथी वाँचली
पंजाबी	— किताब (—मैं)
सिंधी	— (मूं) पोथी पढ़ी-मे
लहंदा	— (मैं) पोथी पढ़ी-म

इन भाषाओं में "ने" प्रत्यय दिखाई नहीं देता। लेकिन गुजराती में सर्वनाम का रूप बदल जाता है। सिंधी और लहंदा में सार्वनामिक प्रत्यय मे/म जुड़ता है। सबमें एक समान विशेषता है—क्रिया का स्त्रीलिंग रूप में होना जो पूर्व की भाषाओं में नहीं मिलती।

बांगला—आमि पुथि पड़िलाम
ओड़िया—आम्भे पोथि पढ़लुं

बोध प्रश्न 2

4) सही शब्द चुनकर/उपयुक्त शब्द से खाली स्थान पूरा कीजिए।

i) गुजराती .... वर्ग की भाषा है। (पश्चिमी/पूर्वी)

ii) बिहारी को विद्वान हिंदी की .... मानते हैं।

iii) गोवा की प्रमुख भाषा .... है।

iv) पंजाबी भाषा की अपनी लिपि .... कहलाती है।

v) वर्तमान मराठी .... लिपि में ही लिखी जाती है।

5) भाषा और लेखक का मिलान कीजिए।

i) गुजराती	क) बंकिम चंद्र
ii) बांगला	ख) सुब्रह्मण्य भारती
iii) मराठी	ग) कबीरदास
iv) पंजाबी	घ) वेमना
v) हिंदी	ङ) गुरुनानक
	च) नरसी मेहता
	छ) नामदेव

6) स्वयं विचार कर उत्तर दीजिए।

i) हम इस पाठ्यक्रम में लहंदा को अलग दर्जा देते हैं, क्योंकि वह

....

ii) गियर्सन और चटर्जी ने अपने वर्गीकरण में संस्कृत को नहीं जोड़ा, क्योंकि वह

....

....

iii) गियर्सन और चटर्जी के वर्गीकरण में कश्मीरी को नहीं रखा गया है, क्योंकि वह

....

....

7) पश्चिमी और पूर्वी आर्य भाषाओं में सबसे प्रमुख अंतर कौन-सा है?

....

....

8) भारत की भाषिक स्थिति पर दस वाक्य लिखिए। उसमें अपने प्रदेश की स्थिति का भी उल्लेख कीजिए।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

3.7 सारांश

इस इकाई में आपने भारत के चार भाषा परिवारों की भाषाओं का अध्ययन किया है। ये हैं:

1) भारतीय आर्य भाषाएँ (भारोपीय परिवार की उपशाखा)
2) द्रविड़ भाषा परिवार
3) चीनी-तिब्बती परिवार
4) मुंडा भाषाएँ (आस्ट्रो एशियाटिक परिवार की शाखा)

आपने भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के संदर्भ में डॉ. गियर्सन, डॉ. चटर्जी तथा डॉ. धीरेंद्र वर्मा के विचार देखे।

इकाई के अंत में भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया।

3.8 शब्दावली

विपर्यय—शब्द में ध्वनि क्रम उलटना।

3.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिंदी भाषा का उद्‌भव और विकास; उदय नारायण तिवारी; भारती भंडार; इलाहाबाद 1966

हिंदी भाषा—स्वरूप और विकास; कैलाश चंद्र भाटिया तथा मोतीलाल चतुर्वेदी; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 1989

3.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) तमिल ii) तेलुगु iii) कन्नड़ iv) मलयालम

2) i) मिज़ो ii) खासी iii) मणिपुरी iv) लेपचा

3) i) हाँ ii) हाँ iii) नहीं iv) हाँ v) नहीं

बोध प्रश्न 2

4) i) पश्चिमी ii) उपभाषा iii) कोंकणी
iv) गुरुमुखी v) देवनागरी

5) i) च ii) क iii) छ iv) ड v) ग

6) i) अब पाकिस्तान में है ii) प्राचीन भाषा iii) दरद वर्ग की भाषा

7) ''ने'' का प्रयोग, लिंग

इकाई 4 हिंदी भाषा

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य
4.1 प्रस्तावना
4.2 हिंदी भाषा का विकास
4.3 हिंदी भाषा का क्षेत्र
4.4 हिंदी का साहित्य
4.5 हिंदी भाषा का प्रसार
4.6 हिंदी भाषा की भूमिकाएँ
4.7 हिंदी भाषा का स्वरूप
  4.7.1 शब्दावली संबंधी अंतर
  4.7.2 उच्चारण के स्तर पर अंतर
  4.7.3 लिपि स्तर पर संस्कृत और हिंदी में अंतर
  4.7.4 बोलियों और हिदी में शैली में अंतर
4.8 हिंदी भाषा का महत्त्व
4.9 सारांश
4.10 शब्दावली
4.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें
4.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

इस खंड में आपने अब तक भारोपीय परिवार की शाखा भारत-ईरानी की उप-शाखा, भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में अध्ययन किया। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी के अलावा बांगला, असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, आदि भाषाएँ भी हैं। इस इकाई में हम हिंदी भाषा के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- हिंदी भाषा किसे कहते हैं और उसके अन्य नाम क्या हैं, इसका बयान कर सकेंगे;
- हिंदी भाषा के सामान्य इतिहास के साथ-साथ उसकी बोलियों और उसके व्यवहार के अन्य क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे;
- हिंदी भाषा का प्रसार पूरे भारत में कैसे हुआ इसका वर्णन कर सकेंगे;
- हिंदी भाषा की भारत में स्थिति और महत्त्व का विवरण दे सकेंगे; और
- हिंदी भाषा जिस रूप में हमारे सामने है उसकी प्रगति का उल्लेख कर सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

हमने अब तक विश्व की भाषाओं का परिचय प्राप्त किया, विश्व की भाषाओं में एक प्रमुख शाखा भारोपीय परिवार की भाषाओं के क्षेत्र, इतिहास और महत्त्व के बारे में थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त की, भारोपीय परिवार की एक उप-शाखा भारत-ईरानी की भाषाओं के स्वरूप 'क्षेत्र' इतिहास और महत्त्व के बारे में चर्चा की। इस इकाई में हम हिंदी भाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है, भारत की अधिसंख्यक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और इस समय भारत की राजभाषा है।

चूँकि यह पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के इतिहास और उसकी वर्तमान भूमिकाओं पर है, हम इस पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के विविध पक्षों की चर्चा कर रहे हैं। इस तरह इस इकाई में

आपको हिंदी भाषा के इतिहास, विकास, स्वरूप और महत्त्व के बारे में परिचयात्मक जानकारी मिलेगी। इस संदर्भ में यह इकाई इस पाठ्यक्रम की इकाइयों के लिए एक भूमिका है। हिंदी भाषा के संदर्भ में यहाँ जो चर्चा की जा रही है उसको आगे की इकाइयों में अलग-अलग स्थानों पर अधिक विस्तार में वर्णन किया जाएगा। इस इकाई को अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो आपके मन में और कई प्रश्न उठ सकते हैं जो इस भाषा के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक होंगे। इन प्रश्नों का समाधान आप स्वयं ढूँढ़ने की कोशिश करें और बाद में अन्य इकाइयों में विस्तार में पढ़ें।

4.2 हिंदी भाषा का विकास

जिसे हम आज हिंदी या मानक हिंदी कहते हैं, उसके विकास का लंबा इतिहास है। भाषाविद् लगभग ई. 1000 से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का इतिहास मानते हैं। इस भाषा के विकास क्रम को हम दो धाराओं में देख सकते हैं।

हिंदी प्रदेश अत्यंत विशाल है। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक का विशाल क्षेत्र हिंदी भाषा क्षेत्र कहलाता है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं और दक्षिणी सीमा विंध्याचल। इस व्यापक क्षेत्र में कई बोलियों का एक साथ विकास हुआ। यही आधुनिक हिंदी का आरंभिक चरण है। ये बोलियाँ आदि काल से ही साहित्यिक रचना में व्यवहृत होती रही हैं। आदिकाल में ही राजस्थान की पुरानी राजस्थानी में वीर गाथाएँ लिखी गईं। इस बोली को डिंगल नाम दिया जाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र में साहित्य रचना के लिए पुरानी ब्रजभाषा का प्रयोग होता रहा जिसे पिंगल कहते हैं। पूर्व में मिथिला प्रदेश में कवि विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इस विशाल क्षेत्र में कई बोलियाँ आदिकाल से ही व्यवहृत होती रहीं और इनमें साहित्य की रचना भी होती रही। हिंदी भाषी प्रदेश में करीब 17 बोलियाँ हैं और उनकी उप-बोलियों की संख्या 100 तक पहुँच सकती है। ऐसा नहीं कि सारी बोलियों में हर युग में साहित्य रचा गया हो। काव्य रचना के लिए बोली का चयन कवि की इच्छा पर निर्भर था, यद्यपि प्रायः सभी कवियों ने रीति काल तक अपनी अपनी बोली में काव्य रचना की।

आदि काल के बाद मध्य काल में राजस्थानी, ब्रज, अवधी आदि बोलियों में साहित्य रचना हुई। रीति काल में लगभग समस्त कवियों ने ब्रजभाषा को ही काव्य की अभिव्यक्ति का साधन बनाया। खड़ी बोली जो आधुनिक मानक हिंदी का मूल रूप है, स्रोत है साहित्यिक भाषा के रूप में प्रमुख नहीं रही। वास्तव में हमें खड़ी बोली में तभी से साहित्य मिलता है जब से इस बोली ने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप धारण किया।

हिंदी भाषा के विकास की दूसरी धारा बोलचाल और संपर्क भाषा के रूप में उसके विकास को स्पष्ट करती है। यह विकास वास्तव में मानक हिंदी के विकास की ही कहानी है। मुगल साम्राज्य के स्थापित होने पर राजकाज के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी। मुगलों के प्रारंभिक समय में फ़ारसी राजभाषा थी। लेकिन एक विदेशी भाषा को राजकाज के लिए अपनाने में कठिनाई थी, इस कारण जन भाषा ने संपर्क भाषा का रूप धारण किया। मुगलों की वह भाषा रचना की दृष्टि से खड़ी बोली थी लेकिन उसमें अरबी-फ़ारसी से शब्द ग्रहण किये गये थे। इस तरह अरबी-फ़ारसी शब्दों से युक्त इस जन साधारण की भाषा को खड़ी बोली से भिन्न नाम दिया गया था और बाद में यह उर्दू भाषा के नाम से प्रचलित हुई। मुगलों की बनाई इस भाषा को उर्दू का नाम मिला लेकिन बाद में। उससे काफ़ी पहले से ही यह भाषा जन भाषा के रूप में प्रचलित हो चुकी थी। प्रारंभिक अवस्था में इस जन भाषा को हिंदवी, रेख्ता आदि शब्दों से अभिहित करते थे और जब यह भाषा गुलाम वंश के साथ हैदराबाद (दक्षिण) में पहुँची तो इसको दकनी का नाम दिया गया। इस तरह हिंदी के ये आदि रूप व्यापक प्रचार पा गये और इस भाषा को एक प्रकार से अखिल भारतीय स्वीकृति मिली। आज भी दक्षिण के कई नगरों में उर्दू भाषा का व्यवहार होता है जो दकनी या दक्खिनी हिंदी के अन्य क्षेत्रीय रूप हैं।

मुगलों के समय उर्दू भाषा प्रशासनिक प्रयोजनों के अलावा साहित्यिक क्षेत्र में भी गति पाने लगी। उर्दू साहित्य, खड़ी बोली हिंदी की अपेक्षा काफी पुराना है। इसमें मीर, वली, ग़ालिब, इक़बाल आदि श्रेष्ठ शायर (कवि) हुए हैं जिन्होंने इस भाषा को व्यापक रूप से प्रचारित किया। हम यहाँ उर्दू की चर्चा इसी आशय से कर रहे हैं कि वह हिंदी के विकास

एक आधार है। रचना की दृष्टि से हिंदी और उर्दू समान हैं। कई उर्दू के शेरों को यदि हिंदी में लिखे हुए शेर कहा जाए तो किसी को संदेह नहीं होगा। इस समानता के कारण उर्दू भाषा ने प्रशासनिक भाषा और साहित्यिक भाषा के रूप में जो विकास किया था उस विकास का लाभ सहज ही हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि हिंदी में साहित्य रचना काफी तेज़ी से होने लगी और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए यह भाषा सबसे उपयुक्त विधा थी।

इस चर्चा को हम इस रूप में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि आधुनिक हिंदी के विकास की दो अलग दिशाएँ हैं। एक तरफ बोलियाँ और उनका साहित्य है जिसके आधुनिक काल तक एक अटूट परंपरा थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाया खड़ी बोली ने जिसे इस नये प्रयोजन के संदर्भ में हम हिंदी कहते हैं। इस हिंदी भाषा का विकास अचानक ही नहीं हुआ बल्कि पीछे भी एक लंबा इतिहास है। बोलचाल की भाषा को साहित्यिक और प्रयोजनपरक भाषा बनाने में उर्दू भाषा ने योगदान दिया और चूँकि उर्दू और हिंदी सहधर्मी समरूपी भाषाएँ हैं। आधुनिक युग में इस भाषा को देश की संपर्क भाषा और समृद्ध साहित्यिक भाषा बनाने में सुविधा हुई।

4.3 हिंदी भाषा का क्षेत्र

हिंदी भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इस कारण इस का क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत है। जिसे हम हिंदी भाषा का क्षेत्र कहते हैं, उसमें छह प्रमुख राज्य हैं—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश। इनके अलावा तीन संघ राज्य क्षेत्रों में हिदी बोलने वालों की अच्छी संख्या है। ये क्षेत्र हैं—दिल्ली, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।

जिसे हम हिंदी क्षेत्र कहते हैं, उसमें सामान्य जनता बोलियों का व्यवहार करती है। जैसे राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी आदि बोलियाँ हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में खड़ी बोली, ब्रज, कनौजी, बुंदेली आदि बोलियाँ हैं, जिन्हें आम तौर पर पश्चिमी हिंदी कहा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियाँ हैं। इन्हें आम तौर पर पूर्वी हिंदी की संज्ञा दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगधी आदि बोलियाँ बोली जाती हैं। इन बोलियों का क्षेत्र भी अत्यंत विशाल है। उदाहरण के लिए भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है, इस तरह इस बोली के बोलने वालों की जनसंख्या मलयालम भाषा बोलने वालों से कुछ अधिक ही है। फिर भी भोजपुरी का अपना साहित्य नहीं है, यह बोली शिक्षा, प्रशासन आदि प्रयोजनों में व्यवहृत नहीं होती। इस प्रदेश के लोग हिंदी में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, प्रमुख साहित्यकार हिंदी में ही साहित्य सृजन करते हैं। यही कारण है कि बोलियों के क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। खंड 3 में आप बोलियों का विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे।

जहाँ तक हिंदी भाषा का सवाल है, इसका एक क्षेत्रीय रूप भी है। आधुनिक हिंदी दिल्ली, मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का परिमार्जित रूप है। लेकिन आज खड़ी बोली सिर्फ़ एक सीमित जनसंख्या की बोली है। उसमें साहित्य नहीं है, उसका शिक्षा, प्रशासन में प्रयोग नहीं होता। खड़ी बोली और हिंदी में भाषिक संरचना एक है, लेकिन भाषा के परिमार्जन के कारण दोनों में बहुत अंतर आ गया है। हिंदी का उच्चारण अधिक परिमार्जित है, बोली से कुछ भिन्न है, हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है, बोली का अत्यंत सीमित, हिंदी में विशाल साहित्य और ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथों का भंडार है, बोली में साहित्य बिल्कुल नहीं है, हिंदी भाषा में कई साहित्यिक शैलियों और प्रशासन आदि प्रयोजनपरक क्षेत्रों के भाषा रूपों का विकास हुआ है जबकि खड़ी बोली इस दिशा में पिछड़ी हुई है। हिंदी को कई विद्वान खड़ी बोली हिंदी भी कहते हैं, लेकिन भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट करने के उद्देश्य से कई विद्वान हिंदी भाषा को परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि शब्दों से अभिहित करते हैं।

हिंदी भाषा का क्षेत्र केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। शिक्षा के कारण भारत में लगभग सभी शिक्षित व्यक्ति हिंदी भाषा से परिचित हैं वे कुछ हद तक हिंदी भाषा लिख-पढ़, बोल-समझ सकते हैं। इनके अलावा देश के कुछ भूभागों में स्थानीय संपर्क के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। जैसे बंबई, हैदराबाद, नागपुर आदि शहरों में हिंदी भाषा का एक स्थानीय रूप विकसित हुआ।

आज हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर व्यवहार की भाषा है। स्वभावतः इसका एक अखिलभारतीय रूप विकसित होगा, जिसमें अन्य भाषों का योगदान होगा। इसी तरह हिंदी विदेशों में बसे हिंदी भाषियों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। संभवतः विदेशों में हिंदी के अलग-अलग स्थानीय रूप विकसित होंगे। हम आगे की इकाइयों में इस पहलू की अलग-अलग जगह विस्तार से चर्चा करेंगे।

4.4 हिंदी का साहित्य

हिंदी भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन है। लगभग 1000 ई. के आसपास से ही हिंदी भाषा में साहित्य रचना होने लगी। यह वह युग था जब अपभ्रंश भाषा का प्रचलन कम हो रहा था और उसके स्थान पर हिंदी क्षेत्र में बोलियों के साहित्य का उदय होने लगा था। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में विद्वान सबसे पुराना साहित्यिक युग हिंदी साहित्य के आदिकाल को मानते हैं जिसका समय तेरहवीं शताब्दी से शुरू होता है। इस युग में हिंदी भाषा का साहित्य दो अलग बोलियों में प्रकट होता दिखाई पड़ता है। एक तरफ राजस्थान की बोलियों में वीर गाथाओं का प्रणय हुआ। इन बोलियों को उस समय डिंगल भाषा कहा जाता था। कुछ अन्य खंड काव्यों में उस समय की ब्रज में काव्य रचना हुई। तत्कालीन ब्रज को भाषा के विद्वान पिंगल का नाम देते हैं। इस तरह डिंगल और पिंगल आदिकाल की प्रमुख बोलियाँ थीं जिनमें साहित्य रचना हुई। इस युग में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में साहित्य रचा जिसके नमूने आज तक सुरक्षित हैं। उस समय की खड़ी बोली में आज की हिंदी भाषा का स्वरूप देखा जा सकता है।

दो-सुखन सितार क्यों न बजा?
औरत क्यों न नहाई? —परदा न था

पहेली— एक थाल मोती से भरा,
सबके सिर पर औंधा धरा।
थाली सबके सिर पर फिरे,
मोती उसके एक न गिरे।।

आदि काल में विद्यापति ने मैथिली भाषा में उच्च स्तर के साहित्य की रचना की।

आदि काल के बाद भक्ति काल का युग सामने आता है, भक्ति काल में दो प्रमुख धाराएँ मानी जाती हैं—निर्गुण पंथ में कबीर आदि संत कवियों की ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी दर्शन पर आधारित प्रेमाश्रयी शाखा जिसमें कवि जायसी का नाम उल्लेखनीय है। सगुण भक्ति में दो शाखाएँ हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं।

भक्ति की इन चारों शाखाओं या धाराओं की भाषाई स्थिति अपने में बहुत रोचक है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि संत कहलाते हैं। अधिकतर संत जन-कवि थे और अधिक शिक्षित भी नहीं थे। इसलिए इन कवियों में राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों का एक मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है जिसे भाषा शास्त्री सधुक्कड़ी (याने साधुओं की) भाषा कहते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में और राम भक्ति शाखा की कई कृतियों में अवधी का प्रयोग मिलता है। तुलसीदास की भाषा के संदर्भ में विद्वानों का मत है कि उन्होंने अवधी को जन भाषा के धरातल से उठाकर साहित्यिक रूप प्रदान किया। अधिकतर कृष्ण भक्ति काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया। राजस्थान की प्रमुख कृष्ण भक्त कवयित्री मीरा ने अपने पद मारवाड़ी (राजस्थानी) में लिखे। इस प्रकार भक्ति युग एक व्यापक जन-आंदोलन था और इस क्षेत्र के सभी कवियों ने अपनी-अपनी बोली या भाषा में काव्य की रचना की। भाषा चाहे जो भी हो हिंदी भाषी समाज ने इसे भक्ति काव्य के रूप में स्वीकार किया न कि अलग-अलग भाषाओं के काव्य के रूप में। भक्ति काल के बाद 1650 के आस-पास रीति काल का युग प्रारंभ होता है। रीति काल काव्य कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण काल है। जहाँ भक्ति काल में कवियों के उद्‌गार प्रमुख थे, रीति काल में कविता करने की कला को प्रमुखता मिली। विभिन्न छंदों और अलंकारों के प्रयोग से कवियों ने भाषा की अभिव्यक्ति को निखारा और प्रांजल भाषा में अभिव्यक्ति की। रीतिकालीन साहित्य की भाषा ब्रज है। यूँ कह सकते हैं कि रीति काल तक आते-आते कवियों ने ब्रज को काव्य कला के लिए अधिक उपयुक्त समझा और सभी ने उसे परिमार्जित करने में योगदान दिया।

आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की रचना खड़ी बोली में होने लगी। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उस समय तक दिल्ली की मुग़ल सल्तनत के कारण हिंदी की सहभाषा उर्दू व्यापक प्रसार पा गई और इस कारण हिंदी भाषा भी व्यापक जन संपर्क की भाषा बन गई। आधुनिक युग जनता के साहित्य का युग है; इसी तरह आधुनिक युग शिक्षा के प्रचार का युग है। इस दृष्टि से खड़ी बोली शिक्षा और व्यापक जन संचार की भाषा बनी और उसमें साहित्य रचना होने लगी। उर्दू के प्रशासनिक प्रयोजनों में प्रयोग मुगलों के समय से ही शुरू हो चुका था, इस कारण आधुनिक युग में हिंदी को इन्हीं प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाना अधिक सहज हो गया था। भाषा के इस जन विस्तार के कारण से भी हिंदी भाषा केंद्रीय महत्त्व की भाषा बनी और इस कारण शिक्षा, साहित्य रचना आदि अन्य कार्यकलाप भी सहज ही इसके साथ जुड़ गये।

यह सवाल उठाया जाता है कि क्या बोलियों के साहित्य को हिंदी का साहित्य माना जा सकता है? अगर सिर्फ खड़ी बोली के साहित्य को ही हिंदी मानें तो आधुनिक युग तक इस भाषा में विशेष साहित्य नहीं रचा गया। जब अहिंदी भाषी प्रदेशों के विद्वान प्रारंभिक कक्षाओं में ब्रज या अवधी के साहित्य को सम्मिलित करने के संदर्भ में शंका व्यक्त करते हैं तो उनका कारण भाषा वैज्ञानिक नहीं है बल्कि शैक्षिक सुविधा का सवाल उनके लिए प्रमुख है। बोलियों के साहित्य को हिंदी भाषा का साहित्य मानने के पक्ष में दो-तीन तर्क हैं। अगर बोलियों के साहित्य को हिंदी भाषा का साहित्य न माना जाए तो इन्हें किसी न किसी भाषा का साहित्य कहा जाना होगा। लेकिन आज ब्रज, अवधी आदि आधुनिक प्रयोजनों की आधुनिक भाषा नहीं है, जन भाषाएँ हैं। दूसरा प्रमुख तर्क यह है कि साहित्य चाहे जिस माध्यम से भी अभिव्यक्त हुआ वह अगर किसी एक जन समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति करे तो उसे एक साहित्य माना जा सकता है। इस दृष्टि से हिंदी भाषी समुदाय में हिंदी के इस विपुल साहित्य को भिन्न-भिन्न बोलियों के बावजूद स्वीकृति मिली है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक ही कवि कभी-कभी दो बोलियों में साहित्य रचना करता है। उदाहरण के तौर पर तुलसीदास की कुछ रचनाएँ ब्रज में भी हैं। कवियों ने कभी बोलियों को विभेदक तत्व नहीं माना। इस तर्क को व्यापक रूप से लेते हुए कह सकते हैं कि ब्रज एक जमाने में अखिलभारतीय भाषा थी और केरल के कवि स्वाति तिरुनाल और आंध्र के नाटककार पुरुषोत्तम कवि आदि ने ब्रज में काव्य रचना की। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि बोली की भिन्नता वास्तव में इस क्षेत्र के साहित्य को विभाजित नहीं करती बल्कि इस क्षेत्र का साहित्य हिंदी भाषी समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज को जोड़ता है।

4.5 हिंदी भाषा का प्रसार

हिंदी भाषा के संदर्भ में हमने ऊपर चर्चा की कि आधुनिक युग में यह भाषा व्यापक जन संपर्क और प्रयोजनों की भाषा के रूप में उभरकर सामने आई। इस भाषा के व्यापक प्रचार के कारण देश के एक भाग के लोग दूसरे भाग के लोगों से इस भाषा के माध्यम से संप्रेषण और संपर्क कर सकते थे। यह विशेषता अन्य भारतीय भाषाओं में दिखाई नहीं पड़ती, जैसे तमिल के माध्यम से कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में किसी से बातचीत नहीं कर सकता, जबकि देश के लगभग सभी हिस्सों में हिंदी भाषा के माध्यम से बातचीत चल सकती है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में कदम रखते ही हिंदी की इस विशेषता को पहचाना। उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में शुरू हो रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों में देश प्रेम की भावना को जगाना आवश्यक था। देश प्रेम के लिए सहायक साधन के रूप में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के महत्त्व को पहचाना। उन्होंने 1917 के आसपास घोषित किया कि इतने बड़े देश में संपर्क की भाषा हिंदी ही हो सकती है और इस विचार के संदर्भ में उन्होंने यह भी अनुभव किया कि देश को जोड़ने के लिए सभी लोगों को हिंदी से परिचित कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य से उन्होंने 1917 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की और अपने बेटे देवदास गांधी को दक्षिण में हिंदी के प्रचार के लिए मद्रास भेजा। 1917 के बाद कई मंचों पर और मुख्य रूप से कांग्रेस के अधिवेशनों में बराबर इस बात पर बल दिया कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और देश के कोने-कोने में हिंदी के शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। इसी शृंखला में गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, हिंदी विद्यापीठ, वर्धा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, बंबई आदि स्वैच्छिक* संस्थाओं की स्थापना होती गई।

देश के कोने-कोने में हिंदी के प्रचार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। अंग्रेज़ों के जमाने में हिंदी पढ़ना-पढ़ाना भी एक प्रकार से सरकार विरोधी कदम था और इस कारण हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों को बिना आर्थिक लाभ की आकांक्षा किये कठिन परिस्थितियों में हिंदी का प्रचार करना पड़ा। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने प्रारंभिक स्तर से लेकर लोगों को हिंदी का ज्ञान दिया और कुछ संस्थाओं में उच्च स्तर तक हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था की। आज भी ये स्वैच्छिक संस्थाएँ उसी रूप में कार्य कर रही हैं। इस समय देश में जो 17-18 स्वैच्छिक संस्थाएँ हैं, इनकी परीक्षाओं को सरकार मान्यता देती है, इनमें शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अध्यापक की नौकरी मिल सकती है। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ शिक्षण-प्रशिक्षण के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं जिससे लोग रूचि से इन कार्यक्रमों में भाग ले सकें। इन संस्थाओं की ओर से प्रकाशन कार्य भी होता है जिससे स्थानीय संस्कृति हिंदी भाषा के माध्यम से अन्य प्रदेशों में उपलब्ध करायी जाती है।

आधुनिक युग में विश्वविद्यालयों में अध्ययन के कारण हिंदी के शिक्षण और हिंदी में शोध को बल मिला है। स्वतंत्रता से पहले विश्वविद्यालय में हिंदी के उच्च अध्ययन की अधिक सुविधा नहीं थी, लेकिन आज देश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्यापन होता है और देश के हर कोने में किसी न किसी कॉलेज या शैक्षिक संस्था में हिंदी सीखने की सुविधा मिलती है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के कई विद्वान हिंदी के क्षेत्र में आगे आए हैं और प्रख्यात कवि-उपन्यासकार हुए हैं। इसी तरह विश्वविद्यालयों में शोध की संभावनाएँ बढ़ने के कारण हज़ारों अहिंदी भाषी छात्रों ने हिंदी में शोध कार्य किया। ये शोध कार्य अधिकतर तुलनात्मक साहित्यिक अध्ययन हुआ करते हैं। इस तरह हिंदी में भाषा, साहित्य आदि के संदर्भ में अन्य क्षेत्रीय महत्त्व के विषयों और तुलनात्मक संदर्भों पर विपुल साहित्य तैयार हुआ है।

हिंदी भाषा के प्रसार का एक प्रमुख क्षेत्र सिनेमा जगत है। शायद ही भारत का कोई गाँव हो, जहाँ हिंदी की फिल्में प्रदर्शित न की जाती हों। हिंदी गाने देश के कोने-कोने में पसंद किये जाते हैं और गानों में रूचि के कारण बहुत से लोगों ने भाषा सीखी है। हिंदी के फ़िल्मी गानों का शौक भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल आदि पड़ोसी देशों में भी फ़िल्मों के कारण लोगों में भाषा के प्रति अनुराग की भावना पैदा हुई और इस भाषा के प्रसार को बल मिला।

हिंदी भाषा को आज भारत में जिस प्रकार की व्यापक स्वीकृति मिली है और इस भाषा के व्यापक प्रसार के कारण लोगों में हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ा है यह बहुत चमत्कारक है। इस प्रसार में स्वैच्छिक संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं और सरकार के विभिन्न निकायों ने अपने-अपने स्तर पर योगदान किया।

बोध प्रश्न 1

1) दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे करें।
   (काल बोलियाँ राष्ट्र क्षेत्र दकनी मानक सधुक्कड़ी)

   i) खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में हैदराबाद पहुँची तो इसका नाम .... पड़ा।

   ii) भाषा में परिवर्तन .... और .... के भिन्न होने के कारण आते हैं।

   iii) संत कवियों ने .... भाषा का प्रयोग किया।

   iv) जिसे हम हिंदी भाषा का क्षेत्र कहते हैं, उसमें .... हिंदी के साथ-साथ कई .... भी हैं।

   v) गांधी ने अनुभव किया कि हिंदी ही देश की .... भाषा बन सकती है।

2) उर्दू भाषा के कारण मानक हिंदी में कौन-कौन सी भूमिकाएँ शीघ्र विकास कर सकीं?

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

3) हिंदी और बोलियों में सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर क्या है?

....

....

4) मिलान कीजिए।

i) डिंगल	क) रीतिकालीन साहित्य
ii) अवधी	ख) आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ
iii) ब्रज	ग) पुरानी राजस्थानी
iv) 1917	घ) दक्षिण में हिंदी का प्रचार
v) 1000 ई.	ङ) रामचरित मानस की भाषा

4.6 हिंदी भाषा की भूमिकाएँ

व्यापक प्रसार के कारण इस भाषा को कई नई भूमिकाओं* का वहन करना पड़ा। हम यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं की चर्चा करेंगे। हिंदी इस देश की संपर्क भाषा है। आम तौर पर देश के किसी कोने में मिलने वाले दो अहिंदी भाषी आम तौर पर कार्यालय के प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा से संपर्क करते हैं और सामान्य सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। संपर्क भाषा की इस भूमिका को हम राष्ट्रभाषा की भूमिका भी कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा जोड़ने वाली भाषा है, हिंदी देश के विभिन्न भागों के लोगों को जोड़ने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। राष्ट्रभाषा के इस प्रसंग पर हम खंड 6 में विस्तार से फिर चर्चा करेंगे।

देश में भाषा के माध्यम से दो स्तरों पर संपर्क होता है। एक स्तर है जन सामान्य के बीच संपर्क, जो अधिकतर निजी आधार पर संपन्न होता है। संपर्क का दूसरा आधार है देश के विभिन्न केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच संपर्क; जैसे किसी मंत्रालय के कार्यालय केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल में हों, तो इन तीनों कार्यालयों को एक दूसरे से पत्राचार के माध्यम से संपर्क करना पड़ता है। यह संपर्क लोगों की अपनी पसंद या सुविधा के संदर्भ में निश्चित नहीं किया जाता बल्कि प्रशासन संपर्क की भाषा का स्वयं निर्धारण करता है। इस प्रकार के संपर्क के अभाव में तमिलनाडु का उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय से कट जाएगा। अगर दोनों न्यायालयों के अभिलेख (रिकार्ड) एक ही भाषा में हो, तो संपर्क आसान होता है। इस दृष्टि से संघ के विभिन्न निकायों के बीच संपर्क के लिए जिस भाषा को अपनाते हैं उसे देश की राजभाषा कहते हैं। आज हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों हमारी राजभाषाएँ हैं। हिंदी उस समय अकेली राजभाषा होगी जब देश के अन्य राज्य अंग्रेज़ी का प्रयोग समाप्त करने का निर्णय कर लेंगे। राजभाषा की भूमिका में हिंदी भाषा के व्यवहार के लिए हमें कानूनी नियम की पुस्तकें, मैनुअल आदि विविध साहित्य चाहिए। इन साहित्यों की रचना भाषा को समृद्ध बनाती है और भाषा की क्षमता बढ़ाती है। राजभाषा की भूमिका के संदर्भ में हम यह उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ 1950 से लेकर जब सिर्फ़ अंग्रेज़ी देश की राजभाषा थी, आज देश के लाखों कार्यालयों में काम करने वाले करोड़ों व्यक्ति इस भाषा से परिचित हुए हैं और हिंदी के माध्यम से कई जगह काम होने लगा है।

हिंदी एक साहित्यिक भाषा है। साहित्य हर भाषा में रचा जाता है। बोलियों में जो अलिखित साहित्य प्राप्त होता है उसे हम लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य से लेकर उच्च स्तर की साहित्य रचना तक एक लंबी शृंखला है। हिंदी भाषा में स्वतंत्रता से पहले जो साहित्य रचा गया था, वह एक प्रकार से प्रादेशिक साहित्य था, लेकिन आज हिंदी साहित्य अखिलभारतीय स्तर पर रचा जा रहा है। हज़ारों अहिंदी भाषी लेखक इस भाषा के माध्यम से साहित्य रचना करते हैं और अपने स्थानीय परिवेश को हिंदी के माध्यम से देश के अन्य पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न भाषा-भाषियों के साहित्यिक योगदान के कारण हिंदी भाषा का साहित्य अखिलभारतीय स्वरूप धारण करता जा रहा है। साथ ही यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि सरकारी अभिकरणों* और निजी प्रकाशकों के सौजन्य से हिंदी भाषा में विभिन्न

भारतीय भाषाओं का अनूदित साहित्य आया है। यह कह सकते हैं कि निकट भविष्य में हिंदी भाषा का साहित्य देश में केंद्रीय महत्त्व का साहित्य बन जाएगा।

हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र, सूरीनाम, ट्रिनिडैड, गयाना, फ़िजी आदि देशों में बसे हुए भारतीय मूल के व्यक्ति करते हैं। वे हिंदी भाषा का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं और इस भाषा के माध्यम से साहित्य रचना भी करते हैं। संसार में कई देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषी बड़ी संख्या में आधुनिक युग में जा बसे हैं। दक्षिण अफ़्रीका, कनाडा, अमरीका, इंग्लैंड, हॉलैंड, सिंगापुर आदि कुछ देश इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इन देशों के हिंदी भाषी अपनी भाषाओं के माध्यम से रेडियो-दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं और कई लोग विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदी के इस महत्त्व के कारण विश्व के लगभग 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के शिक्षण का आयोजन किया जाता है। इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके नागरिक आम तौर पर हिंदी भाषियों के संपर्क में भी नहीं आते। जैसे क्यूबा, पोलैंड, फिनलैंड, उत्तरी कोरिया आदि कुछ देश हैं, जहाँ के लोगों के लिए भारत देश एक अनदेखा संसार है। फिर भी इन देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था है। इस तरह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है। यह जनता के स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर विभिन्न देशों को भारत से जोड़ने वाली कड़ी रही है।

4.7 हिंदी भाषा का स्वरूप

जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है? क्या यह संरचना स्तर पर वही खड़ी बोली है, जो आज दिल्ली के आसपास के मेरठ, सहारनपुर आदि ज़िलों में बोली जाती है।

हमने इस खंड की पहले की इकाइयों में चर्चा की कि हिंदी और अन्य आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ। संस्कृत में परिवर्तन हुए और पालि भाषा अस्तित्व में आयी। इसी प्रकार परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उदय हुआ। यह विकास विभिन्न दिशाओं में हुआ, इस कारण भाषाओं की रचनाओं में अंतर हुआ। संस्कृत में नपुंसक लिंग था, जो आज भी गुजराती और मराठी में सुरक्षित है। जबकि अन्य आर्य भाषाओं में दो लिंग है। हिंदी में कर्ता और क्रिया की लिंग की अन्विति होती है (लड़का जाता है—लड़की जाती है) जब कि बांगला में लिंग की अन्विति नहीं है, एक ही क्रिया रूप है। इस तरह हर भाषा की अपनी विशिष्ट संरचना है।

खड़ी बोली और हिंदी में संरचनाओं की समानता है। लेकिन सामान्य रूप से संरचनाएँ एक होते हुए भी दोनों में कुछ दृष्टियों से मूलभूत अंतर है। हम ऐसे अंतरों को बोलियों के व्यापक संदर्भ में देखेंगे।

4.7.1 शब्दावली संबंधी अंतर

संस्कृत से पालि में परिवर्तन होने पर शब्दों के उच्चारण में अंतर आ गया था। यह अंतर आगे बोलियों तक आते-आते और अधिक हुआ। बिना बीच की भाषाओं के नाम लिए एक शब्द के विकास क्रम को देखें :

सप्त ⟶ सत्त ⟶ सात

यही विकास क्रम कर्म-काम, अष्ट-आठ, हस्त-हाथ, चक्र-चाक आदि शब्दों में भी देखा जा सकता है। सप्त, कर्म, अष्ट, हस्त, चक्र आदि संस्कृत शब्द हैं, जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनसे विकसित सात, काम, आठ, हाथ, चाक आदि शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। सभी बोलियों में (और खड़ी बोली में भी) तद्भव शब्दों की बहुलता है, होनी चाहिए। बदला हुआ शब्द फिर से पूर्व रूप में बदल तो नहीं सकता। लेकिन आज हिंदी में ये सारे तत्सम शब्द भी व्यवहृत होते हैं। सप्त स्वर, नित्य कर्म, हस्त रेखा, काल चक्र आदि शब्द हमारे लिए परिचित हैं। ऐसा कब और कैसे हुआ? यह स्वाभाविक परिवर्तन के क्रम में ही हुआ? हिंदी भाषा ने फिर से उन तत्सम शब्दों को ग्रहण किया। इस प्रक्रिया को पुनरुत्थान (revivalism) की दृष्टि कह सकते हैं। हिंदी में नये प्रयोजनों और नयी संकल्पनाओं के लिए नयी शब्दावली की आवश्यकता पड़ी, तो उसे संस्कृत से शब्द लेने

पड़े। अब हिंदी में तद्भव शब्द आम बोलचाल में काम आते हैं। हम "हाथ" से खाते हैं "हस्त" से नहीं। तत्सम शब्द नये पारिभाषिक अर्थों में व्यवहृत होते हैं। हम "हस्ताक्षर" करते हैं, "हाथ-अक्षर" नहीं। इसकी तुलना में बोलियों में शब्द स्तर पर पुनरुत्थान कम हुआ। उनके शब्द अधिकतर तद्भव ही हैं।

नये शब्दों के ग्रहण के कारण हिंदी भाषा की शब्दावली समृद्ध हुई, जबकि बोलियों में प्रयोग विस्तार के अभाव के कारण शब्द संख्या सीमित ही है।

4.7.2 उच्चारण के स्तर पर अंतर

नये शब्दों के आगमन के कारण शब्दोच्चारण में भी परिवर्तन आए हैं। बोलियों में "रीति' का तद्भव रूप "रीत" है। लेकिन हम हिंदी साहित्य के "रीति काल" की बात करते हैं, न कि "रीत काल" की। इसी तरह संस्कृत की कई ध्वनियाँ बोलियों में लुप्त हो गयीं या बदल गयीं। कई बोलियों में "ण" का उच्चारण नहीं मिलता, /श/की जगह /स/ का प्रयोग होता है, उच्चारण (व) और (य) का उच्चारण (ज) हो जाता है, (क्ष) का उच्चारण (च्छ) में बदल जाता है, शब्दारंभ में और शब्द मध्य में भी स्थ, क्र जैसे व्यंजन गुच्छ नहीं आते, बल्कि पहले या बीच में स्वर आ जाता है। जैसे,

संस्कृत	**बोली**	**संस्कृत**	**बोली**
गुण	गुन	परीक्षा	परीच्छा
वीणा	बीना	स्थापना	इस्थापना
युक्ति	जुगत	शिव	सिव/सिब
व्यापार	बेपार	धर्म	धरम
विश्वास	बिस्वास	मंत्र	मंतर

आधुनिक हिंदी भाषा ने बदले हुए उच्चारण की जगह मूल संस्कृत उच्चारण को अपनाया। इस प्रवृत्ति को हम संस्कारीकरण (sanskrtisation) की प्रवृत्ति कहेंगे। इस प्रवृत्ति में हम उन पुराने संस्कारों का वरण करते हैं, जिन्हें हम अधिक शुद्ध मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी का उच्चारण बोलियों की अपेक्षा भिन्न है। बोलियों में अभी संस्कारीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

4.7.3 लिपि स्तर पर संस्कृत और हिंदी में अंतर

हिंदी भाषा में दो नये व्यंजन (ड़ और ढ़) विकसित हुए हैं, हिंदी भाषा ने इनके लिए नए चिह्न बनाए हैं। संस्कृत में अनुनासिकता (चंद्र बिंदु) का प्रयोग नहीं होता था। हिंदी में इसका उच्चारण है और लिपि चिह्न (k) भी है। हिंदी में अंग्रेज़ी तथा अरबी-फ़ारसी से कुछ नए व्यंजन आए हैं, जैसे ज़, फ़, ख़, ग़ हिंदी में ये उच्चारण और इनके नए वर्ण अभी पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हुए, न ही विद्वान इन्हें हटाने का निर्णय कर सके हैं। कोई इनमें से एक या अधिक व्यंजनों का तथा नुक्ते वाले वर्णों का उपयोग करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता। इन कुछ वर्णों को छोड़कर हिंदी की वर्णमाला संस्कृत की वर्णमाला पर ही आधारित है।

4.7.4 बोलियों और हिंदी में शैली में अंतर

हिंदी भाषा की विविध भूमिकाएँ हैं। इस कारण हिंदी में कई प्रयोजनपरक शैलियाँ विकसित हुई हैं। जन संचार की भाषा, कानून की भाषा, प्रशासन की भाषा, शिक्षा माध्यम की भाषा आदि प्रयोजनपरक शैलियाँ बोलियों में दृष्टिगोचर नहीं होती। आधुनिक हिंदी भाषा साहित्य की दृष्टि से बहुत विकास कर रही है। काव्य के क्षेत्र में इन सौ वर्षों की अवधि में ही इतिवृत्तात्मक काव्य, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता, समकालीन कविता आदि कई काव्य धाराएँ प्रवहित हुईं। इनके कारण हिंदी भाषा में कई नयी शैलियाँ विकसित हुईं। बोलियों में इस तरह की विविधता नहीं है। हिंदी एक अखिल भारतीय भाषा है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस कारण इसमें हैदराबाद की हिंदी, बंबई की हिंदी, मॉरिशस की हिंदी, फ़िजी की हिंदी आदि कई क्षेत्रीय रूप विकसित हुए हैं। बोलियों में यह विस्तार नहीं दिखायी पड़ता। इन बातों के संदर्भ में कह सकते हैं कि बोलियों की अपेक्षा हिंदी भाषा की समृद्धि कई गुना अधिक है।

4.8 हिंदी भाषा का महत्त्व

भारत में कई भाषाएँ हैं। ये सारी भाषाएँ अपनी-अपनी जगह महत्त्वपूर्ण हैं। अष्टम सूची की भाषाएँ हिंदी के ही समान साहित्यिक दृष्टि से संपन्न हैं। प्राचीन समय से विशाल जन-समुदाय के संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भाषाएँ हैं। इस दृष्टि से जब हम हिंदी भाषा के महत्त्व की यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो महत्त्व से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि हिंदी दूसरी भाषाओं से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है या ज़्यादा श्रेष्ठ है।

हिंदी भाषा के महत्त्व को हम उसकी भूमिकाओं से ज़ोड़ना चाहेंगे। हिंदी भाषा एक विशाल देश की एकता का सूत्र है, सभी भाषाओं के बीच एक सेतु है। उसे इस दृष्टि से विकास करना चाहिए कि वह अन्य भाषाओं को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाए और उनके सहयोग से अपनी श्रीवृद्धि करे। इस दृष्टि से हिंदी भाषा की एक केंद्रीय भूमिका है। हिंदी भाषा में जिस प्रकार का विकास क्रम होगा वह दूसरी भाषाओं के विकास क्रम को दिशा-निर्देश देगा। इसी तरह दूसरी भाषाएँ जिस दिशा में विकास करती हैं, उसके अनुभव और निर्माण से भी हिंदी प्रभाव ग्रहण कर सकती है। हिंदी भाषा के महत्त्व को हम उसके प्रयोग, विस्तार और व्यापक भूमिकाओं के साथ जोड़कर देखना चाहेंगे। परंतु हमने इसकी भूमिकाओं की चर्चा की। हिंदी देश की राजभाषा है, उच्च शिक्षा के माध्यम की भाषा है और राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की भाषा है। ये भूमिकाएँ हर विकासशील राष्ट्र की हर प्रमुख भाषा को निभानी पड़ती हैं। जो ''अविकसित'' होगी, उसकी भूमिकाएँ उतनी ही कम होंगी। मान लें कि बहुत कम आबादी वाले क्षेत्र की एक अलिखित भाषा हो तो उस भाषा में प्रशासन, शिक्षा आदि का प्रश्न नहीं उठता, यहाँ तक कि उसमें साहित्य रचना भी नहीं होगी क्योंकि साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था भी नहीं होगी। इस दृष्टि से वह भाषा मात्र बोलचाल की भाषा रह जाती है। बोल-चाल के अलावा, उस भाषा का कोई और प्रयोजनपरक पक्ष नहीं होगा।

जहाँ तक आधुनिक भारतीय भाषाओं का सवाल है, इनमें प्रयोजनपरकता या भूमिका विस्तार अलग-अलग ढंग से दिखाई पड़ता है। तमिल भाषा एक राज्य की भाषा है; अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सिंहल और सिंगापुर की यह राजभाषा भी है। यह साहित्यिक भाषा है, आधुनिक प्रयोजनों की भाषा है और उसमें ज्ञान-विज्ञान के साहित्य के साथ-साथ पर्याप्त पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हुआ है। यह विकसित भाषा है क्योंकि इसमें कंप्यूटर पर काम करने तक की सुविधा है। यह मात्र एक उदाहरण है। अन्य प्रमुख भाषाओं में भी इसी प्रकार विविध भूमिकाएँ दिखाई पड़ती हैं। ये सारी भूमिकाएँ राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक भूमिकाएँ हैं। इनमें किन्हीं भूमिकाओं में सारी भाषाएँ मिलकर विकास को प्राप्त करती हैं, जैसे भारत में देश की भाषाओं के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो अष्टम सूची की सारी भाषाओं के लिए समान योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस प्रकार, जब पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो लगभग सभी भाषाओं में समान रूप से कार्य प्रारंभ हुआ। इस दृष्टि से इन व्यापक प्रयोजनपरक संदर्भों में सभी भाषाओं का परस्पर सहयोग अपेक्षित है जिससे भाषाओं को गति मिले।

जहाँ तक साहित्य का सवाल है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ समृद्ध हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य के विकास के संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित होगा कि पूरा देश मिलकर एक साहित्य यानी भारतीय साहित्य का निर्माण करता है। मध्यकालीन भारतीय भक्ति साहित्य को हम पूरे भारत के संदर्भ में अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसी प्रकार आधुनिक काल में भारतीय भाषाओं में जो साहित्य रचा जा रहा है वह राष्ट्र की चेतना को व्यक्त करता है, एक राष्ट्रीय स्वर उसमें प्रखर हो उठता है। इस दृष्टि से भारतीय साहित्य का हिंदी साहित्य एक अंग है; लेकिन इसके और भी अंग हैं जो राष्ट्रीय धारा से साहित्य को जोड़ते हैं। अखिल भारतीय साहित्य के संदर्भ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दो पाठ्यक्रम तैयार किए हैं—ई.एच.डी.-04 मध्यकालीन भारतीय साहित्य; और ई.एच.डी.-05 आधुनिक भारतीय साहित्य।

प्रयोजनमूलक भाषिक संदर्भ में हों या साहित्य के क्षेत्र में हों, हिंदी भाषा की एक अहम भूमिका है। हिंदी साहित्य की एक विशेषता यह है कि अनेकों अहिंदी-भाषी लेखकों ने हिंदी भाषा के साहित्य को समृद्ध किया है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य किसी क्षेत्र विशेष का साहित्य नहीं रहा, बल्कि यह अखिल भारतीय स्तर पर एक साहित्यिक आंदोलन है। इसी प्रकार भाषा के संदर्भ में हिंदी की जो प्रयोजनपरक भूमिकाएँ हैं इनमें काफ़ी योगदान अहिंदी-भाषी भी करते हैं। अनुवाद, वांड्मय विस्तार, पाठ्य-सामग्री निर्माण, कोश आदि

संदर्भ ग्रंथों का निर्माण आदि क्षेत्रों में अहिंदी-भाषी विद्वानों का योगदान महत्त्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा और साहित्य क्षेत्र के दायरे से बाहर निकलकर अखिलभारतीय रूप ग्रहण करते हैं।

भाषा के विकास के संदर्भ में भी हिंदी भाषा की अहम भूमिका है। पारिभाषिक शब्द निर्माण, कंप्यूटर प्रोग्राम आदि कार्यक्रमों में हिंदी भाषा में पहल होगी तो दूसरे प्रदेशों में लोगों के लिए मार्ग-दर्शन मिलेगा। यह कहना शायद अत्युक्ति नहीं होगी कि हिंदी के पारिभाषिक शब्द दूसरी कई भाषाओं से अपनाए जा रहे हैं।

हिंदी का वांङ्मय ज्ञान-विज्ञान का साहित्य और सृजनात्मक साहित्य दोनों एक प्रकार से भारतीय भाषाओं के लिए सेतु बनेंगे और स्रोत या आधार बनेंगे। अगर हम समस्त भारतीय वांङ्मय को किसी भारतीय भाषा के माध्यम से जोड़ना चाहें तो सबसे पहले वह हिंदी के माध्यम से ही संपन्न हो सकेगा और हिंदी के माध्यम से दूसरी भाषाएँ वांछित साधन प्राप्त कर सकेंगी। जैसे अगर महाराष्ट्र के किसी विद्वान को बांगला के साहित्य के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो इस समय या तो वह अंग्रेज़ी के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी या हिंदी के माध्यम से। हिंदी के माध्यम से भारतीय वांङ्मय की उपलब्धि होने की स्थिति में हिंदी भाषा सही अर्थ में देश की भाषाओं के बीच सेतु का काम करेगी। इस अहम भूमिका में फिलहाल अंग्रेज़ी भाषा ही योगदान करती रही है, संभवतः आने वाले दिनों में हिंदी इस भूमिका का वहन कर सकेगी।

बोध प्रश्न 2

5) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) राजकीय या शासकीय प्रयोजनों की भाषा राजभाषा है।

   ii) हिंदी का साहित्य हिंदी प्रदेश का साहित्य है।

   iii) संस्कृत भाषा के समय से ही चंद्र बिंदु का प्रयोग होता आया है।

   iv) हम आज हिंदी में तद्भव शब्द की जगह तत्सम शब्द बोल सकते हैं।

   v) हर विकसित भाषा के सामने कई विशिष्ट भूमिकाएँ होती हैं।

6) दिये गये शब्दों से उचित शब्द चुनकर या उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरे करें।

   i) हिंदी भाषा में फिर से तत्सम शब्द ग्रहण किये गये, इसे .... कहेंगे, हिंदी में ''बीना'' फिर से ''वीणा'' बन गया, इसे .... कह सकते हैं।

   ii) बोलियों में .... शैलियों की विविधता नहीं है। (प्रयोजनमूलक/साहित्यिक)

   iii) कंप्यूटर पर भाषा का प्रयोग उसका एक आधुनिक .... है।

   iv) अहिंदी भाषी हिंदी के .... और .... क्षेत्र दोनों में योगदान करते हैं।

7) हिंदी के महत्त्व पर दस पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

4.9 सारांश

इस इकाई में हमने हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।

हमने हिंदी के क्षेत्र विस्तार की चर्चा की और हिंदी के विभिन्न स्थानीय रूपों का परिचय दिया। इस दृष्टि से हिंदी एक अखिल भारतीय भाषा है।

इस इकाई में हमने पढ़ा कि हिंदी का साहित्य वास्तव में विभिन्न बोलियों में समय-समय पर लिखे गए साहित्य का सामूहिक नाम है। खड़ी बोली हिंदी में आधुनिक युग में ही विविध रूपों में साहित्य की रचना हुई। हिंदी भाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में महात्मा गांधी आदि राष्ट्र नेताओं ने पहचाना, इस कारण आधुनिक युग की भाषा के संदर्भ में इस भाषा के व्यापक प्रचार-प्रसार के यत्न किए गए।

स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा देश को प्रशासन आदि के संदर्भ में जोड़ने वाली भाषा बनी। देश के विभिन्न भाषा-भाषियों ने इस भाषा को न केवल सीखा बल्कि इसके साहित्य में योगदान देने लगे। हिंदी के इस बढ़ते महत्त्व के कारण विदेशों में बसे भारतीयों के लिए भी यह अस्मिता की और संपर्क की भाषा बनी।

हिंदी एक आधुनिक भाषा है जो संस्कृत से निकली और बोलियों के माध्यम से विस्तार पाकर एक आधुनिक भाषा बनी।

हिंदी भाषा की ये सारी विशेषताएँ इसे तीन स्तर पर महत्त्व प्रदान करती हैं।

i) यह पूरे देश की साहित्यिक अभिव्यक्ति का स्वर है।

ii) प्रयोजनमूलक हिंदी का कार्यक्षेत्र पूरा देश है।

iii) हिंदी में उपलब्ध भारतीय वाङ्मय भाषाओं के बीच सेतु बनेगा।

4.10 'शब्दावली

स्वैच्छिक—स्वेच्छा से निर्मित; सरकारी नहीं
भूमिका—समाज में उसका काम/प्रकार्य
अभिकरण—कार्यालय, विभाग आदि (agency)

4.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिंदी भाषा का स्वरूप; हिंदी प्रचार सभा; हैदराबाद; 1986
राजभाषा का स्वरूप; राजभाषा हिंदी; कैलाशचंद्र भाटिया, वाणी प्रकाशन, दिल्ली; 1990

हिंदी साहित्य कोश—धीरेंद्र वर्मा आदि (सं), ज्ञान मंडल, वाराणसी, 1958

4.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) दकनी ii) काल, क्षेत्र iii) सधुक्कड़ी iv) मानक, बोलियाँ
v) राष्ट्र

2) प्रशासनिक भाषा, साहित्यिक भाषा

3) हिंदी और बोलियों में प्रयोजनपरक भूमिकाओं का अंतर है

4) i) ग ii) ङ iii) क iv) घ v) ख

बोध प्रश्न 2

5) i) हाँ ii) नहीं iii) नहीं iv) नहीं v) हाँ

6) i) पुनरुत्थान की दृष्टि, संस्कारीकरण ii) प्रयोजनमूलक iii) प्रयोजन
iv) साहित्य, प्रयोजनमूलक

इकाई 5 भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य
5.1 प्रस्तावना
5.2 भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता
5.3 ध्वनि और उच्चारण के स्तर पर समानता
5.4 लिपि के स्तर पर समानता
5.5 शब्द स्तर पर भारतीय भाषाओं में समानता
5.6 वाक्य संरचना के स्तर पर समानता
5.7 भारत की भाषाओं में मूलभूत एकता का स्वर
5.8 सारांश
5.9 अभ्यास
5.10 शब्दावली
5.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें
5.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

अब तक आपने पढ़ा कि भारत में चार भाषा परिवार हैं, जिनमें भारतीय आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा परिवार प्रमुख हैं। भिन्न-भिन्न परिवार की भाषाएँ होने के बावजूद इनमें कई समानताएँ हैं। इस इकाई में आप समानताओं का अध्ययन करेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- भारतीय भाषाओं में लिपि संबंधी समानताओं का वर्णन कर सकेंगे;
- भारतीय भाषाओं की सामान्य शब्दावली का विवरण दे सकेंगे;
- भारतीय भाषाओं की वाक्य संरचनाओं के सामान्य तत्व बता सकेंगे;
- इस एकता के कारणों का वर्णन कर सकेंगे; और
- यह बता सकेंगे कि किस तरह भारोपीय परिवार की भाषाओं से भी ज्यादा आर्य और द्रविड़ भाषाओं में समान तत्व हैं।

5.1 प्रस्तावना

हमने इस खंड में यह पढ़ा कि संसार में 10 भाषा परिवार हैं और भारत में इनमें से चार भाषा परिवार हैं। भिन्न भाषा परिवार संरचना की दृष्टि से, शब्दावली आदि के संदर्भ में भिन्नता दिखाते हैं। कभी-कभी यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि इनमें परस्पर संपर्क हो ही नहीं सकता, जैसे हिंदी और चीनी भाषा में भाषिक भिन्नता इतनी अधिक है कि ये परस्पर संपर्क के लिए उपयुक्त नहीं हैं। क्या भारत के चारों भाषा परिवारों में भी यही स्थिति है? क्या ये सब भाषाएँ संपर्क के अभाव में अलग-अलग रहती हैं? यह बात कुछ हद तक पूर्व की तिब्बती-बर्मी भाषाओं के संदर्भ में अधिक सही है। वे भाषाएँ प्रकृति में आर्य भाषाओं से भिन्न हैं लेकिन उन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या देश की कुल आबादी के हिसाब से बहुत कम है। आबादी के लगभग 90 प्रतिशत लोग आर्य और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ बोलते हैं।

एमेन्यू नामक भाषा वैज्ञानिक ने 'भारत : एक भाषिक क्षेत्र' नामक लेख में इस बात पर

प्रकाश डाला कि भारतीय भाषाओं में परिवार की भिन्नता के बावजूद कई समान तत्व हैं। इस समानता का कारण यही है कि भारत में आदि काल से सांस्कृतिक एकता रही है। धर्म, दर्शन, साहित्य सृजन, ज्ञान-विज्ञान का विकास, रीति-रिवाज आदि कई क्षेत्रों में देश का स्वरूप एक रहा है। इस कारण देश की जनता का सोच-विचार, चिंतन-मनन एक रहा है और देश की भाषाओं में विचारों का आदान-प्रदान रहा है। इस कारण भाषिक भिन्नता के बावजूद सभी प्रमुख भाषाओं में ध्वनि, लिपि, उच्चारण, वाक्य संरचना सभी स्तरों पर समानता देखी जा सकती है। इस हद तक कि मलयालम या तेलुगु भाषा हिंदी की अपेक्षा अधिक संस्कृतनिष्ठ लगती है।

इस इकाई में हम भाषाओं की मूलभूत एकता का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह भाषायी क्षेत्र की एमेन्यू की संकल्पना आज भी वास्तविक और प्रासंगिक है।

5.2 भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता

हमने उल्लेख किया था कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। जब अलग-अलग परिवारों की भाषाओं की तुलना करते हैं तो उनमें इतने अधिक अंतर का अनुमान कर सकते हैं कि एक भाषा बोलने वाला दूसरी भाषा बोलने वालों को बिल्कुल समझ न सके। अर्थात् कोई चीनी भाषी अपनी भाषा बोले, तो संभावना यही होगी कि हम एक शब्द भी समझ न सकें। लेकिन भारतीय भाषाओं में इतनी कई सामान्य विशेषताएँ हैं कि ये भाषाएँ परस्पर बोध की सीमा में आ जाती हैं। कोई मलयालम भाषी मंच पर से किसी विषय पर व्याख्यान दे तो हिंदी भाषी इतना तो अनुमान कर सकता है कि क्या चर्चा की जा रही है। यह कैसे संभव होता है? एक आधार तो यह है कि मलयालम भाषा में हज़ारों संस्कृत के शब्द हैं, जिस कारण विषय बोध की परिधि में आ जाता है। यहाँ हम ऐसे समान तत्वों की चर्चा करेंगे, जिनसे ये भाषाएँ एक-दूसरे के अधिक निकट आती हैं। इसी को हम भाषाओं की 'मूलभूत एकता' नामक शब्द से स्पष्ट करेंगे। यह एकता केवल शब्दों के स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्चारण आदि कई स्तरों पर परिलक्षित होती है।

हमने अब तक पढ़ा है कि भारत में दो प्रमुख भाषा परिवार हैं। भारोपीय भाषा परिवार की आर्य भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांगला, असमिया, ओड़िया आदि भाषाएँ आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएँ हैं। आर्य भाषाएँ एक परिवार की भाषाएं होने के कारण उनमें समान तत्वों का मिलना सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि आर्य भाषाओं में ऐसी कुछ विशेषताएँ हैं, जो भारोपीय परिवार की अन्य भाषाओं में नहीं मिलतीं। ये विशेषताएँ केवल भारत की भाषाओं में ही मिलती हैं। इसका क्या कारण है? एक सांस्कृतिक परिवेश की भाषाएँ होने के नाते आर्य भाषाओं और द्रविड़ भाषाओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। दोनों परिवारों ने मिलकर कुछ नई विशेषताओं का विकास किया। इस मूलभूत एकता के कारणों और एकता के विकास की प्रक्रिया के बारे में हम इकाई के अंत में फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पहले एकता के लक्षणों का अवलोकन करेंगे। यहाँ हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि यद्यपि हमारे सामने भारत में चार भाषा परिवार हैं, यहाँ उदाहरण हम प्रमुख रूप से दो ही परिवारों से (भारतीय आर्य भाषा समूह और द्रविड़ परिवार से) देंगे और केवल एकाध आवश्यक उदाहरण अन्य दोनों परिवारों से देंगे।

5.3 ध्वनि और उच्चारण के स्तर पर समानता

भारतीय भाषाओं की समानता ध्वनि* स्तर से शुरू हो जाती है। आर्य भाषा समूह और द्रविड़ परिवार दोनों की वर्णमाला* का क्रम एक है। 'अ' से 'औ' तक के स्वर और 'क' से लेकर 'ह' तक के व्यंजन[1]। यहाँ तक कि तमिल भाषा में जिसमें व्यंजनों की संख्या सीमित है, वर्णमाला देवनागरी जैसी नहीं है, लेकिन वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम हिंदी के अनुरूप है। तमिल के व्यंजनों का क्रम है—क ङ च ञ ट ण त न प म य र ल व ष ऴ ऱ ऩ, अर्थात् अंतिम चार व्यंजनों को छोड़कर जो तमिल के लिए विशिष्ट हैं, शेष सभी व्यंजनों का क्रम देवनागरी की वर्णमाला क्रम के अनुरूप है।

1. आगे की चर्चा में इसी तरह के कुछ कथन आते रहेंगे। जिन्हें आपको सामान्य तात्पर्य के रूप में लेना चाहिए, न कि हर भाषा पर लागू होने वाले नियम के रूप में। याने कोई तमिल भाषी कह सकता है कि उसकी भाषा में "ह" नहीं है, अतः यह कथन गलत है। लेकिन तात्पर्य या आशय आगे के वाक्य में स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

इस चर्चा में एकता के मूल स्वर को पहचानना चाहेंगे, हर भाषा की ध्वनि व्यवस्था का विश्लेषण न तो संभव है न साध्य है। लेकिन यह उल्लेख अवश्य करना चाहेंगे कि अलग-अलग भाषाओं में ऐतिहासिक तथा अन्य कारणों से ध्वनियों और उच्चारण संबंधी विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं। जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि में दो 'र' ध्वनियाँ हैं। उच्चारण के स्तर पर मराठी में च और ज का शब्द के कुछ स्थलों में संघर्ष* युक्त उच्चारण है। ऐसी भाषा-विशेष की विशेषताओं को छोड़ दें, तो हमें भारतीय भाषाओं में ध्वनि व्यवस्था समान दिखायी पड़ती है।

इस समानता को हमें पूर्ण भौतिक साम्य के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि व्यवस्था की समानता के रूप में लेना चाहिए। इस तथ्य को उदाहरण के तौर पर द्रविड़ भाषाओं में तथा मराठी और गुजराती भाषाओं में /ऐ/ और /औ/ का उच्चारण संध्यक्षर* के समान है, जबकि हिंदी और पंजाबी में यह मूल स्वर के समान है। बांगला में इन दोनों स्वरों का उच्चारण क्रम से /ओइ/ और /ओउ/ के समान है। इस अंतर के बावजूद हजारों शब्दों में इन ध्वनियों की उपस्थिति समान है। इसी तरह बांगला, ओड़िया तथा असमी भाषाओं में /अ/का उच्चारण ह्रस्व ओ के समान लें, तो किसी पूर्वी भारत में व्यक्ति के मुँह से 'जो॑ल, मो॑न, लो॑ता' आदि शब्द सुनकर पहचान सकते हैं कि 'जल, मन, लता' आदि शब्द बोले गए हैं। इस तरह यद्यपि कई भाषाओं में कुछ हद तक उच्चारण के अंतर आ गये हैं, इन अंतरों के आधार पर ही हम समान तत्वों तक पहुँच सकते हैं।

भारतीय भाषाओं में ध्वनि संबंधी निम्नलिखित सामान्य तत्व दिखाई पड़ते हैं:

1) स्वरों का ह्रस्व, दीर्घ के क्रम में व्यवस्था है। अर्थात् /अ/ तथा /आ/, /इ/ तथा /ई/, /उ/ तथा /ऊ/ का क्रम निर्वाह सभी भाषाओं में सामान्य रूप में मिलता है। इसकी तुलना में भारोपीय परिवार की यूरोपीय भाषाओं में (अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि) में स्वर की मात्रा के कारण अंतर नहीं किया जा सकता है। उन भाषाओं में स्वर की मात्रा शब्द में स्वर के परिवेश के आधार पर बदलती है।

2) भारतीय भाषाओं में व्यंजनों का क्रम अधिक वैज्ञानिक है। गले से ओंठ तक के स्थानों से उच्चारित व्यंजनों की क्रम से व्यवस्था है (क च ट त प के क्रम में)। इस वैज्ञानिक व्यवस्था के कारण व्यंजनों में भारतीय भाषाओं में बहुत कम अंतर आया, इस कारण साम्य बना रहा।

उपर्युक्त दोनों व्यवस्थाओं की तुलना में रोमन वर्णमाला की ध्वनियों का कोई क्रम नहीं है। वास्तव में यह वर्णमाला प्राचीन गॉथिक लिपि का रूप है, जिसे पहले लैटिन ने और बाद में अन्य कई यूरोपीय भाषाओं ने अपनाया। इस कारण इसमें वैज्ञानिकता कम है। यह वर्णमाला भाषाओं की उच्चारण की विशेषताओं को दिखा पाने में समर्थ नहीं है और इसी कारण यूरोपीय भाषाओं में भारतीय भाषाओं की तुलना में अनुरूपता और कम है।

3) /ट/ का उच्चारण भारतीय भाषाओं की विशेषता है। अन्य किसी भारोपीय परिवार की भाषा में /ट/ वर्ग का उच्चारण नहीं है। /ट/ वर्ग की ध्वनियाँ द्रविड़, मुंडा परिवारों की भाषाओं में भी है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि /ट/ वर्ग संस्कृत में (तथा बाद की अन्य आर्य भाषाओं में) द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव से आया। कारण जो भी हो, भारत की भाषाओं में हम /त/ और /ट/ (इसी तरह /द/ और /ड/ आदि) में अंतर करते हैं, जबकि यूरोप की भाषाओं में मात्रा t तथा d का उच्चारण है। इसी तरह /ष/ और /ण/ भी भारतीय भाषाओं की विशेषता है।

4) महाप्राण ध्वनियाँ भारत की भाषाओं की विशेषता है। आपने पहले पढ़ा था कि पहले की सभी भारोपीय भाषाओं में महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण था, जिसे उन भाषाओं ने छोड़ दिया। संस्कृत में यह उच्चारण सुरक्षित रहा और द्रविड़ भाषाओं ने भी इस विशेषता को अपनाया।

5) हर वर्ग के लिए नासिक्य उच्चारण तथा उनके लिए लिपि चिह्न* भारतीय भाषाओं की विशेषता है, जबकि यूरोप की भाषाओं में दो ही नासिक्य व्यंजन न और म रह गये हैं। भारतीय भाषाओं में ङ, ञ, ण, न, म, पाँच नासिक्य व्यंजन मिलते हैं।

5.4 लिपि के स्तर पर समानता

भारत में उर्दू, सिंधी और कश्मीरी लिपियों को छोड़कर जो फ़ारसी की लिपि पर आधारित

हैं, कुल नौ लिपियाँ हैं। ये हैं–

देवनागरी लिपि (हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि)
तमिल की लिपि
तेलुगु की लिपि
कन्नड़ की लिपि
मलयालम की लिपि
गुजराती की लिपि
पंजाबी की लिपि (गुरुमुखी)
बांगला की लिपि (असमी और मणिपुरी के लिए भी व्यवहृत)
ओड़िया की लिपि

कुछ अन्य बोलियों की लिपियाँ या पुरानी लिपियाँ अधिक प्रचलित नहीं है। देश की अन्य कुछ भाषाएँ देवनागरी में या रोमन में या क्षेत्रीय लिपि में लिखी जाती हैं।

1) ये नौ लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। इसलिए इन लिपियों में कई वर्ण समान हैं, लेखन की प्रवृति एक जैसी है। विकास क्रम में इन लिपियों में अंतर आते गए, फिर भी साम्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे की तालिका में, इन लिपियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं–

ब्राह्मी	𑀅	𑀇	𑀏		𑀓	𑀝	𑀦	𑀧	𑀭	𑀮
हिंदी/मराठी	अ	इ	ए	ओ	क	ट	न	प	र	ल
गुजराती	અ	ઈ	એ	ઓ	ક	ટ	ન	પ	ર	લ
पंजाबी	ਅ	ਇ	ਏ	ਓ	ਕ	ਟ	ਨ	ਪ	ਰ	ਲ
बांगला/असमिया	অ	ই	এ	ও	ক	ট	ন	প	র	ল
ओड़िया	ଅ	ଇ	ଏ	ଓ	କ	ଟ	ନ	ପ	ର	ଲ
तमिल	அ	இ	எ	ஓ	க	ட	ன	ப	ர	ல
मलयालम	അ	ഇ	എ	ഒ	ക	ട	ന	പ	ര	ല
कन्नड़	ಅ	ಇ	ಏ	ಓ	ಕ	ಟ	ನ	ಪ	ರ	ಲ
तेलुगु	అ	ఇ	ఏ	ఓ	క	ట	న	ప	ర	ల

भाषाओं में वर्ण* साम्य सिर्फ़ स्वर व्यंजनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मात्राओं के लेखन में भी समानता देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए

हिंदी	का	की	कू	के	को
गुजराती	કા	કી	કૂ	કે	કો
पंजाबी	ਕਾ	ਕੀ	ਕੂ	ਕੇ	ਕੋ
बांगला/असमिया	কা	কী	কূ	কে	কো
ओड़िया	କା	କୀ	କୂ	କେ	କୋ
तमिल	கா	கீ	கூ	கே	கோ
मलयालम	കാ	കീ	കൂ	കേ	കോ
कन्नड़	ಕಾ	ಕೀ	ಕೂ	ಕೇ	ಕೋ
तेलुगु	కా	కీ	కూ	కే	కో

श्री लंका की सिंहली लिपि भी ब्राह्मी से ही निकली है। वर्तमान सिंहली लिपि में भी ऐसी ही समानता देखी जा सकती है।

2) रोमन की तुलना में भारतीय भाषाओं की लिपियाँ कुछ आक्षरिक* हैं। अर्थात् i) व्यंजन के बाद स्वर मात्रा के रूप में आता है। जैसे (b + a - ba, ब + आ - बा; s + i - si, स + ई - सी, ii) दो या तीन व्यंजन एक ही साथ उच्चरित हों, तो दोनों (या तीनों) का मिला-जुला रूप बनता है, जैसे च + च - च्च, द + य - द्य, स + त + र - स्त्र। यह विशेषता तमिल और मलयालम में भिन्न प्रकार से है, जहाँ पहला व्यंजन ऊपर की बिंदी के साथ आता है। तमिल - (प्प) (प्ल) इस तरह

एक ही संयुक्त वर्ण में एक ही साथ कई ध्वनियाँ सूचित हो सकती हैं। जैसे–

/ष्ट्रों/ = ष + ट + र + ओ + अनुनासिकता·
/न्द्रि/ = न + द + र + इ

3) इस आक्षरिकता के कारण इन भाषाओं में कुछ स्थानिक विशेषताओं को कुछ विशेष चिह्नों से दिखाने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी में अनुस्वार के लिए वर्ण n का आना अवश्यभावी है, जब बाद में k, c, t, वर्ण हों। इसी तरह कई भारतीय भाषाओं में अगर बाद में कोई स्पर्श वर्ण हो तो अनुस्वार उस वर्ग के नासिक्य व्यंजन का बोध करा सकता है। जैसे–

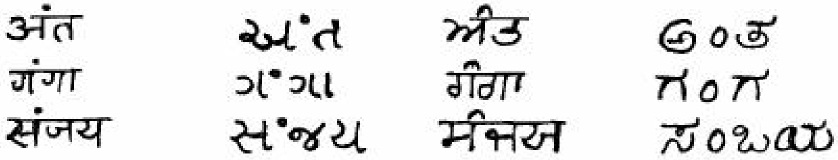

बोध प्रश्न 1

1) आगे के कथनों में उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।

   i) भारतीय लिपियों में समानता का कारण है इनका.......... । (एक स्रोत से निकलना/एक ही काल में निर्मित होना)

   ii) भारतीय भाषाओं में सिर्फ़ ध्वनियों में ही समानता नहीं है, बल्कि.......... में भी समानता है। (उच्चारण/वर्णक्रम)

   iii) भाषिक समानता के कारण हम भारत को एक.......... कह सकते हैं। (भाषा क्षेत्र/भाषा परिवार)

   iv) भारत की लिपियाँ और उर्दू लिपि.......... । (एक परिवार की लिपियाँ हैं/भिन्न स्रोतों की लिपियाँ हैं/समान प्रकृति की लिपियाँ हैं)

2) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) भारत में सांस्कृतिक एकता रही, इसी कारण भाषिक एकता पैदा हुई।

   ii) मलयालम भाषा में हज़ारों संस्कृत के शब्द हैं, क्योंकि यह संस्कृत से निकली भाषा है।

   iii) भारतीय भाषाओं की लिपियों में 'आ ई ऊ ए ओ' का स्वर क्रम दिखाई पड़ता है।

   iv) उर्दू को छोड़कर भारत की चौदह प्रमुख भाषाओं की चौदह लिपियाँ हैं।

5.5 शब्द स्तर पर भारतीय भाषाओं में समानता

हिंदी भाषा में प्रमुख रूप से चार स्रोतों से शब्द आए हैं। ये हैं:

i) **तत्सम शब्द** : संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे (तत् + सम - उसके समान)। तत्सम शब्दों की चर्चा के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कि संस्कृत में शब्दों को लिखने की व्याकरणिक व्यवस्था भिन्न है और तत्सम शब्द में मूल संस्कृत का वही रूप नहीं अपनाया जाता। जैसे /बालक:/ हिंदी में /बालक/ लिखा जाता है, संस्कृत /पितृ/ का रूप (कर्ता कारक एक वचन रूप) /पिता/ है, अत: हिंदी में पिता शब्द ही लिया गया है, यद्यपि समस्त शब्दों* में पितृ भक्ति, पितृत्व आदि रूप भी देखे जा सकते हैं। हिंदी के तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं–

   बालक पिता कर्म जाति गुरु परीक्षा व्यवहार मुख प्रेम पूर्ण
   रूप कामना व्यवस्थित संबंध कार्य विरोध मृत्यु स्वतंत्रता

ii) **तद्भव शब्द** : संस्कृत भाषा से पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। आपने पहले पढ़ा था कि पालि

आदि भाषाओं में संस्कृत शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के कारण शब्दों के लिखित रूप (वर्तनी) में परिवर्तन हुआ। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में आधुनिक भाषाओं में आए, तद्भव कहलाते हैं (तत् + भव - उससे पैदा हुआ, उससे निकला हुआ)। आगे हम संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में उनके तद्भव रूपों को भी दे रहे हैं, जिससे आप ध्वनि परिवर्तन की दिशा को भी समझ सकें।

संस्कृत शब्द ⟶	**हिंदी का तद्भव रूप ⟶**	**संस्कृत शब्द ⟶**	**हिंदी का तद्भव रूप**
दंत	दाँत	संध्या	साँझ
पूर्व	पूरब	पृष्ठ	पीठ
विद्युत	बिजली	चूर्ण	चूना
मयूर	मोर	ग्राम	गाँव
चतुर्दश	चौदह	त्वयं	तुम

iii) **देशज शब्द :** देशज (देश से निकला हुआ/पैदा हुआ) शब्द वे हैं जिनके स्रोत के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः ये शब्द जन-सामान्य के प्रयोग से अस्तित्व में आए। ऐसे कुछ शब्द हैं–

पेड़ छोटा बुरा झूठ गली लड़का पैसा चूहा झगड़ा
फूल पतीला जाना कुत्ता बाल मुड़ना बिल्ली

iv) **अन्य स्रोतों से आए शब्द :** हिंदी में हज़ारों शब्द अन्य भाषाओं से आए हैं। इन्हें हम तीन वर्गों में बाँट सकते हैं–

अ) **भारतीय भाषाओं से आए शब्द**

द्रविड़ भाषाओं से : अगरु, चंदन, मुख, कठिन, मीन, पनस (कटहल) आदि
मुंडा भाषाओं से : तांबूल, शृंगार, आकुल आदि
अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं से : उपन्यास, गल्प, धन्यवाद (बांगला), वाङ्मय, लागू, प्रगति (मराठी), हड़ताल (गुजराती), छोले (पंजाबी)

आ) **अरबी-फ़ारसी आदि के शब्द :** ये शब्द उस समय से भारतीय भाषाओं में व्यवहृत होते रहे हैं, जब इस्लाम धर्मी शासकों ने (विशेषकर तुर्की बोलने वाले मुगल शासकों ने) धर्म के लिए अरबी भाषा का और शासन के लिए फ़ारसी भाषा का प्रयोग शुरू किया। जन साधारण के लिए इन भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से उर्दू भाषा का विकास शुरू हुआ। इस कारण अब इन शब्दों को उर्दू शब्द भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में इन शब्दों का व्यवहार सहजता से किया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए–

अरबी के शब्द : इंतज़ाम रहम असर शुरू वकील इन्कलाब किताब
मुल्क अदब हुक्म जिस्म अक्ल मशहूर मालूम

फ़ारसी के शब्द : इनमें कुछ शब्द भारोपीय परिवार के शब्द हैं। इस बात को समझने के लिए कहीं-कहीं कोष्ठकों में समान संस्कृत शब्द दिए गये हैं।

चश्मा रास्ता बर्फ़ (वप्र) सफ़ेद (श्वेत) सितारा (तारक) बच्चा
आदमी औरत लाल (लालिमा) कालीन ख़रीदना (क्रय) ख़ुदा (स्वधा)
खुद (स्वतः) फ़सल पाजामा (पाद "पैर")

तुर्की के शब्द : मुगल बादशाह तुर्क थे, अतः मुगलों के समय में उर्दू में, बाद में हिंदी में तुर्की से सैकड़ों शब्द गृहीत हुए, जैसे–

बहादुर, चाकू, कैंची, तोप, दारोग़ा, चेचक, बीबी, खच्चर, गनीमत, बावर्ची, काबू, तमगा, चोगा, कुर्क आदि।

इ) **विदेशी शब्द :** पूर्व आधुनिक युग में भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ इन चार देशों के जत्थों ने कहीं-कहीं अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाद में डच भारत से हट गए, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों ने कुछ सीमित क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित किये और अंग्रेज़ पूरे देश पर हुकूमत करने लगे। इन लोगों के साथ संपर्क के कारण भारतीय भाषाओं में इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ। हिंदी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेज़ी से अधिक शब्द आए। कुछ उदाहरण देखिए–

पुर्तगाली शब्द : अलमारी , इस्त्री, इस्पात, नीलाम, तंबाकू, गोदाम

फ्रांसीसी शब्द : रेस्तराँ, मदाम, पिकनिक, मेनू, कार्तूस, कूपन

अंग्रेज़ी के शब्द : रेल, साइकिल, रोड, रेडियो, फ़ाइल, बैंड, कोर्ट, पोस्ट कार्ड, ब्रांडी, निब, टेलीफ़ोन, ज़िप, ट्यूब लाइट, स्विच, पैंट, स्वेटर, मीटिंग, मोटर, मार्केट, प्रेस, बैट, अपील, फ़ोटो, पाउडर आदि।

शब्द संबंधी समानता : हिंदी में जिन स्रोतों से शब्द आए हैं, उन स्रोतों से सारी भारतीय भाषाओं में भी शब्द आए हैं। अर्थात् सभी भाषाओं में तत्सम और तद्भव शब्द हैं, सभी भाषाओं ने अरबी-फ़ारसी शब्दों और अंग्रेज़ी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया। इस दृष्टि से वकील, साइकिल, नाश्ता, शब्द, पट्टा, देव, गियर, रुपया, पैसा, वारिस, जाति आदि अखिलभारतीय शब्द हैं, लगभग सभी भाषाओं में हैं। यों कह सकते हैं कि किन्हीं दो भारतीय भाषाओं में विभिन्न स्रोतों से आए हज़ारों शब्द समान हैं। इस कारण इन दोनों भाषाओं के बोलने वाले एक-दूसरे को उन शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। यह समानता मात्रा और स्तर की दृष्टि से भिन्न प्रकार की हो सकती है जैसे मलयालम भाषा में उर्दू के शब्द कम हैं, संस्कृत के ज्यादा। मराठी और कन्नड़ में कई देशज शब्द समान हैं, कई तद्भव शब्द एक जैसे हैं। पंजाबी में तमिल या कन्नड़ की अपेक्षा अधिक उर्दू के शब्द हैं। इस स्तर भेद को छोड़ कर देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामने एक अखिलभारतीय शब्दावली है, जो कम-ज्यादा सभी भारतीय भाषाओं में व्यवहृत होती है।

शब्दावली से संबंधित एक पहलू है जो महत्त्वपूर्ण है। इन भाषाओं ने तत्सम, तद्भव और फ़ारसी शब्दों के साथ उनकी रूप रचना* भी ग्रहण की है। इस रूप रचना की समानता के कारण इन भाषाओं की बोधगम्यता और बढ़ जाती है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम अंग्रेज़ी का एक उदाहरण लें। अंग्रेज़ी में /टेली—/ का अर्थ है 'दूर'। टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, टेलीप्रिंटर आदि शब्दों में इस अर्थ को देख सकते हैं। लेकिन /टेली-/ से हम कोई भारतीय शब्द नहीं बना सकते। लेकिन संस्कृत शब्दों में ई (अधिकारी), स्थ (पदस्थ), अ (अकारण) कार (लेखाकार), ता (आधुनिकता) आदि प्रत्यय या उपसर्ग हिंदी के अपने हो गये हैं। इसी तरह उर्दू के ना (नापसंद), दार (ज़िम्मेदार), बे (बेसुरा), परस्त (मौकापरस्त) आदि प्रत्यय शब्द रचना के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इस बात को कुछ भाषाओं से लिए गये कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं जहाँ इन प्रत्ययों को उन भाषाओं के शब्दों से जोड़कर शब्द रचना की जाती है। जैसे—

हिंदी बे + सुर - बेसुरा, ना + समझ - नासमझ, चूड़ी + दार - चूड़ीदार

गुजराती बे+ भान - बेभान (बेहोश) धार + दार - धारदार (पैना)

इस विशेषता के कारण भारतीय भाषाओं की शब्दावली की बोधगम्यता और बढ़ जाती है। शब्द की रचना उसके अर्थ का संकेत करती है।

शब्दावली से संबंधित समानता का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है। आधुनिक युग में सभी भाषाओं को नए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जो विविध विषयों के नये विचारों या नयी संकल्पनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। विज्ञान के विकास के कारण नयी चीज़ों का आविष्कार होता है और उन्हें सूचित करने के लिए नये शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए अधिकतर भारतीय भाषाएँ या तो संस्कृत का सहारा लेती हैं और नये पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करती हैं या अंग्रेज़ी से पारिभाषिक शब्द ग्रहण करती हैं। हिंदी में संस्कृत की सहायता से बनाए गए नये शब्द ये हैं:

दूर मुद्रक (teleprinter)	परिप्रेक्ष्य (perspective)
तुलनपत्र (balance sheet)	सचिव (secretary)
पदोन्नति (promotion)	कीटनाशक (pesticide)
परिवीक्षा (probation)	संक्रांति (transion) आदि।

इसी तरह अंग्रेज़ी से (तथा अन्य विदेशी भाषाओं से भी) प्राप्त नए पारिभाषिक शब्द इस प्रकार हैं:

स्पुतनिक	स्टॉक एक्सचेंज	फ्लापी
एन्ज़ाइम	फ़ोटो रील	डायोड
कैप्सूल	वाशिंग मशीन	वीडियो आदि

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शब्दों के आदान-प्रदान के कारण भाषाओं में शब्द स्तर पर समानता बढ़ती है। इससे दो भाषाओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा बढ़ती है। मान लें कि कोई व्यक्ति मराठी के माध्यम से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। अगर उसे हिंदी की सामग्री का अध्ययन करना हो या हिंदी भाषा के माध्यम से आगे अध्ययन करना हो तो निश्चित रूप से समान पारिभाषिक शब्दों के कारण सुविधा होगी। यही कारण है कि भारतीय भाषाओं के लिए अखिलभारतीय पारिभाषिक शब्दों के निर्माण पर बल दिया जाता रहा है। अगर भारतीय भाषाओं में समान पारिभाषिक शब्द हों तो इन भाषाओं का विकास तेज़ होगा, ये भाषाएँ एक-दूसरे के अधिक निकट आएँगी और भाषा सीखने वालों को आसानी होगी। इस दिशा में कार्य करने की सजगता पैदा हुई है, यह अपने में महत्त्वपूर्ण बात है।

बोध प्रश्न 2

3) शब्द के चार स्रोत हैं—

   i)   ii)   iii)   iv)

4) निम्नलिखित शब्द युग्मों में तद्भव शब्दों को पहचानकर अलग से लिखिए।

   बिजली, विद्युत   युक्ति, जुगत

   लोग, लोक   सच, सत्य

5) निम्नलिखित शब्द युग्मों में से उर्दू शब्द छाँटकर लिखिए।

   कोशिश, प्रयत्न   कठिनाई, मुश्किलें

   स्त्री, औरत   ज़रूरत, आवश्यकता

6) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) विदेशी भाषाओं से शब्द तो आ सकते हैं, लेकिन शब्द रचना नहीं आ सकती।

   ii) ज्ञान-विज्ञान की नयी संकल्पनाओं को प्रकट करने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं।

   iii) हिंदी में तुर्की, पुर्तगाली जैसी भाषाओं के शब्द नहीं हैं।

   iv) फ़ारसी के कई शब्द संस्कृत के तद्भव रूप लगते हैं।

   v) आजकल हम अंग्रेज़ी भाषा से कोई शब्द नहीं लेते।

5.6 वाक्य संरचना के स्तर पर समानता

इस भाग में हम भारतीय भाषाओं में विद्यमान समान तत्वों का अवलोकन करेंगे। वाक्य विन्यास किसी भाषा का सबसे जटिल अंग है। इसलिए कई भाषाओं के संदर्भ में वाक्य विन्यास का विस्तृत विश्लेषण हमारे लिए यहाँ संभव नहीं है। भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता को उद्घाटित करने के उद्देश्य से हम यहाँ सात-आठ प्रमुख समान तत्वों की चर्चा करेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य कई विशेषताएँ आपके ध्यान में आ सकती हैं। उन पर आगे कार्य करना चाहें, तो आप स्वयं प्रयत्न करें।

1) वाक्य में पदक्रम की समानता : भाषा वैज्ञानिकों ने संसार की विविध भाषाओं का अध्ययन करके पता लगाया है कि अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग पदक्रम मिलते हैं। जैसे हिंदी में कर्ता-कर्म-क्रिया का क्रम है। अंग्रेज़ी भाषा का पदक्रम कर्ता-क्रिया-कर्म का है। आगे के वाक्यों की तुलना कीजिए—

I	ate	a mango
मैंने	खाया	आम

यह रोचक बात है कि अधिकतर भारोपीय परिवार भाषाओं में कर्ता-क्रिया-कर्म का ही पदक्रम दिखाई पड़ता है, जबकि भारोपीय की भारत-ईरानी शाखा के दरद उपवर्ग की भाषा कश्मीरी में भी कर्ता-क्रिया-कर्म का ही पदक्रम है। कश्मीरी की तुलना में सारी भारतीय आर्य भाषाओं, द्रविड़ भाषाओं तथा मुंडा भाषाओं में कर्ता-कर्म-क्रिया का पदक्रम मिलता है।

2) पदक्रम से जुड़ी एक दूसरी विशेषता पदबंध* के भीतर शब्दों के क्रम की है। हिंदी में 'अच्छा लड़का', 'बड़ा मकान' आदि कहते हैं और यही क्रम हमें सहज भी लगता है। लेकिन क्या यही क्रम उचित है? क्या ऐसी भाषाएँ नहीं हैं जिनमें विशेषण हमेशा संज्ञा के बाद आता हो? हैं। उन भाषाओं के बोलने वालों के लिए 'बड़ा आदमी' कहना विचित्र लगेगा, उन्हें 'आदमी बड़ा' अधिक सहज लगेगा। यहाँ हम पदबंध क्रम के तीन प्रकार की चर्चा करेंगे।

i) परसर्ग (postposition) क्रम : हिंदी में हम संज्ञा शब्दों के बाद कारक चिह्नों या विभक्ति प्रत्ययों को स्थान देते हैं। इसीलिए इन प्रत्ययों को परसर्ग (बाद के रूप) कहते हैं। उदाहरण के लिए—

घर **में**	मकान **को**	घर **की तरफ**
home-in	house-to	home-towards

यह भी रोचक तथ्य है कि भारोपीय परिवार की सारी यूरोपीय भाषाओं तथा फ़ारसी में पूर्वसर्गों (prepositions) का प्रयोग मिलता है। उदाहरणार्थ—

in the house　　**at** Madras　　**on** the table

फ़ारसी भाषा भी पूर्वसर्ग की भाषा है। जैसे **दर** असल (असल में), शान **ए** अवध (अवध की), बाला **ए**, सिवा **ए** आप (आप के सिवा) (अब यह सिवाय/सिवा बन गया है और बाद में /के/ आता है जैसे 'सिवा आप के'), ताज़िंदगी (जीवन पर्यंत, जिंदगी-तक) आदि। लगता है कि पूर्वसर्ग आर्य भाषाओं का सामान्य विकास था, सिर्फ़ भारत की भाषाओं में परसर्ग का विकास हुआ।

भारतीय आर्य भाषाएँ, द्रविड़ भाषाएँ, तथा तिब्बत-बर्मी वर्ग की भारतीय भाषाएँ (मणिपुरी आदि) सभी में परसर्ग का प्रयोग होता है। हम यह कह सकते हैं कि सारी भारतीय भाषाएँ परसर्ग भाषाएँ हैं।

ii) सारी भारतीय भाषाओं में विशेषण + संज्ञा का क्रम मिलता है। अधिकतर भारोपीय भाषाओं में भी यही व्यवस्था है।

iii) क्रिया रचना का शब्द क्रम : क्रिया रचना के भीतर भी शब्दों के क्रम का महत्त्व है। हिंदी भाषा में मुख्य क्रिया शब्द पहले आता है और सहायक क्रियाएँ बाद में। अंग्रेज़ी में मुख्य क्रिया शब्द क्रिया पदबंध के अंत में आता है, सहायक क्रिया के शब्द पहले। उदाहरण देखिए—

किया जा रहा है	(मुख्य क्रिया 'कर')
Has been **done**	(मुख्य क्रिया do)

सारी भारतीय आर्य भाषाओं और द्रविड़ भाषाओं में क्रिया रचना का यह रूप समान है। इनमें मुख्य क्रिया पहले आती है, सहायक क्रियाएँ बाद में। भारोपीय परिवार की अन्य भाषाओं में (यहाँ तक फ़ारसी और कश्मीरी में भी) सहायक क्रिया के शब्द पहले आते हैं।

3) संस्कृत भाषा के संदर्भ में हमने देखा कि उसमें तीन वचन थे—एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आधुनिक आर्य भाषाओं में द्विवचन नहीं है। इसी तरह सारी भारतीय भाषाओं में दो ही वचन हैं।

जहाँ तक लिंग का सवाल है, इसमें भारतीय भाषाओं में विविधता है। द्रविड़ भाषाओं की लिंग व्यवस्था तार्किक है। अर्थात् द्रविड़ भाषाओं में केवल मानवों को पुल्लिग और स्त्रीलिग में बाँटा जाता है और शेष समस्त शब्द (प्राणिवाचक, वस्तुवाचक और भाववाचक) नपुंसक लिंग माने जाते हैं। आर्य-भाषाओं की लिंग व्यवस्था व्याकरणिक है। अर्थात् शब्द का लिखित रूप उसके लिंग को सूचित करता है। हिंदी, पंजाबी आदि में दो लिंग हैं। सारे शब्द किसी न किसी लिंग में आते हैं। गुजराती और मराठी भाषाओं में तीन लिंग हैं। तीनों व्यवस्थाओं को निम्न आरेख से समझ सकते हैं :

द्रविड़ भाषाएँ
संज्ञाएँ

- मनुष्यवाचक
  - पुरुष
    - पुल्लिग
  - स्त्री
    - स्त्रीलिंग
- अन्य सभी शब्द

हिंदी और पंजाबी
संज्ञाएँ

पुल्लिग	स्त्रीलिंग
मनुष्यवाचक (पुरुष)	मनुष्यवाचक (स्त्री)
प्राणिवाचक	प्राणिवाचक
वस्तुवाचक	वस्तुवाचक
भाववाचक	भाववाचक

गुजराती और मराठी में एक और लिग (नपुंसक लिग) है, जिसमें प्राणिवाचक, वस्तुवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द आते हैं। शब्द के रूप के आधार पर लिगों के विवरण की मूल व्यवस्था हिंदी जैसी ही है।

बांगला, असमिया आदि में लिग के कारण विशेषण या क्रिया में परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि उन भाषाओं में लिग नहीं है।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लिग भारतीय भाषाओं में असमानता का क्षेत्र है और सीखने-सिखाने में कठिनाइयाँ भी पैदा करता है।

4) क्या आपने कभी विचार किया कि अंग्रेज़ी में I have fever कहते हैं, जबकि हिंदी में 'मुझे बुखार है'। ऐसा क्यों? और कौन-से वाक्य हैं जिनमें ऐसी विशेषता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए—

a) I have fever मुझे बुखार है।
   I do not have peace मुझे शांति नहीं है।

b) I have to go मुझे जाना है।
   I have work मुझे काम है।

c) I need a book मुझे किताब चाहिए।
   I like this book मुझे यह किताब पसंद है।
   I feel cold मुझे ठंड लग रही है।

d) I am hungry मुझे भूख लगी है।
   I am surprised मुझे ताज्जुब है।
   I am in a hurry मुझे जल्दी है।

e) I Know मुझे मालूम है।

f) I remember मुझे याद है।

अपने देखा कि कई अलग-अलग वाक्य संरचनाओं में जहाँ अंग्रेज़ी भाषा में कर्ता कारक (मैं) का प्रयोग होता है, हिंदी में संप्रदान कारक 'मुझे' का प्रयोग होता है। अंग्रेज़ी की यही रचना यूरोप की अन्य सारी भाषाओं की सामान्य विशेषता है, हिंदी की रचना समस्त भारतीय भाषाओं की। एकाध वाक्यों में किन्हीं भाषाओं में कुछ अंतर हो सकता है या किन्हीं वाक्यों में ''मैं'' वाले वैकल्पिक वाक्य मिल सकते हैं। (जैसे मैं बुखार में हूँ या मैं भूखा हूँ आदि)। सामान्य प्रवृत्ति यूरोपीय भाषाओं में I की तथा भारतीय भाषाओं में 'मुझे' की है।

5) भारतीय भाषाओं की एक विशेषता रंजक क्रिया* की है। 'कर' मूल क्रिया है, कर लेना, कर देना, कर डालना, कर, गुजरना, कर रखना आदि रंजक क्रियाएँ हैं। उल्लेखनीय है कि संस्कृत में भी रंजक क्रिया नहीं थी। यूरोपीय भारोपीय भाषाओं में भी रंजक क्रिया का प्रयोग नहीं मिलता। यह विशेषता सिर्फ़ भारतीय भाषाओं की है और समस्त भारतीय भाषाओं में दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रंजक क्रियाएँ मूलतः द्रविड़ भाषाओं की व्यवस्था थी और वहाँ से आधुनिक आर्य भाषाओं में आयी। स्रोत चाहे जो भी हो, रंजक क्रियाएँ अब सभी भारतीय भाषाओं में हैं।

6) जहाँ तक वाक्य संरचनाओं का संबंध है, पूर्वकालिक कृदंत 'कर' का प्रयोग भारतीय भाषाओं की विशेषता है। भारोपीय परिवार की अन्य भाषाओं में 'कर' की रचना नहीं मिलती। तुलना कीजिए—

मैं उठकर बाहर आया –	I got up **and** came out.
तुम जाकर पता लगाओ –	You go **and** find out.

7) प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना द्रविड़ और आर्य दोनों भाषाओं में लगभग समान है। अंग्रेज़ी भाषा में प्रेरणार्थक क्रियाएँ अलग होती हैं, मूल क्रिया से रूप परिवर्तन से व्युत्पन्न नहीं होती। कुछ उदाहरण देखिए–

	हिंदी	तेलुगु	अंग्रेज़ी
i)	करना	चेयु	to do
	कराना	चेयिंचु	to make (some one) do (to get done)
ii)	कटना	नरुक बडु	to be cut
	काटना	नरुकु	to cut
	कटवाना	नरुकिंचु	to have (it) cut
iii)	लिखना	रायु	to write
	लिखाना		to dictate
	लिखवाना	रायिंचु	to make some one write
iv)	जागना	(निद्र) ले	to get up
	जगाना	(निद्र) लेपु	to wake up (some one).

8) भारतीय भाषाओं में वाक्य संरचना संबंधी कुछ असमान तत्व भी हैं। हिंदी में वाच्य का सामान्य प्रयोग है (फ़सल काटी जाती है, मुझसे उठा नहीं जाता); हिंदी तथा आर्य भाषाओं में योजक जो, जहाँ, जैसे, जितने आदि से वाक्य बनाने की सहज प्रवृत्ति है; हिंदी में "कि" से उपवाक्य जोड़े जाते हैं। मैंने देखा कि वे लोग आ रहे हैं,–उसने कहा कि पिता जी घर पर नहीं हैं,–हमने पूछा कि गाड़ी कितने बजे आएगी। आप जानते हैं कि ये तीनों ही संरचनाएँ अंग्रेज़ी में भी हैं और सहज रूप में व्यवहृत होती हैं। अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में ये संरचनाएँ सामान्य प्रयोग में आती हैं।

द्रविड़ भाषाओं में इन तीनों संरचनाओं का अभाव है या इनका प्रयोग इतना सहज नहीं है। तीसरी संरचना ('कि' उपवाक्य की) द्रविड़ भाषाओं में नहीं है। उन भाषाओं में उपवाक्य को इत्यर्थक शब्द (quotative) से मूल वाक्य से जोड़ा जाता है। इस कारण वाक्य क्रम में भी परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए

यावाग	रजा	एन्दु	अवनु	केळिदनु	(कन्नड़)	
कब	छुट्टी	यों	उसने	पूछा		
मा	इन्टिकि	रा	अनि	वाडु	चेप्पाडु	(तेलुगु)
मेरे	घर	आओ	यों	उसने	कहा	

जहाँ तक 'जो' आदि से बने मिश्र वाक्यों का सवाल है, द्रविड़ भाषाओं में उपवाक्य के स्थान पर कृदंत विशेषण का प्रयोग अधिक सहज है।

जो लड़का कल आया था वह..........
नेट्र वन्द पैय.......... (तमिल)
कल आया लड़का

जब तुम आए थे, तब..........
नी वच्चिनप्पुडु (तेलुगु)
तुम आये-तब..........

लेकिन आधुनिक द्रविड़ भाषाओं में 'जो.......... वह', 'जब.......... तब' आदि योजकों का प्रयोग होने लगा है। जैसे यावन.......... अवन। (जो.......... वह–मलयालम), एन्गे.......... अंगे (जहाँ.......... वहाँ–तमिल), यावु तरा.......... आ तरा (जिस तरह.......... उस तरह–कन्नड़), एप्पुडु.......... अप्पुडु (जब.......... तब–तेलुगु)। यों कह सकते हैं कि आधुनिक आर्य भाषाओं के संपर्क के कारण (और साथ में अंग्रेज़ी के भी प्रभाव के कारण) द्रविड़ भाषाओं में असमानता कम हो रही है और ये भाषाएँ संरचना के क्षेत्र में समानता की ओर बढ़ रही हैं।

द्रविड़ भाषाओं में इसी तरह आदान-प्रदान और प्रभाव के कारण वाच्य का प्रयोग अधिक प्रचलित और सहज होता जा रहा है।

बोध प्रश्न 3

7) सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।

   i) वाक्य विन्यास की समानता में .... की समानता भी महत्त्वपूर्ण तत्व है। (समान शब्दों/पदक्रम)

   ii) अंग्रेज़ी भारोपीय भाषा होते हुए भी .... के प्रयोग में भारतीय भाषाओं से भिन्न है। (परसर्गों/कर्ता शब्द)

   iii) द्रविड़ भाषाओं और हिंदी में .... की व्यवस्था में मूलभूत अंतर है। (पदक्रम/लिंग)

   iv) .... और .... की रचना भारतीय भाषाओं को अंग्रेज़ी से अलग करती है। (वाच्य/रंजक क्रिया), (वाक्य/कर)

   v) रंजक क्रिया .... की आर्य भाषाओं को योगदान है। (अंग्रेज़ी/द्रविड़ भाषाओं)

   vi) आज भारतीय भाषाओं में .... नहीं है। (द्विवचन/बहुवचन)

8) निम्नलिखित कौन-से कथन भारतीय भाषाओं के संदर्भ में सत्य हैं?

   क) सारी भारतीय भाषाओं में मूर्धन्य व्यंजन (ट, ड आदि) व्यंजन हैं।

   ख) भारतीय लिपियाँ दायें से बायें लिखी जाती हैं।

   ग) संस्कृत ने द्रविड़ और आस्ट्रिक परिवार की भाषाओं से कई शब्द लिये हैं।

   घ) सारी भारतीय भाषाएँ संस्कृत से निकलती हैं।

   च) द्रविड़ भाषाओं का लिंग विधान हिंदी की तरह व्याकरणिक है।

   छ) कर्ता + कर्म + क्रिया आर्य भाषाओं की ही नहीं, भारतीय भाषाओं की भी विशेषता है।

   ज) अंतर के बावजूद आज भी भारतीय भाषाएँ निकट आती जा रही हैं।

   झ) भारत की भाषाओं में समानता अंग्रेज़ी के कारण है।

5.7 भारत की भाषाओं में मूलभूत एकता का स्वर

अब तक की चर्चा के संदर्भ में हम पुनः अवलोकन करना चाहेंगे कि भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता का स्वरूप क्या है।

1) भारत में चार भाषा परिवार हैं—भारतीय आर्य भाषाएँ, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ, आस्ट्रिक परिवार की मुंडा आदि भाषाएँ, तिब्बत-चीनी परिवार की तिब्बत-बर्मी उपवर्ग की मणिपुरी आदि भाषाएँ। चूँकि भिन्न परिवारों की संकल्पना प्रमुखतः भिन्न संरचना के आधार पर निर्मित है, यह सोचना अधिक संगत है कि इन भाषाओं में बहुत असमानताएँ होंगी।

लेकिन रोचक तथ्य यह है कि भारतीय आर्य भाषाओं और भारोपीय परिवार की अन्य भाषाओं (अंग्रेज़ी आदि) में अधिक भिन्नता है, भारत की भाषाओं में कई समानताएँ हैं। शायद यही कारण है कि प्रारंभ में द्रविड़ भाषाओं को विद्वान आर्य भाषाएँ मानते थे और उनका स्रोत या मूल संस्कृत मानी जाती थी।

2) भारतीय भाषाओं की समानताएँ भाषा के सभी स्तरों पर देखी जा सकती हैं—लिपि, उच्चारण, शब्दावली, वाक्य संरचना आदि। हर विशेषता दूसरी विशेषता को सुदृढ़ करती है। अर्थात् लिपि साम्य के कारण उच्चारण साम्य सुदृढ़ होता है। इन समानताओं के कारण भाषाओं में बोधगम्यता बढ़ती है, बोधगम्यता के कारण आदान-प्रदान बढ़ता है। इससे ये भाषाएँ एक-दूसरे के अधिक निकट आती जाती हैं।

3) भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता का कारण सांस्कृतिक एकता है। शिक्षा, धर्म, साहित्य, संस्कार आदि की एकता के कारण भाषाई एकता को बल मिलता है। तमिल

द्रविड़ भाषा परिवार की ज्ञात सबसे पुरानी भाषा है। लेकिन उसकी व्याकरणिक परंपरा आदिकाल से भारतीय परंपरा रही है। धर्म, साहित्य आदि की एकता के कारण सारी भाषाओं में अखिलभारतीय शब्दावली की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। भारत आदिकाल से ही किसी केंद्रीय भाषा के माध्यम से जुड़ा रहा है। आधुनिक युग में भी इसी तरह भाषा के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

आधुनिक युग तक पूरे भारत में संस्कृत भाषा का प्रचलन रहा। देश के कोने-कोने में संस्कृत माध्यम से विद्वानों ने काव्य रचना की। जगह-जगह संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था रही है। इसी तरह प्राकृत और अपभ्रंश में भी सारे भारत के लेखकों ने योगदान किया। मध्यकाल में ब्रज भाषा के माध्यम से देश के सुदूर क्षेत्रों के विद्वानों ने साहित्य सृजन किया। केरल में स्वाति तिरुनाल ने ब्रज भाषा में पद लिखे, बंगाल में ब्रजबुलि के माध्यम से भक्ति साहित्य की रचना की गई। आधुनिक युग में हिंदी भाषा देश की संपर्क भाषा का रूप ले चुकी है। इस तरह सांस्कृतिक एकता ने भाषाई एकता को जन्म दिया।

4) आधुनिक युग में सारी भाषाओं के सामने आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए भाषा के उपयोग के लिए उनके विकास की अनिवार्यता है। सभी भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों की आवश्यकता है। साथ ही प्रसार और संचार साधनों के कारण लोग अधिक संख्या में दूसरे स्थानों में जाते हैं, एक-दूसरे के जीवन और भाषा-साहित्य से परिचित होते हैं और एक दूसरे की सहायता से अपनी भाषा और अपने साहित्य का विकास करते हैं। इन परिस्थितियों के कारण भारतीय भाषाओं में बड़ी मात्रा में आदान-प्रदान होता है और इस कारण एकता का स्वर दृढ़ होता जाता है।

5.8 सारांश

संस्कृत, अंग्रेज़ी, फारसी आदि भारोपीय परिवार की भाषाएँ हैं। संस्कृत से निकली हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांगला, असमिया, ओड़िया आदि भाषाएँ इसी परिवार की हैं। इन्हें हम भारतीय आर्य भाषाएँ कहते हैं।

एक परिवार की भाषाएँ होने के बावजूद आर्य भाषाओं और भारोपीय परिवार की अन्य भाषाओं में इतना साम्य नहीं है, जितना भारत की आर्य और द्रविड़ भाषाओं में है।

इस साम्य का आधार इन भाषाओं के बीच परस्पर आदान-प्रदान है। सांस्कृतिक एकता के कारण यह आदान-प्रदान व्यापक रूप से हुआ। इस आदान-प्रदान के कारण कई भाषिक समानताएँ मिलती हैं।

ये भाषिक समानताएँ उच्चारण, लिपि, शब्दावली और वाक्य संरचना इन चारों स्तरों पर मिलती हैं।

आधुनिक युग में विकास आदि प्रक्रियाओं के कारण भाषाओं में समानता बढ़ती जा रही है।

इन्हीं समान तत्वों के कारण भाषाविद् एमेन्यू भारत को एक भाषा क्षेत्र की संज्ञा देते हैं।

5.9 अभ्यास

आप अगर हिंदी भाषी नहीं हैं तो अपनी भाषा और हिंदी में ध्वनियाँ, लिपि, शब्दावली और वाक्य संरचना के स्तर पर विद्यमान समान तत्वों का संग्रह कीजिए।

यह देखिए कि किन वर्णों का उच्चारण भिन्न है।
यह देखिए कि किन शब्दों के अर्थ में अंतर है।

अगर आप हिंदी भाषी हैं, तो i) शब्द कोश में से भिन्न स्रोतों के लगभग 250 शब्दों की सूची बनाइए और ii) 100 नये पारिभाषिक शब्दों की अंग्रेज़ी पर्याय के साथ सूची बनाइए।

5.10 शब्दावली

लिपि : भाषा जिस वर्णमाला में लिखी जाती है।

वर्ण : /अ, आ/ आदि भाषा के वर्ण हैं। इन्हें कुछ विद्वान अक्षर भी कहते हैं। हम इसे लिपि चिह्न भी कहेंगे।

वर्णमाला : /अ/ से लेकर /ह/ तक के वर्णों का क्रम। अंग्रेज़ी एल्फ़ाबेट।

ध्वनि : वर्णों का उस भाषा में उच्चारण।

संघर्षी ध्वनियाँ : /स श ह/ आदि संघर्षी ध्वनियाँ हैं। इन्हें व्याकरण में ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं।

संध्यक्षर : भैया, कौवा में /ऐ/ तथा /औ/ का उच्चारण संध्यक्षर है, क्योंकि इनमें क्रमशः /अइ/, /अउ/ जैसे दो स्वरों का उच्चारण सुनाई देता है।

अक्षर : व्यंजनों और स्वर का मिला उच्चारण अक्षर है। जैसे का, काल, आस आदि।

आक्षरिक लिपि : जिस लिपि में व्यंजन और स्वर का एक वर्ण (या लिपि चिह्न) हो जैसे /क्/ आक्षरिक वर्ण है।

समस्त शब्द : दो शब्दों के योग (समास) से बने शब्द।

रूप रचना : उपसर्ग/प्रत्यय आदि से शब्द बनाने की व्यवस्था। इसे शब्द रचना भी कहते हैं।

पदबंध : कर्ता, कर्म, क्रिया आदि पदबंध हैं। पदबंध में शब्द ही नहीं हैं, शब्दों का विस्तार मिलता है। जैसे मेरा छोटा भाई, उस कमरे में करता रहता है आदि।

रंजक क्रिया : वह संयुक्त क्रिया, जिसमें पहली क्रिया मूल क्रिया हो, अर्थपूर्ण हो और दूसरी क्रिया मात्र कोई आर्थिक विशेषता (रंजकता) स्पष्ट करे। हिंदी की रंजक क्रियाएँ हैं—कर लेना, कर देना, गिर जाना, गिर पड़ना, तोड़ डालना, चीख उठना, कर बैठना, कह रखना आदि।

5.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

आर्य और द्रविड़ भाषा परिवारों का संबंध; राम विलास शर्मा; हिंदुस्तानी एकेडेमी; इलाहाबाद; 1979

5.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) एक स्रोत से निकलना ii) वर्णक्रम iii) भाषा क्षेत्र
   iv) भिन्न स्रोतों की लिपियाँ

2) i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ iv) नहीं

बोध प्रश्न 2

3) i) तत्सम ii) तद्भव iii) देशी iv) विदेशी

4) बिजली, जुगत, लोग, सच

5) कोशिश, मुश्किलें, औरत, ज़रूरत

6) i) हाँ ii) हाँ iii) नहीं iv) हाँ v) नहीं

बोध प्रश्न 3

7) i) पदक्रम ii) परसर्गों iii) लिंग iv) रंजक क्रिया, 'कर'
   v) द्रविड़ भाषाओं vi) द्विवचन

8) क, ग, छ, ज

NOTES

NOTES

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

UGHI-06 / CSSHI-06

हिन्दी भाषा : इतिहास और वर्तमान

खंड

2

हिंदी भाषा का इतिहास

इकाई 6

संस्कृत भाषा 5

इकाई 7

पालि, प्राकृत और अपभ्रंश 14

इकाई 8

हिंदी भाषा का विकास 24

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

प्रो. भ.ह. राजूरकर
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
औरंगाबाद

प्रो. राम सिंह तोमर
28, पूर्वपल्ली
विश्वभारती विश्वविद्यालय
शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल)

प्रो. भीमसेन निर्मल
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

प्रो. संसार चन्द्र
अवकाशप्राप्त आचार्य एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग)
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू

प्रो. अंबाशंकर नागर
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

प्रो. रमानाथ सहाय
आगरा

डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा
हिन्दी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़

प्रो. बख्शीश सिंह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन (संयोजक)
निदेशक, मानविकी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

पाठ लेखक

डॉ. माणिक लाल गो. चतुर्वेदी
केंद्रीय हिंदी संस्थान
नई दिल्ली

डॉ. रवि प्रकाश
केंद्रीय हिंदी संस्थान
नई दिल्ली

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन
मानविकी विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

संपादक
प्रो. वी.रा. जगन्नाथन
मानविकी विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मुद्रण प्रस्तुति

सुश्री पुष्पा गुप्ता
कापी एडिटर
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मई 1997 (पुनः मुद्रित)

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,

ISBN-81-7091-8?1-2

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक मानविकी विद्यापीठ, प्रो. आशा एस कंवर द्वारा पुनः मुद्रित।

खंड 2 हिंदी भाषा का इतिहास

खंड परिचय

इस पाठ्यक्रम के पहले खंड में आपने पढ़ा कि भारतीय आर्य भाषाएं भारोपीय परिवार की भारत-ईरानी शाखा की भाषाएँ हैं अर्थात् ये भाषाएँ एक मूल भाषा से विकसित हुई हैं। भारतीय आर्य भाषाएँ संस्कृत भाषा से विकसित हुई हैं। इसलिए इन सब भाषाओं में संरचना की दृष्टि से कई समान तत्व हैं। ये भाषाएं भिन्न हैं, अतः इनमें संरचनागत अंतर भी देख सकते हैं। इस खंड में आप पढ़ेंगे कि एक संस्कृत भाषा कई आधुनिक भाषाओं में कैसे विकसित हुई और उनमें संरचना के अंतर किस प्रकार विकसित हुए।

संस्कृत भाषा से आधुनिक भाषाओं तक का यह विकास क्रम अटूट रहा। इस विकास क्रम की कुल अवधि लगभग 3500 वर्ष की है। सबसे पहले सोपान में अर्थात् ई.पू. 1500 से ई.पू. 500 तक के हज़ार वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र में संस्कृत बोली जाती थी। बाद के लगभग 1500 वर्षों में (ई. 1000 तक) पालि, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का युग था। ईसवी 1000 से आज तक विभिन्न अपभ्रंशों से विभिन्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। हम इस विकास क्रम के संदर्भ में विभिन्न भाषाओं के क्षेत्र, स्वरूप और साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे।

हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हज़ार साल पुराना है। इस दौरान भाषा में अलग-अलग समय में अलग बोलियों में साहित्य रचना होती रही। हम हिंदी क्षेत्र की बोलियों और हिंदी साहित्य के विकास का भी अध्ययन करेंगे।

खंड के अंत में हम आधुनिक हिंदी भाषा का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके क्षेत्र, स्वरूप, प्रसार और भूमिकाओं की चर्चा करेंगे।

इकाई 6 संस्कृत भाषा

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य
6.1 प्रस्तावना
6.2 संस्कृत साहित्य
  6.2.1 वैदिक साहित्य
  6.2.2 लौकिक साहित्य
6.3 संस्कृत भाषा
  6.3.1 लौकिक संस्कृत
  6.3.2 वैदिक तथा-लौकिक संस्कृत में अंतर
6.4 सारांश
6.5 शब्दावली
6.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें
6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस खंड में संस्कृत भाषा से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास क्रम दिखाया गया है। इस इकाई में संस्कृत भाषा का परिचय दिया गया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

- प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा और साहित्य का महत्व समझा सकेंगे;
- संस्कृत भाषा की व्याकरणिक (रचनागत) विशेषताएँ बता सकेंगे;
- संस्कृत तथा हिंदी में संरचना के अंतर पहचान सकेंगे;
- वैदिक संस्कृत की स्थिति और स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे; और
- संस्कृत के विकास क्रम का वर्णन कर सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना

संस्कृत भारोपीय परिवार की भारत-ईरानी शाखा की भारतीय आर्य भाषा उप शाखा की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत बोलने वाले आर्य भारत में बाहर से आये या नहीं, यह विवाद का प्रश्न हो सकता है, लेकिन यह सत्य है कि संस्कृत तथा इससे आगे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम भारत की भूमि पर ही हुआ। संस्कृत के आदि ग्रंथ वेदों की रचना इस धरती पर हुई।

संस्कृत एक वरेण्य याने प्राचीन भाषा है, अर्थात् संस्कृत एक समय में एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन अब यह भाषा किसी समुदाय द्वारा बोली नहीं जाती है। एक तरफ़ इसका साहित्यिक महत्व है। संस्कृत का श्रेष्ठ साहित्य आज तक अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। दूसरी तरफ़ इसका धार्मिक महत्व है। आज भी यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के धार्मिक संस्कारों की, पूजा-पाठ की भाषा है। इस तरह संस्कृत भाषा वर्तमान युग में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों की भाषा है।

भाषा की दृष्टि से संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। आर्य भाषाओं की लगभग 50 प्रतिशत शब्दावली संस्कृत से आयी है। द्रविड़ भाषाओं में संस्कृत के कई शब्द हैं। आधुनिक युग में भी भारत की प्रमुख भाषाएँ शब्दावली निर्माण के लिए संस्कृत भाषा का सहारा लेती हैं, क्योंकि संस्कृत की शब्द रचना की शक्ति असीम है। वाक्य संरचना, क्रिया संरचना आदि व्याकरणिक व्यवस्थाएँ संस्कृत की संरचनाओं से मेल खाती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि संस्कृत ही परिवर्तित होकर पालि, प्राकृत आदि रूपों से होते हुए आधुनिक आर्य भाषाओं में विकसित हुई। इस इकाई में हम संरचनाओं की समानता पर ध्यान रखते हुए संस्कृत भाषा के स्वरूप का अध्ययन करेंगे।

भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग 3500 साल पुराना है। प्राचीन संस्कृत में वेदों की रचना हुई। वेदों के रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, फिर भी निर्विवाद मत यह है कि वेदों का रचना काल ई.पू. 1500 से माना जा सकता है। तब से अब तक के समय को तीन विशिष्ट युगों में बाँटा जा सकता है। ये हैं:

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा	1500 ई.पू. से 500 ई.पू.
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा	500 ई.पू. से 1000 ई.
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा	1000 ई. से आज तक

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा युग वास्तव में संस्कृत भाषा का युग है। हम इस इकाई में संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन आर्य भाषाएँ पालि, प्राकृत और अपभ्रंश आदि हैं। हम अगली इकाई में इन तीनों भाषाओं का अध्ययन करेंगे। आगे की इकाइयों में आधुनिक आर्य भाषाओं विशेषकर हिंदी के इतिहास और स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे।

6.2 संस्कृत साहित्य

संस्कृत भाषा का युग ऊपर की चर्चा के अनुसार लगभग 1000 वर्ष का है। इस युग में संस्कृत का विपुल साहित्य रचा गया। सबसे पहले संस्कृत में वेदों आदि की रचना हुई। इसलिए इस युग की संस्कृत भाषा को वैदिक संस्कृत की संज्ञा दी जाती है।

6.2.1 वैदिक साहित्य

वैदिक संस्कृत में रचित साहित्य निम्न प्रकार का है:

वेद (संहिताएँ)—ऋक्, साम, यजुः और अथर्व

ब्राह्मण ग्रंथ—ऐतरेय, शतपथ, तांड्य आदि

आरण्यक—ऐतरेय, बृहद् आदि

उपनिषद्—ईश, केन, कठ, प्रश्न आदि।

"वेद" शब्द "विद्" (जानना) धातु से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। चारों वेदों में कुल मिलाकर वैदिक धर्म के स्वरूप का परिचय है, दर्शन का विवरण है और युग के जीवन का वर्णन है। ऋग्वेद में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुतियाँ हैं। सामवेद में वैदिक मंत्रों के गाने का विधान है। यजुर्वेद यज्ञ का विधान स्पष्ट करता है। अथर्ववेद जन-जीवन के अन्य पक्षों को उद्‌घाटित करता है।

वेदों की रचना के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गयी। हर वेद के अपने-अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये वेदों के व्याख्या ग्रंथ हैं, जिनमें कथाओं और आख्यान-उपाख्यानों के माध्यम से वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गयी है। ये ग्रंथ वेदों को समझने के लिए आवश्यक हैं।

आरण्यक शब्द अरण्य से निष्पन्न* होता है। अतः विद्वान इन्हें वानप्रस्थ आश्रम के ग्रंथ मानते हैं। आरण्यकों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या है।

उपनिषद् वैदिक साहित्य के अंतिम सोपान कहलाते हैं। आरण्यकों में जो आध्यात्मिक चिंतन उभरा, वह उपनिषदों में परिपक्व हुआ। उपनिषद् वेदों के दार्शनिक पक्ष को उद्‌घाटित करते हैं। इसीलिए इन्हें वेदों का सार भी कहा जाता है। इन ग्रंथों में जीव, ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि आदि पर आध्यात्मिक विचार हैं।

ये चारों प्रकार के ग्रंथ—वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद् एक ही शृंखला के चार अंग हैं। इनमें एक वैचारिक क्रम है, जो उस युग ने उत्तरोत्तर विकसित किये। वैदिक साहित्य की इतिश्री वेदांगों में होती है। वेदांग छह हैं—शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद। इनमें वेदों के संदर्भ में अलग-अलग विषयों पर विशिष्ट प्रकार का विवेचन है। ये सूत्रों में लिखे गए हैं। इसलिए इन्हें सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। शिक्षा वैदिक मंत्रों के उच्चारण पक्ष को विश्लेषित करता है, कल्प सूत्रों में पारिवारिक और सामाजिक जीवन के संदर्भ में रीति की व्यवस्थाओं और नियमों का उल्लेख है। वेदांग वैदिक साहित्य के उपर्युक्त चारों ग्रंथों से अलग है, इसलिए विद्वान इन्हें उत्तर वेद भी कहते हैं।

6.2.2 लौकिक साहित्य

वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में अंतर दो प्रकार के हैं। पहले, दोनों में धर्म के स्वरूप में अंतर है। वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान था। उसके देवता भिन्न थे। लौकिक संस्कृत में भक्ति धर्म का स्वरूप प्रस्फुटित होता है और वैदिक देवताओं की जगह राम, कृष्ण दोनों अवतार प्रमुख देवता माने जाते हैं। दूसरे, वैदिक संस्कृत की भाषा और लौकिक संस्कृत की भाषा में निश्चित अंतर है, जिसे इस इकाई में आगे देखेंगे।

लौकिक संस्कृत का काल ई.पू. 500 से है। कब तक है यह बताना कठिन है, क्योंकि संभवतः लौकिक साहित्य के शुरू से ही संस्कृत का बोलचाल की भाषा के रूप में प्रचलन समाप्त होने लगा था, लेकिन बाद में सदियों तक यह पूरे भारत में प्रमुख साहित्यिक भाषा बनी रही और आज तक विद्वान संस्कृत में काव्य रचना करते रहे हैं। लौकिक संस्कृत के अधिकांश साहित्य का इतिहास ई.पू. 500 से 1500 ई. तक रचा गया। सुविधा के लिए आगे हम लौकिक संस्कृत को सिर्फ़ संस्कृत कहेंगे।

संस्कृत साहित्य का हम पाँच अलग प्रकारों में वर्णन करेंगे।

i) **महाकाव्य और पुराण**

संस्कृत के दो प्रमुख महाकाव्य हैं बाल्मीकि रचित रामायण और व्यास रचित महाभारत। इनमें क्रमशः दो अवतारों—राम और कृष्ण का वर्णन है। रामायण बृहदाकार* ग्रंथ है। इसमें सात कांड हैं और कुल 24,000 श्लोक हैं। इसका रचना काल 200 ई.पू. और 200 ई. के बीच का माना जाता है। इसकी कथा इतनी प्रसिद्ध है कि उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत अपने वर्तमान आकार में विशालकाय* है। विद्वानों का मत है कि इसका मूल आकार छोटा होगा, लेकिन कालांतर में इसमें प्रसंग जुड़ते गये। महाभारत की कथा भी सर्वविदित है। यह पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष और युद्ध की कहानी है। कृष्ण इसमें सचाई का साथ देने वाले राजनेता के रूप में चित्रित हैं।

महाकाव्यों में राम और कृष्ण का अवतारी रूप अधिक मुखर नहीं हुआ। इनसे भक्ति के स्वरूप का बीजारोपण अवश्य हुआ, लेकिन पुराणों में अवतार महिमा और भक्ति को स्वर मिला। जैसे भागवत् पुराण कृष्ण के अवतार स्वरूप को अधिक स्पष्टता से वर्णित करता है। पुराण अठारह हैं—ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, वायुपुराण, भागवत् पुराण आदि। ये अलग-अलग समय पर लिखे गये। इनका रचना काल पाँचवीं शताब्दी से पंद्रहवीं शताब्दी तक माना जाता है।

ii) नीति कथाओं में पंचतंत्र, हितोपदेश, बृहत्कथा, कथा सरित्सागर, वेताल पंचविंशतिका (वेताल पचीसी) आदि महत्वपूर्ण हैं।

iii) **गद्य साहित्य या आख्यान साहित्य :** यह संस्कृत साहित्य की ही विशेषता है कि आदि काल से ही इसमें गद्य साहित्य की रचना होने लगी। दशकुमार चरित, वासवदत्ता, हर्षचरित, कादंबरी आदि प्रसिद्ध गद्य आख्यान हैं।

iv) **कलात्मक काव्य :** संस्कृत साहित्य के इतिहास में इसका मध्य युग सबसे महत्वपूर्ण है। इस युग में कालिदास, माघ, भवभूति आदि श्रेष्ठ साहित्यकारों ने इस साहित्य को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। इनका समय 600 ई. के आसपास माना जाता है।

महाकवि कालिदास ने सात महत्वपूर्ण कृतियाँ रची हैं। उनके काव्य ग्रंथ हैं—ऋतुसंहार, कुमारसंभव, रघुवंश और मेघदूत; नाटक हैं—मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और शाकुंतल। इनके अलावा अन्य प्रमुख लेखकों को हम उनकी प्रमुख कृतियों के कोष्ठक में उल्लेख के साथ आगे दे रहे हैं।

भारवि (किरातार्जुनीय)
माघ (शिशुपाल वध)
श्री हर्ष (नैषधचरित)
कुमारदास (जानकीहरण)

v) **अन्य वाङ्मय :** साहित्यिक कृतियों के अलावा संस्कृत में गणित, ज्योतिषशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि विविध क्षेत्रों पर कई ग्रंथ लिखे गये। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौटिल्य द्वारा रचित ''अर्थशास्त्र'' और काम के क्षेत्र में वात्स्यायन रचित ''कामशास्त्र'' विश्वविख्यात ग्रंथ हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक, सुश्रुत तथा गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट आदि प्रख्यात विद्वान हैं।

बोध प्रश्न 1

1) हाँ या ना में उत्तर दीजिए।

   i) वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं।

   ii) कालिदास के नाटक संस्कृत के महाकाव्य माने जाते हैं।

   iii) संस्कृत को इसीलिए प्राचीन भाषा कहते हैं कि वह आज किसी भाषाई समुदाय में व्यवहार की भाषा नहीं है।

   iv) मध्यकाल तक सारे भारत में संस्कृत भाषा में साहित्य रचना होती रही।

   v) श्रीमद् भगवद्गीता वैदिक साहित्य का अंतिम महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

2) उचित शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए।

   i) वैदिक साहित्य में निम्नलिखित ग्रंथ सम्मिलित हैं:

   क. .... ख. .... ग. .... घ. ....

   ii) वैदिक साहित्य में .... वेदांगों को भी शामिल किया जाता है।

   iii) संस्कृत के दो महाकाव्य हैं .... कृत .... तथा .... कृत .... ।

   iv) पुराणों की संख्या .... गिनी जाती है।

   v) महाकवि कालीदास ने चार .... तथा तीन .... लिखे हैं।

6.3 संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा के क्षेत्र में ई.पू. 500 के आसपास पाणिनि नामक महान वैयाकरण आविर्भूत हुए। यह वह समय था जिसे हमने प्राचीन आर्य भाषा की परिणति का समय बताया है। लेकिन हमने यह भी उल्लेख किया था कि लौकिक संस्कृत में साहित्य सृजन का आरंभ इसके बाद ही होता है। यह कैसे और क्यों है? वास्तव में ई.पू. 500 तक का समय वैदिक संस्कृत का ही काल है। पाणिनि ने वैदिक संस्कृत भाषा का गहरा अध्ययन किया, उसमें प्राप्त विकल्पों में से नियमों के अनुसार किन्हीं विकल्पों का मानकीकरण किया और संस्कृत भाषा का "अष्टाध्यायी" नामक सुंदर व्याकरण लिखा। यह व्याकरण आठ अध्यायों में है और हर अध्याय में व्याकरणिक नियम सूत्रों के रूप में हैं। यों कह सकते हैं कि पाणिनि ने जिस रूप में संस्कृत भाषा का वर्णन किया उसी रूप में यह आज भी विद्यमान है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पाणिनि ने संस्कृत को नियमों में बाँध दिया, इसीलिए यह भाषा स्थिर हो गयी और परिवर्तनों के कारण पालि में रूपांतरित हो गयी। विश्लेषण जो भी हो, पाणिनि के साथ प्राचीन आर्य भाषा का युग समाप्त हो गया, लेकिन संस्कृत भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में मध्यकाल तक व्यवहृत होती रही।

संस्कृत भाषा के दो रूप हैं—वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वैदिक साहित्य की भाषा है, पूर्ववर्ती रूप है, लौकिक संस्कृत जिसे हम आगे सिर्फ़ संस्कृत कहेंगे परवर्ती साहित्य की भाषा है।

आगे हम पहले लौकिक संस्कृत भाषा का परिचय देंगे, जिससे वैदिक संस्कृत से उसके अंतर को समझा जा सके।

6.3.1 लौकिक संस्कृत

हम यहाँ संस्कृत भाषा की संरचना का परिचय प्राप्त करेंगे जो विकास क्रम को समझने के लिए ज़रूरी है।

i) **वाक्य संरचना और पदक्रम:** हिंदी की तरह संस्कृत में भी वाक्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि पदबंधों से बनता है। जैसे—

रामः गृहं गच्छति।
राम घर जाता है (या जा रहा है)।
(नोट: संस्कृत में 'गृहं' कर्म है, द्वितीया विभक्ति है)

लेकिन हिंदी की अपेक्षा संस्कृत का पदक्रम अधिक सुनिश्चित नहीं है। इस बात को हम अंग्रेज़ी के उदाहरण से अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं, जिसमें पदक्रम अधिक निश्चित हैं। जैसे **Rama killed Ravana** को लीजिए। इसे हम **Ravana killed Rama** नहीं कर सकते, क्योंकि कर्ता और कर्म बदल जाते हैं। संस्कृत में इस वाक्य को हम पदक्रम बदलकर भी व्यक्त कर सकते हैं जैसे—

रामेण रावणः हतः।
रामेण हतः रावणः।
रावणः रामेण हतः। आदि

(नोट : संस्कृत के इन वाक्यों में 'राम' कर्ता है, वाच्य के कारण तृतीया विभक्ति में हैं; 'रावण' कर्म है, प्रथमा विभक्ति में है)

इस विश्लेषण का कारण क्या है? आप अंग्रेज़ी और संस्कृत वाक्यों की तुलना कीजिए। अंग्रेज़ी में शब्द के आरंभ में जो शब्द है, वह वाक्य का कर्ता है और अंत में कर्म। संस्कृत में कर्ता शब्द 'राम' विसर्ग से जाना जाता है (रामः), कर्म में /अं/ प्रत्यय लगता है (रामं) संप्रदान में /एण/ प्रत्यय लगता है (रामेण)। इसलिए वाक्य में कर्ता कहीं भी हो, पहचाना जा सकता है।

ii) ऊपर की विशेषता से जुड़ने वाली एक दूसरी विशेषता है। अंग्रेज़ी या किन्हीं वाक्यों में हिंदी शब्द वाक्य में अपने संबंध के कारण बदलता नहीं। जैसे—

कर्ता— लड़की/लड़की (ने) कर्म — लड़की (को)

अन्य—लड़की (से), लड़की (पर)

संस्कृत में भिन्न-भिन्न रूप आते हैं। जैसे बालिका शब्द के रूप इस प्रकार बनेंगे—

बालिका शब्द— स्त्रीलिंग एकवचन

कर्ता	बालिका (लड़की/लड़की ने)	कर्म	बालिकाम् (बालिका को)
संप्रदान	बालिकया (लड़की से)	अपादान	बालिकायै (लड़की को देना)
संबंध	बालिकायाः (लड़की का)	अधिकरण	बालिकायाम् (लड़की में)

आप यह देख रहे हैं कि संस्कृत में ''बालिका'' शब्द के विभिन्न व्याकरणिक रूप बनते हैं, जबकि हिंदी में ''बालिका'' शब्द में ने, में, से, को, पर, में, आदि प्रत्यय (या परसर्ग या विभक्ति चिह्न) जुड़ते हैं। इस अर्थ में संस्कृत भाषा संश्लिष्ट (गुंथी हुई) भाषा कहलाती है, हिंदी या अंग्रेज़ी आदि भाषाएँ कम संश्लिष्ट हैं।

iii) संस्कृत भाषा के हर शब्द (संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि) कई रूपों में आते हैं। आगे हम संस्कृत शब्दों की रूपावली को देखेंगे। बालः (लड़का) शब्द लीजिए। यह एकवचन, पुल्लिंग शब्द है। इसके आठ रूप बनते हैं। इस तरह हर संज्ञा शब्द के तीनों वचनों में कुल 24 रूप बनते हैं। इनको संस्कृत में ''शब्द'' ही कहा जाता है। आगे **बाल** शब्द के 24 रूप देखिए—

बाल शब्द — पुल्लिंग, एकवचन

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	बालः	बालौ	बालाः
द्वितीया	बालम्	बालौ	बालान्
तृतीया	बालेन	बालाभ्याम्	बालैः
चतुर्थी	बालाय	बालाभ्याम्	बालेभ्यः
पंचमी	बालात्	बालाभ्याम्	बालेभ्यः
षष्ठी	बालस्य	बालयोः	बालानाम्
सप्तमी	बाले	बालयोः	बालेषु
संबोधन	हे बाल	हे बालौ	हे बालाः

संस्कृत में तीन लिंग हैं—पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत के सारे संज्ञा शब्द इन तीनों में किसी न किसी लिंग में आते हैं। हर शब्द के इसी तरह 24 रूप बनते हैं। ऐसा नहीं कि सारे संज्ञा शब्दों के ये 24 रूप एक जैसे बनते हों। भिन्न-भिन्न लिंग के भिन्न-भिन्न संज्ञा शब्दों की रूपावलियाँ अलग-अलग होती हैं। इसे समझने के लिए हम आगे एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण देखेंगे—

आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द "लता"

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	लता	लते	लताः
द्वितीया	लताम्	"	"
तृतीया	लतया	लताभ्याम्	लताभिः
चतुर्थी	लतायै	"	लताभ्यः
पंचमी	लतायाः	"	"
षष्ठी	"	लतयोः	लतानाम्
सप्तमी	लतायाम्	"	लतासु
सम्बोधन	हे लते	हे लते	हे लताः

अगर एक शब्द से इतने रूप बनें और हर शब्द के रूप अलग-अलग हों, तो हम यह कैसे जानें कि कब या कहाँ कौन-सा रूप आएगा? संस्कृत के शब्दों को कई वर्गों में बाँटा गया है। जैसे सारे आ–कारांत स्त्रीलिंग शब्द (बालिका, लता, विद्या आदि) एक जैसी रूपावली प्रदर्शित करते हैं। छात्र हर वर्ग की एक रूपावली रट लेते हैं और शेष शब्दों की रूपावली* इसी आधार पर व्युत्पन्न करते हैं। संज्ञाओं के ऐसे कुछ प्रमुख वर्ग हैं—

पुल्लिंग शब्द—बालः, मुनिः, साधु, सखा, गौ, मरुत्, विद्वान्, दाता, पिता

स्त्रीलिंग शब्द—लता, मति, नदी, माता, धेनु, वधू, नौ

नपुंसकलिंग शब्द—फल, आत्मा, शशि, मधु, जगत्, पयः

संज्ञा शब्दों की ही तरह सर्वनाम शब्दों की भी रूपावलियाँ हैं। वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा शब्द समान लिंग—वचन — विभक्ति में आएँगे। उदाहरणार्थ—

सः बालः — वह लड़का है   तम् बालम् — उस लड़के को

ते बालाः — वे लड़के हैं   तान् बालान् — उन लड़कों को

इदम् फलम् — यह फल है/इस फल को

इमानि फलानि — ये फल हैं/इन फलों को आदि।

iv) आपने ऊपर देखा कि सर्वनाम और संज्ञा समान लिंग - वचन - विभक्ति रूप में आते हैं। इसे भाषा विज्ञान में अन्विति (संस्कृत में "अन्वय") कहा जाता है। अन्विति विशेषण और संज्ञा के बीच भी होती है। जैसे—

ज्येष्ठः पुत्रः - बड़ा लड़का, ज्येष्ठं पुत्रम् - बड़े लड़के को।

इस तरह विशेषण शब्दों के तीनों लिंगों में 24-24 रूप बनते हैं।

v) **यह अन्विति कर्ता और क्रिया के बीच भी होती है। लेकिन क्रिया के 24 रूप नहीं बनते। क्रिया का सिर्फ़ कर्ता से संबंध है, अतः क्रिया के तीन ही रूप बनेंगे। लेकिन क्रिया के साथ तीन पुरुषों का संबंध है। जैसे—उत्तम पुरुष (मैं), मध्यम पुरुष (तुम), और प्रथम (या अन्य) पुरुष (वह/बालः)। तीन सर्वनामों और तीनों वचनों के योग से किसी एक काल में क्रिया के कुल नौ रूप बनते हैं। जैसे—**

क्रिया धातु — पठ् "पढ़ना"

वर्तमान काल — पढ़ता है आदि

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पठति	पठतः	पठन्ति
मध्यम पुरुष	पठसि	पठथः	पठथ
उत्तम पुरुष	पठामि	पठावः	पठामः

अगर भविष्यत् काल में इस धातु का उपयोग करना हो, तो "पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति" आदि नौ रूप बनेंगे। इन विभिन्न कालों को संस्कृत में **लकार** कहा जाता है। वर्तमान काल **लट्** लकार है, भविष्यत् काल **लृट्** लकार। इस प्रकार हर क्रिया शब्द के विभिन्न कालों में दस लकार बनते हैं और एक क्रिया धातु से कुल 90 क्रिया रूप बनते हैं। ऐसे प्रमुख लकार हैं—लट् "वर्तमान", लुङ्, "सामान्य भूतकाल", लृट्

''भविष्यत्'', लोट् ''आज्ञार्थ''। इन क्रिया रूपों को धातु में (पठ् ''पढ़ना'', चल् ''चलना'', कृ ''करना'', गम् (गच्छ्) ''जाना'' आदि में) प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। ये प्रत्यय ''तिङ्'' प्रत्यय कहे जाते हैं, अतः ये क्रियाएँ तिङन्त क्रियाएँ होती हैं। संस्कृत की क्रिया रचना की तुलना हिंदी से करें, तो आप पाएँगे कि हिंदी के धातु (कर, चल, जा, आ, पढ़ आदि) में हर काल में तीन ही प्रत्यय जुड़ते हैं—करता, करते, करती आदि। इस तरह संस्कृत क्रिया रचना की संश्लिष्टता हिंदी में कम हो गयी।

संस्कृत के क्रिया शब्द धातुओं से बनते हैं। संस्कृत में लगभग 200 क्रिया धातु हैं और ये 10 गणों में विभाजित हैं। हर गण के क्रिया रूप भिन्न प्रकार से बनते हैं। इस कारण, पहले यह जानना आवश्यक होगा कि कौन से धातु किस गण के हैं। हर गण के क्रिया धातु के 10 कालों में 90 रूप बनते हैं। इनके साथ दो और तत्व हैं। क्रिया के दो रूप हैं—आत्मनेपद और परस्मैपद; क्रिया के तीन वाच्य हैं— कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरह काल, पद और वाच्य के संयोग से हर क्रिया के 540 क्रिया रूप ($90 \times 2 \times 3$) बनते हैं। इस तरह संस्कृत की क्रिया रचना अत्यंत जटिल व्यवस्था है।

6.3.2 वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अंतर

वेदों के बाद की संस्कृत भाषा जो रामायण, महाभारत आदि पुराणों से लेकर परवर्ती साहित्य की रचना में व्यवहृत हुई लौकिक संस्कृत कहलायी। यह शब्द ''वैदिक'' संस्कृत के विपर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन आज हम संस्कृत शब्द से प्रमुखतः लौकिक संस्कृत का ही उल्लेख करते हैं। हमने ऊपर संस्कृत की जिन विशेषताओं की चर्चा की, वे लौकिक संस्कृत की ही विशेषताएँ हैं। लौकिक संस्कृत का परिचय प्राप्त करने के बाद हम दोनों में अंतर के स्थलों की चर्चा करेंगे।

i) वैदिक संस्कृत में एक ग्यारहवाँ लकार 'लेट्' था, जो लौकिक संस्कृत में ही खत्म हो गया।

ii) वैदिक संस्कृत एक व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हुई थी। इसका युग भी कम से कम एक हजार साल लंबा था। इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें कई भाषिक विकल्प हों। हमने ऊपर यह भी उल्लेख किया था कि पाणिनि के प्रयत्नों के कारण संस्कृत भाषा एकरूप हो गयी, मानकीकृत हुई। इस कारण लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत में अधिक विविधता थी। लौकिक संस्कृत में देव का बहुवचन रूप ''देवाः'' है, वैदिक में देवाः, देवासः दोनों रूप चलते हैं।

iii) वैदिक संस्कृत जनभाषा ही थी। इस कारण उस भाषा में बोलचाल की भाषा जैसी सहजता थी। लंबे-लंबे समस्त शब्द नहीं बनते थे। लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा बनी और विद्वानों के योगदान के कारण इसमें समास आदि प्रयोगों में वृद्धि हुई।

iv) शब्दावली के क्षेत्र में भाषा के स्वाभाविक विकास या परिवर्तन के कारण अंतर आ जाते हैं। कई वैदिक संस्कृत के शब्द लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गये। कई शब्दों के अर्थ में अंतर आया।

v) वैदिक संस्कृत स्वराघात वाली भाषा थी। यहाँ स्वर का तात्पर्य वही है जो संगीत में है। जिस तरह संगीत में एक ही स्वर उच्च, मध्य, निम्न आदि स्वरों में बोले जाते हैं, वैसे ही वैदिक संस्कृत में शब्द भिन्न-भिन्न स्वरों में बोले जाते थे और स्वर के कारण शब्द का अर्थ बदल जाता था। लौकिक संस्कृत में स्वराघात की विशेषता समाप्त हो गयी।

vi) वैदिक संस्कृत में ळ, ळ्ह ध्वनियाँ थीं, जो लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गयीं।

उपर्युक्त अंतरों के संदर्भ में कह सकते हैं कि दोनों भाषाओं में मूलतः भाषा की रचना एक ही रही। कुछ प्रयत्न करने पर संस्कृत का छात्र वैदिक संस्कृत के पाठ का अध्ययन कर सकता है।

बोध प्रश्न 2

3) उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।

   i) वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में महत्वपूर्ण अंतर है ....
   (ळ ध्वनि का उच्चारण/स्वराघात)

   ii) संस्कृत में .... लिंग और .... वचन हैं।

   iii) संस्कृत भाषा में संज्ञा शब्दों के 24 रूप बनते हैं। इसलिए हिंदी की तुलना में संस्कृत को .... भाषा कहा जाता है। (योगात्मक/संश्लिष्ट)

iv) वैदिक संस्कृत .... की भाषा थी इसलिए उसमें कई वैकल्पिक नियम मिलते हैं।

v) ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में .... नामक वैयाकरण ने संस्कृत भाषा को नियम में बाँधा। (पाणिनि/कालिदास)

4) एक-एक वाक्य में उत्तर दीजिए।

i) संस्कृत व्याकरण में शब्द किसको कहते हैं?

....

ii) संस्कृत में शब्द के लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है?

....

iii) संस्कृत व्याकरण में 'लकार' किसे कहा जाता है?

....

iv) लौकिक संस्कृति का समय कब से माना जाता है?

....

v) संस्कृत के वाक्य में पदक्रम क्यों महत्वपूर्ण नहीं है?

....

6.4 सारांश

संस्कृत भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कही जाती है। इसी भाषा में परिवर्तन के कारण पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएँ अस्तित्व में आयीं और बाद में आधुनिक आर्य भाषाओं में विकसित हुई।

संस्कृत भारत के सांस्कृतिक जीवन की पोषिका रही। वैदिक संस्कृत साहित्य भारतीय दर्शन का निचोड़ है। वेद और उपनिषद् आदि ग्रंथ हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। परवर्ती लौकिक संस्कृत के रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों और भागवत् आदि पुराणों ने हिंदू धर्म को मूर्त रूप दिया। संस्कृत के कालिदास विश्वप्रसिद्ध कवि–नाटककार हैं। संस्कृत ने न केवल धर्म और साहित्य की श्रीवृद्धि की, बल्कि इसमें चिकित्सा, गणित आदि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में भी विपुल साहित्य की रचना की गयी। इस महायज्ञ में पूरे देश के कवि-मनीषियों ने योगदान किया।

संस्कृत भाषा का काल 1500 ई.पू. से 500 ई.पू. तक माना जाता है। 1500 ई.पू. में ही संभवतः आर्य भारत में आये और वेदों की रचना की। अतः यह वेदों की रचना का काल भी कहा जा सकता है। इससे पहले संस्कृत किस रूप में कहाँ थी, यह मात्र अनुमान का विषय है। इस युग में संभवतः संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, क्योंकि इसमें प्रयोगों की विविधता मिलती है।

ई.पू. 500 के आसपास पाणिनि नामक महान भाषा-वैज्ञानिक ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ रचा और संस्कृत भाषा को नियमों में बाँधा। उसी समय से लौकिक संस्कृत का काल माना जाता है। इस युग में पूरे भारत में विद्वान साहित्य रचना करते रहे, जबकि यह किसी क्षेत्र की जनभाषा नहीं थी। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि पाणिनि के नियमों के कारण इसमें परिवर्तन नहीं हुए और आज तक यह उसी रूप में व्यवहृत होती आयी है। यों कह सकते हैं कि साहित्यिक संस्कृत स्थिर हो गयी और बोलचाल की भाषा में हुए परिवर्तनों ने क्रम से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किया।

6.5 शब्दावली

निष्पन्न : प्राप्त, उत्पन्न, एक शब्द दूसरे शब्द की निष्पत्ति

बृहदाकार : बृहत् + आकार, आकार में बड़ा

विशालकाय : विशाल + काया, आकार में बड़ा, बृहत्

रूपावली : एक मूल शब्द से बने अन्य शब्द, जैसे क्रिया धातु से निष्पन्न अन्य क्रिया रूप

6.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

संस्कृत साहित्य का इतिहास — जयनारायण वर्मा तथा पुष्पा गुप्ता, तरुण प्रकाशन, दिल्ली, 1990

संस्कृत भाषा के बारे में जानने के लिए कोई भी संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ देख लें।

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) नहीं ii) नहीं iii) हाँ iv) हाँ v) नहीं

2) i) क) वेद ख) ब्राह्मण ग) आरण्यक घ) उपनिषद्
ii) छह iii) वाल्मीकि, रामायण, व्यास, महाभारत iv) अठारह v) काव्य ग्रंथ, नाटक

बोध प्रश्न 2

3) i) स्वराघात ii) तीन, तीन iii) संश्लिष्ट iv) बोलचाल v) पाणिनि

4) i) संज्ञा के 24 रूपों को ii) शब्द का ध्वन्यात्मक रूप iii) विभिन्न कालों में क्रिया रूपों को
iv) 500 ई.पू. से v) क्योंकि हर शब्द की व्याकरणिक विशेषताएँ इसके स्थान से नहीं, रूप से मालूम होती हैं।

इकाई 7 पालि, प्राकृत और अपभ्रंश

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य
7.1 प्रस्तावना
7.2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा
7.3 पालि
 7.3.1 पालि भाषा में उपलब्ध साहित्य
 7.3.2 पालि भाषा की विशेषताएँ
7.4 प्राकृत
 7.4.1 प्राकृत की बोलियाँ
 7.4.2 प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ
7.5 अपभ्रंश
 7.5.1 अपभ्रंश साहित्य
 7.5.2 अपभ्रंश भाषा की विशेषताएँ
7.6 आर्य भाषाओं का विकास क्रम
7.7 सारांश
7.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के आधार पर आप :

- मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के विकास के विभिन्न स्तरों को समझ सकेंगे।
- मध्यकालीन आर्य भाषा के विकास के विभिन्न स्तरों की प्रतिनिधि भाषा के रूपों, उनके नामों तथा समयावधि को बता सकेंगे।
- पालि की ध्वनिक, व्याकरणिक तथा शब्दावली के प्रमुख भेदक लक्षणों को बता सकेंगे।
- प्राकृत, उसकी कालावधि, उसके भेदोपभेद, उनके नाम तथा उनकी विशेषताएँ बता सकेंगे।
- अपभ्रंश, उसकी कालावधि, उसके प्रमुख भेदोपभेद, उनके नाम तथा उनकी विशेषताएँ बता सकेंगे।
- मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अर्थात् संस्कृत से अंतर बता सकेंगे।
- मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में विकास के प्रमुख अभिलक्षण बता सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने पढ़ा है कि भारतीय आर्य भाषा के विकास के दूसरे सोपान को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है, जिसका समय 500 ई.पू. से 1000 ई. सन् तक—डेढ़ हजार वर्ष का माना जाता है। आशय यह कि 500 ई.पू. के आसपास भारतीय आर्य भाषा का प्रथम रूप, वैदिक और लौकिक संस्कृत—पाणिनि के व्याकरण द्वारा इस प्रकार स्थिर हो गया था कि संस्कृत परवर्ती समय में मात्र शास्त्र-शिक्षा तथा साहित्य-सृजन की भाषा बनकर रह गई और बोलचाल की लोकभाषा के रूप में उसका प्रयोग क्रमशः सीमित होता गया। यह निश्चित है जब संस्कृत बोलचाल की जनभाषा थी, तब भी भारत में अनेक आर्य तथा आर्येतर बोलियाँ थीं। किन्तु उनमें साहित्यिक भाषा के रूप में केवल संस्कृत ही प्रचलित थी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत भाषा के साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो जाने के साथ ही प्रारंभ से एक शिक्षा-व्यवस्था भी विकसित हो गई थी, जिसे सामान्यतः वैदिक या संस्कृत-शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। आर्य संस्कृति तथा संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ संस्कृत-शिक्षा व्यवस्था भी क्रमशः

विकसित हुई जिसके परिणामस्वरूप संस्कृत भाषा एक अंतःक्षेत्रीय व्यवहार की मानक साहित्यिक भाषा के रूप में सर्वत्र स्थापित हो गई। पाणिनि के व्याकरण के आधार पर संस्कृत का जो मानकीकरण हुआ, उसके कारण वह साहित्य और शास्त्र के सृजन और अध्ययन-अध्यापन की माध्यम भाषा के रूप में एक स्थायी भाषा या अमर भाषा के रूप में सिद्ध तो हुई; किन्तु इसी प्रक्रिया के कारण वह बोलचाल की जनभाषा के रूप में बहुत दिनों बनी नहीं रह सकी।

विद्वानों की मान्यता है 500 ई.पू. से 200 ई.पू. के बीच क्रमशः लोकभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग समाप्त होता गया, किन्तु साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग निरंतर चलता रहा और बढ़ता रहा। इसी का परिणाम है कि परवर्ती युगों में संस्कृत भाषा का स्वरूप तो कुछ-कुछ बदला तथा उसके प्रयोग और प्रकार्य के क्षेत्र भी बदले, किन्तु संस्कृत एक साहित्यिक-शास्त्रीय भाषा के रूप में स्थायी भाषा बन गई और उसी रूप में वह आज भी जीवित है। उसमें आज भी विविध प्रकार का साहित्य सृजन हो रहा है तथा वह सम्पूर्ण प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है।

7.2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा

आपने पहले पढ़ा है कि ईसा पूर्व **500** तक प्राचीन आर्य भाषा का समय था। इस युग की प्रमुख भाषा संस्कृत थी, जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत नाम के दो रूपों में विद्यमान थी। संस्कृत भाषा का जन-भाषा के रूप में लगभग ईसा पूर्व **500** तक प्रचलन समाप्त हो गया था। यह भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में तथा ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में पूरे भारत में प्रचलित रही और आधुनिक युग तक भारत में संस्कृत भाषा के माध्यम से लेखन की परंपरा बनी रही। लेकिन संस्कृत भाषा संभवतः ईसा पूर्व **500** के बाद से साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित है परन्तु पूरी जन भाषा के रूप में संस्कृत के स्थान पर उसके परिवर्तित या विकसित रूपों का प्रचलन शुरू हुआ।

ईसा पूर्व **500** से लेकर ईसवी **1000** तक के समय को भारतीय भाषाओं के संदर्भ में मध्य युग कहा जाता है। इस युग में पालि, प्राकृत आदि भाषाएँ जन-भाषा या बोलचाल के रूप में अस्तित्व में आईं। यह भी यहाँ उल्लेख करना चाहिए कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में विशेषकर नाटकों में कुछ पात्रों के मुँह से प्राकृत आदि भाषाओं के संवाद शामिल किए गए थे। इसका आधार यह था कि संस्कृत उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों की भाषा थी और प्राकृत आदि जन-सामान्य की भाषा थी। इसलिए संस्कृत नाटकों में निम्नवर्ग के व्यक्तियों की भाषा के रूप में प्राकृत का दिखाई पड़ना यही सिद्ध करता है कि मध्यकाल में आम जन-भाषा प्राकृत थी।

मध्यकाल का वर्गीकरण : अंग्रेज़ी के भाषा-वैज्ञानिकों ने मध्यकाल की सभी भाषाओं को ''प्राकृत भाषाएँ'' नाम दिया था। इसलिए उन्होंने निम्न प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया :

1) प्रथम प्राकृत **(500 ई.पू. से 1 ई. पू. तक)**

2) द्वितीय प्राकृत **(1 ई.पू. से 500 ई. पू. तक)**

3) तृतीय प्राकृत **(500 ई.पू. से 1000 ई. पू. तक)**

इन विद्वानों ने जिसे प्रथम प्राकृत कहा, वह वास्तव में पालि भाषा है; जिसे तृतीय प्राकृत कहा वह कई अपभ्रंश भाषाएँ हैं। भाषाओं के इस ऐतिहासिक क्रम को ठीक से समझने के लिए यहाँ हम उपर्युक्त वर्गीकरण को निम्न प्रकार से आगे प्रस्तुत करेंगे :

1) पालि भाषा **(500 ई.पू. से 1 ई. पू. तक)**

2) प्राकृत भाषा **(1 ई.पू. से 500 ई. पू. तक)**

3) अपभ्रंश भाषा **(500 ई.पू. से 1000 ई. पू. तक)**

7.3 पालि

ईसा पूर्व **500** से लेकर **1** ई. तक के युग में जो भाषा बोलचाल की भाषा रही उसे हम पालि भाषा कहते हैं। पालि शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है यह मतभेद का विषय है। वास्तव मे इस भाषा के लिए पालि शब्द का प्रयोग शुरू में किया ही नहीं गया था। इस भाषा का नाम संभवतः मागधी भाषा रहा है। पालि

शब्द का प्रयोग बुद्ध के वचन के अर्थ में मिलता है क्योंकि महात्मा बुद्ध के वचन इसी भाषा में मिलते हैं। इस शब्द को कुछ विद्वान 'पालना' धातु से भी जोड़ते हैं क्योंकि बुद्ध के वचन इस में सुरक्षित रखे गए हैं। और भी कई विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार की उत्पत्तियाँ दीं जो इस अर्थ को स्पष्ट करें। हम यहाँ इसके अर्थ की अधिक विवेचना नहीं करेंगे, सिर्फ़ ये ही कहना चाहेंगे कि भाषा के रूप में पालि शब्द बाद में अपनाया गया था।

पालि किस जगह की भाषा है इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है क्योंकि भगवान बुद्ध मगध के थे। यह सोचना स्वाभाविक है कि यह भाषा मगध की रही होगी। लेकिन अगर संस्कृत भाषा के स्थान पर यह भाषा बोलचाल की भाषा बनी तो इसकी संभावना है कि यह और सब जगहों में भी व्यवहार में आती रही होगी। इसलिए कई विद्वान इसका स्थान भिन्न-भिन्न रूप से मानते हैं। पालि भाषा के विभिन्न रूप भी नहीं मिलते हैं, जिसके कारण इसके स्थान के बारे निर्णय करने में कठिनाई होती है। इसके बहुत से रूप मिलते तो उनके संदर्भ में हम इसके क्षेत्र के बारे में कुछ अंदाज़ कर सकते थे।

7.3.1 पालि भाषा में उपलब्ध साहित्य

पालि भाषा में प्रमुखतः दो प्रकार का साहित्य मिलता है:

1) त्रिपिटक : सुत्त, विनय और अभिधम्म

2) अनुपिटक : जातक, मिलिंद पञ्हो, अट्ठकथा, महावंश आदि

बौद्ध धर्म का प्राचीनम रूप त्रिपिटकों में मिलता है। त्रिपिटकों के लिए जो नाम ऊपर लिखे गए हैं वे वास्तव में सुत्त, विनय और अभिधर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। ये तीनों ग्रंथ बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ हैं। यह भाषा वैदिक संस्कृत के काफ़ी निकट है। इसलिए कुछ विद्वान त्रिपिटकों की भाषा को सीधे वैदिक संस्कृत से प्राप्त रूप मानते हैं। अर्थात् इसका संबंध सीधे वैदिक संस्कृत से है और यह लौकिक संस्कृत (परवर्ती संस्कृत) का आगे का विकास क्रम नहीं है। इसीलिए विद्वानों में यह भी मत है कि संस्कृत से पालि और पालि से प्राकृत का सीधा क्रम नहीं है, बल्कि एक तरफ वैदिक संस्कृत से पालि का विकास क्रम चलता रहा और दूसरी तरफ लौकिक संस्कृत से प्राकृत का एक अलग क्रम बना।

बौद्ध वचनों के अलावा पालि भाषा के प्रयोग के बारे में जानने का एक और स्रोत है सम्राट अशोक के शिलालेखों की भाषा। इसे अशोक के अभिलेखों की भाषा भी कहा जाता है। सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनता को धर्म की सूचना देने के लिए और शासन की आज्ञाएँ देने के लिए शिलालेखों पर इस भाषा का प्रयोग किया।

इन शिलालेखों का समय ई.पू. तीसरी-दूसरी शताब्दी माना जा सकता है। चूँकि ये शिलालेख स्थानीय बोलियों के आधार पर लिखे गए थे, हमें इस भाषा के तीन अलग रूप मिलते हैं — पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमी-उत्तरी। इससे अनुमान कर सकते हैं कि इस समय बोलचाल के स्तर पर पालि के अलग-अलग रूप रहे होंगे।

ई.पू. की दो-तीन शताब्दियों में अन्य प्रकार के शिलालेख या ताम्रपात्र भी मिलते हैं और कुछ गुफ़ाओं की दीवारों पर खुदे लेख भी मिलते हैं। इनमें भी उस समय की पालि भाषा के स्वरूप का परिचय मिलता है।

7.3.2 पालि भाषा की विशेषताएँ

यहाँ हम पालि की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

ध्वनि स्वर :

i) पालि में संस्कृत की कई ध्वनियों में परिवर्तन आया। /ऋ/ का उच्चारण खत्म हो गया।
जैसे नृत्य → निच्च, तृण → तिण, वृद्ध → बुड्ढो।
/ऐ/ तथा /औ/ के स्थान पर /ए/ तथा /ओ/ का परिवर्तन हुआ।
शैल → सेल चौर → चोर
/श, ष/ के स्थान पर /स/ का उच्चारण परिवर्तन हुआ।
नाशयति → नासेति, निषण्ण → निसन्न
विसर्ग का स्थान स्वर /ओ/ ने ले लिया।
वृद्धः → बुड्ढो देवः → देवो

कई भिन्न व्यंजनों के गुच्छों में समीकरण हुआ। अर्थात् दो भिन्न व्यंजनों के गुच्छ एक ध्वनि के द्वित्व हो गये।

अग्नि → अग्गि	धर्म → धम्म

कई गुच्छों में ध्वनियाँ बदल गयीं।

दृष्ट → दिट्ठो	सत्य → सच्च
सर्व → सब्ब	मार्ग → मग्ग

ii) ध्वनि परिवर्तन के कारण पालि में संस्कृत के धातु रूप बदल गये। पालि के धातुओं में आप हिंदी क्रिया शब्द के रूप पहचान सकते हैं।

म्लायति → मिलायति	पृच्छति → पुच्छति (पूछना)
बुध्यते → बुज्झति (बूझना)	भवति → होति (होना)

व्याकरणिक स्तर

व्याकरण में हम मुख्यतः संज्ञा और क्रिया रूपों की चर्चा करेंगे।

संज्ञा शब्द

i) संस्कृत में तीन लिंग और तीन वचन थे। इस तरह हर संज्ञा शब्द के आठ कारकों में 24 रूप बनते थे। पालि में द्विवचन समाप्त हो गया। इस तरह केवल 16 रूप बन सकते थे। पालि में संज्ञा रूप निम्न प्रकार थे :

''धम्म'' शब्द (धर्म)

	एकवचन	**बहुवचन**
कर्ता	धम्मो	धम्मा
कर्म	धम्मं	धम्मे
करण	धम्मेन	धम्मेहि
अपादान	धम्मा/धम्मस्मा	धम्मेहि
संप्रदान/संबंध	धम्मस्स	धम्मानं
अधिकरण	धम्मे	धम्मेसु
संबोधन	धम्म	धम्मा

ii) संस्कृत की अपेक्षा पालि सरलता की ओर बढ़ी। संस्कृत में अलग-अलग शब्दों के अलग-अलग ''संबंध कारक'' शब्द बनते थे।
जैसे—

देवः → देवस्य;	अग्निः → अग्नेः
गुरुः → गुरोः;	भिक्षुः → भिक्षवे

लेकिन पालि में सभी शब्दों के संबंध कारक /स्स/ से बनने लगे। जैसे देवस्स, अग्गिस्स, गुरुस्स, भिक्खुस्स। एक जैसे रूप के प्रयोग की इस विशेषता को सादृश्य (**analogy**) पर आधारित परिवर्तन कह सकते हैं। पालि में सादृश्य के कारण संबंध कारक रूप सरल हो गये।

क्रिया संरचना

i) पालि में द्विवचन क्रियाएँ नहीं हैं। इस तरह क्रिया रूप एक तिहाई कम हो गये। आत्मनेपद का लगभग लोप हो गया और वे क्रियाएँ परस्मैपद की तरह बनने लगीं।

संस्कृत (आत्मनेपद)	**पालि**
लभते	लभति
क्रमते	कमति
क्षमते	खमति

लकारों में लृट् और लेट् खत्म हो गये। इस तरह संस्कृत में जहाँ एक धातु के 540 क्रिया रूप बनते थे, पालि में 240 रूप ही रह गये।

ii) क्रिया रचना मूलतः संस्कृत के ही समान है। जैसे संस्कृत /तिष्ठ/ का ध्वनि परिवर्तन से रूप /तिट्ठ/ बना। शेष रचना संस्कृत के ही अनुसार रही—

	एकवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	तिट्ठति	तिट्ठंति
मध्यम पुरुष	तिट्ठसि	तिट्ठथ
उत्तम पुरुष	तिट्ठामि	तिट्ठाव

(**नोट :** विसर्ग के लोप का ध्यान रखें।)

बोध प्रश्न 1

1) बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत हैं।
   - i) कुछ उपनिषद् पालि भाषा में लिखे गये थे।
   - ii) बुद्ध वचन प्रमुख रूप में पालि में मिलते हैं।
   - iii) संस्कृत और पालि की संज्ञा रूपावली में कोई अंतर नहीं है।
   - iv) पालि की ध्वनि व्यवस्था संस्कृत के समान है।
   - v) पालि में संस्कृत की आत्मेनपदी क्रियाएँ लगभग समाप्त हो गयीं।

2) दिये गये शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूरे करें।
   - i) पालि में सभी संबंध कारक शब्दों में स्स का प्रयोग .... का उदाहरण है। (समीकरण/सादृश्य)
   - ii) .... में परिवर्तन के कारण पालि के क्रिया रूप दो तिहाई रह गये (लिंग/वचन)
   - iii) पालि भाषा का प्रयोग .... में भी दिखायी पड़ता है। (अशोक के शिलालेखों/प्रारंभिक पुराणों)
   - iv) संरचना की दृष्टि से पालि .... के अधिक निकट है। (संस्कृत/हिंदी)
   - v) पालि में अनेक .... नहीं मिलते। (काव्य ग्रंथ/स्थानीय रूप)

7.4 प्राकृत

मध्यकालीन आर्य भाषा के मध्ययुग में प्राकृत वह भाषा है जो प्रकृति के अनुरूप है अर्थात् जो सहज है, जन जीवन में व्याप्त है। हमने ऊपर उल्लेख किया था कि पालि प्रमुखतः धर्म की भाषा है। लेकिन इस युग की प्राकृत भाषाएँ साहित्य के लेखन के लिए प्रयोग में आई, इसीलिए प्राकृत भाषाओं को लोग साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं।

पहली शताब्दी में अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में कई नाटक लिखे जिनमें प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ। उनकी प्राकृत पालि के कुछ निकट है और उसमें संस्कृत का भी प्रभाव दिखाई पड़ा। दूसरी शताब्दी में धम्मपद्य नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया। यह संस्कृत शब्द धर्म पद का प्राकृत रूप है। यह धार्मिक ग्रंथ है। इस भाषा में गाथा साहित्य का लेखन हुआ और अट्ठकथा आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए।

7.4.1 प्राकृत की बोलियाँ

पालि में हमें कुछ भेद मिलते हैं, लेकिन प्राकृत के समय तक प्राकृत के कई क्षेत्रीय रूप भी मिलते हैं। इसी कारण हम इन्हें बहुवचन में प्राकृत भाषाएँ कहते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत भाषाओं के कई स्थानीय प्रयोग ढूँढे हैं। इनमें पाँच भेद प्रमुख माने जाते हैं, ये हैं – 1) शौरसेनी, 2) पैशाची 3) महाराष्ट्री

4) अर्धमागधी 5) मागधी।

1) शौरसेनी : ऐसा माना जाता है कि शौरसेनी प्राकृत मथुरा या शूरसेन प्रदेश के आसपास बोली जाती थी। *मध्यदेश की बोली से विकसित होने के कारण साहित्य के क्षेत्र में इसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई, और इसी* लिए यह संस्कृत से अधिक प्रभावित भी है। संस्कृत के नाटकों में स्त्री आदि पात्रों की भाषा के रूप में मुख्य रूप से शौरसेनी प्राकृत का ही प्रयोग मिलता है। दिगम्बर जैन सम्प्रदाय का धार्मिक साहित्य भी इसी प्राकृत में मिलता है।

2) पैशाची : महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख है जो भारत के उत्तर-पश्चिम में बसी थी। इसका स्थान आज के कश्मीर के आसपास माना जा सकता है। पैशाची प्राकृत पिशाच जाति की भाषा थी। यह उल्लेख किया जा चुका है कि कश्मीर भारत-ईरानी उपकुल की शाखा दरद भाषाओं का केन्द्र था, इसलिए पैशाची भाषा में दरद भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भाषा में साहित्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह भी माना जाता है कि इसमें विपुल साहित्य था, जो कि मूलतः पैशाची में था। लेकिन अब यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि संस्कृत में ही बृहत् कथा मंजरी, कथा सरित्सागर आदि के नाम से उपलब्ध है।

3) महाराष्ट्री : इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है लेकिन कुछ विद्वान इसे आजकल के महाराष्ट्र से न जोड़कर पूरे देश के संदर्भ में महाराष्ट्र यानि पूरे भारत की भाषा मानते हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे शौरसेनी के निकट की भाषा मानते हैं। तथ्य चाहे जो भी हो महाराष्ट्री प्राकृत एक प्रमुख शाखा थी और उसमें विपुल साहित्य रचना मिलती है। गाथा सप्तशती (गाहा सत्तसई) इसकी प्रमुख रचना है। कालिदास, हर्ष आदि ने अपने नाटकों में इसी भाषा का उपयोग किया। जैनियों ने इसमें धार्मिक ग्रंथ गद्य में लिखे हैं जिस कारण उनकी भाषा को जैन महाराष्ट्री भी कहा जाता है।

4) अर्धमागधी : जैसे की नाम से ही स्पष्ट है इस भाषा का क्षेत्र शौरसेनी और मगधी के बीच में है। इसलिए वह आधी मागधी है। यानि हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन कोसल के आसपास की भाषा है। जैनियों ने इस भाषा का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया।

5) मागधी : जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यह मगध की भाषा है इसी को गौड़ी भी कहते हैं इस भाषा में अधिक साहित्य रचना नहीं मिलती।

इनके अलावा और कुछ प्राकृत भाषाएँ भी मिलती हैं जो बहुत समृद्ध या महत्वपूर्ण नहीं हैं।

7.4.2 प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ

हमने ऊपर उल्लेख किया था कि हमारे सामने पाँच प्राकृत भाषाएँ हैं। इन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। इस संबंध में आप आगे अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ हम प्राकृत भाषाओं की मूलभूत विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिससे आप आधुनिक भाषाओं के विकास क्रम को समझ सकेंगे। इस भाग को पढ़ने से पहले आप पालि भाषा की विशेषताओं को एक बार फिर देख लें, जिससे आगे के विकास की गति को जान सकें।

ध्वनि स्वर

i) शब्दांत महाप्राण व्यंजन /ह/ में बदल गये। जैसे मेहो (मेघ), मुंह (मुखम्)।

ii) /न/ का विकास /ण/ में हुआ। णअरं (नगरम्)।

iii) शब्द मध्य के व्यंजन लुप्त हुए। कअं (कृतम्), करते क्रिया मओ /मृत/, राआ /राजा/ आदि। कहीं /य/ श्रुति की भी प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है जैसे "मृगांक" से "मयंक"।

व्याकरणिक स्तर

i) प्राकृत में पालि की तुलना में संज्ञा शब्दों के रूप कम हो गये। संस्कृत के 24 रूपों की तुलना में पालि में 14 रूप रहे और द्विवचन के आठ रूप खत्म हो गये। प्राकृत में 12 रूप रहे।

ii) संस्कृत में हर क्रिया धातु के एक लकार में 9 रूप बनते थे और विभिन्न लकारों में 90 रूप बनते थे। पालि में 240 रूप रह गये और प्राकृत में इनकी संख्या घटकर 72 हो गयी।

7.5 अपभ्रंश

अपभ्रंश भाषा (या भाषाओं) का समय 500 ई. से 1000 ई. तक माना जाता है, जबकि 15वीं शताब्दी तक इसमें साहित्य रचना होती रही है। अपभ्रंश शब्द का अर्थ आमतौर पर विद्वान "अपभ्रष्ट" या "बिगड़ी हुई" भाषा लेते हैं। इस भाषा के निम्नलिखित नाम भी हैं — "अवब्मंस" अवहंस, अवहट्ठ (अपभ्रष्ट), अवहट, अवहत्थ आदि। यह बोलचाल की भाषा माने देश भाषा थी। 14वीं शताब्दी के कवि विद्यापति लिखते हैं — देसिल बयना सबजन मिट्ठा। तें तैसन जम्पओं अवहट्ठा (अर्थात् देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है। इसे अवहट्ठ कहा जाता है)।

7.5.1 अपभ्रंश साहित्य

अपभ्रंश का साहित्य विविध प्रकार का है। इसकी प्रमुख धाराएँ निम्न प्रकार की हैं— i) पुराण साहित्य : अपभ्रंश में प्रमुख रूप से जैनियों के पुराण लिखे गये जिनमें प्रमुख हैं पुष्पदंत का महापुराण और शालिभद्र सूरि का बाहुबलि रास। अपभ्रंश के राम काव्य के कवि स्वयंभू ने पउम चरिउ (पद्म चरित्र याने राम काव्य) की रचना की। ii) चरित्र काव्य : चरित्र काव्य लोकप्रिय व्यक्तियों के जीवन चरित्र हैं। पुष्पदंत के णायकुमार चरिउ (नागकुमार चरित्र) जसहर चरिउ आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। iii) कथा काव्यः ये आदि काल के महाकाव्यों की तरह काल्पनिक कथा कृतियाँ हैं। iv) जैन कवियों का नीतिपरक साहित्यः ये अधिक मुक्तक रचनाएँ हैं, जिनमें जीवन के आदर्शों का विवरण है। जोइन्दु को "परमात्म प्रकाश" और "योग स्तर" और रामसिंह का "पाहुड दोहा" प्रमुख कृतियाँ हैं। v) बौद्ध सिद्ध कवियों ने रहस्य साधना संबंधी अपनी काव्य रचना अपभ्रंश में ही की। इस धारा में सरहपा और काण्हपा के दोहा कोष प्रसिद्ध हैं। vi) आदिकालीन रचनाएँ: हम जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाव्य कहते हैं उसकी कई रचनाएँ अपभ्रंश में हुई हैं। काव्य कृतियों में "रासो" साहित्य आदिकाल की प्रमुख रचनाएँ हैं। उनमें अब्दुल रहमान की कृति संदेश रासक अपभ्रंश में लिखी गयी है।

अपभ्रंश के कितने रूप हैं? विद्वानों में इस संबंध में मतभेद हैं। कुछ विद्वान अपभ्रंश के दो रूप मानते हैं — पश्चिमी और पूर्वी। अब सर्वमान्य विचार छह रूपों का है। ये हैं— शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी। माना यह जाता है कि इन्हीं क्षेत्रीय रूपों से विविध आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ।

7.5.2 अपभ्रंश भाषा की विशेषताएँ

ध्वनि स्तर

ध्वनि स्तर पर इसकी तीन-चार विशेषताएँ हैं, जो आधुनिक हिंदी और उसकी बोलियों के स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

i) स्वरों का दीर्घीकरण हुआ जैसे अक्खि से आखि। हिंदी में आँख आदि शब्दों का रूप इसी से विकसित हुआ।

ii) अनुनासिकता का विकास इसी युग में हुआ, जैसे वक्र से वंक (और आधुनिक हिंदी में बाँका)।

iii) शब्द उकार बहुल थे याने /उ/ से समाप्त होते थे जैसे चरिउ (चरित), बहुतु (बहुत)। आधुनिक हिंदी में शब्दांत स्वर समाप्त हो गये।

व्याकरणिक स्तर

i) संस्कृत शब्दों के संज्ञा रूप 24 थे, जो पालि में 14 बने, प्राकृत में 12 और अपभ्रंश तक आते-आते सिर्फ़ 6 ही रह गये। उदाहरण के लिए पुत्त (पुत्र) शब्द लीजिए। इसके रूप यों हैं—

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता/कर्म/संबोधन	पुत्त/पुत्ता/पुत्तु	पुत्त/पुत्ता
करण/अधिकरण	पुत्ते/पुत्ति	पुत्तहिं
संप्रदान/अपादान/संबंध	पुत्तस्स/पुत्तहु	पुत्ताणं/पुत्ताहं

ii) संज्ञा के कारक रूप कम होने के कारण विभक्ति के अर्थ को प्रकट करने के लिए परसर्ग शब्दों का प्रयोग बढ़ा। ये परसर्ग हैं — केर/कर कर का(मज्झे, मांझ, माँह, महँ) में, (उप्परि। परि) पर, तैं/तें ते (से) कौं/कौ/कूँ (को) आदि।

iii) क्रिया रूपों में भी इसी प्रकार का सरलीकरण दिखायी पड़ता है। संस्कृत में धातु के रूप विभिन्न लकारों में 540 होते थे, पालि में 240 रह गये और प्राकृत में 72। आप जानते हैं कि ये रूप हिंदी में कितने हैं? हिंदी में भूतकाल (आया आदि 4) वर्तमान काल (आता आदि 4) भविष्यत् (आएगा आदि 12) संभावनार्थ (आऊँ, आए आदि 6) और विधि (आओ आदि 2) में कुल 28 क्रिया रूप हैं। भूतकाल में 4 रूप हैं और भविष्यत् में 12, इसका कारण यह है कि भूतकाल के कृदंत में पुरुष का अंतर नहीं है। आया, आता आदि कृदंत सिर्फ़ लिंग और वचन भेद बताते हैं। पुरुष की सूचना सहायक क्रिया (है, हो, हूँ आदि) के आधार पर मिलती है। भविष्यत् में पुरुष की भी सूचना है, यह एकल क्रिया है याने क्रिया का तिङन्त रूप है। कृदंत के कारण आया है आदि संयुक्त क्रियाएँ कहलाती हैं। एकल क्रिया से संयुक्त क्रिया का विकास अपभ्रंश से ही शुरू होता है। कृदंत तभी प्रभावी होते हैं, जब धातु रूप निश्चित हो जाएँ। जैसे हिंदी में

आ	या (भूतकालिक कृदंत)
जा	ता (वर्तमानकालिक कृदंत)
देख	(गया, क्रिया आदि अपवादों को छोड़कर)

अपभ्रंश में धातु रूप निश्चित हो गये और उनसे विभिन्न क्रिया रूपों की रचना व्यवस्थित होने लगी। इस दृष्टि से अपभ्रंश का रूप-रचना की दृष्टि से आधुनिक आर्य भाषाओं से सीधा संबंध है।

iv) जब शब्दों में विभक्ति आदि युक्त संश्लिष्ट रूप न बनें तो भाषा में पदक्रम अधिक निश्चित हो जाता है। जैसे "राम खाना खा रहा है" को "खाना राम खा रहा है" नहीं कह सकते। अपभ्रंश में आधुनिक भाषाओं की तरह पदक्रम अधिक सुनिश्चित हो गया था।

बोध प्रश्न 2

3) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) हिंदी साहित्य के आदिकाल में भी अपभ्रंश में साहित्य रचा गया था।

   ii) विद्वान पाँच प्राकृत भाषाओं का उल्लेख करते हैं।

   iii) कवि कालिदास ने प्राकृत में नाटक रचना की थी।

   iv) क्रिया रूपों की संख्या क्रमशः संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश में कम होती गयी।

   v) अपभ्रंश भी संस्कृत की तरह संयोगात्मक भाषा है।

4) उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें।

   i) अपभ्रंश को ··············भी कहा जाता है (अवहट्ठ/शौरसेनी)

   ii) अपभ्रंश में आधुनिक आर्य भाषाओं की ये तीन विशेषताएँ मिलती हैं — क) ·············· ख)·············· ग) ··············

   iii) विद्वान प्राकृत की ·············· और अपभ्रंश की ·············· बोलियाँ मानते हैं।

   iv) अपभ्रंश में लिखा गया प्रमुख रासो ग्रंथ है ·············· ।

   v) जहाँ संस्कृत में संज्ञा शब्द के ·············· रूप बनते थे, अपभ्रंश में ये ·············· ही रह गये।

5) अपभ्रंश साहित्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

7.6 आर्य भाषाओं का विकास क्रम

अपभ्रंश भाषाओं की समाप्ति के बाद लगभग 1000 ई. से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास शुरू होता है। लेकिन यह विकास क्रम स्पष्ट रूप में हमारे सामने नहीं आता, क्योंकि तत्कालीन साहित्य का लिखित रूप हमारे सामने नहीं है। भाषाओं के विकास को हम व्याकरण ग्रंथों से देख सकते हैं। लेकिन इस युग की भाषाओं का व्याकरण भी लिखा नहीं गया होगा। इसकी तुलना में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में उपलब्ध साहित्य सुरक्षित हैं और इनमें व्याकरण भी लिखे गये थे, जो आज भी उपलब्ध हैं।

दूसरी तरफ़ यह कहना कठिन हो सकता है कि अपभ्रंश का बोलचाल की भाषा या जनभाषा के रूप में कब तक प्रयोग होता रहा। संभव है कि अपभ्रंशों और आधुनिक आर्य भाषाओं के संक्रांति काल में दोनों का कुछ दिन प्रयोग होता रहा हो। बोलचाल की भाषा के रूप में अपभ्रंश के समाप्त होने के बाद भी इसमें साहित्य रचना होती रही। हिंदी साहित्य के आदि काल में लगभग 14वीं सदी तक पुरानी हिंदी और अपभ्रंश दोनों में हमें साहित्य मिलता है।

7.7 सारांश

इस इकाई में हमने संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच भाषा के परिवर्तनों को क्रमशः पालि, प्राकृत और अपभ्रंश में देखा। संस्कृत विशिष्ट भाषा थी। इसमें संज्ञा के कई रूप थे, जो तीनों लिंगों में अलग-अलग धातु रूपों में वर्गीकृत थे। हर धातु शब्द के आठ कारकों में चौबीस रूप बनते थे। हिंदी में दो लिंगों में सिर्फ़ 5-6 प्रकार के संज्ञा शब्द हैं और हर संज्ञा शब्द के सिर्फ़ 6 रूप बनते हैं। उसी तरह क्रिया में सैकड़ों धातु रूप थे और हर धातु के 540 क्रिया रूप बनते थे। हिंदी में क्रिया धातु सिर्फ़ 5-6 ही प्रकार के हैं और हर क्रिया धातु से सिर्फ़ 25-30 रूप बनते हैं। सरलीकरण के इस इतिहास को हमने पालि, प्राकृत और अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं के संदर्भ में देखा।

पालि में द्विवचन समाप्त हो गया और अपभ्रंश तक आते-आते नपुंसकलिंग भी समाप्त होने लगा। पालि और प्राकृत में संज्ञा तथा क्रिया के रूप संस्कृत के अनुसार थे। अपभ्रंश में संज्ञाओं में परसर्ग चिह्न जोड़ने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इसी तरह क्रियाओं का सरलीकरण हुआ और कृदंत रूपों में सहायक क्रिया जोड़कर क्रिया बनाने का प्रारंभ हुआ। इस तरह संस्कृत की संयोगात्मकता से आधुनिक आर्य भाषाओं की वियोगात्मकता तक की यात्रा इन भाषाओं के विकास क्रम को दर्शाती है। इस दृष्टि से अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अधिक निकट है।

ध्वनि परिवर्तन के क्रम के आधार पर हम आधुनिक आर्य भाषाओं के तद्भव शब्दों की ध्वनि संरचना को समझ सकते हैं।

चूंकि इन भाषाओं का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता और आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक स्वरूप का हमारे सामने लिपिबद्ध ब्यौरा नहीं है, यह बताना कठिन है कि अपभ्रंश से आगे का विकास क्रम क्या रहा। हम सिर्फ़ अनुमान कर सकते हैं कि भिन्न-भिन्न अपभ्रंशों से भिन्न-भिन्न भाषाओं का विकास हुआ।

7.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

पालि भाषा और साहित्य इन्द्र चंद्र शास्त्री, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दि. वि.1987

अपभ्रंश : भाषा और व्याकरण शिव सहाय पाठक, म.प्र.हि. ग्रंथ अकादमी, 1976.

हिन्दी भाषा का उद्‌भव और विकास उदय नारायण तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, 1965

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) गलत ii) सही iii) गलत iv) गलत v) सही

2) i) सादृश्य ii) वचन iii) अशोक के शिलालेखों iv) संस्कृत v) स्थानीय रूप

बोध प्रश्न 2

3) i) हाँ ii) हाँ iii) नहीं iv) हाँ v) नहीं

4) i) अवहट्ठ ii) क) परसर्ग ख) संयुक्त क्रिया ग) निश्चित पदक्रम iii) 5.6 iv) संदेश रासक v) 24

5) अपने उत्तर में अ) जैन काव्य आ) बौद्ध सिद्धों का काव्य, और इ) रासो काव्य की चर्चा करें।

इकाई 8 हिंदी भाषा का विकास

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य
8.1 प्रस्तावना
8.2 हिंदी भाषा का विकास
  8.2.1 हिंदी का आदिकाल
  8.2.2 हिंदी का मध्यकाल
8.3 आधुनिक काल में हिंदी
  8.3.1 खड़ी बोली का विकास
  8.3.2 19वीं सदी के बाद खड़ी बोली का विकास
8.4 हिंदी और उर्दू की समस्या
8.5 भारतेंदु युग और हिंदी
8.6 बीसवीं शताब्दी में हिंदी
8.7 सारांश
8.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
8.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई में हिंदी भाषा की विकास यात्रा और विकास की विविध धाराओं का वर्णन है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- अपभ्रंश के बाद हिंदी के विकास का वर्णन कर सकेंगे;
- खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप का परिचय दे सकेंगे;
- हिंदी की धारा दकनी (या दक्खिनी) के विकास क्रम का वर्णन कर सकेंगे;
- हिंदी की बोलियों के साहित्य और स्वरूप का परिचय दे सकेंगे;
- आधुनिक युग में खड़ी बोली के विकास का वर्णन कर सकेंगे; और
- देश की भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

इस इकाई से पूर्व आप संस्कृत भाषा से निकलने वाली पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं के विकास के इतिहास का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अपभ्रंश भाषा की समाप्ति 10वीं शताब्दी के अंत तक हो जाती है और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से हिंदी भाषा के विकास की कहानी आरंभ होती है। 11वीं शती से अपनी यात्रा आरंभ कर आज हिंदी हमारे सामने जिस रूप में आ खड़ी हुई है उससे तो हम लोग परिचित हैं। आज के इस रूप तक पहुँचने में हिंदी की इस यात्रा में जो-जो परिवर्तन हुए हैं उन सबकी चर्चा इस इकाई में की जाएगी। प्रारंभ में हिंदी का वह रूप जो अपभ्रंश से विकसित होकर सामने आया वह प्राकृत, अपभ्रंश की शब्दावली से ओतप्रोत था। धीरे-धीरे हिंदी के इस रूप में विकास हुआ और आगे चल कर उसकी बोलियाँ विकसित हुईं। मुस्लिम शासकों के भारत में आने के बाद उसमें अरबी-फ़ारसी का पुट आया और हिंदी की एक शैली "उर्दू" के नाम से विकसित हुई। इसके अतिरिक्त इन्हीं मुस्लिम शासकों के दक्षिण भारत में पहुँचने पर वहाँ भी दक्षिण भाषाओं के संपर्क से "दक्खिनी हिंदी" के रूप में विकसित हुई। हम इन सभी विकास के सोपानों का विस्तार से इस इकाई में अध्ययन करेंगे।

हिंदी भाषा के विकास में हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व योगदान रहा है। हिंदी भाषा के विकास की हमें दो सरणियाँ दिखाई देती हैं। एक है हिंदी के गद्य साहित्य के विकास की और दूसरी है हिंदी के बोलचाल के

स्वरूप की। हिंदी के इन दोनों ही रूपों का किस प्रकार विकास हुआ इस इकाई में इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला तथा वह आज विभिन्न प्रयोजनों का सशक्त माध्यम ही नहीं है, बल्कि सारे देश में उसका अस्तित्व संपर्क भाषा के रूप में मान्य हुआ है। इस इकाई में आपको इसकी भी जानकारी दी जाएगी।

8.2 हिंदी भाषा का विकास

अब तक आप पढ़ चुके हैं कि संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश से होता हुआ हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ है। अपभ्रंश और हिंदी के मध्य भी एक भाषा की स्थिति बताई जाती है जिसे विद्वानों ने अवहट्ट की संज्ञा प्रदान की है। इसी को कुछ लोग प्राचीन हिंदी भी कहते हैं। वस्तुतः यह माना जाता है कि **1000** ई. के आसपास प्रयाग तथा काशी तक बोली जाने वाली शौरसेनी और मागधी अपभ्रंशों से ही हिंदी तथा उसके सभी रूपों का जन्म हुआ है। प्राचीन हिंदी पर प्राकृत तथा अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह वह समय है जब कि हिंदी की बोलियों के रूप भी विकसित नहीं हुए थे। लेकिन आगे चलकर जब हिंदी के रूपों में विकास होता है तब इस भाषा का मुसलमानों से संपर्क होता है। **16**वीं शताब्दी तक पहुँचते-पहुँचते हिंदी से प्राकृत-अपभ्रंश के प्रभाव तो समाप्त हो जाते हैं, पर अब उसकी अपनी प्रमुख बोलियों के साथ एक ऐसा रूप भी खड़ा हो जाता है जो अरबी-फ़ारसी की शब्दावली से युक्त है। **19**वीं शताब्दी में भारत की राजसत्ता में फिर परिवर्तन होता है। अंग्रेजी राज की स्थापना होती है और यहीं से समुचित ढंग से हिंदी खड़ी बोली का विकास आरंभ होता है।

इस प्रकार हिंदी भाषा के विकास की कहानी **1000** ई. के आसपास शुरू होती है। हम इन लगभग **1000** वर्षों के इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित कर करेंगे—

1) हिंदी का आदिकाल (**1000** ई. से **1500** ई. तक)
2) हिंदी का मध्यकाल (**1500** से **1800** ई. तक)
3) हिंदी का आधुनिक काल **1800** ई. के बाद आज तक)

यहाँ एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि आरंभिक हिंदी भाषा का स्वरूप समझने के लिए हमें उस समय के साहित्य को ही आधार बनाना होगा और तब हमें हिंदी भाषा का आदिकाल भी वही मानना होगा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल है।

8.2.1 हिंदी का आदिकाल

शायद आप लोग जानते ही हैं कि ग्यारहवीं सदी के पहले से ही भारत पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए थे और लगभग दो सौ वर्षों में उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यों तो उनकी अपनी भाषा या राजभाषा फ़ारसी थी पर भारतीयों के साथ व्यवहार एवं संपर्क करने के लिए उस समय प्रचलित प्राचीन हिंदी ही साधन बनी और धीरे-धीरे आदिकाल के आगामी पाँच सौ वर्षों में इसी प्राचीन हिंदी से विकसित अनेक रूप सामने आ गए। इन्हीं रूपों में से एक रूप ''डिंगल'' कहलाया। ''डिंगल'' हिंदी का वह रूप है जिसका संबंध राजस्थानी साहित्य से है। डिंगल साहित्य की दो प्रमुख रचनाओं का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। एक है — श्रीधर कृत ''रणमल छंद'' (**1400** ई. के आसपास) तथा कल्लौल कवि द्वारा रचित ''ढोला मारूरा दोहा'' (**1473** ई.) । हिंदी भाषा का एक दूसरा रूप विकसित हुआ जिसका नाम ''पिंगल'' पड़ा। पिंगल वस्तुतः मध्य देश की साहित्यिक ब्रजभाषा का नाम था। इस काल में हिंदी का एक तीसरा रूप और उपलब्ध होता है जिसे कुछ विद्वानों ने ''हिन्दवी'' की संज्ञा दी। हिंदी का यह रूप हमें तेरहवीं शताब्दी के आसपास खुसरो के साहित्य में दिखाई देता है। यह भाषा डिंगल या अपभ्रंश मिश्रित भाषा रूप से भिन्न है। वास्तव में यह भाषा का वह रूप है जो जनसामान्य के बीच उस समय प्रचलित रहा होगा।

आदिकालीन हिंदी साहित्य के विकास में उस समय उपलब्ध धार्मिक साहित्य – जैन, बौद्ध, नाथ, सिद्ध आदि का बड़ा योगदान है। जैन साहित्य की भाषा हिंदी के आदिकालीन स्वरूप का परिचय देती है। यह भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है। जैन कवि सोमप्रभ सूरि की कविता का एक उदाहरण देखिए—

रावण जायउ जहि दियहि दह मुंह एक सरीरू।
चिंताविय तइयिय जणणि कवजु पियावएँ खीरू

(जिस दिन दस मुँह और एक शरीर वाला रावण पैदा हुआ, उस समय उसकी जननी को यह चिंता हुई कि दूध किसमें पिलाऊँ)

प्राचीन हिंदी के अंतर्गत बौद्ध और सिद्धों की कविताओं की भाषा में पश्चिमी एवं पूर्वी अपभ्रंश के शब्दों का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। बौद्धों की एक शाखा थी वज्रयान। इसी शाखा से संबंधित गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ की स्थापना की थी। वास्तव में नाथ पंथ अपने से पूर्व के सिद्ध युग तथा आगामी संत युग के बीच की कड़ी है। संत साहित्य के प्रवर्तक कबीर दास पर नाथपंथियों का गहरा प्रभाव था। नाथ पंथी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। नाथ पंथियों की भाषा प्राचीन पश्चिमी हिंदी की बोलियों के मिश्रित रूप में थी। गोरखनाथ की भाषा का एक उदाहरण देखिए —

हसिबा बोलिबा रंग। काम क्रोध न करिबा संग।
हसिबा बोलिबा गाइबा गीत। ढिढ करि राषि अपना चीत।

(हँसो, खेलो, रँगरेली मनाओ (किन्तु) काम-क्रोध का संग कभी न करो। हँसो, खेलो, गीत गाओ (पर) अपने. चित्त को दृढ़ करो)

हिंदी के प्राचीन रूप को विकास के चरण की ओर आगे ले जाने में आदिकालीन रासो साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यों तो इतिहासकारों ने अनेक रासो ग्रंथों का उल्लेख किया है परन्तु इनमें बीसलदेव रासो तथा पृथ्वीराज रासो विशेष महत्व की रचनाएँ हैं। बीसलदेव रासो की भाषा में डिंगल तथा पिंगल दोनों ही भाषाओं के रूप मिलते हैं परन्तु पृथ्वीराज रासो की भाषा में जगह-जगह तरह-तरह के भाषा रूप उपलब्ध होते हैं। कहीं उसमें हिंदी, कहीं राजस्थानी मिश्रित हिंदी, कहीं ब्रजभाषा के रूप, कहीं विकृत अपभ्रंश के रूप दिखाई देते हैं। अधिकांश विद्वानों ने तो उसकी भाषा पिंगल ही बताई है जो ब्रजभाषा का ही प्राचीन रूप है। पृथ्वीराज रासो की भाषा का एक नमूना देखिए—

छत्तियं हथ्थ धरंत, नयन्नन चाहिएउ

(पृथ्वीराज की) छाती पर (जैसे ही दासी ने) हाथ रखा, (तो उसने) नेत्र खोलकर (उसकी ओर) देखा।

आदिकालीन साहित्य में जगनिक के आल्हाखंड का भी विशेष स्थान है। जगनिक का समय **1173** ई. बताया गया है और माना जाता है कि वे चंदबरदाई के समकालीन थे। हिंदी भाषी प्रदेशों में आल्हा का गान गाँव-गाँव में प्रचलित है। इस ग्रंथ में देश के दो प्रसिद्ध वीरों – आल्हा तथा ऊदल की वीरता तथा उनके युद्धों का वर्णन है। जगनिक की भाषा का एक उदाहरण यहाँ देखा जा सकता है —

पैदल के संग पैदल भिड़िगै और असवारन से असवार।
हौदा के संग हौदा मिल गये, हाथिन अड़ी दाँते से दाँत॥

पीछे हमने तेरहवीं शताब्दी के आसपास विकसित हिंदी के एक अन्य रूप ''हिन्दवी'' की चर्चा की थी जिसकी झलक हमें अमीर खुसरो के साहित्य में दिखाई देती है। खुसरो ने मनोरंजन करने वाले साहित्य की रचना की है उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले तथा दो/सखुन लोगों में बड़े लोकप्रिय हुए जिनमें हिंदी के सरल, स्वाभाविक और बोलचाल की भाषा के रूप के दर्शन होते हैं। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं —

दो/सखुन

सितार क्यों न बजा
औरत क्यों न नहाई – परदा न था

पहेली

एक थाल मोती से भरा
सब के सिर पर औंधा धरा।
थाली सब के सिर पर फिरे
मोती उससे एक न गिरे॥

हिंदी ज़बान में रचित लोरक और चंदा के प्रेम का मसनवी रूप हमें मुल्ला दाऊद के चंदायन नामक ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। मुल्ला दाऊद की यह रचना सूफ़ी काव्य परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। उक्त काव्य की रचना **14**वीं शताब्दी में हो चुकी थी, ऐसा इतिहासकारों ने माना है। चंदायन की भाषा में अवधी, भोजपुरी, ब्रज तथा खड़ी बोली का मिश्रण दिखाई देता है। एक उदाहरण देखिए—

"जेहि हिय चोट लागि सो जानी।
कइ लोरिक, कइ चंदा रानी।
सुखी न जान, दुख काहू केरा।
जानइ सोई परई जेहि बेरा।
पेम आँच जेहि हियरे लागइ।
नींद जाइ तपि तपि निसि जागइ।
सात सागर जल बरिसहि आई।
पेम आगि कैसेहुं न बुझाई।"

चौदहवीं शताब्दी में जब मुसलमान शासकों ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करना आरंभ कर दिया था, तब इन शासकों के साथ मौलवी, व्यापारी आदि भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए और इन लोगों के साथ गई वह हिंदी भाषा जो उस समय राजधानी के आसपास बोली समझी जाती थी। दक्षिण भारत के निवासियों के साथ व्यवहार एवं जन संपर्क के लिए अब एक ऐसा भाषा रूप विकसित होने लगा जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्द भी शामिल हो गए। धीरे-धीरे भाषा के इस रूप ने स्थिरता प्राप्त की और यही आगे चल कर "दकिनी" या "दक्खिनी हिन्दी" के नाम से जानी गई। यह खड़ी बोली का वह रूप है जिसमें एक ओर ब्रजभाषा तथा फारसी के शब्दों का बाहुल्य है तो दूसरी ओर दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्दों का।

8.2.2 हिंदी का मध्यकाल

हिंदी के मध्यकाल का समय विद्वानों ने **1500** ई. से **1800** ई. तक लगभग 300 वर्षों का निर्धारित किया है। इस समय तक आते-आते अब हमें हिंदी के स्वरूप में स्थिरता के दर्शन होते हैं और वह आत्मनिर्भर होने लगती है। अपभ्रंश के जो रूप प्राचीन हिंदी में चले आए थे वे इस समय तक प्रायः लुप्त हो जाते हैं। हिंदी की तीन प्रमुख बोलियाँ – ब्रज, अवधी और खड़ी बोली भी अब अपना अस्तित्व बना लेती हैं और विकसित अवस्था में दिखाई देती हैं। यद्यपि साहित्य के क्षेत्र में तो हमें ब्रज तथा अवधी की ही प्रधानता मिलती है पर बोलचाल की भाषा के रूप में खड़ी बोली का वर्चस्व बना रहता है।

उत्तर भारत में इस काल के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा तथा अवधी को अपने साहित्य की भाषा बनाया। इस काल की महत्वपूर्ण घटना है दक्षिण भारत में जन्मी "भक्ति" का उत्तर भारत में आना। भक्त कवियों ने अपनी स्निग्ध वाणी द्वारा जनता के हृदय में भक्ति का संचार किया। इस दृष्टि से संतों, सूफ़ियों तथा वैष्णव भक्तों का इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। जायसी, सूर, तुलसी, मीरा और कबीर भक्ति काल के वे चमकते सितारे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी द्वारा ब्रज तथा अवधी का परिमार्जन एवं परिष्कार कर संपूर्ण विकास किया। सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक तो अनेक धार्मिक सुधारक जैसे दादू, गुरु गोविंद सिंह, प्राणनाथ आदि भी सामने आ जाते हैं जो अपनी वाणी से एक ओर जनता के मन को शांति पहुंचाते हैं तथा दूसरी ओर हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

जहाँ तक हिंदी के रीतिकालीन साहित्य का प्रश्न है, इस युग के संपूर्ण साहित्य पर प्रधानतः ब्रजभाषा का ही आधिपत्य रहा। यहाँ आकर ब्रजभाषा अपने कलात्मक वैभव को प्राप्त करती है। बिहारी, मतिराम, घनानंद, देव, भूषण आदि रीतिकाल की वे हस्तियाँ हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में काव्यकला की दृष्टि से उत्तम साहित्य प्रस्तुत किया।

लेकिन इस काल की एक अन्य साहित्यिक दृष्टि से बड़े ही महत्व की घटना यह है कि हमें इस काल में खड़ी बोली गद्य के विकास का पहला चरण दृष्टिगोचर होता है। डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के शब्दों मे, "...... खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रथम सोपान, जिसका सूत्रपात **1500** ई. के लगभग प्रारंभ में किसी अज्ञात कवि द्वारा रचित सूफी काव्य "कुतुबशतक" पर लिखे वार्तिक तिलक, औरंगजेब के लगभग समकालीन स्वामी प्राणनाथ और उनके शिष्यों की रचनाओं में, **1742** में रामप्रसाद निरंजनी के 'भाषा योग वशिष्ठ' और **1762** में दौलतराम के जैन पद्मपुराण से होता है।"

इन सबके विषय में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी।

8.3 आधुनिक काल में हिन्दी

आधुनिक काल तक आते-आते (19वीं सदी) हिंदी लगभग पूरी तरह विकसित हो जाती है। यह युग वह युग

है जब हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रवेश मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 19वीं सदी का आरंभिक युग खड़ी बोली के विकास को लेकर आरंभ होता है। ब्रज भाषा जो एक लंबी अवधि तक हिंदी साहित्य के पटल पर छाई हुई थी, उसका प्रभाव लुप्त हो जाता है । **19**वीं सदी के आरंभ में तो हिंदी काव्य साहित्य की भाषा तो ब्रजभाषा बनी रहती है लेकिन गद्य साहित्य का लेखन खड़ी बोली में ही आरंभ होता है। **1920-25** के आसपास पहुँचकर धीरे-धीरे हिंदी कविता भी खड़ी बोली में होने लगती है और ब्रजभाषा अब हिंदी की एक बोली मात्र रह जाती है।

खड़ी बोली का विकास ही सही अर्थों में हिंदी का विकास है। अतः इसका विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे।

8.3.1 खड़ी बोली का विकास

खड़ी बोली का समुचित विकास तो शुरू होता है आधुनिक काल के आरंभ से ही, परन्तु खड़ी बोली में बोलचाल तथा साहित्य लिखने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। यह 19वीं शताब्दी की देन नहीं है। खड़ी बोली के संपूर्ण इतिहास एवं उसके विकास को समझने के लिए हम उसका अध्ययन दो वर्गों में विभाजित करना चाहेंगे। पहला है 19वीं सदी का इतिहास तथा दूसरा 19वीं सदी के बाद का।

19वीं सदी का पूर्वार्द्ध

19वीं सदी के पहले खड़ी बोली गद्य साहित्य के संकेत तो हमें बराबर मिलते रहे हैं परन्तु उस भाषा का स्वरूप आज की खड़ी बोली जैसा नहीं था। ग्यारहवीं सदी का एक काव्य ग्रंथ है 'राउलवेल'। इस ग्रंथ में हमें खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप दिखाई देता है। यह भाषा का वही रूप है जो दिल्ली, मेरठ तथा पंजाब के आसपास बोला जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी से पहले हिंदी साहित्य में कविता की प्रधानता थी, गद्य की नहीं यह बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और कविता में भी हमें खड़ी बोली के संकेत मात्र ही प्राप्त होते हैं। गोरखनाथ जी द्वारा चलाए गए नाथ पंथ की हम चर्चा कर चुके हैं। गोरखबानी तथा नाथ सिद्धों की बानियों में हमें जगह-जगह खड़ी बोली रूपों के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। 16वीं सदी के आरंभ का **एक सूफ़ी** ग्रंथ 'कुतुबशतक' प्राप्त होता है। इसके कवि कौन हैं यह पता नहीं चल सका है। इस गद्य के **वातिक तिलक** की भाषा दकिनी जैसी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए—

> ''तब ग्यारह सौ आदमी कुतुबुद्दीन नवल पास रखे तिसमें पंच सौ बूढ़ी । तिन्हौं के हाथ पंच सौ सोवन लठी। छिह सै छड़ीदार सोने की छड़ी लिए रहौ। तिन्हौं को पातिस्याह हुकुम कीया कि वारीया बेलिया नैना विषलावों। पै साहिजाय अनंत जणै न पावै। ग्यारह सै आदमी उसी भंझति रखे ······।''

प्रणामी संप्रदाय की स्थापना स्वामी प्राणनाथ ने की थी। स्वामी जी की **1678** ई. में लिखी गई एक गद्य रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है – ''शेखमीराजी का किस्सा''। इस ग्रंथ की भाषा से तत्कालीन हिंदी के स्वरूप का पता चलाया जा सकता है। यों तो प्राणनाथ जी की मातृभाषा सिंधी तथा गुजराती रही थी और वे अपनी रचनाएँ गुजराती में किया करते थे। एक बार वे उत्तर भारत आए और फिर उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएँ करना आरंभ कर दिया। स्वयं प्रणामीजी ने इस भाषा का नाम ''हिन्दुस्तानी'' दिया है। उन्होंने 'सनंध' नामक पुस्तक की रचना की जिसे वे औरंगजेब को भेजना चाहते थे। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है —

बिना हिसाबे बोलियाँ, मिले सरल महान। सबसे सुगम जानके, कहूंगो हिन्दुस्तान।
बड़ी भाषा ये ही भली, जो सब में जाहिर। करने पाक सबन को, अंतर माहे बाहेर।।

(प्राणनाथ जी जानते थे कि संसार में तो न जाने कितनी (वेहिसाब) भाषाएँ हैं लेकिन सबसे सुगम 'हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तानी) ही है। यह भाषा ही सबसे बड़ी भाषा है जो सरल है, महान है और सब लोगों के अंतर एवं बाह्य को पाक करने वाली है।)

प्रणामी साहित्य गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलता है। इनका गद्य साहित्य तो खड़ी बोली में ही लिखा गया है। डॉ. वार्ष्णेय के अनुसार ''यह गद्य साहित्य लगभग **1650-1680** ई. के मध्य लिखा गया है। इस दृष्टि से यह उत्तरी भारत में लिखित उर्दू के गद्य साहित्य से लगभग **100** वर्ष पुराना है। उर्दू गद्य की प्रथम रचना 'दहमजलिस या मरबल कथा' का रचनाकाल बाद का है। गद्य साहित्य से यह सिद्ध हो जाता है कि खड़ी बोली गद्य साहित्य फोर्ट विलियम कॉलेज (**1800** ई.) से लगभग **150** वर्ष पूर्व से मिलने लगता है।'' (पृ. **193**)

स्वामी प्राणनाथ जी की गद्य रचना 'शेख मीराजी का किस्सा' में हिन्दू-मुस्लिम समस्याओं पर विचार किया

गया है। इस गद्य की भाषा का नमूना देखकर आप उस समय की खड़ी बोली के स्वरूप के बारे में जान सकते हैं। उदाहरण—

> '' तब उलमाहों ने जबाब दिया कि आखिरी जमाने में यानि क्यामत के दोरे में ज़ाहिर होयेंगे। तब हम मुसलमानों ने पूछा के आखेर कब होयेगी। तब उन उलमाहों ने कहा के आखर के दिन आए .....।''

खड़ी बोली की यह धारा हमें महाराष्ट्र के संत कवियों में देखने को मिलती है। नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि संतों की वाणी में विशुद्ध बोली के रूपों की झलक हमें प्राप्त होने लगती है। वैसे तो कबीर की भाषा को लोगों ने विभिन्न स्थानों की शब्दावली प्राप्त होने के कारण ''खिचड़ी भाषा'' कह दिया था, परन्तु कबीर स्वयं इस बात से परिचित रहे हैं कि वे अपनी कविता उसी भाखा (भाषा) में कर रहे हैं जो उस समय जन मानस में प्रचलित थी। संस्कृत भाषा तो उस समय के संभ्रांत वर्ग की भाषा रही होगी, जब कि 'भाखा' का संबंध जनसामान्य से था। कबीर लिखते हैं—

> ''संसकिरत कबिरा कूप जल, भाखा बहता नीर

लेकिन महाराष्ट्र के इन संतों के काव्य में तो खडी बोली के रूपों की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नामदेव के पद की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए—

> पांडे तुम्हारा महादेव, धौल बदल चढ़्या आवत देखा था।
> मोदी के घर खाना पाका, वाका लड़का मार्‌या था।।

जहाँ तक मध्यकालीन राम और कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रश्न है वह अवध एवं ब्रज प्रदेशों से राम और कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण संबद्ध रहा। यही कारण है कि राम साहित्य की रचना अवधी में तथा कृष्ण साहित्य की रचना ब्रजभाषा में होती रही। फिर भी अनेक कवियों के साहित्य में जाने अनजाने लोक प्रचलित भाषा खड़ी बोली के तत्व भी आ ही गए हैं। इस संदर्भ में ब्रजभाषा के मर्मज्ञ महाकवि सूरदास की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं—

> हे दैया मतवाला योगी, द्वारे तेरे आया है।
> देखो मैया तैरा बालक, जिन मोय चटक लगाया है।।

अगर चंद नाहटा ने उल्लेख किया है कि **16**वीं सदी की 'नव बोली छंद' नामक एक रचना प्राप्त होती है जिसमें जैसलमेरी, गुजराती, मुल्तानी तथा दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली बोली के नमूने प्राप्त होते हैं। इनमें दिल्ली की बोली के उदाहरणों से पता चलता है कि यह उस समय की प्रचलित भाषा रही होगी। गंग नामक कवि की एक रचना है जिसका नाम है ''चंद छंद बरनन की महिमा''। यह कवि अकबर के शासन काल में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक की भाषा को शिष्ट समाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा की संज्ञा प्रदान की है।

भक्तिकाल के उपरान्त रीतिकाल तो दरबारी वातावरण में पल्लवित हुआ। रीतिकालीन कविता की भाषा ब्रजभाषा ही है परन्तु यदि बारीकी से देखा जाए तो भक्तिकाल की ब्रजभाषा तथा रीतिकालीन ब्रजभाषा में कुछ अंतर देखे जा सकते हैं। रीतिकालीन ब्रजभाषा में दरबारी आग्रह के कारण खड़ी बोली के तत्वों की झलक अधिक दिखाई देती है। रहीम, आलम, घनानंद, गंग, ग्वाल, रघुनाथ आदि ऐसे ही कवि हैं। इनमें घनानंद की 'विरह लीला' और रघुनाथ की 'इश्क महोत्सव' ऐसी कृतियाँ हैं जो विशुद्ध खड़ी बोली में लिखी गई हैं।

18वीं शताब्दी में महामहोपाध्याय वररुचि ने 'पत्र कौमुदी' नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक के माध्यम से बररुचि ने पत्र व्यवहार की शिक्षा देने का प्रयास किया है। आचार्य हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस पुस्तक में पाँच पत्रों के उदाहरण दिए गए हैं जिनकी भाषा हिन्दुस्तानी है। इस प्रकार **18**वीं सदी के आरंभ से ही उत्तर भारत की इस भाषा का नाम हिन्दुस्तानी चल पड़ा था। **18**वीं सदी में ही रामप्रसाद निरंजनी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है 'भाषा योग वशिष्ठ'। सही मायनों में यही खड़ी बोली गद्य की पुस्तक समझी जानी चाहिए। इस पुस्तक की भाषा के बारे में चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि लोगों को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि खड़ी बोली गद्य का विकास अंग्रेजों की प्रेरणा से हुआ था बल्कि खड़ी बोली गद्य का विकास तो उससे पहले से ही हो गया था। निरंजनी जी की भाषा का एक नमूना आप स्वयं देख सकते हैं—

> '' हे भगवन आप सब तत्वों और सब शास्त्रों के जानन हारे हौ, मेरे एक संदेह को दूर करौ। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाय के कहो।'' (योग वशिष्ठ)

निरंजनी के साथ-साथ **दौलतराम का ग्रंथ** ''पद्म पुराण'' भी हमें खड़ी बोली गद्य की शुरुआत के संकेत देता है। पद्म पुराण की भाषा का रूप इस प्रकार का है—

> ''जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र विषै मगध नामा देश अति सुंदर है जहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं, इन्द्रलोक समान सदा भोगोपभोग करैं हैं और भूमि विषै सांठेन के बाड़े शोभायमान हैं।''

उधर दक्षिण भारत में तो उत्तर भारत की तुलना में गद्य लेखन की परंपरा और भी अधिक व्यवस्थित ढंग से विकसित होती हुई देखी जा सकती है। हम पीछे बता भी आए हैं कि जैसे-जैसे दक्षिण भारत में मुसलमान शासकों का राज्य स्थापित होता चला गया वैसे-वैसे दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा वहाँ फैलती चली गई। डॉ. चटर्जी ने लिखा है कि **14**वीं शताब्दी के अंत तक दक्षिण के मुसलिम राज्य उत्तर की भाषा के केंद्र बन चुके थे। ये राज्य थे बहमनी साम्राज्य तथा उसके तत्कालीन पाँच भाग – बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। धीरे-धीरे **17**वीं शताब्दी तक इस भाषा ने वहाँ की साहित्यिक भाषा का दरजा ले लिया और यह वहाँ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। यही भाषा विद्वानों द्वारा दकनी/दकिनी या दक्खिनी के नाम से जानी गई।

इस दकिनी के भी बोलचाल के स्तर पर अनेक रूप दिखाई देते हैं। औरंगाबाद और उसके आसपास की भाषा में मराठी के लक्षण अधिक हैं, जब कि गुलबर्गा और बीजापुर की भाषा में कन्नड़ का प्रभाव अधिक है; जब कि हैदराबाद की भाषा में तेलुगु भाषा का पुट अधिक मिलता है। लेकिन जहाँ तक साहित्यिक दकिनी का प्रश्न है इसमें अधिक स्थिरता एवं एकरूपता है।

दकिनी में गद्य एवं पद्य दोनों में साहित्य लिखा गया है। ख्वाजा बन्दानवाज गेसूदराज हुसैनी (**1318-1422** ई.) इसके पहले कवि माने जाते हैं। अब्दुस्समद ने **1553** ई. में एक गद्य की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 'तफसीरे बहावी'। हुसैनी के ही समकालीन शाहमीरान की 'मरकुबुल कलूब' तथा शाहबुरहाबुद्दीन की 'कलमतुल हाकायत' भी गद्य साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। वजही जो एक बहुत अच्छे कवि भी थे, उनकी 'सबरस' नामक पुस्तक (**1620** ई.) आधुनिक हिंदी के बहुत निकट की रचना है।

8.3.2 19वीं सदी के बाद खड़ी बोली का विकास

उन्नीसवीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया था। अब उनके लिए यह आवश्यकता थी कि वे अपना राज कांज सुचारु रूप से चलाने के लिए यहाँ की भाषा सीखें। उस समय उनके समक्ष हिंदी की दो धाराएँ थीं – एक तो था हिंदी के बोलचाल का रूप तथा दूसरा रूप था जो मुसलिम दरबारों से होता हुआ आया था। यह वह रूप था जिसका प्रयोग मुसलमानों द्वारा होता था और जिसका नाम उर्दू पड़ा। पर दिन दैनिक् कार्यों के लिए बोलचाल की भाषा को ही आधार बनाया जा सकता था। सामान्य प्रशासन के लिए जिस भाषा की आवश्यकता थी उसके लिए जनसामान्य के बीच प्रयुक्त होने वाली खड़ी बोली को ही लिया जा सकता था। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी को स्वीकृति मिली और धीरे-धीरे उसका विकास हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन सामंतों से पहले पहल संपर्क हुआ उनके दरबारों में खड़ी बोली का ही प्रचलन था। साथ ही इधर अंग्रेज सरकार ने अपनी सुविधाओं के लिए मुद्रण यंत्र स्थापित किए तो खड़ी बोली और प्रेस का संबंध स्थापित हो गया। **19**वीं शती के आरंभ होते-होते खड़ी बोली में अंग्रेजी से अनूदित सामग्री प्रकाश में आने लगी। इस प्रकार इस सदी के आरंभ में ही खड़ी बोली हिंदी गद्य की आधारभूत भाषा बन गई।

लेकिन अभी भी खड़ी बोली का व्यवस्थित ढंग से विकास आरंभ नहीं हो पाया था। यह कार्य हुआ कलकत्ता में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद। वस्तुतः फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पीछे भी अंग्रेजों का अपना हित था। लार्ड वेलेज़्ली अंग्रेज अफ़सरों को भाषा की शिक्षा दिलाना चाहते थे। इसके लिए जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में 'ओरिएंटल सेमिनरी' नामक संस्था की स्थापना की गई और आगे चल कर यही संस्था फ़ोर्ट विलियम कालेज के नाम से जानी गई। गिलक्राइस्ट की अपनी मान्यता थी कि हिन्दुस्तानी की तीन शैलियाँ हैं— (1) दरबारी फ़ारसी (2) हिन्दुस्तानी शैली या उर्दू तथा (3) हिन्दवी या गँवारू शैली। गिलक्राइस्ट ने इन तीनों शैलियों में से दूसरी शैली अर्थात् उर्दू को महत्व दिया। जो भी हो उन्होंने जिसे उर्दू कहा था यह था खड़ी बोली का ही रूप।

1802 ई. में इस कालेज में भाषा मुंशी के पद पर लल्लू जी लाल की नियुक्ति की गई और इस कालेज के मंच से अनेक पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गईं जिनमें 'सिंहासन बत्तीसी' 'बेताल पचीसी', 'शकुन्तला' नाटक आदि उल्लेखनीय हैं। गिलक्राइस्ट ने स्वयं भी दो पुस्तकें 'डिक्शनरी आफ़ इंग्लिश एण्ड हिन्दुस्तानी' (1787-90) तथा 'हिंदुस्तानी व्याकरण' की रचना की। यों तो फ़ोर्ट विलियम कालेज का पूरा माहौल उर्दू का ही था,

पर लल्लूलाल ब्रजभाषा से प्रभावित खड़ी बोली में लिखा करते थे। इसी संस्था में एक दूसरे विद्वान थे सदल मिश्र। वे भी हिंदी खड़ी बोली में साहित्य लेखन करते थे, परन्तु उनकी खड़ी बोली पर पूर्वी हिंदी का पुट अधिक परिलक्षित होता है। उसी समय फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर रहकर स्वतंत्र लेखन करने वालों में दो विद्वानों के कार्य इस दिशा में बड़े महत्व के हैं। मुंशी सदासुख लाल नियाज ने विष्णु पुराण के एक प्रसंग पर ग्रंथ लिखा था और मुंशी इंशा अल्ला खाँ की प्रसिद्ध कृति 'रानी केतकी की कहानी' उसी समय प्रकाशित होकर सामने आई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय खड़ी बोली गद्य के विकास को इन चारों ही महानुभावों – लल्लू जी लाल, सदल मिश्र, सदासुखलाल तथा इंशा अल्ला खाँ का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ।

इन चारों सज्जनों में मुंशी सदासुखलाल की भाषा ही टकसाली भाषा है क्योंकि यह भाषा का वह रूप है जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के परिवेश के बाहर रहकर विकसित हुआ। यही वह रूप था जो आम जनता के बीच परस्पर व्यवहार में लाया जाता था। इस भाषा रूप का एक नमूना देखिए—

> "इसे जान गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए, जो क्रिया भ्रष्ट हई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है ...... ।"

इतिहास को हमने पालि, प्राकृत और अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं के संदर्भ में देखा।

मुंशी सदासुख लाल की भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। एक अन्य उदाहरण और देखिए—

> "विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसकी मनोवृत्ति है, वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय हूजिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कहके लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और असत्य छिपाइए।"

हिंदी गंध के विकास में मुंशी सदासुखलाल के बाद दूसरा उतने ही सम्मान से स्मरण किया जाने वाला नाम है मुंशी इंशा अल्ला खाँ का। आपका गद्य भी सदासुखलाल की तरह फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के परिवेश से बाहर रह कर विकसित हुआ। मुंशी जी की सर्व प्रसिद्ध रचना जिसे हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिन्दी की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है, "रानी केतकी की कहानी" है। मुंशी जी की भाषा में सहजता, आत्मीयता एवं घरेलूपन के दर्शन होते है। देखिए उनकी भाषा का एक नमूना—

> "तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कह कर वह भभूत जो मुआ निगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छिनवा लूंगी।"

लल्लूलाल का रचनाकाल भी मुंशी इंशा अल्ला के आसपास का ही है। लल्लू जी लाल ने यों तो अनेक पुस्तकों की रचना की थी जैसे "राजनीति", "ब्रजभाषा व्याकरण", "सभा विलास", "लाल चंद्रिका" आदि, किन्तु उनको जो प्रसिद्धि मिली थी वह "प्रेम सागर" के कारण थी। प्रेमसागर में भागवत के दशम् स्कन्ध की कहानी को लिया गया है। उक्त ग्रंथ की रचना में लेखक ने अरबी-फ़ारसी के शब्दों को सायास न आने देने की चेष्टा की है अतः इसके कारण उनकी भाषा में वह सहजता जो इंशा अल्ला खाँ की भाषा में दिखाई देती है, लुप्त हो गई है। यहाँ स्वाभाविकता के स्थान पर पांडित्य प्रदर्शन अधिक झलकता है। "प्रेम सागर" से उनकी भाषा का एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं—

> "महाराज जब ऐसे समझाय बुझाय अक्रूरजी ने कुंती से कहा तब वह सोच समझ चुप हो रही और उनकी कुशल पूछ बोली, कहो अक्रूरजी, हमारे माता-पिता और भाई वासुदेव जी कुटुम्ब समेत भले हैं और श्री कृष्ण, बलराम कभी भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव अपने इन पाँच भाइयों की सुध करते हैं" ?

लल्लूलाल के साथ सदल मिश्र का नाम भी खड़ी बोली के विकास से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये भी फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के परिवेश में ही रचनाएँ लिख रहे थे। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाओं में नासिकेतोपाख्यान तथा "आध्यात्म रामायण" को काफी प्रसिद्धि मिली। सदल मिश्र की भाषा लल्लूलाल की तुलना में अधिक परिष्कृत है। उनकी भाषा पर ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का प्रभाव है परन्तु फिर भी यह वही भाषा है जो दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होती थी। नासिकेतोपाख्यान से उद्धृत निम्नलिखित उदाहरण देखिए—

> "यह सुनते ही राजा चिहुँक उठे। एक क्षण तो ईश्वर का ध्यान किया, फिर बोले महारानी! शीघ्र कहो क्या ऐसा अनर्थ हुआ कि जिससे इतनी घबरा रही हो मैंने जीवन दान दिया। इसका कारण कहो। हमारे जीते ही तुम्हारी यह अवस्था होय।"

खड़ी बोली गद्य के विकास में इसाई पादरियों का योगदान

कंपनी सरकार की छत्रछाया में ईसाई धर्म प्रचारक पादरियों ने खड़ी बोली के विकास में पर्याप्त मदद की है। इन ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य तो अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करना था और इसके लिए उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित कराए। **1801** में विलियम केटे ने सबसे पहले "न्यू टेस्टामेंट" का अनुवाद प्रकाशित कराया था। आगे चलकर सेण्ट मेथ्यू तथा सेण्ट जॉन के विचारों के अनुवाद प्रकाशित कराए गए। **1854** ई. में "हिस्ट्री ऑफ़ बाइबिल" का अनुवाद सामने आया। इस प्रकार इन ईसाई मिशनरियों ने अनेक छोटी बड़ी पुस्तकों का खड़ी बोली में प्रकाशन करा खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। पुस्तकों के प्रकाशन के अलावा इन लोगों ने शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए। जब इन शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता हुई तो विभिन्न विषयों जैसे– इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि की पुस्तकें तैयार कराई गई।

1801 से **1823** तक इन ईसाई मिशनरियों ने न केवल हिंदी में बल्कि अवधी, ब्रज, बघेली, मारवाड़ी, कन्नौजी आदि सभी भाषाओं में धर्म प्रचार से संबंधित लाखों पुस्तकें छपवायीं। यद्यपि व्याकरणिक दृष्टि से इन पुस्तकों की भाषा में वह परिपक्वता नहीं है और स्थान-स्थान पर अनके प्रकार की त्रुटियाँ भी हैं परन्तु इन्होंने हिन्दी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसकी भाषा के स्वरूप का अवलोकन करने के उद्देश्य से यहाँ **हम्बरलेन** द्वारा अनूदित "न्यू टेस्टामेंट" से, एक अंश उद्धृत है—

> "हे तुम सब जो परिश्रम करते हो और बोझ वाले होते हो, मेरे पास आवो और मैं तुम्हें सुस्तालूंगा। अपनेयों पर मेरा जुआ लेवो और मुझसे सिखो जिसमें मैं नरम और मन में लघु हूँ और तुम अपने जीवों से विश्राम पावोगे। क्योंकि मेरा जूवा सहज और मेरा भार हलका है। "

पत्र-पत्रिकाएँ और खड़ी बोली का विकास

19वीं सदी का पूर्वार्द्ध इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है कि इस युग में हिन्दी पत्रकारिता जन्म लेती है जिससे हिन्दी के विकास को दुगनी शक्ति एवं गति प्राप्त होती है। कलकत्ता निवासी पं. युगल किशोर को हिन्दी पत्रकार कला का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से **30** मई **1826** को "उदन्त मार्तण्ड" नामक पत्र प्रकाशित किया। परन्तु दुर्भाग्यवश ग्राहक उपलब्ध न हो पाने के अभाव में **4** दिसम्बर **1827** को यह पत्र बंद हो गया। इसके बाद **9** मई **1829** को "बंगदूत", **1864** में "प्रजामित्र" और **1844** में शिव प्रसाद सितारे हिंद का "बनारस अखबार" हिन्दी के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। **1854** में "समाचार सुधावर्षण" नामक पत्र प्रकाशित हुआ था। यहाँ इस पत्र से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जा रही हैं—

> "यहि सत्य हम लोग अपनी आँखों से प्रत्यक्ष महाजनों की कोठियों में देखते हैं कि एक की लिखी हुई चिट्ठी दूसरा जल्दी बाँच सकता नहीं।"

8.4 हिंदी और उर्दू की समस्या

हिन्दी के विकास के नाम पर हमें दो प्रकार के प्रयास दिखाई देते हैं। एक ओर है प्रचार साहित्य जिसमें धार्मिक पुस्तकों, साहित्यिक पाठ्यपुस्तकों आदि में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि इस देश पर राज करने के लिए हिन्दू-मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य बनाए रखने में ही उनकी भलाई है। और इस वैमनस्य को भाषा के झगड़े के साथ आसानी से बनाए रखा जा सकता है। वास्तव में हिन्दी-उर्दू का विवाद भाषागत विवाद न होकर सांप्रदायिक विवाद अधिक है, अन्यथा यदि गंभीरता से देखा जाए तो हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियाँ है। एक में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की बहुलता है तो दूसरी में अरबी-फ़ारसी के शब्दों की। एक समुदाय के लोग एक भाषा से अपनी सामाजिक अस्मिता का निर्धारण करते हैं तो दूसरा समुदाय दूसरी भाषा के माध्यम से। हाँ, लेखन के स्तर पर दोनों में अन्तर अवश्य है। हिन्दी नागरी लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू फ़ारसी लिपि में। जहाँ तक भाषा की संरचना के अंतर की बात है दोनों में कोई अंतर नहीं है।

1700 ई. में वली दकनी जब दक्षिण भारत से दिल्ली आए तो उन्होंने यहाँ आकर एक भाषा का प्रचलन किया, जिसका नाम उन्होंने "रेख्ता" दिया। रेख्ता का अर्थ होता है "छितराया हुआ"। अर्थात् जिस देशी भाषा में अरबी-फारसी के शब्द छितराए हुए मिलते हैं वही भाषा "रेख्ता" कही गई। वली की यह रेख्ता काफी लोकप्रिय साबित हुई क्योंकि इसे शासन तंत्र से जुड़े फ़ारसी बोलने वाले मुसलमान भी समझ सकते थे और जनसामान्य भी देशी ढाँचा होने के कारण इसे समझ सकता था। पर धीरे-धीरे इस "रेख्ता" में अरबी-फ़ारसी के शब्दों की संख्या बढ़ती चली गई और यह उस समय प्रचलित देशी भाषा रूप से अलग हट कर

एक नई शैली के रूप में प्रसिद्धि पा गई। भाषा के इसी रूप को उर्दू कहा गया।

इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक हमें विद्वानों के दो वर्ग दिखाई देते हैं। एक वर्ग हिन्दी का पक्षधर है तो दूसरा उर्दू का। उर्दू की तरफ़दारी करने वालों में एक नाम है सर सैयद अहमद खाँ का। सर सैयद ने उर्दू के प्रचार के लिए गाज़ीपुर में ''ट्रांसलेशन सोसाइटी'' की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था अलीगढ़ में ''साइंटिफिक सोसाइटी'' के नाम से चलने लगी और इस्लामी संस्कृति या उर्दू के प्रचार-प्रसार के लिए जी-तोड़ प्रयास करती रही।

उधर हिन्दी के समर्थकों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। इस प्रतिक्रिया का एक अन्य कारण यह था कि ईसाइयों द्वारा अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के कारण यहाँ के निवासियों के सामने धार्मिक संकट खड़ा हो गया था। ईसाई मिशनरी यहाँ के निवासियों की गरीबी का लाभ उठाकर उनके धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे। इसीलिए राजा राममोहन राय ने ब्रह्मज्ञान के प्रचार का बीड़ा उठाया। उन्होंने वेदान्त सूत्रों का हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित करवाया तथा सन् 1829 के आसपास ''ब्रह्म समाज'' की ओर से ''वंगदूत'' नामक पत्र भी हिन्दी में निकाला।

मुगलों के समय से ही भारत में अदालतों की भाषा फ़ारसी चली आ रही थी। इसके कारण आम आदमी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों ने इस कठिनाई का अनुभव किया था और सन् 1836 में अदालतों का कार्य देशी भाषा या हिंदी में किए जाने का एक सरकारी आदेश निकाला गया। लेकिन इस आदेश का मुसलमानों ने कड़ा विरोध किया जिसके फलस्वरूप सरकार को अपना आदेश एक साल के बाद ही वापस लेना पड़ा। यह वह समय है जब शिक्षा के क्षेत्र में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का आगमन होता है। राजा जी हिन्दी और नागरी लिपि के समर्थक थे। 1856 में जब वे इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर आसीन हुए तो वे बराबर हिन्दी के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते रहे। उन्होंने लोगों को यह शिक्षा दी और बताया कि राष्ट्रीय जागरण एवं राष्ट्रीय उत्थान के बिना हिन्दी का विकास संभव नहीं। परन्तु बहुत लम्बे समय तक वे अपने तर्कों से अपने विरोधियों को समझा न पाए और उन्होंने स्वयं समझौतावादी मध्यमार्ग अपना लिया। उन्होंने भी हिंदी में फ़ारसी के शब्दों के प्रयोग की बात को स्वीकार कर ही लिया जो एक प्रकार से उर्दू का समर्थन ही था। उनकी भाषा का नमूना देखकर आपको पता चल जाएगा कि उनकी भाषा कहाँ तक हिन्दी है?

> ''यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माओं की मदद से बनता है उसका हाल कई दफ़ा ज़ाहिर हो चुका है।''

और फिर सितारे हिंद ने स्वयं तथा अपने अन्य अनेक मित्रों को इसी मिली-जुली शैली में लेखन के लिए प्रेरित किया।

परन्तु राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की इस भाषा नीति का भी धीरे-धीरे विरोध आरंभ हुआ। शिक्षा विभाग में उन्हीं दिनों एक सज्जन थे वीरेश्वर चक्रवर्ती। चक्रवर्ती महोदय ने राजा साहब की भाषा का खुल कर विरोध किया। यदि सच्ची हिन्दुस्तानी भाषा किसी ने लिखी तो वे थे मुंशी देवी प्रसाद मुंसिफ़ और देवकीनंदन खत्री। इन लोगों ने अपनी भाषा में अरबी-फ़ारसी के उन्हीं शब्दों को जगह दी जो जन सामान्य में प्रचलित थे। मुंशी देवी प्रसाद की भाषा की कुछ पंक्तियाँ देखिए—

> ''संवत् 1610 में सलेमशाह के मरने पर राठौड़ पृथ्वी राज ने जोधपुर से जाकर फिर अजमेर के किले को जा घेरा। किलेदार ने हिन्दू-पति को किला देना कह के चित्तौड़ से बुलाया। महाराणा बहुत सी फौज लेकर गए, पृथ्वीराज को हटाकर अजमेर में अमल कर लिया और पठानों को जिंदा और सलामत निकाल कर नागौर भी जा दबाया ......।''

अब देवकी नंदन खत्री की भाषा का नमूना भी देखिए—

> ''चाहे कोई हिंदू हो चाहे जैन या बौद्ध हो और आर्य समाजी व धर्म समाज़ी ही क्यों न हो परन्तु जिन सज्जनों के मानवीय अवतारों और पूर्वजनों ने इस पुण्य भूमि का अपने आविर्भाव से गौरव बढ़ाया है उनमें ऐसा अभागा कौन होगा जो पुण्यता और मधुरता युक्त संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रचार (न) चाहेगा .... ।''

परन्तु कुछ ऐसे लोग भी थे जो मात्र संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का समर्थन कर रहे थे। राजा लक्ष्मण प्रसाद ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिन्होंने फारसी बहुल हिंदी के स्थान पर संस्कृत गर्भित खड़ी बोली का समर्थन किया। उन्होंने हिंदी के ऐसे ही रूप में सन् 1862 में ''अभिज्ञान शाकुन्तलम्'' का अनुवाद किया तथा ''प्रजा

हितैषी" नामक पत्र निकालकर लोगों को शुद्ध भाषा लिखने के लिए प्रेरित किया। राजा लक्ष्मण सिंह स्वयं भाषा के विशुद्ध रूप में विश्वास रखते थे और चाहते थे कि दूसरे लोग भी तत्सम शब्दावली से ओत-प्रोत शुद्ध हिन्दी में ही लेखन कार्य करें। राजा जी की भाषा का नमूना नीचे देखा जा सकता है—

> "महात्मा! तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछना चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो ···· ।"

'रघुवंश' का भी राजा साहब ने अनुवाद किया था। इस अनुवाद की भूमिका में हिंदी-उर्दू के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए वे लिखते हैं—

> "हिन्दी और उर्दू दो बोली न्यारी-न्यारी हैं। कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी-फ़ारसी के शब्दों के बहाने हिन्दी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें अरबी-फ़ारसी के शब्द भरे हों।"

इसके अतिरिक्त खड़ी बोली के समर्थन में उस समय के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों ने भी बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। बंगाल में नवीन चंद्र राय एक ऐसा ही नाम है। नवीन बाबू ब्रह्म समाज के समर्थक थे। ब्रह्म समाज के विचारों के प्रचार हेतु उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था "ज्ञान प्रदायिनी"। उधर पंजाब में स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ "सत्यार्थ प्रकाश" **(1865)** प्रकाशित होकर लोगों के समक्ष आया। स्वामी जी ने जगह-जगह अपने प्रभावी भाषण देकर लोगों को आर्य सभ्यता और संस्कृति के मूल मंतव्यों से परिचित कराया। हिंदी के विकास, प्रचार और प्रसार में आर्य समाज की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। स्वामीजी की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली थी। देखिए एक उदाहरण—

> "पुरुषों का और कन्याओं का ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या जब पूर्ण हो जाय तब देश का राज होय और जितने विद्वान लोग वे सब उनकी परीक्षा यथावत करें। जिस पुरुष या कन्या में श्रेष्ठ गुण जितेन्द्रिय सत्यवचन, निरभिमान, उत्तम बुद्धि, पूर्ण विद्या, मधुरवाणी, कृतज्ञता और गुण के प्रकाश में अत्यंत प्रीति हो जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, कृतघ्नता, कपट, ईर्ष्या, द्वेषादिक दोष न होवें, पूर्ण कृपा से लोगों का कल्याण चाहे उसका ब्राह्मण का अधिकार दे वै ····"।

इसी प्रकार पं. अंबिका दत्त व्यास ने सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के माध्यम से हिन्दी के विकास के क्षेत्र में चार चाँद लगाए।

8.5 भारतेन्दु युग और हिंदी

हमने अभी तक देखा कि खड़ी बोली किस प्रकार के तमाम समर्थन और विरोध के टेढ़े-मेढ़े रास्तों को पार करती हुई उस स्थिति में आ पहुँची थी जहाँ से अब वह निश्चित होकर जनमानस के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। और तभी उसी समय हिन्दी साहित्य पटल पर भारतेन्दु जैसा व्यक्तित्व उभर कर आता है। भारतेन्दु का समय **1850** से **1885** तक है। हमने पीछे देखा था कि साहित्य के क्षेत्र में भाषा विवाद के संदर्भ में राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भिन्न दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने उन दोनों से भिन्न भाषा का शिष्ट तथा परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया। न तो वह भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों को सायास ठूँसने के पक्ष में थे और न ही उन्हें अरबी-फ़ारसी भाषा के प्रचलित सरल विदेशी शब्दों को हिन्दी में प्रयोग करने में कोई संकोच था। इनकी भाषा में तो ब्रजभाषा का, देशज शब्दों का बड़ा ही स्वाभाविक ढंग से प्रयोग हुआ है। भारतेन्दु की टकसाली हिन्दी का एक नमूना आप लोग देख सकते हैं —

> "प्यारे रात छोटी है और स्वांग बहुत है। जीना थोड़ा और उत्साह बड़ा। हाय मुझसी मोह में डूबी को कहीं ठिकाना नहीं। रात दिन रोते ही बीतते हैं। कोई बात पूछने वाला नहीं, क्योंकि संसार में जी कोई नहीं देखता, सब ऊपर ही की बात देखते हैं। हाय मैं तो अपने-पराये सबसे बुरी बनकर बेकाम हो गई।"

कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी खड़ी बोली अब धीरे-धीरे विकास पथ पर परिमार्जित होती हुई आगे बढ़ने लगी। इसमें अरबी-फ़ारसी के शब्द आ गए थे अब उसमें अंग्रेजी के आगमन से अंग्रेजी के शब्द भी स्वाभाविक ढंग से आकर खपने लगे और धीरे-धीरे ये हिन्दी की अपनी ही धरोहर बन गए। भारतेन्दु तो हिन्दी के जातीय रूप को लेकर आगे चले। हिन्दी का जितना व्यवस्थित ढंग से प्रयोग भारतेन्दु युग में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतेन्दु युग से पूर्व इसमें कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव दिखाई देता था तो कहीं

पूर्वी हिंदी की छाप, कहीं अरबी-फ़ारसी का पुट अधिक था तो कहीं वह संस्कृत की तत्सम शब्दावली के बोझ तले दबी जा रही थी। व्याकरण, वर्तनी, विराम चिह्नों आदि से संबंधित त्रुटियों का तो कहना ही क्या था? भारतेन्दु से पहले हिंदी की गाड़ी चल तो पड़ी थी लेकिन अभी तक वह अपना सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत तथा सर्वग्राह्य रूप लेकर उपस्थित नहीं हो पाई थी। यह कार्य हुआ ''भारतेन्दु युग'' में आकर और इस कार्य को परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप में संपन्नता मिली आगे चलकर ''द्विवेदी युग'' में। भारतेन्दु स्वयं तो कर्मठ व्यक्ति थे ही पर उन्होंने हिन्दी प्रेमियों और साहित्यकारों की एक ऐसी मंडली तैयार की जिसने खड़ी बोली के विकास में सामूहिक रूप से कार्य करना आरम्भ किया। अब साहित्य के क्षेत्र में नए-नए रास्ते खुल गए। गद्य की नई-नई विधाओं पर लेखनी चलाई गई। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना के अलावा विभिन्न ज्ञान-विज्ञान के विषयों पर साहित्य सर्जन होना आरंभ हुआ। इस कार्य में स्वयं भारतेन्दु के अलावा जो दूसरे प्रमुख साहित्यकार सामने आए उनमें लाला श्री कृष्णदास (1851-1887), बालकृष्ण भट्ट (1844-1924) प्रताप नारायण मिश्र (1856-1894) राधाकृष्ण दास (1865-1907) राधा चरण गोस्वामी (1851-1925) तथा बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' (1855-1923) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

हम 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से तुलना करें तो भारतेन्दु युग में भाषा परिमार्जन की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ और साथ ही उसमें राष्ट्रीय भावना एवं नवोत्थान की चेतना भी जागृत हुई। भारतेन्तु युग के इन विद्वानों ने जहाँ लोगों को भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं आर्थिक जागरूकता के प्रति सचेत किया वहीं दूसरी ओर खड़ी बोली के प्रचार एवं प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किये। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, भारतेन्दु युग आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास का वह आरंभिक चरण था जहाँ गद्य की विधाओं के लिए तो खड़ी बोली को आधार बनाया गया था परन्तु कविता के क्षेत्र में लोगों का ब्रजभाषा से मोह नहीं छूटा था। कविता अभी भी ब्रजभाषा में ही लिखी जाती थी। सर्जनात्मक साहित्य के अलावा इस युग में बंगला, संस्कृत तथा अंग्रेजी से अनुवाद के कार्य भी किए गए। पर जैसा कि हमने पीछे कहा था खड़ी बोली के स्वरूप को पूर्ण स्थिरता, परिमार्जन एवं उसके परिष्कार करने की इस प्रक्रिया को संपन्नता प्राप्त हुई आगे चलकर पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ''द्विवेदी युग'' में।

8.6 बीसवीं शताब्दी में हिंदी

हिंदी के प्रचार और प्रसार की प्रक्रिया भारतेंदु के जीवनकाल से ही आरंभ हो गई थी। यह बात हम ऊपर कह आए हैं। आर्य समाज ने जो आंदोलन चलाया था उससे भी इस दिशा में पर्याप्त सहायता मिली। उधर भारतेंदु के जीवन के अंतिम समय में ''भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस'' की स्थापना भी हो चुकी थी और लोगों के मन में अब राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी बोली हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की बात घर कर गई थी। यह ऐसा आन्दोलन था जिसमें देश के जाने माने पत्रकार, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, नेता सभी लोग आगे आए। इन सब में पत्रकारों की भूमिका सराहनीय है। बीसवीं शताब्दी में इसी कार्य को आगे ले जाने में ''सरस्वती'' पत्रिका की भूमिका भुलाई नहीं जा सकती। सरस्वती के संपादक स्वयं पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से भाषा के परिमार्जन एवं परिष्कार का बीड़ा उठाया और वे पूरे मनोयोग से हिन्दी की सेवा में जुट गए।

हिंदी प्रेमियों में कई प्रकार के लोग शामिल थे। इसमें एक ओर साहित्यकार थे तो दूसरी ओर वे देशभक्त जिनके मन में देश को आज़ाद कराने की भावना प्रज्ज्वलित हो रही थी। वे लोग समझते थे कि हिंदी को सक्षम और समर्थ बनाए बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। देशभक्तों की इस श्रेणी में संपूर्ण राष्ट्र के अलग-अलग प्रान्तों के लोग शामिल थे। इनमें सें बहुत-से तो ऐसे देश भक्त थे जो स्वयं हिंदी नहीं जानते थे पर उनमें राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि ये सभी लोग देश और भाषा के मसले पर अपनी प्रान्तीयता की भावना से ऊपर उठे हुए थे। इसलिए अब हिंदी में प्रांतीय भाषाओं के शब्द भी आने लगे थे। भारतेंदु युग के लेखकों की गद्य में ब्रजभाषा के प्रयोग भी आ ही गए थे तथा दूसरी ओर कुछ लोगों का फ़ारसी शब्दों वाली हिंदी का मोह भी बना हुआ था। कुछ साहित्यकार ऐसे भी थे जिन्होंने अपने मन-माने ढंग से नए-नए शब्दों को गढ़ लिया था और साहित्य में प्रयोग करना आरम्भ कर दिया था। पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वे हिंदी की इस अराजकतापूर्ण स्थिति से कैसे निपटें और उसे परिमार्जित कर एकरूपता की दिशा में कैसे आगे ले जाएँ। भारतेन्दुयुगीन भाषा के मनमाने, अनियमित और क्षेत्रीय प्रयोगों को ठीक कर भाषा को सुव्यवस्थित बनाना द्विवेदी जी के सम्मुख उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। द्विवेदी जी की हिंदी तथा हिंदी साहित्य को दो महत्वपूर्ण देन हैं। एक तो उन्होंने लोगों को ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रेरणा दी। बल्कि इसे यूं भी कहा जा सकता है कि उन्होंने लोगों को खड़ी बोली में कविता करना सिखा दिया और द्विवेदी युग से हिंदी कविता भी गद्य के साथ-

साथ खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। द्विवेदी जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है 'सरस्वती' के माध्यम से हिंदी भाषा का परिमार्जन एवं सुधार। सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए जो लेख आते थे उनमें भाषा, व्याकरण तथा वर्तनी आदि की अनेक अशुद्धियाँ होती थीं। द्विवेदी जी रात-रात बैठकर इन लेखों की भाषा स्वयं सुधारा करते थे और लोगों को सही भाषा लिखने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने स्वयं ऐसे लेख लिखे जिनके माध्यम से उन्होंने व्याकरण, वर्तनी, विराम चिह्नों आदि का आदर्श रूप जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, शासन-न्याय, शिक्षा, खेल-कूद आदि से संबंधित विषयों पर व्यवस्थित ढंग से विचार प्रस्तुत करने के लिए अन्य भाषाओं जैसे बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत आदि के शब्द गृहीत किए और हिन्दी को समर्थ बनाने का प्रयास किया। भारतीय जन बोलियों से हिन्दी का जो संबंध एक प्रकार से कट गया था उसे उन्होंने पुनः स्थापित किया।

द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का वह युग है जहाँ आकर एक ओर हिन्दी गद्य की सभी शैलियाँ विकसित हुईं तो दूसरी ओर हिन्दी के शब्द भंडार में वृद्धि हुई। इस युग में जो साहित्यकार सामने आए उनमें बालमुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', राम चंद्र शुक्ल, बाबू श्यामसुंदर दास के नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास में अमर हैं। अब साहित्य की ऐसी कोई विधा और ऐसी कोई शैली नहीं थी जिस पर इस युग के विद्वानों ने अपनी लेखनी न चलाई हो। आत्मकथात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, हास्य-व्यंग्य प्रधान, तर्कपूर्ण, रूपात्मक, प्रतीकात्मक आदि सभी प्रकार के शैली रूपों के दर्शन आप इस युग के गद्य साहित्य में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बालमुकुंद गुप्त की व्यंग्यात्मक शैली की एक झलक उनके प्रसिद्ध लेख ''शिव शंभु के चिट्ठे'' से देख सकते हैं जहाँ वे लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं ''दूज के चाँद के उदय का भी एक समय है। लोग उसे जान सकते हैं। माई लॉर्ड के मुख चंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के निवासी माई लॉर्ड का चंद्रानन देखने को टकटकी लगाए रहते हैं या जैसे शिव शंभु के जी में अपने देश के माई लार्ड से होली खेलने की आई, उस प्रकार कभी माई लार्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी।'' और अब प्रस्तुत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचारात्मक शैली का एक उदाहरण उनके प्रसिद्ध निबंध ''लज्जा और ग्लानि'' से—

> ''ग्लानि में अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता, आदि के अनुभव से जो संताप होता है, वह अकेले में भी होता है, दस आदमियों के सामने प्रकट भी किया जाता है। ग्लानि अन्तःकरण की शुद्धि का एक विधान है। ···· अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक अवस्था का उपचार तथा सच्चे का द्वारा है।''

भारतेंदु युग की तुलना में द्विवेदी युग में कहानी और आलोचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ था। कहानी की रोचकता और लोकप्रियता ने हिन्दी के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग दिया है। भारतेन्दु युग में हिन्दी गद्य का जो भवन तैयार किया गया था उसे द्विवेदी युग में और भी परिमार्जित कर सुसज्जित किया गया।

द्विवेदी युग की समाप्ति पर खड़ी बोली में एक स्थिरता आ गयी थी और उसकी एक व्याकरणिक व्यवस्था बन गयी थी। इस बात का प्रमाण है पं. कामता प्रसाद गुरू का 'हिंदी व्याकरण'। 'छायावाद' के आरंभ से शुरू हुई हिंदी के पुनरुत्थान की कहानी। व्याकरणिक स्थिरता और मानक प्रयोगों की ओर रुझान की कहानी छायावादी युग से आरंभ होती है। इस युग में हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि करने के उद्देश्य से संस्कृत के उपसर्ग एवं प्रत्यय लेकर नए-नए शब्दों के निर्माण का कार्य किया गया। संस्कृत के अलावा अंग्रेजी के बहुप्रचलित रूपों, वाक्यांशों के अनुवाद किए गए तथा छायावादी कवियों ने अपनी कविता में अनेक नए-नए ध्वन्यात्मक शब्दों को गढ़ने का काम किया। आगे चलकर 'प्रयोगवाद' और 'प्रगतिवाद' की धाराएँ हिंदी साहित्य में पल्लवित हुईं और इनके अंतर्गत देशी शब्दों को फिर साहित्य में प्रवेश मिला। आंचलिक साहित्य सर्जन के फलस्वरूप आंचलिक शब्दों की वृद्धि हुई। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जिस सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया था तथा जनमानस को अभिव्यक्ति देने का काम किया था वही चेतना उस समय के कथा साहित्य में आगे बढ़ी। इस प्रकार अब हिंदी भाषा राष्ट्रीयता से उठकर अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर विकसित होने लगी।

स्वतंत्रता काल —बीसवीं शताब्दी के मध्य का समय भारत के इतिहास में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। एक ओर देश का विभाजन हुआ तो दूसरी ओर सामन्तवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत हुआ। रियासतों और जमींदारी प्रथा को उखाड़ फेंका गया। शोषण और दमन के चक्र को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। जनसामान्य की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनीं और राष्ट्र को शिक्षा और

तकनीकी दृष्टि से समृद्ध बनाने के प्रयास आरंभ हुए। औद्योगीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नए-नए उद्योग-धंधे खुलना शुरू हुए। विदेशों से राजनैतिक संबंध स्थापित होने लगे। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी "भारतीय संविधान" का निर्माण। संविधान बना 1949 में पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। इस संविधान के अनुसार भारत को "प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य" का दरज़ा मिला। लेकिन दूसरी ओर अनेक प्रकार की राजनैतिक उथल-पुथल, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, अनुशासन-हीनता, सामाजिक असुरक्षा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, औद्योगीकरणजन्य सामाजिक बुराइयाँ, नैतिक मूल्यों का पतन आदि भी भारतीय समाज में पनपने शुरू हुए। तत्कालीन साहित्य इन सबसे प्रभावित हुए बिना तो रह नहीं सकता था। अतः स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी साहित्य तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता हुआ आगे की ओर विकसित हुआ। आलोचना के मानदंड स्थापित हुए जिससे भाषा में विश्लेषण की क्षमता का विकास हुआ।

जब हम आज़ाद हुए थे तब भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। होना तो यह चाहिए था कि देश के आज़ाद होते ही हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर ला बिठाया जाता, पर ऐसा न हो सका। हिंदी को राजभाषा का दरजा मिला 1965 में और इस समय तक देश की राजनैतिक स्थितियों में भारी परिवर्तन आ चुके थे। भारत सरकार की हिन्दी भाषा को राजभाषा घोषित करने की नीति का दक्षिण भारत के प्रांतीयतावादी विचारधारा के संकुचित मन के लोगों ने विरोध किया। बहरहाल, आज संविधान में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी एवं अन्य प्रमुख प्रांतीय भाषाओं को भी राजभाषा का दरजा प्राप्त हो चुका है पर आज एक सत्य भारतीय मन ने अवश्य स्वीकार कर लिया है कि अंग्रेजी को आधार बनाकर इस देश को बहुत समय तक विकास पथ पर नहीं ले जाया जा सकता। हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के विकास के साथ ही देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। डॉ. चाटुर्ज्या ने 'भारतीय आर्य भाषा और हिंदी' नामक ग्रंथ में लिखा है कि "भारत में हिन्दी न केवल पारस्परिक वार्तालाप की भाषा है बल्कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए हिन्दी को ही आधार बनाया जाता है।"

इस प्रकार आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का क्षेत्र संपूर्ण भारत वर्ष तो है ही; वे देश भी हैं जहाँ हिन्दी भाषा-भाषी लोग जा बसे हैं और अपनी अस्मिता की पहचान वे भारत और हिन्दी से करते हैं। भारत में कोने-कोने तक हिंदी को प्रचारित करने में हिंदी "सिनेमा" की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आज यह भी एक सच्चाई है कि चाहे लोग सुदूर दक्षिण के हों या पश्चिम के, उत्तर के हों या पूर्वांचल के, वे सब हिंदी फिल्मों को देखने में काफी रुचि लेते हैं और भाषा को समझ-बोल सकते हैं। आज की हिंदी के अखिल भारतीय स्तर पर दो रूप दिखाई देते हैं — एक 'हिंदुस्तानी' का जो अन्तर्प्रान्तीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में मान्य है तथा आज इसके अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग क्षेत्रीय रूप भी खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि आज–"कलकतिया हिंदी", "बंबइया हिंदी" "दिल्ली की हिंदी" जैसे रूपों की चर्चा की जाती है। इन रूपों का होना हिंदी भाषा के लिए कमजोरी की बात नहीं है, यह तो उसकी प्रगति एवं समृद्धि की सूचना देता है। हिंदी का दूसरा रूप है उसका साहित्यिक रूप। यह साहित्यिक रूप आज हिन्दी साहित्य के विकास की लगभग दो सौ वर्षों की कहानी कह रहा है। सबसे अच्छी बात तो यह हुई है कि "साहित्यिक हिंदी" भी अब हिन्दी प्रदेशों तक सीमित नहीं रह गई है। हिन्दीतर प्रांतों के प्रसिद्ध साहित्यकार सामने आ गए हैं जो हिंदी साहित्य निधि को और भी समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज हिंदी खड़ी बोली राष्ट्रीयता से उठकर अन्तर्राष्ट्रीयता के दरवाजे खटखटा रही है।

बोध प्रश्न 1

1) निर्देश : सही कथनों पर सही का निशान और गलत कथनों पर गलत का निशान लगाइए।

   i) डिंगल हिंदी का वह रूप है जिसका संबंध राजस्थानी साहित्य से है।

   ii) अमीर खुसरो की कविता की भाषा पिंगल कहलाती थी।

   iii) खड़ी बोली के विकास में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

   iv) पं. युगल किशोर को हिन्दी पत्रकार कला का जन्मदाता माना जाता है।

   v) हिंदी और उर्दू दो अलग-अलग भाषाएँ हैं।

   vi) गद्य एवं पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग भारतेन्दु युग से आरंभ हो गया था।

   vii) भारत के स्वतंत्र होते ही हिंदी भारत की राजभाषा बन गई।

2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i) कबीर की भाषा .... भाषा कही जाती है।

ii) हिंदी की सबसे पहली कहानी 'रानी केतकी की कहानी' के लेखक ...... हैं।

iii) आधुनिक काल के आरंभ में हिंदी के विकास में चार महानुभावों—(i) मुंशी सदासुख लाल (ii) इंशा अल्ला खाँ (iii) .... (iv) सदल मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा

iv) भारतेन्दु का समय .... से .... तक है।

v) द्विवेदी जी ने .... पत्रिका के माध्यम से हिंदी की अभूतपूर्व सेवा की।

3) मिलान कीजिए÷

लेखक		पुस्तकें	
1)	लल्लू जी लाल	क.	शेख मिराजी का किस्सा
2)	अमीर खुसरो	ख.	पत्र कौमुदी
3)	मुल्लादाऊद	ग.	पृथ्वीराज रासो
4)	गोरखनाथ	घ.	पहेलियाँ
5)	वररुचि	च.	सत्यार्थ प्रकाश
6)	बाल मुकुंद गुप्त	ज.	शिवशंभु के चिट्ठे
7)	स्वामी दयानन्द सरस्वती	झ.	चंदायन
8)	चंदबरदाई	ट.	प्रेम सागर (i)
9)	सदल मिश्र	ठ.	आध्यात्म रामायण
10)	प्राणनाथ	ड.	गोरखबानी

4) सही उत्तर पर निशान लगाइए—

i) आरंभिक हिंदी भाषा में अपभ्रंश की शब्दावली पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती हैं क्योंकि:

क) उस समय के हिंदी कवि अपभ्रंश भाषा के शब्दों का प्रयोग जानबूझ कर करते थे।

ख) अपभ्रंश से विकसित होने के कारण आरंभिक हिंदी में अपभ्रंश के शब्दों का आना स्वाभाविक था।

ग) अपभ्रंश भाषा सरल थी और उसके शब्दों के प्रयोग से ही साहित्य उच्चकोटि का साहित्य कहलाता था।

ii) उर्दू भाषा इसलिए विकसित हुई कि:

क) मुस्लिम शासकों के भारत में आने के बाद तत्कालीन हिन्दी भाषा में अरबी-फ़ारसी के शब्द स्वभावतः आ गए।

ख) मुस्लिम शासक जो बाहर से उस समय आए उर्दू भाषा बोलते थे।

ग) हिन्दी को ही मुस्लिम शासकों ने फ़ारसी लिपि में लिखवाना शुरु कर दिया।

iii) "हिन्दवी" भाषा रूप वह रूप है:

क) जिसे 13वीं शताब्दी के समय हिन्दू बोलते थे।

ख) यह डिंगल तथा पिंगल का मिला-जुला रूप है।

ग) यह वह रूप है जो 13वीं शताब्दी के आसपास जनसामान्य द्वारा बोला जाता था।

iv) "दक्खिनी हिंदी" हिंदी का वह रूप है:

क) जो दक्षिण भारत के मुसलमानों द्वारा बोला जाता था।

ख) हैदराबाद में बोली जाने वाली उर्दू भाषा ही "दक्खिनी हिंदी" कही गई।

ग) जो दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों, व्यापारियों आदि के पहुँचने पर खड़ी बोली में दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्द आ जाने से विकसित हुआ।

v) हिंदी साहित्य के अंतर्गत कविता लेखन में गद्य का प्रयोग:

क) रीतिकाल से ही आरंभ हो गया था।

ख) भारतेंदु युग में भारतेंदु की प्रेरणा से हिंदी के कवियों ने ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखना आरंभ किया।

ग) द्विवेदी युग में हुआ।

vi) खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास इसलिए हुआ क्योंकि :

क) अंग्रेज भारत की भाषा हिंदी से प्रेम करते थे और चाहते थे कि यह भली प्रकार से विकसित हो।

ख) इस भाषा के माध्यम से वे अपने धार्मिक साहित्य का अनुवाद कराके प्रचार करना चाहते थे।

ग) भारत में राज्य करने के लिए यहाँ की भाषा विकसित करना उनके लिए अनिवार्य था।

vii) हिंदी को भारत की राजभाषा का दरजा मिला था :

क) गांधी जी की प्रेरणा से देश की आजादी के तुरंत बाद।

ख) इसे राजभाषा का दरजा दिलाया सरदार पटेल ने आजादी के दस वर्ष बाद।

ग) देश में हिंदी के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के कारण 1965 में।

5) संक्षेप में टिप्पणी लिखिए।

क) हिंदी (हिन्दवी)

ख) उर्दू

ग) रेख्ता

घ) दक्खिनी हिंदी

8.7 सारांश

इस इकाई में हमने देखा कि किस प्रकार हिंदी भाषा संस्कृत-पालि-प्राकृत-अपभ्रंश से होती हुई विकसित हुई। हिंदी के प्रारंभिक रूप में इसीलिए हमें अपभ्रंश के अधिकांश शब्द एवं व्याकरणिक रूप दिखाई देते हैं। आगे चलकर हिंदी की अनेक बोलियाँ और शैलियाँ विकसित हुईं। मुस्लिम शासकों के भारत में आ जाने के बाद उसमें अरबी-फ़ारसी शब्द आ गए और उसकी एक शैली ''उर्दू'' के नाम से विकसित हुई। दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्दों के आ जाने से ''दक्खिनी हिंदी'' की अनेक बोलियाँ विकसित हुईं।

हिंदी भाषा के विकास का इतिहास **1000** वर्षों का है जिसका अध्ययन हमने तीन चरणों – आदिकाल, मध्यकाल, तथा आधुनिक काल के अंतर्गत किया। आदिकाल का समय **1000 ई.** से **1500 ई.** तक का माना जाता है और इसी अवधि में हिंदी के अनेक रूप जैसे ''डिंगल'' ''पिंगल'' हिंदी भी विकसित हुए।

मध्यकाल जिसका समय **1500 ई.** से **1800 ई.** तक माना गया है वह समय है जब हिंदी की प्राकृत बोलियाँ विशेषकर ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली विकसित होकर सामने आती हैं तथा खड़ी बोली गद्य के विकास का सूत्रपात हमें इसी युग में दिखाई देने लगता हैं। ''प्रणामी साहित्य'' का इस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आधुनिक काल जिसका समय **19**वीं सदी से आरंभ होता है वह समय है जब हमें हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है। गद्य की तमाम विधाएँ यहाँ विकसित होती हैं। यही नहीं **1925** के आसपास पहुँचकर हिंदी की कविता भी ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में लिखी जाने लगती है। हिंदी खड़ी बोली के विकास के आरंभिक चरण में चार महानुभावों– लल्लू जी लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र तथा इंशा अल्ला खाँ का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है और फिर आगे चलकर हिंदी के दो मूर्धन्य साहित्यकारों भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी की अभूतपूर्व सेवाएँ प्राप्त होती हैं जिससे खड़ी बोली एक व्यवस्थित मानक रूप ग्रहण करती है।

यही वह समय है जब आगे चलकर **1947** में भारत आज़ाद होता है और हिन्दी साहित्य में तरह-तरह के मोड़ दिखाई देते हैं। **1965** में हिंदी को हिंदी सेवियों के अथक प्रयासों से राजभाषा का दरज़ा प्राप्त होता है। आज हिंदी सारे देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। वह अनेक रुकावटों के बाद भी विभिन्न

प्रदेशों की भाषाओं को **अपने साथ** लेकर अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर अग्रसित हो रही है।

8.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिंदी साहित्य का इतिहास, राम चंद्र शुक्ल

हिंदी भाषा और लिपि का विकास एवं स्वरूप, भवानी दत्त उप्रेती

8.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) i) सही ii) गलत iii) सही iv) सही v) गलत vi) गलत vii) गलत

2) i) खिचड़ी ii) इंशा अल्ला खाँ iii) लल्लूलाल, सदल मिश्र iv) 1850 से 1885 v) सरस्वती

3) 1, ट 2, घ 3, झ 4, ड 5, ख
6, ज 7, च 8, ग 9, ठ 10, क

4) i) ख ii) क iii) ग iv) ग v) ग vi) ख vii) ग

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

UGHI-06 / CSSHI-06

हिन्दी भाषा : इतिहास और वर्तमान

खंड

3

हिंदी भाषा के विविध रूप

इकाई 9

हिंदी भाषा की अवधारणा 5

इकाई 10

हिंदी का जनपदीय आधार 16

इकाई 11

हिंदी की प्रमुख बोलियाँ 29

इकाई 12

हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का संदर्भ 40

इकाई 13

बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा 48

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

प्रो. म.ह.राजूरकर
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
औरंगाबाद

प्रो. राम सिंह तोमर
28, पूर्वपल्ली
विश्वभारती विश्वविद्यालय
शांतिनिकेतन
प. बंगाल

प्रो. भीमसेन निर्मल
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

प्रो. संसार चन्द्र
अवकाश प्राप्त आचार्य एवं
अध्यक्ष (हिंदी विभाग)
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू

प्रो. अंबाशंकर नागर
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

प्रो. रमानाथ सहाय
आगरा

डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा
हिन्दी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़

प्रो. बख्शीश सिंह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रो. वी.रा.जगन्नाथन (संयोजक)
निदेशक, मानविकी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

पाठ लेखन
प्रो. वी.रा. जगन्नाथन
डॉ० रवि प्रकाश

पाठ संयोजन
प्रो. वी.रा.जगन्नाथन (संपादक)
डॉ. रीता रानी पालीवाल

मुद्रण प्रस्तुति

सुश्री पुष्पा गुप्ता
कापी एडिटर
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मई 1997 (पुनः मुद्रित)
© *इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1990*
ISBN-81-7263-021-2
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य को कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खंड 3 हिन्दी भाषा के विविध रूप

खंड परिचय

हमने पिछले खंड में पढ़ा कि किस तरह संस्कृत भाषा से पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का विकास हुआ और इस सहस्राब्दि के आरंभ से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम शुरू हुआ। यह विकास क्रम इतना सीधा नहीं है क्योंकि इस विकास यात्रा के अंतिम चरण के रूप में आज हमारे सामने हमारा वर्तमान है: इस युग में मध्य देश की कई बोलियाँ हैं, जिन्हें हिंदी की बोलियाँ कहा जाता है, समस्त बोलियों के क्षेत्र को हिंदी-भाषी क्षेत्र कहा जाता है। यह मान्यता भी निर्विवाद नहीं है, क्योंकि ग्रियर्सन आदि विद्वानों ने इस क्षेत्र में पाँच भाषा समूहों की कल्पना की थी। दूसरा विचारणीय विषय मानक हिंदी (अर्थात् वह भाषा जिसमें आप यह पाठ पढ़ रहे हैं) के उद्भव का है। यह भाषा हिंदी की एक बोली अर्थात् खड़ी बोली का आधुनिक रूप है, विकसित रूप है। कोई भी भाषा किसी जन समुदाय की आधुनिक प्रयोजनों की भाषा बनती है, तो उसका विकास होता है। अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी आदि भाषाएँ इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। हम भाषा के आधुनिक प्रयोजनों के बारे में खंड 4 में अध्ययन करेंगे और विकास की प्रक्रियाओं की चर्चा खंड 7 में करेंगे। इस खंड में हम बोली, भाषा के स्थानीय बोलचाल के रूप, हिंदी की सहवर्ती भाषा उर्दू आदि संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे और हिंदी भाषा की अस्मिता की व्याख्या करेंगे।

इस चर्चा का एक दूसरा पहलू भी है। हिंदी भाषा लगभग सन् 1000 से विकास करते हुए अपनी वर्तमान स्थिति में पहुँची है। इस विकास यात्रा को हम काल क्रम मे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उस चर्चा में शायद यह आवश्यक हो जाता कि ध्वनियाँ, वाक्य संरचना आदि में किस तरह के परिवर्तन हुए और हिंदी का वर्तमान स्वरूप कैसे बना।यह आगे के अध्ययन का विषय है। प्रस्तुत इकाइयों के माध्यम से हम हिंदी के ऐतिहासिक विकास के प्रमुख मुद्दों की चर्चा यथास्थान करते जा रहे हैं, जो इसके वर्तमान को समझने के लिए आवश्यक है। अगर आपको इस विषय में रुचि हो, तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर कोई ग्रंथ देख सकते हैं।

इस पाठ्यक्रम के साथ कुछ टेप पाठ और वीडियो पाठ भी तैयार किए जा रहे हैं, जो अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध होंगे।

इकाई 9 हिंदी भाषा की अवधारणा

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 हिंदी भाषा : स्वरूप और भूमिकाएँ

9.3 हिंदी भाषा का स्वरूप

9.3.1 हिंदी और हिंदी की विविध बोलियाँ

9.3.2 हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप

9.3.3 हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल

9.4 हिंदी भाषा की भूमिकाएँ

9.4.1 संपर्क भाषा

9.4.2 राजभाषा

9.4.3 प्रयोजनमूलक भाषा

9.4.4 अंतर्राष्ट्रीय भाषा

9.5 सारांश

9.6 शब्दावली

9.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

हिंदी भाषा क्या है? कौन-सी है? भाषा के कई विविध रूप होते हैं, कई भूमिकाएँ होती हैं। हम ऊपर के दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। सिर्फ़ हिंदी भाषा के स्वरूप की विभिन्नताओं और आधुनिक युग में उसकी विविध भूमिकाओं की चर्चा करेंगे, जिससे उत्तर आप ढूँढ़ लें।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- भाषा के स्वरूप और भूमिका का तात्पर्य समझा सकेंगे;
- हिंदी भाषा के विविध रूपों का वर्णन कर सकेंगे;
- हिंदी की विभिन्न भूमिकाओं को जानेंगे; और
- स्वरूप और भूमिकाओं के संदर्भ में स्वयं विवेचन कर सकेंगे कि हिंदी भाषा क्या है।

9.1 प्रस्तावना

हमने पिछली इकाई में चर्चा की कि भाषा क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है, समाज में उसका स्थान क्या है और वह किस तरह अर्थ संप्रेषण के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और भाषायी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में काम आती है। एक तरफ़ वह मानव समुदायों द्वारा निर्मित विशिष्ट कोड प्रणाली है, जो कठिन से कठिन मानसिक अवस्थाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का सक्षम साधन है, दूसरी तरफ़ वह उस भाषा के बोलने वालों के समाज को अस्मिता प्रदान करने वाला साधन है।

उपर्युक्त चर्चा के संदर्भ में अब हम यह जानना चाहेंगे कि हिंदी भाषा क्या है, उसका स्वरूप, क्षेत्र विस्तार और सांस्कृतिक विरासत क्या है? जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, उसका भाषायी स्वरूप क्या है? यह तो आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेज़ी है, फ़्रांसीसियों की फ़्रेंच, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और पंजाब की पंजाबी। हिंदी किसकी भाषा है? हिंदी प्रदेश की या हिंदुस्तान की? आप यह भी जानते ही हैं कि हिंदी प्रदेश भी निश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। पश्चिम

में राजस्थान से लेकर पूरब में बंगाल की सीमा तक, उत्तर में हिमालय की तराइयों से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा तक कई राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन इन प्रदेशों में आम आदमी अपनी-अपनी बोलियों का भी व्यवहार करते हैं। क्या वे बोलियाँ ही उनकी अपनी भाषा है? फिर हिंदी का अपना स्थान क्या है?

अकसर हिंदी के विद्वानों के सामने कुछ जटिल प्रश्न उपस्थित होते हैं - हिंदी क्या है, उसका मानक स्वरूप क्या है, उसका क्षेत्र कौन-सा है, उसके बोलने वाले कौन लोग हैं आदि। इन प्रश्नों के उत्तर में कुछ व्यावहारिक उत्तर भी दिए जाते हैं। वही हिंदी है जिसके माध्यम से यह पुस्तक लिखी गई है, या जिस भाषा में हम फ़िल्में देखते हैं अथवा दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं; वही हिंदी है जिसमें साहित्य रचना होती है और जिसमें लोग पत्र-पत्रिकाएँ तथा अखबार पढ़ते हैं; वही हिंदी है जिसमें लोग रेलगाड़ियों में सफ़र करते हुए एक-दूसरे से बात करते हैं या जिसके माध्यम से सेना के जवान आपस में बातचीत करते हैं; वही हिंदी है जिससे राजनेता जनता को संबोधित करते हैं या व्याख्याता मंच से भाषण देते हैं। इस विवरण को इसी तरह और बढ़ाया जा सकता है और अन्य कई कोटियों का उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ लोग इस भाषा के माध्यम से विचार-विमर्श करते हैं।

इस व्याख्या से मूल प्रश्न का अभी सही उत्तर नहीं मिला, क्योंकि इन सब स्थितियों में व्यवहृत हिंदी में एकरूपता का सवाल उठाया जा सकता है। हम देखते हैं कि फिल्मों में कभी अरबी-फारसी के शब्दों से पूरित शैली दिखाई पड़ती है, कभी बंबई या हैदराबाद की बोली का पुट दिखाई पड़ता है। कुछ फिल्मी गाने भी संस्कृतनिष्ठ शैली में लिखे जाते हैं। इसी तरह, जब व्याख्याता भाषण देते हैं तो उनकी भाषा में उनकी अपनी बोली के उच्चारण, शब्द या व्याकरणिक संरचना की विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं। हिंदी भाषा के स्वरूप में जो विविधता है, उसी के संदर्भ में मानक हिंदी का सवाल उठाया जाता है। कभी-कभी इस पर भी प्रश्नचिह्न लगता है कि हिंदी का अपना स्वरूप या क्षेत्र है भी या नहीं। इस विविधता को हम समझ लें, तो कई भाषाई सवालों का निवारण कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से आगे उन पाँच मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

9.2 हिंदी भाषा : स्वरूप और भूमिकाएँ

हिंदी भाषा की अवधारणा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि उसके विविध रूप कौन-कौन से हैं, उन विविध रूपों का प्रयोग कहाँ और किस-किस तरह से होता है और इन विविध रूपों का हिंदी भाषा से किस प्रकार का संबंध है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, किसी भाषा में सात-आठ बोलियाँ हों तो उस भाषा को हम फिर भी एक भाषा ही मानते हैं। बोलियाँ मात्र भाषा के विविध रूप हैं। हिंदी का स्वरूप अन्य भाषाओं की तुलना में अलग प्रकार का है। एक तरफ़ इसमें मानक हिंदी और बोलियों का सवाल है, दूसरी तरफ़ भारत में हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूपों का प्रश्न है। क्षेत्र विस्तार के कारण इन विविध रूपों में भिन्नता का होना स्वाभाविक है, सहज है। विविध रूपों के प्रश्नों के साथ-साथ हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल भी उठता है। क्या हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएँ हैं? भाषा वैज्ञानिक स्तर पर शायद कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएँ नहीं हैं। इन दोनों रूपों में इतना भी अंतर नहीं है, जितना कि किसी भाषा की बोलियों में होता है। फिर भी, सांस्कृतिक-सामाजिक कारणों से ये अलग भाषाएँ मानी जाती हैं। फिर हिंदुस्तानी का स्थान क्या है? क्या यह हिंदी और उर्दू, दोनों का मिश्रित रूप है? या क्या यह इन दोनों से भिन्न एक तीसरा रूप है, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहें। अगर हम इन प्रश्नों पर विचार कर सकें तो बता सकते हैं कि हिंदी भाषा क्या है, एक भाषा या अनेक भाषाओं का समूह?

जिस तरह स्वरूप के कारण भाषा में विविधता आती है, उसी प्रकार विभिन्न भूमिकाओं के कारण भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं। क्या बोलचाल की हिंदी और राजभाषा हिंदी, हिंदी भाषा की दो शैलियाँ हैं या दो भिन्न प्रकार की भाषाएँ हैं? इन सब भूमिकाओं के अध्ययन को हम अगर भाषा की सामाजिक आवश्यकताओं से जोड़कर देखें तो कह सकते हैं कि ये भूमिकाएँ सामाजिक संरचना से पैदा होती हैं और भिन्न भूमिकाओं में भाषा की भिन्न शैलियाँ काम आती हैं। इस इकाई में हम हिंदी भाषा के स्वरूप और भूमिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न नामों से व्यक्त हिंदी वास्तव में कौन-सी है? हिंदी भाषा की अवधारणा को हम इन्हीं संकल्पनाओं के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

9.3 हिंदी भाषा का स्वरूप

ऊपर की चर्चा के संदर्भ में हमने स्वरूप शब्द को स्पष्ट करने का यत्न किया है। समाज में भाषा के विविध रूप होते हैं। ग्रामीण भाषा, शहरी भाषा, बोली और मानक भाषा आदि भाषा के विविध सामाजिक भेदों के कारण उत्पन्न विभिन्न भाषा के रूप हैं। भाषा की विभिन्नता हर समाज की विशेषता है। यह कहना गलत नहीं है कि सभी जीवंत भाषाओं में भिन्न-भिन्न भाषिक रूप होते हैं। इन भाषिक रूपों के संदर्भ में हम यह जानना चाहेंगे कि भाषा और इन रूपों का किस प्रकार का संबंध है। आगे हम हिंदी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में तीन प्रमुख मुद्दों पर विचार करेंगे।

9.3.1 हिंदी और हिंदी की विविध बोलियाँ

हम जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं उसमें सभी प्रदेशों में लोगों की अपनी-अपनी बोलियाँ भी हैं। ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हरियाणवी, मगही, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, कुमाऊँनी, गढ़वाली आदि हिंदी की बोलियाँ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा का अपना कोई प्रदेश नहीं है। कुछ महानगरों में कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ की नई पीढ़ी के लोग बोली से परिचित नहीं होते और बचपन से मातृभाषा के रूप में हिंदी का अर्जन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या नहीं के बराबर है। सवाल यह है कि हिंदी और बोलियों का संबंध क्या है, क्या हिंदी भाषा और बोली दो भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं, किस स्थिति में बोली को ही व्यक्ति की मातृभाषा कहा जाए और हिंदी उसके लिए दूसरी भाषा हो?

इस प्रश्न के संबंध में कई मुद्दे सामने आते हैं। दक्षिण में हिंदी की पाठ्यचर्या तैयार करते समय कुछ विद्वान यह कहते हैं कि बोलियों का साहित्य (सूर, तुलसी आदि का साहित्य) बच्चों को न पढ़ाया जाए क्योंकि इन बोलियों के माध्यम से पढ़ने में कठिनाई आती है। इसी संदर्भ में विद्वान यह भी मानते हैं कि सूर का साहित्य या तुलसी का साहित्य किसी बोली का साहित्य नहीं है, वह हिंदी साहित्य का ही अभिन्न अंग है। जब हम हिंदी साहित्य की चर्चा करते हैं तो उसमें सूर, तुलसी, बिहारी, केशवदास, नानक आदि कवियों के लेखन को साहित्यिक विकास के संदर्भ में देखते हैं। इन लेखकों के साहित्य को अलग करके हिंदी को देखा ही नहीं जाता। रीतिकाल तक बोलियों में ही साहित्य रचा गया था और आज भी कई साहित्यकार बोलियों में साहित्य रचना करते हैं। जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, उसका साहित्य आधुनिक काल से ही शुरू होता है लेकिन यह कोई नहीं कहता कि हिंदी साहित्य का उद्‌भव सिर्फ़ आधुनिक काल में ही हुआ। हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र में कई बोलियाँ प्रचलित थीं और अब भी हैं। लोगों ने साहित्य रचना के लिए कभी किसी बोली को चुना तो किसी और काल में किसी और बोली को। आदिकाल के कवियों ने राजस्थानी में काव्य रचना की, मध्यकाल में भक्ति साहित्य ब्रज और अवधी, दोनों में लिखा गया। कुछ लेखकों ने बोली के इस बंधन को भी तोड़ा और कई बोलियों से शब्द आदि ग्रहण करते हुए साहित्य रचना की। जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सधुक्कड़ी भाषा नामक मिली-जुली भाषा में लिखा। साहित्यकार का उद्‌देश्य अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुँचाना था, चाहे उसके लिए किसी भी बोली का उपयोग करें। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की संपदा में लोगों ने अपनी-अपनी बोली के माध्यम से योगदान किया।

भाषा और बोली का प्रश्न (या उनके अलगाव का प्रश्न) आधुनिक युग में ही अधिक प्रबल हुआ है। इसके दो कारण थे। एक तो विदेशी भाषा वैज्ञानिकों ने केवल भाषिक आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किया और उन्हें उप-भाषाओं में बाँटा। ऐसे भाषा वैज्ञानिकों के कारण राजस्थान की बोलियों को राजस्थानी भाषाएँ नाम दिया गया और पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी को दो भिन्न वर्गों में रखा गया। इस प्रकार के वर्गीकरण के कारण यह भावना उत्पन्न हुई कि बोलियों का स्वतंत्र अस्तित्व है। बोलियाँ अपने में महत्वपूर्ण हैं, और उनकी अपनी अस्मिता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक भाषा क्षेत्र के रूप में हिंदी भाषा क्षेत्र को मानकर अपनी बोली को महत्व देने की अपेक्षा कहीं-कहीं यह प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है कि बोली को अलग भाषा का दर्जा प्रदान किया जाए और हिंदी को उनसे अलग माना जाए।

हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिवर्धित, मानक रूप है। खड़ी बोली आज भी दिल्ली के उत्तर में मेरठ, सहारनपुर आदि ज़िलों में बोली जाती है। इसीलिए पहले भाषावैज्ञानिक हिंदी को 'खड़ी बोली हिंदी' भी कहते थे। लेकिन आधुनिक हिंदी खड़ी बोली से कहीं अधिक सुसंस्कृत और समृद्ध भाषा का रूप धारण कर चुकी है। इसलिए खड़ी बोली के प्रश्न से हिंदी भाषा के प्रश्न को अलग करके देखना होगा। दोनों की भूमिकाएँ अलग हैं, अब दोनों के स्वरूप में काफ़ी अंतर है। हमने ऊपर ज़िक्र किया था कि हिंदी भाषी प्रदेश राजस्थान से बिहार तक फैला हुआ है। भाषिक रचना की दृष्टि से देखें तो

राजस्थानी, गुजराती भाषा के अधिक निकट है, पूर्व की मैथिली भाषा की रचना बांगला से अधिक मिलती है। यद्यपि आधुनिक युग में राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि प्रादेशिक भाषाओं में समृद्ध साहित्य की रचना हो रही है, हिंदी साहित्य ही इस प्रदेश की साहित्य रचना का प्रमुख आधार रही है। इन प्रदेशों में प्रायः हिंदी भाषा ही शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख माध्यम भी रही है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि भाषा और बोली के अंतःसंबंधों की व्याख्या और विवेचन कठिन है, उलझा हुआ प्रश्न है। इसे मात्र भाषा वैज्ञानिक आधार पर ही सुलझा नहीं सकते। हिंदी भाषा संरचना की दृष्टि से गुजराती या पंजाबी के अधिक निकट है। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से ये भिन्न भाषाएँ मानी गई हैं और आज कोई हिंदी और पंजाबी को एक भाषा नहीं कहता। इसी तरह बोलियों में संरचना, शब्दावली आदि के अंतर के बावजूद साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण ये सारे क्षेत्र एक भाषाई क्षेत्र माने जाते हैं। यों कह सकते हैं कि इन सब बोलियों/भाषाओं का अपना महत्व है, अपनी अस्मिता है। खड़ी बोली से उद्‌भूत हिंदी भाषा इस विशाल भाषा क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी है, इन सब क्षेत्रों की सामान्य संपत्ति है। बोलियों और हिंदी भाषा की अपनी-अपनी अहम भूमिकाएँ हैं। शिक्षा और साहित्य रचना हिंदी के साथ बोलियों के माध्यम से भी हो सकती है। लेकिन हिंदी भाषा का एक अखिल भारतीय स्वरूप है, एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है, देश की राजभाषा के रूप में उसकी अपनी विशिष्ट भूमिका है। हिंदी की इन अन्य भूमिकाओं के बारे में हम आगे के प्रकरणों में पढ़ेंगे।

9.3.2 हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप

हिंदी भाषा इस देश की जन संपर्क की भाषा रही है। इसलिए हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर भी अन्य स्थानों में हिंदी का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसके कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में हैदराबाद में गुलाम वंश की स्थापना हुई और आधुनिक युग तक विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद का शासन किया। इसी कारण हैदराबाद में शुरू में दक्खिनी (उर्दू) का प्रचलन हुआ और आधुनिक युग तक उर्दू (या बोलचाल की हिंदुस्तानी) जन सामान्य के संपर्क की भाषा रही। इसी तरह दक्षिण में अन्य कई स्थानों पर नवाबों और सुल्तानों के आधिपत्य के कारण उर्दू का प्रचलन रहा। इसी कारण, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्दू जन सामान्य के संपर्क का माध्यम रही और उर्दू के परिचय के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को बल मिला। कलकत्ता और बंबई जैसे महानगरों में हिंदी भाषी क्षेत्र से जाकर बसे लोगों के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को विस्तार मिला। इस तरह हिंदी भाषा के विविध स्थानीय रूप विकसित हुए। जैसे बंबइया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि हिंदी के विशिष्ट स्थानीय रूप हैं। ये स्थानीय रूप बोलचाल की भाषा के हैं, वहाँ की शिक्षा संस्थाओं और साहित्यिक लेखन में परिनिष्ठित मानक हिंदी का ही प्रयोग मिलता है।

हैदराबाद की हिंदी पर स्थानीय भाषा-तेलुगु का पुट दिखाई पड़ता है और बंबइया हिंदी पर स्थानीय भाषा मराठी का। हैदराबाद में 'मुझे चाहिए' के लिए 'मेरे को होना', 'क्या चाहिए' के लिए 'क्या होना' आदि प्रयोग हैं। बंबई की हिंदी में इन दोनों प्रयोगों के लिए 'मेरे को माँगता', 'क्या माँगता' समान अभिव्यक्तियाँ हैं। दिल्ली हिंदी भाषी प्रदेश में है। लेकिन यहाँ की हिंदी में भी संभवतः हरियाणवी और पंजाबी के प्रभाव के कारण कई विशेषताएँ हैं। 'मैंने जाना है' ('मुझे जाना है' के लिए), माता जी आये ('माता जी आयीं' के लिए) आप आओ।('आप आइए' के लिए), लोग आने शुरू हो गए ('लोग आने लगे' के लिए), करने लग पड़ा ('करने लग गया' के लिए) आदि स्थानीय विशेषताएँ दिल्ली की हिंदी की विशेषताएँ हैं। इन तीनों स्थानीय 'बोलियों' के स्वरूप की विस्तृत जानकारी के लिए 'प्रयोग और प्रयोग' देखें। एक तरफ विद्वानों का विचार यह है कि ये स्थानीय रूप अमानक हैं, त्याज्य हैं। मानक भाषा ही वास्तविक भाषा है। दूसरी तरफ़, कुछ विद्वानों का मत यह है कि बोलियाँ और हिंदी के ये स्थानीय रूप ही वास्तव में 'हिंदी भाषा' है और हिंदी भाषा का 'मानक रूप' क्लिष्ट, कृत्रिम व्यवस्था है, जिसका जनता में कोई स्थान नहीं है। ये दोनों विचार इस बात पर सहमत हैं कि हिंदी भाषा का एक बोलचाल का रूप है, जिसमें लोग परस्पर विचार-विमर्श करते हैं। उससे भिन्न एक परिनिष्ठित, साहित्यिक रूप है जो सामान्य सूत्र होते हुए भी किसी का अपना नहीं है। बोलचाल की भाषा में स्थानीय पुट मिलता है, चाहे बोलियों का हो या स्थानीय भाषाओं का; उसकी शब्दावली आम आदमी के दैनदिन व्यवहार की है; और,वह सामान्य संपर्क का सशक्त माध्यम है। खड़ी बोली हिंदी का हिंदी भाषी प्रदेशों में भी एक जैसा स्वरूप नहीं है। हिंदी बोलने वाले स्थानीय व्यक्ति अपनी बोली की उच्चारण की विशेषताओं और बोली की शब्दावली के प्रयोग के कारण हिंदी के विविध रूपों को जन्म देते हैं। इस कारण यह कहना कठिन है कि हिंदी का कोई एक निश्चित मानक रूप है। इन विविध रूपों को ही अकसर बोलचाल की हिंदी की संज्ञा दी जाती है।

उपर्युक्त आधार पर हिंदी के दो रूप माने जाते हैं - सामान्य बोलचाल की भाषा और शिष्ट साहित्यिक भाषा। इनमें कुछ हद तक अलगाव की स्थिति की भी कल्पना की जाती है। बोलचाल की भाषा स्थानीय प्रयोगों से युक्त, स्थानीय उच्चारण और शब्दावली से प्रभावित रूप है, जो जन साधारण के बीच संपर्क का सूत्र है। शिष्ट, साहित्यिक भाषा एक मानक रूप है, जिसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली है और समाज के उच्च वर्गों के संप्रेषण की भाषा है। हम आगे के प्रकरणों में इस संदर्भ में और विचार करेंगे।

बोलचाल और मानक भाषा संबंधी पिछले प्रकरण में हमने चर्चा की कि स्थानीय विविधताओं के बावजूद बोलचाल की हिंदी का एक रूप है। अब हम इन दोनों विचारधाराओं में एक समानता देख सकते हैं। हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा है, हिंदी मानक भाषा है। इस दृष्टि से हिंदुस्तानी का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हर भाषा में बोलचाल का रूप और साहित्यिक (या मानक) रूप विद्यमान होते हैं। इन्हें दो अलग भाषाओं की संज्ञा नहीं दी जाती।

आइए, क्षेत्रीय आधारों पर भाषा की अनेकता के इस प्रकरण को समाप्त करते हुए देखें कि हिंदी की अस्मिता क्या है, इसका स्थान कहाँ है। अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से 'अनेकता में एकता' की बात करते हैं तो भाषिक दृष्टि से भी 'अनेकता में एकता' का स्वरूप ढूँढ़ सकते हैं। यह निश्चित है कि आधुनिक हिंदी एक बोली से ही उद्भूत हुई; यह भी निर्विवाद सत्य है कि यह भाषा लगभग 250 वर्षों से देश में संपर्क की भाषा रही है और देश की एक प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। जन-जीवन के विभिन्न धरातलों पर, विभिन्न भूमिकाओं में इसका अपना महत्व है। बोलियाँ, स्थानीय रूप तथा बोलचाल का स्वरूप इसकी अपनी शक्ति है, इसके पूरक नहीं। आज यह भाषा जिन भूमिकाओं का वहन कर रही है, उनसे यह एक विकासशील, आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने वाली सक्षम माध्यम के रूप में उभर रही है।

9.3.3 हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल

जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी में हज़ारों अरबी-फ़ारसी मूल के शब्द हैं। उर्दू वह भाषा है जिसमें अधिकतर अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग होता है, जो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है और जिसकी अपनी साहित्यिक सम्पदा है। यह भी कहा जा सकता है कि अरबी-फ़ारसी शब्दों की बहुलता के कारण उर्दू भाषा का व्यवहार ज़्यादातर मुसलमान करते हैं और उर्दू साहित्य के प्रणयन में भी मुसलमानों का काफी योगदान रहा है, जबकि उर्दू में लिखने वाले हिंदुओं की भी कमी नहीं है।

इस आधार पर हिंदी को हिंदुओं की भाषा तो नहीं कहा जा सकता और बहुत-से मुस्लिम भी हिंदी के बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने हिंदी भाषा में पाण्डित्य प्राप्त किया हैं। सवाल यह उठता है कि हिंदी और उर्दू दो भिन्न भाषाएँ कैसे हैं? सिर्फ़ शब्दावली के कारण इन्हें दो भिन्न भाषाएँ मानना भाषा विज्ञान की दृष्टि से संगत नहीं है क्योंकि भाषा विज्ञान यह मानता है कि दो भाषाओं में व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से भी अंतर होना चाहिए। हिंदी और उर्दू दो ऐसी भाषाएँ हैं जिनकी व्याकरणिक संरचना एक ही है। जो थोड़ा-सा अंतर दिखाई पड़ता है वह भी शैली भेद के कारण है, जैसे बहुत-सी भाषाओं में लेखन की भिन्न शैलियाँ मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि 'मैं प्रयत्न करूँगा' तो वह हिंदी है और कहे कि 'मैं कोशिश करूँगा' तो वह उर्दू है, अधिक तर्कसंगत बात नहीं लगती। भाषाओं में एक ही अर्थ के कई पर्याय मिलते हैं। जैसे संस्कृत में भी कमल, पंकज, जलज, नीरज आदि अनेक शब्द मिलते हैं। 'कोशिश' और 'प्रयत्न' इस दृष्टि से एक अर्थ के दो पर्याय माने जाएँगे और पर्यायों के कारण दो भाषाएँ स्थापित नहीं हो जातीं। अंग्रेज़ी में भी try, attempt, endeavour, venture आदि पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ देते हैं लेकिन इन पर्यायों के कारण अंग्रेज़ी की न तो विविध शैलियाँ मानी जाती हैं और न ही उस भाषा के एक से अधिक रूप गिनाए जाते हैं।

हिंदी और उर्दू के प्रश्न की तरह एक और प्रश्न हमारे सामने आता है - हिंदुस्तानी का। जिसे हम आज हिंदी भाषा कहते हैं इसे स्वतंत्रता-संग्राम के ज़माने में आम बोलचाल में हिंदुस्तानी कहा जाता था। लोगों ने इस सामान्य बोलचाल की भाषा को, जो उस समय देश के विविध क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क की भाषा थी, हिंदुस्तानी कहा। यह भी विवाद का विषय है कि क्या उस समय विद्वान साहित्यिक भाषा हिंदी से अलग बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी की बात कहते थे या हिंदी को ही हिंदुस्तानी नाम से पुकारते थे। यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में भाषा से संबंधित अनुच्छेदों को अंतिम रूप देने के लिए जो चर्चा हुई उसमें यह प्रश्न सामने आया कि इसे हिंदी कहें या हिंदुस्तानी। इतिहास साक्षी है कि इस नाम के संदर्भ में भी मतदान हुआ था और एक मत से हिंदुस्तानी की जगह 'हिंदी' शब्द को अपनाने का निर्णय किया गया।

तब से अब तक यह भी एक सवाल हम लोगों के सामने बार-बार उठता है कि क्या हिंदी और हिंदुस्तानी दो अलग-अलग रूप हैं और अगर हैं तो उनके संदर्भ में हमारी क्या नीति होनी चाहिए? कई विद्वानों का यह मत है कि हिंदी साहित्यिक भाषा है और साहित्य में इसका उपयोग किया जाता रहना चाहिए, जबकि हिंदुस्तानी आम बोलचाल की भाषा है जिसमें अरबी-फारसी के आम फहम शब्द होंगे। लोगों की यह धारणा है कि संस्कृतनिष्ठ शब्द विद्वत् चर्चा के और ज्ञान-विज्ञान के शब्द हैं तथा इन शब्दों का उपयोग भाषा को कठिन बनाता है, जबकि प्रचलित उर्दू शब्दों से भाषा थोड़ी सरल हो जाती है। इसलिए आम जन संपर्क के लिए यही सरल रूप उपादेय है। इस तर्क के संदर्भ में भी मतभेद हो सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी तथा उर्दू जानने वालों के लिए उर्दू की शब्दावली भले ही अधिक परिचित लगे, लेकिन किसी मलयालम भाषी के लिए या बांगला भाषी के लिए भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग भाषा को अधिक बोधगम्य बनाता है। इसी तरह तेलुगु या कन्नड़ भाषा-भाषियों के लिए संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा अधिक कठिन नहीं लगेगी। अखिल भारतीय स्तर पर सरल, बोधगम्य भाषा क्या हो इसपर हम कोई निश्चित राय नहीं दे सकते।

इस तरह हिंदी भाषा की विविधता का एक आयाम हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का है। जहाँ तक हिंदी और उर्दू का प्रश्न है, यह सत्य है कि इन्हें दो भाषाओं का दर्जा मिल चुका है, भले ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें अंतर नहीं है। इनकी साहित्यिक परम्परा भिन्न है और भिन्न ही रही है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी और उर्दू के अलग भाषाएँ होने का आधार भाषा वैज्ञानिक कम है, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिक है। जहाँ तक हिंदी और हिंदुस्तानी का सवाल है इन्हें हिंदी भाषा की दो शैलियाँ मान सकते हैं, लेकिन यह ऐसी दो विशिष्ट शैलियाँ नहीं होंगी कि इन्हें हम अलग नामों से पहचानें। भाषा के शब्द बदलते रहते हैं, भाषा की बोधगम्यता का स्तर भी बदलता रहता है। कुछ अरबी-फ़ारसी शब्द, जो किसी ज़माने में अधिक उपयोग में आते थे अब उतने प्रचलित या परिचित नहीं हैं। जो संस्कृत शब्द शुरू में कठिन लगते थे अब प्रचलन के कारण अधिक बोधगम्य हो गये हैं। यह भी द्रष्टव्य है कि जहाँ तक अरबी-फारसी शब्द के प्रयोग का सवाल है, हर लेखक अपने-अपने ढंग से उनका अनुपात निश्चित करता है। कोई बहुत कम अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग करता है, किसी में इतने अधिक अरबी-फारसी शब्द आते हैं कि उसकी भाषा को उर्दू ही कहा जाता है, भले ही वह देवनागरी में लिखी गई हो। इस कारण शब्दों के प्रयोग में विभिन्न प्रकार के अनुपात होने के कारण हम हिंदी और हिंदुस्तानी नाम की दो विशिष्ट शैलियाँ गिना नहीं सकते। हमें मानना होगा कि हिंदी भाषा की विविध शैलियों में शैली भेद उत्पन्न करने का अधिक आधार है अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग या संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग।

बोध प्रश्न 1

1. निम्नलिखित प्रश्नों का हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) भाषा के व्यवहार में कई रूप सामने आते हैं, लेकिन उन्हें हम अलग भाषाएँ नहीं कह सकते। (हाँ/नहीं)

   ii) हिंदी और उर्दू को हम संरचना के आधार पर दो अलग भाषाएँ मानते हैं। (हाँ/नहीं)

   iii) हिंदी की विशेषता यह है कि उसका अपना कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन वह पूरे देश की भाषा है। (हाँ/नहीं)

   iv) जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, तो वह भाषा का दर्जा पा जाती है। (हाँ/नहीं)

   v) दकनी भाषा को ही हम हैदराबाद की हिंदी कहते हैं। (हाँ/नहीं)

   vi) कई विद्वान हिंदी भाषा के बोलचाल के रूप को ही 'हिंदुस्तानी' का नाम देते हैं। (हाँ/नहीं)

   vii) अखिल भारतीय स्तर पर यह मान सकते हैं कि आम फहम उर्दू शब्दों से हिंदी भाषा सरल और सुबोध हो जाती है। (हाँ/नहीं)

   viii) पढ़े-लिखे लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सामान्य जनता हिंदुस्तानी भाषा का। (हाँ/नहीं)

2. सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए।

i) जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, उनमें हर जगह की अपनी -------------- का भी व्यवहार होता है। (भाषा/बोली)

ii) जिस भाषा की जितनी अधिक ---------- होंगी, उसमें उतनी ही अधिक शैलियाँ या भाषिक रूप होंगे। (विशेषताएँ/भूमिकाएँ)

iii) हिंदी भाषी प्रदेशों में जहाँ बोलियों का व्यवहार होता है, ----------- आदि प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में मानक हिंदी का व्यवहार अधिक होता है। (शिक्षा/जनसंचार)

iv) भाषा और बोली के संबंधों को हम सिर्फ ----------- आधारों पर सुलझा नहीं सकते। (साहित्यिक/भाषावैज्ञानिक)

v) हैदराबाद की हिंदी --------------- का वर्तमान बोलचाल का रूप है। (तेलुगु/दकनी)

vi) हर भाषा के दो विशिष्ट रूप मिल सकते हैं --------------- की भाषा और ------------ लिखित भाषा। (बोलचाल/मानक, परिनिष्ठित/संस्कृतनिष्ठ)

vii) हिंदी और उर्दू को दो अलग भाषाएँ मानने का प्रमुख आधार ----------- है। (साहित्यिक/सामाजिक-सांस्कृतिक)

9.4 हिंदी भाषा की भूमिकाएँ

हिंदी भाषा की अवधारणा को समझने के लिए हम दो संकल्पनाएँ लेकर चले हैं। एक तरफ भाषा के स्वरूप और समाज में प्रयोग के संदर्भ में हम यह जानना चाहेंगे कि विभिन्न स्थितियों में उपयोग के कारण किस प्रकार भाषा के साथ विभिन्न शब्द जुड़ जाते हैं; और इन शब्दों को हम संदर्भ के अनुसार ग्रहण करें तो कुल मिलाकर भाषा के मूल स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्थात् हिंदी भाषा एक है लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से इसमें विविधता आई है।

इस भाग में हम हिंदी भाषा की भूमिकाओं की चर्चा करेंगे। विभिन्न भूमिकाओं में भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं और इनसे कुछ हद तक विविधता भी पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ विद्वानों का अब भी यह मत है कि परिनिष्ठित, साहित्यिक (और साथ ही क्लिष्ट) भाषा रूप हिंदी की राजभाषा का रूप होगा और हिंदी का अखिलभारतीय रूप वास्तव में वह रूप होगा, जिसे हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। हर भाषा में हम भाषा की विभिन्न भूमिकाएँ देखते हैं। हर आधुनिक भाषा की ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में वर्तमान युग में अहम भूमिका है। विज्ञान की भाषा या विधि की भाषा प्रायः कठिन हुआ करती है क्योंकि इसकी शब्दावली पारिभाषिक होती है और इसकी वाक्य संरचना में बहुत से रूढ़तत्त्व आ जाते हैं, लेकिन आधुनिक भाषाएँ इसे बोलचाल से भिन्न अलग भाषा रूप नहीं मानतीं। फिर हम हिंदी में अखिलभारतीय हिंदी और राजभाषा हिंदी नाम की दो भिन्न भाषाओं की चर्चा या कल्पना क्यों करें? हिंदी भाषा की चार प्रमुख भूमिकाएँ हैं। इन चारों के संदर्भ में हम इस भाग में आगे चर्चा करेंगे।

9.4.1 संपर्क भाषा

संपर्क भाषा से तात्पर्य है उस भाषा रूप से जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क में काम आती है। हिंदी इस दृष्टि से बोली बोलने वाले वर्गों के बीच संपर्क भाषा है और भारत के अन्य क्षेत्रों में भाषाएँ बोलने वालों के बीच संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा का एक और व्यापक अर्थ भी है। शासन के विभिन्न अंगों में पूरे देश को जोड़ने के लिए हमने राजभाषा को अपनाया। इस प्रकार राजभाषा औपचारिक रूप में देश की संपर्क भाषा है। राजभाषा के माध्यम से ही देश के विभिन्न विधायी निकाय एक-दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, विभिन्न न्यायालय एक समन्वित इकाई के रूप में काम कर पाते हैं और देश के विभिन्न कार्यालय एक-दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। हम इस औपचारिक संपर्क भाषा को राजभाषा के नाम से अगले प्रकरण में देखेंगे। यहाँ पर हम अनौपचारिक स्तर पर संपर्क भाषा की चर्चा करेंगे। अनौपचारिक संपर्क के संदर्भ में सबसे पहले पूरे देश के लोगों के परस्पर संपर्क की बात आती है। तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के लोग तब तक एक-दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते, जब तक उनके लिए एक भाषाई माध्यम उपलब्ध न हो। या तो दोनों प्रदेशों के लोग दोनों भाषाओं का व्यवहार करें या फिर दोनों में से एक को संपर्क के लिए अपनाएँ। अधिकतर परिस्थितियों में इस प्रकार का भाषिक संपर्क नहीं हो पाता है और एक तीसरे रूप अर्थात् देश की संपर्क भाषा को अपनाना पड़ जाता है। आपने आम तौर पर देखा होगा कि

UGHI-06/CSSHI-06/119

रेलगाड़ियों में जिनमें विभिन्न भाषा-भाषी सफ़र करते होते हैं, आम तौर पर लोगों का संपर्क हिंदी के माध्यम से ही हो पाता है। देश के अन्य सुदूर प्रदेशों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति अगर अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क न कर सकें तो आमतौर पर अंग्रेज़ी या हिंदी के शब्दों से काम चलाते हैं। इस प्रकार व्यावहारिक रूप इस समय हिंदी देश के लोगों के बीच संपर्क भाषा बनी हुई है। विदेशों में भी, जहाँ के प्रवासी भारतीय कामकाज के लिए वहाँ की भाषा को अपनाकर अपने सांस्कृतिक वातावरण में एक साथ आते हैं तो हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं। भाषा के लिए संपर्क भाषा बनने के लिए एक वातावरण भी चाहिए। लोग हिंदी के माध्यम से तभी संपर्क कर सकते हैं, जब उन्हें थोड़ी हिंदी आती हो। इस दृष्टि से इस शताब्दी के आरंभ से ही एक व्यापक आंदोलन-सा चला है। स्कूली शिक्षा और स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के कारण, देश के कोने-कोने में लोगों ने हिंदी सीखी और इसका प्रचार बढ़ा। इसके अलावा, मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी की फ़िल्मों और फ़िल्मों के गानों का योगदान भी इतना ही महत्वपूर्ण रहा। फिल्मों का स्तर जो भी हो, पूरे भारत में जगह-जगह हिंदी की फ़िल्में प्रदर्शित की जाती हैं और पसंद की जाती हैं। आज दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रकार संपर्क भाषा का व्यापक प्रचार कर रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार (जिसका अध्ययन आप आगे इकाई 24 में करेंगे) हिंदी देश की सामासिक संस्कृति की वाहक है। हिंदी की यह भूमिका कुछ हद तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है, जो देश को जोड़ती है, देश के विभिन्न साहित्यों और विभिन्न संस्कृतियों का माध्यम बनती है और लोग इसे मन से अपनाते हैं। हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा कहलाने लायक वह गुण है जो संपर्क भाषा हिंदी से पैदा हुआ है।

9.4.2 राजभाषा

राजभाषा भी संपर्क भाषा का एक रूप है, उसका औपचारिक रूप है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। राजभाषा की भूमिका में हिंदी केन्द्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है, राज्यों के विधानमंडलों और संसद को अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है, देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। इसलिए यह आवश्यक है कि संघ शासन के इन तीनों अंगों से जुड़े हुए व्यक्ति इस भाषा से परिचित हों और इस भाषा के माध्यम से यथासंभव काम करें। इसके लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि दिए जाते हैं। राजभाषा विशिष्ट कार्यक्षेत्रों की भाषा है, इसलिए इसकी शब्दावली सामान्य बोलचाल की शब्दावली से भिन्न होती है। यह लिखित कार्यक्रमों की भाषा है इसलिए इसकी भाषा में रूढ़ उक्तियाँ आती हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिंदी का स्वरूप भी विकसित किया गया। प्रशासन, विधि आदि क्षेत्रों के लिए आवश्यक शब्द निर्मित किए गए और अनुवाद द्वारा इन शब्दों के माध्यम से नियम पुस्तिकाएँ आदि तैयार की गयीं। अपने इस नए स्वरूप के कारण राजभाषा हिंदी लोगों को कठिन लगी और लोगों ने यह अनुभव किया कि यह बोलचाल की भाषा से भिन्न कोई भाषा है। उपयोग के साथ-साथ राजभाषा निखरेगी और लोगों को इस भाषा में काम करने की आदत पड़ेगी तो यह उतनी कठिन नहीं लगेगी, लेकिन राजभाषा हिंदी नाम की कोई अलग कृत्रिम भाषा नहीं है। अगर लोग यह मानकर चलें कि क्षेत्रीय भाषा वास्तविक भाषा है और उसकी प्रकृति राजभाषा से निश्चित रूप से भिन्न होती है तो यह दृष्टि गलत है। राजभाषा का स्वरूप उन लोगों के लिए है, जो उस क्षेत्र में काम करते हैं और सभी व्यक्ति विधि की भाषा पढ़कर उसे उतनी ही आसानी से समझ लें, जितनी आसानी से फिल्म की पटकथा समझते हैं, तो यह विचार गलत होगा।

9.4.3 प्रयोजनमूलक भाषा

हिंदी भाषा एक जन-समुदाय की व्यवहार की भाषा है। जन-समुदाय की भाषा आमतौर पर लोगों की सामान्य आवश्यकता तक ही सीमित रहती है, जैसे खाना-पीना, रीति-रिवाज़ आदि के संदर्भ में सामान्य बातचीत। आधुनिक युग में भाषा के विविध प्रयोजन होते हैं। विकसित भाषाएँ सिर्फ़ समाज के सामान्य सम्प्रेषण और साहित्य के निर्माण तक ही सीमित रहती है। विकसित भाषाएँ जीवन के विविध क्षेत्रों में काम आती हैं। इन विविध क्षेत्रों को ही हम भाषा के प्रयोजनमूलक पक्ष कहते हैं। भाषा के कुछ प्रमुख प्रयोजनमूलक क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं--

i) ज्ञान-विज्ञान की भाषा/माध्यम की भाषा

ii) विधि की भाषा

iii) प्रशासन की भाषा

iv) विज्ञान और टैक्नोलॉजी की भाषा

v) जन-संचार की भाषा, आदि।

इनमें से दो प्रयोजनों की चर्चा हमने ऊपर राजभाषा के संदर्भ में की। ये शासन के औपचारिक प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं। ज्ञान-विज्ञान की भाषा, विज्ञान और तकनीक की भाषा, जन-संचार की भाषा आदि अन्य प्रमुख सामाजिक प्रयोजन हैं, जिनमें भाषा विशिष्ट के रूप में व्यवहार में आती है। इस प्रकार इन क्षेत्रों की भाषा के स्वरूप का अध्ययन करना भाषा का प्रयोजनमूलक अध्ययन है।

प्रयोजनमूलक भाषा की भूमिका एक युगीन आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से साहित्यकार स्वांतःसुखाय लिखते हैं। अर्थात् साहित्य रचना आजीविका के रूप में नहीं होती है बल्कि लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की भावना से लिखते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र गहरे रूप से आजीविका से जुड़े हैं। कोई पत्रकार है, जन-संचार की भाषा का अर्जन करेगा और कोई उसे विकसित करेगा। आम आदमी सिर्फ जन-संचार की भाषा से सूचना प्राप्त करने या मनोरंजन करने तक ही अपने को सीमित रखता है। इस प्रकार, आधुनिक युग में भाषा के माध्यम से काम करने वाले लोगों के लिए कई द्वार खुले हैं। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा का प्रश्न औपचारिक भाषा का क्षेत्र है, इसके लिए इस भाषा को विकसित करना, इस क्षेत्र में लोगों को तैयार करना और भाषा के माध्यम से उन क्षेत्रों में काम को आगे बढ़ाना आदि प्रयोजनमूलक भाषा के संदर्भ में आवश्यक सोपान हैं।

वर्तमान युग में भारत की लगभग सारी भाषाएँ प्रयोजनमूलक हैं। सभी भाषाओं के माध्यम से ऊपर के सभी प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। हिंदी का प्रयोजनमूलक पक्ष और सब भाषाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत है क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र काफी बड़ा है। इस कारण हिंदी को प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में विकसित करने में अहिंदी भाषियों से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है और अहिंदी भाषी व्यक्ति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

9.4.4 अंतर्राष्ट्रीय भाषा

हिंदी की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भाषा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में बोली जाती है। मॉरीशस, फ़िजी, सूरीनाम, त्रिनीडाड आदि देशों में प्रवासी भारतीय काफी संख्या में हैं। ये मूलतः भोजपुरी प्रदेश के हैं और अब भी घरों में भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन भारत की ही तरह इन देशों में हिंदी भाषा, शिक्षा (आंशिक रूप में), जन-संचार आदि का माध्यम है। अमेरिका, कैनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ़्रीका, सिंगापुर आदि देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ये देश विकसित हैं, अतः इन देशों में इन लोगों को हिंदी के माध्यम से काम करने के कई साधन मिल जाते हैं। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से कार्यक्रम, शिक्षा में और सांस्कृतिक धरातल पर हिंदी आदि क्षेत्रों में लोग हिंदी का व्यवहार करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में हिंदी समझी और बोली जाती है। पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन भाषिक एकता के कारण उसे हिंदी भाषी बखूबी समझ सकता है। इस तरह हिंदी-भाषा अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी महत्व के कारण विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। इस अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के कारण हिंदी पर यह दायित्व है कि वह इन देशों के हिंदी बोलने वाले लोगों की सांस्कृतिक-साहित्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पर्याप्त अवसर दे, इन सब लोगों को हिंदी के मंच पर एकत्र करे। इस दायित्व का वहन हम लोग अभी बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर सक्रियता से काम करें तो हिंदी भाषा सही मायने में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी।

बोध प्रश्न 2

3. आधुनिक हिंदी भाषा के चार प्रमुख प्रकार्य गिनाइए।

   ....

   ....

   ....

   ....

4. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) हिंदी आज भारत में विभिन्न भाषाएँ बोलने वालों के बीच सामान्य संपर्क की भाषा है। हाँ/नहीं

   ii) प्रशासन, विधि आदि क्षेत्रों में जिस भाषा के माध्यम से काम होता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। हाँ/नहीं

iii) प्रयोजनमूलक भाषा उसे कहते हैं, जो सामान्य संप्रेषण में उपयोग में आती है। हाँ/नहीं

iv) साहित्यकार प्रयोजनमूलक भाषा को विकसित करने में अपने लेखन द्वारा योगदान करते हैं। हाँ/नहीं

v) बाहर के लगभग 150 देशों में हिंदी का अध्ययन होता है। हाँ/नहीं

5. उचित शब्दों से वाक्य पूरे करें।

i) मलयालम भाषी के लिए हिंदी में ------------ शब्दों का प्रयोग भाषा को अधिक बोधगम्य बनाता है। (उर्दू/संस्कृत)

ii) राजभाषा हिंदी भाषा का एक रूप है, कोई अलग ---------- भाषा नहीं है। (विशिष्ट/कृत्रिम)

iii) विधि या प्रशासन की भाषा को हम भाषा की ----------- भूमिका कहते हैं। (अखिलभारतीय/प्रयोजनमूलक)

iv) संपर्क की भूमिका में ------------ के साधनों का योगदान रहा है। (जनसंचार/विज्ञान)

v) ग्रामीण भाषा, शहरी भाषा, -------------,मानक भाषा आदि भाषा के व्यवहार से प्राप्त विभिन्न ---------- हैं। (भाषण/बोली, रूप/ढंग)

9.5 सारांश

हमने इस इकाई में हिंदी के स्वरूप और आधुनिक युग में उसकी विविध भूमिकाओं की चर्चा की। हिंदी भाषा के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि राजभाषा हिंदी बोलचाल की हिंदी से भिन्न होगी; या मातृभाषा हिंदी के अलावा एक नयी भाषा 'अखिलभारतीय हिंदी' विकसित होगी। इन बातों से लगता है मानो ये प्रकृति में भिन्न दो भाषा रूप हों। इस इकाई में हमने यही चर्चा की है कि क्षेत्र विस्तार के साथ भाषा की विविध शैलियाँ सामने आएँगी, लेकिन मूलतः भाषा का स्वरूप एक ही होगा, उसकी प्रकृति एक होगी। इस समय हिंदी कई लोगों की मातृभाषा है, किन्हीं प्रदेशों के लोगों के लिए प्रथम भाषा है, जो सामान्य जीवन के क्षेत्रों में बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके विविध स्थानीय रूप भी हैं, जैसे बंबई की हिंदी, हैदराबाद की हिंदी। ऐतिहासिक कारणों से हिंदी की संस्कृतनिष्ठ शैली भी है, अरबी-फ़ारसी शब्दों से युक्त उर्दू शैली भी है। ये विविध रूप भाषा के विकास के लक्षण हैं, इनसे भाषा समृद्ध होती है।

हर विकसितशील समाज में भाषा की कई भूमिकाएँ हो जाती हैं। हिंदी अखिलभारतीय संपर्क की भाषा है। हिंदी देश की राजभाषा है, यह ज्ञान-विज्ञान के विषयों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हर भूमिका में भाषा में कुछ विशिष्ट लक्षण होंगे, भाषा का अपना अलग रूप होगा। जैसे राजकाज की भाषा की शब्दावली और वाक्य विन्यास उसे भाषा के अन्य रूपों से अलग करेंगे। यहाँ भी उस कथन को दुहरा लेना चाहेंगे कि भूमिका विस्तार भाषा विकास का आधार है, इससे भाषा समृद्ध होती है। भूमिकाओं के कारण बने भाषा के विविध रूप भाषा की अलग-अलग शैलियाँ हैं।

9.6 शब्दावली

पूरित - भरा हुआ

भूमिका - वे प्रकार्य जिनमें भाषा काम आती है (अंग्रेज़ी में इसे 'रोल' कहते हैं)

उद्भूत - निकला हुआ

हिंदी भाषा का उद्भव - हिंदी भाषा की शुरुआत

परिनिष्ठित - सुसंस्कृत, सुधरा हुआ

आजीविका - गुजारा, जीवन-यापन

9.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

प्रयोजनमूलक हिंदी : रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव (सं.) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

प्रयोग और प्रयोग : वी.रा. जगन्नाथन, आक्सफोर्ड यूनि.प्रेस, दिल्ली

9.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ iv) नहीं v) नहीं iv) हाँ vii) नहीं ix) नहीं
2. i) बोली ii) भूमिकाएँ iii) शिक्षा iv) भाषा वैज्ञानिक v) दकनी vi) बोलचाल, परिनिष्ठित vii) सामासिक-सांस्कृतिक

बोध प्रश्न 2

3. संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा
4. i) हाँ ii) हाँ iii) नहीं iv) नहीं v) हाँ
5. i) संस्कृत ii) विशिष्ट iii) प्रयोजनमूलक iv) जन-संचार v) बोली, रूप

इकाई 10 हिंदी का जनपदीय आधार

इकाई की रूपरेखा

10.0 प्रस्तावना

10.1 उद्देश्य

10.2 भाषा और बोली

10.3 हिंदी का जनपदीय आधार

10.4 हिंदी की उपभाषाएँ

- 10.4.1 राजस्थानी
- 10.4.2 पश्चिमी हिंदी
- 10.4.3 पूर्वी हिंदी
- 10.4.4 बिहारी
- 10.4.5 पहाड़ी

10.5 पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर

- 10.5.1 ध्वनि स्तर
- 10.5.2 व्याकरणिक स्तर

10.6 वर्गीकरण का पुनरावलोकन

10.7 सारांश

10.8 शब्दावली

10.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

10.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम हिंदी भाषा क्षेत्र और उसमें व्यवहृत विभिन्न बोलियों का अवलोकन करेंगे।

इस इकाई को पढ़ने को बाद आप :

- हिंदी क्षेत्र को परिभाषित कर सकेंगे;
- हिंदी की पाँच उपभाषाओं का परिचय दे सकेंगे;
- हिंदी की बोलियों के क्षेत्र, विशेषताएँ आदि बता सकेंगे;
- हिंदी की बोलियों की सामान्य विशेषताएँ बता सकेंगे; और
- बोली और भाषा के संबंध को स्पष्ट करते हुए मानक हिंदी और जनपदीय बोलियों के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

इकाई 4 में भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के संदर्भ में हमने चर्चा की कि भाषावैज्ञानिक आधार पर किए गए वर्गीकरण में हिंदी भाषा क्षेत्र को अलग-अलग वर्गों में दिखा दिया गया था। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि के आधार पर हिंदी क्षेत्र को एक मानकर उसकी बोलियों को विभिन्न वर्गों में मानना तर्कसंगत लगता है। यह सही है कि आधुनिक हिंदी भाषा खड़ी बोली का विकसित रूप है, लेकिन अब इसका स्वरूप किसी बोली मात्र का साहित्य नहीं है। यह भाषा बोली के स्तर से उठकर अखिलभारतीय अभिव्यक्ति का स्थान प्राप्त कर चुकी है। जिस तरह यह पूरे देश की भाषा बन चुकी है, उसी अर्थ में यह एक विशाल जन समूह की, हिंदी भाषा क्षेत्र की भाषा है, भले ही इस क्षेत्र में विविध बोलियाँ बोली जाती हों। हम इस इकाई में यह देखना चाहेंगे कि क्या विभिन्न संरचनाओं वाली बोलियाँ एक भाषा क्षेत्र की बोलियाँ गिनी जा सकती हैं।

10.2 भाषा और बोली

भाषा विविधरूपा होती है। किसी भी समाज में भाषा का मात्र एक रूप नहीं होता। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रमुख आधार स्थान भेद है। किसी भी विशाल क्षेत्र में व्यवहृत भाषा के कई क्षेत्रीय रूप तो होंगे ही। जैसे मराठी भाषा के तीन विशिष्ट रूप मिलते हैं - पुणे के आसपास की भाषा, मराठवाड़ा (औरंगाबाद) की भाषा और विदर्भ (नागपुर) की भाषा। भाषा के इन विभिन्न स्थानीय रूपों को ही हम भाषा की बोलियाँ कहते हैं। इस तरह जीवंत भाषा में कई बोलियाँ होती हैं, बोलियों का समूह ही भाषा है।

अगर बोलियों का समूह भाषा है, तो हिंदी भाषा के संदर्भ में यह विवाद क्यों है? इन बोलियों को विद्वान अलग-अलग भाषाएँ क्यों मानते हैं? क्या कोई मराठी भाषा की तीन बोलियों को तीन अलग भाषाएँ कहता है? जहाँ तक मराठी, तमिल, गुजराती आदि भाषाओं का सवाल है, उन भाषाओं की बोलियाँ इतनी भिन्न नहीं हैं कि एक मराठी भाषी दूसरे मराठी भाषी को सहजता से न समझ सके। लेकिन हिंदी में राजस्थानी बोलने वाले मैथिली बोलने वाले से आसानी से बात नहीं कर सकते। दोनों की बोलियों (भाषाओं) में इतना अंतर है कि संप्रेषण आसानी से संभव नहीं हो पाता।

भाषा और बोली के संबंध को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहेंगे। हिंदी में एक कहावत है कि 'चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी' (वाणी)। जिस तरह जगह-जगह पानी का रंग-रूप और स्वाद बदल जाता है, उसी तरह दूरी के कारण भाषा भी बदलती है। अर्थात् परिवर्तन इतना कम होगा कि अंतर के बावजूद उन बोलियों में संप्रेषणीयता होगी, विचारों का आदान-प्रदान संभव होगा। हर पड़ोस की बोलियों में संप्रेषणीयता होगी, जिसे निम्नलिखित आरेख से समझ सकते हैं।

बोलियाँ :

1 <—> 2 <—> 3 <—> 4 <—> 5 <—> 6 <—> 7 <—> 8 <—> 9 <—> 10 <—> 11 <—> 12

अगर किसी भाषा में 12 बोलियाँ हों, जो क्षेत्रीय दृष्टि से पश्चिम से पूर्व तक के विस्तार में फैली हों, तो हर बोली बगल की बोलियों के लिए अधिक संप्रेषणीय होगी। लेकिन परिवर्तन की स्वाभाविकता के कारण बोली 1 और बोली 12 में संप्रेषणीयता सबसे कम होगी। हिंदी भाषा में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। सुदूर पश्चिम में राजस्थानी बोलियाँ हैं, सुदूर पूर्व में बिहारी बोलियाँ, मध्य में क्रम से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। इनमें क्रमशः अंतर की मात्रा बढ़ती जाती है। इन अंतरों के कारण ही भाषाविद् भाषावैज्ञानिक आधार पर इन्हें अलग भाषा या भाषा समुदाय कहते हैं।

भाषा और बोली के संबंधों का एक दूसरा आधार भी है। यह सामाजिक-सांस्कृतिक आधार है। हिंदी और उर्दू भाषावैज्ञानिक आधार पर अलग भाषाएँ नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये अलग भाषाएँ हैं। भारत की बांगला और बांगला देश की बांगला में भाषा की दृष्टि से बहुत अंतर है, फिर भी इन्हें अलग भाषाएँ नहीं कहते। ये दोनों ही रूप बांगला ही कहलाते हैं। चीनी वास्तव में एक भाषा नहीं है, बल्कि एक लिपि से जुड़ी कई भाषाओं का एक समूह है। लिपि के माध्यम से व्यक्ति दूसरी भाषा को समझ सकते हैं, लेकिन बोलचाल में संप्रेषणीयता नहीं है। प्राचीन तमिल और आधुनिक तमिल में इतना अंतर है कि कोई व्यक्ति बिना टीका के प्राचीन तमिल को समझ नहीं सकता। लेकिन दोनों रूप 'तमिल' के नाम से एक भाषा गिने जाते हैं। यही बात चासर की अंग्रेज़ी और आधुनिक अंग्रेज़ी में है। लेकिन भारतीय आधुनिक भाषाओं के इसी विकासक्रम को पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि कई नाम दिए जाते हैं, जिससे लगता है कि इस भूमि में चार अलग भाषाएँ रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा और बोली के संदर्भ में कोई निश्चित मानदंड नहीं है। स्वीकृति या अस्वीकृति का सवाल भाषा समुदाय स्वयं ही करता है। यह माना जा सकता है कि हिंदी भाषा प्रदेश में 15-16 अलग-अलग भाषाएँ हैं; यह भी माना जा सकता है कि ये बोलियाँ एक भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूप हैं। यह निर्णय स्वयं भाषा-भाषी समुदाय करता है, इसका कोई बाह्य आधार नहीं है।

भाषा और बोली का निर्धारण परस्पर निर्भरता के आधार पर भी होता है। मराठी भाषी क्षेत्र में वह भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में व्यवहृत होती है, प्रदेश की राजभाषा है। हिंदी भाषी प्रदेश में भी लगभग सर्वत्र हिंदी ही शिक्षा की भाषा है, जीवन के समस्त व्यवहारों की भाषा है और व्यक्ति अपनी बोली के साथ मातृभाषावत् हिंदी का प्रयोग करता है। इस स्थिति के बावजूद अपनी-अपनी बोली का विकास एक नयी भावना है। हम बिना समाधान दिए इन स्थितियों की चर्चा करना चाहेंगे। बोली बोलने वाला समुदाय बोली का विकास और संवर्धन करना चाहता है। क्या इन प्रयत्नों से वे अलग भाषा का दर्जा चाहेंगे जैसे कि मैथिली भाषा के संदर्भ में हुआ है? कभी बोली

बोलने वाला समुदाय यह भी मानकर चलता है कि बोली वास्तव में उसकी मातृभाषा है और हिंदी उनके लिए अन्य भाषा है। इस मान्यता के कारण जनगणना में हिंदी भाषा-भाषियों की संख्या कम बतायी जाती है, क्योंकि इन बोलियों को मातृभाषा के रूप में अलग से दिखाया जाता है। फिर वास्तविक हिंदी भाषी समुदाय कौन-सा है, क्योंकि बोलियों का समुदाय ही वास्तव में हिंदी भाषी समुदाय है? इन सब प्रश्नों का उत्तर भविष्य ही देगा। हम इस विवाद को दूर रखते हुए हिंदी की बोलियों के बारे में जो वर्तमान चिंतन है उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

10.3 हिंदी का जनपदीय आधार

जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र (Hindi belt) कहते हैं, उसमें छह राज्य आते हैं - उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिंदी इस क्षेत्र की भाषा है और हिंदी की बोलियाँ इसी क्षेत्र के जन समुदाय द्वारा बोली जाती हैं।

हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को पाँच वर्गों में बाँटा जाता है। इन वर्गों को उपभाषा की संज्ञा दी जाती है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की बोलियाँ आती हैं। इसे हम निम्नलिखित रूप से एक तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं :-

हिंदी भाषा

1 राजस्थान की उपभाषा : क्षेत्र : राजस्थान

बोलियाँ :
- 1 मेवाती
- 2 मालवी
- 3 हाड़ौती (जयपुरी)
- 4 मारवाड़ी (मेवाड़ी)

2 पश्चिमी उपभाषा क्षेत्र : हरियाणा, उत्तर प्रदेश

बोलियाँ :
- 5 खड़ी बोली
- 6 बाँगरू या हरियाणवी
- 7 ब्रजभाषा
- 8 कन्नौजी
- 9 बुंदेली

3 पूर्वी उपभाषा क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

बोलियाँ :
- 10 अवधी
- 11 बघेली
- 12 छत्तीसगढ़ी

4 बिहारी उपभाषा क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, बिहार

बोलियाँ :
- 13 भोजपुरी
- 14 मैथिली
- 15 मगही

5 पहाड़ी भाषा क्षेत्र : हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश

बोलियाँ : क) पश्चिमी वर्ग

ख) मध्यवर्ती वर्ग :
- 16 कुमाऊँनी
- 17 गढ़वाली
- 18 नेपाली

ग) पूर्वी

इस तरह नेपाल की भाषा नेपाली को छोड़ दें, तो भारत में हिंदी क्षेत्र की कुल 17 बोलियाँ हैं।

इस इकाई में हम हर बोली की विशेषता तो स्पष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हर उपभाषा की प्रमुख विशेषताएँ देखेंगे। कुछ विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से अगली इकाई में छह प्रमुख बोलियों की चर्चा की गयी है।

10.4.1 राजस्थानी

जैसे कि नाम से ही विदित है, राजस्थानी उपभाषा की बोलियाँ प्रमुखतः राजस्थान राज्य में बोली जाती हैं। यहाँ हम बोलियों के साथ उपबोलियों की संकल्पना से भी आपको परिचित कराना चाहेंगे। जिसे हम 'मारवाड़ी' या 'मालवी' कहते हैं, वह भी वास्तव में एक बोली नहीं है। इसका एक परिनिष्ठित रूप है, तो इसके कई स्थानीय रूप भी मिल सकते हैं। बोलियों के स्थानीय रूपों को ही हम उसकी उपबोलियाँ कहेंगे। हर बोली के साथ उसकी कुछ प्रमुख उपबोलियों का भी उल्लेख करेंगे।

राजस्थानी में चार प्रमुख बोलियाँ हैं :- मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। यहाँ हम इन बोलियों का परिचय प्राप्त करेंगे।

मारवाड़ी

यह पश्चिमी राजस्थानी बोली है। मारवाड़ प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मारवाड़ी पड़ा। मारवाड़ी प्राचीन साहित्यिक भाषा है। हिंदी साहित्य के आदि काल में मारवाड़ी में वीर गाथाएँ लिखी गयी थीं। उस समय की भाषा को 'डिंगल' के नाम से जाना जाता था। भक्तिकाल की कवयित्री मीरा ने भी इसी बोली में अपना काव्य लिखा था। आधुनिक युग में भी मारवाड़ी में साहित्य रचना होती है। मारवाड़ी के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर आदि ज़िले हैं।

मारवाड़ी की एक प्रमुख उपबोली मेवाड़ी है। इस कारण कई विद्वान इस बोली को मारवाड़ी-मेवाड़ी के नाम से अभिहित करते हैं। अन्य उपबोलियाँ शेखावटी, सिरोही आदि हैं।

जयपुरी

यह जयपुर में बोली जाती है। इसे ढूँढ़ाड़ी भी कहते हैं। हाड़ौती इसकी प्रमुख उपबोली है जो कोटा, बूँदी के ज़िलों में बोली जाती है। इस कारण इन दोनों को जयपुरी-हाड़ौती की संज्ञा दी जाती है। इसमें तोरावाटी आदि कई उपबोलियाँ हैं।

मेवाती

यह उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली है जो अलवर, भरतपुर और गुड़गाँव के ज़िलों में बोली जाती है। इसकी प्रमुख उपबोली अहीरवाटी है जो गुड़गाँव के आसपास बोली जाती है।

मालवी

इसका क्षेत्र मालवा प्रदेश है जिसमें दक्षिणी राजस्थान के बूँदी, झालावाड़ आदि ज़िले हैं और उत्तरी मध्यप्रदेश के मंदसौर, इंदौर, रतलाम आदि ज़िले आते हैं। यह बोली पूर्व में गुजराती और पश्चिम में पश्चिमी हिंदी की बोलियों के बीच का क्षेत्र है। इस कारण यह भाषा की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के बहुत निकट है।

10.4.2 पश्चिमी हिंदी

पश्चिमी उपभाषा को ग्रियर्सन और चटर्जी पश्चिमी हिंदी कहते हैं। इस दृष्टि से वे हिंदी के क्षेत्र को सीमित करते हैं। इसकी बोलियाँ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में व्यवहृत होती हैं। दिल्ली, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में इस उपभाषा की बोलियाँ बोली जाती हैं। इसीलिए इसे पूरब की बोलियों की तुलना में पश्चिमी हिंदी कहा जाता है।

इस उपभाषा का क्षेत्र प्राचीन काल से मध्य देश कहलाता था। मध्य देश की भाषा होने के कारण यहाँ की भाषाएँ हमेशा पूरे देश में व्याप्त हुईं। संस्कृत पूरे देश की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम रही, ब्रजभाषा का व्यापक प्रसार हुआ, हिंदी भाषा अमीर खुसरो के समय से ही पूरे देश में दकनी, उर्दू आदि रूपों में फैली। इस दृष्टि से पश्चिमी हिंदी हिंदी क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण उपभाषा है।

पश्चिमी हिंदी की पाँच बोलियाँ हैं - बाँगरू (हरियाणवी), खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और क़न्नौजी। यहाँ हम पाँचों बोलियों के बारे में विचार करेंगे।

बाँगरू (हरियाणवी)

जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है यह बोली मुख्यतः हरियाणा की बोली है। यह बोली दिल्ली और उत्तर में करनाल, रोहतक, अंबाला आदि जिलों में बोली जाती है। रचना में यह खड़ी बोली के बहुत निकट है। संज्ञा शब्द और क्रिया रूप आकारांत होते हैं - घोड़ा गया आदि। बाँगरू में 'को' के लिए 'ने' का प्रयोग होता है, जिसके कारण दिल्ली में कई लोग मैंने जाना है (मुझे जाना है के लिए) का

प्रयोग करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है। करणा, मरणा आदि क्रियार्थक संज्ञाएँ हैं, काल (काल), चाल्लणा (चलना) आदि उदाहरण द्रष्टव्य हैं।

खड़ी बोली

खड़ी बोली हिंदी भाषा का स्रोत है। भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप इस बोली की रचना से मिलता है, लेकिन विकास के कारण हिंदी भाषा का वर्तमान रूप बोली से भिन्न है। यहाँ हम सिर्फ़ बोली का ही विवरण दे रहे हैं।

खड़ी बोली का क्षेत्र दिल्ली के उत्तर में मेरठ, बिजनौर, मुज़फ्फ़रपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि ज़िले हैं। रचना की दृष्टि से यह मानक हिंदी से अधिक भिन्न नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से कुछ अंतर दिखायी पड़ते हैं! खड़ी बोली में ण, ल़ का व्यापक उच्चारण होता है। करणा, जाणा आदि क्रिया रूप हैं, बाल़ (बाल), जंगल (जंगल) आदि उदाहरण द्रष्टव्य हैं। व्यंजन द्वित्व रूप में आते हैं। गाड्डी, भेज्जा, बेट्टा, जात्ता (जाता), छोट्टा आदि रूप द्रष्टव्य हैं। वर्तमान का रूप भिन्न है - मारे है (मार रहा है); सामान्य भूतकाल अलग है - मारे था (मारता था)। ऐसी विशेषताओं को छोड़ खड़ी बोली की रचना हिंदी से बहुत भिन्न नहीं है।

ब्रज

ब्रज याने ब्रजभूमि की भाषा ब्रज है। ब्रजमंडल मथुरा, वृंदावन के आसपास का क्षेत्र है, लेकिन इस बोली का स्थान इससे कहीं विस्तृत है। आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फ़र्रुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूँ आदि जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है।

इस बोली का साहित्यिक महत्व है। अधिकतर भक्ति साहित्य और लगभग समस्त रीतिकालीन साहित्य की रचना ब्रज में ही हुई। इसी साहित्यिक महत्व के कारण इसे ब्रजभाषा की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक युग तक साहित्यकार ब्रजभाषा में साहित्य सृजन करते रहे।

ब्रज भाषा संरचना की दृष्टि से खड़ी बोली से मेल खाती है। मुख्य अंतर यह है कि पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्द भूतकाल के रूप तथा विशेषण 'ओ' कारांत ।(किन्हीं क्षेत्रों में 'औ'कारांत) होते हैं। घोड़ो (घोड़ा), गयो (गया), भलो (भला) आदि उदाहरण द्रष्टव्य हैं। इन शब्दों के रूप में ब्रज, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं में समानता है।

कन्नौजी

इसका नाम कन्नौज नगर पर पड़ा है। यह नगर फ़र्रुखाबाद ज़िले में है। 'कनौज' संस्कृत 'कान्यकुब्ज' का तद्भव रूप है। इसका क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा, फ़र्रुखाबाद, शाहजहाँपुर आदि ज़िले हैं। यह कानपुर, हरदोई आदि ज़िलों में भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ की भाषा में पूर्वी हिंदी (अवधी) की छाप दिखायी पड़ती है। इसके पश्चिम में ब्रजभाषा का क्षेत्र है, दक्षिण में बुंदेली का। कन्नौजी ब्रज की तरह 'ओ' कारांत भाषा है, याने कन्नौजी के सभी विशेषण और क्रिया रूप ओकारांत होते हैं - खोटो, छोटो, मेरो, भयो (हुआ), बइठो (बैठो) आदि उदाहरण द्रष्टव्य हैं। भविष्यत् काल के दोनों रूप मिलते हैं - पश्चिमी वर्ग का रूप जो 'ग' से बनता है और पूर्वी रूप जो 'ह' से बनता है। उदाहरण के लिए मारिहौं/मारेगो (मारूँगा), मारिहैं/मारेंगे (मारेंगे) आदि।

बुंदेली

यह बुंदेलखंड की बोली है। इस क्षेत्र में बुन्देल राजवंशों का अविस्मरणीय इतिहास रहा है। इसका क्षेत्र झाँसी, जालौन, भोपाल, सागर, होशंगाबाद आदि ज़िले हैं जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। इसके उत्तर में कन्नौजी है, दक्षिण-पश्चिम की राजस्थानी की मालवी है, दक्षिण में मराठी भाषा का क्षेत्र है और पूर्व में पूर्वी हिंदी की बघेली है। इस तरह यह बोली चारों तरफ़ भिन्न भाषाओं या उपभाषाओं से घिरी है। इस कारण इसकी कई उपबोलियाँ हैं जो पड़ोस की उपभाषा या भाषा से प्रभावित रूप हैं। बुंदेली में अधिक साहित्य नहीं है।

यह मूलतः 'ओ' कारांत भाषा है। उदाहरण के लिए देखें - घोरो (घोड़ा), तेरो (तेरा), मारो (मारा) आदि। भविष्यत् काल दोनों तरह से बनते हैं - हुहों या होऊँगो।

अब तक हमने इन बोलियों की जिन विशेषताओं की चर्चा की उन्हें तालिकाबद्ध रूप में

देख लें। इन विशेषताओं की फिर हम पूर्वी हिंदी में चर्चा कर सकते हैं :-

	बाँगरू	खड़ी बोली	ब्रज	कन्नौजी	बुंदेली
संज्ञा/विशेषण/ क्रिया रूप	आ कारांत	आ कारांत	औ कारांत	ओ कारांत	ओ कारांत
भविष्यत्	ग	ग	ग	ह/ग	ह/ग

ध्वनि स्तर (प्रमुख गुण)	ण	ण	न	न	न
ने प्रत्यय	सकर्मक में	सकर्मक में	सकर्मक में	अकर्मक में भी	--
तिर्यक रूप	औं (घोड़ा)	ओं (घोड़ों)	न/नि (घोड़नि)	न (घोड़न)	न (घोरन)
वर्तमान (हम)	जातौं सौं	जाते हैं	जात ऐं/हैं	जात हैं	जात हैं
क्रियार्थक संज्ञा (करने के लिए)	करन	करण	करिबो	करनो/करिबो	मारनै/मारबो

हमने पश्चिमी हिंदी की बोलियों की कुछ विशेषताएँ इसी कारण दी हैं कि आप यह जानें कि (i) किस तरह पड़ोस की भाषा/बोली से कई विशेषताएँ मिलती हैं (ii) बोलियों में विशेषताएँ किस तरह वितरित हैं और (iii) कैसे विशेषताओं का एक क्रमिक परिवर्तन मिलता है। हमने पहले उल्लेख किया था कि बोलियों में परिवर्तन का एक सिलसिला मिलता है। इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप यह भी जान सकेंगे कि इन बोलियों की कौन-सी विशेषताएँ पूर्वी हिंदी की बोलियों में मिलती हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि कन्नौजी और बुंदेली में तथा पूर्वी हिंदी में कुछ समान तत्व मिल सकते हैं। अगले प्रकरण का इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करें।

10.4.3 पूर्वी हिंदी

यह उपभाषा प्रमुखतः पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश की है। पूर्वी हिंदी में अवधी महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा है। तुलसीदास ने इसी में रामचरित मानस तथा अन्य कृतियों की रचना की थी। इस उपभाषा में तीन बोलियाँ हैं - अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन तीनों का परिचय निम्न प्रकार से है

अवधी

इसका क्षेत्र प्रमुखतः अवध है। शायद 'अयोध्या' से ही 'अवध' शब्द बना है। इसके क्षेत्र में लखनऊ, उन्नाव, राय बरेली, फैज़ाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फ़तेहपुर आदि ज़िले आते हैं।

अवधी के पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में -वा (घोरवा) प्रत्यय लगता है। यह रूप विकारी भी नहीं होता- घोड़वा के (घोड़े को)। पुल्लिंग शब्दों में अविकारी और विकारी दोनों में 'न' प्रत्यय लगता है जैसे घोड़वन (घोड़े तथा घोड़ों)। ज़्यादातर भविष्यत् रूप 'ह' से बनता है - करिहौं (करूँगा), भविष्य का एक रूप 'ब' से भी बनता है - करिबा (करेंगे)। अवधी की प्रमुख विशेषता यह है कि विशेषण या कृदंत रूपों में लिंग की अन्विति नहीं होती। करत हौं (करता हूँ/करती हूँ), चलेउँ (मैं चला/चली); तोर (तेरा), मोर (मेरा), दोसर (दूसरा) आदि उदाहरण द्रष्टव्य हैं। भूतकाल का रूप इस/इसि प्रत्यय लगने से बनता है - कहिस/कहिसि (कहा)। अवधी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 'ने' प्रत्यय नहीं लगता- ऊ कहिसि (उसने कहा)। ध्वनि की दृष्टि से अवधी में ऐ/औ मूल स्वर नहीं हैं, संध्यक्षर स्वर हैं, जिनका उच्चारण क्रमशः 'अइ' और 'अउ' के समान होता है।

बघेली

यह बघेलखंड की बोली है, जिसमें मध्य प्रदेश के रीवाँ, जबलपुर, माँडवा, बालाघाट आदि जिले आते हैं।

छत्तीसगढ़ी

यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बोली है जिसमें मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर ज़िले हैं। यह बिहार के पश्चिमी भाग और उड़ीसा के उत्तर-पश्चिमी भाग में भी बोली जाती है।

बोध प्रश्न 1

1. भाषा और बोली का निर्धारण किन आधारों पर होता है? (3-4 पंक्तियों में उत्तर दें)

   ....

   ....

   ....

   ....

2. हिंदी क्षेत्र की पाँच उपभाषाओं के नाम लिखिए।

   i) ii) iii) iv) v)

3. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i) दो भाषाओं की अपेक्षा एक भाषा की ही पड़ोसी बोलियों में अधिक संप्रेषणीयता होगी। हाँ/नहीं

ii) बोली और भाषा के संबंध का निर्णय भाषा-भाषी समुदाय ही करता है। हाँ/नहीं

iii) बाँगरू (हरियाणवी) राजस्थानी उपभाषा की बोली है। हाँ/नहीं

iv) अवधी में कर्ता में 'ने' प्रत्यय नहीं लगता। हाँ/नहीं

v) छत्तीसगढ़ी बिहारी उपभाषा की बोली है। हाँ/नहीं

10.4.4 बिहारी

इस उपभाषा का स्थान मुख्य रूप से बिहार राज्य है। इसीलिए इसका नाम बिहारी पड़ा। बिहार में इस उपभाषा की बोलियों के अलावा अन्य दो भाषा परिवार की भाषाएँ भी बोली जाती हैं। दक्षिणी बिहार में आस्ट्रिक परिवार की संथाल आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। साथ ही दक्षिणी बिहार में ओराँव आदि द्रविड़ भाषाएँ बोली जाती हैं। इस तरह बिहार एक बहुभाषा-भाषी राज्य है।

बिहारी उपभाषा की तीन प्रमुख बोलियाँ हैं। ये हैं :-

भोजपुरी

भोजपुरी हिंदी की बोलियों में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसका क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं -- बस्ती, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, गाज़ीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर आदि। बिहार में चंपारन, सहारन, भोजपुर, पालामऊ आदि भोजपुरी क्षेत्र हैं।

भोजपुरी की निम्नलिखित भाषिक विशेषताएँ हैं :-

i) इसमें ने प्रत्यय नहीं है। (ऊ कहलख/कहलस - उसने कहा)।

ii) कर्ता रूप अविकारी होता है। (घोड़ा के - घोड़े को)।

iii) कुछ विशेषण लिंग के लिए बदलते हैं (बड़का - बड़ा, बड़की - बड़ी) लेकिन कई संबंधवाचक विशेषण नहीं बदलते (हमार - मेरा/मेरी, ओकर - उसका/उसकी, तोर/तोहार - तुम्हारा/तुम्हारी, राम क - राम का/की)। कई विशेषण अविकारी आकारांत रूप में आते हैं (बड़-बड़ा, छोट-छोटा, नीक-अच्छा, दोसर-दूसरा, जइसन-जैसा)।

iv) क्रिया रूप लिंग के लिए परिवर्तित नहीं होते। चललीं (मैं चला/चली), चलत हुईं (मैं चलता/चलती हूँ)

v) संज्ञा का बहुवचन रूप 'न' प्रत्यय लेता है। (घोड़ा-घोड़न-घोड़े; घोड़न-घोड़ों)

vi) भूतकाल का रूप प्रायः /ल/ से बनता है। कुछ क्रियाओं में सि रूप भी जुड़ता है। जैसे

हम रहलीं	हमनीका रहलीं
तू रहल	तोहनीका रहल
ऊ रहल	ऊ लोग रहल

vii) भविष्यत् का रूप /ब/ से बनता है। (जाइब - जाऊँगा/गी)

मगही

यह मगधी (मगध की भाषा) का तद्भव रूप है। यह बिहार के पटना, गया आदि ज़िलों में बोली जाती है।

मैथिली

मैथिली मिथिला प्रदेश की भाषा है। यह उत्तरी और पूर्वी बिहार के चंपारन, मुज़फ़्फ़रपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। बिहार की बोलियों में मैथिली साहित्य की दृष्टि से सबसे संपन्न है। मैथिली के भक्तिकालीन कवियों में विद्यापति का नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक मैथिली में विपुल साहित्य रचना होती है और आज मैथिली विश्वविद्यालय स्तर तक भाषा के रूप में पढ़ायी जाती है। इसी संपन्नता के कारण मैथिली भाषी इसे अलग भाषा का दर्जा देते हैं।

भाषिक दृष्टि से यह बांगला की पड़ोसी भाषा है। अतः इसमें और बांगला में कई समान तत्व मिलते हैं। इसमें सहायक क्रिया 'छी' (हूँ) 'अछि' (है) आदि मिलती हैं, जो बांगला की एक विशेषता है।

10.4.5 पहाड़ी

देश के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला है। यह विशाल भूक्षेत्र है। इसमें पश्चिम में कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक क्रम से जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र आते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश और बिहार का शेष भाग जो पहाड़ों के दक्षिण में है, विशाल मैदानी क्षेत्र है, जिसे गंगा-जमुना का मैदान कहा जाता है। हिंदी की पहाड़ी भाषाएँ इस विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती हैं। ग्रियर्सन ने नेपाली को भी पहाड़ी भाषाओं में गिना था और उसे पूर्वी पहाड़ी की संज्ञा दी थी। लेकिन अब राजनीतिक परिवर्तनों के कारण नेपाली अलग भाषा है, नेपाल की राजभाषा है। हम नेपाली को छोड़ कर अन्य पहाड़ी बोलियों के समूह को हिंदी की पहाड़ी उपभाषा मानते हैं।

पहाड़ी भाषाओं को दो वर्गों में बाँटा जाता है - पश्चिमी और मध्यवर्ती।

पश्चिमी पहाड़ी

इसका क्षेत्र मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश है। इसकी प्रमुख बोलियाँ जौनसारी, चमोली, मद्रवाही आदि हैं।

मध्यवर्ती पहाड़ी

पहाड़ी उपभाषा में मध्यवर्ती पहाड़ी की गढ़वाली और कुमाऊँनी बोलियाँ महत्वपूर्ण हैं।

कुमाऊँनी

इस बोली का क्षेत्र कुमाऊँ है, अतः इसका नाम कुमायूँनी या कुमाऊँनी पड़ा। कुमाऊँनी का क्षेत्र सबसे उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि ज़िलों में बोली जाती है। कुमाऊँनी वास्तव में एक बोली नहीं है, इसमें सीराली, सोरियाली आदि अनेक उप बोलियाँ हैं। इधर डेढ़ सौ वर्षों से कुमाऊँनी में साहित्य रचना भी हो रही है जो कुमायूँनी क्षेत्र के पश्चिम में है।

गढ़वाली

गढ़वाली गढ़वाल क्षेत्र की भाषा है जो कुमायूँनी क्षेत्र के पश्चिम में है। उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल आदि ज़िलों के साथ तराई के देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर ज़िलों के उत्तर में गढ़वाली का व्यवहार होता है।इसकी भी कई उपबोलियाँ हैं, जैसे राठी, श्रीनगरिया आदि।गढ़वाली का लोक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ी बोलियों का अपना स्वर माधुर्य है।

10.5 पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर

यहाँ हम मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में क्या समानताएँ/विषमताएँ हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि ये विशेषताएँ किस तरह पड़ोसी भाषाओं में भी दिखायी पड़ती हैं।

10.5.1 ध्वनि स्तर

i) पश्चिमी हिंदी में बाँगरू और खड़ी बोली में /ण/ की अधिकता है। यह विशेषता पंजाबी और राजस्थानी में भी है। पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा से शुरू कर असमिया तक /न/ की प्रमुखता आ जाती है।

ii) पश्चिमी हिंदी में /ए/ /औ/ का उच्चारण मूल स्वर जैसा होता है। पूर्वी हिंदी तथा पूर्वी भाषाओं में संध्यक्षर स्वर (अई/अउ) आदि का उच्चारण होता है। पंजाबी आदि पश्चिमी भाषाओं में मूल स्वर है, बांगला आदि पूर्वी भाषाओं में संध्यक्षर स्वर।

iii) पश्चिमी हिंदी में ल, ड़ की प्रधानता है। पूर्वी हिंदी में र की। जैसे गाली-गारी, घोड़ा-घोरा, लड़का-लरिका आदि। राजस्थानी, गुजराती में कई संज्ञा शब्द - ड़ा प्रत्यय से बनते हैं, पूर्व में असमिया में ड़ का उच्चारण लगभग नहीं है।

10.5.2 व्याकरणिक स्तर

iv) पूर्वी हिंदी में ने प्रत्यय है, पश्चिमी हिंदी में नहीं। 'ने' प्रत्यय पश्चिम की सारी आर्य भाषाओं की विशेषता है। इसके उदाहरण आप इकाई 3 में देख चुके हैं। हिंदी की उपभाषाओं में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी 'ने' का उपयोग करती हैं। पूर्व की भाषाओं में इसका अभाव है।

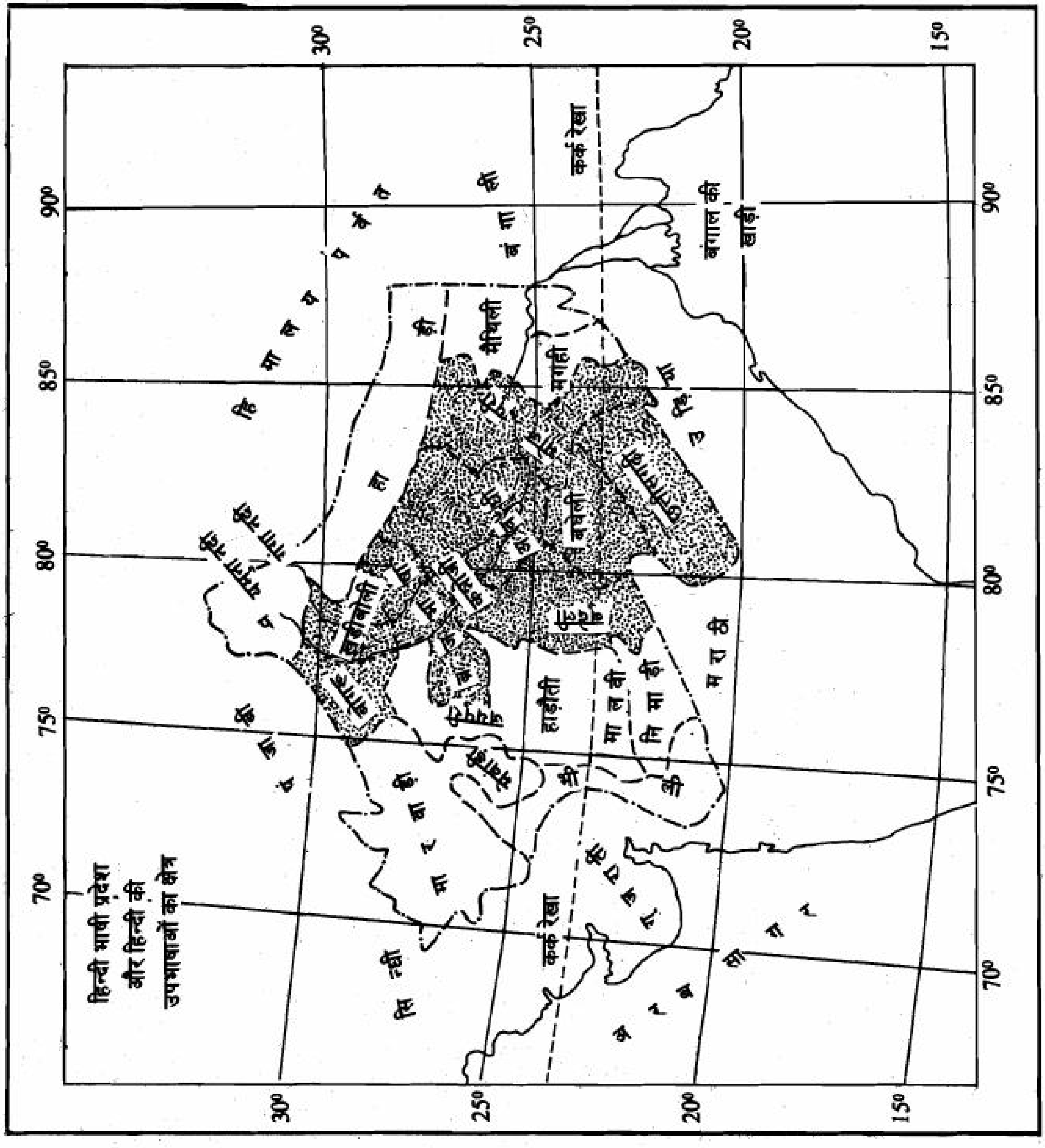
हिन्दी भाषी प्रदेश
और हिन्दी की
उपभाषाओं का क्षेत्र
कर्क रेखा
बंगाल की खाड़ी
मैथिली
मगही
हाड़ौती
कर्क रेखा

v) पश्चिमी हिंदी के पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में जहाँ आ/ओ प्रत्यय है, वहाँ बहुधा पूर्वी हिंदी में अकारांत शब्द व्यवहृत होते हैं। यह पश्चिम की पंजाबी, गुजराती, मराठी की भी विशेषता है। बांगला, असमिया आदि में शब्द का लिंग ही नहीं होता।

पश्चिमी हिंदी तथा पश्चिमी भाषाओं में विशेषण भी इसी तरह आ/ओ अंत वाले होते हैं, पूर्वी हिंदी में अकारांत।

इस विशेषता के कारण पश्चिमी भाषाओं में विशेषण-संज्ञा-क्रिया की अन्विति मिलती है। पूर्वी भाषाओं में इस अन्विति का अभाव है।

vi) पश्चिमी हिंदी में भूतकाल /य/ प्रत्यय से बनता है, पूर्वी हिंदी में /स/ से और बांगला आदि भाषाओं में /ल/ प्रत्यय से। बिहारी में /स /ल दोनों का भूतकाल की रचना में प्रयोग होता है। पश्चिमी भाषाओं में मराठी में /ल/ प्रत्यय है, शेष में /य/ प्रत्यय।

पश्चिमी हिंदी में भविष्यत् का रूप /ग/ या /ह/ है। पंजाबी तथा राजस्थानी और पहाड़ी में भी यही व्यवस्था है। बांगला में भविष्यत् का रूप /ब/ से बनता है। पूर्वी हिंदी में /ह/ और /ब/ दोनों आते हैं।

vii) सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहायक क्रिया 'ह' की है। संस्कृत शब्द 'अस्ति' से कुछ भाषाओं में ह-वाले रूप बने, कुछ में छ-वाले। इन का वितरण देखिए -

	पश्चिमी भाषाएँ	हिंदी की उपभाषाएँ	पूर्वी भाषाएँ
छ	गुजराती	राजस्थानी, पहाड़ी बिहारी (मैथिली)	बांगला, असमिया
ह	पंजाबी	पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी मराठी	ओड़िया (मगही, भोजपुरी)

छ/ह का यह वितरण स्पष्ट करता है कि कुछ भाषिक तत्वों का वितरण किसी विभाजन रेखा के अनुसार नहीं हो रहा है।

हमने ऊपर जो चर्चा की, उसका उद्देश्य मात्र प्रवृत्ति की ओर संकेत करना है, वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना नहीं। लेकिन इस आधार पर कह सकते हैं कि i) ने की रचना ii) लिंग की अन्विति; और iii) ऐ/औ के उच्चारण के आधार पर इसे दो बड़े वर्गों में बाँटा जाना चाहिए - पश्चिमी और पूर्वी। लेकिन जहाँ तक क्रिया रचना आदि का सवाल है, हिंदी भाषी क्षेत्र में मध्यवर्ती स्थिति दिखाई पड़ती है। पहाड़ी बोलियाँ पश्चिमी भाषाओं (और पश्चिमी हिंदी की उपभाषाओं) के अधिक निकट है।

10.6 वर्गीकरण का पुनरावलोकन

हमने इकाई 3 में चर्चा की थी कि ग्रियर्सन और चटर्जी ने किस तरह आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया और हिंदी को विभिन्न भाषा वर्गों में अलग-अलग बाँटा। ग्रियर्सन पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को दो अलग उपशाखाओं में दिखाते हैं। चटर्जी भी इन्हें अलग-अलग वर्गों में रखते हैं।

ग्रियर्सन का वर्गीकरण

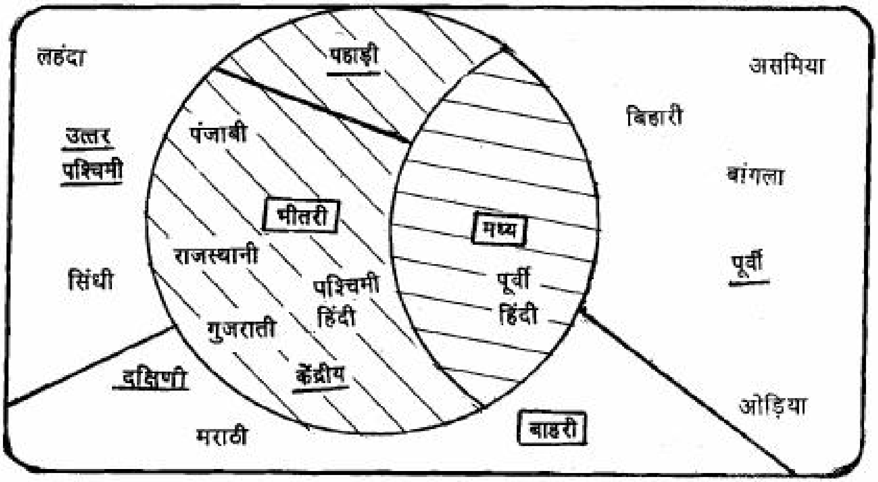

चटर्जी का वर्गीकरण

उत्तरी	पश्चिमी	मध्यदेशीय	पूर्वी
सिंधी	गुजराती	पश्चिमी हिंदी	पूर्वी हिंदी
लहंदा	राजस्थानी		बिहारी
पंजाबी			असमिया
			बांगला
			ओड़िया
दक्षिणी			
मराठी			

दोनों वर्गीकरणों के संदर्भ में कई मूलभूत बातें हैं। इकाई 3 में हम चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी हिंदी उस अर्थ में भाषा नहीं है, जैसे असमिया या ओड़िया है। मैथिली बोलने वाले मैथिली को भाषा का दर्जा देना चाहेंगे, न कि बिहारी को, जिसकी मैथिली एक बोली मानी जाती है। फिर इन वर्गों की वास्तविक भाषाएँ कौन-सी हैं? उनकी अस्मिता क्या है? फिर खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी वर्ग की एक भाषा होगी। उस स्थिति में मानक हिंदी का स्थान क्या है? यह तो आप देख ही चुके हैं कि खड़ी बोली अधिक से अधिक मानक हिंदी भाषा का एक बोलचाल का रूप मानी जा सकती है। आज भी वह देहात की बोली यह मानक भाषा नहीं है, जिसमें हम लोग इस वक्त विचार व्यक्त/ग्रहण कर रहे हैं। फिर क्या यह भाषा एक झूठ है, जिसमें पाँच लाख शब्द हैं, हज़ारों प्रकाशित पुस्तकें हैं और जिसकी पढ़ाई देश-विदेश के लाखों केन्द्रों/विभागों/संस्थाओं में होती है? इसी संदर्भ में हम उस व्यावहारिक दृष्टि की चर्चा कर रहे थे, जिसे दोनों भाषावैज्ञानिकों ने प्रस्तुत नहीं किया।

भारत एक विशाल देश है। इसमें दो प्रमुख भाषा परिवार हैं और 15-20 प्रमुख भाषाएँ हैं। प्रस्तुत चर्चा के लिए हम द्रविड़ भाषाओं को छोड़ देते हैं। जहाँ तक आर्य भाषाओं का सवाल है, इनमें भाषा और बोली का भी निश्चित वर्गीकरण नहीं है। सारी भाषाएँ एक क्रम में हैं जिससे कि अगल-बगल की दो बोलियाँ/भाषाएँ संप्रेषणीय होती हैं, सिर्फ़ दूर स्थित दो भाषाओं में ही असंप्रेषणीयता के लक्षण दीखते हैं। आधुनिक युग में भाषावार राज्यों के विभाजन के कारण भाषा क्षेत्रों में स्पष्ट सीमा रेखा दिखायी पड़ने लगी है। पहले यह बताना कठिन था कि कहाँ पंजाबी खत्म हुई और कहाँ से हरियाणवी या खड़ी बोली शुरू हुई। इस कारण पश्चिमी हिंदी पंजाबी के या गुजराती के अधिक निकट लगती है, बनिस्बत बिहारी की।

उपर्युक्त दोनों चर्चाओं के संदर्भ में ही हम कहना चाहेंगे केवल भाषिक आधार पर हम वर्गीकरण को स्पष्ट नहीं कर सकते, वर्गीकरण का वास्तविक आधार क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता, बोलियों की अस्मिता आदि समाज भाषावैज्ञानिक कारण हैं, न सिर्फ़ भाषिक विवेचना।

बोध प्रश्न 2

4. एक या दो वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

   i) मैथिली भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है?

   ....

   ....

   ii) मैथिली भाषा की भाषाई दृष्टि से किसके साथ निकटता है?

   ....

   ....

   iii) बिहार को हम किस कारण एक बहु भाषा-भाषी प्रदेश कहते हैं?

   ....

   ....

   iv) पहाड़ी भाषाओं की साहित्यिक स्थिति क्या है?

   ....

   ....

v) ग्रियसर्न और चटर्जी के वर्गीकरण की सामान्य विशेषता बताइए?

....

....

5. 'हाँ' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए।

i) भोजपुरी में संबंध वाचक विशेषण लिंग वचन के लिए अन्वित नहीं होते। हाँ/नहीं

ii) गढ़वाली नेपाली की उप-बोली है। हाँ/नहीं

iii) हिंदी की उप-भाषाएँ वास्तव में अलग भाषाएँ नहीं हैं, बल्कि बोलियों का समूह हैं जिसकी अपनी सामान्य विशेषताएँ हैं। हाँ/नहीं

iv) पूर्वी हिंदी में पूर्व की और भाषाओं के साथ सामान्य विशेषताएँ हैं, पश्चिमी हिंदी की पश्चिम की भाषाओं के साथ। हाँ/नहीं

v) पश्चिम की सारी भाषाओं में 'ने' की विशेषता नहीं है। हाँ/नहीं

10.7 सारांश

इस इकाई में हमने हिंदी भाषा क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में व्यवहृत 17 प्रमुख बोलियों का परिचय प्राप्त किया। ये बोलियाँ पाँच उपभाषाओं में विभाजित की जाती हैं। ये उपभाषाएँ अपने पड़ोस की भाषाओं से रचना साम्य दर्शाती हैं। इस तरह पश्चिम की भाषाओं/बोलियों से पूर्वी की भाषाओं/बोलियों तक एक अटूट क्रम है।

भाषिक विशेषताओं के स्तर पर पश्चिम और पूर्व की भाषाओं में कुछ मूलभूत अंतर है। यह अंतर पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में भी कुछ हद तक दिखायी पड़ता है। लेकिन यह अंतर इन दोनों उपभाषाओं को दो अलग भाषा वर्गों में बाँटने के लिए एक मात्र आधार नहीं है। इस अटूट क्रम में हिंदी भाषा क्षेत्र में भी कहीं भाषिक तत्वों के बदलाव की रेखा आएगी ही, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के एक ओर पश्चिमी भाषाएँ हैं और दूसरी ओर पूर्वी भाषाएँ।

भाषा क्षेत्र का निर्धारण हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की अपनी अस्मिता के आधार पर होना चाहिए। अर्थात् इस क्षेत्र का जन समुदाय ही निर्णय करता है कि उसकी बोलियों और मानक हिंदी भाषा का क्या संबंध हो और उनकी अपनी क्या भूमिकाएँ हों। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र एक भाषिक समुदाय के रूप में बना रहा, भले भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न बोलियों में साहित्य रचना हुई हो। आधुनिक युग में हिंदी के माध्यम से शिक्षा, हिंदी के माध्यम से जन संचार तथा संपर्क, हिंदी के माध्यम से साहित्य सर्जन आदि स्पष्ट करते हैं कि इसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहना उचित है।

आधुनिक युग में विभिन्न बोलियों का लेखन, प्रकाशन आदि प्रयोजनों के लिए प्रयोग जन समुदाय की भाषिक आकांक्षाओं का परिचायक है। कहीं यह अलग भाषा की माँग का रूप लेता है, कहीं यह मानक हिंदी का समवर्ती प्रयास है। इस संबंध में क्या स्थिति होगी, यह भविष्य ही बताएगा।

10.8 शब्दावली

जनपद - हिंदी भाषी क्षेत्र के वे खंड जिनकी अपनी अस्मिता है। जैसे ब्रज, बुंदेलखंड, अवध आदि जनपद हैं। 'जनपदीय आधार' का तात्पर्य बोलियों के क्षेत्र से है।

संप्रेषणीयता - सुनकर समझ सकने तथा विचार-विमर्श कर सकने का गुण।

10.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

ग्रामीण हिंदी : धीरेंद्र वर्मा, किताब महल इलाहाबाद (सं.) ज्ञानमंडल लिमिटेड, बनारस

हिंदी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप : अंबा प्रसाद 'सुमन', हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

10.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. निर्णय भाषा समुदाय का है, आधार कुछ हद तक भाषावैज्ञानिक है, कुछ सांस्कृतिक-सामाजिक।
2. i) राजस्थानी ii) पश्चिमी हिंदी iii) पूर्वी हिंदी iv) बिहारी v) पहाड़ी
3. i) हाँ ii) हाँ iii) नहीं iv) हाँ v) नहीं

बोध प्रश्न 2

4. i) प्राचीन साहित्यिक भाषा, आधुनिक काल मे
   ii) बांगला भाषा से
   iii) इसमें आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक तीनों परिवारों की भाषाएँ हैं
   iv) लोक साहित्य है
   v) दोनों हिंदी की उपभाषाओं को अलग वर्गों में रखते हैं।
5. i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ iv) हाँ v) नहीं

इकाई 11 हिंदी की प्रमुख बोलियाँ

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य
11.1 प्रस्तावना
11.2 मारवाड़ी
11.3 ब्रज
11.4 खड़ी बोली
11.5 अवधी
11.6 भोजपुरी
11.7 मैथिली
11.8 बोलियों की सामान्य विशेषताएँ
11.9 सारांश
11.10 शब्दावली
11.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें
11.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- हिंदी की बोलियों की प्रमुख विशेषताएँ बता सकेंगे;
- पश्चिमी और पूर्वी हिंदी की रचना का अंतर समझा सकेंगे;
- इन बोलियों का सामाजिक-साहित्यिक महत्त्व प्रस्तुत कर सकेंगे; और
- उन तत्वों की चर्चा कर सकेंगे जिनके आधार पर इन्हें एक ही भाषा की बोलियाँ माना जाता है।

11.1 प्रस्तावना

हमने पिछली इकाई हिंदी के जनपदीय आधार की चर्चा की और हिंदी भाषी क्षेत्र में बोलियों और मानक हिंदी के संबंध की चर्चा की। इस इकाई में हम हिंदी की छह बोलियों की विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी बोलियों का विस्तृत अध्ययन इस पाठ्यक्रम में संभव नहीं है। इनमें मारवाड़ी, खड़ी बोली और ब्रज पश्चिम की बोलियाँ हैं, अवधी, भोजपुरी और मैथिली पूर्व की बोलियाँ हैं। इनकी तुलना कर आप पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की रचना के अंतर को पहचान सकेंगे। इनमें मारवाड़ी, ब्रज, अवधी और मैथिली साहित्यिक भाषाएँ रही हैं। इस कारण इन भाषाओं में अध्ययन के लिए निश्चित रूप दिखाई पड़ सकता है। भोजपुरी हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक लोगों की भाषा है। यही बोली इस समय मॉरिशस, फ़िजी, सूरिनाम जैसे देशों में प्रवासी भारतीयों की भाषा का आधार है। खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की आधारभूमि है। इस तरह हमने अध्ययन के लिए इन छह बोलियों को चुना है। आप इनकी संरचना के साथ-साथ इनके सामाजिक-साहित्यिक महत्व का भी अध्ययन करेंगे।

UGHI-06/CSSHI-06/137

11.2 मारवाड़ी

मारवाड़ी राजस्थानी उपभाषा की प्रमुख बोली है। मारवाड़ प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मारवाड़ी पड़ा। मारवाड़ी का क्षेत्र राजस्थान के मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि स्थान हैं। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से मारवाड़ी राजस्थानी वर्ग की सबसे बड़ी बोली है।

मारवाड़ी का साहित्यिक महत्व भी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में दो प्रमुख भाषाओं का उल्लेख मिलता है - डिंगल और पिंगल। पिंगल ब्रज प्रदेश की भाषा थी और डिंगल वास्तव में मारवाड़ी का ही पूर्व रूप थी। आदिकाल या वीर गाथा काल की कई महत्वपूर्ण रचनाएँ डिंगल भाषा में ही मिलती हैं। भक्ति काल में मीराबाई की साहित्य रचना इसी भाषा में हुई थी। आधुनिक युग में भी अधिकांश राजस्थानी साहित्य मारवाड़ी में ही लिखा जाता है।

आगे आप मारवाड़ी में लिखित पद का नमूना देखिए

मारवाड़ी
अजमेर

अमलाँ मैं आछा लागो, म्हारा राज।
पीवो-नी दारु-ड़ी[1] ।।

सुरज था-नै पुजस्याँ जी भर मोत्याँ-को थाल।
घड़ेक मोड़ा[2] उगजो जी पिया जी म्हारै पास।
पीवो-नी दारु-ड़ी।

अमलाँ मैं आछा लागो, म्हारा राज।
पीवो-नी दारु-ड़ी

जा एँ दासी बाग मैं, ओर सुण राजन री[3] बात।
कदेक[4] महल पधारसी, तो मतवालो धणराज[5]।
पीवो-नी दारु-ड़ी।।

अमलाँ मैं आछा लागो म्हारा राज।
पीवो-नी दारु-ड़ी।।

थारी ओलूँ[6] म्हे कराँ, म्हारी करै न कोय।
थारी ओलूँ म्हे कराँ, करता करै जो होय।
पीवो-नी दारु-ड़ी।

अमलाँ मैं आछा लागो म्हारा राज।
पीवो-नी दारु-ड़ी।।

शब्दार्थ

1. हे मेरे स्वामी, नशे में तुम अच्छे लगते हो, शराब ज़रूर पीओ 2. एक घड़ी देर में 3. राजा की 4. कब 5.स्वामी 6. प्रेम।

11.3 ब्रज

ब्रज साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। भक्तिकाल का अधिकांश साहित्य विशेषकर कृष्ण भक्ति साहित्य इसी भाषा के माध्यम से रचा गया था। लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य भी इसी के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ। इस साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रजभाषा की संज्ञा दी जाती है। मध्य देश की भाषा होने के कारण इस भाषा ने भारत में कई क्षेत्रों में विस्तार पाया। केरल के कवि स्वाति तिरुनाल ने ब्रज में काव्य रचना की, आंध्र के नाटककार पुरुषोत्तम कवि ने इसमें कई नाटक लिखे। यह भाषा बंगाल तक गयी और वहाँ भक्ति काल में व्यवहृत इस भाषा से बनी भाषा का नाम ब्रजबुलि पड़ा। आधुनिक काल तक इस भाषा में साहित्य सर्जन होता रहा।

संस्कृत में 'ब्रज' मथुरा-वृंदावन के क्षेत्र का नाम है और ब्रजभूमि की भाषा ब्रजभाषा है। इसका क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी आदि ज़िले हैं और मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भरतपुर तथा राजस्थान के भरतपुर आदि जिलों में भी ब्रजभाषा बोली जाती है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या एक करोड़ के आसपास होगी।

जैसे कि ऊपर कहा गया है यह पश्चिमी हिंदी की बोली है और खड़ी बोली की पड़ोसी भाषा है। इस कारण हम अनुमान कर सकते हैं कि संरचना की दृष्टि से यह बोली खड़ी बोली के अधिक निकट होगी। आइए, ब्रजभाषा के माध्यम से एक गद्यांश का वाचन करें।

ब्रजभाषा

मथुरा

एक मथुरा जी के चौबे है[1], जो डिल्ली सैहर[2] की चलै। तो पैले[3] रेल तौ ही[4] नई, पैदल रास्ता ही। तौ एक डिल्ली को जो बनिया हो सो माल लैके आयो बेचिबे कौं। जब माल बिक गयौ, तब खाली गाड़ियै लैके डिल्ली को चलौ[5]। जो सैर के किनारे आयौ सो चौबे जी सै भेंट है गई। तो बे चौबे बोले गाड़ी बारे सै, अरे भइया सेठ, कहाँ जायगो कहाँ की गाड़ी है? वौ बोलो, महाराज मेरी डिल्ली की गाड़ी है और डिल्ली जाउँगो। तौ चौबे बोले, भइया हमऊँ बैठाल्लेय। बनिया बोलो, चार रुपा लागिंगे भाड़े के। चौबे बोले, अच्छा भइया चारी दिंगे।

अब चौबे चुप बैठ गये। तौ बनिया बोलो, 'महाराज कुछ बात कहौ जाते रास्ता कटे'। तौ बे चौबे जी बोले, 'हमरी एक बात एक रुपा की है। वाने कई, 'अच्छी महाराज मैं दूँगो।' तौ कई, 'पैली बात तो हमारी एई है

'सब पञ्चन मिल कीजै तुम
हारे जीते आवै न लाज।'

याय सुनिकै बनियौ बोलौ, 'महाराज, मोय तौ कछु या मैं मजा न आयौ। तुमने एक रुपा छुड़ाय लियौ। कई, रुपा की बात तौ इतनी होय है, फिर तोय सेंत मेंत[6] की सुनामेंगे। तो कई, महाराज और कुछ कओ। तौ कओ, सेठ, तेरो एक तो चुकौ अब दूसरे रुपा की कएं[7] सू दूसरी बिन्ने बात कई कि

'औघट घाट नहियै।'

कई, 'मोय मजा न आयो।' कई, 'जिजमान, मजा की फिर सुनामेंगे, तेरो भाड़ो तौ पूरो कर दें।' कई, महाराज अब तीसरी बात कओ। तो कई, तीसरी बात जे है कि 'घर में इस्त्री तैं साँच न कहै'। कई महाराज चौथिऔ कै देओ। कई, 'कुछ कसूर बन जाय तो सांच कहे, सांच कौ आँच कहूं नायं। कही, जिजमान तेरो भाड़ो तौ चुक गयो अब तोय सेंतमेत सुनावत चलैं। फिर बाय रंग बिरंगी बातैं सुनावत भए डिल्ली के किनारे तक पौंच गए।

जब डिल्ली द्वै कोस रै[8] गई तब जिजमान को गांव आयौ। सौ चौबे जी तौ उतर पड़े। जब कोस भर अगाड़ी और चलौ तौ एक गांव और आयौ । मां तै[9] डिल्ली कोस भर रै गई। वा गाउं मैं कैसी भई कि एक साधू मर गओ। तौ गांउं वालिन नै कही बिचार कियौ कि या कौं जमुना जी मैं फिकवाय देयं तौ याकी मोक्ष है जाय। तौ सब लोग या पैंड़े[10] मैं ठाड़े कि कोई खाली गाड़ी आय जाय तौ याय डिल्ली भिजवाय देअं। इतनेई मैं जा बनिये की गाड़ी चली आई। तौ गांउ वाले आदमी बोले कि तेरी खाली तौ गाड़ी हैये, तू या साधू को लै जा, याकी मोक्ष है जायगी। वौ बनिया बोलो, मैं ऐसे इल्जाम वाले मुर्दा की नई पटकौं। गांउं वाले बोले, तोय बड़ो पुन्न होयगो। इल्जाम को कहा बात है।

तौ मोयं (बनिये को) चौबे जी की बात याद आई 'सब पंचन मिल कीजै काज, हारे जीते आवै न लाज।' तौ मैंने वाको बैठाल्लियौ, मेरी कहा बिगडै गो, धर्म को मामलो है। जब मैं बाय लैके चलो तौ मोय दूसरी बात याद आई चौबे जी की कि, 'औघट घाट नहियै।' तो मैं वाय औघट घाट लै गओ जां कोई देखै नायं। तौ मैं बाय उठाऊं तौ उठै नायं, मरे मैं तो बड़ो बोझ है जाय। सो मैंने हात पांय पकड़ कै खैंचौ जो वाकी धोती गई। धोती के खुलत खन[11] सौ असर्फी निकरीं। जो मैं नई लाउतौ तौ कां से निकर्तीं और चौगान कै घाट पै लै जातौ, तो सब कोई देखतौ। वां काऊ नै नई देखौ। अब मैंने साधू कौ तो घसीट कै जमुना जी मैं फेंक दियौ और गाड़ी धोय लीनी और जल्दी के मारे असर्फी को बासनी[12] भूल कै चल दियौ। जब थोड़ी दूर आयौ तौ याद आई कि बासनी हवाई भूल आयौ। लौट के आयौ तौ देखौं तौ हवाई धरी। अब मैं बड़ो खुसी होत भयौ घर आयौ।

अब घर मैं आयौ तौ रात मैं लुगाई तै बात भई तौ लुगाई[13] *से सांच कै दीनी। सबेरे मैं तो दूकान पै* चलौ गयौ और लुगाई से पार पड़ोस मैं बात भई तौ वानै कै दीनी कि मेरो धनी[14] एक साधू की सौ असर्फी लायौ है। सो वा बात फैलत फैलत बास्साह के पास जाय पौंची। सो बास्सा मैं सेठ कौ पकड़ि बुलायौ। अब सेठ काँप ज्जाय[15] और जात जाय। अब जौ चौबे जी की चौथी बांत सांची होयगी तो बच कै आउँगो। बास्साय कै सामनैं हाजिर भयो। बास्साह बोलो, ऐ, रे बनिया तू कहाँ से लाया सच कहेगा तो छोड़ दिया जायेगा नहीं तो मारा जायगा। बनिया बोलो, हजूर मैं सच कहूँगो। *आप जो चायं*[16] *सो करैं। वानै सगरी*[17] *कथा कई कि मैं काऊ कौ मार कै नई लायौ, हजूर मोयं तौ* चौबे जी की बात को फल मिल्यौ अब आप हजूर मालिक हैं। बास्सा बोले, तैं ने सच कह दिया जा तेरी माँ का दूध है, ले जा।

(खिलन्दर चौबे)

शब्दार्थ

1. थे 2. शहर 3. पहले 4. थीं 5. चला 6. मुफ़्त 7. कही 8. रह 9. वहाँ से 10. प्रतीक्षा
11. खुलते ही 12. कमर में लपेटने की थैली 13. स्त्री 14. पति 15. काँपता जाय 16. चाहें 17. संपूर्ण

क्या आप इस गद्यांश को आसानी से समझ पाए? अगर दो तीन संरचनाओं का साम्य समझ जाएँ, तो शायद यह गद्यांश अधिक समझ में आ जाए। ये संरचनाएँ हैं

(1) एकवचन, पुल्लिंग विशेषण संज्ञा तथा क्रिया शब्द हिंदी में आ कारांत होते हैं, ब्रज में औ कारांत (इसे कुछ विद्वान ओ कारांत रूप कहते हैं।)

बनियो बोलो -- बनिया बोला

तेरो भाड़ो तो चुक गयो -- तेरा भाड़ा तो चुक गया।

बिगड़ै गो -- बिगड़ेगा।

गद्यांश से अन्य शब्दों को पहचानिए।

(2) है जाए -- हो जाए -- होयगो -- हैगो -- होगा -- है गई -- हो गयी

(3) कुछ क्रियाएँ : बेचिबो को -	बेचने को	दिंगे -	देंगे
आय जाय -	आ जाए	देअं -	दें
कै दीनी -	कह दी	नाई -	हुई
जात जाए -	जाता जाए		

इन कुछ क्रिया रूपों और शब्दों को समझ लिया जाए, तो ब्रज को अधिक आसानी से समझा जा सकता है।

इस तरह कह सकते हैं कि संरचना की दृष्टि से ब्रज में मानक हिंदी की संरचनाओं से अधिक साम्य मिलता है।

11.4 खड़ी बोली

खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की पाँच प्रमुख बोलियों में से एक है। ये बोलियाँ हैं - खड़ी बोली, बाँगरू या हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली का क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, बिजनौर, मुज़फ़्फ़र नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद आदि ज़िले हैं। इसके पश्चिम में बाँगरू बोली है, दक्षिण में ब्रज, पूर्व में कन्नौजी और उत्तर में पहाड़ी उपभाषा की बोलियाँ हैं।

इस तरह खड़ीबोली पश्चिमी उपभाषा वर्ग के ही केंद्र में नहीं, बल्कि दिल्ली के आसपास की भाषा होने के कारण यह मध्य देश की भाषा भी है।

खड़ी बोली शब्द का स्रोत बहुत स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति खरी (अच्छी) से मानते हैं। इसी बोली से प्रारंभ में उर्दू और बाद में हिंदी साहित्य का विकास हुआ। इस संदर्भ में हम इस पाठ्यक्रम में अलग चर्चा करेंगे। शुरू से ही उर्दू और हिंदुस्तानी (हिंदी) में साहित्य रचना होने के कारण इस बोली में कोई महत्वपूर्ण साहित्य नहीं मिलता। यों कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी ने खड़ी बोली का महत्व कम कर दिया है।

क्या खड़ी बोली का स्वरूप आधुनिक हिंदी की रचना के समान है? क्या दोनों का स्वरूप एक जैसा है? खड़ी बोली में एक स्थानीय बोली के लक्षण दिखायी पड़ते हैं, जबकि हिंदी भाषा विकास क्रम के कारण और आधुनिकीकरण* और मानकीकरण* की प्रक्रियाओं से गुज़रने के कारण अब समृद्ध तथा बिखरे हुए रूप में हमारे सामने आती है। अन्यथा दोनों की मूल प्रकृति एक ही है जिसे निम्नलिखित अवतरण से जान सकते हैं।

खड़ी बोली

बिजनौर ज़िला

कोई बादसा था। साब उस्के दो राण्याँ थीं। एक के तो दो लड़के थे और एक के एक। वो एक रोज अप्नी राणी से केने लगा मेरे समान ओर कोई बादसा है बी? तो बड़ी बोल्ले के राजा तुम समान ओर कोन होग्गा जेस्सा तुम वेस्सा ओर कोई नई। छोट्टी से पुच्छा के तुम बी बतला मुज समान कोई ओर बी राजा है के नई? कि राज्जा मुज्से मत बुज्झो। केह्या[1], नई, बतलाणा होगा। राणी ने किह्या कि एक बिजाण[2] सहर हे उस्के किल्ले में जितणी तुम्हारी सारी हैसियत है उत्ली एक ईंट लगी है। ओ हो इसने मेरी कुच बात नई रक्खी इसको तग्मार्ती[3] करना चाइए। उस्कू तग्मार्ती कर दिया। ओर बड़ी कू सब राज का मालक कर दिया।

ब्होत दिन बीत्त गये। कुछ दिन बाद लड़कों ने केह्या कि हम उस सहर को देक्खणा चाते हैं केसा बिजाण सहर हे। बादसा ने दोन्नो कू इक्का घोड़ा ले दिया। लड़के व्हां से ब्होत सा माल खुजियों में भर के बेजार सहर कू चल दिये। ब्होत दिन बीच ग्ये खाणा थोड़ा साई रे गेया। एक सराय में ठैरे थे। जब कूच बी खाणा नई मिला तो घोड़े तक बेच दिये। व्हाँ से बिजाण सहर ब्होत दूर था। ब्होत दिन हो गये तब तग्मार्ती का लड़का बोल्ला के मुज कू एक घोड़ा लाद्दे तो भाइय्यों की खबर ले आऊं के बिजाण सहर गेये या नी गेये। वो मजल दर मजल चला जा रिया था। जिस सहर में स्राय थी व्हांई जा पोंचा। लड़के ब्होत तंग हो गेये थे। घास बींच-बींच कर गुजारा करे थे।

उसमें भटियारी से क्या केह्या के मेरे घोड़े क वास्ते घास ला। भटियारी ने लड़कों से क्या केह्या कि चलो हमारी सराय में एक बादसा जाद्दा आया हवा हे। लड़का दोन्नो घास लेक्कर सराय में आये। उस्कू पता बी चल गेया ता, कि बूंज लिय्या था भटियारी से कि ये लड़के जा रये थे बिजाण सहर। उसके बड़ी तवज्जे की,ओर मिठाई ओर पकौड़ी खूब मसाल्लेदार उनकू खिलाई। सबेरा हवा तब व्हाँ से बिजाण सहर की राह ली। चलते-चलते मजल दर मजल बिजाण सहर बी आ लिया। व्हाँ क्या देखता हे के एक हाली हल जोत रिया हे। हात तो उसका हल में हे बेल वेस्सई सीद्दे खड़े हवे हैं। जो उस्कू अवाज दी तो बोलेई नी, बिजाण। ओर वो लड़का बिजाण सहर में पोच लिया है। देखता क्या हे कि चड़स चल रिया हे बेल ठाडे य खड़े हवे हैं। मलिक चड़स पकड़ रिया है ओर जो उन्कू अवाज देता है तो बोल्ते नई, बिजाण। आगे क्या देक्खता हे कि बौत अच्छा बाग हे। तरे तरे की रौस पट्टी पडी हई हे। फूल लगे हिये हैं। लड़के ने अवाज दी तो माल्ली बोल्ताई नी, बिजाण हे।

व्हाँ से चल के लड़का बिजाण सहर के किले ब करीब ई जा पोंचा। घोड़ा छोड़ क बादसा जाद्दे ने फाटक से बांध दिया ओर बिजाण सहर में चला गेया। देक्ता क्या हे के तमाम सहर बिजाण हे। लड़का भूक्खा था हल्वाई की दुक्काण कू गया। लड़के ने हांक मार्री तो बोल्लाई नी, बिजाण हे। लड़के ने खाणा उठा क खा लिया ओर किम्मत दुक्काण प रख दी। खाण्णा खा के लड़का व्हाँ से चल दिया। के व्हाँ की बादसाजादी की देक्खणा चइये किस जगे प रेती हे। ओर सोच्चा किले कि एक ईट जरूर ले चलना चइये। अक नमूना दिखावे क बिजाण सहर गेया था। ओर अटारी प जां बादसाजादी रेती थी व्हाँ गेया। वो पलंग प सो रई ती। जो हांक मारे तो बोल्ली नी, बिजाण। इस्का बी नमूणा कुच ले जाणा चइये। लड़के ने अपना रूमाल ओर गुस्ताना उस्के हाथ में पिन्हा दिया ओर उस्का लेक्कर अपणे हाथ में पेन लिया। सब नमूणा ले लिया त व्हाँ से चल देया। उस सहर में कुछ देव रैवे थे। वो महीने दो महीने में उसे जान का कर देवे थे सो वो सहर जान का हो गेया।

वो दोन्नो लड़के इस्के पेलेई घर पोंच गये ते ओर कहा, पिता, बिजाण सहर हम देख आये। वैसेई झूठमूठ कू बता दिया। फिर जब ये छोटा लड़का पोंचा और उस्णे तमाम नमूणा दिखा दिया तब बादसा बड़ा खुस हवा।

फेर जब बादसा-जादी गुस्ताना देक्खा तो बोली, कै तो उस बादसाजादे से सादी करा दे नई तो मैं बच्चूँगी नाय। उसने पूरा पता बता दिया। बादसा को वो लड़का ब्होत प्यारा लगा ओर सब राज का मालक उसेई बना दिया ओर उस्को लाने को चल देया। बिजाण सहर में सादी कर क उसी सहर का मालक बणा दिया। फेर बादसा ने उस छोटी रानी की बी मोत आबरू की।

(श्री ललिताप्रसाद शुक्ल द्वारा संकलित)

शब्दार्थ

1. कहा **2.** बेजान **3.** निर्वासित

क्या आपको इस कहानी को पढ़ने में कोई कठिनाई हुई? क्या आपने ऐसे कुछ भाषाई बिंदु देखे जो आपको मानक हिंदी भाषा से अलग लगे? अगर आपने ऐसे बिंदुओं को खुद पहचान लिया हो, तो आप स्वयं बता सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी भाषा से किन बातों में भिन्न है। हमने आगे जो अंतर बताये हैं, उनके और उदाहरण इकट्ठे कीजिए। मानक रूप का संकेत कोष्ठकों में है।

राणी (रानी)	पेले (पहले)
बोल्ला (बोला)	खुस (खुश)
करे थे (किए थे)	रह गया (रे गया)
छोड़क (छोड़कर)	रये थे (रहे थे)
देया (दिया)	हये (हुए), हवा (हुआ), हई (हुई)

अब आप यह भी देख लीजिए कि खड़ी बोली में मानक हिंदी की निम्नलिखित रचनाएँ हैं या नहीं।

लड़कों ने कहा	लड़की ने रूमाल देखा
दोनों बैल खड़े हुए हैं	जिस शहर में सराय थी
राजा ने उसको निकाल दिया	उनको मिठाई खिलाई
लड़की को देखना चाहिए	उन्होंने अपने घोड़े बेच दिए

आपने देखा होगा कि ये सारी रचनाएँ मानक हिंदी में हैं। कुछ अंतर हैं, जिनमें से एक है -

देख रहवे थे -- देख रहते थे

लेकिन संरचना के अंतर के अलावा आप भाषा शैली में कई अंतर देख सकते हैं, जो हिंदी के परिमार्जन और विकास के कारण उत्पन्न हुए हैं।

बोध प्रश्न 1

1. दिए हुए स्थान में उत्तर लिखिए।

   i) ब्रज एक बोली है, फिर भी इसे भाषा की संज्ञा क्यों दी जाती है?

   ....

   ....

   ii) मारवाड़ी में किस भक्त कवयित्री ने काव्य रचना की?

   ....

   ....

   iii) खड़ी बोली का क्षेत्र कौन-सा है?

   ....

   ....

   iv) तीनों बोलियों की क्रिया रचना की एक विशेषता बताइए।

   ....

   ....

2. उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें।

   i) केरल के स्वाति तिरुनाल ने -------- में काव्य रचना की। (हिंदी/ब्रज)

   ii) मारवाड़ी -------- उपभाषा वर्ग की बोली है। (पश्चिमी हिंदी/राजस्थानी)

   iii) मारवाड़ी के आदिकालीन रूप को -------- कहते हैं। (पिंगल/डिंगल)

   iv) ब्रज और खड़ी बोली दोनों -------- हिंदी उपभाषा वर्ग में आती है। (पूर्वी/पश्चिमी)

3. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) खड़ी बोली में प्राचीन साहित्य उपलब्ध नहीं होता। हाँ/नहीं

   ii) ब्रज भाषा में 'ने की रचना है। हाँ/नहीं

   iii) खड़ी बोली में एकवचन पुल्लिंग क्रिया रूप 'ओ कारांत होते हैं, जैसे बोल्लो, चल दियो। हाँ/नहीं

   iv) हिंदी और खड़ी बोली की उच्चारण की संरचना में कोई अंतर नहीं है। हाँ/नहीं

11.5 अवधी

अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख भाषा है। अवधी साहित्यिक भाषा है। तुलसीदास ने रामचरित मानस का प्रणयन अवधी भाषा में ही किया। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पदमावत इसी बोली में लिखा हुआ महाकाव्य है। सूफी काव्य परंपरा में मुल्ला दाऊद, कुतबन, उस्मान आदि कवियों ने भी अवधी में ही काव्य रचना की। इस भाषा के साहित्यिक महत्व के कारण आधुनिक काल तक कई कवियों ने अवधी में काव्य रचना की। आधुनिक काल में कृत कृष्णायन अवधी की प्रसिद्ध रचना है।

'अवधी' शब्द इसके भाषा क्षेत्र अवध से निकला है। अवध की भाषा अवधी है। जैसे उल्लेख किया गया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, उन्नाव के आसपास की भाषा है और पूर्व में इलाहाबाद तक उसका क्षेत्र है। इसके पश्चिम में पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी बोली है, पूर्व में भोजपुरी का क्षेत्र है।

आइए हम अवधी में एक गद्यांश देखें।

अवधी

प्रतापगढ़ जिला — पूर्व

एक अहीर के घरे माँ चार मनई लरिका, सास, पतोह और बाप रहत रहें। मुला[1] चारयू बहिर रहें।

बेटौना एक दिन खेते माँ हर जोतत रहा औ ओही ओरी से दुई राही चला आवत रहें। वै बेटौना से गुहराई कै[2] पूँछिन कि हम रामनगर का जावा चाहित अहै कौनी डगर से जाई? तौ ऊ अहिरवा जानिस कि हमरे बरधवन का पूछत अहैं कि बेचब्या? औ गोहराय के कहिस कि बरधवन का हम न बेचबै। यहि पर रस्ता गीरै गुहराइ कै कहिन कि हम का बैल न चाही, रह्मा[3] जौ जानत हुआ तौ लखाइ धा[4]। तौ ऊ सौ जानिस की सौ रुपैया बरधवन कै लगावत अहैं। औ गुहराइस कि राजू, सौ रुपैया काव जौ दुयू देत्यो तबहूं हम आपन बरधवन तुहैं न देइत।

कछुक बेर माँ ओह के महतारी रोटी वहि के बरे लौई। रुट्या खाती बेरा बेटौना बोला माई हो, आज दुई मनई बरधवन के सौ रुपैया देत रहें। मुला हम कहा कि दुई सौ का हमन देवै, सौ रुपैया कौन चीज आटै। महतरया बोली कि हाँ बच्चा हम हूँ जानित है कि सागे माँ[5] लोन[6] आज सेवाइ[7] हुइ गवा अहै। मुला जौन कुछ होइ तनी तुनी ऐसिन खाइ ल्या।

लौट कै जब घरे आइ तो पतोहिया[8] से कहिस कि लोन सागे माँ अस सेवाइ कै दिहे कि बेटौना से रोटी नाहीं खाइगै। तौ ऊ कहिस कि बासन[9] दै कै मैं मिठाई कब लिह्मौ रहा। दादा जौन दुआरे पर बैठ रहत हैं चला तिन से हजुरात देई[10]।

दूनौ झगरत झगरत जौ दुआरे पर आई तो पतोहिया ससुर से बोली कि क हो, तूं हमें बासन दै के मिठाई लेत कब देखे रह्मा? तौ ससुरवा बोला कि गोरू चरावै तौ तूं जा औ लाटी हम से पूँछब्या?

शब्दार्थ

1. किन्तु 2. बुलाकर 3. रास्ता 4. दिखा दो 5. साग में 6. नमक 7. अधिक 8. बहू 9. बर्तन 10. पुछवा दूँ

क्या अवधी ब्रज और खड़ी बोली की तरह अधिक परिचित लगती है? अगर कठिन लगती है तो इसे ठीक से समझने के लिए निम्नलिखित शब्दार्थ चाहिए -

रहत रहे - रहते थे	बेटौना - बेटा
पूँछिन - पूछा	जाई - जाएँ
बरधवन - बैल	बेचब्या - बेचोगे

कहिस - कहा	बेचबै - बेचेंगे
जो - अगर	जानत हुआ - जानते हो
देत्यो - देते हो	देहत - देता हूँ
वहि के बरे - उसके लिए	लौई - ले आयी
हुई गव अहै - हो गया है	खा त्या - खा लो
खाइगै - खाया गया	लिहृयों रहा - लिया था
गोरू - गाय	चरायै - चराने के लिए
पुँछब्या - पूछोगे	माँगते हो।

11.6 भोजपुरी

हिंदी भाषा के बिहारी वर्ग की एक प्रमुख बोली है भोजपुरी। इसका नाम शाहबाद ज़िले के भोजपुर नाम के एक छोटे-से कस्बे के नाम पर पड़ा। नाम का संबंध एक छोटे स्थान से भले हो, इस बोली का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाज़ीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ आदि ज़िलों में और पश्चिमी बिहार के शाहाबाद, चंपारन, सारन तथा छोटा नागपुर आदि स्थानों में बोली जाती है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में बोलने वालों की संख्या के हिसाब से यह सबसे बड़ी है। इसके उत्तर में नेपाल का क्षेत्र है, पूर्व तथा दक्षिण में बिहारी वर्ग की मैथिली, मराठी तथा छत्तीसगढ़ी की बोलियाँ हैं, पश्चिम में अवधी का क्षेत्र है।

भोजपुरी में लिखित साहित्य नहीं के बराबर है। यहाँ के साहित्यकारों ने पहले ब्रज और अवधी में लेखन कार्य किया। आधुनिक युग में यहाँ के कई प्रमुख हिंदी साहित्यकार हिंदी में लिखते रहे हैं। लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। भोजपुरी बोलने वालों में एक जागरण-सा आया है। अब भोजपुरी में प्रकाशन कार्य तेज़ी से होने लगा है। कई पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं। रेडियो पर नियमित रूप से कई भोजपुरी कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं।सिनेमा जगत में शायद भोजपुरी ही हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फ़िल्में बनी हैं।

हिंदी भाषा क्षेत्र में मारवाड़ीऔर भोजपुरी बोलने वाले जन समुदाय सबसे अधिक गतिमान रहे हैं। भारत में जगह-जगह इन बोलियों के लोगों के समुदाय हैं।भोजपुरी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। सूरिनाम, फ़िजी तथा मॉरिशस में भोजपुरी बोलने वाले प्रवासी भारतीय ही सबसे अधिक संख्या में गये।अतः इन तीनों जगहों की हिंदी भाषा में भोजपुरी का विशेष पुट देखा जा सकता है।आगे हम भोजपुरी का एक गद्यांश प्रस्तुत कर रहे हैं। उसे पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए।

भोजपुरी

गोरखपुर जिला

एक जनौ अहिर ससुरारि करै गइलैं। उहाँ राति के दीआ बरत रहै[1]। इ कब्बै[2] दीआ बरत देखले नाहीं रहलैं। अपने मन में कहलैं हो न हो ई अँजोरिया कै बच्चा[3]। जब उनकै ससुर नेक बिदाई दैवे लगलैं त ई कहलैं, ए राउत, हम लेब त अँजोरिया कै बच्चै लेब। ससुर दे दिहलैं। बाकरि[4] इनके मन में तब्बो खटका रहल। राति के जब सब सूति गैल[5] तब ई दीआ छान्ही[6] के नीचे धोरा दिहलैं। घर में आगि लगि गइल। सज्जी[7] धन दौलत बिलातिला गइल[8]। इहो रोए लगलैं, हमार अँजोरिया कै बच्चा ओही मैं जरि गइलै। सब लोग जानि गइलैं कि इहै सार घर फुकलसि है।

(सरबरिया)

शब्दार्थ

1. चिराग़ जलता था **2.** कभी **3.** उजियाली अर्थात् चाँद का बच्चा **4.** किन्तु **5.** सो गये
6. छप्पर **7.** सब **8.** नष्ट हो गई

इस अंश को समझने के लिए आपको निम्नलिखित शब्दार्थ की भी आवश्यकता होगी।

गइलैं - गया	राति के - रात को
देखल नाहीं - देखा नहीं था	देवै लागलैं - देने लगे
लेब - लेंगे/लूँगा	दे दिहलैं - दे दिया
सार - सारा	फुकलसि है - फूँका है

11.7 मैथिली

मैथिली बिहारी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है। इसका नाम मिथिला से पड़ा। मिथिला क्षेत्र की भाषा है मैथिली। आप जानते ही होंगे कि सीता मिथिला राजवंश की कन्या थी, इसलिए सीता का एक अन्य नाम मैथिली भी है।

मैथिली हिंदी की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा है। आदिकाल के कवि विद्यापति ने मैथिली में ही काव्य की रचना की थी। तब से लेकर आधुनिक काल तक मैथिली में विपुल साहित्य की रचना हुई है। आधुनिक युग में विश्वविद्यालय के स्तर तक मैथिली भाषा का अध्ययन होता है। साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली के साहित्यकार पुरस्कृत किए जाते रहे हैं। इस कारण मैथिली बोलने वाले इसे हिंदी की बोली नहीं मानते और स्वतंत्र भाषा के दर्जे की माँग करते रहे हैं।

मैथिली बिहार के उत्तरी भाग में चंपारन, मुज़फ़्फ़रपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि ज़िलों में बोली जाती है। इसके पूर्व में बांगला भाषा का क्षेत्र है। अतः मैथिली और बांगला भाषा में कई समान रचनाएँ देखी जा सकती हैं।

आइए मैथिली में लिखित एक गद्यांश का अवलोकन करें।

मैथिली

दक्षिणी दरभंगा

एगो[1] गँवारि गोआरिनि माथा पर देहरी[2] धैलै चलल जाइ रहैय०चलैत चलैत ओक०रा जी में ई उमंग उठ०लै, जे ई दही के बेंचब, पैसा सैं आम मोल लेब। किछु आम हम०रा जौरे[3] अछ[4]। सभ मिलाइ कै तीन सै सैं किछु बढ़ि जाइत। ओकरा में सैं[5] किछु सरिपचि जाइत। तब हैं अढ़ाइ सै तै बच०बे। आओर ओहि में से जे बचत ओकर बेसी दाम मिलत। तब दिवारी में एक हरिअर सारी हम०रा मुँह पर नीक खुलत। आओ बस, हम तै हरिअर सारी लेब। आओर ऐंठ जैंठ कै चलैत चलैत में सै सै लच०कत चलब।

एहि सोच विचार में ऊ गँवारि गोआरिनि जे किछु चमक ठमक कै टेढ़ चाल चलल तब देहरी ओक०रा माथा पर सैं गिर कै चूर चूर हो गेलै, आओर सौं सो बनल बनाएल घर बिगर गेलैं।

शब्दार्थ

1. एक 2. दही का बर्तन 3. पास 4. है 5. उनमें से 6. हरी साड़ी

इस गद्यांश को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको निम्नलिखित प्रकार से शब्दार्थ की आवश्यकता होगी -

चलल जाइ रहैय - चली जा रही थी	उठलै - उठी
बेचब - बेचूँगी	अछ - है
जाइत - जाते हैं	हैं - भी
बच० बे - बचेंगे	आओर - और
बनल बनलाएल - बना-बनाया	बिगर - बिगड़

बोध प्रश्न 2

4. दिए गए स्थान में उत्तर लिखिए।

   i) अवधी के दो प्रमुख भक्त कवियों के नाम लिखिए।

   ....

   ii) बोलने वालों की दृष्टि से भोजपुरी की विशेषता बताइए।

   ....

   ....

   iii) भोजपुरी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बताइए।

   ....

   ....

iv) मैथिली के साहित्य की दो विशेषताएँ बताइए।

....

....

5. उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए।

i) अवधी का क्षेत्र ---------- प्रदेश कहलाता है। (मारवाड़/अवध)

ii) भोजपुरी में प्राचीन साहित्य -------- उपलब्ध है (बहुत कम/अत्यधिक)

iii) मैथिली बिहार के ---------- क्षेत्र में बोली जाती है। (उत्तर/पूर्वोत्तर)

iv) पूर्वी हिंदी तथा बिहार में ------- की रचना नहीं मिलती। (ने/भविष्यत काल)

6. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i) मैथिली भाषा साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकृत है। हाँ/नहीं

ii) अवधी की क्रिया कर्ता से कहीं-कहीं अन्विति दिखाती है। हाँ/नहीं

iii) तीनों बोलियों का भविष्यत काल रूप एक समान है। हाँ/नहीं

iv) तीनों बोलियों में भूतकाल की रचना में अंतर नहीं है। हाँ/नहीं

11.8 बोलियों की सामान्य विशेषताएँ

हमने इस इकाई में हिंदी की छह प्रमुख बोलियों के पाठांशों का अवलोकन किया, यह देखने की कोशिश की कि किस तरह ये बोलियाँ मानक हिंदी से कम या ज्यादा संप्रेषणीय हैं और यह भी अनुभव किया कि कुछ व्याकरणिक और उच्चारणबद्ध विशेषताओं को समझ लेने के बाद बोलियाँ समझ में आने लगती हैं। स्थानाभाव के कारण और अधिक बोलियाँ नहीं दे पा रहे हैं। यह भी हमारा उद्देश्य नहीं है कि सारी बोलियों का अध्ययन आप करें। हम इस इकाई के माध्यम से सिर्फ़ यह बताना चाहते हैं कि बोलियों की सामान्य विशेषताएँ क्या हैं।

पिछली इकाई में हमने पूर्वी और पश्चिमी हिंदी आदि उपभाषाओं में कुछ भाषागत विशेषताएँ देखीं। व्याकरणिक विशेषताएँ उत्तर भारत की आर्य भाषाओं को कहीं बीच में अलग करती हैं। पूर्वी हिंदी से लेकर पूर्व की भाषाओं तक 'ने' की रचना का अभाव और कर्ता में लिंग/वचन की सूचना का अभाव एक सामान्य विशेषता है जबकि पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी भाषाओं में ये दोनों विशेषताएँ विद्यमान हैं। इसी तरह क्रिया रचना आदि के संदर्भ में भी पूर्व-पश्चिम का स्पष्ट विभाजन दिखाई पड़ता है।

भाषागत विशेषताओं के अतिरिक्त इन बोलियों की कुछ और सामान्य विशेषताएँ हैं जो भाषा और बोली के संबंध को समझने में सहायक हैं। आपने खड़ी बोली के संदर्भ में देखा होगा कि मानक हिंदी से उसके उच्चारणगत अन्तर बहुत अधिक स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है। हम आगे भी इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह हिंदी भाषा में उच्चारण की दृष्टि से संस्कृत के निकट जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जबकि बोलियों में जो उच्चारणगत अंतर हुए हैं वे अब पूर्व रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। बोली और भाषा के संदर्भ में उच्चारण, शब्दावली की संख्या, वाक्य विन्यास का सुगठित रूप आदि अंतर भी बोलियों को भाषा से अलग करते हैं। यदि कोई भाषा जैसे मैथिली साहित्यिक दृष्टि से संपन्न है तो उसमें उच्चारण आदि का मानकीकरण होने लगा है और उसकी शब्दावली में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति आने तक बोलियाँ बोलचाल के प्रयोजनों में व्यवहृत भाषा रूप हैं, जबकि भाषा विकास की नई दिशाएँ ढूँढ़ती हुई आगे बढ़ती है।

11.9 सारांश

इस इकाई में हमने हिंदी की छह प्रमुख बोलियों का परिचय प्राप्त किया। ये हैं -

राजस्थानी	-	मारवाड़ी
पश्चिमी हिंदी	-	खड़ी बोली
ब्रज		

पूर्वी हिंदी	-	अवधी
भोजपुरी		
बिहारी	-	मैथिली

इनके कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व हैं। मारवाड़ी, ब्रज, अवधी और मैथिली साहित्यिक भाषाएँ हैं। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। खड़ी बोली आधुनिक हिंदी का स्रोत है।

इनकी कुछ भाषावैज्ञानिक विशेषताएँ हैं। प्रथम तीन बोलियों में कर्ता-क्रिया अन्विति, ने की रचना आदि विशेषताएँ मिलती हैं। इसकी काल रचना शेष तीन बोलियों से भिन्न है। हम इन विशेषताओं की पिछली इकाइयों में चर्चा कर चुके हैं। इस इकाई में जो गद्यांश या उदाहरण हैं, उनमें आप इनकी विशेषताएँ पहचान सकेंगे और देख सकेंगे कि ये बोलियाँ आपके लिए कितनी अर्थग्राह्य हैं।

11.10 शब्दावली

1) मानकीकरण -- भाषा को एकरूपता प्रदान करना, मानक रुप देना।

2) आधुनिकीकरण -- भाषा को आधुनिक प्रयोजनों के लिए समृद्ध करना।

11.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिंदी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप : अंबा प्रसाद सुमन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

ग्रामीण हिंदी : धीरेंद्र वर्मा, किताब महल, इलाहाबाद

11.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) इसमें विपुल साहित्य की रचना हुई, यह तत्कालीन प्रमुख साहित्यिक भाषा थी

ii) मीरा

iii) दिल्ली के आसपास के (उत्तर के) मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद आदि ज़िले

iv) अकर्मक में विशेषण, कर्ता, क्रिया की अन्विति; सकर्मक में कर्म, क्रिया की अन्विति

2. i) ब्रज ii) राजस्थानी iii) डिंगल iv) पश्चिमी

3. i) हाँ ii) हाँ iii) नहीं iv) नहीं

बोध प्रश्न 2

4. i) तुलसीदास, जायसी

ii) भोजपुरी बोलने वालों की संख्या हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक है।

iii) सूरिनाम, मॉरीशस तथा फिजी में बसे भारतीय भोजपुरी बोलने वाले थे।

iv) इसमें प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, आधुनिक युग में हिंदी की बोलियों में साहित्यिक दृष्टि से सबसे संपन्न।

5. i) अवध ii) बहुत कम iii) पूर्वोत्तर iv) ने

6. i) हाँ ii) हाँ iii) हाँ iv) नहीं

इकाई 12 हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का संदर्भ

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 हिंदी

12.3 उर्दू

12.4 हिंदुस्तानी

12.5 हिंदी बनाम उर्दू

12.6 सारांश

12.7 शब्दावली

12.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के अंतःसंबंध और अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप

- हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की परिभाषा कर सकेंगे और इनके ऐतिहासिक विकास का वर्णन कर सकेंगे;
- हिंदी और उर्दू के संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे;
- हिंदी और उर्दू के यथार्थ का वर्णन कर सकेंगे; और
- हिंदुस्तानी के वास्तविक रूप की चर्चा कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

आप हिंदी और उर्दू भाषाओं से परिचित हैं। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है और उसमें ज्यादातर (अनिवार्य रूप से नहीं) तत्सम और तद्भव शब्दों की बहुलता है। उर्दू भाषा फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है और उसमें ज्यादातर (अनिवार्य रूप से नहीं) अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे की चर्चा से पहले हम आगे के कुछ वाक्यों के संदर्भ में आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये वाक्य हिंदी भाषा के हैं या उर्दू भाषा के। ये वाक्य हैं -

क्या मैनेजर साहब अंदर हैं?
मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ।
इस वक्त वे लोग यहाँ नहीं हैं।
क्या तुम्हें वह बात याद है जो कल मैंने तुम्हें बतायी थी?
मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है।
रेलगाड़ी देर से आयी। इसलिए हमें रात भर जागना पड़ा।

कुछ लोग कहेंगे कि देवनागरी में लिखे जाएँ तो हिंदी के वाक्य हैं; फ़ारसी लिपि में लिखे जाएँ, तो उर्दू के वाक्य। सिर्फ लिपि के कारण भाषा अलग नहीं हो जाती। हिंदी को हम रोमन लिपि में लिख दें, तो क्या वह भिन्न भाषा कहलाएगी? कोंकणी दो-तीन लिपियों में लिखी जाती है। क्या वह अलग-अलग भाषाएँ कहलाएगीं? और कुछ लोग कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी के वाक्य हैं (अर्थात न हिंदी के, न उर्दू के)। उनके अनुसार हिंदी का वाक्य होगा -

क्या प्रबंधक महोदय भीतर हैं?

UGHI-06/CSSHI-06/148

इसी तरह उनके अनुसार उर्दू का वाक्य होगा -

रेलगाड़ी देर से आयी। इस तरह से हमें तमाम रात जागना पड़ा।

भाषाओं में शब्दों के इस्तेमाल के कारण शैली भेद आ सकता है और संस्कृतनिष्ठ शैली, उर्दू शैली की बात कर सकते हैं। इससे भाषा भिन्न नहीं हो जाती।

आज हमारे समक्ष दो भाषाएँ हैं हिंदी, जो देवनागरी में लिखी जाती है और उर्दू, जो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। दोनों का अपना-अपना साहित्य है। दोनों की अस्मिता कुछ हद तक दोनों भाषाएँ बोलने वाले समुदाय की अस्मिता से जुड़ती है। ज्यादातर हिंदू हिंदी का व्यवहार करते हैं (जबकि कई मुस्लिम हिंदी के प्रख्यात विद्वान हुए हैं या हैं); उर्दू अधिकतर मुस्लिमों के व्यवहार की भाषा है (जबकि कई हिंदू उर्दू के लेखक या अच्छे शायर हुए हैं या हैं)। यह तो स्पष्ट करना ही चाहेंगे कि ये दोनों धार्मिक भाषाएँ नहीं हैं, फिर भी धर्मावलंबियों का रुझान अवश्य दिखायी पड़ता है।

इस संदर्भ में मूल प्रश्न अपनी जगह है - क्या हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएँ हैं? दो भाषाओं में संरचना और आधारभूत शब्दावली में अंतर होना चाहिए, उच्चारण का रूप याने ध्वनि संरचना में अंतर होना चाहिए। जहाँ तक हिंदी और उर्दू का सवाल है ये भाषागत अंतर इतने नहीं हैं जिनके आधार पर हम इन्हें अलग भाषाएँ गिनें। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि हम दो भाषाओं वाले सिद्धांत को ठुकरा दें और उर्दू के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा दें। हिंदी और उर्दू में भाषागत अंतर नहीं हैं, लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से इन्हें अलग भाषाएँ माना जाता है। इनका साहित्य अलग है, साहित्यिक परंपरा अलग है, इनका प्रयोजनमूलक स्वरूप अलग होता जा रहा है। हम इस प्रश्न पर इस इकाई में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे।

जब हिंदी और उर्दू को ही दो भाषाएँ कहना भाषावैज्ञानिक दृष्टि से कठिन है, तो हिंदुस्तानी को एक भाषा की संज्ञा कैसे दें? गनीमत यह है कि हिंदुस्तानी को वास्तव में एक शैली ही कहा जाता है।'हिंदुस्तानी' शब्द के पक्षधर इस शब्द से वास्तव में बोलचाल की सरल, सहज भाषा का अर्थ लेते हैं, जो देश में बहुत से लोगों द्वारा समझी जाती हो। आप अगली इकाई में अध्ययन करेंगे कि बोलचाल की भाषा सरल होती ही है, क्योंकि यह रोज़मर्रा जीवन की सामान्य बातचीत का माध्यम होती है। लेकिन बोलचाल की भाषा भाषा के विशिष्ट प्रयोजनमूलक प्रकार्यों के लिए पर्याप्त नहीं होती। आम आदमी खाने-पीने की चर्चा कर सकता है, लेकिन बोलचाल में भौतिकी या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विवरण नहीं देता। इस तरह हिंदुस्तानी न कोई भिन्न भाषा है, न यह भाषा के समस्त प्रकार्यों का वाहक बन सकती है। 'हिंदुस्तानी' शब्द का एक दूसरा संदर्भ है। गांधी जी प्रारंभ से ही हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी कहते थे। उनके हिसाब से यह शब्द हिंदी भाषा के अखिलभारतीय रूप को अधिक स्पष्ट करता है। यह विवाद संविधान पारित होने तक बना रहा। यह सवाल संविधान के निर्माताओं के सामने बना रहा कि इस भाषा को हिंदी कहें या हिंदुस्तानी और अंत में हिंदी की विजय हुई। उस स्थिति में यह शब्द 26 जनवरी 1950 को ही खत्म हो जाना चाहिए था। क्या कारण है कि हम आज तक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी की चर्चा कर रहे हैं, मानो ये तीनों अलग-अलग भाषाएँ हों?

12.2 हिंदी

क्या आप जानते हैं कि 'हिंदी' शब्द कहाँ से आया? क्या यह 'हिंदू' शब्द से संबंधित है? क्या यह हिंद की भाषा है और 'हिंद' इस देश का नाम है? इस संदर्भ में कई विद्वानों के अपने-अपने मत हैं और हमारे सामने कोई सर्वमान्य विचार नहीं है। 'हिंदी' का पहला प्रयोग छठी शताब्दी में फ़ारसी में मिलता है। पंचतंत्र के फ़ारसी अनुवाद की भूमिका में उल्लेख है कि वह 'ज़बाने' हिंदी से (अर्थात हिंद के लोगों की भाषा याने संस्कृत से) अनूदित किया गया है। भारत को ईरानी हिंद कहते थे, जबकि संस्कृत में पहले से ही इस देश का नाम 'भारतवर्ष' रहा है। इसी तरह हिंद के लोगों के लिए दूसरा शब्द 'हिंदू' बना; मूलतः यह शब्द किसी धर्म विशेष का शब्द न था। इस तरह हिंदी और हिंदू दोनों शब्द हिंद के लोगों के लिए प्रयुक्त हुए। अमीर खुसरो ने अपनी कृतियों में कई जगह 'हिंदी' शब्द का प्रयोग हिंद के लोगों के लिए किया है। इसे आप इकबाल की इन पंक्तियों में भी देख सकते हैं-

सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा ....
हिंदी हैं हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा।

किसी भाषा के लिए 'हिंदी' शब्द का प्रयोग बहुत बाद का है। छठी शताब्दी के पंचतंत्र के एक अनुवाद में उसकी भाषा 'संस्कृत' को 'ज़बाने हिंदी' (अर्थात हिंद देश की भाषा) कहा गया था। इस

'हिंदी' शब्द का आधुनिक आर्य भाषा हिंदी से कोई संबंध नहीं है। 13वीं शताब्दी तक आधुनिक आर्य भाषाओं का युग प्रारंभ हो चुका था। उस समय के एक फ़ारसी कवि ने देश की भाषा (संभवतः पुरानी हिंदी के लिए) हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। उसी समय अमीर खुसरो ने भी 'हिंदवी' के साथ 'हिंदी' शब्द का भी प्रयोग किया था। वे लिखते हैं कि फ़ारसी के साथ-साथ उन्होंने चंद नज़्म हिंदी में भी लिखे हैं - 'जुज़ बै चंद नज़्म, नीज़ नज्जर देस्तान करदा शुदा अस्त।' इसी भाषा को कुछ लेखकों ने हिंदुई भी कहा है। हिंदवी और हिंदुई में जो /वी/ या /ई/ प्रत्यय है, उससे आप परिचित ही होंगे। देहली का कवि अपने को 'देहलवी' कहता है, लखनऊ का, 'लखनवी'। इस तरह हिंदवी का अर्थ है हिंद का (या हिंद की)। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग दकनी का मशहूर कवि, 'सब रस' (रचना काल 1625) का रचनाकार मुल्ला वजही करता है। उसकी उक्ति देखिए - "हिंदोस्तान में हिंदी ज़बान सो इस लताफत इस छंद नज़्म और नस्र मिला कर गुलाकर यौं नै बोला।"

इस भाषा के लिए ज़बाने हिंदी, हिंदवी, हिंदुई ही नहीं, बल्कि रेख्ता नाम भी है। दकनी के कवियों ने अपनी भाषा को, जो मूलतः दिल्ली की बोली थी और दक्षिण में पहुँची, हिंदी, हिंदवी या दकनी कहा। इसी भाषा में फ़ारसी काव्य रचना की उक्तियाँ मिलाकर नयी साहित्यिक भाषा का रूप दिया गया, तो इसे रेख्ता नाम दिया गया है। यह साहित्यिक भाषा इसी अर्थ में उत्तर में प्रचलित हुई। इस प्रक़ार रेख्ता' हिंदी की वह शैली थी जो अरबी-फारसी शब्दों से और फारसी के काव्य के तत्वों से भरी थी।

हिंदी के लिए हिंदी का प्रयोग बहुत बाद में किया गया। 1803 में 'रानी केतकी की कहानी' लिखने वाले इंशा अल्ला खाँ कहते हैं कि वे ऐसी भाषा में अपनी कहानी कह रहे हैं जिसमें हिंदवीपन न हो। अर्थात वे हिंदवी (बोलचाल की भाषा) से भिन्न हिंदी भाषा की ओर संकेत कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी के विकास की यात्रा वास्तव में फोर्ट विलियम कालेज से ही शुरू होती है। यह कालेज 1800 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। यहाँ के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे गिलक्राइस्ट। वे आधुनिक हिंदी को हिंदुस्तानी कहते हैं और उर्दू को हिंदुस्तानी की दरबारी शैली और हिंदवी को उसकी ग्रामीण शैली। लेकिन हिंदुस्तानी शब्द का यह अर्थ शायद और यूरोपीय विद्वान नहीं ले रहे थे। 1812 में टेलर नामक विद्वान वार्षिक विवरण देते समय लिखते हैं - "मैं केवल हिंदुस्तानी या रेख्ता का जिक्र कर रहा हूँ, जो फारसी लिपि में लिखी जाती है...... मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिसकी अपनी लिपि है... जिसमें अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर-पश्चिम प्रांत की भाषा थी" (हिंदी साहित्य कोश)। अर्थात टेलर हिंदी को आधुनिक अर्थ में ले रहे थे और उर्दू को हिंदुस्तानी कह रहे थे।

फोर्ट विलियम कालेज में चार हिंदी के अध्यापक थे - इंशा अल्ला खाँ, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदासुखलाल। इनका काम प्रमुख रूप से हिंदी में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायता करना था। इन लेखकों ने हिंदी में स्वतंत्र लेखन भी किया और कई प्रारंभिक गद्य रचनाओं का सृजन किया। इंशा अल्ला खाँ की उक्ति तो आप पहले ही देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उस भाषा को हिंदवीपन से अलग रखने की कोशिश का जिक्र किया है। लल्लूलाल और सदल मिश्र ने अपनी कृतियाँ हिंदी में और नागरी लिपि में लिखीं, लेकिन उल्लेख किया है कि वे खड़ी बोली में लिख रहे हैं। इस तरह मान सकते हैं कि 19वीं सदी के आरंभ में भी हिंदी शब्द प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। उस शताब्दी के दूसरे भाग में ही हिंदी शब्द आधुनिक अर्थ में स्थापित हो पाया। धीरे-धीरे हिंदी और खड़ी बोली समानार्थी शब्द बनते गये।

12.3 उर्दू

उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ था 'शाही शिविर'। यह शब्द लगभग इसी अर्थ में अंग्रेज़ी में प्रचलित है, जिसका रूप है 'horde'. आप जानते ही हैं कि मुगल बादशाह तुर्क थे और तुर्की भाषा बोलते थे। आज उर्दू एक भाषा का नाम है, जिसकी मूल संरचना खड़ी बोली की है और जिसमें अरबी-फ़ारसी शब्दों की बहुतायत है। उर्दू साहित्य का, विशेषकर काव्य का आधार फारसी भाषा रही है। आप जानना चाहेंगे कि यह भाषा कब और कैसे अस्तित्व में आयी और इसका आज के भारतीय जीवन में क्या स्थान है?

इस इकाई के अन्य प्रकरणों में आप पढ़ेंगे कि आरंभ में 'उर्दू' नामक कोई भाषा नहीं थी, न ही 'हिंदी' का प्रयोग आज के अर्थ में आधुनिक काल तक हुआ था। शुरू में मध्य देश की भाषा को

'हिंदी' कहा जाता था, यह गुलाम वंश के शासकों के साथ दक्षिण में हैदराबाद पहुँची और वहाँ इसे 'दकनी' कहा जाता था। बाद में यह शैली उत्तर में आयी तो उसे 'रेख़्ता' का नाम दिया गया था।

मुगल हिंदुस्तान में आये, तो उन्हें हिंदुस्तान की भाषा को अपनाना पड़ा, जिससे वे लोगों से घुल-मिल सकें। शाही दरबार की भाषा फारसी थी, लेकिन आम जनता के बीच जनता की भाषा में ही संपर्क हो सकता था। शाहजहाँ के समय में दिल्ली के लाल किले में शाही खानदान के लोगों के लिए जो बाजार लगता था, उसे उर्दू-ए-मुअल्ला की संज्ञा दी गयी। उस बाजार में जो भाषा व्यवहृत होती थी, उसका नाम पड़ा जबाने उर्दू-ए-मुअल्ला। यह भाषा तत्कालीन खड़ी बोली होगी, जिसमें अरबी-फारसी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होगा। यही भाषा वर्तमान उर्दू का प्रारंभिक रूप रही होगी। बाद में यह जबाने उर्दू कहलायी भी और अंत में 'उर्दू' शब्द ही इस भाषा का नाम हो गया।

यह बोलचाल की भाषा कब साहित्यिक भाषा बनी, यह भी विचारणीय प्रश्न है। 15-16 वीं सदी में दक्षिण में दकनी के कवियों ने तत्कालीन मध्यदेश की भाषा को काव्य रचना के लिए अपनाया और उसे साहित्यिक भाषा के रूप में परिमार्जित किया। यह काव्य आंदोलन फिर उत्तर में पहुँचा तो इस भाषा को रेख़्ता कहा जाने लगा।

इस समय तक 'हिंदी' शब्द केवल बोलचाल की भाषा के रूप में सीमित होने लगा और नई काव्य भाषा कभी 'रेख़्ता' और कभी 'उर्दू' कही जाने लगी। काव्य भाषा के रूप में इसका झुकाव स्पष्टतः फारसी की तरफ था। उसमें न केवल अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता थी, बल्कि वाक्य रचना भी फारसी तर्ज पर बदली और शायरों ने फ़ारसी छंदों में काव्य रचना की। उर्दू के प्रारंभिक काल के शायर मीर, सौदा, दर्द आदि ने 18वीं सदी के मध्य में उर्दू साहित्य का प्रारंभ किया। तब तक भी उन्होंने इसे जबान उर्दू-ए-मुअल्ला ही कहा था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ही उर्दू हिंदी से अलग एक विशिष्ट भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और तब से हिंदी और उर्दू में संघर्ष या टक्कर की स्थिति भी सामने आयी। यह भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेज और आगे तक उसी भाषा को हिंदुस्तानी भी कहते रहे। 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू करके अंग्रेजों ने हिंदी और उर्दू के संघर्ष को बढ़ावा दिया। प्रशासनिक तथा अदालती भाषा के रूप में उर्दू की एक विरासत थी, वह शैक्षिक भाषा भी थी। इस कारण तथा मुसलमानों को संतुष्ट रखने की दृष्टि से भी अंग्रेज उर्दू को प्रधानता देते थे। हिंदी के विद्वानों के लिए यह अस्मिता और अस्तित्व का सवाल हो गया। हिंदी का तेजी से आधुनिकीकरण और विकास होने लगा। इससे अलगाव बढ़ा। इसी स्तर पर 'हिंदी' और 'उर्दू' अपने आधुनिक अर्थ में स्थिर हो गये। यह आप आगे पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी ने इस अंतर को पाटने के उद्देश्य से हिंदी और उर्दू के समन्वित रूप 'हिंदुस्तानी' को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की वकालत की।

12.4 हिंदुस्तानी

आम तौर पर यह माना जाता है कि "भाषा के संदर्भ में सरल हिंदी या सरल उर्दू का बोलचाल का रूप हिंदुस्तानी कहलाता है, जिसमें न संस्कृत शब्दों की, न फारसी शब्दों की भरमार रहती है" (हिंदी साहित्य कोश)। साहित्य कोश आगे कहता है कि हिंदुस्तानी का यह व्यावहारिक रूप ही अब हिंदी कहलाता है। यह देखना चाहेंगे कि उपर्युक्त कथन सही है या हिंदी से अलग हिंदुस्तानी नामक कोई विशिष्ट रूप है।

बाबर ने अपने आत्मचरित 'तुजुक बाबरी' में उस समय की देश की भाषा के लिए हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। आगे भी कई लेखकों ने हिंदी भाषा के ही अर्थ में हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था, यद्यपि 'हिंदुस्तानी' का प्रयोग कम हुआ, 'हिंदवी' या 'हिंदुई' का ज्यादा। मुसलमानों की अपेक्षा 16वीं शताब्दी से अधिकतर यूरोपीय विद्वानों ने भारत के मध्यदेश में बोली जाने वाली उस भाषा को भी 'हिंदुस्तानी' कहा। यह मान सकते हैं कि यह हिंदुस्तानी उस काल में समाज में व्यवहृत 'खड़ी बोली' के लिए शब्द था। हिंदुस्तानी अधिक संप्रेषणीय था, क्योंकि विदेशी विद्वान भारत को हिंदुस्तान कहते थे और हिंदुस्तान की भाषा को हिंदुस्तानी। सन् 1800 के आस-पास वास्तविक भाषा विवाद शुरू होता है। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएँ प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। गिलक्राइस्ट तत्कालीन बोलचाल की भाषा को 'हिंदुस्तानी', उसकी दरबारी शैली को 'उर्दू' और ग्रामीण शैली को 'हिंदवी' कहते हैं। हिंदी के विद्वानों ने हिंदुस्तानी की जगह 'हिंदी' शब्द को ग्रहण किया और हिंदी और उर्दू का प्रचलन हुआ।

उर्दू भाषा को मुगलों की **राजभाषा** फारसी से विरासत के रूप में व्यवहार का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। फ़ारसी प्रशासन (दरबार) की भाषा रही, अदालत की भाषा रही और इस कारण उसके माध्यम से उच्च शिक्षा की भी संभावनाएँ थीं। इस कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने उर्दू को अधिक प्रोत्साहन दिया। इस कारण अंग्रेजों की शब्दावली में हिंदुस्तानी भी उर्दू का ही बोलचाल का रूप रहा। इससे हिंदी के विद्वानों में उसके अस्तित्व का सवाल उठ खड़ा हुआ और वे हिंदी की अस्मिता को बनाये रखने के लिए 'हिंदी' शब्द पर और उर्दू से हिंदी के पृथक स्वरूप पर बल देने लगे। इस तरह हिंदी भाषा को परिमार्जित करने, उसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक ओर अरबी-फारसी शब्दों की अपेक्षा परिनिष्ठित शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ, जिस प्रक्रिया को हम आधुनिकीकरण कहेंगे; दूसरी ओर इस भाषा के बोलचाल के रूप की जगह संस्कृत उच्चारण, तत्सम शब्दों का प्रयोग आदि प्रक्रियाएँ शुरू हुईं, जिसे हम संस्कारीकरण कहेंगे। इन दोनों विकास की प्रक्रियाओं के बारे में आप खंड 7 में विस्तार से पढ़ेंगे।

हिंदी के इस बदलते स्वरूप के कारण भाषिक दृष्टि से विद्वानों में मतभेद शुरू हुआ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे विद्वान प्रचलित अरबी-फारसी शब्दों के प्रयोग को हिंदी की शक्ति मानते थे। आप जानते ही हैं कि आज भी कई लोग यह मानते हैं कि अरबी-फारसी शब्दावली भाषा को सक्षम अभिव्यक्ति देती है और उसमें जो बोधगम्यता है, सटीक अभिव्यक्ति है, वह संस्कृतनिष्ठ भाषा में नहीं है। दूसरी तरफ हिंदी के समर्थक विद्वान, यथा राजा लक्ष्मण सिंह आदि परिनिष्ठित भाषा के पक्षधर थे। इस वैचारिक मतभेद के कारण हिंदी और उर्दू में अंतर बढ़ने लगा।

महात्मा गांधी ने भारतीय एकता को अपना प्रमुख लक्ष्य माना। वे नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान बँट जाएँ। भाषा के संदर्भ में भी उन्होंने इसी उद्देश्य को सामने रखा और हिंदी और उर्दू की खाई को पाटने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी को देश की राजभाषा माना, जो बोलचाल की भाषा होगी और उसमें प्रचलित उर्दू के शब्दों का यथावत प्रयोग होगा।

इस तरह संक्षेप में कह सकते हैं कि 'हिंदुस्तानी' शब्द के कई अर्थ हैं। पहले हिंदुस्तानी खड़ी बोली के लिए व्यवहृत शब्द था, यूरोपीय विद्वानों ने यह अर्थ भी लिया, बाद में बोलचाल की उर्दू को हिंदुस्तानी कहा, गांधी जी और कांग्रेस ने हिंदी-उर्दू के सामान्य बोलचाल के रूप को हिंदुस्तानी कहा। हर अर्थ के पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। लेकिन आज हिंदुस्तानी नामक भाषा रूप कौन - सा है यह बताना कठिन है।

12.5 हिंदी बनाम उर्दू

हमने प्रस्तावना में उल्लेख किया था कि तभी दो भाषाएँ अलग मानी जाती हैं, जब उनमें संरचनागत अंतर हो अर्थात् वाक्य संरचना, क्रिया रूप, शब्द रचना, ध्वनि संरचना आदि में विशिष्ट अंतर हो, दोनों की आधारभूत शब्दावली भिन्न हो। लेकिन हिंदी और उर्दू में ऐसा अंतर नहीं है। दोनों में एक ही प्रमुख भाषिक अंतर है। दोनों भाषाएँ अलग-अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। यह स्थिति और भी कई भाषाओं में देखी जा सकती है। लिपि के कारण अलग भाषाएँ नहीं बनतीं। संसार में शायद यही एक उदाहरण है, जहाँ एक ही भाषा रूप दो भिन्न भाषाओं के नाम से जाना जाता है।

हमने पिछले प्रकरणों में हिंदी और उर्दू के अलगाव के संदर्भ में ऐतिहासिक विकास की स्थिति की चर्चा की। यहाँ हम इन दोनों भाषा रूपों के संदर्भ में वर्तमान में जो स्थिति है, उसका विश्लेषण करेंगे।

अस्मिता का सवाल : अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। इस कथन के पीछे जो सांप्रदायिकता की गंध है, उसके कारण लोग इस बात का निराकरण भी करते हैं और बताते हैं कि कितने मुसलमान भक्त कवियों ने हिंदी भाषा के उन्नयन में सहयोग दिया और कितने हिंदुओं ने उर्दू भाषा में शेरो-शायरी कर उस भाषा को संपन्न किया। दोनों बातें अपनी-अपनी जगह सही हैं। आज के अधिकतर हिंदू उर्दू भाषा पढ़-लिख नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए उर्दू पढ़ना अनिवार्य नहीं रहा। उर्दू माध्यम स्कूलों के अधिकतर छात्र-छात्राएँ मुस्लिम ही होते हैं, क्योंकि मुस्लिम अपने बच्चो को उर्दू की शिक्षा देना आवश्यक समझते हैं।

उर्दू के साथ उस भाषा के बोलने वालों की अस्मिता का सवाल जुड़ा हुआ है। इस बात को तब से और बल मिला जब मुस्लिम देश पाकिस्तान में उर्दू राजभाषा बनी, जबकि पाकिस्तान में उर्दू भाषी बहुत कम हैं। पंजाबी, सिंधी, लहंदा भाषाएँ वहाँ की मूल भाषाएँ हैं, फिर भी उर्दू लोगों को एक

UGHI-06/CSSHI-06/152

साथ मिलाने के लिए संपर्क सूत्र बनी। इस तरह हम उर्दू भाषा के साथ लोगों की अस्मिता के प्रश्न को नजर अंदाज नहीं कर सकते।

उर्दू और हिंदी भाषाएँ विकास यात्रा में भिन्न रास्तों पर चल रही हैं। एक जमाना था जब पंजाब तथा उत्तर प्रदेश आदि हिंदी भाषी क्षेत्रों में उर्दू की पढ़ाई अनिवार्य थी। बहुत से लोग उर्दू लिपि से परिचित थे और लिपि के परिचय के कारण साहित्य से परिचित होते थे। अब इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। अब त्रिभाषा सूत्र के कारण उर्दू का अध्ययन सीमित हो गया है और आज की पीढ़ी में बहुत कम हिंदी भाषी उर्दू की लिपि से परिचित हैं। इस कारण अब बहुत कम लोग उर्दू साहित्य का अध्ययन कर पाते हैं। इस तरह साहित्यिक धाराएँ अलग हो गयीं। हिंदी भाषी सिर्फ़ देवनागरी में लिखित उर्दू साहित्य को पढ़ सकते हैं या अनूदित साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं।

स्वतंत्रता पूर्व के समय में उर्दू और हिंदी प्रमुखतः साहित्य और जन संपर्क की भाषाएँ थीं। इस कारण दोनों की शब्दावली में अधिक विभेद नहीं था -- सिर्फ़ कुछ लेखकों की अधिक संस्कृतनिष्ठ शैली होती थी या कुछ की अरबी-फारसी शब्दों से भरी उर्दू शैली। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये भाषाएँ शिक्षा आदि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने लगीं और इनके लिए विविध विषयों की विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता हुई। हिंदी ने संस्कृत के आधार पर पारिभाषिक शब्दों की रचना प्रारंभ की और उर्दू ने अपने इस्तलाखात (पारिभाषिक शब्दों) के लिए अरबी-फारसी का सहारा लिया। यहाँ भी संस्कारों को सुरक्षित रखने तथा अस्मिता को बनाये रखने का सवाल था। इस कारण दोनों भाषाओं की शब्दावली में अंतर आया, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों से देख सकते हैं --

नताएज : नतीजे	फ़ुतूहात : (कई) विजह (< फतह)
माले गनीमत : लूट का माल	जरे मबादला : विदेशी मुद्रा

इन्हीं भिन्न शब्दावलियों के प्रयोग के कारण इन दोनों भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता में कमी आयी जिसे निम्नलिखित उदाहरणों से देख सकते हैं --

सेहतबख्श अज्जा का मुरक्कब : स्वास्थ्यवर्धक चीजों का मिश्रण

नागुजीर वजूह से : अपरिहार्य कारणों से

पैसे वाले गरीबों के मुतालिबात सुनते हैं : इच्छाएँ सुनते हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरणिक संरचना एक होते हुए भी हिंदी और उर्दू की धाराएँ अलग हो गयी हैं। साहित्यिक स्तर पर इनकी विरासत अलग है, इनकी दिशाएँ अलग होती जा रही हैं। लिपि के अंतर के कारण इनमें अंतर बढ़ गया है। जहाँ तक आधुनिक प्रयोजनों का सवाल है, हिंदी के पारिभाषिक शब्द संस्कृत के आधार पर निर्मित किये जा रहे हैं और उर्दू के इस्तलाखात (पारिभाषिक शब्द) अरबी-फ़ारसी पर आधारित हैं। प्रयोजनपरक भाषा में भी दोनों भाषाओं में अंतर बढ़ता जा रहा है। कोई हिंदी भाषी उर्दू में लिखी भूगोल या भौतिक विज्ञान की पुस्तक आसानी से पढ़ नहीं सकता। यह कहना कठिन है कि यह स्थिति स्वाभाविक है या दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन यह यथार्थ है।

संरचना की एकता और आधारभूत शब्दावली की समानता के कारण बोलचाल में संप्रेषणीयता का होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे हिंदुस्तानी नामक एक विशिष्ट भाषा रूप की संज्ञा देना उचित विश्लेषण नहीं है। और 'हिंदुस्तानी' को दोनों भाषाओं का सेतु मानना समस्या का समाधान नहीं है।

बोध प्रश्न 1

1. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) उर्दू एक विदेशी भाषा है, फारसी का बोलचाल का रूप है। हाँ/नहीं

   ii) उर्दू मुसलमानों की धार्मिक भाषा है। हाँ/नहीं

   iii) हिंदी और उर्दू में संरचना की दृष्टि से मूलभूत अंतर नहीं है। हाँ/नहीं

   iv) उर्दू से हिंदुस्तानी भाषा निकली। हाँ/नहीं

   v) मध्य काल की मध्य देश की जन सामान्य की भाषा को हिंदवी कहा जाता था। हाँ/नहीं

   vi) 16वीं सदी में दिल्ली के आसपास दकनी का व्यवहार होता था। हाँ/नहीं

   vii) हिंदी, उर्दू दोनों का उद्भव खड़ी बोली से हुआ। हाँ/नहीं

   viii) अंग्रेज उर्दू को अधिक महत्त्व देते थे। हाँ/नहीं

ix) पारिभाषिक शब्द निर्माण में हिंदी, उर्दू एक साथ हैं। हाँ/नहीं

x) 19 वीं शताब्दी में हिंदी और उर्दू के मिश्रण से हिंदुस्तानी बनी। हाँ/नहीं

2. उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरे कीजिए :

i) अमीर ख़ुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग ——— के लिए किया है।
(भारत निवासी/हिंदी भाषा)

ii) दकनी जब उत्तर में आयी तो ——— कहलायी। (उर्दू/रेख़्ता)

iii) फोर्ट विलियम कालेज का भाषा विभाग ——— विभाग कहलाता था।
(हिंदी/हिंदुस्तानी)

iv) ——— परिनिष्ठित हिंदी के पक्षधर थे।
(राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद/राजा लक्ष्मण सिंह)

v) हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग अधिकतर ——— किया है।
(हिंदी के लेखकों/विदेशी लेखकों)

12.6 सारांश

इस इकाई में हमने हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी शब्दों और इन शब्दों से व्यक्त भाषा रूपों के विकास का अध्ययन किया।

हिंदी और उर्दू दोनों का उद्‌भव खड़ी बोली से हुआ। इस कारण दोनों की व्याकरणिक संरचना एक है, आधारभूत शब्दावली समान है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फ़ारसी लिपि में। अपने विकास क्रम के दौरान इनकी दिशाएँ अलग होती गयीं। हिंदी की सांस्कृतिक विरासत भारतीय है, जबकि उर्दू काव्य ने फ़ारसी की साहित्यिक विधाओं का सहारा लिया। हिंदी संस्कृतनिष्ठ शब्द अपनाती गयी और उर्दू में अरबी-फ़ारसी शब्दों की संख्या बढ़ी। आधुनिक पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में भी यही प्रक्रिया दिखायी पड़ती है। इस कारण दोनों भाषाओं में संप्रेषणीयता भी कम होती जा रही है। इस अंतर को कम करना कठिन है, क्योंकि यह सिर्फ़ भाषिक सवाल नहीं है। इस मामले में दोनों भाषाओं के बोलने वालों की अस्मिता का सवाल जुड़ गया है। अर्थात् सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी और उर्दू नामक दो भाषाएँ सत्य हैं, यथार्थ हैं।

इस अर्थ में हिंदुस्तानी कोई तीसरी भाषा नहीं है। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू के बीच का समान तत्वों वाला रूप है, जो सबके लिए सहज, संप्रेषणीय है। यों कह सकते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र का (आज का) सामान्य बोलचाल का रूप कुछ हद तक हिंदुस्तानी कहला सकता है, लेकिन यह साहित्यिक शैली नहीं है। लेकिन बोलचाल का यह सरल रूप विशिष्ट प्रयोजनों की भाषा में अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदी और उर्दू के पारिभाषिक शब्द अलग-अलग स्रोतों से निर्मित हो रहे हैं। हिंदुस्तानी नामक भाषा रूप की कोई सर्वमान्य स्थिति भी नहीं है। कालक्रम में इसके कई अर्थ थे। अंग्रेज हिंदुस्तान (मध्य देश) की भाषा को हिंदुस्तानी कहते थे -- कभी बोलचाल की खड़ी बोली के अर्थ में, तो कभी उस समय की प्रयोजनों की भाषा उर्दू के अर्थ में। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में माना और सबकी समझ में आने वाली बोलचाल की भाषा कहा, जिसमें न ज्यादा संस्कृत शब्द हों, न अधिक अरबी-फ़ारसी शब्द। उनका यह सत्प्रयास दोनों भाषाओं के अलग अस्तित्व को झुठला नहीं सका।

12.7 शब्दावली

आधारभूत शब्दावली	सर्वनाम, प्रमुख क्रिया धातु, घर-परिवार, खाने-पीने की चीज़ें, शरीर के अंग आदि संज्ञा शब्द, जो भाषा के अपने होते हैं।
आधुनिकीकरण	भाषा को आधुनिक प्रयोजनों के लिए समृद्ध करने की संस्थागत प्रक्रिया।
संस्कारीकरण	बोली को संस्कृत के नियमों के अनुसार मानक भाषा का रूप देने की प्रक्रिया, जिसमें मूल उच्चारण और वर्तनी के साथ तत्सम शब्दों को लेना आदि शामिल है।

12.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिंदी साहित्य कोश : धीरेंद्र वर्मा आदि सं., ज्ञान मंडल, वाराणसी।

[इस ग्रंथ में हिंदी (हिंदवी, हिंदुई), हिंदुस्तानी, रेख्ता आदि प्रविष्टियाँ देखें]

राजभाषा हिंदी : मलिक मोहम्मद, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली (1986)।

हिंदी गद्य का विकास : इ.गा.रा.मु. विश्वविद्यालय

(खंड 1 - ई.एच.डी. 1) (इकाई एक द्रष्टव्य है)

12.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) नहीं ii) नहीं iii) हाँ iv) नहीं v) हाँ vi) नहीं vii) हाँ viii) हाँ ix) नहीं x) नहीं
2. i) भारत निवासी ii) रेख्ता iii) हिंदुस्तानी iv) राजा लक्ष्मण सिंह v) विदेशी लेखकों

इकाई 13 बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा की प्रकृति

13.3 बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा में कुछ सामान्य अंतर

13.4 बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा की विशेषताओं की तुलना

13.5 उच्चरित भाषा और लिखित भाषा का परस्पर एक-दूसरे पर प्रभाव

13.6 बोलचाल की भाषा का लिप्यंकन

13.7 लिखित भाषा में उच्चारणात्मक प्रभाव

13.8 सारांश

13.9 शब्दावली

13.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप भाषा के उच्चरित या बोलचाल तथा लिखित भाषा इन दो रूपों का अध्ययन करेंगे इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा में जो अंतर हैं, उनको समझ सकेंगे;
- बोलचाल की भाषा के आधारभूत तत्वों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- बोलचाल की भाषा में लिखित रूप के प्रभावों को पहचान सकेंगे;
- लिखित भाषा में बोलचाल के तत्वों को पहचान सकेंगे; और
- दोनों भाषा रूपों पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना

मनुष्य के पास अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने या अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का सबसे सशक्त माध्यम भाषा है । यह भाषा ही है जो मनुष्य को एक दूसरे के निकट लाती है। संप्रेषण के लिए भाषा में दो साधन हैं -- एक तो मनुष्य बोल कर अपनी बात दूसरे तक संप्रेषित करता है तथा दूसरे लिखकर भी वह अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकता है। अतः इस इकाई में भाषा के इन दोनों रूपों -- बोलचाल की भाषा तथा लिखित भाषा का हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं।

हम इस इकाई में प्रमुख रूप से इस बात की चर्चा करेंगे की बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा तथा लिखित भाषा की मूल प्रकृति क्या है, इनका स्वरूप क्या है? लिखित भाषा तथा बोलचाल के भाषा रूपों में कौन-कौन से आधारभूत तत्व पाए जाते हैं? संप्रेषणं का माध्यम दोनों ही रूप हैं, दोनों के ही द्वारा मनुष्य अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकता है। अतः इस इकाई में यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि दोनों ही रूपों में वे कौन-से समान तत्व हैं जो कि संप्रेषण में मदद करते हैं। यही नहीं, संप्रेषण के अलावा भी भाषा के अनेक प्रकार्य होते हैं, आप यहाँ यह भी समझेंगे कि भाषा के ये दोनों रूप भाषा के अन्य प्रकार्यों का किस प्रकार निर्वाह करते हैं?

यह बात सच है कि बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का संप्रेषण तथा विचारों के आदान-प्रदान में बहुत बड़ा योगदान होता है परंतु यह भी सच है कि दोनों की रूप-संरचना में पर्याप्त अंतर भी है। दोनों का प्रयोग क्षेत्र तथा संप्रेषण की आवश्यकताएँ भी भिन्न हैं। इन सभी आधारों पर दोनों रूपों में पाए जाने वाले अंतरों की भी इस इकाई में चर्चा की जाएगी।

UGHI-06/CSSHI-06/156

लिखित भाषा तथा बोलचाल की भाषा की प्रमुख विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं, इस पर भी इस इकाई में तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाएगा। इस प्रकार के तुलनात्मक विवेचन से एक ओर तो दोनों भाषा रूपों की प्रमुख विशेषताओं को उद्घाटित किया जाएगा तो दूसरी ओर आप इन दोनों रूपों के अंतरों को भी विस्तार से समझ सकेंगे। आप इस इकाई में यह भी जानेंगे कि किस प्रकार उच्चरित भाषा लिखित भाषा को और लिखित भाषा उच्चरित भाषा को परस्पर प्रभावित करती हैं।

बोलने के समय मनुष्य अनेक प्रकार की मानसिक शारीरिक अनुक्रियाएँ, चेष्टाएँ भी करता है और बोलते समय उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन यदि उच्चरित भाषा का लिप्यंकन करना हो तब हमारे सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं कि हम किस प्रकार बोलचाल में प्रयुक्त सभी प्रभावों को लिखित भाषा में अभिव्यक्ति दें? बोलचाल की भाषा का लिप्यंकन शीर्षक के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि अनेक साहित्यकार अपने साहित्य लेखन में उच्चरित भाषा को यथावत लिपिबद्ध करने के लिए कौन-कौन सी लेखन की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं? इकाई के अंत में आपको यह भी बताया जाएगा कि उच्चरित भाषा के ध्वन्यात्मक प्रभावों को लिखित भाषा में किस प्रकार प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाती है। इस संदर्भ में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से कुछ उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

13.2 बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा की प्रकृति

यह बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 'भाषा' विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त साधन है। हमें जब अपनी बात किसी दूसरे तक पहुँचानी होती है तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा में भी हम अपनी बात या अपने विचार दो तरीकों से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं--एक तो बोलकर और दूसरे लिखकर। जिस व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचानी है यदि वह हमारे सामने है तो प्रायः हम बोलकर अपनी बात संप्रेषित करते हैं और यदि वह सामने नहीं है तो लिखकर संदेश भेजते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भाषा यदि संप्रेषण का माध्यम है तो लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा, भाषा के दो साधन हैं जिनका प्रयोग अधिकतर भाषा भाषी समाजों में किया जाता है। यही कारण है कि संसार की अधिकांश भाषाओं के उच्चरित और लिखित रूप प्राप्त होते हैं। यह बात ठीक है कि मनुष्य के पास अपने विचारों की अभिव्यक्ति के दो साधन हैं - एक बोलचाल की भाषा और दूसरी लिखित भाषा, परन्तु सवाल यह है कि बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा रूप दोनों में परस्पर कोई अंतर है या दोनों एक ही बात को समान रूप से कहने के दो तरीके हैं? क्या बोलचाल की भाषा में बात जिस प्रकार व्यक्त की जाती है उसी प्रकार से लिखित भाषा में भी की जाती है या दोनों में अंतर होता है? कहने का तात्पर्य यह है कि हमें देखना है कि बोलचाल की भाषा की संरचना और लिखित भाषा की संरचना में कोई अंतर है या दोनों समरूपी हैं?

यह तो आप जानते हैं कि मनुष्य जन्म लेने के कुछ ही वर्षों बाद अपनी भाषा को बोलना आरंभ कर देता है, जबकि लिखित भाषा से उसका परिचय तो तब होता है जब वह शिक्षा प्राप्त करने स्कूल जाता है। आपको ऐसे भी लोग दिखाई देंगे जिन्होंने कभी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की और उन्हें लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। परन्तु हम यह तो नहीं कह सकते कि उन्हें अपनी भाषा नहीं आती। उन्हें भाषा के उच्चरित रूप में तो दक्षता हासिल होती है क्योंकि उन्होंने इस भाषा को अपने परिवेश से स्वतः ही सीखा है। हाँ, भाषा के लिखित रूप से परिचय न हो पाने के कारण वे लिख-पढ़ कर अपनी बात या अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। परंतु इस बात से लिखित भाषा का महत्व कम नहीं हो जाता। लिखित भाषा सर्जनात्मक साहित्य का माध्यम होती है, अतः इसका प्रत्येक भाषायी समाज में अपना विशिष्ट स्थान होता है। बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा में हमें भाषा अधिक व्यवस्थित तथा व्याकरणिक नियमों से बँधी दिखाई देती है। यह भी कह सकते हैं कि लिखित भाषा उच्चरित भाषा की तुलना में अधिक मानक होती है। परन्तु लिखित भाषा की तुलना में बोलचाल की भाषा हज़ारों साल पुरानी है। भाषा के बोलने का इतिहास तो मानव जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, पर लिखना उसने बहुत बाद में सीखा। इसी वजह से कुछ लोग बोलचाल या मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का स्थान गौण मानते हैं।

भाषाविज्ञान की एक शाखा है - संरचनात्मक भाषाविज्ञान। इस भाषाविज्ञान के जनक लेनार्ड ब्लूमफ़ील्ड (1887-1949) ने यहाँ तक कह दिया कि लिखित भाषा तो भाषा होती ही नहीं है। उनकी दृष्टि में भाषा से तात्पर्य केवल उच्चरित भाषा से ही है। वे मानते हैं कि लिखित भाषा तो कुछ दृश्य संकेतों के रूप में 'भाषा' (उच्चरित भाषा) को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है।

संरचनात्मक भाषावैज्ञानिकों ने भाषावैज्ञानिक अध्ययनों का आधार केवल बोलचाल की भाषा को ही बनाया और आगे चलकर अधिकांश भाषाविद् इसी दृष्टिकोण को लेकर आगे आए कि मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का स्थान गौण है। भाषा सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत यह मान लिया गया कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में लिखित कौशल का स्थान वैकल्पिक है। नई भाषा सीखते समय यदि कोई व्यक्ति भाषा को सुन-समझ सकता है और बोल सकता है तो मान लिया जाता है कि उसे भाषा आ गई। हाँ, लिखित भाषा रूप वह सीखना चाहे तो सीख सकता है क्योंकि इसे तो ऐसा विशिष्ट कौशल माना गया जिसका प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों खास कर साहित्यिक अध्ययन के लिए या वैज्ञानिक अभिव्यक्तियों के लिए समाज के गिने चुने लोगों द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भाषाविज्ञान के क्षेत्र में ऐसे युग की स्थापना हुई जहाँ लिखित भाषा को अध्ययन वस्तु के रूप में गौण स्थान दिया गया। लेकिन लिखित भाषा तथा बोलचाल की भाषा के बीच इस प्रकार की दीवार खड़ी करना अच्छी बात नहीं थी। ऐसा सोचना तो और भी गलत है कि यह माना जाए कि इनमें से एक भाषा रूप दूसरे भाषा रूप से अधिक श्रेष्ठ है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा रूपों का इतिहास चाहे जो भी रहा हो, आज यह बात सर्वमान्य है कि भाषिक अभिव्यक्ति के रूप में उच्चरित या लिखित भाषा रूप दोनों ही ऐसे दो सशक्त माध्यम हैं जिनका प्रयोग संप्रेषणपरक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। परन्तु दोनों ही माध्यम परस्पर रूप रचना गत अंतर तो रखते ही हैं, दोनों की संप्रेषणपरक आवश्यकताएँ भी भिन्न हैं। न तो बोलचाल की भाषा को लिखित भाषा के साथ स्थानापन्न किया जा सकता है और न ही लिखित भाषा की उपयोगिता को बोलचाल की भाषा की दुहाई देकर कम किया जा सकता है। दोनों भाषिक माध्यमों में रूपगत भिन्नताएँ तो हैं ही, दोनों के प्रयोजनों में पर्याप्त अंतर होते हैं। आगे चलकर हम उच्चरित भाषा एवं लिखित भाषा के रूपों के अंतरों पर विस्तार से विचार करेंगे।

13.3 बोलचाल की भाषा तथा लिखित भाषा में कुछ सामान्य अंतर

यह बात भी हम कह ही आए हैं कि भाषा के उच्चरित तथा लिखित रूप परस्पर एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं। समाज में दोनों का स्थान अपनी-अपनी दृष्टि से विशेष महत्व का होता है। तब प्रश्न यह उठता है कि वे कौन से अंतर हैं जो इन दोनों भाषिक रूपों को एक दूसरे से अलग करते हैं? पहला और सबसे प्रमुख अंतर जो ऊपर से ही हमें दिखाई देता है वह दोनों की रूप संरचना को लेकर है। बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा में जहाँ एक ओर ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वहाँ लिखित भाषा में लेखिमीय इकाइयों का प्रयोग होता है। ध्वन्यात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य के उच्चारण अवयवों, उच्चारण प्रयत्न, मुखविवर में उच्चारण अवयवों के संचालन तथा वायु के दबाव और उतार-चढ़ाव आदि के साथ जुड़ता है। अर्थात फेफड़ों से वायु निकल कर किस प्रकार मुखविवर में आती है और किन-किन उच्चारण प्रयत्नों के माध्यम से, कौन-कौन से उच्चारण स्थानों से किस प्रकार ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, तथा किस प्रकार ध्वनि तरंगों के रूप में श्रोता तक पहुँचती हैं, यह सब बोलचाल की भाषा के क्षेत्र के प्रकार्य हैं; जबकि लिखित भाषा के अंतर्गत लेखिमीय इकाइयों का संबंध किसी भी पटल पर विशेषकर कागज पर विभिन्न प्रकार के चिह्नों को अंकित करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा होता है। हाथ की मांस पेशियों तथा उंगलियों को इस प्रकार अभ्यस्त करना कि लेखनी को पकड़कर अनेक प्रकार के दृश्य संकेतों, चिह्नों को अंकित कर लेखिमीय इकाइयों के रूप में व्यक्त कर सकें, इस बात से जुड़ा होता है। परन्तु इस प्रमुख भिन्नता के अलावा भी अनेक ऐसी भिन्नताएँ हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। आगे हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं।

लिखित भाषा तथा बोलचाल की भाषा के अंतरों का और बारीकी से अध्ययन करना हो तो किसी लिखित पाठावली की तुलना किसी अनौपचारिक वातार्लाप से कीजिए। अनौपचारिक वार्तालाप ही क्यों यदि औपचारिक वार्तालाप के साथ भी किसी लिखित पाठ की तुलना की जाए तो भी दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए उस स्थिति को लीजिए जहाँ कोई अध्यापक लिखे हुए पाठों या पुस्तकों से अपनी कक्षा में दिए जाने वाले विषय को तैयार करता है और जब कक्षा में वह उसी विषय का अध्यापन करता है तो जिस प्रकार की मौखिक भाषा का वह कक्षा में प्रयोग करता है, उसकी संरचना उस पाठ की संरचना से एकदम भिन्न हो जाती है। लिखित और उच्चरित भाषा की इस भिन्नता को देखने के लिए आप किसी व्यक्ति का भाषण टेपांकित कर लीजिए। अब इस टेपांकित भाषण का लिप्यंकन कीजिए या किसी से करवाइए। भाषण को लिपिबद्ध करते समय भाषण को यथावत लिपिबद्ध करने में कठिनाई होगी। सेमीनार-सम्मेलनों में प्रायः कुछ लोग अपने लिपिबद्ध लेखों को पढ़कर प्रस्तुत करते हैं तथा कुछ सीधे बोल कर भाषण देते हैं। जब

इन बोले गए भाषणों को लिपिबद्ध कराके पुस्तक में छापने से पूर्व वक्ता के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो अनेक बार वक्ताओं को यह देखकर आश्चर्य होता है कि जहाँ तक भाषण की विषयवस्तु तथा कथ्य का प्रश्न है वह तो ठीक है परन्तु जिस तरह की भाषिक संरचना का प्रयोग लेख में हुआ है शायद वह वक्ता उस लेख को स्वयं लिखता तो उस तरह की संरचना का प्रयोग कभी नहीं करता। ऐसी ही समस्या उन वक्ताओं के साथ भी देखने को मिलती है जो धारा प्रवाह रूप में तेजी से भाषण देने के अभ्यस्त हैं। ऐसे वक्ताओं को यदि आप किसी लेख को पढ़कर बोलने के लिए कहें तो वे उस लेख को ठीक प्रकार से पढ़ पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उसका कारण है उनकी तेजी से बोलने की आदत। चूँकि बोलचाल की भाषा की अपनी एक खास तरह की संरचना होती है, उसमें प्रायः उप-वाक्यों को इधर उधर करके जोड़ा घटाया जाता है, लिखित भाषा साम्ने होते हुए भी ये वक्ता पढ़ने में अनेक त्रुटियाँ कर जाते हैं या बोलने में लिखित भाषा के वाक्यों की संरचना को ही बदल देते हैं। इस प्रकार ये सभी उदाहरण हमें इस बात का संकेत देते हैं कि हम यह स्वीकार करके चलें कि लिखित भाषा तथा उच्चरित भाषा में प्रयोग तथा संरचना दोनों ही स्तरों पर पर्याप्त भिन्नताएँ हैं और उसका प्रमुख कारण है कि ये दोनों भाषा रूप दो भिन्न प्रकार की संप्रेषण जन्य स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। बोलचाल की भाषा या 'स्पीच' वस्तुतः काल-सापेक्ष, गतिशील तथा नश्वर या अस्थायी होती है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब वक्ता और श्रोता एक दूसरे के समक्ष उपस्थित रह कर वार्तालाप कर रहे होते हैं या वक्ता के मन में कोई विशिष्ट श्रोता या श्रोतावर्ग विद्यमान रहता है। रेडियो या दूरदर्शन पर अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें वक्ता के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से श्रोता उपस्थित नहीं होता। इनके श्रोता बहुत दूर बैठकर इन कार्यक्रमों को सुनते या देखते हैं। उदाहरण के लिए शारीरिक व्यायाम या योग सिखाने के लिए जो दूरदर्शन पर व्यायाम करने के संबंध में अनेक प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं, वे विशिष्ट श्रोता वर्ग को ध्यान में रखकर ही दिए जाते हैं। परंतु जैसे हमने कहा कि बोलचाल की भाषा समय सापेक्ष होती है, रेडियो या दूरदर्शन से प्रसारित इस मौखिक भाषा का श्रोता भले ही वक्ता के समक्ष न हो पर जो भी श्रोता इस प्रसारण को सुनना चाहता है उसे उसी समय सुनना होगा जिस समय उस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है क्योंकि इस भाषा की प्रकृति गतिशील और नश्वर भी है। यदि वक्ता की बात को उसी समय न सुना गया तो फिर उसे नहीं सुना जा सकता।

जहाँ तक लिखित भाषा का संबंध है, इसकी प्रकृति मौखिक भाषा से एकदम विपरीत है। यह देश सापेक्ष, स्थिर तथा स्थायी होती है। लिखित भाषा रूपों को लिखने वाला व्यक्ति या लेखक निश्चित ही अपने पाठक या उस व्यक्ति से जिसके लिए लेखक लिख रहा है, से बहुत दूर होता है। लिखित भाषा में तो यह भी संभव है कि लिखते समय लेखक को यह पता ही न हो कि उसकी लिखित अभिव्यक्ति का उपयोग कौन करेगा और कोई करेगा भी या नहीं। साहित्य का लेखन तो इसी प्रक्रिया का परिणाम होता है। जिस प्रकार मौखिक भाषा परस्पर आदान-प्रदान की स्थिति में उत्पन्न होती है, लेखन प्रक्रिया में आदान-प्रदान की स्थिति प्रायः नगण्य होती है। परस्पर आदान-प्रदान की स्थिति पत्र-लेखन तथा कंप्यूटर के साथ तो संभव हो भी सकती है परन्तु यदि इन दोनों क्षेत्रों को अपवाद मान लें तो लिखित भाषा में परस्पर आदान-प्रदान की स्थिति दिखाई नहीं देती। आगे हम लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा की प्रमुख विशेषताओं पर तुलनात्मक ढंग से विचार करेंगे।

13.4 बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा की विशेषताओं की तुलना

ऊपर हमने लिखित भाषा के एक गुण की चर्चा की थी कि यह अपनी प्रकृति में स्थायी होती है। स्थायी होने से हमारा तात्पर्य यही है कि जिस विषय पर भी कुछ भी लिख दिया जाता है वह एक 'डाक्यूमेंट' बन जाता है। उसे हम अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। लिखित भाषा के स्थायी होने के कारण एक ओर तो उसका बार-बार वाचन किया जा सकता है तथा दूसरी ओर उसकी भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण किया जा सकता है। हम यदि आज से हजार दो हजार साल पहले की किसी भाषा का रूप जानना चाहें तो उस समय की प्राप्त लिखित सामग्री के अलावा हमारे पास अन्य कोई तथ्य नहीं हैं।

लिखित भाषा वह भाषा व्यवस्था है जिसे व्यक्ति बड़ी सतर्कता से और सुविचारित ढंग से प्रस्तुत करता है और इसमें आने वाली अभिव्यक्तियों की संरचना अधिक सुगठित तथा जटिल होती है। इस प्रकार की संरचना गत जटिलता एवं गठन बोलचाल की भाषा में प्रायः नहीं होती।

इसके अलावा लिखित भाषा की इकाइयाँ जैसे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि विभिन्न विरामचिह्नों एवं एक निश्चित विन्यास द्वारा स्पष्टतः उल्लिखित रहती हैं। उधर बोलचाल की भाषा

इतनी सहजता, स्वाभाविकता तथा तीव्रता से उत्पन्न होती है कि इस भाषा रूप में संरचनागत जैसी जटिलता तथा कसाव आना एक प्रकार से असंभव सा ही होता है। यही नहीं, कोई वक्ता बोलने से पहले जटिल संरचनाओं की पूर्व संकल्पना करके भी बोलना चाहे तो भी वह इन जटिल संरचनाओं को लेखन में तो ला सकता है, बोलचाल की भाषा में यह संभव नहीं होता। लिखते समय तो व्यक्ति लम्बे-लम्बे वाक्यों में अपनी बात कह सकता है परन्तु बोलते समय ऐसा कर पाना अनेक कारणों से संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि बोलचाल की भाषा में प्रायः शिथिल संरचनाएँ देखने को मिलती हैं।

इसके अतिरिक्त शब्दों तथा अनेक प्रकार के पदबंधों एवं उपवाक्यों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति हमें बोलचाल की भाषा में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। बोलचाल या मौखिक भाषा में बोलते-बोलते अधूरे पदों, पूरक वाक्य संरचनाओं, तकिया कलाम आदि का बीच-बीच में खूब प्रयोग दिखाई देता है। उदाहरणार्थ 'मतलब कि......', 'मैंने कहा .....', 'आप जानते ही हैं.... ', 'आप समझते हैं....', 'माफ़ कीजिए....', 'हमें सोचना है.....', 'समझे/आप समझते हैं....', 'ठीक है', आदि अनेक ऐसी ही संरचनाएँ हैं जिनको हिंदी भाषी वक्ता बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं।

यही नहीं संहिता, अनुतान, बलाघात, यति, चेष्टाओं, हाव-भाव प्रदर्शन, हाथ-पैर हिलाना, उँगलियों के तरह तरह के संकेत आदि के माध्यम से वक्ता बोलचाल की भाषा को बोलते समय छोटे-छोटे उच्चारण खंडों में विभक्त करता चलता है।

लिखित भाषा की संरचना में हमें हमेशा एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। कर्ता, कर्म, क्रिया यथास्थान प्रयुक्त होते हैं परन्तु बोलचाल की भाषा में आपको प्रायः यह क्रम विखंडित मिलेगा। लिखित भाषा में ऐसा प्रायः नहीं होगा कि विशेषण संज्ञा के बाद, क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आएँ, परंतु बोलचाल की भाषा में इस प्रकार का क्रम परिवर्तन भी खूब देखने को मिलता है। नीचे हम बोलचाल की भाषा का एक नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं। यह चुनाव-अभियान के दौरान एक पार्टी के नेता द्वारा दिए गए भाषण से उद्धृत है। यहाँ इस भाषण के अंश को लिखकर वक्ता द्वारा प्रदर्शित हाव-भाव, चेष्टाओं, संहिता, बलाघात, अनुतान, हाथ-पैर हिलाना, आदि को प्रदर्शित करना तो कठिन है, वह तो केवल भाषण को सुनते समय ही देखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर आप वाक्यांशों, शब्दों आदि की पुनरावृत्ति तथा क्रम परिवर्तन तो देख ही सकते हैं :

"भाइयो! अंत में एक बात और चाहूँगा कहना आपसे। कहना क्या, बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि न भूलें आप इस बात को कि कितना कीमती है वोट आपका, बहुत कीमती है जी हाँ बहुत, और इस कीमती वोट की पहचानें आप कीमत। न जाने दें इसे जाया। आपका यह एक वोट, यह कीमती वोट, बदल देगा भविष्य इस देश का, देश की राजनीति का। केंद्र में स्थायी सरकार ही न हुई तो सोचिए कहाँ जाएगा हमारा, आपका जी हाँ, आपका यह देश और आप जानते ही हैं कि स्थायी सरकार, कौन दे सकता है स्थायी सरकार? एक मात्र एक ही पार्टी। इसलिए मैं दरखास्त करता हूँ, हाथ जोड़कर अपने सभी भाइयों से, बहनों से कि अपना अमूल्य कीमती वोट देकर अपने इलाके के उम्मीदवार श्री.............. को सफल बनाएँ।

निश्चित ही इस भाषण के इस अंश में कही गई बात को लिखकर पढ़ा जाता तो लिखित भाषा की संरचना में न तो ऐसी शिथिलता हो सकती थी, न पदों/शब्दों की पुनरावृत्ति और न ही क्रम परिवर्तन।

बोलचाल की भाषा की एक विशेषता यह भी होती है कि चूँकि यहाँ वक्ता और श्रोता परस्पर एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, संप्रेष्य को संदर्भ से ही समझा जा सकता है। अनेक विषयों से संबंधित संदर्भ उनके मन में ही रहते हैं। उदाहरण के लिए :

एक - कल चलेंगे। मैं टिकट लेता आऊँगा।

दो - ठीक है। कहाँ मिल रहे हो?

एक - वहीं उसी जगह।

दो - उसे भी साथ लाऊँ या नहीं?

एक - अरे नहीं, छोड़ो उसे।

यहाँ उपर्युक्त वार्तालाप को सुनकर यह पता लगाया जाना मुश्किल है कि पहला व्यक्ति किस प्रकार की टिकट की बात कर रहा है--बस की, रेल की, सिनेमा की, नाटक की या किसी अन्य की। इसी प्रकार 'उसी जगह' से यह पता नहीं चल रहा कि किस स्थान पर मिलना है और 'उसे साथ लाऊँ या नहीं' से यह आभास नहीं मिल रहा है कि किसे साथ लाने की बात पूछी गई है। वह कोई लड़का है या लड़की। कहने का तात्पर्य यही है कि बोलचाल की भाषा में संदर्भ (जो कि वक्ता तथा श्रोता के

मन में स्पष्ट होता है) को बिना समझे बात को समझा नहीं जा सकता, परन्तु लिखित भाषा में ऐसी स्थिति या इस प्रकार की स्थिति बिना संदर्भ स्पष्ट किए नहीं प्रस्तुत की जा सकती। उसका कारण यही है कि लिखित भाषा में प्रतिभागी परस्पर एक दूसरे के सम्मुख नहीं होते, अतः मौखिक भाषा की भांति संप्रेष्य को समझने के लिए संदर्भ पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसीलिए यहाँ ऐसे शब्दों को नहीं रखा जाता जहाँ कि अर्थ को संदर्भ के सहारे निकालना पड़े। कहने का तात्पर्य यही है कि लिखित भाषा में इस प्रकार की उक्तियाँ जैसे-इसे, उसे, यह चीज, वह चीज, यहाँ पर, वहाँ पर बिना उनके संदर्भ को स्पष्ट किए प्रयोग में नहीं लाई जा सकतीं।

बोलचाल की भाषा तो परस्पर आदान-प्रदान है। यहाँ बोधन के अंतराल को तुरंत स्पष्ट कर लिया जाता है। परंतु लेखन में तो लेखक को ही इस अंतराल के विषय में पूर्व संभावना करके ही चलना पड़ता है क्योंकि लिखित रूपों को जब पढ़ा जाता है और समझा जाता है तब विभिन्न पाठक अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हुए पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में एक युग ऐसा रहा है जहाँ पाठावली तो एक ही रही पर उस पाठावली या मूल पाठ की अलग-अलग आचार्यों द्वारा अपने-अपने ढंग से अलग-अलग व्याख्याएँ या टीकाएँ की गयीं और नए-नए सिद्धांत स्थापित किए गए। उदाहरण के लिए नाट्य शास्त्र की व्याख्या ही थी जो भट्ट तौत, लोल्लट, शंकुक और अभिनवगुप्त द्वारा आगामी युग में की गई। प्रत्येक आचार्य की ये व्याख्याएँ अलग-अलग दार्शनिक पृष्ठभूमि का आधार लिए रहने के कारण नए-नए सिद्धांतों के रूप में सामने आयीं। यही स्थिति हमें अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद तथा द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांतों में दिखाई देती है जहाँ कि एक ही सूत्र की व्याख्या शंकर, रामानुज, वल्लभ तथा मध्व द्वारा अलग-अलग दार्शनिक पृष्ठभूमि में की गई।

चूँकि लेखन में मौखिक भाषा की भांति तुरंत प्रबलन* का अवकाश नहीं रहता, लिखित भाषा में असंदिग्धता तथा अनेकार्थता के लिए अवकाश बना रहता है। लेखकों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे इन गुणों से अपने लेखन को जहाँ तक बचा सकें बचाएँ। मौखिक वार्तालाप में यदि कोई शब्द या संरचना इस प्रकार की आती है जो असंदिग्ध हो या अनेकार्थी हो तो श्रोता संदर्भ से उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है और फिर भी कहीं संदेह रह जाता है तो पुनः वक्ता से पूछ कर स्पष्ट करता चलता है, परंतु लिखित भाषा रूप में श्रोता जैसी स्थिति नहीं होती अतः वहाँ इस प्रकार की अभिव्यक्तियों को लेखन में न आने देने का उत्तरदायित्व लेखक पर ही आ जाता है।

लिखित भाषा में विविध प्रकार के कतिपय विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं जो कि मौखिक भाषा में नहीं दिखाई देते। उदाहरणार्थ विरामचिह्न, विविध प्रकार की लेखिमीय आकृतियाँ, तरह-तरह के रंगों का प्रयोग आदि ऐसी युक्तियाँ है जिनका प्रयोग लेखन को व्यवस्थित और आकर्षक बनाता है। बोलचाल में तो केवल खंडेतर अभिलक्षणों जैसे सुर, तान, लय, बलाघात, संहिता आदि को ही आधार बनाया जा सकता है और कतिपय लेखिमीय युक्तियों को इन्हीं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रश्न और आश्चर्य को जहाँ लिखित भाषा में प्रश्नवाचक (?) तथा आश्चर्य सूचक (!) चिह्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वहाँ उच्चरित भाषा में इन्हें क्रमशः उदात्त अनुतान तथा उच्चारण में तेजी लाकर ही व्यक्त किया जा सकता है।

इसी प्रकार जब कोई विशेष बात कहनी होती है या किसी विशिष्ट बात पर किसी का ध्यान आकर्षित करना होता है तो लेखन में प्रायः उस वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है जब कि मौखिक भाषा में तो इसे आवाज में तेजी लाकर ही व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार लेखन में कम महत्व की जो बात कोष्ठक में रखकर समझाई जाती है वह बोलचाल में धीमी आवाज और धीमे स्वर के साथ यदा-कदा कही जा सकती है। परंतु सच तो यही है कि लेखन में प्रयुक्त इन सभी युक्तियों के लिए बोलचाल की भाषा में कोई समतुल्य युक्ति नहीं है। इसी का परिणाम यह होता है कि लिखित भाषा में प्रयुक्त ऐसे अनेक रूप हैं जिनकी संरचना को बोलकर या पढ़कर संप्रेषित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अनेक प्रकार की तालिकाएँ, समय सारणियाँ, ग्राफ़ पर प्रदर्शित सूचनाएँ, विज्ञान और गणित के अनेक सूत्र, मानचित्रों में दिखाए गए अनेक प्रकार के संकेत जैसे नदी, समुद्र, पर्वत, देशों की सीमा रेखाएँ, अक्षांश और देशांतर को प्रदर्शित करने वाले रेखीय संकेत आदि सभी कुछ लेखन में प्रयुक्त होने वाली वे युक्तियाँ हैं जिनको लिखकर तो संप्रेषित किया जा सकता है परन्तु बोलकर नहीं।

इसी प्रकार इस स्थिति के एकदम विपरीत मौखिक भाषा में भी हमें अनेक ऐसी युक्तियाँ दिखाई देती हैं जिनको लेखन में अभिव्यक्त कर पाना कठिन ही नहीं असंभव भी है। उदाहरण के लिए बोलते समय तरह-तरह की क्रियाएँ करना जैसे चलना, बैठना, दौड़ना, गिरना, फिसलना आदि या हाव-भाव तथा तरह-तरह की अन्य चेष्टाओं का प्रदर्शन तथा भावों एवं अनुभावों का प्रदर्शन जैसे रोना, हँसना, घृणा करना, क्रोध करना, मुस्कराना, आँसू आना आदि को मौखिक भाषा में तो जिस

सहजता से अभिव्यक्त किया जा सकता है परंतु लेखन में इनको अभिव्यक्त करने का कोई साधन नहीं है। नाटक एकांकियों में जहाँ लेखक इन चेष्टाओं, भावों और कार्यकलापों को करते हुए अपने पात्रों को दिखाना चाहता है वहाँ नाटक/एकांकी के लिखित रूप में कोष्ठक में इस प्रकार के संकेत देता हुआ चलता है - रोते हुए, हँसते हुए, गुस्सा करते हुए, दौड़ते हुए, चलते हुए, बच्चे को गोद में लेते हुए, लेटते हुए आदि।

जहाँ तक लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा के शब्दकोश तथा व्याकरण का प्रश्न है, इन दोनों में भी हमें पर्याप्त भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ संरचनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनका प्रयोग केवल लिखित भाषा में तो संभव है, मौखिक में नहीं। हिंदी में भी अनेक उपवाक्यों से मिलकर बने जटिल संयुक्त वाक्य लेखन में तो देखे जा सकते हैं पर बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसी प्रकार अकर्तृवाच्य की अनेक संरचनाएँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग लेखन में तो संभव है पर बोलचाल में उनका प्रयोग सामान्यतः हिंदी भाषा भाषी नहीं करता। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए --

1. माँ के द्वारा नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया गया।
2. राम के द्वारा इस चारपाई पर सोया जाता है।
3. छात्रों को अध्यापक द्वारा निबंध लिखवाया जाएगा।

ऊपर दिए गए तीनों वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं। व्याकरण की पुस्तकों में तो आप इस प्रकार के वाक्यों को देख सकते हैं परंतु सामान्य बोलचाल में कोई भी इन वाक्यों का प्रयोग नहीं करेगा। सामान्यतः यही बात नीचे लिखे गए वाक्यों के रूप में कही जाएगी-

1. माँ ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया।
2. राम इस चारपाई पर सोता है।
3. अध्यापक छात्रों को निबंध लिखवाएगा।

भाषा द्वैत की स्थितियों में पाए जाने वाले उच्च कोड तथा निम्न कोड की स्थिति भी इसी का उदाहरण है जहाँ पूरे एक कोड का प्रयोग केवल लेखन में होता है और दूसरे कोड का प्रयोग केवल उच्चरित भाषा में।

शब्दावली के क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो भाषाओं में हमें अनेक शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका प्रयोग लिखित भाषा में तो होता है परंतु बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नहीं होता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को ही लीजिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का प्रयोग लेखन में तो आपको मिलेगा पर बोलचाल में प्रायः लोग इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए आप किसी भी इंजीनियर के कार्यालय पर लगे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। वहाँ लेखन में इंजीनियर के लिए 'अभियंता' शब्द का प्रयोग हुआ होगा परंतु कितने हिंदी भाषी बोलचाल की भाषा में अभियंता शब्द का प्रयोग करते हैं?

हिंदी की स्थिति तो इस संदर्भ में और भी थोड़ी सी विचित्र है। विभिन्न प्रयुक्तियों जैसे कार्यालयीन हिंदी, बैंकिंग हिंदी, आयुर्विज्ञान संबंधी हिंदी आदि में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हिंदी में इन क्षेत्रों से संबंधित जो तकनीकी शब्द निर्मित किए गए हैं उनमें एक प्रकार से अंग्रेजी भाषा से अनुवाद ही किया गया है। जहाँ सीधा अनुवाद नहीं है वहाँ विचार तो विदेशी ही रहा है और संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्ययों की मदद से नए नए शब्द निर्मित कर लिए गए हैं। अतः हिंदी भाषी वक्ता सामान्य बोलचाल में अंग्रेजी के मूल शब्दों का ही प्रयोग करता है, हिंदी के नवनिर्मित शब्दों का नहीं। हाँ, यदि कभी कुछ लिखना हो, अनुवाद करना हो तब कोश की मदद लेकर इन शब्दों का प्रयोग मात्र लेखन में कर दिया जाता है।

इस स्थिति के विपरीत भी हमें भाषाओं में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहाँ ऐसी संरचनाएँ और शब्दावली प्राप्त होती है जिनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में तो मिलता है परंतु लिखित भाषा में नहीं मिलता। उदाहरण के लिए प्रत्येक भाषा में आपको तरह तरह की गालियाँ, स्लैंग तथा वर्जित (टैबू) शब्द आदि मिलेंगे। बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग आपको प्रत्येक भाषा में मिलेगा पर लेखन में सामान्यतः लेखक इनको प्रयुक्त नहीं करता या करता भी है तो केवल उस शब्द का पहला अक्षर लिख कर आगे दो-तीन डॉट लगा कर थोड़ा खाली स्थान छोड़ देता है। इन संरचनाओं तथा शब्दों में कुछ तो ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत अधिक प्रयुक्त होते रहने के कारण रूढ़ हो जाते हैं। लोग उनका प्रयोग आम बोलचाल में बिना उनके अर्थ पर ध्यान दिए ही करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में साला तथा माँ-बहन की गाली के शब्द आदि। ऐसे रूढ़ शब्दों

का प्रयोग तो कभी-कभी कुछ लेखक लेखन में भी कर देते हैं परंतु अन्य गालियों और टेबू शब्दों का प्रयोग लेखन में तो त्याज्य ही माना जाता है। यही कारण है कि प्रायः यह कहा जाता है कि किसी के साथ मौखिक लड़ाई हो रही हो तो भले ही दस गालियाँ सुना दो, पर कागज़ की लड़ाई में तो भाषा संयत और संतुलित ही होनी चाहिए।

बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक जटिल, विविधतापूर्ण, रूढ़ तथा औपचारिक होती है। लिखित भाषा में ही हमें अनेक प्रयुक्ति परक रूप दिखाई देते हैं। मौखिक भाषा की तुलना में यह अधिक संशोधित भाषायी रूप है। बोलचाल की भाषा में तो जो कुछ मुँह से निकल गया वही अंतिम होता है परंतु लेखन में तो लेखक अपने लेख को बार-बार पढ़कर बार-बार संशोधित कर सकता है।

मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक मानक भी होती है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में मानकीकरण की प्रक्रिया का संबंध भाषा के लिखित रूप से ही होता है, मौखिक से नहीं।

लिखित भाषा में प्रायः रूढ़ अभिव्यक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषायी समाज में विभिन्न संदर्भों में विभिन्न संरचनाएँ रूढ़ हो जाती हैं। वहाँ न तो उसका प्रयोक्ता ही प्रधान होता है, और न ही वह व्यक्ति जिसके लिए वे संरचनाएँ प्रयुक्त की गई हैं। केवल उस विशिष्ट संदर्भ की माँग को देखते हुए उन रूढ़ संरचनाओं का प्रयोग उस भाषा में किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी को शादी, विवाह, जन्मदिन या इसी प्रकार के किसी अनुष्ठान के लिए आमंत्रित करता है या कोई संस्था किसी व्यक्ति को किसी संगोष्ठी, सेमीनार आदि का जब निमंत्रण देती है तो उस पत्र की भाषा में औपचारिकता तो बरती जाती है साथ ही उसमें जो वाक्य संरचनाएँ या पदबंध आते हैं वे प्रायः रूढ़ होते हैं। यदि विवाह संबंधी निमंत्रण पत्रों की लिखित भाषा पर आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि सभी में गिने-चुने एक जैसे रूढ़ वाक्यों का ही प्रयोग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अधिकांश निमंत्रण पत्रों का प्रारूप एवं भाषिक संरचनाएँ प्रायः इस प्रकार की मिलती हैं --

"आयुष्मान

(व्यक्ति का नाम)

आत्मज

श्री .... एवं श्रीमती ......

(माता-पिता का नाम)

एवं

आयुष्मती.......

आत्मजा

श्रीमती...... एवं श्री ....

का शुभ विवाह दिनांक .... को होना निश्चित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि इस पावन बेला पर पधार कर वर-वधू को आशीर्वाद प्रदान करें।"

अथवा हो सकता है किसी निमंत्रण पत्र में 'पावन वेला' के स्थान पर 'शुभ अवसर' लिखा हो और आशीर्वाद प्रदान करने के स्थान पर 'कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँ" जैसी रूढ़ उक्तियाँ हों।

इसी प्रकार समाज में अनेक ऐसे कार्यकलाप, अवसर एवं कार्यक्रम होते रहते हैं जब औपचारिकता का निर्वाह लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रायः उस व्यक्ति के परिचितों, मित्रों एवं सहकर्मियों द्वारा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने की औपचारिकता का निर्वाह इस प्रकार के वाक्यों को लिख कर किया जाता है -

"श्री ...... के आकस्मिक निधन के अवसर पर ...... संस्था के सभी सदस्य हार्दिक शोक एवं समवेदना व्यक्त करते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करे।"

लेकिन जब कोई किसी के यहाँ गमी में जाता है तब बोलचाल में कभी भी इस प्रकार की औपचारिक और रूढ़ भाषा का प्रयोग नहीं करता। यही कारण है कि डाकघर में डाक-तार विभाग द्वारा विभिन्न आयोजनों जैसे पुत्र-जन्म, जन्मदिवस, विवाह, पदोन्नति, पद-प्राप्ति, मृत्यु आदि के लिए कतिपय रूढ़ उक्तियाँ तैयार रहती हैं और व्यक्ति तार करते समय पूरा कथन भी नहीं लिखता केवल उक्ति की संख्या लिख देता है और दूसरे शहर के तारघर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुनः उस संख्या वाली उक्ति को लिख कर निर्देशित पते पर भिजवा दिया जाता है।

इसी प्रकार प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनको औपचारिकता का दरजा तभी प्राप्त होता है जब उनके लिखित अनुबंध तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए विवाह में पंडितजी वर तथा वधू से मौखिक रूप में भले ही जितने वचन भरवाएँ, परंतु यदि विवाह को कानूनी रूप देना है तब तो कचहरी में जाकर न्यायाधीश के समक्ष लिखित अनुबंध पर वर-वधू को हस्ताक्षर करने ही होंगे। इसी तरह से यदि मकान खरीदना या बेचना है या किराए पर लेना या उठाना है तो मौखिक रूप से भले ही कोई कितने ही आश्वासन क्यों न दे, औपचारिकता तो तभी आती है जब लिखित दस्तावेजों पर दोनों ही पार्टी के लोग हस्ताक्षर करते हैं। और क्या आपने कभी इन इकरारनामों की भाषा देखी है? कभी आपको बैंक से या किसी अन्य सरकारी संस्था से ऋण लेना हो तो आपको इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लोग हस्ताक्षर भी करते हैं, पर वे उनकी भाषा नहीं पढ़ते। कारण यही है कि वह भाषा इतनी औपचारिक, तकनीकी, जटिल तथा दुरूह होती है कि सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर होती है। यद्यपि ऋण लेने से पूर्व अधिकारी उन सभी नियमों की चर्चा मौखिक रूप से कर देते हैं परंतु उस समय की मौखिक भाषा और इकरारनामे में नियमों को स्पष्ट करने वाली लिखित भाषा का अंतर वस्तुतः लिखित भाषा की औपचारिक विशेषता के कारण ही आता है।

13.5 उच्चरित भाषा तथा लिखित भाषा का परस्पर एक-दूसरे पर प्रभाव

अब तक हमने उच्चरित भाषा तथा लिखित भाषा के अंतरों की चर्चा की थी। इन अंतरों के रहते हुए भी दोनों रूप परस्पर एक दूसरे को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। जब बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं तो प्रायः अपनी उच्चारण संबंधी शब्दावली के ज्ञान को और अधिक विकसित करने के लिए लिखित माध्यम का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति के भाषायी कोश में अन्य भाषाओं की आगत शब्दावली का ज्ञान प्रायः लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। क्लेसीकल भाषाओं जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि जिनका प्रयोग आज बोलचाल के रूप में नहीं किया जाता, यदि कोई भाषाओं को सीखना चाहता है तो इन भाषाओं का अध्ययन-अध्यापन लिखित भाषा रूपों या लिखित सामग्री को आधार बनाकर ही किया जा सकता है। हाँ यदि कोई व्यक्ति जब इन भाषाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वह इन भाषाओं में बातचीत भी कर सकता है। आपको संस्कृत के ऐसे अनेक विद्वान मिलेंगे जो संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह भाषण दे सकते हैं या वार्तालाप कर सकते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति इन भाषाओं को लिखित रूपों के माध्यम से सीखता है और उस पर अपना अधिकार बना लेता है। कभी-कभी प्राचीन लिखित भाषा आधुनिक बोलचाल की भाषा का ही आधार बनकर सामने आती है। हिब्रू भाषा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐतिहासिक विकास क्रम में यह बात सत्य है कि लिखित भाषा रूप का विकास मौखिक भाषा के बाद में हुआ, परंतु आधुनिक समाज में दोनों ही रूप परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं।

13.6 बोलचाल की भाषा का लिप्यंकन

बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का अंतर उस समय और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यंकन करने का प्रयास किया जाता है। यों तो उच्चरित भाषा की तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध करना असंभव कार्य है। पीछे हमने यह चर्चा की थी कि उच्चरित भाषा में कुछ ऐसी चेष्टाएँ होती हैं जैसे रोना, हँसना आदि जिनको लेखन में केवल शब्दों में लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है जैसे 'वह रोते हुए आया' 'वह जोर से हँसने लगा।' लेकिन इस प्रकार की तमाम क्रियाओं या चेष्टाओं में किस-किस प्रकार की ध्वन्यात्मक विशेषताएँ निहित हैं, उनको शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव कार्य होता है। उदाहरण के लिए कोई रोता है तो कैसे रोता है धीरे-धीरे, जोर से, मध्यम गति से, चीख कर, हिचकियाँ लेकर, ऊँ-ऊँ करके, सुपक-सुपक कर तथा उसने रोने में तथा अन्य व्यक्तियों के रोने में कौन-कौन से उच्चारण संबंधी अंतर हैं जिनको हम मौखिक भाषा में सुन तो सकते हैं, उनको लेखन में व्यक्त किए जाने के लिए हमारे पास लिखित भाषा में कोई साधन नहीं है। रोना, हँसना के अलावा चीखना, चिल्लाना, डाँटना, झिड़कना, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, आहें भरना, फुसफुसाना, नाक के सुर में बोलना, हकलाना आदि न जाने कितनी इसी प्रकार की अनुक्रियाएँ या चेष्टाएँ हैं जिनका संबंध एक ओर शारीरिक-मानसिक अनुक्रिया के साथ जुड़ा होता है जैसे रोने में आँसू आना, चेहरा पीला पड़ना आदि तथा दूसरी ओर इनका संबंध उच्चारण पक्ष से जुड़ा होता है जैसे रोने के समय तरह-तरह की

आवाजों के साथ धीमी या तेज गति से रोना। इन सभी चेष्टाओं/अनुक्रियाओं की उच्चारणात्मक प्रकृति को यथावत लेखन में अभिव्यक्त किया जाना असंभव कार्य है, फिर भी सर्जनात्मक साहित्य में मौलिकता लाने के उद्देश्य से लेखक अपनी ओर से काफी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके उच्चरित भाषा की अधिकांश विशेषताओं को लिखित भाषा में व्यक्त कर सकें। इसके लिए इन लेखकों द्वारा तरह-तरह की लेखिमीय तकनीकों को अपनाया जाता है।

संसार में अलग-अलग प्रकार की अनेक भाषाएँ हैं और विभिन्न भाषाओं में ध्वनियों के लिप्यंकन या शब्दांकन के लिए एक जैसी लेखिमिक प्रक्रियाओं का प्रयोग न तो किया जाता है और न ही संभव है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा के साहित्य में जिन शब्दों और वाक्यों को अधिक बलाघात के साथ उच्चरित किया जाता है उनका लिप्यंकन करते समय मोटे अक्षरों में लिखा जाता है लेकिन हिंदी में यह चलन कम ही मिलेगा। इसी प्रकार अनेक भाषाओं में बल देने के लिए या संकोच व्यक्त करने के लिए वर्णों की पुनरावृत्ति की जाती है, पर यही प्रक्रिया संसार की सभी भाषाओं में अपनाई जाती हो ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी भाषा में किसी विशिष्ट बात को कहना हो तो प्रायः दीर्घ अक्षरों में बात लिख दी जाती है क्योंकि उस भाषा की वर्तनी में दो प्रकार के वर्ण विद्यमान हैं, पर हिंदी में तो यह कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार की अभिव्यक्तियों का अन्य भाषा में अनुवाद करते समय बहुत कठिनाई होती है क्योंकि इस प्रकार की संरचनाएँ अनेकार्थक या संदिग्धता पैदा करने वाली होती हैं।

डेविड क्रिस्टल (1987) ने अपनी पुस्तक 'दी कैंब्रिज एनसाइक्लोपीडिया आफ़ लेंग्वेज' में इसी प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एलेक्ज़ेंडर सोलजेनित्सिन के उपन्यास 'कैंसर वार्ड' में एक पात्र 'NO-O' का उच्चारण करता है। इस मूल रूसी नाटक में तो 'NO-O' का उच्चारण बलपूर्वक निषेध करने के लिए प्रयुक्त हुआ है जब कि इस नाटक के अंग्रेजी अनुवाद में यह संकोच व्यक्त करने के अर्थ में अनूदित किया गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों को लेखक प्रायः तिरछी लिखाई या 'इटेलिक्स' में लिखकर व्यक्त करते हैं। इटेलिक्स वाली संरचनाओं के अनुवाद में भी इसी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि इटेलिक्स में कभी तो अन्य भाषा से आगत शब्दों को लिखते हैं तो कभी तकनीकी शब्दों को, कभी पुस्तकों के नामों को लिखा जाता है तथा कभी किसी शब्द पर बल देने के लिए या किसी अन्य प्रभाव को बताने के लिए भी इटेलिक्स का प्रयोग लेखक करते हैं।

हिंदी में भी आपको ऐसी ही स्थिति मिल जाएगी। हिंदी नाटकों में आपने देखा होगा कि लेखक बहुत-सी बातें कोष्ठक में लिखकर व्यक्त करते हैं। कभी तो कोष्ठक में लेखक नाटक खेलने के संबंध में रंगमंचीय निर्देश देता है, तो कभी पात्रों की तरह-तरह की गतिविधियों के संकेत या सूचनाएँ देता है तो कभी किसी पात्र द्वारा कोई महत्व वाली बात कही गई है तो उसे व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिखित भाषा में उच्चारण संबंधी विविधताओं को व्यक्त करने के साधन कम हैं इसलिए लेखक इन सीमित साधनों के माध्यम से उच्चारण की विविधताओं को व्यक्त करने का प्रयास करता है और इसीलिए इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ संदिग्धता एवं अनेकार्थता को जन्म देती है।

अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि लिखित भाषा में लेखक उच्चरित भाषा के ध्वन्यात्मक प्रभावों को किन-किन लेखिमीय प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं?

13.7 लिखित भाषा में उच्चारणात्मक प्रभाव

यहाँ हम ऐसी कुछ युक्तियों का विवेचन करेंगे, जो उच्चारण (बोलचाल) की विशेषताओं को लिखित भाषा (मुद्रण) में दिखाने के लिए अपनायी जाती हैं।

1. वर्णनात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग

यह लेखन में सबसे सरल और सबसे अधिक प्रचलित तकनीक है। अधिकांश लेखक उच्चारणात्मक प्रभावों को व्यक्त करने के लिए वर्णात्मक या विवरणात्मक शब्दों और पदबंधों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के रोने को व्यक्त करना हो तो कहा जा सकता है कि "वह फूट-फूट कर रोने लगी" या "वह हिचकियाँ ले कर आँसू बहाती रही।" यहाँ फूट- फूटकर तथा हिचकियाँ ले कर पदबंध वर्णनात्मक या विवरणात्मक पदबंध हैं जो रोने के उच्चारणात्मक प्रभाव को अभिव्यक्ति प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। संसार की लगभग सभी भाषाओं के साहित्य में आपको इसके उदाहरण प्राप्त हो जाएँगे। सभी लेखक अपने लेखन में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ लेखक अपने वर्णनों को स्पष्ट, संक्षिप्त, अर्थपूर्ण एवं सजीव बनाने के लिए तथा उनमें उच्चारण संबंधी

प्रभावोत्पादकता लाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। यहाँ हम हिंदी तथा अंग्रेजी साहित्य से कुछ उदाहरण नमूने के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं -

" 'खामोश! *बिल्कुल* खामोश!' मनमोहन बाबू गरज पड़े।"

(अभागा, चंद्रकिशोर जायसवाल)

"वे *ठंडी साँस भर कर* कहती, 'एक बच्चा और हो जाता'।"

(छिन्नमस्ता, प्रभा खेतान)

"*कांपती लरजती आवाज में* पूछता हुआ वह सबसे जानते रहना चाहता है धूप, ऊष्मा एवं जिंदगी के आविर्भाव के सुखद संवाद के बारे में।"

(महा संगम, माणिक बंधोपाध्याय)

"आनंदी की *तेवरियों पर बल* पड़ गए, *झुंझलाहट* के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी।"

(बडे घर की बेटी, प्रेमचंद)

"अब की बार सिख की *वाणी में* कोई *अनुगूंज* नहीं थी, एक प्रकट और रड़कने वाली *रुखाई* थी।"

(बदला, अज्ञेय)

अंग्रेजी भाषा से भी कुछ उदाहरण देखिए:--

.... A *soft, greasy voice*, made up of pretence, politeness and saliva.

(Ralph the Heir, Anthony Trollope)

But my darling he protested in the *cajoling tone* of one who implores a child to behave reasonably.

(Point counter Point, Aldous Huxley)

कभी-कभी तो लेखक विशेषकर नाटक, एकांकियों में दिए गए वाक्यांशों का उच्चारण पात्र को नाटक खेलते समय किस प्रकार करना है, इसका भी निर्देश कोष्ठक में देता हुआ चलता है।

उदाहरण के लिए -

"मैं कहता हूँ, सिर्फ़ हिंसा के, सिर्फ़ मांसाहार के बल से। नाम ही सुनो उनके खानों के तो जी थर्रा जाता है - (शब्दों की पूरी ध्वन्यात्मकता समेत) मुर्ग मुसल्लम! मुर्ग जाफरानी। रोस्ट बीफ। ग्रिल्ड लैंब। तंदूरी रार्न। और इनसे पूछो क्या खाते हो तो लुप्त से कहेंगे (स्वर दबाकर) तुरई, घीया, सीताफल।"

(मौजूदा हालात को देखते हुए, मृणाल पांडे)

2. विराम चिह्नों का प्रयोग

लेखन व्यवस्था में विराम चिह्नों का प्रयोग एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग प्रत्येक लेखक करता है। इन विराम चिह्नों की व्यवस्था में तरह-तरह के परिवर्तन करने से तथा उसमें विस्तार करने से भी ध्वन्यात्मक प्रभावों को प्रदर्शित किया जाता है। विराम चिह्नों का प्रयोग उच्चारण में आने वाले विराम, अल्पविराम, प्रश्न, आश्चर्य आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखिए --

'कितना अच्छा है, यह समाज की दीवार नहीं है।' लड़का कहता। 'विकेड हो,' वह कहती, 'क्रुकेड हो। दोनों हो।'

(विपथा, रवीन्द्र कालिया)

हल क्या है? उन प्रतीकों की पुनः परीक्षा, जिनके सहारे हम संग्रह करते हैं -- यथार्थ की पहचान करते हैं; और उन प्रतीकों की जिनसे हम कर्म-निर्देश पाते हैं -- मूल्य निर्धारित करते हैं।

(भवन्ती, अज्ञेय)

नया काल बोध -- काल से नए संबंध का बोध -- लय : काल-प्रत्यय का एक प्रकार -- मात्रा पर नहीं, तनाव पर आधारित लय -- काल : तनाव की एक प्रणाली -- आधुनिक काल : न

निर्झर न आवर्त, न कसी हुई कमानी पर एक ओर से पड़ता हुआ बल .... पारंपरिक छंद के ढाँचे में आधुनिक काल बोध की अभिव्यक्ति की संभावना नहीं हो सकती थी।

(भवन्ती, अज्ञेय)

-- मेहरू, ... बत्ती बुझा दे -- उसने संयत, निर्विकार स्वर में कहा -- देखती नहीं, मैं मर गई हूँ!

(दहलीज़, निर्मल वर्मा)

अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता।..... और अपना बच्चा! हुँ!.... अपना-पराया? अब तो सब अपने, सब पराए।.....

(ठुमरी, फणीश्वरनाथ रेणु)

अब अंग्रेज़ी से भी उदाहरण देखिए --

'These two — they're twins, Sam'n Eric. Which is Eric — you? No — you're Sam—'

(Lord of the Flies, William Golding)

'Show me the North Tower!' he said. 'Quickly!', 'I will', replied the man, 'but there is no one there'.

(Tale of two cities, Charles Dickens)

3. वर्तनी में परिवर्तन

कभी-कभी प्रादेशिक प्रभाव व्यक्त करने के लिए तो कभी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए लेखक शब्दों की वर्तनी में फेरबदल कर देते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन आपको विज्ञापनों की भाषा में काफी देखने को मिलेंगे। विज्ञापनों का उद्देश्य होता है - लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। अतः वर्तनी में फेरबदल कर लिखने से लोगों का ध्यान उधर स्वतः ही चला जाता है और विज्ञापन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वर्तनी परिवर्तन का यह कार्य आपको हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में अधिक दिखाई देगा। हिन्दी साहित्य में इस प्रकार के प्रयोग आपको यदा-कदा देखने को मिल सकते हैं, परंतु अंग्रेजी साहित्य में इस प्रकार के प्रयोग खूब देखने को मिलते हैं--

अंग्रेजी से कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :--

'The family name depends *wery* much upon you.'

(Pickwick Papers, Charles Dickens)

Aw Knaow you. You are the one that took away *maw* gire.
You are the one that *set er agen* me. Well, I'm *gowin* to ever.

(Major of Barbara, G.B. Shaw)

'*An*' they're always *speshully* Savidge when they haven't any *tusks*.

(William the Bad, Richmal Crompton)

हिंदी में इस प्रकार के प्रयोग तो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ कभी-कभी जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र को चिढ़ाना चाहता है, या मजाक बनाना चाहता है जब उसकी बोलचाल की भाषा में आए बदलावों को व्यक्त करने के लिए साहित्यकार शब्दों की वर्तनी को बदलने का कार्य तो कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई तुतलाकर बात करता है तो तोतली भाषा की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की वर्तनी के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। एक उदाहरण देखिए --

'सुनाओ मुन्ने सुनाओ, पूरे ईमान से सुनाओ। तहो अंतलजी से, अंतल! अमें ये लोग मालते ऐं।'

(मौजूदा हालात को देखते हुए, मृणाल पांडे)

वस्तुतः हिंदी साहित्य में जो वर्तनी में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे वे सब उच्चारण की मौलिकता बनाए रखने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। यदि कोई अंग्रेज़ हिंदी बोल रहा है तो साहित्यकार 'तुम साले इधर क्या कर रहे हो?' के स्थान पर वाक्य लिखेगा --

तुम शाली ईडर क्या करता है? नीचे के उदाहरण में दो शब्दों 'वृंदावन' तथा 'पहले ही' की वर्तनी पर ध्यान दीजिए। यहाँ लेखक ने पात्र की भाषा में प्रादेशिक प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से वर्तनी' में परिवर्तन किया है -

> 'तेरी तो उमर बढ़ गई ...... मैं और सकटुआ तुझे ढूँढ़ने चले थे। पर तू तो बिरन्दाबन से पैले ..... ई जमुना तट पर मिल गया है।

(सारा आकाश मेरा है, श्री पदम)

इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं --

> 'अरी बहू! पोस्टमैन *जैप* के लिए दरी तो डाल दे! *बा* - तमाकू पिला!'

तथा

> 'सिरीमान ठाकुर जसौतसिंह नेगी, गाँव *प्रधान* .... भेजने वाला उनका बेटा इन्हीं रतन सिंह नेगी। हाल मुकाम - *मिलिटरी क्वाटरस*।......... *बटैलन नमबर* .... थिरी थिरी नायन। *सिपीय* नमबर।...."

(पोस्टमैन, शैलेश मटियानी)

4. मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखना

जब लेखक किसी बात पर बल देना चाहता है, कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है या किसी विशिष्ट कथन पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है तो उस वाक्य या कथन को सामान्य लिखावट की तुलना में मोटे-गाढ़े अक्षरों में लिख देता है। अंग्रेजी भाषा में यही कार्य कैपीटल अक्षरों में लिखकर भी किया जाता है क्योंकि उस भाषा की वर्तनी में दो रूप उपलब्ध हैं। अंग्रेजी भाषी लेखक कभी-कभी कैपीटल अक्षरों को मोटी-गाढ़ी लिखाई में भी व्यक्त करते हैं। देखिए कुछ उदाहरण --

> '**MISS JEMIMA!** exclaimed Miss Pinkerton, in the largest capitals.'

(Vanity fair, William Make peace Thackeray)

> 'Heedless of grammar, they all cried, '**THAT'S HIM!**'

(The Jackdaw of Rheims, R.H. Bahram)

हिंदी में भी यही कार्य मोटे-गाढ़े अक्षरों में तथा छपी हुई पुस्तकों में बड़े प्रिंट के माध्यम से किया जाता है विशेषकर जब शीर्षक हों, परिभाषाएँ देनी हों या किसी विशेष बात पर बल दिया जाना हो, उद्धरण देने हों आदि। देखिए नीचे दिए गए उदाहरण :--

> "भाषा के आंतरिक प्रकार्य यह प्रकट करते हैं कि **भाषा क्या है?** दूसरी ओर भाषा के बाह्य प्रकार्य यह उद्घाटित करते हैं कि जातीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में **भाषा क्या करती है?**

(हिंदी अध्ययन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रवींद्र नाथ श्रीवास्तव)

> **तो मित्र मैं, 'श्रृंगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्** बनाना चाहता हूँ। वातावरण जब नहीं होगा जिस हद तक तो शकुन्तला आधी है।

(द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन की अंतिम गोष्ठी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी)

> "दिल्ली की हिंदी में **प्रतिबिंबित शब्द** की रचना तीन प्रकार से होती है।"

(दिल्ली की हिंदी,मंजु गुप्ता)

> ''धृतराष्ट्र - याद मुझे आता है
> **तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है**
> **क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की**"

(अंधा युग, धर्मवीर भारती)

> "इस पर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा - **मैंने तो उस गिलहरी का सा काम किया है जिसने प्रभु रामचंद्र के बंधन में अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा की थी।**'' सच है, अधजल गगरी ही छलकती है, भरी हुई नहीं।

(भारती विद्यार्थी और तकषी वाङ्मय, एन. ई. विश्वनाथ अय्यर)

5. टंकित सामग्री में अंतराल या "स्पेस" छोड़कर लिखना

स्पेस या अंतराल छोड़कर लिखने से भी लेखक बोलचाल की भाषा की स्वाभावकिता को लेखन में बनाए रखने का कार्य करते है। इस प्रकार के प्रयोग हमें हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में देखने को मिलते हैं -

"इतना सुनना था कि मनसुखा क्रोध से काँपने लगा .... तुझे घिन आती है .... तो किस गधे ने तुझे यहाँ भेजा था ..... नाम क्या है तुम्हारा?

(सारा आकाश मेरा है, श्री पदम)

जब कहीं से खाना बनने की सुगंध आती है तो जल्दी जल्दी साँस लेने लगता हूँ - हलवा ...... पुलाव ...... मीट ...... पकौड़े ....।

(ताला बंद है, क्षितिज शर्मा)

"इतना याद आते ही उसकी आँखों में अविरल अश्रुधारा बह चली। सोचती रह गई, क्या मैं भी उस औरत की तरह मायके नहीं जा पाऊँगी? ..... और ..... क्या? मैं भी......?

(अपना-अपना दुख, जगदीश पांडे)

यही नहीं लेखक एक शब्द के बीच में भी स्पेस छोड़कर लिखते हैं जिससे उच्चारण की स्वाभाविकता और वास्तविकता को और अधिक बारीकी से प्रदर्शित किया जा सके।

"पर तू तो बिरन्दाबन से पैले SSSS ई जमुना तट पर मिल गया है।"

(सारा आकाश मेरा है, श्री पदम)

"न-दी-बह नयनक नी......र।
आहो ....पललि बहए ताहि ती .... र।"

तथा

"दुहु रस ..... म ..... य तनु गुने नहीं ओर"

(ठुमरी, फणीश्वरनाथ रेणु)

अब अंग्रेज़ी साहित्य से भी उदाहरण देखिए -

Once on the bridge, every other feeling would have gone down before the necessity- the n e c e s s i t y - for making my way to your side and getting what you wanted.

(The man of destiny, G.B. Shaw)

6. वर्णों तथा शब्दों की पुनरावृत्ति

शब्दों एवं वर्णों की पुनरावृत्ति से भी लेखक उच्चारण की वास्तविकता को लेखन में उतारने का प्रयास करते हैं। किसी भी चीख, पुकार, ज़ोर से बोलना, बल लेकर बोलना इन सभी ध्वन्यात्मक प्रभावों को लेखन में शब्दों और वर्णों की पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रदर्शित करने की चेष्टा की जाती है।नीचे के उदाहरण में अंतराल देकर लिखना तथा पुनरावृत्ति दोनों के सुंदर समायोजन से उच्चारण की मौलिकता को बनाए रखने की कोशिश की गई है -

"पनुवा की माँ घबराकर बोली, देख दे .... देख, देख तो .... हाँ..... हाँ कहते-कहते वह सहसा रूक गई। अरबराई सी हरुली उठी। पाँच-सात कदम ही आगे बढ़ पाई थी कि पनुली की माँ पुनः बोली हाँ ...... हाँ ...... हाँ ...... हाँ ....।"

(जुँहो जुँहो अपना दुख, जगदीश चंद्र पांडेय)

'व....।......ह। मैं कहता अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो'

(तौलिए, उपेंद्रनाथ अश्क)

"अरे खटमलों का क्या डर? लंबोदर साक्षात जमराज से भी नहीं डरते। गुड़ड़...... गुड़ड......गुड़ड़..... फू SSS।"

(खूनी लोटा, गोविंद वल्लभ पंत)

"ऊँडड, ऊँडड! अरे बाप रे। सब लाल हो गया।"

(खूनी लोटा, गोविंद वल्लभ पंत)

"अरे स्यामेऽ! ओ ऽऽ स्यामे ऽऽऽ ।"
"होऽ"
"किते जाय रयो है रेऽ?"

(खंजन नयन, अमृतलाल नागर)

"नेपथ्य में पुनः पुकार "अश्वत्थाऽऽमाऽऽ।" कृतवर्मा पुकारता है -
कृपऽऽचार्यऽऽऽऽऽऽ कृपाचार्य

(अंधायुग, धर्मवीर भारती)

इसी प्रकार के उदाहरण आप अंग्रेज़ी में भी देख सकते हैं।

'And I've lost you, lost myself, lost all-l.l.l.'

(Man & women, Robert Browning)

'Shhhhhhhhhhh! Shhhhhhhhhhhhhh ! they said'

(Dry September, William Faulkner)

'What a beautiful, byoo......ootiful song that was you sang last night.'

(Vanity fair, William Make peace Thackeray)

7. आड़ी-तिरछी लिखाई या 'इटेलिक्स' में लिखना

उच्चारण के जिन प्रभावों को "कैपीटल अक्षरों" में,मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखकर व्यक्त किया जाता है लगभग वैसे ही प्रभावों को विशेष कर जब कोई उद्धरण देना हो, बलपूर्वक या ज़ोर से कही गई बात को बताना हो तो लेखक "इटेलिक्स" या आड़ी-तिरछी लिखाई का प्रयोग करते हैं। अंग्रेज़ी में तो इसके उदाहरण आपको जगह-जगह देखने को मिल जाएँगे -

'Chicago will be ours ! *Chicago will be ours*'

(The jungle, Upton Sinclair)

'*I am desparately* fond of her : She is the light of my eyes.'

(Shirley, Charlotte Bronte)

हिंदी में भी अनेक लेखक देवनागरी लिपि को तिरछी लिखाई-छपाई के साथ इस प्रकार के प्रभावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। नाटकों में विशेषकर जब मुख्य नाटक के बीच में कुछ नाटककार संकेत देते हैं या कुछ बताते हैं तो आड़ी-तिरछी लिखाई का प्रयोग करते हैं। श्रीकृष्ण अरुण एवं मनमोहन सरल द्वारा संपादित प्रतिनिधि हास्य एकांकी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस पूरे संग्रह में दोनों प्रकार की लिखावट का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। आड़ी-तिरछी लिखाई के कुछ नमूने देखिए -

मधु - (*विषाद से हँस कर*) तबियत कुछ भारी भारी सी है।

शायद सर्दी के कारण ......

[दरवाजे पर दस्तक होती है]

(तौलिए, उपेन्द्रनाथ अश्क)

"प्रायः अहिंदी भाषी "कहाँ" आदि की जगह "किधर" आदि का प्रयोग करते हैं। *आप किधर जा रहे हैं? मैं स्टेशन जा रहा हूँ।* यह विशेषता खासकर दिल्ली और दक्षिण के शहरों में सुनने को मिलती है।"

(प्रयोग और प्रयोग, वी.रा. जगन्नाथन)

बोध प्रश्न 1

1. नीचे कुछ कथन दिए जा रहे हैं। जो कथन सही हैं उनपर (√) तथा जो कथन गलत हैं उनपर (X) का निशान लगाइए --

i) लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा की तुलना में अधिक प्राचीन है। ( )

ii) लिखित और बोलचाल की भाषा में परस्पर रूप रचनागत अंतर तो है ही, दोनों की संप्रेषणपरक आवश्यकताएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। ( )

iii) बोलचाल की भाषा में जहाँ एक ओर ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वहाँ लिखित भाषा में लेखिमिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ( )

iv) बोलचाल की भाषा देश सापेक्ष तथा लिखित भाषा काल सापेक्ष होती है। ( )

v) शब्दों, पदबंधों तथा उप-वाक्यों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति हमें लिखित भाषा में देखने को मिलती है। ( )

2. प्रत्येक प्रश्न के दो या दो से अधिक उत्तर दिए जा रहे हैं। सही उत्तर पर निशान लगाइए --

i) सुर, तान, लय, बलाघात आदि खंडेतर अभिलक्षण
क) बोलचाल की भाषा में पाए जाते हैं।
ख) लिखित भाषा में पाए जाते हैं।
ग) दोनों में पाए जाते हैं।
घ) किसी में नहीं पाए जाते।

ii) संरचनात्मक भाषाविज्ञान में
क) मौखिक भाषा को प्रमुख तथा लिखित भाषा को गौण माना गया है।
ख) लिखित भाषा को गौण और मौखिक भाषा को प्रधान माना गया है।
ग) दोनों को ही प्रधान माना गया है।
घ) दोनों को ही गौण माना गया है।

iii) भाषा-द्वैत की स्थिति में प्राप्त होने वाले उच्च कोड तथा निम्न कोड में से लिखित भाषा में
क) केवल निम्न कोड का ही प्रयोग किया जाता है।
ख) केवल उच्च कोड का ही प्रयोग किया जाता है।
ग) उच्च और निम्न दोनों ही कोड का प्रयोग किया जाता है।
घ) किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता।

iv) कार्यालयीन हिंदी तथा बैंकिंग हिंदी में से
क) कार्यालयीन हिंदी एक प्रयुक्ति है तथा बैंकिंग हिंदी हिंदी की एक शैली।
ख) कार्यालयीन हिंदी एक शैली है तथा बैंकिंग हिंदी एक प्रयुक्ति ।
ग) दोनों ही प्रयुक्तियाँ हैं।
घ) दोनों ही शैलियाँ हैं।

v) ऐतिहासिक विकास क्रम में लिखित भाषा का विकास बोलचाल की भाषा के
क) बाद में हुआ है।
ख) पहले हुआ है।
ग) साथ-साथ हुआ है।

3. नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों को कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए -

i) मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक ---------- होती है।
(सरल, मानक, अस्थिर)

ii) निमंत्रण पत्रों की भाषा में प्रायः ---------- संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है।
(औपचारिक, मानक, रूढ़)

iii) -------- तथा -------- क्लेसीकल भाषाएँ हैं जिनको व्यक्ति लिखित माध्यम से सीखता है। (हिंदी, हिब्रू, ग्रीक, संस्कृत)

iv) व्यक्ति के भाषायी कोश में -------- शब्दों का ज्ञान प्रायः लिखित भाषा के माध्यम से होता है। (आगत, रूढ़, परंपरागत)

v) हिंदी में प्रायः कुछ -------- की संरचनाएँ हैं जिनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में संभव नहीं है। (कर्तृवाच्य, प्रेरणार्थक, अकर्तृवाच्य)

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो पंक्तियों में दीजिए :

i) संरचनात्मक भाषा विज्ञान में भाषा के किस रूप को प्रधानता दी गई?

....

....

ii) वह कौन सी आधुनिक बोलचाल की भाषा है जिसका विकास प्राचीन लिखित भाषा से हुआ है?

....

....

iii) भाषा का कौन-सा रूप सर्जनात्मक साहित्य का आधार बनता हैं?

....

....

iv) बोलचाल की भाषा की कोई ऐसी तीन विशेषताएँ बताइए जो लिखित भाषा में नहीं पाई जाती।

....

....

v) लिखित भाषा में लेखक को सभी संदर्भों को क्यों स्पष्ट करके चलना पडता हैं?

....

....

5 मिलान कीजिए

क	ख
1. वर्णनात्मक शब्दों/पदबंधों का प्रयोग	अ. चीख, पुकार, तेज बोलना, बल देकर बोलना आदि को व्यक्त करना
2. वर्णों तथा शब्दों की पुनरावृत्ति	आ. बोलचाल की स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए
3. स्पेस देकर या अंतराल छोड़कर लिखना	इ. उच्चारणात्मक प्रभावों में आने वाली प्रक्रियाओं जैसे रोना, हँसना आदि को व्यक्त करने के लिए
4. विराम चिह्नों का प्रयोग	इ. किसी बात पर बल देने या कोई विशिष्ट बात कहने के लिए
5. मोटे-गाढ़े अक्षरों में लिखना	ई. प्रादेशिक अथवा व्यक्तिगत प्रभावों को प्रदर्शित करने के लिए
6. वर्तनी में परिवर्तन के लिए	ऊ. बोलते समय विराम, यति, प्रश्न, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए।

13.8 सारांश

इस प्रकार इस इकाई में आपको भाषा के दो रूपों - बोलचाल की भाषा के स्वरूप, प्रकृति, प्रयोग क्षेत्र, इन दोनों की संप्रेषणपरक आवश्यकताओं तथा एक-दूसरे पर पड़ने वाले पारस्परिक प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आपने देखा कि मनुष्य के पास विचारों के आदान-प्रदान तथा संप्रेषण के लिए सशक्त माध्यम के रूप में भाषा के ये दोनों रूप किस प्रकार अपने-अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। जहाँ तक बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के ऐतिहासिक विकास का संबंध है,बोलचाल की भाषा लिखित भाषा की तुलना में हज़ारों साल पुरानी है। मनुष्य ने जन्म लेने के बाद ही बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया होगा परंतु लिखित भाषा का विकास तो बहुत बाद में हुआ है। इसीलिए अनेक भाषा-वैज्ञानिकों ने बोलचाल की भाषा को ही "भाषा" की संज्ञा प्रदान की। लिखित भाषा का स्थान गौण माना। परंतु जहाँ तक संप्रेषण का सवाल है, दोनों ही रूपों का अपना अपना स्थान है। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है और न हो सकता है। दोनों का प्रयोग व्यक्ति भिन्न-भिन्न संप्रेषण परक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में करता है। दोनों को एक-दूसरे के स्थान पर स्थानापन्न नहीं किया जा सकता।

बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा रूपों में यदि कुछ संप्रेषणपरक तत्वों के आधार पर समानताएँ होती हैं तो ऐसे अनेक तत्व हैं जो इन दोनों को एक-दूसरे से अलग भी करते हैं। बोलचाल की भाषा में जहाँ उच्चारणात्मक एवं ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वहाँ लिखित भाषा में लेखमीय इकाइयों का। लेकिन इस प्रमुख अंतर के अलावा भी दोनों में अनेक भिन्नताएँ हैं। दोनों की संरचना में भी काफ़ी अंतर मिलते हैं। लिखित भाषा की संरचना जहाँ व्यवस्थित एवं सुगठित तथा व्याकरणिक नियमों से बँधी रहती है वहाँ उच्चरित भाषा में सरल एवं शिथिल संरचनाएँ अधिक देखने को मिलती हैं। बोलचाल की भाषा में शब्दों, पदबंधों और उपवाक्यों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति आपको बहुत देखने को मिलती है, जबकि लिखित भाषा में

लेखक सचेत एवं सजग रहकर लेखन कार्य करता है। उसके पास यह अवकाश होता है कि वह अपनी लिखी हुई सामग्री को बार-बार पढ़ कर सुधार सके, जबकि बोलचाल की भाषा में जो वाक्य बोल दिया जाता है वही अंतिम वाक्य होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि बोलचाल की भाषा समय सापेक्ष, अस्थायी एवं गतिशील होती है जबकि लिखित भाषा, देश सापेक्ष, स्थायी तथा स्थिर होती है। लिखित भाषा को दीर्घकाल तक संचित किया जा सकता है।

आपने यह भी देखा कि बोलचाल की भाषा में प्रायः वक्ता और श्रोता एक-दूसरे के समक्ष रहते हैं, जबकि लिखित भाषा का उपयोग करने वाला व्यक्ति सामने नहीं होता। लेखक को तो प्रायः यह भी ज्ञात नहीं होता कि उसके लेखों को कोई उपयोग करेगा भी या नहीं। इसीलिए लेखक को जो भी बात अपने लेखन में कहनी होती है, उसे पूरे संदर्भों को स्पष्ट करते हुए कहना होता है। मौखिक वार्तालापों में तो संदर्भ वक्ता और श्रोता के मन में रहते हैं अतः वहाँ अनेक भाषिक इकाइयों को छोड़ा जा सकता है, परंतु लेखक ऐसा नहीं कर सकता।

आपने देखा कि लिखित भाषा में कुछ ऐसी युक्तियाँ जैसे - विराम चिह्न, अनेक प्रकार की लेखिमीय आकृतियाँ, रंग आदि होती हैं जिनका प्रयोग लेखक अपने लेखन में बखूबी करता है। परंतु बोलचाल की भाषा में यह सुविधा नहीं होती। इसी प्रकार बोलचाल की भाषा में खंडेतर अभिलक्षणों सुर, तान, बलाघात आदि युक्तियों को जब लेखक अपने लेखन में व्यक्त करना चाहता है तो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं। फिर भी, अनेक प्रकार के विराम चिह्न, कोष्ठकों, आड़ी-तिरछी लिखाई, गाढ़े-मोटे अक्षरों का प्रयोग तथा पदों-पदबंधों आदि को रेखांकित कर लेखक उच्चरित विशेषताओं को लेखन में प्रस्तुत करने का प्रयास तो करता है।

आपने इस इकाई में लिखित भाषा तथा बोलचाल की भाषा के अंतरों का विस्तार से अध्ययन किया और दोनों की प्रमुख विशेषताओं को तुलनात्मक ढंग से समझा। आपने शब्दकोश के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर, संरचना के स्तर पर, विभिन्न प्रयोग क्षेत्रों के संदर्भ में तथा भिन्न-भिन्न संप्रेषणपरक आवश्यकताओं की दृष्टि से लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा रूपों की विशेषताओं का भी अध्ययन इस इकाई में किया।आपने यह भी देखा कि बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक रूप, दिविधापूर्ण औपचारिक तथा मानक होती है।

दोनों भाषिक रूपों में यद्यपि अनेक अंतर हैं पर समाज में दोनों भाषा रूप एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका भी आपने अध्ययन किया। आपने इसी संदर्भ में यह भी देखा कि बोलचाल की भाषा को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखक कौन-कौन सी युक्तियों का प्रयोग करते हैं।

इकाई के अंतिम खंड में बोलचाल की भाषा के उच्चारणात्मक प्रभावों को लिखित भाषा के साहित्य में किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है, इसका अध्ययन आपने हिंदी तथा अंग्रेज़ी के साहित्य के अनेक उदाहरणों के माध्यम से किया।

13.9 शब्दावली

गौण - प्रमुख नहीं

मुख विवर - मुँह के अंदर का स्थान या मार्ग

लेखिम - लेखन की इकाइयाँ, वर्ण आदि

प्रचलन - किसी बात पर बल देना

रेखीय - रेखाओं से बने

उदात्त - उठता हुआ

स्लैंग - वे प्रयोग जो परिनिष्ठित भाषा में नहीं आते। असाधु प्रयोग

वर्जित - जिन्हें सभ्य समाज में बोला नहीं जाता। इन्हें अंग्रेजी में टेबू (taboo) शब्द कहते हैं।

13.10 उपयोगी पुस्तकें

Crystal David, 1987, *The Cambridge encyclopedia of language*, Cambridge university press, Cambridge

Chapman R. 1984, *The treatment of sounds in language and literatre*, Oxford : Blackwell

James. R. & Gregory, R,G, 1966, *Imaginative speech and writing* London, Nelson

Kroll, B.M. 1981, *Developmental relationships between speaking and writing*. urbana : National Council of Teachers of English

13.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) X ii) √ iii) √ iv) X v) √
2. सही उत्तर

   i) क ii) क iii) ख iv) ग v) क
3. i) मानक ii) रूढ़ iii) ग्रीक तथा संस्कृत

   iv) आगत v) अकर्तृवाच्य
4. i) बोलचाल के रूप में ii) हिंदू iii) लिखित

   iv) समय सापेक्ष, गतिशील, अस्थिर

   v) क्योंकि यहाँ बोलचाल की भाषा जैसी स्थिति, जहाँ वक्ता और श्रोता आमने-सामने हों, नहीं होती
5.

क	ख
1	इ
2	अ
3	आ
4	ऊ
5	ई
6	उ

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

UGHI-06 / CSSHI-06

हिन्दी भाषा : इतिहास और वर्तमान

खंड

4

हिंदी के प्रकार्य

इकाई 14

हिंदी के विविध प्रकार्य 5

इकाई 15

हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप 15

इकाई 16

संपर्क भाषा हिंदी और हिंदी का अखिलभारतीय स्वरूप 31

इकाई 17

हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ 51

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

डॉ. भ.ह. राजूरकर
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
औरंगाबाद

डॉ. राम सिंह तोमर
28, पूर्वपल्ली
विश्वभारती विश्वविद्यालय
शांतिनिकेतन
पं. बंगाल

प्रो. भीमसेन निर्मल
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

डॉ. संसार चन्द
अवकाश प्राप्त आचार्य एवं
अध्यक्ष (हिन्दी विभाग)
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू

डॉ. अंबाशंकर नागर
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

डॉ. रमानाथ सहाय
आगरा

डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा
हिन्दी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़

डॉ. बख्शीश सिंह
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन (संयोजक)
निदेशक, मानविकी
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

पाठ लेखक

डॉ. मंजु गुप्ता

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन
डॉ. रीतारानी पालीवाल

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन (संपादक)

सामग्री निर्माण

श्री बालकृष्ण सेल्वराज
कुलसचिव
मुद्रण एवं प्रकाशन प्रभाग
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1991

ISBN-81-7263-0.9-0

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव श्री बालकृष्ण सेल्वराज द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।
फोटोकम्पोज सोना प्रिंटर्स प्रा. लि., बी.-181 ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110 020

खंड परिचय

अब तक के तीन खण्डों में हमने इतिहास की चर्चा की । **खंड 4 तथा आगें के खण्डों से भी** वर्तमान की चर्चा शुरू कर रहे हैं।

ऐतिहासिक रूप से संस्कृत की विरासत हिन्दी को मिली। **हिन्दी भाषा मध्य देश की भाषा होने के** कारण हम भाषा में संपर्क सेतु का काम किया। हिन्दी के एक दूसरे रूप **उर्दू भाषा में मुगलों के** राज में देश में विस्तार पाया। इस तरह हिन्दी और उर्दू नेदेश में व्यापक **स्तर पर सम्पन्न भाषा की** भूमिका अदा की।

पिछले खण्डों में हमने हिन्दी भाषा के आधुनिक रूप में विकास यात्रा **की चर्चा की। हिन्दी भाषा** अब आधुनिक 'युग की राष्ट्रीय महत्व की भाषा है इसका स्रोत खड़ी बोली है। **जो एक स्थानीय** बोली है। आधुनिक युग तक यह अन्य बोलियों की तरह एक स्थानीयय बोली **थी लेकिन इस** बोली ने अपनी व्यापकता के कारण अपने को मानक रूप में स्थिर किया और **शब्दावली, साहित्य** आदि की दृष्टि से विकास किया। इस शताब्दी के आरंभ तक हिन्दी भाषा जो **खड़ी बोली से** निकला हुआ रूप था, आधुनिक भाषा के रूप में अस्तित्व में आई। **इस मानकीकरण और** आधुनिक भाषा के रूप में विकास की प्रक्रिया में उसे उन भूमिकाओं से लाभ **मिला जो साहित्य** भाषा और राजभाषा के रूप में उर्दू भाषा की भूमिका थी। हमने यह भी अध्ययन **किया था कि** किस तरह से पिछली शताब्दी में हिन्दी और उर्दू भाषाओं में अस्तित्व का संघर्ष छिड़ा। **इस संघर्ष** के सम्बन्ध में देश में भावात्मक एकता की बात शुरू हुई और हिन्दी औरउर्दू के **मिश्रण से** हिन्दुस्तानी नामक भाषा रूप की कल्पना की गई ।

इस इतिहास की चर्चा के बाद हम हिन्दी भाषा के सामने उपस्थित स्थितियों का **वर्णन करेंगे।** 1947 में भारत आजाद हुआ तो हिन्दी देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत की **गई, जिसका** उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। इस संदर्भ में हिन्दी भाषा को राजभाषा **के रूप में** विकास करना था और प्रशासन को राजभाषा के रूप में हिन्दी के कार्यान्वय के कदम उठाने **थे।** ये सब कार्य किस प्रकार हुए, इसका उल्लेख हम खंड 6 में करेंगे और खंड 7 में भाषा विकास के संदर्भ में हिन्दी के सामने उपस्थित स्थिति और समस्याओं का वर्णन करेंगे। प्रस्तुत खंड आगे के खंडों के लिए एक भूमिका है। इस खंड में हम हिन्दी के प्रकार्य की चर्चा करते हुए यह देखेंगे कि हिन्दी का राजभाषा के रूप में क्या स्थान है, संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का क्या महत्व है, राज काज आदि विभिन्न प्रकार्यों में हिन्दी की क्या भूमिका है और भारत से बाहर हिंदी की क्या स्थिति है। यह चर्चा हिन्दी की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है, जिसे हम विस्तार से अगले खण्डों में देखेंगे।

इकाई 14 हिंदी के विविध प्रकार्य

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 भाषा के सामान्य प्रकार्य
14.3 भाषा के प्रयोजनमूलक प्रकार्य
14.3.1 राजभाषा हिंदी
14.3.2 राष्ट्रभाषा हिंदी
14.4 विकास की दिशाएँ
14.5 विकास में समस्याएँ
14.6 अन्य प्रमुख कार्य
14.7 सारांश
14.8 शब्दावली
14.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
14.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

यह पाठ समाज में भाषा के स्थान और कार्य (अर्थात प्रकार्य) से संबंधित है, इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- भाषा के प्रकार्य की परिभाषा कर सकेंगे;
- प्रयोजनमूलक प्रकार्य क्या है, स्पष्ट कर सकेंगे;
- आधुनिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोजनमूलक प्रकार्यों का वर्णन कर सकेंगे;
- इन प्रकार्यों के संदर्भ में अपेक्षित भाषा विकास की दिशाओं का वर्णन कर सकेंगे; और
- इन प्रकार्यों के संदर्भ में उठाए गए कदमों का वर्णन कर सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना

भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक संरचना है। भाषा की परिभाषा के संदर्भ में आपने देखा कि भाषा समाज में विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है, संस्कृति की पोषक है और ज्ञान-विज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखने का साधन है। इस दृष्टि से परिभाषा के अनुसार ऊपर बताई गई ये बातें भाषा के प्रकार्य (फंक्शंस) हैं। ये प्रकार्य विश्व की सभी भाषाओं के लिए सामान्य हैं; अर्थात हर भाषा किसी समुदाय में विचारों का माध्यम है और संस्कृति की पोषक है। लेकिन हम किस आधार पर हिंदी जैसी विकसित भाषा को किसी अलिखित अविकसित स्थानीय भाषा की बोली से अलग करते हैं या किस आधार पर अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है, लेकिन सिंहली या कोरियाई भाषा नहीं? सामान्य रूप से भाषाओं के प्रकार्य एक होने के बावजूद हम देखते हैं कि किन्हीं भाषाओं में प्रकार्य का अंतर अधिक होता है। जिस समाज में अधिक विकास होगा उस समाज की भाषा अधिक विकसित होगी। बशर्ते कि उस भाषा का उस समाज में सारे कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता हो। विकसित समाज की भाषा उस समाज में शिक्षा का माध्यम बनती है, प्रशासन की भाषा बनती है और उस भाषा के माध्यम से कंप्यूटर आदि यंत्रों पर काम करने की सुविधा प्राप्त होती है। इस तरह हम प्रकार्यों को भी सामान्य और प्रयोजनमूलक दो वर्गों में बाँट सकते हैं।

भाषा के कुछ प्रकार्य सार्वभौम हैं, सार्वजनीन हैं। भाषा की परिभाषा में हमने लगभग इन्हीं प्रकार्यों की चर्चा की है। परिभाषा में जिन बातों की चर्चा की है वे भी वास्तव में भाषा के उपयोग के क्षेत्र हैं। प्रकार्य वास्तव में वे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति भाषा से होती है जैसे भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा ज्ञानवर्धन का साधन है, भाषा व्यवहार को प्रभावित करने वाला माध्यम है आदि। इस इकाई के पहले भाग में हम इन सामान्य प्रकार्यों की चर्चा करेंगे।

विकसित समाज की भाषा की कुछ प्रमुख भूमिकाएँ होती हैं। उस भाषा के माध्यम से प्रशासन का संचालन किया जाता

है, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है आदि। इन प्रकार्यों को हम भाषा के प्रयोजनमूलक प्रकार्य कहेंगे और इन क्षेत्रों में काम में आने वाली भाषा को हम प्रयोजनमूलक भाषा कहेंगे। इस इकाई में हम भाषा के प्रयोजनमूलक प्रकार्यों की चर्चा करेंगे और अगली इकाई में हिंदी भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप को और विस्तार से देखेंगे। आगे के चार खंडों में हम हिंदी भाषा की प्रयोजनमूलक प्रकार्यों के संदर्भ में स्थिति और प्रगति का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

14.2 भाषा के सामान्य प्रकार्य

भाषा सामाजिक वस्तु है और भाषा के माध्यम से ही सभी सामाजिक व्यवहार संपन्न होते हैं। कल्पना कीजिए कि भाषा न हो, तो हमारा समाज कैसा होगा। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाएँगे, परिवार या समाज की संरचना संभव नहीं होगी, शिक्षा या विज्ञान का विकास संभव नहीं होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाषा के कारण ही मानव, मानव बन सका है। इस संदर्भ में भाषा के जिन उपयोगों के कारण हम कुछ अर्जित कर पाये हैं, वे भाषा के प्रकार्य हैं।

सामान्य भाषा के प्रकार्यों की चर्चा भाषा वैज्ञानिकों ने विस्तार से की है।

प्रमुख भाषा के वैज्ञानिक एम.ए.के. हैलीडे अपनी पुस्तक 'एक्सप्लोरशन्स इन द फन्कशन्स आफ़ लैंग्वेजज़' में भाषा के सात प्रकार्यों के चर्चा की है। ये प्रकार हैं —

i) **भाषा साधन है।** बच्चा बचपन से ही जान जाता है कि भाषा के माध्यम से वह अपने कार्य संपन्न कर सकता है और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। "मुझे दूध चाहिए" कहने पर उसे दूध प्राप्त होता है, इससे साधन के रूप में भाषा का प्रकार्य दृढ़ होता है।

ii) **भाषा सामाजिक व्यवहार का नियंत्रक है।** व्यक्ति का समाजीकरण भाषा द्वारा ही होता है। माँ-बाप "ऐसा नहीं करते", "यह ठीक नहीं है" आदि से बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार्य से हमें नियमों और निर्देशों का संग्रह मिलता है, नीति और औचित्य की संकल्पना मिलती है।

iii) **भाषा परस्पर संपर्क का साधन है।** हर व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से और व्यापक अर्थ में पूरे समाज से संपर्क करना होता है। इससे हम समानधर्मा लोगों, पड़ोसियों, सहकर्मियों और अजनबियों के विविध स्तरों पर संपर्क कर पाते हैं। इससे अपने तथा पराये का भी अंतर किया जाता है। इस तरह यह समाज के स्तरीकरण का आधार है और विभिन्न स्तरों पर भाषा की विविधता को जन्म देता है।

iv) **भाषा आत्म विकास का साधन है।** समाज का हर व्यक्ति समाज में अपना व्यक्तित्व कायम करता है। बचपन में संभवतः सब एक जैसे होते हैं, लेकिन सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत क्षमता के कारण हर कोई अपनी विशिष्ट भाषाई प्रतिभा अर्जित करते हैं। कोई विचारक बनता है, कोई दार्शनिक, कोई कविता करता है तो कोई वक्ता।

v) **भाषा ज्ञानार्जन का साधन है।** यह प्रकार्य व्यक्तिगत प्रतिभा से जुड़ा हुआ प्रकार्य है। हम सब बचपन से भाषा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति का प्रारंभ करते हैं। "यह क्या है" "ऐसा क्यों होता है" आदि सत्य के अन्वेषण और ज्ञानार्जन में हमारा साथ देने वाली प्रक्रिया है। यह ज्ञान पहले घर से प्राप्त होता है और बाद में विधिवत शिक्षा द्वारा। भाषा में उपलब्ध साहित्य लोगों के समक्ष ज्ञान को व्यस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

vi) **भाषा कल्पना की उड़ान का माध्यम है।** आप सब जानते हैं कि बच्चे के सामने एक अजीब सी दुनिया उपस्थित होती है, जिसमें परियाँ, दानव, बोलने वाले पशु-पक्षी, राजकुमार आदि पात्र जीवंत दृश्य उपस्थित करते हैं। बाल कविताएँ, कथाएँ आदि इस दुनिया को पुष्ट करते हैं। यह प्रकार्य बचपन तक ही सीमित नहीं है। वयस्क व्यक्ति भी भाषा के माध्यम से अपने कल्पना संसार की सृष्टि करते हैं।

viii) **भाषा अभिव्यक्ति है, संदेशों का माध्यम है।** हम भाषा के माध्यम से व्यक्तियों और वस्तुओं की ही नहीं, अमूर्त विचारों की भी अभिव्यक्त करते हैं। यह प्रकार्य बच्चों के लिए उतना प्रमुख नहीं है, जितना वयस्क व्यक्तियों के लिए।

14.3 भाषा के प्रयोजनमूलक प्रकार्य

हमने इकाई 9 में हिंदी भाषा की अवधारणा की चर्चा करते हुए उल्लेख किया था कि हिंदी भाषा की भूमिकाएँ क्या हैं? उन भूमिकाओं के संदर्भ में हमने उल्लेख किया था कि हिंदी राजभाषा है, हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी एक विकासशील समाज में विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है। ये भूमिकाएँ उन प्रकार्यों की ओर इशारा करती है, जो किसी देश की प्रमुख भाषा के सामने विद्यमान हैं। भाषा के माध्यम से इन विविध क्षेत्रों में कार्य करना भाषा के प्रकार्यों में गिना जाता है।

अगर किसी भाषा का समाज के विविध प्रकार्यों के लिए उपयोग न किया जाए तो वह भाषा सीमित दिशाओं में ही विकास करती है। आम तौर पर उस भाषा में केवल साहित्य का विकास होता है और अन्य क्षेत्रों में वह भाषा कमजोर रह जाती है। लगभग इसी तरह की स्थिति हिंदी के सामने 1947 के आसपास थी। हिंदी भाषा उस समय साहित्यिक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी राज-कार्य आदि आधुनिक प्रकार्यों के लिए तैयार नहीं थी। यही कारण था कि हिंदी को राजभाषा बनाने के साथ-साथ उस प्रकार्य के लिए उसें तैयार करने के लिए विकास के कदम उठाए गए। इस तरह प्रयोजनमूलक प्रकार्यों के लिए भाषा को विकसित करना एक सामाजिक-सामूहिक प्रयत्न बनता है, जबकि साहित्यिक विकास प्रमुखतया व्यक्तियों पर निर्भर होता है। इस तरह हम प्रयोजनमूलक प्रकार्यों को सामान्य प्रकार्यों से निम्नलिखित आधार पर अलग कर सकते हैं।

i) प्रयोजनमूलक प्रकार्य संस्थागत होते हैं, यह प्रकार्य किन्हीं विधि-विधान के अंतर्गत भाषा पर आरोपित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, हिंदी राजभाषा है, इसलिए इसमें विधिक साहित्य का निर्माण आवश्यक है। कर्नाटक की तुलु भाषा प्रदेश की भी राजभाषा नहीं है, इसलिए उसमें कानून संबंधी पुस्तकों के निर्माण का दायित्व सौंपा नहीं जाता।

ii) प्रयोजनमूलक प्रकार्य के निर्वाह में भाषा के विकास के प्रयत्न भी संस्थागत होते हैं। अर्थात् विधिक साहित्य के निर्माण के लिए विधि-संबंधी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। यह शब्दावली व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने ढंग से विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अराजकता पैदा होती है। इस तरह शब्दावली निर्माण के कार्य संस्थागत होता है और उस संस्था के कार्य को सांविधिक मान्यता दी जाती है। इसकी तुलना में साहित्यिक भाषा में नए शब्दों के निर्माण के लिए साहित्यकार स्वतत्र है। उन्हें किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती।

iii) प्रकार्य के कारण तीन अन्य विकास के कार्यक्रम भी संस्थागत होते हैं। अर्थात् राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ यह आवश्यकता पैदा होती है कि सरकारी कर्मचारियों को राजभाषा में प्रशिक्षित किया जाए। इसी तरह राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि कंप्यूटर आदि उपयोगी यांत्रिक साधनों की विकास किया जाए और उस विकास के लिए लोगों को शिक्षित-प्रशिक्षित किया जाए। इस तरह भाषा के प्रकार्य विकास की अन्य दिशाओं में विविध कार्यक्रमों को जन्म देता है और इन सबका संचालन आवश्यक तौर पर किया जाता है।

iv) प्रयोजनमूलक प्रकार्यों के संदर्भ में योजनाबद्ध विकास की बात ऊपर बताई थी। इसी को समाज भाषाविज्ञान में भाषा नीति (लैंग्वेज पॉलिसी) और भाषा नियोजन (लैंग्वेज प्लानिंग) कहा जाता है। नीति स्पष्ट करती है कि हमें किन दिशाओं में आगे बढ़ना है और योजना या आयोजन यह स्पष्ट करता है कि उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए हमें किस प्रकार के कार्य और किस ढंग से अपने हाथ में किए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर राजभाषा का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जाए, यह नीति का प्रश्न है। यह नीति हमें संविधान और उसके आधार पर बनाए गए अधिनियम आदि से मिलती है। जब नीति का प्रश्न स्पष्ट हो जाए तो हमें यह देखना होता है कि उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए हमें किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। प्रशिक्षण का आयोजन क्या हो, कंप्यूटर के निर्माण कौन करे और उनका उपयोग किस ढंग के किया जाए आदि नियोजन से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार प्रकार्य कुल मिलाकर देश में भाषा नीति और भाषा नियोजन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। भाषा के प्रयोजनमूलक प्रकार्यों की इस चर्चा के उपरांत हम ये देखना चाहेंगे कि हिंदी भाषा के सामने किस प्रकार के प्रकार्य हैं। इस इकाई में हम उन प्रकार्यों की संक्षेप में चर्चा करेंगे और इस पाठ्यक्रम की अगली इकाई में इन प्रकार्यों के संबंध में हुई प्रगति का विस्तृत परिचय देंगे। हिंदी के संबंध में प्रमुखतः निम्नलिखित प्रयोजनमूलक प्रकार्य हैं:

14.3.1 राजभाषा हिंदी

1947 तक ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी देश की राजभाषा थी। हिंदी आदि देश की भाषाओं का राज-कार्यों में प्रयोजन लगभग शून्य था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में गणतंत्र हुआ। इस गणतंत्र का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। संविधान में यह उल्लेख था कि हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हो, इस देश की राजभाषा है लेकिन राजभाषा के प्रकार्य के निर्वाह में हिंदी भाषा के तैयारी को देखते हुए यह भी उल्लेख किया गया था कि अंग्रेज़ी 1965 तक राजभाषा के रूप में पूर्ववत् काम में आती रहेगी और इस अवधि में हिंदी भाषा में साहित्य निर्माण के साथ-साथ किन्हीं क्षेत्रों में उसके प्रयोग के प्रयत्न किये जाते रहेंगे। 1963 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाना था लेकिन भारत के किन्हीं प्रदेशों में अंग्रेज़ी के हटाने के विरोध में उठ खड़े आंदोलन के कारण इस अधिनियम में 1967 में संशोधन किया गया और अंग्रेज़ी को राजभाषा के रूप में आगे तक बनाये रखने की नीति अपनाई गई। इस संदर्भ में राजभाषा हिंदी के विकास और वर्तमान के बारे में इस पाठ्यक्रम के छठे खंड में विस्तार से पढ़ेंगे।

राजभाषा का प्रकार्य यह स्पष्ट रहता है कि राज-काज के समस्त कार्य उस भाषा के माध्यम से हो। उदाहरण के तौर पर सरकार में नौकरी के लिए व्यक्ति किस भाषा में आवेदन करे? हर कोई कह सकता है कि वह अपनी मातृभाषा में आवेदन देना चाहता है। क्या सरकार एक साथ 15-20 भाषाओं के माध्यम से काम कर सकती है? राजभाषा घोषित किए जाने के

कारण हम सरकार के सिर्फ़ दो स्वीकृत राजभाषाओं अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में पत्राचार कर सकते हैं। लेकिन एक गणतंत्र होने के नाते व्यक्तियों के भाषा स्वातंत्र्य पर भी अंकुश नहीं होना चाहिए। लोगों को यथासंभव अपनी भाषा में काम करने की सुविधा और छूट मिलनी चाहिए। इस कारण राजभाषा के इस देश में दो स्तर गिनाए जाते हैं। हिंदी (तथा अंग्रेजी भी) संघ की राजभाषा है। प्रदेशों की राजभाषा या राजभाषाएँ निश्चित करने का दायित्व प्रदेश की विधायिका का है। इस तरह कोई तमिल भाषी अपने प्रदेश में प्रदेश की सरकार के साथ प्रदेश की राजभाषा में पत्राचार आदि कर सकता है। उसके लिए यह भी कहीं अनिवार्य नहीं है कि वह अंग्रेज़ी या हिंदी का कहीं प्रयोग करे। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करने का एक आधार यही है कि यह इस बहुभाषी देश में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले व्यक्तियों का संपर्क सूत्र है। हिंदी इस गणतंत्र की अधिसंख्यक आबादी की भाषा है। इसलिए इस भाषा को देश को भाषिक रूप में जोड़ने का यह दायित्व दिया गया है।

राजभाषा का तात्पर्य राज्य के तीन प्रमुख अंगों की भाषा से है। ये प्रमुख अंग हैं — विधानांग अर्थात् संसद, न्यायांग अर्थात् अदालतें और कार्यांग अर्थात् प्रशासन या सरकार। इन तीनों अंगों का संबंध पूरे देश से है। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और प्रदेशों के विधान मंडल अपने-अपने स्तर पर अपनी भाषा में काम करते हैं। इन सबका समन्वय करने या इनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि सभी विधायक निकायों के निर्णय आदि देश की राजभाषा में उपलब्ध हों। इसी प्रकार मुंसिफ़ कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। न्यायपालिकाओं को समन्वित करने के लिए आवश्यक है कि प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय याने उच्च न्यायालय और देश का सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्य देश की राजभाषा में करें। इसी तरह भारत सरकार के कार्यालय (डाक-तार विभाग, रेल, आयकर, आदि) पूरे देश में काम करते हैं। यहाँ भी आवश्यक है कि उनका काम देश की राजभाषा में हो जिससे संपर्क न टूटे। इस दृष्टि से राष्ट्र के तीनों अंगों में समन्वय स्थापित करने का या संपर्क कायम करने का दायित्व देश की राजभाषा पर है और यह इसका प्रमुख प्रकार्य है।

14.3.2 राष्ट्रभाषा हिंदी

संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि राजभाषा एक निश्चित संकल्पना है जबकि राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा का परिचय दिया नहीं जाता बल्कि यह प्रकार्य भाषा स्वयं ही अर्जित करती है। आदिकाल से इस देश में लोगों को एक सूत्र में बाँधने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत रही है। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में आदान-प्रदान के लिए, एक दूसरे प्रदेश में जाने वाले व्यक्तियों के परस्पर संपर्क के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता हमेशा बनी रही है। मध्यम काल तक संस्कृत भाषा ने इस प्रकार्य का निर्वाह किया था। देश के कोने-कोने में विद्वान संस्कृत भाषी साहित्य रचना करते रहे हैं, ज्ञान-विज्ञान पर ग्रंथ रचना करते रहे हैं। लेकिन संस्कृत भाषा के बोलचाल की भाषा न रहने के कारण बोलचाल के स्तर पर संपर्क के लिए किसी भाषा की आवश्यकता हमेंशा बनी रही है। कुछ हद तक इस आवश्यकता की पूर्ति में मध्य देश की भाषा ने योगदान किया और मुगलों के जमाने में व्यवहारिक रूप से हिंदी की ही एक शैली उर्दू भाषा ने इस प्रकार्य का निर्वाह किया। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अंग्रेज़ी भाषा राजकाज की भाषा बनी और शिक्षा की भी भाषा बनी। इस कारण लगभग पिछले 200 वर्षों से औपचारिक क्षेत्रों में संपर्क सूत्र के रूप में अंग्रेज़ी भाषा ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अंग्रेज़ी भाषा का व्यवहार केवल द्विक्षित, उच्च वर्ग तक ही सिमित रहा, अंग्रेज़ी कभी जन भाषा का रूप नहीं ले सकी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वभावतः हिंदी ने जन-संपर्क के प्रकार्य का निर्वाह किया है। एक प्रकार से यही भाषा पिछले 100 वर्षों से देश की जनता को जोड़ने वाली भाषा रही है। इसको हम संपर्क भाषा का प्रकार्य कहेंगे।

जब हम हिंदी को संपर्क भाषा कहते हैं तो संपर्क भाषा शब्द के कई अर्थ हैं। हमने ऊपर के भाग 14.3.1 में ज़िक्र किया कि राजभाषा भी देश के लिए संपर्क की कड़ी है। संपर्क का दूसरा तात्पर्य यह है कि लोग स्वभावतः परस्पर संपर्क के लिए इस भाषा का उपयोग करें। जैसे उड़ीसा से केरल या तमिलनाडु में जाने वाले व्यक्ति शिक्षित वर्ग के साथ भले ही अंग्रेज़ी से काम चलाएँ सामान्य जन-संपर्क के लिए उसे हिंदी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इस दृष्टि से हिंदी इस देश की संपर्क भाषा है। संपर्क का तीसरा तात्पर्य यह है कि ज्ञान-विज्ञान के आदान-प्रदान के लिए यह भाषा माध्यम बने। अगर कोई व्यक्ति देश के किसी अन्य भाग के बारे में जानकारी चाहे, ता उसे फ़िलहाल अंग्रेज़ी की पुस्तकों का उपयोग करना पड़ता है। अगर ज्ञान-विज्ञान का वाङ्मय हिंदी भाषा में उपलब्ध हो, तो व्यक्ति हिंदी के माध्यम से भी अन्य प्रदेशों का परिचय प्राप्त कर सकेगा। संपर्क के इस प्रकार्य को ही हम लोग यहाँ राष्ट्रभाषा कहना चाहेंगे। अर्थात् राष्ट्रभाषा की भूमिका में संपर्क के प्रकार्य को पूरा करने के लिए चाहिए कि हिंदी में देश की अन्य भाषाओं का समस्त साहित्य उपलब्ध हो। इस संदर्भ में संविधान की धारा 351 में भी निर्देश है कि इस देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। संपर्क का यह प्रकार्य हिंदी के राष्ट्रभाषा के दायित्व का परिचायक है।

उपर्युक्त तीनों प्रकार्यों के संदर्भ में हम तीन अलग शब्दों को देख सकते हैं। राष्ट्र के तीनों अंगों में संपर्क की भाषा राजभाषा है। लोगों के परस्पर आदान-प्रदान के स्वभाविक संपर्क सूत्र के रूप में हिंदी के प्रकार्य को हम प्रायः अखिल भारतीय हिंदी के नाम से स्पष्ट करते हैं। संपर्क का तीसरा प्रकार्य हिंदी को राष्ट्र भाषा की संज्ञा प्रदान करता है। इन तीन प्रकार्यों में पहला प्रकार्य सामूहिक संगठित प्रयत्न का है, दूसरा प्रकार्य स्वैच्छिक है, संस्थागत नहीं। फिर भी यह प्रकार्य तभी संभव है जब लोगों को हिंदी भाषा का परिचय मिले। इस दृष्टि से इसके लिए संगठित उपाय किये जा रहे हैं। शिक्षा में त्रिभाषा-सूत्र लागू किया गया है जिससे कि देश के सभी लोग हिंदी से परिचित हो सकें, स्वैच्छिक संस्थाएँ मनोयोग से हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रही है। आजकल रेडियो, दूरदर्शन आदि मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के परिचय और प्रसार के लिए अपने

ढंग से काम कर रहे हैं। तीसरा प्रकार्य अर्थात् राष्ट्रभाषा की भूमिका में हिंदी भी संस्थागत प्रयत्न नहीं है। हिंदी में वाङ्मय वृद्धि के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, फिर भी इस प्रकार के संदर्भ में सामूहिक प्रयत्न किये जा सकते हैं। साहित्य अकादमी, भारत सरकार की एक संस्था है जो अन्य भाषाओं में उपलब्ध अच्छी साहित्यिक कृतियों को हिंदी में ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराती है। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग हिंदी अकादमियों तथा प्रदेशों की हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ हिंदी में वाङ्मय विस्तार का कार्य कर रही हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जितना संगठित कार्य होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हो पाया है।

उपर्युक्त तीनों प्रकार्यो क संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि तीनों में हिंदी का रूप अलग होगा। राजभाषा के रूप में हिंदी का तकनीकी रूप होगा, संपर्क भाषा हिंदी में क्षेत्रीय भाषाओं का पुट होगा और वह बोलचाल की भाषा होगी, राष्ट्रभाषा हिंदी में अखिल भारतीय शब्दावली का प्रयोग होगा। सामान्य साहित्यिक प्रकार्यों में हिंदी का अपना साहित्यिक रूप निखरेगा। कई विद्वान मानते रहे हैं कि हिंदी के क्षेत्रीय और अखिल भारतीय रूप अलग होंगे। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये हिंदी के दो विभिन्न रूप होंगे। भाषा स्वभावतः विविधरूप होती है, प्रकार्य विस्तार के साथ भाषा में विविधता बढ़ेगी, प्रयोग विस्तार बढ़ेगा। ये सब रूप हिंदी की ही शैलियाँ होंगी। प्रयोग विस्तार और शैलीभेद भाषा विकास का सूचक है, कमजोरी नहीं।

14.4 विकास की दिशाएँ

जब हम प्रकार्यों को निश्चित कर लेते हैं तब हमें विकास की दिशा निश्चित करनी होती है। इन प्रयत्नों को समाज भाषाविज्ञान में भाषा विकास (लैंग्वेज डेवेलोपमेंट) कहते हैं। राजभाषा के रूप में भाषा को अमल में लाने के लिए हमें प्रशासनिक साहित्य की आवश्यकता होगी, उस साहित्य के निर्माण के लिए प्रशासनिक शब्दों की आवश्यकता होगी। जब साहित्य का निर्माण हो जाए, तो उसे इस्तेमाल में लाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। इस तरह विकास और कार्यान्वयन के कार्य को कई चरणों में पूरा करना होगा।

विकास की दिशा को हम निम्नलिखित प्रकार से एक आरेख के स्पष्ट कर सकते हैं:

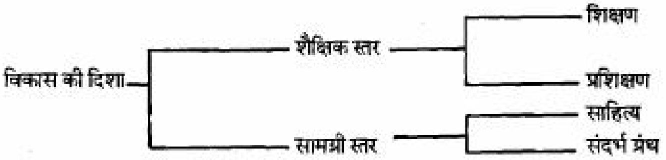

शिक्षण: शिक्षण का संबंध विकास की हर दिशा से जुड़ा है। हिंदी में स्कूल स्तर पर शिक्षित व्यक्ति आगे हिंदी में कार्य करने में दक्ष होंगे। ये व्यक्ति आगे सेवा परीक्षाओं में भी हिंदी के माध्यम से प्रवेश करना चाहेंगे। इस तरह शुरू के कार्य संपादन तक विविध स्तरों पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

साहित्य: विविध विषयों में हिंदी के माध्यम से शिक्षण के आयोजन के लिए आवश्यक है कि उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाए। यह निर्माण मौलिक लेखन से हो सकता है या अनुवाद द्वारा। मौलिक लेखन तभी संभव होगा, जब लोग भाषा के माध्यम से पढ़ाई करें और मौलिक चिंतन करें। अनुवाद के लिए योग्य अनुवादकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा। इस तरह विकास की कई दिशाएँ खुलती हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़ती हैं। साहित्य से हमारा दूसरा भी आशय है। प्रशासनिक साहित्य या विधिक साहित्य आदि कार्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त संदर्भ साहित्य हैं। अंग्रेज़ी राज की विरासत से हमें यह साहित्य अंग्रेज़ी में प्राप्त हुआ है। इनका फ़िलहाल हम हिंदी में अनुवाद कर उपयोग कर रहे हैं। जब हिंदी में ही कार्य होगा, तो हमें यह साहित्य मूल रूप में हिंदी में प्राप्त हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ: प्रकार्यों की भाषा के लिए आवश्यक है कि हम हिंदी में शब्दकोश, विविध विषयों की शब्द सूचियाँ आदि तैयार करें। इसकी पूर्व अपेक्षा यह है कि हम पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करें। हिंदी में ही नहीं, भारतीय भाषाओं में भी तेज़ी से संदर्भ ग्रंथों का निर्माण हो रहा है।

प्रशिक्षण: प्रशिक्षण का आयोजन विविध स्तरों पर होता है। कार्यालय में हिंदी में काम करने वाले लोगों का प्रशिक्षण इनमें प्रमुख है। साथ ही, विकास की अन्य दिशाओं से जुड़े व्यक्तियों, जैसे अनुवादक, प्रशिक्षक, पारिभाषिक शब्द निर्माण करने वाले विद्वान, ग्रंथ निर्माण करने वाले व्यक्ति आदि के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

भाषा के विकास के लिए ये सारे कार्यक्रम आवश्यक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सही दिशा में कार्य करें, तो भाषा के प्रकार्यों को पूरा करने में कठिनाई नहीं होगी।

14.5 विकास में समस्याएँ

किसी भाषा को अचानक कई प्रकार्यों का निर्वाह करना पड़े और विविध दिशाओं में विकास करना पड़े तो कई समस्याएँ

आएँगी। जैसे कार्यालय की भाषा के बारे में, जो अनुवाद की भाषा कहलाती है, यह आम धारणा है कि यह कठिन है या कृत्रिम है। इस उक्ति में कुछ सत्य तो है। कई अनुवादक शब्दकोशों से समान शब्द उठाकर रख देते हैं और भाषा की प्रकृति की तरफ़ ध्यान नहीं देते। जैसे — I got my salary को 'मैंने अपना वेतन पाया' कहेंगे तो अजीब लगेगा। सही अनुवाद है — मुझे वेतन मिला। सही पारिभाषिक शब्दों का निर्माण न होना, सही ढंग से अनुवाद न होना, आवश्यक साहित्य या संदर्भ ग्रंथ का उपलब्ध न होना आदि बाधक तत्व हैं। संक्रमण काल में ऐसी बाधा का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है।

विकास की दिशा में सही कदम उठाना भी शीघ्र विकास के लिए अनिवार्य है। उदाहरण के लिए अच्छे शब्दकोशों का निर्माण तभी संभव होगा, जब शब्दों की वर्तनी और अर्थ का मानकीकरण हो जाए। हिंदी भाषा में कंप्यूटरों के काम लेना तभी आसान होगा, जब सभी कंप्यूटरों का कुंजीपटल एक जैसा हो। ये दोनों प्रसंग काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि हिंदी भाषा के सामने विद्यमान वर्तमान समस्याएँ हैं। विकास की इन समस्याओं को हम निम्न प्रकार से एक आरेख द्वारा दिखा सकते हैं —

इस प्रकार से तीनों प्रक्रियाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यांत्रिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी तभी आधुनिकीकरण होगा, यांत्रिक सुविधाओं का निर्माण तभी होगा जब मानकीकरण हो जाएगा। हम इन तीन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से खंड 7 में अध्ययन करेंगे।

14.6 अन्य प्रमुख प्रकार्य

उपर्युक्त प्रकार्यों के अला किसी आधुनिक भाषा के सामने अन्य कई प्रकार्य भी होते हैं। हिंदी के संदर्भ में हम कुछ और प्रकार्यों की बात करेंगे।

i) हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है

कोई भाषा तभी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनती है, जब एक से अधिक देशों में उसका प्रयोग हो या उसके बोलने वाले बसते हों या कई देश उसका परस्पर संपर्क के लिए उपयोग करते हों। हिंदी भाषा संसार के कई देशों में बसे भारतीयों की सांस्कृतिक भाषा है। वे अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए भाषा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस प्रयत्न में वे सहायता के लिए भारत की ओर देखते हैं। अभी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोजनमूलक प्रकार्यों की भाषा नहीं है। भारत को चाहिए कि वह सबसे पहले विदेशों में बसे भारतीयों को (सांस्कृतिक भाषा के रूप में) हिंदी को अपनाने में पूरी सहायता दे।

ii) हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए अग्रणी* है

भारत की सारी भाषाएँ विकास का मार्ग तय कर रही है। इस मार्ग पर हिंदी भाषा उन्हें मार्ग निर्देश दे सकती है। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा में पारिभाषिक शब्द बने तो कई भाषाओं ने उस कार्य को अपने लिए आधार बनाया। साहित्य निर्माण, यांत्रिकीकरण आदि क्षेत्रों में हिंदी को चाहिए कि वह अन्य भाषाओं को अपने साथ लेकर चले। इससे भारत में भाषिक एकता पैदा होगी और हिंदी का महत्व बढ़ेगा।

iii) हिंदी देश की जनता का स्वर है

हिंदी भाषा का अपना साहित्य है और अब तक अधिकतर हिंदी क्षेत्र के ही विद्वान इस भाषा के माध्यम स साहित्य सृजन करते रहे हैं। अहिंदी भाषी लेखक एक ओर संख्या में कम हैं और दूसरी तरफ़ भाषा पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण उनका लेखन स्तर अपेक्षाकृत कम है। फिर भी तेलुगु के बाल कृष्ण राव, मराठी के प्रभाकर माचवे, पंजाबी के अज्ञेय, बंगला के प्रणव कुमार बंद्योपाध्याय आदि प्रख्यात विद्वानों ने हिंदी भाषा के साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वास्तविक अर्थ में हिंदी राष्ट्रभाषा तभी कहला सकेगी जबकि देश के सभी प्रांतों के लोग मूलतः हिंदी में लेखन करें और हिंदी के माध्यम से अपने-अपने प्रदेश के जन-जीवन का चित्रण प्रस्तुत करें। तब हिंदी साहित्य वास्तव में क्षेत्रीय साहित्य की सीमाओं से निकलकर पहले राष्ट्रीय और बाद में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का रूप धारण करेगा।

iv) हिंदी-निजी क्षेत्र में प्रयोगमूलक भाषा के रूप में

हमने अब तक ये उल्लेख किया है कि प्रयोगमूल प्रकार्यों के लिए हिंदी भाषा का विकास संस्थागत प्रयोग है। इसी तरह ये भी हमने उल्लेख किया है कि इन प्रकार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग और उपयोग की योजना तथा कार्यान्वयन संस्थागत

प्रयास है। अर्थात् प्रशासन को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वे किस ढंग के विविध स्तरों पर हिंदा भाषा के उपयोग को बढ़ावा देगा। लेकिन जहाँ तक निजी क्षेत्र का सवाल है हम कंपनियों और संगठनों को हिंदी के उपयोग के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर उन व्यापारिक, वाणिज्यिक संगठनों को अनुभव हो कि हिंदी के माध्यम से काम करने पर वे अपने काम को आसानी से संपन्न कर सकते है, तो वे स्वयं ही हिंदी का प्रयोग शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक यह स्थिति है कि वे संगठन अंग्रेज़ी में आंतरिक प्रशासन चलाने में सुविधा अनुभव करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि उन्हें अंग्रेज़ी में काम करने वाले प्रशिक्षित लोग अधिक मिलते हैं, उन्हें अंग्रेज़ी के माध्यम से काम करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और वे अंग्रेज़ी के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क में सुविधा अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से भले हम जल्दी अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी को निजी क्षेत्र में न ला सकें, कम से कम अधिकाधिक आंतरिक प्रशासन के लिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के रूप में हमें कदम उठाने चाहिए। अगर निजी क्षेत्र में हिंदी के माध्यम से काम को बढ़ावा मिलता है तो लोगों को सेवा अवसर मिलने चाहिए और इन अवसरों के कारण शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था दृढ़ होगी, काम करने वालों के लिए अधिकाधिक यांत्रिक सुविधाएँ जुटाई जा सकेंगी। इस तरह निजी क्षेत्र में भाषा के प्रवेश का सवाल भी एक प्रकार से कई स्तरों पर जुड़ा हुआ कार्य है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि निजी क्षेत्र देश की भाषाओं में काम नहीं करना चाहते। उन्हें जनता तक पहुँचने के लिए देश की भाषा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जनता के लिए आवश्यक विज्ञापन सामग्री आदि वे हिंदी में ही तैयार करते हैं। निजी क्षेत्र भाषा के प्रश्न पर कभी भावनात्मक स्तर पर विचार नहीं करता वह सुविधा, कम खर्च आदि बातों को पहले महत्व देता है। इसलिए हमें देश की भाषाओं का इस दृष्टि से विकास करना है कि निजी क्षेत्र को सामग्री उपलब्ध हो और देश की भाषाओं में काम करने में सुविधा लगे। इस संदर्भ में भी देश की अन्य भाषाओं को मार्गदर्शन हिंदी ही दे सकती है।

बोध प्रश्न

1) राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

2) हेलीडे के अनुसार सामान्य भाषा के 7 प्रकार्य क्या है, 10 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

3) निम्नलिखित 5 क्षेत्रों के संदर्भ में उल्लेख कीजिए कि कौन-सा सामान्य प्रकार्य है और कौन-सा प्रयोजनमूलक प्रकार्य है।
i) पत्रकारिता ii) साहित्य का रसास्वादन iii) शिक्षा का माध्यम iv) कानून v) किसी जन-सभा में कानून

4) भाषा नीति और भाषा नियोजन से क्या तात्पर्य है, कुल 5 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

5) हाँ, नहीं में उत्तर दीजिए।

i) हिंदी इस समय कुछ देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है।

ii) संसार की सभी भाषाओं में प्रयोजनमूलक प्रकार्य एक जैसे हैं।

iii) संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है।

iv) हिंदी के दो विशिष्ट रूप हैं, क्षेत्रीय हिंदी और प्रयोजनों की अखिलभारतीय हिंदी।

v) हिंदी में अभी निजी क्षेत्र में प्रयोजनमूलक प्रकार्यों का विकास नहीं हुआ है।

6) खाली स्थान भरिए:

i) हिंदी भाषा का प्रशासनिक प्रकार्यों के लिए विकास वर्ष .... से ही प्रारंभ हुआ।

ii) राष्ट्रभाषा भावात्मक स्तर पर सेतु है जबकि राजभाषा .... के धरातल पर सेतु है।

iii) भाषा विकास आम तौर पर .... प्रयत्नों से संभव होता है। (स्वैच्छिक/संस्थागत)

iv) हिंदी जब तक .... क्षेत्र में प्रयोजनमूलक प्रकार्यों में व्यवहार में नहीं आएगी तब तक सेवा के अवसर नहीं खुलेंगे। (सरकारी/निजी)

v) मानकीकरण भाषा के .... के लिए अनिवार्य है। (प्रयोग/विकास)

7) हिंदी देश को जोड़ने की कड़ी है, इस बात को पाँच पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

....

8) देश में हिंदी के विकास के लिए किये गये यत्नों के बारे में दस पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

14.7 सारांश

हर भाषा के अपने सामान्य प्रकार्य होते हैं, क्योंकि हर भाषा-भाषी समुदाय उस भाषा के माध्यम से अपने जीवन का समस्त कार्य संपन्न करता है। विचारों का आदान-प्रदान, व्यक्तित्व का विकास, ज्ञानार्जन आदि भाषा के प्रमुख प्रकार्य हैं जो सभी भाषा समुदायों में देखे जाते हैं।

आधुनिक जीवन में भाषाओं को अन्य कई विशेष प्रकार्यों का निर्वाह करना पड़ता है। कहीं उस भाषा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान का विस्तार किया जाता है, कहीं वह भाषा प्रशासन की भाषा बनती है, कहीं उस भाषा के माध्यम से देश को एक भाषिक सूत्र में जोड़ा जाता है। इन सब कार्यों को हम प्रयोजनमूलक प्रकार्य कहते हैं। सभी आधुनिक भाषाओं में किसी न किसी मात्रा में कई प्रयोजनमूलक प्रकार्य उपस्थित होते हैं।

आधुनिक प्रयोजनों के लिए भाषा के उपयोग के लिए उसकी नीति बनानी पड़ती है और नीति से संदर्भ में विकास के कार्यान्वयन के कार्यक्रम चलाने होते हैं। जैसे प्रशासन या विधि के क्षेत्र में भाषा के उपयोग के लिए आवश्यक है कि हम लोगों को प्रशिक्षित करें। इस प्रकार के लिए आवश्यक है कि हिंदी में तत्संबंधी साहित्य उपलब्ध हो। इस साहित्य की रचना के लिए आवश्यक है कि हमारे पास पारिभाषिक शब्द हों। इस तरह विकास की विविध दिशाएँ खुलती हैं और विकास के सारे कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़ते हैं। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना व्यक्तिगत प्रयास नहीं हो सकता, जैसे सामान्य भाषा के संदर्भ में होता है। यह काम संस्थागत होता है और सुनियोजित ढंग से चलाया जाता है। हिंदी देश की राजभाषा है, इसलिए उसे इस दिशा में पहले कदम रखना है और अन्य भाषाओं को इन अनुभव के आधार पर मार्ग दिखाना

है। यह प्रकार्य हिंदी भाषा को अन्य भाषाओं के सहयोग से आगे बढ़ने का अवसर देता है और देश में भाषिक एकता स्थापित करने में सहायता करता है। देश की राजभाषा शिक्षा की भाषा आदि के संदर्भ में हिंदी के विकास के कार्यक्रम ज्यादातर संस्थागत होते हैं और सामूहिक प्रयत्न से संपन्न होते है। लेकिन हिंदी के सामने राष्ट्र की प्रमुख भाषा होने के कारण राष्ट्र को भावात्मक स्तर पर जोड़ने का भी एक प्रकार्य है।

इस प्रकार्य के संदर्भ में जो विविध प्रयास किए जा रहे हैं ये सिर्फ़ सरकारी नहीं हैं बल्कि स्वैच्छिक स्तर पर कई संस्थाएँ, संगठन, व्यक्ति आदि इस संदर्भ में पहल कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी संस्थागत प्रयत्न किये जा सकते हैं जैसे साहित्य अकादमी, प्रकाशन विभाग आदि हिंदी के माध्यम से देश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रकार्य राष्ट्रभाषा की भूमिका को जन्म देता है जिसे हिंदी अपने प्रयत्नों से अर्जित करेगी और राष्ट्र की प्रमुख भाषा के रूप मे उभरेगी।

प्रकार्यों के संदर्भ में कई मुद्दे है जिनमें प्रमुख है कि हिंदी अभी तक निजी क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार के लिए माध्यम भाषा नहीं बन सकी है। इसकी जन-प्रियता के कारण यह विज्ञापन आदि क्षेत्रों में उपयोग में लाई जा रही है लेकिन वाणिज्य - व्यापार के क्षेत्र में आंतरिक प्रशासन में अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कारण सेवा के अवसर नहीं होते और भाषा का महत्व घटता है। इस संदर्भ में परिवर्तन तभी होगा जब राष्ट्र के लोग निजी क्षेत्र में भी इस भाषा के महत्व को पहचानेंगे और अनिवार्यता समझेंगे।

14.8 शब्दावली

स्तरीकरण : समाज को स्त्री-पुरुष, वयस्क-बाल, अधिकारी-कर्मचारी आदि वर्गों या स्तरों में संचित करना।

यांत्रिकीकरण : टंकण यंत्र, कंप्यूटर आदि यांत्रिक साधनों का विकास।

अग्रणी : रास्ता दिखाने वाली।

14.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

राजभाषा हिन्दी : कैलाश चन्द्र भाटिया, वाणी प्रकाशन, 1990 दिल्ली।

14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) राजभाषा — प्रशासन, विधि और संसद में — देश को भाषा के रूप में जोड़ने की कड़ी।

   संपर्क भाषा - बहुभाषी समाज में संपर्क सूत्र

   राष्ट्रभाषा - बहुभाषी समाज में ज्ञान का भंडार और भाषा के बीच सेतु — सामाजिक संस्कृत की अभिव्यक्ति — राष्ट्र का स्वर

2) इसके लिए आप 14.2 देख सकते है। प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है सामाजीकरण का साधन, व्यक्तित्व का विकास और ज्ञानार्जन।

3) i) प्रयोजनमूलक
   ii) सामान्य
   iii) प्रयोजनमूलक
   iv) प्रयोजनमूलक
   v) सामान्य

4) भाषा नीति बहुभाषी समाज में भाषाओं के प्रयोजनों के संदर्भ में दिशा सूचित करती है। भाषा नियोजन उस दिशा में कार्यान्वयन की योजना है। इस बात को उदाहरण से भी पुष्ट करें।

5) i) नहीं
   ii) नहीं
   iii) हाँ

iv) नहीं
v) हाँ

6) i) 1950
ii) व्यवहार
iii) संस्थागत
iv) निजी
v) विकास

7) संघ में राजभाषा संपर्क के लिए प्रचार-प्रसार और राष्ट्रभाषा के रूप में वाङमय विस्तार की चर्चा करें। साथ में हिंदी अन्य भाषाओं के लिए अग्रणी है, इसकी भी चर्चा करें।

8) राजभाषा प्रचार-प्रसार, प्रकाशन, प्रशिक्षण शब्दावली, अनुवाद, शिक्षा और यांत्रिकीकरण में की गई प्रगति का उल्लेख कीजिए।

इकाई 15 हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य
15.1 प्रस्तावना
15.2 प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य
15.3 प्रयुक्ति की संकल्पना
15.4 प्रयुक्ति का आधार
 15.4.1 विषय क्षेत्र
 15.4.2 संप्रेषण का तरीका
 15.4.3 वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति
 15.4.4 भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति
15.5 हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजनमूलक हिंदी
15.6 प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों?
15.7 प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप
 15.7.1 वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी
 15.7.2 वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी
 15.7.3 कार्यालयी हिंदी
 15.7.4 विधि के क्षेत्र में हिंदी
 15.7.5 सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी
 15.7.6 संचार माध्यमों में हिंदी
 15.7.7 विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी
15.8 प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर
15.9 प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर
15.10 सारांश
15.11 शब्दावली
15.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें
15.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बता सकेंगे कि:

- प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है
- प्रयुक्ति क्या है और यह किस आधार पर निर्मित होती है
- हिंदी की प्रयुक्तियाँ कौन-सी हैं
- हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप कौन से हैं और वे हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों के किस प्रकार भिन्न हैं।

15.1 प्रस्तावना

हिंदी भाषा के इतिहास और वर्तमान संबंधी इस पाठ्यक्रम में आप हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकासक्रम तथा इसकी वर्तमान स्थिति, स्वरूप और प्रकार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले खंड में आप भारतीय भाषाओं से हिंदी भाषा के सह-संबंध और हिंदी के विविध रूपों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत खंड हिंदी के विविध प्रकार्यों से संबंधित है। इकाई 15 में आप इन प्रकार्यों के बारे में संक्षेप में पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत इकाई 16 में आप हिंदी के प्रयोजनपरक प्रकार्य के बारे में पढ़ेंगे।

आपके मन में सवाल उठ सकता है कि प्रयोजनपरक या प्रयोजनमूलक भाषा से क्या तात्पर्य है। आपके इस सवाल का जवाब हम इस इकाई में देंगे। इसके साथ ही, यह भी बताएँगे कि प्रयोजनमूलक भाषा की जरूरत क्यों होती है, उसके प्रयोजन कौन-कौन से होते हैं, यह प्रयोजनपरकता किन आधारों पर निर्धारित होती है तथा एक प्रयोजन दूसरे प्रयोजन से किस प्रकार भिन्न होता है। इस तरह की जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हुए हम प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप और उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

15.2 प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य

"प्रयोजन" शब्द से तात्पर्य है कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य। अतः प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा होगी जो किसी उद्देश्य विशेष से संबंधित हो। यों तो भाषा का प्रयोजन सदैव ही विचारों की अभिव्यक्ति होता है, चाहे वह अभिव्यक्ति मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में। लेकिन जब हम "प्रयोजनमूलक भाषा" कहते हैं तो तात्पर्य किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा होता है। प्रश्न उठता है कि वह प्रयोजन क्या है? उत्तर होगा जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों से संबंधित प्रयोजन। आप जानते हैं कि दैनंदिन* जीवन में हमारी विभिन्न भूमिकाएँ होती हैं, जैसे पारिवारिक जीवन की भूमिका, व्यावसायिक जीवन की भूमिका। हमारा भाषा-व्यवहार इस भूमिका के आधार पर निर्धारित होता है। अपने माता-पिता के रूप में या संतान के रूप में या फिर पति-पत्नी के रूप में जो हमारा भाषा-व्यवहार होता है वह व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे भाषा-व्यवहार से भिन्न होता है यानी जिस तरह की भाषा में हम अपने माता-पिता से बात करते हैं, उस तरह की भाषा में अपने अध्यापक से अथवा सहयोगी-कर्मचारी से बातचीत नहीं करते। पहले व्यवहार में अनौपचारिकता होती है, जबकि दूसरे व्यवहार में औपचारिकता। इसके अलावा, आपने यह भी गौर किया होगा कि जब हम डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं या बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं या फिर राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ हम जो बातचीत करते हैं उसकी भाषा में और अपने मित्र अथवा परिवारजनों से मिलकर जो बातचीत करते हैं उस भाषा में काफ़ी अंतर होता है। चिकित्सालय, बैंक अथवा राशन कार्ड कार्यालय या ऐसे ही किसी अन्य कार्यालय में जिन लोगों से हमारा संपर्क होता है, उनकी बातचीत में औपचारिकता के अलावा भी कोई खास बात होती है और वह खास बात होती है, उनकी विशिष्ट शब्दावली। उस स्थान अथवा कार्यालय विशेष में कार्यरत सभी लोग जिस शब्दावली का व्यवहार करते हैं, वह उसके बाहर आम जीवन में अक्सर प्रयुक्त नहीं होती। इस तरह, किसी व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र के लोगों द्वारा उस व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, पत्रकार, व्यापारी आदि के कार्य क्षेत्रों से संबंधित भाषा के विशिष्ट स्वरूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है क्योंकि यह उनके व्यवसाय अथवा कार्यों के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होती है।

अतः यह नहीं समझना चाहिए कि किसी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप उस भाषा के मूल रूप यानी शब्द-संरचना, पदावली अथवा अन्य व्याकरणिक रूपों से भिन्न होता है, बल्कि भाषा के इस व्यापक रूप के भीतर ही विद्यमान रहता है और उसके विविध क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर निर्मित होता है। जैसे कानून और न्याय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा रूप विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा रूप के अलग-होगी। इस तरह जब हम प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करेंगे तो मूल भाषा होगी हिंदी और विविध प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त उसके रूप प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आएँगे। हम प्रयोजनमूलक अंग्रेज़ी या बंगला या जापानी की बात करेंगे, तब भी यही बात लागू होगी।

जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यवहार में लाए जाने वाले भाषा रूप से कारण प्रयोजनमूलक भाषा को व्यावहारिक भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में यह functional language कहलाती है। अतः ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोजनमूलक हिंदी अथवा व्यावहारिक हिंदी एक-दूसरे का पर्याय हैं।

हिंदी के संदर्भ में व्यावहारिक अथवा प्रयोजनमूलक विशेषण का प्रयोग अपेक्षाकृत नया है। इसका ऐतिहासिक कारण है और वह कारण यह है कि इसका विविध प्रयोजनों के लिए सामान्य प्रयोग अपेक्षाकृत नई घटना है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ या साहित्यपरक और बोलचाल का रूप जितना पुराना है, उतना अन्य प्रयोजनपरक रूप नहीं है। हालाँकि अंतर्देशीय* वाणिज्य और व्यापार की भाषा के रूप में हिंदी बहुत समय से देश की संपर्क भाषा बनी हुई थी, लेकिन आधुनिक काल में आकर उसने कई नए दायित्वों का वहन किया है। उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संपर्क, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत के साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में उसके प्रयोग, भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संघ की राजभाषा के रूप में उसकी स्वीकृति, देश में औद्योगिक विकास आदि कारणों से हिंदी भाषा को नए दायित्वों से गुज़रना पड़ा और उनके विभिन्न प्रयोजनमूलक क्षेत्र विकसित हुए और हो रहे हैं।

जैसे-जैसे नए-नए क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे भाषा में उन क्षेत्रों के अनुरूप प्रयुक्तियाँ विकसित होती है। इन प्रयुक्तियों से ही भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप निर्धारित होता है।

आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि "प्रयुक्ति" क्या है? उसकी चर्चा हम आगे करेंगे

बोध प्रश्न 1

i) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

क) जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को .... कहते हैं।

ख) जीवन में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के आधार पर हमारा .... व्यवहार निर्धारित होता है।

ग) प्रयोजनमूलक हिंदी और .... एक दूसरे की प्रर्याय है।

ii) "हाँ" या "नहीं" पर (√) निशान लगाकर उत्तर दीजिए:

क) हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप भी उतना ही पुराना है, जितना उसका साहित्यिक रूप। हाँ/नहीं

ख) किसी भाषा का प्रयोजनमूलक रूप उसके मूल रूप — शब्द संरचना व्याकरण आदि — से भिन्न होती है। हाँ/नहीं

ग) जैसे-जैसे भाषा नए-नए कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होती जाती है, वैसे-वैसे उसकी नई-नई प्रयुक्तियाँ विकसित होती जाती हैं। हाँ/नहीं

15.3 प्रयुक्ति की संकल्पना

"प्रयुक्ति" शब्द "प्रयुक्त" से बना है। प्रयुक्त का अर्थ है बार-बार प्रयोग में लाया हुआ यानी लगातार प्रयोग किया जाने वाला। भाषा का जो रूप जिस क्षेत्र में लगातार प्रयुक्त होता है, उसे क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। हिंदी में वस्तुतः यह शब्द अंग्रेजी के "Register" शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की भाषा की अपनी विशिष्टताओं को देखते हुए भाषाविदों ने "रजिस्टर" यानी प्रयुक्ति की संकल्पना* निर्धारित की है। सामाजिक स्तर भेद के कारण भाषा में जो अंतर आता है, वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारण करता है जैसे व्यापारियों का भाषा और कचहरी की भाषा का अपना-अपना अलग मुहावरा और शब्दावली होती है। इस तरह विविध स्थितियों और विषय क्षेत्रों में भाषा व्यवहार की एक निश्चित पद्धति बन जाती है, जो उस क्षेत्र विशेष के समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत होती है। प्रयोजनमूलक भाषा के विविध रूप इन प्रयुक्तियों पर निर्धारित होते हैं। सामाजिक स्तर की भूमिका के भेद का कारण भाषा का अंतर यद्यपि काफ़ी छोटे या सीमित स्तर पर में देखा जाता है जैसे बच्चों की भाषा या स्त्रियों की भाषा या पुरुषों की भाषा, नौकरीपेशा लोगों की भाषा, श्रमिकों की भाषा, मिल-मालिकों की भाषा आदि। लेकिन यह भेद प्रयुक्ति का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयुक्ति का संबंध एक स्तर पर व्यवसाय अथवा आजीविका का विशेष से भी होता है और उस व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों की भाषागत समानता के आधार पर प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक हिंदी को लें तो प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक और उसके तकनीकी सहायक से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तक, लेखक, अध्यापक, विद्यार्थी तक विभिन्न स्तरों के व्यक्ति उस क्षेत्र की भाषा से परिचित होंगे।

15.4 प्रयुक्ति का आधार

हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रयोग की विशेषताओं के आधार पर किसी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्तियाँ अथवा "रजिस्टर" बन जाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या एक प्रयुक्ति दूसरी से सर्वथा भिन्न होती है तथा इन प्रयुक्तियों को किस आधार पर निश्चित अथवा निर्धारित किया जाता है। प्रयुक्ति चूँकि भाषा के भीतर ही विशिष्ट भाषा रूप होता है, अतः उस भाषा की व्यापक विशेषताएँ तो उसमें होती ही है। यानी विभिन्न प्रयुक्तियों की शब्दावली मिलकर उस भाषा की शब्दावली बनती है तथा भाषा की संरचना और उसका सामान्य मुहावरा प्रयुक्तियों में मौजूद रहता है। इसलिए एक प्रयुक्ति का दूसरी प्रयुक्ति में अंतःप्रवेश बराबर होता रहता है। उदाहरण के लिए, हमें साहित्यिक लेखन में विज्ञान, दर्शन अथवा गणित की शब्दावली का समावेश आम तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद शब्दावली प्रयुक्ति का महत्वपूर्ण आधार होती है। प्रयुक्ति के निर्धारण में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह निर्वाह दो प्रकार से होता है :

1) क्षेत्र विशेष की विशिष्ट शब्दावली होती है जैसे ऑक्सीज़न, हाइड्रोज़न आदि विज्ञान के शब्द हैं।

2) शब्दों के अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हैं जैसे "पद" शब्द कविता में छंद विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, आम बोलचाल में इसका अर्थ पैर से है, व्याकरण में इसका अर्थ अभिव्यक्ति से संबंधित है और प्रशासनिक क्षेत्र में इसका अर्थ ओहदे से है।

शब्दावली के अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण आधार हैं जिनसे प्रयुक्ति को पहचाना या निर्धारित किया जा सकता है। इनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं :

15.4.1 विषय क्षेत्र

भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाए वह विषय विशेष या संदर्भ विशेष भाषा के स्वरूप को निर्धारित करता है उस क्षेत्र विशेष की शब्दावली और वाक्य संरचना अपने ढंग की होती है, जो अपने क्षेत्र विशेष में काफी सार्थक और परिपाटीबद्ध होती है जैसे कचहरी (न्यायालय) की भाषा को ही लें। कचहरियों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में अधिकतर उर्दू शब्दों को बहुलता होती है और वाक्य विन्यास भी अपने ढंग का होता है, भाषा औपचारिक होने के साथ ही अर्थ की

एक निश्चितता होती है। उदाहरण के लिए "बनाम" शब्द सुनते ही हमें दो ऐसे पक्षों का ध्यान आ जाएगा जिनके बीच कोई मुकदमा चल रहा हो लेकिन "बनाम" के स्थान पर कोई अन्य शब्द नहीं रखा जा सकेगा। यानी "रामसिंह बनाम केसरी सिंह" शब्दों के विवादाधीन मामले की जो ध्वनि निकली है, वह "रामसिंह और केसरी सिंह के बीच" कहने से नहीं निकलेगी। इसी भाँति, न्यायालय में जब वादी या प्रतिवादी पक्ष को प्रस्तुत होने के लिए आदेश दिया जाता है तो कहा जाता है:" ········ हाज़िर हों": लेकिन कोई सार्वजनिक सभा चल रही हो तब मंच पर किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो "······· हाज़िर हों" न कहकर कहा जाएगा, " ······ मंच पर आएँ" या "आने का कष्ट करें"।

15.4.2 संप्रेषण का तरीका

संप्रेषण का तरीका भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित करने का महत्वपूर्ण घटक होता है। मौखिक और लिखित संप्रेषण के अनुसार हमारी शब्दावली, लहजे, वाक्य विन्यास आदि में बड़ा परिवर्तन आता है। लिखित रूप में औपचारिकता और सतर्कता, दोनों ही बढ़ जाते हैं।

15.4.3 वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति

संप्रेक्षण लिखित हो अथवा मौखिक, इस बात का बहुत असर पड़ता है कि कौन किससे किस समय बात कर रहा है जैसे आयुर्विज्ञान संस्थान का एक डॉक्टर मरीज़ की नाजुक हालत और उसके उपचार के संबंध में अपने सहयोगियों से राय-मशविरा कर रहा हो तब और अपने अनुसंधान आलेख को विद्वान मंडली में पढ़ रहा हो तब उसकी भाषा के वाक्य-विन्यास, लहजे आदि में काफ़ी अंतर होता है। वही डॉक्टर जब उस बात को आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के छात्रों को समझा रहा हो तो फिर एक ख़ास तरह का अंतर दिखाई देता है।

15.4.4 भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति

ऊपर जिस डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है, वही जब अपने डॉक्टर मित्रों से चाय पार्टी में बात कर रहा हो तब उसका भाषा व्यवहार ऑपरेशन की मेज पर उन्हीं डॉक्टर मित्रों के भाषा व्यवहार से भिन्न होगा। कहने का आशय यह है कि पहली स्थिति में वह अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करेगा, जबकि दूसरी स्थिति में वह पूरी तरह औपचारिक और सचेत होगा। दूसरी स्थिति में उसकी भाषा चिकित्सा विज्ञान की प्रयुक्ति के भीतर आएगी, जबकि पहली स्थिति में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है।

उपर्युक्त आधारों को हम प्रयुक्ति के निर्धारण में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि ये चारों आधार हर प्रयुक्ति के संबंध में बराबर मात्रा मे लागू हों। ये आधार वस्तुतः मोटे तौर पर निर्धारित किए गए हैं और दो प्रयुक्तियों के बीच अंतर में कभी किसी एक या दो आधारों पर बल रहता है तो कभी अन्य आधारों पर।

सामान्य या समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर किसी भाषा की निम्नलिखित प्रयुक्तियाँ हो सकती हैं :

सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति

- साहित्यिक प्रयुक्ति
- वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति
- प्रशासनिक प्रयुक्ति
- विधिक प्रयुक्ति
- वैज्ञानिक प्रयुक्ति
- मीडिया अथवा पत्रकारिता (संचार माध्यमों) से संबंधित प्रयुक्ति
- विज्ञापनी प्रयुक्ति

इन प्रयुक्तियों के अलावा भी और तरह की प्रयुक्तियाँ आवश्यकतानुसार विकसित हो सकती हैं।

15.5 हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजनमूलक हिंदी

ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि भाषा की मौजूदा प्रयुक्तियाँ अथवा रजिस्टर वर्तमान जीवन संदर्भों को दृष्टि में रखकर निर्धारित हुए हैं। यदि किसी समाज का विकास अन्य किन्हीं क्षेत्रों में होगा तो उसमें संबंधित भाषा की नई प्रयुक्तियों का विकास होगा। हम पहले कह चुके हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का तेज़ी से विकास आधुनिक युग में आकर हुआ है। इसका कारण बदलती हुई जीवन स्थितियों में भाषा को नए दायित्वों से होकर गुज़रना पड़ा है और उसने नई **अर्थच्छवियाँ*** और नए रूप विकसित किए हैं। आधुनिक काल से पूर्व हमारी सामाजिक व्यवस्था कृषि एवं शिल्प पर आधारित व्यवस्था है। अतः कृषि, हस्तशिल्प, और व्यापार संबंधी प्रयुक्तियाँ हमारी बोलियों में मौजूद थीं। आधुनिक औद्योगीकरण और वैज्ञानिक विकास के साथ हिंदी भाषा नई प्रयुक्तियों मे ढली है और ढल रही है। इस तरह समाज का विकास जिन-जिन क्षेत्रों में जाएगा

और जिन-जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग हम करते रहेंगे उन-उन क्षेत्रों से संबंधित प्रयुक्तियाँ इस भाषा में विकसित होती रहेंगी।

हिंदी भाषा की प्रमुख वर्तमान प्रयुक्तियाँ निम्नलिखित हैं :

1) सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी
2) साहित्यिक हिंदी
3) वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी
4) वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी
5) कार्यालयी हिंदी
6) विधि के क्षेत्र में हिंदी
7) सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी
8) संचार माध्यमों में हिंदी
9) विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी।

इन नौ प्रयुक्तियों में से पहली दो को छोड़कर शेष सात प्रयुक्तियों का संबंध प्रयोजनमूलक हिंदी से है। पहली प्रयुक्ति यानी सामान्य बोलचाल की भाषा अनौपचारिक होती है। साथ ही, इसमें बड़ी व्यापक छूट होती है, जरूरत पड़ने पर किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति का समावेश इसमें किया जा सकता है। दूसरी यानी साहित्यिक भाषा में भी इस तरह की छूट होती है। साथ ही, साहित्य के अपने बंधनों और अनुशासनों को भी अवसरानुकूल अपनाया जा सकता है। अन्य सभी प्रयुक्तियाँ व्यवसाय विशेष अथवा ज्ञान विशेष से संबंधित हैं। उनसे परिचय के लिए सम्बद्ध विषय के ज्ञान का अध्ययन तथा व्यवसाय में सक्रिय होने की ज़रूरत होती है।

15.6 प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों ?

आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी को जानने की जरूरत क्या है। जब हम हिंदी भाषा को पढ़ना-लिखना जानते हैं, उसमें रचित साहित्य रुचि से पढ़ते हैं तो फिर हमारा भाषा ज्ञान पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में प्रयोजनमूलक हिंदी हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है? हाँ, यह सही है कि किसी भाषा को लिखना-बोलना जानने पर आप उसके जानकार कहे जा सकते हैं, और उसका साहित्य पढ़कर आप उस भाषा की विविध भाव-भंगिमाओं से परिचित भी हो सकते हैं। किंतु साहित्य भाषा का एक पक्ष होता है। उसमें उस भाषा को बोलने वालों के जीवनानुभव, आशाएँ और आकांक्षाएँ निहित होती हैं। पर यह उनके जीवन का एक पक्ष होता है। उनके जीवन का दूसरा पक्ष होता है उनका सामाजिक व्यवहार, उनके सामाजिक कार्यकलाप और इस व्यवहार और कार्यकलापों का माध्यम प्रयोजनमूलक भाषा होती है। इसलिए भाषा का प्रयोजनमूलक पक्ष भी उसके साहित्यिक पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। बी.ए. के विद्यार्थी के रूप में आप हिंदी, अंग्रेज़ी या कोई अन्य भाषा पढ़ते हैं। भाषा के पर्चों में पूछे गए व्याकरण संबंधी या साहित्य संबंधी सवालों के सही उत्तर देना आपके लिए जरूरी है। लेकिन आपकी भाषा की ज़रूरत यहीं खत्म नहीं हो जाती। इतिहास, राजनीतिक, विज्ञान, वाणिज्य, विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र के प्रश्नपत्रों में पूछे गए सवालों का उत्तर देने के लिए भी आपको एक माध्यम भाषा की जरूरत पड़ती है। यह माध्यम भाषा — चाहे वह अंग्रेज़ी हो या हिंदी — आपको इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है, उसे समझ सकें और परीक्षा में सही ढंग से उत्तर लिख सकें। यानि यदि आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो आपको जानना होगा कि प्राप्त होने वाली और अदा की जाने वाली धनराशियों के हिसाब-किताब को "लेखाकरण" कहा जाता है। इसी तरह, जिस चैक को बैंक भुगतान करने के इन्कार करता है उसे "अस्वीकृत चैक" कहा जाता है। आप यदि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो भी यदि आपके सामने दो शब्द हैं 'राष्ट्रीयता' और 'राष्ट्रवाद'। ये दोनों ही शब्द 'राष्ट्र' शब्द से बने हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर आपको पता होगा, तभी आप विषय को भली-भाँति समझ सकेंगे।

एक और उदाहरण लें। यदि आपको क्रिकेट मैच का आँखों देखा हाल सुनाने का कार्य सौंपा जाता है तो जैसे ही आप इस ज़िम्मेदारी को सँभालेंगे तो तुरंत ही आपको जरूरत होगी कि क्रिकेट खेल की तकनीकी शब्दावली और इस विषय की बातचीत का मुहावरा आपको पता हो। इस तरह जो भाषा आपकी माध्यम भाषा है उसमें विषय-विशेष की शब्दावली और बातचीत कहने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यह जानकारी भी भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप की जानकारी है। इस तरह प्रयोजनमूलक भाषा की जरूरत हम सबको जीवन के सभी क्षेत्रों में पड़ती है।

बोध प्रश्न 2

1) प्रयुक्ति क्या होती है? यह किस प्रकार बनती है? लगभग सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

2) प्रयुक्ति के चार आधार कौन से हैं?

....

....

....

....

3) हिंदी भाषा की प्रयुक्तियाँ कौन-सी हैं?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

4) प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की ज़रूरत क्यों है? पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

15.7 प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप

हिंदी की प्रयुक्तियों की चर्चा के दौरान हम बता चुके हैं कि हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप उसकी सात प्रयुक्तियों पर आधारित हैं। इनकी विस्तृत चर्चा हम यहाँ करेंगे।

15.7.1 वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी

वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र जीवन का बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इसका संबंध समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों से होता है। दूसरी ओर, इसका विस्तार किसी भाषा-भाषी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित न होकर अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। हिंदी काफ़ी समय से देश की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है और इस संपर्क की सर्वाधिक जरूरत व्यापार के क्षेत्र में रही है। इसलिए इस क्षेत्र की शब्दावली और बात कहने का ढंग काफ़ी हद तक परंपरागत है। साथ ही औद्योगिक प्रगति के युग में अंतराष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा अंग्रेज़ी होने के कारण आज

इस क्षेत्र में हिंदी में भी अंग्रेज़ी शब्दावली का भरपूर समावेश हुआ है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए:

> *"लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेखा बहियों में रिकार्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन-देन के बिल बीजक, रसीद, कैश मैमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए।"*

यहाँ 'बहियाँ, लेन-देन', 'बीजक' आदि परंपरागत हिसाब-किताब की शब्दावली के साथ ही 'रिकार्ड', 'बिल', 'कैश मैमो' जैसे अंग्रेज़ी से लिए गए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। लेकिन जब हम अखबार का बाजार से संबंधित कालम पढ़ते हैं तो उनमें व्यापार की खास परंपरागत भाषा शैली भी दिखाई देती है उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए:

चाँदी टूटी, गिन्नी उछली

> दिल्ली, १९ मार्च (एनएनएस)। मुनाफा वसूली की बिकवाली से चाँदी ३० रुपए टूट गई। सोना भी ढीला रहा। लेकिन असली गिन्नी उछलती सुनी गई।
>
> आज लगभग २५ से ३० सिल्ली चांदी की आवक हो और स्टाकिस्टों और सटोरियों की मुनाफावसूली की बिकवाली से चाँदी ९९९ टंच ६६०५ से गिरकर ६५७५ रुपए प्रति किलो रह गई। सिक्के में आवक और स्टाक स्थिति जटिल होने से भाव टिके रहे।

यहाँ "बिकवाली", "उछलत", "सटोरियों", "आवक" आदि व्यापार के क्षेत्र के पारंपरिक शब्द है।

15.7.2 वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और चिंतन की परंपरा प्राचीन काल में तो काफ़ी विकसित थी, किंतु मध्यकाल में इससे कोई नया विकास नहीं हुआ। फलतः संस्कृत भाषा में तो विज्ञान संबंधी लेखन हुआ था, किंतु हिंदी में इसकी वैसी परंपरागत नहीं रही। आधुनिक युग में आकर पश्चिम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की परिचय के बाद हिंदी में वैज्ञानिक लेखन शुरू हुआ। परिणामस्वरूप हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली को ग्रहण किया गया है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि ऐसे ही शब्द हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए:

i) *रसायनशास्त्र का एक मूलभूत नियम कहता है किसी, 'रासायिक पदार्थ की, उसके शुद्ध रूप में रासायनिक संरचना सदैव एक ही रहती है।' उदाहरण के लिए, पानी सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है जो 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं। पानी का अणु बनाने के लिए भार के अनुसार एक भाग हाइड्रोजन और आठ भाग ऑक्सीजन संयुक्त होते हैं। यह 'स्थिर रासायनिक संरचना का नियम' कहलाता है।*

ii) *ऊष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बहती। यह उष्मा की गति का दूसरा नियम है।*

यहाँ आपने शब्दावली की इस विशेषता के अतिरिक्त एक और बात पर गौर किया होगा कि भाषा में अर्थ की एक खास तरह की सुनिश्चतता है जैसे "संयुक्त" शब्द यहाँ मिलने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विज्ञान में वह केवल इसी अर्थ में प्रयुक्त होगा। इससे भिन्न प्रयोग आप प्रशासनिक क्षेत्र में देखेंगे, जहाँ "संयुक्त निदेशक" या "संयुक्त सचिव" जैसे प्रयोग मिलेंगे। इसी तरह यहाँ उष्मा का बहना आम बोलचाल में जल के बहने या किसी अन्य तरल पदार्थ के बहने की तुलना में विशिष्ट और सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

15.7.3 कार्यालयी हिंदी

कार्यालयी हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से है। प्रशासन का क्षेत्र चूँकि सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित है, अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। हिंदी का यह रूप वस्तुतः आज़ादी के बाद ही विकसित हुआ है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज़ी को राजभाषा बनाया था। इससे पहले मुगलों की शासन व्यवस्था के दौरान फ़ारसी राजभाषा थी। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत तब हुई, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि स्वाधीन देश की राजभाषा उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए। परिणामस्वरूप हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। इस तरह, हिंदी भाषा को जो नए दायित्व सौंपे गए उसके अनुरूप शब्दावली तथा भाषायी मुहावरे का विकास उसमें किया गया।

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद सरकारी कार्यालयों में कामकाज की पद्धति वही अपनायी गई थी, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान थी, अतः इस कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए अनुवाद की व्यापक मात्रा में जरूरत हुई। संपूर्ण कार्यविधि

साहित्य अंग्रेज़ी में था। अब जब कार्य हिंदी में होने की बात शुरु हुई तो उस कार्यविधि साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत किया जाना ज़रूरी था। इस तरह कार्यालयी हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्यालयी हिंदी के स्वरूप को देखने पर हम पाते हैं कि इसमें सरलता, स्पष्टता और सुबोधगम्यता होना नितांत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि यह भाषा उन लोगों की समझ में आनी ज़रूरी होती है जिनके लिए प्रशासन किया जा रहा है और ये लोग हैं आम जनता।

कार्यालय की भाषा औपचारिक भाषा होती है। यों तो विज्ञान की भाषा भी औपचारिक होती है, लेकिन कार्यालयी भाषा की औपचारिकता अधिकारी तंत्र के पदानुक्रम पर भी आधारित होती है। अपने से उच्चतर अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी से एक खास तरह की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। इसके साथ ही पारिभाषिक शब्दावली का सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित पत्र को पढ़िए:

सं० ....

भारत सरकार

मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक................

सेवा में

अवर सचिव

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली

विषय..................

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपके पत्र सं................... दिनांक .... की पावती भेजने तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मामला अभी विचाराधीन है। आवश्यक निर्णय ले लिए जाने पर आपको शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।

भवदीय

(के मुतप्पन)

सहायक नियंत्रक, आयात तथा निर्यात

कार्यालय का नाम, पत्र संख्या आदि लिखकर तथा सम्बद्ध अधिकारी को पदनाम से संबोधित करते हुए पूरे पत्र में पर्याप्त औपचारिकता अपनाई गई है। मूल सूचना देने के पश्चात स्व-निर्देश के रूप में "भवदीय" लिखते हुए हस्ताक्षर और पदनाम लिखा गया है। इस ढाँचेगत औपचारिकता के अतिरिक्त वाक्य-विन्यास भी औपचारिक है। जैसे "पावती भेजने तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मामला विचाराधीन है।" इस वाक्य में स्पष्ट है कि पत्र लिखने वाला अधिकारी तो सूचना मात्र दे रहा है, निदेश देने वाला अधिकारी कोई अन्य व्यक्ति है जो मामले पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम है। यहाँ "विचाराधीन" के स्थान पर "विचार किया जा रहा है" शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यद्यपि शब्दावली की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कार्यालयी कार्यविधि की परिपाटी के अनुसार "विचाराधीन" लिखने की औपचारिकता अपनाई गई है।

आपने गौर किया होगा कि यहाँ "पावती" "निदेश" "अवर सचिव" आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतया प्रयुक्त नहीं करते। ये प्रशासन की तकनीकी शब्दावली के शब्द हैं। इसलिए "पावती" के स्थान पर "प्राप्ति की सूचना देना" नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह सामान्य बोलचाल में कोई हिदायत दी जाए तो उसके लिए "निर्देश" शब्द प्रयुक्त होता है, किंतु प्रशासनिक भाषा में "निदेश" शब्द का इस्तेमाल ही सही है।

इसके अतिरिक्त, आपने यह भी गौर किया होगा कि यहाँ वाक्य विन्यास में कर्तृवाच्य के स्थान पर कर्मवाच्य का प्रयोग है — "निर्देश हुआ है", "विचाराधीन है", "सूचित किया जाएगा"। ध्यान देने की बात है कि हिंदी भाषा की सामान्य प्रवृत्ति कर्तृवाच्य प्रधान है लेकिन औपचारिक पत्र लेखन में कर्मवाच्य का प्रयोग ही अधिक होता है। इस प्रकार, कार्यालयी हिंदी की एक विशेषता इसकी कार्मवाच्य प्रधान भी है।

15.7.4 विधि के क्षेत्र में हिंदी

यद्यपि ब्रिटिश शासन काल के दौरान पश्चिमोत्तर प्रदेश में अदालती कामकाज फारसी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग के

आदेश दिए गए थे, लेकिन व्यवहार रूप में कचहरियों की भाषा उर्दू हो रही थी। कालांतर में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रसार और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होने से हिंदी का महत्व केंद्रीय न रहकर हाशिए में पड़ता गया। आज़ादी के बाद जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो इसे विधि एवं न्याय व्यवस्था में भी अपनाने का प्रश्न उठा। इसके लिए विधि शब्दावली निर्धारित की गई। विधिक भाषा की शब्दावली में अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी पर्याय निर्धारित करते समय संस्कृत तथा अरबी-फ़ारसी शब्दों को आधार स्वरूप ग्रहण किया गया है।

विधि की भाषा बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकलना अपेक्षित है जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय है। इसलिए विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में स्पष्टता और एकार्थकता नितांत रूप से आवश्यक होती है। यही कारण है कि संदर्भ-विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होता है, उसके लिए पर्याय रखने की छूट नहीं होती। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए:

> *(3) खण्ड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।*

यहाँ ''उपखंड'', ''पुरःस्थापित'', ''पारित'', ''प्रख्यापित'', ''उपविधि'' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो विधि के क्षेत्र के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में सामान्यतया प्रयुक्त नहीं होते। ये वस्तुतः विधि की तकनीकी शब्दावली है और यहाँ इन शब्दों के स्थान पर इनका कोई और पर्याय रखना उपयुक्त न होगा, क्योंकि जो बात कही जा रही है उसका निर्दिष्ट अर्थ के अतिरिक्त कोई भी और अन्य अर्थ निकलना अभीष्ट नहीं है।

शब्दावली के अतिरिक्त आपने वाक्य रचना पर भी गौर किया होगा। यहाँ भी कार्यालयी हिंदी की तरह कर्मवाच्य के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वाक्य भी सामान्य वाक्य प्रयोग की तुलना में काफ़ी लंबा है। पूरा पैरा ही एक वाक्य है जिसमें कई खंडों और उपवाक्यों को शामिल किया गया है। ऐसी वाक्य रचना हिंदी की सामान्य प्रवृत्ति नहीं है। किन्तु हमारा विधिक लेखन अक्सर पहले अंग्रेज़ी में किया जाता है, फिर इसका हिंदी रूपांतरण होता है। अतः अंग्रेज़ी वाक्य निहितार्थ को पूर्णतया ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए ऐसी वाक्य रचना की ज़रूरत पड़ जाती है।

15.7.5 सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी

सामाजिक विज्ञानों की भाषा की विशेषता उस क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास आदि विषय आते हैं। इनकी शब्दावली संकल्पनाओं और विचार धाराओं पर आधारित होती है और अपने भीतर विशिष्ट अर्थ समाहित किए होती है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ़ को पढ़िए:

> *राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता संघर्ष को वैचारिक आधार प्रदान करने और साम्राज्यवाद के आर्थिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। हालाँकि राष्ट्रवाद ने अपना ध्यान बाह्य पक्ष अर्थात् भारत के साम्राज्यवादी शोषण पर ही केंद्रित किया और आंतरिक पक्ष अर्थात् भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष और वर्ग शोषण पर कम ध्यान दिया। इस दूसरे पक्ष पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करने का कार्य मार्क्सवादी दृष्टि के प्रभाव के परिणामस्वरूप हुआ और यह 1940 के दशक के बाद लगातार बढ़ता गया। इस नयी दृष्टि ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक राष्ट्रीय समीक्षा को ही शामिल नहीं किया बल्कि इस समीक्षा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विश्व पूँजीवाद व्यवस्था के ढाँचेगत विश्लेषण के अंतर्गत रखकर विकसित भी किया गया।*

यहाँ 'राष्ट्रवादी', 'राष्ट्रवाद', 'साम्राज्यवादी', 'पूँजीवाद', 'मार्क्सवाद', वर्ग शोषण आदि शब्दों पर गौर कीजिए। ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। इनका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में होता है और जरूरी नहीं कि यह विशिष्ट अर्थ अपने मूल शब्द के अर्थ से सकारात्मक संगति ही रखे। राष्ट्र से बना राष्ट्रवाद शब्द और पूँजी से बना पूँजीवाद इस प्रकार के शब्द हैं। राष्ट्र से ही बना राष्ट्रीय शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका तात्पर्य होता है देश-प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति निर्माणकारी, विकासपरक भूमिका अदा करने की इच्छा। लेकिन राष्ट्र से ही बने ''राष्ट्रवाद'' में यह पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ नहीं रहता। राष्ट्रवाद किन्हीं संदर्भों में अंधराष्ट्रभक्ति यानी अन्य राष्ट्रों को अपने राष्ट्र से नीचे मानने की प्रवृत्ति का भी सूचक होता है।

इस शब्दावलीगत वैशिष्ट्य के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञानों की भाषा में वाक्य संरचनागत स्वरूप सामान्य भाषा का सा ही होता है। हाँ, अर्थशास्त्र में ज़रूर अपेक्षित संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।

15.7.6 संचार माध्यमों में हिंदी

संचार माध्यमों के दो रूप हैं: (1) पत्र-पत्रिकाएँ (2) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले माध्यम के अंतर्गत समाचार-पत्र —

दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक — तथा विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ आती है और दूसरे माध्यम के अंतर्गत रेडियो और टेलीविज़न। अतः भाषा की संचार माध्यमों संबंधी प्रयुक्ति में उसके मौखिक और लिखित, दोनों रूप शामिल होते हैं। ये दोनों रूप समान होते हुए भी एक-दूसरे के काफी भिन्न होते हैं। दोनों रूपों में अभीष्ट तो संप्रेषण ही होता है, किंतु संप्रेषण व्यापार की प्रक्रिया, दोनों में समान ढंग की नहीं होती है। मौखिक रूप से कही गई बात को यदि हम ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दें, तो ज़रूरी नहीं कि वह उतनी ही संप्रेषणीय हो जितनी मौखिक रूप में थी। इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि कोई कथन लिखित रूप में पढ़ने में जितना प्रभावपूर्ण लग रहा हो, उतना सुनने में न लगे। इसका एक आधार यह भी होता है कि लिखी हुई बात को हम एक से अधिक बार पढ़ सकते हैं यानी पहली बार में न समझ में आए तो दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ सकते हैं। लेकिन उच्चारित शब्दों का तुरंत संप्रेषणीय होना अनिवार्य है अन्यथा वक्ता का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

मुद्रित सामग्री के रूप में उपलब्ध समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संप्रेषण होता है। समाचार पढ़े जा रहे हैं या छापे जा रहे हैं तो वे वर्ग विशेष के लिए न होकर समाज के सभी वर्गों के लिए है यानी बुद्धिजिवियों, व्यवसायियों आदि से लेकर किसान और श्रमिक वर्ग तक के लिए हैं। ऐसी स्थिति में भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सहज, सरल, स्पष्ट और बोधगम्य हो। लेकिन इसके साथ ही, संचार माध्यमों में विषयगत सीमा कोई नहीं होती। तकनीकी और विशिष्ट विषय या कला और साहित्य से लेकर खेल-कूद और बाज़ार भाव तक की सामग्री उनमें प्रस्तुत की जाती है। ऐसे में विभिन्न विषयों की अपेक्षित शब्दावली भी उनमें अवश्य ही समाविष्ट होती है और इस समावेश के बावजूद भाषा में बोलचाल की सरलता और लय बनाए रखनी पड़ती है।

इस तरह संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी जीवन के सभी क्षेत्रों से शब्दावली ग्रहण करते हुए उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास करती है। अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी पर्याय इस्तेमाल करने के साथ ही यह उनके अंग्रेज़ी रूप को भी ग्रहण करती है और लिप्यंतरण भी खूब अपनाती है। इसके साथ ही यह हिंदी की बोलियों से भी शब्द ग्रहण करती है जैसे "भितरघात करना", "पटकनी देना" आदि।

अखबारी भाषा में संक्षिप्तियाँ भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि हिंदी के अन्य प्रयोगों में संक्षिप्तियों का प्रचलन लगभग नहीं होता। "जद", "भाजपा", "बसपा" आदि का प्रयोग अखबार में खूब मिलता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि रेडियो और टेलीविज़न पर संक्षिप्तियों का प्रयोग इस ढंग से नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं कि इस तरह का प्रयोग रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारित हिंदी में क्यों नहीं होता, जबकि अंग्रेजी में होता है। एक ही माध्यम द्वारा प्रसारित दो भाषाओं के प्रयोग में यह भेद क्यों है? यह भेद ही वस्तुतः एक ओर तो भाषा के मौखिक और लिखित रूप का अंतर प्रकट करता है दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी के मुहावरे का अंतर बताता है। सामान्य रूप से संक्षिप्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति न होने के कारण हिंदी के श्रोता को उन्हें सुनते ही तुरंत समझने में कठिनाई हो सकती है, जबकि उनका लिखित रूप पढ़कर वह थोड़े से प्रयास से उन्हें समझ सकता है। अतः संप्रेषण में बाधा नहीं होगी।

15.7.7 विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी

विज्ञापनों के क्षेत्र का संबंध काफी हद तक संचार माध्यमों से होती है। पत्र-पत्रिकाओं तथा रेडियो और टेलीविज़न पर विज्ञापन पढ़ना, सुनना और देखना हमारी इतनी आदत बन चुकी है कि यदि इनको बिल्कुल हटा दिया जाए तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए इनकी अनुपस्थिति हमें महसूस होती रहे। संचार माध्यमों के अलावा, विज्ञापन के अन्य माध्यम हैं — दीवारों, मार्गों, चौराहों आदि पर लगे बोर्ड और पोस्टर तथा सिनेमा का पर्दा। इस तरह, विज्ञान के तीन रूप हैं: (1) दृश्य (2) श्रव्य; (3) मुद्रित। टेलीविज़न और सिनेमा के पर्दे पर तीनों रूपों का इस्तेमाल होता है, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, बोर्डों और पोस्टरों में पहले और तीसरे का तथा रेडियो पर दूसरे का। ये तीनों ही रूप एक-दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं और भाषा अपनी गति और लय के साथ प्रस्तुत होती है, क्योंकि विज्ञापन का उद्देश्य सूचना देने के साथ ही ध्यान आकृष्ट करना भी होता है। यदि वह व्यापारिक विज्ञापन है तो उसमें इतना आकर्षण होना चाहिए कि देखने-सुनने वाला वस्तु को खरीदने के लिए लालायित हो उठे। यदि वह प्रचारपरक विज्ञापन है तो देखने-सुनने वाले के मन-मस्तिष्क पर उसका इतना गहरा असर होना चाहिए कि प्रचार करने वाले की बात पर गौर करने या उसे मानने के बारे में विचार अवश्य करे। यदि विज्ञापन रोज़गार आदि से संबंधित है तो उसमें सूचना की स्पष्टता, पूर्णता आदि अपेक्षित होती है। जब हम विज्ञापनों के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी भाषा पर गौर करते हैं तो हम उसमें कई तरह की विशेषताएँ पाते हैं। नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़िए:

उपर्युक्त उदाहरण में आप गौर करेंगे कि मुद्रित सामग्री पाठ्य और दृष्य, दोनों रूपों में ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से छापी गई है। छोटे-बड़े टाइप का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा, चित्र की सहायता भी ली गई है।

इन दृस्य विशिष्टताओं के अलावा, अब भाषागत विशिष्टताओं पर गौर कीजिए। "लाइए", "बचाइए" द्वारा तुकांत पंक्तियाँ लिखने का प्रयास है। साथ ही. वाक्य में शब्दों का क्रम सामान्य से भिन्न है "उत्तमता ऐसी कि भारत-भर को है भरोसा" सामान्य ढंग से हम लिखते तो कहते "भरोसा है"। यहाँ यह क्रम भी ध्यानाकृष्ट करने के उद्देश्य से रखा गया है।

इसके अलावा आपने यहाँ सुझावपरक वाक्य प्रयोग पर भी गौर किया होगा — हॉकिन्स लाकर ईंधन बचाने का सुझाव है। निम्नलिखित उदाहरण में भी इसी तरह की विशेषताएँ मिलेंगी:

"आयोडेक्स मलिए
काम पर चलिए"

अब अगला उदाहरण देखिए, जिसमें शब्दों के साथ चित्र भी बोल रहा है:

यहाँ "आहार" "आधार" "भंडार" प्यार" की तुक रखी गई है फिर "संग" और "तरंग" की तुक जोड़ी गई है।

विज्ञापन में तुकांत शब्द प्रयोग का कुछ ऐसा प्रचलन है कि व्यापारिक विज्ञापनों के अलावा सरकारी प्रचारपरक विज्ञापन में भी यह देखने को मिलता है। आपने चौराहों, सड़कों पर निम्नलिखित वाक्य छपे बोर्ड देखे होंगे:

"हम हाथ धोएँ जरूर
बीमारी रहे कोसों दूर"

"बेटी छुएगी आकाश
बस मौके की तलाश"

"जब घर में हो शिक्षित नारी
तो कुटुंब की शिक्षा न्यारी"

इस तरह तुकांत प्रयोग विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की एक प्रमुख विशेषता है।

रेडियो अथवा टेलीविज़न आदि श्रव्य माध्यमों पर यह तुकबंदी* गाने की लय पैदा करने में सहायक होती है और श्रोता इसे आसानी से याद रख पाते हैं:

"घर भर का है दुलारा
हमाम प्यारा प्यारा"
जैसा गाना आपने रेडियो पर खूब सुना होगा।

कभी-कभी विचित्र ढंग के शब्द प्रयोग द्वारा अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण कथन द्वारा भी विज्ञापन ध्यान आकृष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित विज्ञापनों को देखिए:

यदि अर्थ की दृष्टि से जाएँगे तो शब्द प्रयोग में कोई खास अर्थपरक गहनता न होगी। लेकिन भाषा में एक प्रकार की मोहकता या आकर्षण पैदा करने का प्रयास किया गया है। उसी उद्देश्य से "अद्भुतता" जैसा प्रयोग है, जो सामान्यतया प्रचलित नहीं है।

बोध प्रश्न 3

क) नीचे दिए गए उदाहरणों में से प्रत्येक के बारे में बताइए कि किस प्रयुक्ति से संबंधित है। अपना उत्तर प्रत्येक उदाहरण के नीचे दी गई रिक्त पंक्ति में दीजिए।

i) इस संविधान के अधिन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों विनियमों और उपविधियों के ,प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे

....

ii) आजादी सिर्फ भारत के लिए उपलब्धि नहीं थी बल्कि विदेशी शासन के स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले दुनिया के सभी उत्पीड़ित लोगों के लिए महत्वपूर्ण मोडत्र था। भारतीय स्वतंत्रता ने विश्व पैमाने पर उत्पीड़क औपनिवेशिक व्यवस्था को कमजोर किया। इसी संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है।

....

iii) आप न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को, जिनका संक्षिप्त वर्णन हमने इकाई 6 में किया था, पहले ही से जानते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल किस प्रकार उनके द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरियों पर निर्भर करता है।

....

iv) निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर स्मरण पत्र का मसौदा तैयार कीजिए।

1) आपके कार्यालय में गृह मंत्रालय से दो सहायक प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। उनके सेवा संबंधी कागजपत्र मँगाने के लिए दो पत्र भेजे जा चुके हैं।

2) विदेश व्यापार मंत्रालय में की गई कुछ तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से पत्र आया है। इस मामले को निपटाने के लिए कुछ सूचनाएँ सामग्री विदेश व्यापार मंत्रालय से मँगाई गई हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

....

v) झंझा है दिग्भरात रात्रि की मूर्च्छा गहरी,
आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी,
जब तक लौटे दिन हलचल
जब तक यह जागेगा प्रतिपल
रेखाओं में भर आभा-जल
दूत सांझ का इसे प्रभाती तक जलने दो।

....

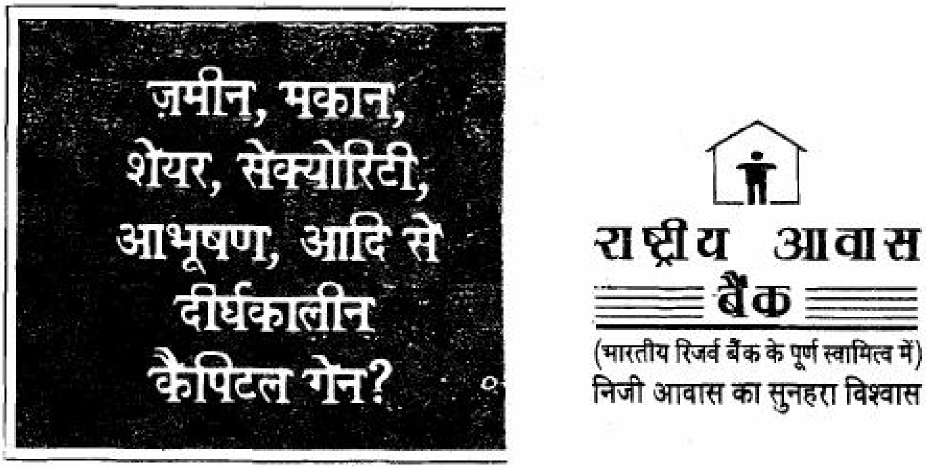

vi)

ख) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही (√) या गलत (×) का निशान लगाकर दीजिए:

i) प्रयोजनमूलक हिंदी अनौपचारिक होता है।

ii) कार्यालयी हिंदी में कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है।

iii) वैज्ञानिक हिंदी में अर्थ की सुनिश्चितता होती है।

iv) विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा अनेकार्थक होती है।

v) संचार माध्यमों की भाषा जटिल होती है।

vi) विज्ञापनों में प्रयुक्त हिंदी में आकर्षकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है।

15.8 प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर

प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप का अध्ययन करने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि यह सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त हिंदी भाषा से कुछ फर्क होता है। यह फ़र्क किस-किस प्रकार का होता है, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं।

सर्वप्रथम तो यह अंतर औपचारिकता का होता है। सामान्य व्यवहार की भाषा में अनौपचारिकता हो सकती है, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा चाहे वह किसी भी प्रयोजन से सम्बन्ध हो — औपचारिक होती है। इस औपचारिकता में सीमा का भेद हा सकता है, लेकिन यह होती अवश्य है।

औपचारिकता के कारण प्रयोजनमूलक भाषा की शब्दावली और वाक्य-संरचना में भी सामान्य भाषा से अंतर उत्पन्न होता है। प्रयोजनमूलक भाषा के वाक्य विन्यास में बोलचाल की सहजता तो होती ही है, लेकिन उसके साथ-साथ एक तरह की सतर्कता और सोद्देश्यता होती है, जो उसे आम बोलचाल की भाषा से अलग स्वरूप प्रदान करती है।

बोलचाल की भाषा में अपेक्षानुसार संदिग्धता या शब्दों के घुमाव- फिराव का प्रयोग हो सकता है लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा में असंदिग्धता और स्पष्टता बेहद ज़रूरी होती है।

15.9 प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर

साहित्य का संबंध हमारे जीवनानुभवों और संवेदनों से होता है। उसमें मस्तिष्क और हृदय यानी बुद्धि और भावना, दोनों पक्षों का समावेश तो होता ही है। साथ ही इन दोनों में से किसी एक पर विशेष बल भी हो सकता है। वहाँ भावना की तीव्रता और गहनता होती है। अतः साहित्य की भाषा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, वह आम बोलचाल की सी सरल और सहज भी हो सकती है और बिंब और प्रतीक प्रधान, आलंकारिक* तथा वक्रोक्तिप्रधान* भी। उसका यह गुण ही उसे प्रयोजनमूलक भाषा से अलग करता है। इस तरह साहित्यिक हिंदी जहाँ भाव, कल्पना, अनुभूति, व्यंजना* और वक्रोक्तिपूर्ण होती है वहीं प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयोजन सापेक्ष, सीधी और स्पष्ट। सीधी और स्पष्ट होने के लिए ज़रूरी है कि शब्दों का वही और उतना ही अर्थ निकले जितना अभीष्ट है। जबकि साहित्य की भाषा के एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं, उसकी व्याख्या में पाठ की अपनी कल्पना के इस्तेमाल की संभावना सदैव रहती है और समय-समय पर उसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न कोणों से होती है।

शब्दावली की दृष्टि से ही साहित्य की भाषा में कोई सीमा का बंधन नहीं होता। रचनाकार शब्दों को उनके पारंपरिक अर्थ में प्रयोग करने के साथ ही उन्हें नए-नए अर्थ भी प्रदान कर सकता है लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा का लेखक या वक्ता भाषा के साथ ऐसी छूट नहीं लेता। प्रयोजनमूलक क्षेत्रों की शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली होती है, जिसमें शब्दों का अर्थ क्षेत्र विशेष में निश्चित और परिसीमित होता है।

वाक्य रचना के स्तर पर भी इसी प्रकार का अंतर देखा जा सकता है। साहित्यकार को काफी छूट होती है, वह लालित्यपूर्ण भाषा प्रयोग कर सकता है लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा में ऐसा नहीं होता।

साहित्यकार अपने लेखन में प्रयोजनमूलक शब्दावली को आराम से ग्रहण कर सकता है और करता भी रहा। आधुनिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञापनों की शब्दावली ने साहित्य की भाषा को बहुत अधिक प्रभावित किया है ठीक उसी प्रकार जैसे मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य को दर्शन की शब्दावली ने प्रभावित किया था। 'निर्गुण', 'सगुण', 'ब्रह्म', 'जीव' 'माया', 'मुक्ति' आदि इस प्रकार के आए शब्द थे। ध्यान देने की बात यह है कि साहित्य का यह आदान लगभग एकतरफा होता है क्योंकि प्रयोजनमूलक भाषा साहित्य से इस प्रकार ग्रहण नहीं करती।

संचार माध्यमों तथा विज्ञापन के क्षेत्र में चूँकि अन्य विषय क्षेत्रों से भिन्न होते हैं — अतः इनमें प्रयुक्त हिंदी में हम जरूर आदान की थोड़ी बहुत प्रवृत्ति पाते हैं और व्यंजनाश्रित प्रयोग भी पाते हैं। लेकिन यह प्रयुक्ति अन्य प्रयुक्तियों से भिन्न है। यह संकल्पनाओं और ज्ञान अथवा विषय क्षेत्र पर आधारित न होकर व्यवहार क्षेत्र पर आधारित है।

बोध प्रश्न 4

साहित्यक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी की तुलना दस पंक्तियों में कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

15.10 सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है। अब आप हिंदी भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित हो गए हैं और यह बता सकते हैं कि उसकी कौन-सी प्रयुक्तियों में प्रयोजनमूलक भाषा का इस्तेमाल होता है। आप यह जान गए हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की ज़रूरत क्या है तथा उसका स्वरूप कैसा है। अब आप वाणिज्य-व्यापार विधि प्रशासन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संचार माध्यम तथा विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी भाषा की शब्दावली, मुहावरे तथा प्रवृत्ति के परिचित हो गए हैं। आप सामान्य बोलचाल की भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा का संबंध और दोनों के बीच अंतर बता सकते हैं। इसके अलावा, आप साहित्यिक भाषा तथा प्रयोजनमूलक भाषा की तुलना भी कर सकते हैं।

15.11 शब्दावली

दैनंदिन : रोज़मर्रा का, दिन-प्रतिदिन का

अंतर्देशीय : देश के अंतर्गत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में

संकल्पना : किसी वस्तु, स्थिति, विचार आदि की सम्यक् अथवा सम्पूर्ण अवधारणा

अर्थच्छवियाँ : अर्थ की छवियाँ, अर्थ के अनेक स्तर

संवेदन : अनुभव — सुख, दुख, क्लेश, हर्ष आदि भावों की अनुभूति

सकारात्मक : यह नकारात्मक का विलोम है, 'Positive' के अर्थ में

तुकांत : जिन दो पंक्तियों में अंतिम शब्दों की तुक मिलती हो।

तुकबंदी : कविता की रचना इस तरह करना कि अंतिम शब्द तुकांत हों।

आलंकारिक : अलंकार प्रधान, अलंकारों के प्रयोग से पूर्ण

वक्रोक्ति : चमत्कार प्रधान उक्ति, बढ़िया उक्ति

व्यंजना : शब्द की तीन प्रकार की शक्तियों में से एक (अभिधा, लक्षणा) व्यंजना। व्यंजना शक्ति द्वारा शब्द के वाच्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध होता है।

लालित्य : सुंदरता, सरसता, मनोहरता।

लिप्यंतरण : एक लिपि में लिखी सामग्री को दूसरी लिपि में प्रस्तुत करना। जैसे रोमन में लिखे 'Railway Station' को देवनागरी में 'रेलवे स्टेशन' लिखना।

15.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव (सं०), *"प्रयोजनमूलक हिंदी"*, केंद्रीय हिंदी संस्थान, नया आगरा ।

डॉ. विनोद गोदरे, *"प्रयोजनमूलक हिंदी"*, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली ।

रीतारानी पालीवाल; *"प्रयोजनमूलक हिंदी : अर्थ, क्षेत्र और विस्तार"* लेख (*"अनुवाद की सामाजिक भूमिका"* पुस्तक में संकलित), सचिन प्रकाशन, दिल्ली ।

15.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

i) (क) प्रयोजनमूलक (ख) भाषा (ग) व्यावहारिक हिंदी
ii) (क) नहीं (ख) नहीं (ग) हाँ

बोध प्रश्न 2

1) विविध क्षेत्रों में जीवन व्यवहार की भाषा जो चार आधारों पर बनती है।
2) देखें, भाग 16.4
3) नौ प्रयुक्तियों की चर्चा
4) क्योंकि यह जीवन व्यवहार की भाषा है। देखें, भाग 16.6

बोध प्रश्न 3

क) i) विधिक हिंदी
ii) सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी
iii) वैज्ञानिक हिंदी
iv) कार्यालयी हिंदी
v) साहित्यिक हिंदी
vi) विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी

ख) i) × (ii) × (iii) √ (iv) × (v) × (vi) √

बोध प्रश्न 4

शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली आदि के आधार पर तुलना देखें, भाग 1.9।

इकाई 16 संपर्क भाषा हिंदी और हिंदी का अखिलभारतीय स्वरूप

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 संपर्क भाषा से तात्पर्य
16.3 कौन-सी भाषा संपर्क भाषा हो सकती है?
16.4 हिंदी संपर्क भाषा क्यों?
- 16.4.1 व्यापक प्रसार
- 16.4.2 राजनीतिक कारण
- 16.4.3 सामाजिक-सांस्कृतिक कारण
- 16.4.4 व्यापारिक कारण
- 16.4.5 सीखने में सरलता के कारण

16.5 संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा : हिंदी का संदर्भ
16.6 संपर्क भाषा हिंदी के विविध क्षेत्र
- 16.6.1 सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में संपर्क
- 16.6.2 प्रशासनिक क्षेत्र में संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी
- 16.6.3 शिक्षा के क्षेत्र में संपर्क की भाषा

16.7 हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप
- 16.7.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में दी गई व्यवस्था
- 16.7.2 अखिल भारतीय हिंदी की विशिष्ट क्षेत्रीय और बोलीगत विविधताएँ

16.8 संपर्क भाषा हिंदी के सरलीकरण का प्रश्न
16.9 हिंदी के कृत्रिम रूप से विकास का प्रश्न
16.10 संपर्क लिपि के रूप में देवनागरी
16.11 संपर्क भाषा हिंदी के विकास में अनुवाद का महत्व
16.12 सारांश
16.13 शब्दावली
16.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें
16.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बता सकेंगे किः

- संपर्क भाषा से क्या तात्पर्य है,
- भारत की संपर्क भाषा कौन सी है,
- वह किन-किन क्षेत्रों में संपर्क का माध्यम है,
- उसका अखिलभारतीय रूप कैसा है,
- उसे संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए जन सामान्य तथा सांविधानिक स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं,
- संपर्क भाषा हिंदी के विकास की दिशा क्या होनी चाहिए; तथा
- देवनागरी को संपर्क लिपि बनाने के क्या लाभ हो सकते हैं।

16.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आप हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको पता चल गया है कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा का स्वरूप कैसा है। उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों

से परिचय कराने के उपरांत अब हम आपको संपर्क भाषा हिंदी की जानकारी देंगे। आपके मन में सवाल उठा होगा कि भाषा तो अपने आप में संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है और संप्रेषण द्वारा यह संपर्क स्थापित नहीं करती तो क्या करती है। फिर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की चर्चा का क्या मतलब है? आपके इस प्रश्न का उत्तर हम इस इकाई में देंगे। संपर्क भाषा क्या होती है? उसकी जरूरत कब और क्यों पड़ती है? कौन-सी भाषा संपर्क भाषा बन सकती है? जैसे प्रश्नों के रूप में उठने वाली आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर तो हम इस इकाई में देंगे ही, इसके साथ यह भी बताएँगे कि हिंदी क्यों भारत की संपर्क भाषा है और यह संपर्क किन लोगों के बीच और किस रूप में स्थापित करती है। इस प्रकार यह इकाई हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप को समझने में आपकी सहायता करेगी।

16.2 संपर्क भाषा से तात्पर्य

भाषा के संदर्भ में इस्तेमाल होने वाला "संपर्क" शब्द अंग्रेज़ी के link शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। इस तरह संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। सवाल होगा "किसे जोड़ने वाली?" उत्तर होगा ऐसी भाषा जो अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को जोड़ती है। उनके बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनती है। जब दो अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसी भाषा की जरूरत पड़ती है जिसे वे दोनों समझ सकें। यह भाषा उन दोनों से किसी एक की भाषा हो सकती है अथवा कोई तीसरी भाषा हो सकती है। यह संपर्क केवल बातचीत के स्तर तक ही सीमित न होकर जीवन के व्यापक और गंभीर क्षेत्रों त विस्तृत होता है जैसे शिक्षा का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र आदि।

बहुभाषी देश में संपर्क भाषा का महत्व काफ़ी अधिक होता है। वहाँ के लोगों को जीवन की रोज़मर्रा की जरूरतों से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यों तक के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ती है जो वहाँ की विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के संपर्क का माध्यम बन सके। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ काश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से असम तक अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं। ये लोग एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा न केवल घूमने-फिरने के शौक के लिए या तीर्थाटन के लिए करते हैं बल्कि व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यकलाप के लिए भी करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी भाषा की ज़रूरत होती है जिसमें बंगला बोलने वाला पंजाबी बोलने वाले से या गुजराती बोलने वाला उड़िया बोलने वाले से विचारों का आदान-प्रदान कर सके। इस कार्य में इस्तेमाल होने वाली भाषा ही संपर्क भाषा कहलाती है। भारत ही नहीं, जिस किसी देश में भी बहुभाषिक संस्कृति होगी, वहाँ ऐसी भाषा की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ का नाम लिया जा सकता है जिसमे अनेक भाषा-भाषी — उज्बेक, ताजिक, रूसी आदि राज्यों ने मिलकर एक समाजवादी सोवियत संघ की स्थापना की है। सोवियत संघ की संपर्क भाषा रूसी है वैसे वहाँ लगभग 66 भाषाएँ बोली जाती हैं।

किसी समाज में बहुभाषिकता पुराने समय से कायम हो सकती है अथवा राजनीतिक, सामाजिक या व्यवसायगत कारणों से किसी समय विशेष में उसका विकास या वृद्धि हो सकता है। लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि बहुभाषा-भाषी देश में संपर्क भाषा की ज़रूरत अवश्य होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक भाषाओं को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आजकल भारत में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का भी प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में हो रहा है।

16.3 कौन-सी भाषा संपर्क भाषा हो सकती है?

प्रश्न यह उठता है कि किसी देश अथवा समाज की अनेक भाषाओं में से किस भाषा का उपयोग संपर्क भाषा के रूप में हो। इस बात का निर्णय कौन करता है और किस प्रकार करता है। संपर्क भाषा का संबंध चूँकि समाज के आम व्यक्ति से लेकर विशिष्ट क्षेत्रों और कार्यों में लगे व्यक्तियों तक से होता है अतः वही भाषा संपर्क भाषा का कार्य कर सकती है जिसे समझने और बोलने वाले समाज में अधिक से अधिक हों। लेकिन संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल शुरू करने से पहले भाषा को बोलने-समझने वालों की संख्या तय करने के लिए शासकीय तौर पर कोई सर्वेक्षण अथवा आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते। न ही कोई आदेश ज़ारी करने की ज़रूरत ही पड़ती है। जहाँ तक जन जीवन में प्रयुक्त संपर्क भाषा का प्रश्न है, उसे तो किसी देश अथवा राष्ट्र का जन सामान्य ही अपनी जरूरतों के हिसाब से विकसित कर लेता है। जिस भाषा के विषय में वह महसूस कर लेता है कि उसके माध्यम से उसे ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से बातचीत करने और अपने काम को संचालित करने में सुविधा रहेगी, उसे ही वह संपर्क भाषा के रूप में अपना लेता है। जब उसकी संपर्क की जरूरतों में बदलाव आता है और लगता है कि मौजूदा संपर्क भाषा पर्याप्त नहीं और किसी अन्य संपर्क भाषा की जरूरत है तो वह अपने लिए उपयुक्त संपर्क भाषा चुन लेता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन युग में संस्कृत भारत की संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे-धीरे यह स्थान हिंदी ने ले लिया।

इस प्रकार किसी भाषा के संपर्क भाषा बनने के लिए उसका व्यापक रूप से प्रचलन तो आवश्यक है ही यह भी आवश्यक है कि वह भाषा जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा हो। यानी विभिन्न प्रकार के धार्मिक-सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यापारिक, शिल्पगत, कलापरक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में उस भाषा का उपयोग होता हो। संपर्क भाषा की जरूरत केवल थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत के लिए ही नहीं पड़ती, बल्कि ज़िंदगी के अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए भी इसकी अपेक्षा होती है। उदाहरण के लिए, भारत में हमें संपर्क भाषा की जरुरत न केवल एक भाषा-भाषी प्रांत से दूसरे भाषा-भाषी प्रांत में यात्रा करते समय ही पड़ती है या हम रामेश्वरम् या पुरी के मंदिर में जाकर ही इसका उपयोग करते हैं बल्कि ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में संपर्क भाषा की ज़रूरत होती है। मसलन व्यापार एवं वाणिज्य चलाने के लिए, प्रशासन कार्य चलाने के लिए, सरकार और जनता के बीच संपर्क के लिए, सेना और परिवहन व्यवस्था के लिए संपर्क भाषा की जरूरत पड़ती है। अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले समस्त कार्यों — चाहे वह सैनिकों के प्रशिक्षण और संचालन का कार्य हो अथवा सूचनापरक और वैचारिक आदान-प्रदान का — संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से वही भाषा संपर्क बन सकती है जिसे सीखने में लोगों को बहुत कठिनाई न हो।

शिक्षा एवं ज्ञान का घनिष्ठ संबंध किसी देश की संपर्क भाषा से होता है। ज्ञान-विज्ञान की सामग्री जिस भाषा में उपलब्ध होगी वही भाषा शैक्षिक संपर्क की भाषा बन सकेगी। इसलिए देश की संपर्क भाषा को वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ना नितांत आवश्यक होता है। वहाँ के विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी न किसी बिंदु पर उन्हें संपर्क भाषा सिखाई जाती है ताकि आगे चलकर वे सहज ही सारे देश के कार्यकलाप से जुड़ सकें। दूसरी ओर, विभिन्न विषयों तथा अनुशासनों* की सामग्री उस भाषा में उपलब्ध कराई जाती है ताकि भाषिक संपर्क व्यावहारिक जीवन से जुड़ सके।

शासन व्यवस्था के संचालन में भी संपर्क भाषा की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन के कार्य अथवा सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। लेकिन यह तय करते समय कि किस भाषा को राजभाषा स्वीकार किया जाए, इस तथ्य पर ध्यान अवश्य दिया जाता है कि वह ऐसी भाषा हो जिसे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हों। इस तथ्य को मद्दे नज़र रखते हुए ही भारत में केंद्र सरकार ने राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है और राज्य स्तर पर राजभाषा के रूप में उस क्षेत्र विशेष की भाषा को अपनाने की छूट दी है।

इस प्रकार संपर्क भाषा जन-सामान्य की ज़रूरतों की भाषा होती है। शासन तंत्र उसे जन-सामान्य की इच्छा के अनुरूप ही ग्रहण अथवा त्याग करता है। यदि शासन-व्यवस्था चाहे भी तो वह संपर्क भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसका उदाहरण तमिलनाडु में देखा जा सकता है। भारत सरकार की भाषा नीति को तमिलनाडु सरकार प्रशासन एवं शिक्षा दोनों के स्तर पर लागू नहीं करती। वहाँ के विद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन शासकीय तौर पर हिंदी के बहिष्कार के बावजूद वहाँ के लोग संपूर्ण देश से जुड़ने के लिए संपर्क भाषा के ज्ञान की जरूरत महसूस करते हैं और विभिन्न संस्थाओं — दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय — आदि के माध्यम से हिंदी सीखते हैं।

बोध प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग पाँच पंक्तियों में दीजिए:

क) संपर्क भाषा से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

....

ख) कौन-सी भाषा संपर्क भाषा हो सकती है?

....

....

....

....

....

16.4 हिंदी संपर्क भाषा क्यों?

पिछले भाग में आपने पढ़ा है कि संपर्क भाषा का विकास कौन करता है और संपर्क भाषा के रूप में विकसित होने के लिए उसमें क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि प्राचीन भारत में विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य संस्कृत भाषा करती थी। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच की भाषिक कड़ी संस्कृत ही थी। सुदूर उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम के सांस्कृतिक-धार्मिक केंद्रों — बद्रीनाथ, रामेश्वरम्, जगन्नाथ पुरी और द्वारिका — का संवाद संस्कृत के माध्यम से ही होता। यही अध्ययन-अध्यापन, शास्त्रार्थ और खंडन-मंडन की भाषा थी। साहित्य, दर्शन, राजनीति, गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान आदि का ज्ञान इस भाषा में मौजूद था।

कालांतर में लोक भाषाओं का साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यकलाप की भाषाओं के रूप में उदय हुआ और संस्कृत का प्रसार धीरे-धीरे कम होता गया। मध्यकाल में जिस भाषा का अंतर्प्रांतीय* संपर्क भाषा के रूप में उदय हुआ वह भाषा थी — हिंदी। उसके बाद से यह कार्य लगातार हिंदी में ही संपन्न होता रहा है। संपर्क भाषा के रूप में लंबे समय से प्रयुक्त होने के कारण इसके अनेक रूप भी विकसित हुए हैं। व्यापक भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी में बोलीगत रूपों की प्रर्याप्त विविधता तो थी ही अन्य भाषाओं के लोगों के लगातार संपर्क में आने तथा उनके संपर्क की भाषा का माध्यम बनने के कारण हिंदी में कई क्षेत्रीय विविधताएँ उभरी हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन हिंदी की इन विशेषताओं को जानने से पहले आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या कारण है कि हिंदी ही भारत की संपर्क भाषा है, जबकि यहाँ की अनेक भाषाएँ समृद्ध साहित्यिक परंपरा से सम्पन्न हैं। आगे हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से हिंदी हमारी संपर्क भाषा बनी है।

16.4.1 व्यापक प्रसार

पिछली इकाइयों में आगे पढ़ चुके हैं कि हिंदी का प्रसार देश में सबसे अधिक है। भारत के एक बड़े भूभाग में इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी इसे बोलने वाले लोग रहते हैं। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भारतीय भाषा है जिसे बड़ी संख्या में बोलने वाले भारत के बाहर भी पाए जाते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के आँकड़ों के अनुसार बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का स्थान विश्व की भाषाओं में तीसरा है। इस तरह भारतीय भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके इस्तेमाल से व्यक्ति अपना काम आसानी से चला सकता है। देश के विभिन्न भागों में लोग अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी आसानी से समझते-बोलते हैं। यदि द्विभाषिक लोगों का सर्वेक्षण किया जाए तो ऐसे लोगों की संख्या अधिक मिलेगी जो हिंदी तथा दूसरी कोई भारतीय भाषा जानते हों बजाए उन लोगों के जो हिंदी से भिन्न दो भारतीय भाषाएँ जानते हों।

16.4.2 राजनीतिक कारण

अफगानिस्तान और तुर्की से आए मुस्लिम विजेताओं ने जब भारत में अपना शासन स्थापित किया तो वे हिंदी प्रदेश में ही बसे। दिल्ली और आगरा उनके शासन की राजधानियाँ रहीं। इस कारण इस क्षेत्र की भाषा को देश भर में प्रसार का अवसर मिला। मुगलकाल में राजभाषा तो फारसी बनी, लेकिन जिस प्रदेश में उनका शासन विस्तार था और जिन लोगों पर उन्हें शासन करना था, उनकी भाषा से फारसी का आदान-प्रदान अवश्यंभावी था। प्रशासन, भूमि-व्यवस्था, सेना, आदि से संबंधित कार्यों में उन्हें कर्मचारियों से और जन-सामान्य से संपर्क के लिए जिस देशी भाषा की मदद लेनी पड़ी वह भाषा हिंदी ही थी। हिंदी एक तरह से सहभाषा के रूप में लगातार प्रयुक्त होती रही। इस तरह अरबी-फारसी की शब्दावली और हिंदी के व्याकरण का मेल हुआ (यह मेल ही आगे चलकर रेख्ता और उर्दू के रूप में विकसित हुआ)। जब मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ तो इस क्षेत्र की बोली का भी व्यापक प्रसार हुआ सुदूर दक्षिण में आंध्र और कर्नाटक क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार के साथ हिंदी प्रदेश के सैनिक, प्रशासनिक कर्मचारी कलाकार, रचनाकार आदि भी वहाँ पहुँचे और इस भाषा के वहाँ की भाषाओं से मेल-जोल के परिणामस्वरूप "दक्खिनी हिंदी" का विकास हुआ। धीरे-धीरे इस दक्खिनी हिंदी का प्रसार आंध्र और कर्नाटक के अतिरिक्त महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आदि में हुआ। महाराष्ट्र में हिंदी का प्रचलन काफ़ी हुआ। अधिकांश मराठी राजाओं ने इसे राजभाषा के रूप में लागू किया। पेशवा, होल्कर, सिंधिया आदि ने हिंदी को ही राजभाषा बनाया। बहमनी राज्य की स्थिति भी लगभग ऐसी ही रही।

अपने इस प्रचार-प्रसार के कारण हिंदी अपने बोली क्षेत्रों से बाहर कई तरह के अखिल भारतीय रूपों में विकसित होती गई और यह प्रक्रिया आज भी कई रूपों में कायम है। आज भी हमें बंबइया हिंदी और हैदराबादी हिंदी जैसे रूप देखने को मिलते हैं।

आगे चलकर ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ी राजभाषा के होने के बावजूद कचहरी में हिंदुस्तानी के प्रयोग की चर्चा हम पिछली इकाई में कर चुके हैं। आज़ादी के बाद हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिया जाने पर हिंदी प्रशासनिक संपर्क की भाषा बनने लगी है। केंद्र सरकार की नौकरियों तथा अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं के लिए हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित है।

16.4.3 सामाजिक-सांस्कृतिक कारण

सांस्कृतिक-सामाजिक तत्व भाषा के प्रसार में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक कार्यकलाप का संबंध समाज के किसी वर्ग विशेष तक सीमित न रहकर उसके सभी वर्गों और अंगों में व्याप्त होता है। धर्म और दर्शन भी सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आपको ज्ञात होगा कि भारत में पनपने वाले धर्म और दर्शन किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहे बल्कि उनकी व्याप्ति अखिल भारतीय स्तर पर हुई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस अखिल भारतीय धार्मिक-सांस्कृतिक परिदृश्य ने भी हिंदी भाषा को संपर्क भाषा बनने में योग दिया। उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों — बदरिकाश्रम, काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि का महत्व केवल तीर्थ यात्रा एवं संत-समागम के लिए ही न था। अपितु इनमें से कुछ क्षेत्र तो दार्शनिक चिंतन-मनन के केन्द्र थे। दक्षिण से आए संतों — रामानंद और वल्लभाचार्य — ने क्रमशः काशी और ब्रज प्रदेश में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की थी। इसके अतिरिक्त, सूफी साधकों की परंपरा से भी ये क्षेत्र जुड़े रहे। फकीरों, संतों, दरवेशों आदि के माध्यम से दक्षिण क्षेत्रों में हिंदी का प्रसार हुआ। ऐसे में विभिन्न भाषा-भाषी प्रांतों का हिंदी क्षेत्र से निरंतर संपर्क रहा और हिंदी भाषा अनायास ही संपर्क का माध्यम बनती गई।

इस प्रकार की परंपरा की परिणति यह हुई कि विभिन्न भाषा-क्षेत्रों के लोगों ने हिंदी में साहित्य-रचना की। गोरखनाथ, चरपटनाथ आदि जैसे "नाथ संप्रदाय" के कवियों के अतिरिक्त सिक्ख गुरुओं ने अपनी "वाणी" हिंदी में प्रस्तुत की। मराठी के नामदेव, रामदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ तथा केरल के राजाराम वर्मा आदि ने हिंदी में कविता लिखी। इस तरह हिंदी बहुत समय से देश के विभिन्न भागों के रचनाकारों को अपनी ओर आकृष्ट करती रही है। आधुनिक युग में भी इसकी भूमिका इस तरह की रही है। स्वयं रवींद्रनाथ टैगोर, भानुसिंह नाम से ब्रजभाषा में कविता लिखा करते थे।

आधुनिक भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले समाज सुधारकों तथा नेताओं में राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, बंकिमचंद्र, तिलक, रानाडे, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि ने हिंदी के अखिल भारतीय प्रयोग के महत्व को समझा और लोगों को इसके प्रयोग के लिए प्रेरित किया। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी भारतीय जन-मानस की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का और पूर्ति का माध्यम बनी।

शास्त्रीय संगीत सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के एक अन्य बड़े ही व्यापक क्षेत्र में हिंदी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वह है संगीत का क्षेत्र। मध्यकाल के संतों ने न केवल भक्ति की रसमयी धारा से जनता के मुरझाए मनों को सींचा बल्कि उन्होंने कविता और संगीत का अद्भुत मेल भी स्थापित किया। ब्रजभाषा कविता में शास्त्रीय संगीत की राग-रागनियों के प्रवेश ने कीर्तन गायन की जबर्दस्त परंपरा स्थापित की। स्वामी हरिदास जैसे महान गायकों के स्वर से जो धारा फूटी वह शताब्दियों से शास्त्रीय संगीत को सींचती चली आ रही है। इस तरह भारतीय सांस्कृतिक जीवन में, विशेष रूप से हिंदुस्तानी संगीत और कथक जैसे नृत्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में हिंदी का अद्भुत महत्व है।

सिनेमा आधुनिक सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। भारत में जिस भाषा में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं तथा जिस भाषा की फिल्में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, वह भाषा हिंदी ही है। देश के कोने-कोने में हिंदी की फिल्मों का प्रदर्शन होता है। ज़ाहिर है कि प्रदर्शन तभी होगा जब लोकप्रियता होगी। आज स्थिति यह है कि यदि पूछा जाए कि दो बातों में के कौन-सी ज्यादा सही है — (क) हिंदी के अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक प्रसार-प्रचार के कारण हिंदी फिल्में ज्यादा बनती हैं। (ख) फिल्मों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान देकर उसे लोकप्रिय बनाया है। — तो हमें कहना पड़ेगा कि दोनों ही बातें सही हैं। इतना ही नहीं हिंदी फिल्म उद्योग का केंद्र भी अहिंदी-भाषा क्षेत्र बंबई है। इसके अतिरिक्त मद्रास और बंगलौर में भी हिंदी फिल्मों के स्टूडियो हैं।

जन संचार माध्यम फिल्मों के अलावा जन-संचार माध्यमों को भी लें तो भी पाएँगे कि न केवल हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या सभी भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं से अधिक हैं बल्कि अधिकांश हिंदीतर क्षेत्रों से हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय प्रसारण हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं में ही करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में स्थित है और उसकी प्रमुख भाषा हिंदी है।

16.4.4 व्यापारिक कारण

मध्यकाल में आगरा व्यापार का बड़ा केंद्र था। मुगल शासकों की राजधानी होने के कारण व्यापार की मंडी के रूप में आगरा का और अधिक विकास हुआ। परिणामस्वरूप पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण से व्यापारी और पूँजीपति वर्ग का वहाँ आवागमन का संपर्क रहा। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग अन्य क्षेत्रों से जा बसे और अपनी बोली उन क्षेत्रों में पहुँचाई इसके अलावा हिंदीतर क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में हिंदी क्षेत्र के अनेक कारीगर और श्रमिक लोगों ने रोज़गार पाया और भाषिक आदान-प्रदान में योग दिया। अखिल भारतीय स्तर पर व्यापार और उद्योग में आज भी हिंदी की वैसी ही स्थिति बनी हुई है। काश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वोत्तर भारत में व्यापार एवं वाणिज्य में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

16.4.5 सीखने में सरलता के कारण

कोई भी भाषा जन-सामान्य में तभी संपर्क भाषा का स्थान ग्रहण कर सकती है जब उसे सीखने में बहुत कठिनाई न हो। निश्चय ही हिंदी में यह गुण रहा है तभी तो वह लंबे समय से अखिल भारतीय संपर्क भाषा का काम करती आ रही है। भारोपीय परिवार की अन्य भारतीय भाषाओं से इसकी निकटता "रूप" तथा "शब्द", दोनों स्तरों पर है। इसके व्याकरणिक रूप अन्य भाषाओं की तुलना में कम हैं। इसकी ध्वनियाँ सुनिश्चित हैं। अन्य भारोपीय परिवार की भाषाएँ बोलने वाले तो इसे आसानी से सीख ही लेते हैं दक्षिण भाषाएँ बोलने वाले लोग भी थोड़े से प्रयास से सीख सकते हैं।

अपनी इन विशेषताओं के कारण ही हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। यहाँ हम अपनी बात को प्रसिद्ध भाषाविद् सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं, "बोलने वालों एवं व्यवहार करने तथा समझने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदुस्तानी का स्थान जगत की महान भाषाओं में तीसरा है; इसके पहले केवल चीनी भाषा की उत्तरी बोली तथा अंग्रेज़ी का है। इस प्रकार हिंदी या हिंदुस्तानी आज के भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा रिक्थ है। यह हमारे भाषा विषयक प्रकाश का महत्तम साधन तथा भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप है। वास्तव में हिंदी ही भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है।" (भारतीय आर्य भाषा और हिंदी प्रथम संस्करण पृ॰ 149)।

बोध प्रश्न 2

क) हाँ या नहीं पर (✓) या (✗) का निशान लगाकर उत्तर दीजिए:

हिंदी हमारी संपर्क भाषा है क्योंकि वह—

i)	भारत की सबसे पुरानी भाषा है।	हाँ/नहीं
ii)	देश के सभी हिस्सों में बोली जाती है।	हाँ/नहीं
iii)	उसे बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है।	हाँ/नहीं
iv)	सीखने में कठिन है।	हाँ/नहीं
v)	सीखने में सरल है।	हाँ/नहीं
vi)	साहित्यिक भाषा है।	हाँ/नहीं

ख) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिक से अधिक 5-6 शब्दों में दीजिए:

i) प्राचीन युग में भारत की कौन-सी भाषा संपर्क भाषा थी?

....

ii) हिंदी कब से यहाँ की संपर्क भाषा है?

....

iii) 'दक्खिनी हिंदी' का विकास किन क्षेत्रों में हुआ?

....

iv) संपर्क भाषा का इस्तेमाल सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के किन-किन क्षेत्रों में होता है?

....

16.5 संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा : हिंदी का संदर्भ

आपके मन में सहज ही सवाल उठा होगा कि संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा का क्या संबंध है? आपके सवाल का उत्तर देने से पहले हम चाहेंगे कि आप यह जानें कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य वस्तुतः किसी देश की उस भाषा से है जिसका प्रसार देश में व्यापक स्तर पर हो तथा जो देश को राष्ट्रीय एकता अथवा भावनात्मक एकता के सूत्र में बाँधने में सक्षम हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वह देश के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और उसकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हो। साथ ही, वह राष्ट्र की एकता की प्रतीक हो। जिन देशों में बहुभाषिकता नहीं है वहाँ राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अलग से विचार करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुभाषी देश में स्थिति भिन्न होती है। वहाँ अनेक भाषाओं के बीच संपर्क स्थापित करने वाली भाषा ही व्यापक स्तर पर प्रचलित भाषा को ज्यादा से ज्यादा लोग समझते-बोलते हों, वही राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँधने में सक्षम हो सकती है। इस दृष्टि से किसी देश की संपर्क भाषा ही आम तौर पर वहाँ की राष्ट्रभाषा हुआ करती है। इसीलिए कई बार राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा को

एक-दूसरे का पर्याय भी समझ लिया जाता है। सांस्कृतिक रूप में संपन्न राष्ट्र में यह कार्य किसी स्वदेशी भाषा को ही सौंपा जाता है। राष्ट्र को भावनात्मक एकता के सूत्र में बाँधने का प्रश्न राष्ट्रीय आत्म-सम्मान के प्रश्न से भी जुड़ा होता है। इसलिए राष्ट्रभाषा के रूप में विदेशी भाषा को स्वीकार करने का मतलब होता है, देश की अपनी किसी भाषा में इतनी क्षमता न होना कि वह राष्ट्र के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की प्रतिनिधि भाषा बन सके। कोई भी स्वाभिमानी और संपन्न भाषाओं से समृद्ध देश भाषिक दासता को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। यही कारण है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान भाषिक स्वतंत्रता का प्रश्न तेजी से उठा। देश को भावनात्मक एकता के सूत्र में बाँधने और जन-सामान्य में आत्म-सम्मान तथा आत्म-निर्भरता की भावना के विकास के लिए स्वभाषा की उन्नति की माँग की गई। उस समय सभी नेताओं ने समान रूप से यह स्वीकार किया कि भारत की अनेक भाषाओं में से हिंदी ही राष्ट्र भाषा हो सकती है। केशवचंद्र सेन, बंकिमचंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रनाडे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आदि सभी में इस बात को लेकर मतैक्य था। इतना ही नहीं सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषाविद् भी इसे भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप मानते हैं। इस संबंध में उनका मत हम ऊपर उध्दृत कर चुके हैं।

लेकिन आगे चलकर राजनीतिक हितों में टकराहट हुई। और तमिलनाडु में राजाजी की हिंदी समर्थक नीति का विरोध हुआ। सन् 1937 से शुरू हुआ यह विरोध अब तक बना हुआ है। यद्यपि हिंदी विरोधी आंदोलन को लेकर लोग बँटे रहे हैं, और हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था को वहाँ की सरकार ने लागू नहीं किया है लेकिन वहाँ से बड़ी संख्या में लोग दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय अथवा ऐसी ही अन्य संस्थाओं के माध्यम से हिंदी पढ़ते हैं। व्यापार की जरूरतों के लिए हिंदी का इस्तेमाल होता है। फिल्म उद्योग के क्षेत्र में हर स्तर पर व्यापक रूप से हिंदी प्रयुक्त होती है। मद्रास में हिंदी फिल्म स्टूडियो हैं। वहाँ के अभिनेता-अभिनेत्रियाँ हिंदी फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय ख्याति पाते हैं। हिंदी फिल्में तथा दूरदर्शन पर चित्रहार लोकप्रिय हैं।

राजनीतिक कारणों से उत्पन्न इस विरोध ने भारत में भाषा के प्रश्न को एक समस्या का रूप दे दिया है। परिणाम यह हुआ है कि व्यावहारिक जीवन में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करने और संविधानिक स्तर पर राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के बावजूद राष्ट्र भाषा हिंदी को लेकर तरह-तरह का विरोध समय-समय पर उठता रहता है।

16.6 संपर्क भाषा हिंदी के विविध क्षेत्र

16.6.1 सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में संपर्क

पिछले भाग में हम चर्चा कर चुके हैं कि काफी समय से हिंदी भाषा भारतीय जीवन में संपर्क की भाषा रही है। आज भी हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के कार्यकलापों की प्रमुख भाषा है। वाणिज्य-व्यापार, पर्यटन, धार्मिक-सांस्कृतिक यात्राओं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि के द्वारा मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रमों, राष्ट्रीय संगीत-नाट्य महोत्सवों आदि में वह व्यापक रूप से प्रचलित वैचारिक आदान-प्रदान की भाषा है। देशभर में कहीं भी जाएँ रेल में यात्रा करते समय हमें जिस भाषा का सर्वाधिक उपयोग मिलेगा वह हिंदी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से पुरी तक हिंदी भाषा से हमारा काम चल जाता है। अतः सामाजिक जीवन में हिंदी जन स्वीकृत संपर्क भाषा है।

16.6.2 प्रशासनिक क्षेत्र में संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी

प्रशासनिक क्षेत्र का संपर्क सरकारी कामकाज के रूप में होता है। अतः इस क्षेत्र में संपर्क की भाषा वही भाषा होती है, जिसे राजभाषा बनाया जाए। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से इसे सरकारी कामकाज की भाषा भी कहा जाता है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी पत्र-व्यवहार, प्रशासन, न्याय-व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए होता है। इन कार्यों के प्रधान क्षेत्र मुख्यतया तीन हैं:

1) विधायिका
2) कार्यपालिका
3) न्यायपालिका

इस तरह प्रशासनिक संपर्क की भाषा का प्रयोग कानून बनाने, अध्यादेश जारी करने, आदेश निकालने, नियम बनाने, प्रतिवेदन-ज्ञापन-सूचना आदि प्रसारित करने, बजट तथा वित्तीय कामकाज, न्यायिक एवं शासकीय कार्रवाई और निर्णय तैयार करने में होता है। यह संपर्क औपचारिक होता है।

भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है तथा राज्य स्तर पर क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने की अनुमति दी गई है। ऐसी स्थिति में हिंदी को केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज के क्षेत्र में तो संपर्क की भाषा स्वीकार किया ही गया है, उन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से भी संपर्क की भाषा भी स्वीकार किया गया

है जो हिंदी भाषी हैं अथवा जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हम खंड 6 — "संविधान में हिंदी" के अंतर्गत करेंगे।

हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने में कर्मचारियों की असुविधाओं का समाधान करने की दृष्टि से हिंदी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों के हिंदी शिक्षण का प्रावधान है जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग का केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नामक विभाग भी इस कार्य के लिए स्थापित किया गया है।

अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती होने वाले अधिकारियों की परिवीक्षा के दौरान दिए जाने वाले प्रशिक्षण के अंतर्गत भी हिंदी शिक्षण का प्रावधान है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षण केंद्र में इसकी व्यवस्था है।

16.6.3 शिक्षा के क्षेत्र में संपर्क की भाषा

शैक्षिक के क्षेत्र में संपर्क की भाषा जीवन के अन्य क्षेत्रों में संपर्क के लिए आधार निर्मित करती है। जिस भाषा के माध्यम से काम करना है उसकी जानकारी यदि व्यक्ति को अपनी शिक्षा के दौरान ही प्राप्त हो जाती है तो आगे चलकर उसे काम करने में सहूलियत रहती है। इसके अलावा, संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था में संपर्क सूत्र स्थापित करना भी आवश्यक होता है जिससे कि एक क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे किसी क्षेत्र में रोजगार पा सके या व्यवसाय कर सके तथा अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं में नौकरी पा सके।

शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की भूमिका दो तरह की होती है — (1) भाषा शिक्षण के रूप में तथा (2) शिक्षण के माध्यम के रूप में। संपर्क के उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से दोनों समान हैं। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से दूसरी भूमिका तक पहुँचने के लिए पहली भूमिका से गुज़रना ज़रूरी है। यही कारण है कि हमारी शिक्षा नीति के अंतर्गत माध्यम के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का प्रादेशिक भाषा अथवा हिंदी या अंग्रेज़ी को अपनाने का प्रावधान है लेकिन भाषा शिक्षण के स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में विस्तार से आप खंड 5 में पढ़ेंगे। यहाँ हम संक्षेप में यह चर्चा कर रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र का क्या तात्पर्य है और इसे किस उद्देश्य से लागू किया गया है। त्रिभाषा सूत्र के आधार पर छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़ाने का प्रावधान है। इसके अनुसारः

1) **प्राथमिक स्तर** पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रखा जा सकता है।

2) **माध्यमिक स्तर** पर तीन भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य है:
   - क) प्रादेशिक भाषा और (उस स्थिति में जब मातृभाषा ही प्रादेशिक भाषा नहीं है) मातृभाषा
   - ख) हिंदी अथवा (हिंदी प्रदेशों में) अन्य भारतीय भाषा
   - ग) अंग्रेज़ी अथवा अन्य यूरोपीय भाषा।

इस प्रकार, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं को पढ़ाने की जो व्यवस्था की गई है उसके पीछे हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाने का विचार रहा है। तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में यह व्यवस्था अपनाई भी गई है।

3) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को अपनाया जाना उचित है। लेकिन विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षा पाने वाले व्यक्तियों को संपर्क सूत्र में बांधने के लिए संपर्क के रूप में इस समय जो भाषाएँ काम आ सकती हैं वे हिंदी अथवा अंग्रेज़ी हो सकती हैं।

यह संपर्क का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कौन सी भाषा हो इस बात को लेकर विवाद रहा है और दो तरह की दलीलें दी जाती रही हैं अंग्रेजी के पक्षधर लोगों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त होने के कारण अंग्रेजी को शैक्षिक संपर्क भाषा बना कर हम अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में भागीदारी कर सकते हैं। जो लोग इस स्तर पर हिंदी को अपनाने के पक्ष में हैं उनका कहना है कि भारतीय भाषा होने के कारण हिंदी शैक्षिक क्षेत्र में संपर्क का अधिक उपयोग माध्यम हो सकती है। इससे सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा पाने में सुविधा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि यह शैक्षिक संपर्क का माध्यम भाषा होगी तो इससे विभिन्न भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा तथा सभी भारतीय भाषाएँ विभिन्न विषयों के नए से नए ज्ञान से जुड़ेंगी। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का प्रश्न है, उसके मामले में इन लोगों का मत है कि जापान, रूस आदि देश अंग्रेजी को अपने देश की संपर्क भाषा न बनाकर भी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क करने में असफल नहीं रहे हैं।

इस द्विधापरक स्थिति के कारण ही आज उच्च शैक्षिक कार्यों — अनुसंधान-अध्यापन, लेखन, संगोष्ठी सम्मेलन आदि में भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेज़ी का वर्चस्व बना हुआ है।

बोध प्रश्न 3

क) राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? इसका संपर्क भाषा से क्या संबंध है? लगभग दस पंक्तियों के उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ख) राजभाषा किस रूप में संपर्क भाषा होती है? पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

ग) शैक्षिक क्षेत्र में संपर्क भाषा क्यों आवश्यक है? पाँच पंक्तियों में बताइए।

....

....

....

....

....

16.7 हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप

16.7.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में दी गई व्यवस्था

हम आपको बता चुके हैं कि हिंदी को प्रशासनिक क्षेत्र में संपर्क की भाषा के रूप में अपनाने के उद्देश्य से इसे संघ की राजभाषा बनाया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। राजभाषा संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास और प्रकार की व्यवस्था से संबंधित है। आगे हम इस अनुच्छेद को उद्धृत कर रहे हैं:

संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की **सामासिक* संस्कृतिक** के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और **आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट*** भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

संविधान में किए गए इस प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर हम पाते हैं कि उपर्युक्त निदेश में हिंदी के विकास और प्रसार की ज़िम्मेदारी संघ सरकार को सौंपी गई है। इसमें निम्नलिखित बातें प्रमुख हैं:

क) हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना
ख) हिंदी को भारत का सामासिक संस्कृति का वाहक बनाना
ग) आठवीं सूची की भाषाओं की शैली, रूप और पदावली का हिंदी में समावेश
घ) हिंदी में मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण
ङ) ऊपर "ग" और "घ" की स्थिति में भाषा की मूल प्रकृति को कायम रखना।

आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि हिंदी के विकास और प्रसार के प्रयास का उद्देश्य क्या है? इसकी जरूरत क्यों है? आप जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं, जातियों और धर्मों का देश है। यहाँ की संस्कृति कई संस्कृतियों के मेल से बनी है। इसलिए भारतीय संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। जब हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक ही है कि इससे हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप का विकास होगा और वह राष्ट्रभाषा का दायित्व वहन करने में अधिकाधिक सक्षम होगा। संपर्क भाषा के रूप में जो कार्य वह सदियों से करती चली आ रही थी, उसे और अधिक बल मिलेगा।

हिंदी की इसी रूप के विकास के संबंध में आगे कहा गया है कि हिंदी भाषा की अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए उसमें अन्य भारतीय भाषाओं (संविधान की आठवीं सूची में दी गई भाषाओं) की शैलियों, रूपों और अभिव्यक्तियों का समावेश किया जाए। इस तरह, भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता स्थापित करने और उनके समान तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया जाए। आप सोच सकते हैं कि यह समन्वय किस प्रकार हो सकता है? भारत की विभिन्न भाषाओं का आपसी रिश्ता बहनों का है। उनमें से अधिकांश का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। इसीलिए ऊपर से अलग-अलग दिखाई देने पर भी उनमें घनिष्ठ समानता उसी तरह विद्यमान है जिस तरह भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता। अतः इन भाषाओं के तत्वों के हिंदी में समावेश से भाषिक एकता का विकास हो सकेगा। जब हिंदी में अन्य भाषाओं के तत्वों का समावेश होगा तो भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और वे भाषाएँ एक-दूसरे के निकट आएँगी।

इस तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में की गई व्यवस्था का मूल उद्देश्य हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप विकसित करते हुए भारत की भावनात्मक एकता को बढ़ावा देना है। उसके बाद कहा गया है हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाएँ और गौण रूप से अन्य भाषाओं से। शब्द-भंडार के विस्तार की यह व्यवस्था भी हिंदी के राष्ट्रभाषा या अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में विकास को लक्ष्य में रखकर दी गई है।

16.7.2 अखिल भारतीय हिंदी की विशिष्ट क्षेत्रीय और बोलीगत विविधताएँ

आप पढ़ चुके हैं कि हिंदी का विस्तार भारत के एक क्षेत्र विशेष तक सीमित न होकर काफी व्यापक है। हिंदी भाषी कहलाने वाले राज्यों के बाहर भी यह संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती है। न केवल भारत में, बल्कि भारत से बाहर भी इसका काफी प्रचलन है। जिस भाषा का विस्तार इतना अधिक हो, और जिसे विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग संपर्क भाषा के रूप में अपनाते रहे हों, उसके रूपों में विविधता होना तो स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त, भाषा के मानक परिनिष्ठित रूप के अलावा उसके बोलीगत रूप भी होते हैं जिन्हें उस भाषा को प्रयोग करने वाले लोग अपने निजी अनौपचारिक जीवन में अपनाते हैं। क्षेत्रीय या स्थानीय बोलीगत रूप अक्सर मौखिक संप्रेषण तक सीमित होते हैं साहित्य, शिक्षा, प्रशासन आदि में मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। जीवन के अन्य औपचारिक क्षेत्रों में भी इसी का प्रयोग होता है।

हिंदी के बोलीगत रूप और जनपदीय आधारों के बारे में आप इकाई 10 और 11 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा, आपने यह भी पढ़ा है कि अहिंदी भाषा क्षेत्रों के हिंदी भाषियों के संपर्क में आने से हिंदी भाषा के विशिष्ट रूप विकसित हुए हैं। दक्खिनी हिंदी ऐसे रूप का विशिष्ट उदाहरण है। यह रूप बोली के स्तर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना हुई। इस प्रकार, जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं वह कई बोलियों, जनपदीय और क्षेत्रीय रूपों का समन्वित रूप है। आप जानते हैं कि इस समय हिंदी का जो मानक रूप है यानी जिसके माध्यम से हम शिक्षा, प्रशासनिक कार्य, औद्योगिक अथवा व्यापारिक कार्य इत्यादि सम्पन्न करते हैं, उसका स्वरूप आधुनिक युग में 19वीं-20वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि यह स्वरूप खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रादुर्भाव और विकास तथा हिंदी पत्रकारिता के विकास के साथ विकसित हुआ। इससे पहले साहित्य की केंद्रीय विधा कविता थी, जिसकी रचना प्रमुखतया अवधि तथा ब्रजभाषा में और गौणतया मैथिली, राजस्थानी आदि में होती चली आ रही थी। लोक साहित्यिक के रूप में हिंदी की सभी बोलियों के पास विपुल संपदा मौजूद थी। आधुनिक युग में आकर खड़ी बोली के प्रयोग को गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में स्वीकृति मिली। इसी समय हिंदी में गद्य की विविध विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी ओर, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत पत्रकारिता के विकास, संप्रेषण माध्यमों तथा आवागमन के साधनों के प्रसार, रेडियो तथ सिनेमा के विस्तार आदि ने भाषिक आदान-प्रदान और गद्य की आवश्यकता में गति ला दी। फलतः संप्रेषण और संप की भाषा के रूप में हिंदी का जो मानक रूप विकसित हुआ उसका आधार खड़ी बोली रही। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान यही हिंदी राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई। राजभाषा के रूप में इसी का इस्तेमाल किया गया। और आज जब हम हिंदी भाषा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे मन-मस्तिष्क में इसी का बिंब उभरता है। लेकिन इसके विविध क्षेत्रीय अथवा बोलीगत रूप आज भी विद्यमान हैं और विकसित हो रहे हैं। इन रूपों को हम मौखिक संपर्क के दौरान तो देखते ही हैं। सृजनात्मक साहित्यिक रचनाओं खास तौर से कहानी, उपन्यास आदि में, फिल्मों, दूरदर्शन कार्यक्रमों, रेडियो कार्यक्रमों आदि में भी इनका प्रयोग स्थानीय विशेषताओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इस तरह से ये परिवेश की सृष्टि और स्थानीय रंग को उभारने के काम आते हैं। हिंदी के ऐसे कुछ रूपों के उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं। इनमें बोलीगत तथा क्षेत्रीय, दोनों प्रकार के उदाहरण हैं। उनकी विशेषताओं का विश्लेषण हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि आप स्वयं मानक परिनिष्ठित* हिंदी से तुलना करके उन विशेषताओं को तलाशें।

बंबइया हिंदी

पता नहीं कब झुक गया था सिर। उठा लेता है धीरे-धीरे। ···· मैं झूटा बात कब्भी नई किया। सब करेंगा मैं ···· पन झूटा बात नई करेंगा। पहेला बोला ···· अब्भी बोलता ···· मेरा जिंदगानी में खाली एकच बात है ···· तेरे कू चोली में खोली लेके देना ···· तेरे कू अच्छा लुगड़ा ला के देना ···· तेरे कू इधर से ले जाना। और मैं तेरे कू बोलता मैना याद रख ···· एक दिन मेरा टैम जरूर आएंगा ···· जरूर आएँगा। तब तू बोलना मेरे कू ····।

बहुत बुरा मुँह बनाती है अँधेरे में। ···· जा रे बड़ा आया टैम वाला। मैं मर जाऊँगी पीछू आएँगा तेरा टैम। मैं जिंदा तब तलक तो नई आएंगा ····।

— ठीक है। ···· फिर झुका लेता है सिर। ···· नइ आएँगा तो नई सही। पन मैं तो वो टैम काच रस्ता देखता। कोई लोक का जिंदगानी कोई चीज का वास्ते ···· कोई लोक का कोई चीज का वास्ते। मेरा जिंदगानी ···· वो टैम का वास्ते। और मेरे कू भरोसा है ···· मेरा वो टैम जरूर आएँगा। ···· अभी तू उठेंगी कि इधरीच बैठी रहेंगी आक्खी रात। चल उठ!

(जगदंबा प्रसाद दीक्षित के उपन्यास "मुरदाघर" से, पृष्ठ 21)

हैदराबादी हिंदी

एक ज़माने में एक सोलह तालुके के बादशाह थे। जुम्मेरात के दिन शाम को पाशा ने इस्माइल को बुलाया जो पेशी का सदर चपरासी था।

इस्माइल आया, और सलाम अर्ज़ करके खड़ा हो गया। सरकार ने उससे गुफ्तगू की।

'अरे इस्माइल, आज तो जुम्मेरात है। कल मुझे शिकार कूँ जाना है; तो मुझे दाढ़ी बनानी है। जरूर मल्लन्ना 'हज्जाम' को बुलानां, भूलना नको।.मेरी दाढ़ी से कहीं जंगली जानवर घबरा न जाएँ।

दूसरे दिन सुबह इस्माइल मल्लन्ना के पास गया और बोला —
'अरे मल्लन्न, तेरे कू सरकार याद कर रैं, दाढ़ी बढ़ गई कते, घोट के चले जा।'

साढ़े आठ बजे मल्लन्ना डेवढ़ी कू आया और देखा तो क्या, सरकार बिस्तर पै पड़े हैं। उठने का नाम ई च नहीं लेते। इस्माइल को बुलाया और बोला —

'बाहरे इस्माइल, उँह; साढ़े नौ बजने कू आए, अभी तुम्हारे सरकार का उठने का नाम नई। इस डेढ़ रुपये की डाढ़ी के वास्ते मेरे दूसरे डाढ़ियाँ खप गए जैसा दीखता है। आज तो जुम्मे का दिन है। क्या बोलता बोल!

इस्माइल बोला — 'आखर तू हज्जाम का हज्जाम ही ठहरा। अरे वाह, कटोरा ले, बुरुश फिरा, कफ ले को सरकार की ठुड्डी पै मल और घोट दे को चला जा।'

(ई.वी. पद्मनाभन के "मल्लन नवाजजंग" से, पृष्ठ 459)

भोजपुरी

"अरे बचवा तू हीरा हो। ये रमदसवा के घर में गुरु महराज ने तोहें इसीलिए जन्म दिलाया कि गरीबों का दुःख-दरद सुनने वाला कोई होना चाहिए। रमदसवा तो खूब कटकटायल होई, तोहें दक्खिन ओर से चक पर आते देख के? ओकरा पारा चढ़ गयल होगा दिमाग पर। पता नहीं गुरु महराज कब छुड़ायेंगे अपना पिंड, इस कुलबोरन से।"

"देखो काका, तू गुरु शिवनारायण के चेला हो, पर तू उन्हें ठीक से पढ़ते नहीं हो, कहो तो तुम्हारे गुरु के एक पद का मुखड़ा सुना दूँ।
"सुनाओ भइया।" मैं "शब्द" उचारने लगा।
"सिपाही मन दूर खेलन कत जैये
घट में गंगा घट में ही जमुना तेहि बिच बैठ नहैये।"

"शिवनारायण गुरु तुम लोगों को सिपाही बनाने आये थे, चोर बनाने नहीं। ई रमदसवा कका लाख कोशिश करेगा तब भी धारा को उलट नहीं पायेगा। सुई को घसका कर पीछे करने वाले को जनधारा कचड़े की तरह किनार पर फेंक कर चल देगी। लेकिन काका हम एक बात कहना चाहते रहे पर नहीं कहेंगे, आप के दिल को चोट लगेगी।"

अरे बोलो बचवा, तोहें तो गुरु का "अन्यास" याद है, ओकर असली अरथ ई गादी लगवो वाला दुक्खन का समझेगा। ऊ तो तोहरे जैसे लोगन के हियरा से ही सफुरत (स्फूर्त) होता है। बोलो भइया।"

(शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास 'शैलूष' के 'माटिका' नामक भूमिका खड से उद्धृत। एक ठेठ देहाती पात्र और दूसरे शिक्षित पात्र के वार्तालाप में यहाँ भोजपुरी और खड़ी बोली का मेल दिखाई देता है।)

बोध प्रश्न 4

अधिक से अधिक चार-पाँच शब्दों में उत्तर दीजिए:

क) हिंदी का शब्द भंडार विकसित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में किन-किन भाषाओं से शब्द ग्रहण करने के लिए कहा गया है?

....

....

ख) हिंदी को भारत की सामाजिक-संस्कृति का वाहक बनाकर उसके किस रूप के विकास की अपेक्षा है?

....

....

ग) इससे भारतीय भाषाओं को क्या लाभ होगा?

....

....

घ) हिंदी के मानक रूप का प्रयोग मूलतया किन कार्यक्षेत्रों में होता है?

....

....

ङ) हिंदी का मानक परिनिष्ठित रूप उसके किस बोलीगत रूप पर आधारित है?

....

....

च) खड़ी बोली से पहले हिंदी के किन बोलीगत रूपों की प्रधानता थी?

....

....

छ) हिंदी के क्षेत्रीय या बोलीगत रूप का प्रयोग आजकल लिखित संपर्क के लिए कहाँ होता है?

....

....

16.8 संपर्क भाषा हिंदी के सरलीकरण का प्रश्न

जह हम कहते हैं कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है तो हमारे इस कथन में यह तो निश्चित रूप से निहित है भारत के जन सामान्य से अपनी ज़रूरत और सुविधा को देखते हुए स्वेच्छा इसे संपर्क भाषा के रूप में अपनाया है और इसे अपनाते समय या तो उसे सरलता रही होगी या फिर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसने उसमें सरलता का समावेश कर लिया होगा। फिर संपर्क भाषा के सरलीकरण का प्रश्न किस लिए है और इस प्रश्न की सार्थकता क्या है?

हिंदी की कठिनता या सरलता का प्रश्न वस्तुतः इसे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में संपर्क का माध्यम बनाने वाले वर्ग से नहीं आता, क्योंकि उसने तो इसे सहज रूप से और स्वेच्छया स्वीकार किया है। इस प्रश्न की शुरुआत उन क्षेत्रों से होती है जिनमें प्रयोग के लिए इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया है। यह क्षेत्र मुख्यतया प्रशासनिक संपर्क का क्षेत्र और कुछ हद तक शैक्षिक क्षेत्र हैं। सरलीकरण का यह प्रश्न उठा भी वस्तुतः आज़ादी के बाद और खास तौर से हिंदी को संघ की राजभाषा बनाए जाने के समय से है। राजकाज में और उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रयोग को जब लागू किया जाने लगा तो कुछ लोगों ने हिंदी सीखने में कठिनाई व्यक्त की। कठिनाई की यह समस्या उतनी वास्तविक अथवा व्यावहारिक नहीं थी जितनी मनोवैज्ञानिक अथवा भावनात्मक। स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी जी ''हिंदुस्तानी'' पर जोर

देते रहे थे और उसका कारण अंग्रेज़ों की हिंदी-उर्दू को लेकर हिंदू-मुसलमानों को विभाजित करने की भेद की नीति* का मुकाबला करना था। वह लगभग हिंदू-मुस्लिम भाईचारे जैसी बात थी। हिंदी-उर्दू का व्याकरण एक है। इनका प्रमुख अंतर शब्द-भंडार और लिपि का है। हिंदुस्तानी में उर्दू शब्दों का सहजता से स्वीकृति की सहमति है पर आज़ादी के बाद हिंदी का प्रश्न कई तरह की राजनीति के जुड़ गया है। लेकिन विचित्र स्थिति यह है कि जो लोग इस भाषा के सरलीकरण की बात करते हैं, वे भी ठीक-ठीक यह नहीं बता सकते कि अखिल भारतीय स्तर पर सरल हिंदी क्या है।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से कोई भाषा कठिन या सरल नहीं होती। हिंदी को कठिन कहने वालों के कई तर्क हैं। कुछ लोग संस्कृतनिष्ठ शब्दावली युक्त हिंदी को कठिन और उर्दू शब्दावली मिश्रित हिंदी को सरल कहते हैं। यह वस्तुतः भाषा के प्रयोक्ता* की स्थिति, इच्छा और संस्कार पर निर्भर है कि वह किस शब्दावली को अपनाना उचित समझता है। तर्क से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ''तरक्की'' और ''उन्नति'', ''तालीम'' और ''शिक्षा'', ''उत्सव'' और ''जलसा'', ''विद्यालय'' और ''मदरसा'' ''अध्यापक'' और ''उस्ताद'' में कौन-सा शब्द सरल है और कौन-सा कठिन।

इनके अलावा कुछ लोग हैं जिन्हें अंग्रेज़ी की तुलना में हिंदी कठिन दिखाई देती है। लेकिन शब्दावली के स्तर पर यहाँ भी वही बात लागू होगी। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि ''सेक्रेटरी'' सरल है और ''सचिव'' कठिन, ''डिपार्टमेंट'' सरल है और ''विभाग'' कठिन। वस्तुतः यह कठिनाई एक मानी हुई कठिनाई है जिससे ये लोग मुक्त नहीं होना चाह रहे। प्रशासनिक कार्य अंग्रेज़ी में करने की आदत बना ली है उसे छोड़ने में ऐसा लगता है मानों कोई निधि अपने हाथ से फिसली जा रही है। अंग्रेज़ी में सुविधा और हिंदी में असुविधा महसूस करना इनके अंग्रेज़ीदाँ दिमाग की उपज है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति ऐसी ही है। अंग्रेज़ी माध्यम में उच्च शिक्षा पाने वाला तथा वर्षों से अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाता आने वाला वर्ग अपनी सुविधा छोड़ने और आदत बदलने का परिश्रम नहीं करता है। इसलिए उसे पहले तो अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी पर्याय ढूँढना ही कठिन लगता है। पर्याय मिल जाने पर वह बहुत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसके प्रयोग की, उसे बोलने और लिखने की आदत नहीं है।

हिंदी व्याकरण की कठिनाई वे लोग व्यक्त करते हैं जो किसी अन्य भाषा को बोलने वाले हैं उन्हें हिंदी की लिंग व्यवस्था की कठिनाई की शिकायत होती है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि कोई भी भाषा अपने व्याकरण द्वारा अनुशासित होती है और उसे सीखने पर उसके व्याकरणिक नियमों को सीखना ही पड़ता है। अंग्रेज़ी भाषा में तो ध्वनि, उच्चारण, व्याकरण आदि को लेकर कई तरह की जटिलताएँ हैं विदेशी भाषा सीखने में तो हर स्तर पर नई व्यवस्था सीखनी पड़ती है। लेकिन हम उसके सरलीकरण की बात नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि लोग हमें बुद्धू या कम पढ़ा-लिखा समझेंगे। यदि हिंदी के प्रति भी हमारा वैसा ही दृष्टिकोण हो तो संभवतया हिंदी की कठिनाई को लेकर इतना शोर न मचे और न ही उसकी अव्यावहारिक सरलता की माँग की जाए। हिंदी इतनी व्यापक रूप से प्रयुक्त भाषा है कि इसका कोई एक ऐसा सुनिश्चित रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता, जो अखिल भारतीय स्तर पर सरल महसूस हो। मसलन संस्कृतनिष्ठ हिंदी उर्दूदाँ लोगों को कठिन लग सकती है लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को सहज महसूस हो सकती है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा की सरलता और कठिनता तो विषय और संदर्भ के अनुरूप हुआ करती है। शब्दावली चयन भी उसी आधार पर होता है। भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र के नियम को विज्ञापन की चटपटी भाषा में तो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और न ही अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को क्रिकेट की कमेंट्री वाली रवानीदार भाषा में रखा जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली द्वारा संकल्पनाओं का विश्लेषण-विवेचन अनिवार्य होगा।

16.9 हिंदी के कृत्रिम रूप से विकास का प्रश्न

ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी के प्रयोग में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ व्यक्त करते हुए उसके सरलीकरण की बात कई स्तरों पर की जाती रही है। सरलीकरण के संदर्भ में शब्दावली के विषय में चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं और यह भी बता चुके हैं कि हिंदी भाषा को कठिन महसूस करने की समस्या वस्तुतः मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अधिक है, वास्तविक कम। हर भाषा अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। ऐसे में उसके अव्यावहारिक अथवा कृत्रिम सरलीकरण अथवा विकास की बात उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। हिंदी का विकास भी उसके सहज स्वरूप के भीतर ही होना चाहिए इस स्वरूप को खंडित करते हुए नहीं। संविधान के अनुच्छेद 351 में भी इसी प्रकार की अपेक्षा की गई और हिंदी की मूल प्रकृति को अक्षुण्ण* रखते हुए उसके विकास पर ज़ोर दिया गया है।

अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण और उन्हें पचाने की शक्ति तो हिंदी में पर्याप्त रही है और वह वांछित भी है। विशेष रूप से पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में प्रचलित शब्दों को अपनाने और नए शब्द गढ़ने के अतिरिक्त संस्कृत, आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी से शब्द करने की नीति अपनायी जा रही है जो सर्वथा उचित है। लेकिन अंग्रेज़ी शब्दों को या अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को भी हिंदी के प्रवृत्ति के अनुरूप ही अपनाना उचित है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा न हो कि मात्र क्रियाएँ, संज्ञाएँ अथवा संबंधबोधक ही हिंदी को रह जाएँ बाकी अंग्रेज़ी शब्दों का हिंदी में ऐसा लिप्यंतरण हो जाए कि

अटपटी भाषा दिखाई दे यह बात खास तौर से अनुवाद के समय ध्यान रखने की है। नीचे एक अखबार में छपा एक विज्ञापन उद्धृत गया है।

कार्य का नाम

१. उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग नई दिल्ली से संबंधित उद्योग भवन में कंप्यूटर कंप्लेक्स के लिए ४ अदद पीटीए सी प्लांट्स को उपलब्ध व स्थापित करना।

२. साउथ ब्लाक नई दिल्ली में पीएम आफिस में वर्तमान एसी प्लांटस की विशेष मरम्मत (एसएचः पीएम अफिस के कंप्यूटर सेंटर के लिए एसी प्लांट के वर्तमान कूलिंग टावर को बदलना)।

यह उदाहरण स्वयं अपनी बात कह रहा है अंग्रेज़ी शब्द हिंदी भाषा में रचे-पचे नहीं बल्कि ऊपर से चिपकाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी भाँति नीचे दिए गए वाक्यांश देखिए:

> "डिस्पोजल पाइप लढ्ढन उत्थान हेतु"
>
> अथवा
>
> "हाई टेंडेसी पालिथिलिन डाट कोटेड प्रिंटेड फ्यूजिबल इंटर लाइनिंग 100 सी.एम. जिसकी मात्रा 443,00 मीटर हो।"

कुछ लोगों का मत है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उसमें वर्तनी और व्याकरण संबंधी ढील दे दी जाए। यानी जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है या जिन्हें हिंदी सीखने में कठिनाई है उन्हें अपनी सुविधा से व्याकरण, वर्तनी प्रयोग और शब्द प्रयोग करने की छूट दी जाए। इस विषय में प्रश्न यह है कि इस शिथिलता की सीमा क्या होगी? दो भाषाओं के मेल से नए भाषिक रूप उदय होते रहे हैं दक्खिनी हिंदी इसका स्पष्ट उदाहरण है। बोलीगत रूपों में भी इस प्रकार के भेद होते ही हैं। लेकिन व्यापक और महत्वपूर्ण संदर्भों में प्रयुक्त भाषा का कोई मानक रूप तो रखना ही होगा अन्यथा भाषा की संरचना व्यवस्था तथा शब्द और अर्थ के संबंध का आधार ही गड़बड़ा जाएगा। अतः सुविधाजनक होने पर भी इस कृत्रिम सरलीकरण से बचना होगा। अन्यथा सरकारी विभागों द्वारा समाचार-पत्रों में दिए गए निम्नलिखित वर्गीकृत विज्ञापन या सूचना की भाषा को भी हिंदी भाषा कहना होगा।

(क)

निविदा सूचना

केंन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
एयर कंडीशनिंग डिवीजन नं. 2
नई दिल्ली

अधिशासी अभियंता (इलेक्ट्रिक) एअर कंडीशनिंग डिवीजन नं. 2 विद्युत भवन नई दिल्ली द्वारा मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण साय ४.०० बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदाएं ९ मई १९९१ को या इससे पूर्व अप ३.०० बजे तक पहुंचनी चाहिए। निविदाओं की बिक्री खुलने की तिथि से दो दिन पूर्व खोली जाएंगी।

निविदा युक्त लिफाफे में विधिवत शीर्षांकित निर्धारित रूप में धरहिर राशि द्वारा आयी निविदा को खुले बगैर रद्द कर दिया जाएगा।

(ख)

सम्पतिकर दाता

ध्यान दें

रिक्तता की सूचना

यदि किराए के लिए किसी भूमि व भवन की रिक्तता वित्तीय वर्ष १९९१-९२ में जारी है ऐसी रिक्तता की सूचना दीजिए इससे ३०-४-१९९१ को या इससे पूर्व सुपुर्द करवाएं और रिक्तता छूट प्राप्त करें।

ज.सं. अधि. (कर)
आकलन व समाहरण विभाग
दिल्ली नगर निगम

फोन: २९२०७३३

करदाता शिक्षा कार्यक्रम के तहत

आरओ नं. ५५/. ९१-९२

ऊपर दिए गए "क" में रेखांकित पंक्तियों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसी प्रकार "ख" के पूरे वाक्य पर गौर कीजिए। "रिक्त जारी है" की जगह कोई भी समझदार व्यक्ति लिखेगा कि "खाली है" अथवा "किराए पर नहीं उठा है"। इसी प्रकार क्रियाओं पर गौर करें : "दीजिए", "करवाएँ" "करें"। एक ही वाक्य में दो प्रकार के प्रयोग उपयुक्त नहीं हैं। या तो होना चाहिए "दीजिए" "कराइए" "कीजिए" या फिर "दें", "करवाएँ (कराएँ), 'करें'।

कुछ लोग देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि के पक्षधर भी हैं। उनका तर्क है कि ऐसा करने से हिंदी को भारतीय भाषाओं

से जोड़ा जा सकता है तथा विश्व-स्तर पर प्रयोग में सुविधा रहेगी। लेकिन यह तर्क नितांत अवैज्ञानिक और बे-बुनियाद है। क्योंकि भाषा का संस्कार अपने मौखिक और लिखित रूप की मूलभूत इकाइयों यानी ध्वनियों और लिपि से जुड़ा होता है और रोमन लिपि अपनाने में हिंदी भाषा अपनी मूल ध्वनियों से दूर जा पड़ेगी परिणामतः अपनी उच्चारण व्यवस्था से कट जाएगी। इस तरह कट जाने का आज सबसे अच्छा उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के वर्तमान उच्चारण। आजकल सामान्यतया अंग्रेज़ी में हस्ताक्षर करने या नाम लिखने का प्रचलन काफ़ी हो जाने के कारण हम हिंदी नामों से अक्सर उनकी रोमन वर्तनी में ही परिचित होते हैं और कई बार हमें कठिनाई होती है कि "रमा" कहें या "रामा" "विजया" कहें या "विजय"। बहुत लंबे समय तक "अशोका होटल" कहे और लिखे जाने के पश्चात् कुछ समय पूर्व संबद्ध अधिकारियों ने उसकी रोमन वर्तनी "Ashoka" के स्थान पर Ashok की है ताकि "अशोक होटल" उच्चारण हो। लेकिन आज इसके प्रभाव के कारण भी हम "मौर्या", "कनिष्का", "सिद्धार्था" होटल कहते हैं। इतना ही नहीं "प्रीति", "दीप्ति", "अंजलि" आदि का भी दीर्घीकरण होकर क्रमशः प्रीती, दीप्ती, अंजली हो गया है।

अतः ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंदी का विकास उसकी मूल प्रकृति के अनुरूप किया जाए। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया प्रावधान उपयुक्त है।

16.10 संपर्क लिपि के रूप में देवनागरी

आप पढ़ चुके हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं मौखिक और लिखित। मौखिक रूप का माध्यम ध्वनि और ध्वनि-प्रतीक होते हैं तथा लिखित रूप का माध्यम लिपि। किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का व्यवस्थित रूप उसकी वर्णमाला होता है और उस वर्णमाला को लिखित रूप में प्रस्तुत करने वाले सांकेतिक चिह्न लिपि कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वर्णमाला किसी भाषा के इस्तेमाल होने वाली ध्वनियों की वैज्ञानिक व्यवस्था है तथा लिपि उस वर्णमाला को दृश्य सांकेतिक चिह्नों में परिवर्तित करने की प्रविधि है। लिपिबद्ध हो जाने से भाषा को स्थायित्व प्राप्त होता है। उसमें प्रस्तुत सामग्री देशकाल की सीमा को लाँघकर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहती है।

हरेक विकसित भाषा के लिए एक निश्चित लिपि का प्रयोग रूढ़िगत हो जाता है और धीरे-धीरे भाषा और लिपि एक-दूसरे से रक्त और चर्म की तरह संबद्ध हो जाती है। किसी भाषा के बोलने वालों का उस भाषा की लिपि से न केवल रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है बल्कि एक तरह से लिपि उनके भाषा-संस्कार* का अंग बन जाती है। इस संस्कार का अच्छा उदाहरण हिंदी और उर्दू का दिया जा सकता है। नीचे इकबाल की पंक्तियाँ दी गई हैं:

> "सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा
> हम बुल बुले हैं इसकी
> ये गुलिस्ताँ हमारा"

देवनागरी में प्रस्तुत ये पंक्तियाँ हिंदी भाषा की पंक्तियाँ हैं। अब इन्हीं पंक्तियों को यदि फ़ारसी लिपि में लिख दिया जाए तो ये उर्दू की पंक्तियाँ कहलाएँगी।

आधुनिक भारतीय भाषाओं में काफ़ी ऐसी हैं जिनमें संरचनागत भेद की तुलना में लिपिगत भेद अधिक है। उड़िया अथवा पंजाबी भाषा का संदेश अगर देवनागरी में लिखा हो तो हिंदी जानने वाला व्यक्ति उसे काफी हद तक समझ लेता है। हिंदीतर भाषाओं की फिल्में और चित्रहार अक्सर लोग टेलीविज़न पर देखा करते हैं हालांकि वे उन भाषाओं को नहीं जानते।

भारतीय भाषाओं के इस संबंध को दृष्टि में रखकर कई बार ऐसा सुझाव दिया जाता रहा है कि संपर्क लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकार कर लिया जाए। संपर्क भाषा की लिपि को यदि संपर्क लिपि के रूप में प्रचलित कर लिया जाता है तो निश्चय ही भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल सकता है। ध्वनियों के अनुरूप वर्णों की पूर्णता के कारण देवनागरी में जो कुछ लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो कुछ बोला जाता है वही लिखा जाता है। स्वर और व्यंजनों के स्पष्ट रूप अंकित होने के कारण कोई संदिग्धता* नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, देवनागरी अन्य भारतीय लिपियों के निकट है। देवनागरी का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है और गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया आदि की लिपियाँ भी ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की ध्वनियाँ और वर्णमाला मिलती-जुलती हैं। इस दृष्टि से सन् 1935 से लेकर आज़ादी के बाद तक कई समितियाँ बैठीं और यह सहमति व्यक्त की गई कि हिंदी की लिपि देवनागरी ही ऐसी लिपि है जो अन्य भारतीय भाषाओं को अभिव्यक्त करने में सर्वथा सक्षम है। समितियों के इन सुझावों को दृष्टि में रखते हुए तथा आधुनिक मशीनी उपकरणों — टंकण, आशुलिपि, कंप्यूटर आदि के प्रयोग की सुविधा के अनुरूप हिंदी वर्णमाला का मानकीकरण किया गया है। केंद्रीय निदेशालय ने इस मानकीकृत रूप से प्रकाशित किया है। साथ ही, परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला भी विकसित की है,ताकि उसके माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं से देवनागरी में लिप्यंतरण संभव हो सके। यह परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला हम नीचे दे रहे हैं। इसमें दिए गए विशेषक चिह्न विभिन्न भारतीय भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए शामिल किए गए हैं:

देवनागरी वर्णमाला

स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
मात्राएँ ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ
अनुस्वार ं (अं)
विसर्ग : (अः)

अनुनासिकता चिह्न

व्यंजन क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह

संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र
हल् चिह्नः

इ) परिवर्तित लिपिचिह्न

	पूर्व रूप	परिवर्तित रूप
क) कश्मीरी हस्व आ	अ	आं
ख) दक्षिण भारतीय भाषाओं में ह्रस्व ए	ऍ	ऎ
ग) सिंधी अंतः स्फोटी	द	ड
घ) मलयालम	ष	ळ

ङ) उर्दू-फ़ारसी अथवा अरबी ع (अ) को व्यंजन मानते हुए इनके साथ अन्य मात्राएँ इस प्रकार जुड़ेंगी: अि, अी, अु आदि।

इस प्रकार परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला सारणी का जो रूप स्वीकृत हुआ है, वह निम्नलिखित है:

परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला

देवनागरी वर्णमाला

स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
मात्राएँ ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ
अनुस्वार (अं)
विसर्ग : (अः)

अनुनासिकता चिह्न

व्यंजन क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व ळ
श ष स ह

संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र
हल् चिह्न

इस मानकीकरण के पश्चात् भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य सरकारों को सुझाव भी दिया था कि वे अपनी भाषाओं की लिपि के अतिरिक्त देवनागरी को भी स्वीकार कर लें। ऐसा करने से भारतीय भाषाओं में निकटता बढ़ने की संभावना है।

यद्यपि इस सुझाव को अपनाए जाने की कोई विशेष रुझान नहीं दिखाई देता है। इसका कारण विभिन्न भारतीय

भाषा-भाषियों का अपनी लिपि के प्रति राग ही है, अन्यथा इस प्रक्रिया के विभिन्न भारतीय भाषाओं के विपुल साहित्य को एक-दूसरे के काफ़ी निकट लाया जा सकता है। उनके तुलनात्मक अध्ययन में भी सुविधा हो सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ हम उड़िया के कवि श्री रमाकांत रथ की कविता "श्रीराधा" के एक अंश का देवनागरी लिप्यंतरण और हिंदी अनुवाद दे रहे हैं। आप उड़िया मूल और हिंदी अनुवाद को भाषा स्तर पर एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं पाएँगे।

ए देहरे रक्त खुब शीतल येहेतु	इस देह में लहू काफी शीतल है क्योंकि
असंख्य उत्ताप अछि ए देह भितरे।	असंख्य उत्ताप है इस रक्त के अंदर
प्रत्येक उत्ताप तार पूर्व उत्तापकु	प्रत्येक उत्ताप अपने पूर्व उत्ताप को
जाळिदिए, काकर पवन	कर देता है दग्ध, शीतल पवन
कुआडु हठात् आसे ओ थराइ दिए	कहाँ से आता है अचानक और कंपा देता है
अस्थि मज्जा भूत भविष्यत वर्तमान।	अस्थि मज्जा भूत भविष्य वर्तमान।

16.11 संपर्क भाषा हिंदी के विकास में अनुवाद का महत्व

संपर्क भाषा के विकास में अनुवाद एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। अनुवाद का कार्य दो भाषाओं तथा संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करना होता है। जो भाषा संपर्क भाषा बनती है वह सहज रूप से इस दायित्व वहन करती ही है इसके अतिरिक्त, औपचारिक रूप से भी यह दायित्व वहन कराया जाता है। भारतीय भाषाओं में आदान-प्रदान की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। आधुनिक नवजागरण काल में यह खास तरीके से तेज हुई। बंगला से तो हिंदी में प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए और आज भी हिंदी में सर्वाधिक अनूदित साहित्य बंगला का ही है। अन्य भाषाओं मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया आदि से अनुवाद हुए हैं और हो रहे हैं। भारतीय भाषाओं के रचनाकारों की भी इच्छा अपने साहित्य को हिंदी में अनूदित कराने की होती है। इसका कारण यह है कि लेखक को पता है कि क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर पहचान बनाने के लिए हिंदी में अनूदित होना अनिवार्य है। यह अनुवाद कार्य दोनों स्तरों पर होता है। वैयक्तिक स्तर पर तथा संस्थागत स्तर पर। रचना और रचनाकार से प्रेरणा पाकर लोग व्यक्तिगत स्तर पर अनुवाद करते हैं। साथ ही, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ आदि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान के लिए भी हिंदी संपर्क का कार्य करती है। यानी बंगला रचना के कन्नड़ अनुवाद या गुजराती के पंजाबी अनुवाद सीधे कम होते हैं अक्सर बंगला से हिंदी और हिंदी से कन्नड़ या गुजराती से हिंदी और हिंदी से पंजाबी में अनुवाद होता है। कारण, भारतीय भाषाएँ जानने वाले द्विभाषिक लोगों में अक्सर ऐसे ज्यादा होते हैं जो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा जानते हैं और फिर हिंदीतर दो भारतीय भाषाओं की क्षमता रखने वालों के लिए भी केवल भाषा ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अनुवाद कार्य जानना भी अपेक्षित होता है। इस तरह हिंदी भारतीय भाषाओं के बीच सृजनात्मक संपर्क का कार्य करती है। इस संपर्क स्थिति में कभी-कभी अंग्रेज़ी प्रतिद्वंद्विता करती दिखाई देती है। रचना का पहले अंग्रेज़ी अनुवाद कराया जाता है और फिर उस अंग्रेज़ी अनुवाद से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद। अंग्रेज़ी को इस प्रकार संपर्क की भाषा के अन्य रूप में लाने में भले ही इस बात के प्रति आश्वस्त हो लिया जाए कि रचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच सकती है, लेकिन जहाँ तक भारतीय भाषाओं तक उसके पहुँचने का सवाल है बेहतर विकल्प हिंदी ही हो सकती है क्योंकि भारतीय परिवेश, संस्कृति, जीवन पद्धति और संवेदना को जितनी अच्छी तरह और निकटता से भारतीय भाषा में अंतरित किया जा सकता है (खास तौर से जब तक उसे पुनः किसी अन्य भारतीय भाषा में अंतरित करना हो) उतना विदेशी भाषा में नहीं।

संपर्क भाषा के रूप में अनुवाद की दूसरी स्थिति प्रशासनिक क्षेत्र की है। प्रशासनिक क्षेत्र की भाषा पहले अंग्रेज़ी थी। हिंदी राजभाषा घोषित हो जाने के बाद अब अंग्रेज़ी में मौजूद कार्यविधि* साहित्य को हिंदी में अनूदित करने की व्यवस्था है। यदि संघ में हिंदी तथा राज्यों में अन्य भारतीय भाषाएँ ही राजभाषा होती तो एक बार अंग्रेज़ी से पूरी सामग्री अनूदित हो जाने के पश्चात् दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुवाद हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के बीच होते। लेकिन राजभाषा अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार अंग्रेज़ी तब तक हिंदी के साथ अपनाई जाती रहेगी जब तक सभी हिंदी भाषी राज्य इसके लिए सर्वसम्मति से सहमत न हो जाएँ। इस प्रकार आज व्यावहारिक स्थिति यह है कि मूल लेखन अंग्रेज़ी में होता है फिर उसका हिंदी या अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। यदि इन भाषाओं में कोई पत्र या प्रलेख तैयार कर भी लिया जाता है तो उसका अंग्रेज़ी अनुवाद आवश्यक समझा जाता है।

इस तरह इस प्रशासनिक क्षेत्र के अनुवाद संपर्क भाषा हिंदी के विकास में जितना योगदान दे सकते थे, उतना नहीं दे पा रहे हैं।

बोध प्रश्न 5

पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए:

क) संपर्क भाषा का कृत्रिम रूप से विकास क्यों नहीं होना चाहिए।

....

....

....

....

....

ख) देवनागरी लिपि को संपर्क लिपि बनाने का सुझाव क्यों दिया गया है?

....

....

....

....

....

ग) अनुवाद संपर्क भाषा के विकास में क्या योगदान देते हैं?

....

....

....

....

....

16.12 सारांश

इस इकाई में आपने संपर्क भाषा हिंदी के बारे में पढ़ा है। अब आप जान गए हैं कि हिंदी क्यों हमारी संपर्क भाषा है तथा संपर्क भाषा बनने के लिए किसी भाषा से क्या अपेक्षाएँ की जाती हैं। अब आप संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध प्रकार्यों — सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि के बारे में बता सकते हैं। इसके साथ ही, आपने हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। उसके बोलीगत अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित होने के अतिरिक्त आपको यह जानकारी भी मिल गई है कि हिंदी का अखिल भारतीय रूप विकसित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है।

अब आप यह जान गए हैं कि हिंदी का कृत्रिम विकास करके उसे सरल बनाने का प्रयास उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सरलीकरण की माँग वास्तव में यथार्थ माँग नहीं है।

इस इकाई में आपने यह भी पढ़ा है कि देवनागरी लिपि हमारी संपर्क लिपि की भूमिका अदा कर सकती है और उसके माध्यम से भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के निकट लाया जा सकता है। इसके साथ ही आपने संपर्क भाषा हिंदी के विकास में अनुवाद के महत्व के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

16.13 शब्दावली

अनुशासन : ज्ञान की विभिन्न शाखाएँ जैसे विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य आदि।

अंतर्प्रांतीय : एक प्रांत से दूसरे प्रांत में।

सामासिक: मिली-जुली।

आठवीं अनुसूची की भाषाएँ —

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् जब भारतीय संविधान बना तो देश की 14 प्रमुख भाषाओं को संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्रदान की गई। बाद में सिंधी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह इन भाषाओं की संख्या पंद्रह हो गई। ये भाषाएँ हैं —

1) असमिया	6) कश्मीरी	11) संस्कृत
2) बंगला	7) मलयालम	12) सिंधी
3) गुजराती	8) मराठी	13) तमिल
4) हिंदी	9) उड़िया	14) तेलुगू
5) कन्नड़	10) पंजाबी	15) उर्दू

विनिर्दिष्ट : विशेष रूप से उल्लिखित।

परिनिष्ठित : संपन्न, पूर्ण रूप से उपयुक्त।

भेद की नीति : बाँटने की नीति, अलग-अलग करने की नीति।

प्रयोक्ता : इस्तेमाल करने वाला।

अक्षुण्ण : कायम।

संस्कार : शिक्षा, संगति, परिवेश आदि के कारण निर्मित मनोवृत्ति; भाषा-संस्कार — भाषाई प्रकृति।

संदिग्धता : संशयजनक होना, संदेहपूर्ण होना।

कार्यविधि साहित्य : काम करने के लिए आवश्यक नियम-पुस्तिका, मैनुअल आदि।

16.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डॉ. भोलानाथ तिवारी और डॉ. कमल सिंह (सं.) *संपर्क भाषा हिंदी,* प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

डॉ. देवेंद्रनाथ शर्मा, *राष्ट्रभाषा हिंदी : समस्याएँ और समाधान,* लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

16.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

क) देखें, भाग 17.2 विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों के बीच संपर्क की भाषा।
ख) देखें, भाग 17.3 जिसे समझते और बोलने वाले समाज में अधिक से अधिक हों।

बोध प्रश्न 2

क) i) × ii) × iii) √ iv) × v) √ vi) ×
ख) i) संस्कृत ii) मध्यकाल से iii) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक iv) साहित्य, धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यकलाप, संगीत, सिनेमा।

बोध प्रश्न 3

क) देखें, भाग 17.5
ख) देखें, उपभाग 17.6.2 प्रशासनिक क्षेत्र में संपर्क का भाषा।
ग) देखें, उपभाग 17.6.3 देश भर के शिक्षित लोगों को जोड़ने के लिए।

बोध प्रश्न 4

क) मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से।
ख) अखिल भारतीय संपर्क की भाषा के रूप में विकास की।
ग) भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे के ज्यादा निकट आएँगी।
घ) साहित्य, शिक्षा, प्रशासन आदि में तथा अन्य औपचारिक क्षेत्रों में।
ङ) खड़ी बोली।
च) ब्रजभाषा और अवधी।
छ) कहानी, उपन्यास, फ़िल्मों, दूरदर्शन, रेडियो आदि के कार्यक्रमों में स्थानीय विशेषताओं को प्रकट करने के लिए।

बोध प्रश्न 5

क) देखें, भाग 17.9 ऐसा करने से भाषा अपना सहज रूप (खो देगी)।
ख) देखें, भाग 17.10 सभी भारतीय भाषाओं में निकटता लाने के उद्देश्य से।
ग) देखें, भाग 17.11 संपर्क सेतु का काम।

इकाई 17 हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य
17.1 प्रस्तावना
17.2 विदेशों में हिंदी भाषी
17.3 अन्य देशों में हिंदी
17.4 विदेशों में हिंदी का प्रयोजन पक्ष
 17.4.1 धार्मिक जीवन और संस्कार
 17.4.2 साहित्यिक सर्जना और पुस्तक प्रकाशन
 17.4.3 जनसंचार
 17.4.4 संपर्क
17.5 विदेशों में हिंदी शिक्षण की स्थिति
17.6 विदेशों में हिंदी भाषा का स्वरूप
17.7 सारांश
17.8 शब्दावली
17.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
17.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

17.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बता सकेंगे कि:

- भारत से बाहर कहाँ-कहाँ हिंदी का प्रयोग होता है,
- इस भाषा को बोलने और पढ़ने वाले लोग कौन है,
- उनके द्वारा प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप कैसा है,
- विदेशों में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हिंदी का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है, तथा
- विदेशों में हिंदी के प्रशिक्षण का क्या व्यवस्था है।

17.1 प्रस्तावना

कोई भी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी उभर कर आती है जब वह अपने में कुछ ऐसी विशिष्टताएँ लिए हुए हो, जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं के बराबर लाकर खड़ा कर दे। यह तभी संभव है जब उसका साहित्य अत्यंत समृद्ध हो, जो सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से दूसरे संस्कृति वाले को अपनी ओर खींचे। उसका धर्म एवं दर्शन का क्षेत्र इतना सशक्त हो कि उसकी तहों तक पहुँचने के प्रयास किए जाएँ। उसका इतिहास एवं उसकी सभ्यता इतनी विविधताओं से पूर्ण हो कि वह एक गहन अध्ययन का क्षेत्र बन जाए। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी भाषा की भूमिका का प्रश्न है, यह तो आप जानते हैं कि आज हिंदी एक बड़े पैमाने पर विश्व के कई देशों में पनप रही है, चाहे इसका विस्तार शैक्षिक स्तर पर हो रहा है, चाहे भाषिक स्तर पर। इस भाषा में कोई अन्य शक्ति है, जो विश्व को अपनी ओर खींच रही है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि विदेशों में हिंदी का महत्व एक विदेशी भाषा के रूप में बढ़ रहा है या इसका महत्व इसके सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं के कारण है? वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तभी दिया जा सकता है, जब हम यह जान लें कि विदेशों में हिंदी की स्थिति और उसका प्रयोजन क्या है? उसके पढ़ने-बोलने वाले कौन लोग हैं तथा किस स्तर पर वे हिंदी का प्रयोजन करते हैं? हिंदी सीखने और उसके प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है?

17.2 विदेशों में हिंदी भाषी

इस संदर्भ में प्रमुख रूप से विदेशों में हिंदी भाषा-भाषियों के दो वर्ग उभर कर सामने आते हैः

i) पहले वर्ग में वे देश आते हैं जहाँ भारतीय मूल के लोग वर्षों पहले गए थे और वहीं बस गए। ऐसे देश हैं फ़ीजी, त्रिनिदाद, गयाना, मॉरिशस, सूरीनाम आदि। इन देशों में दो-तीन सौ वर्ष पहले भारतीय खेतिहर मज़दूरों के रूप में गए और अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग को जीवित रखा। हिन्द महासागर में स्थित मॉरिशस देश में दिसम्बर 1834 में सबसे पहले मज़दूर पहुँचे। वहाँ जाने वाले हिंदी भाषियों में मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग थे जिनकी मातृभाषा भोजपुरी थी। यही कारण है कि मॉरिशस में भोजपुरी के पुट वाली हिंदी का प्रयोग होता रहा। फिर धीरे-धीरे नए संपर्कों से मानक हिंदी का भी विस्तार होने लगा। जिस समय ये लोग वहाँ मज़दूरों के रूप में गये थे, उस समय इन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इसी कारण इन लोगों ने वहाँ अपनी धार्मिक भावना, रीति-रिवाज आदि को अधिक मज़बूत किया जिससे कि दिन भर के काम के बाद थककर कुछ समय के लिए अपनी भाषा में कुछ गा-बोलकर ये ताज़गी महसूस कर लें। उस समय देश में इनके बच्चों की शिक्षा आदि का भी सरकार द्वारा कोई प्रबंध नहीं था, अतः जिसको हिंदी का जितना ज्ञान था, उसी के अनुसार वह खाली समय में बच्चों को पढ़ाने लगा, और इस प्रकार भाषा को जीवित रखने का भार भी अपने कंधों पर उठाया।

इसी प्रकार प्रशांत महासागर में स्थिति फ़ीजी देश में भारतीय मज़दूर रूप में लाए गए। भारत के बाहर फ़िजी सबसे बड़ा देश है जहाँ हिंदी बोली जाती है। यहाँ जाने वाले लोगों में प्रमुख रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार तथा कुछ अवधी भाषी क्षेत्र के लोग थे। कुछ लोग गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास आदि से भी गए, परंतु सभी ने बोलचाल के लिए फ़ीजी हिंदी के स्वरूप को अपनाया तथा औपचारिक अवसरों पर हिंदी को।

सूरीनाम दक्षिणी अमरीका का एक छोटा-सा देश है। जहाँ की जनसंख्या लगभग साढ़े चार लाख है, जिसमें से लगभग डेढ़ लाख लोग भारतीय मूल के हैं। यहाँ भी लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार से खेती करने के लिए वहाँ पहुँचे और अधिकांश वहीं बस गए। वहाँ एक वर्ग तो ऐसा है जो मात्र भोजपुरी का प्रयोग करता है, दूसरा वर्ग खड़ी बोली हिंदी से परिचित है अतः भोजपुरी मिश्रित हिंदी का प्रयोग करता है।

जहाँ भी भारतीय मूल के लोग हैं, वहाँ उन्होंने अपनी अस्मिता के साथ हिंदी भाषा को जोड़ा। उसको उठाने के लिए भरसक प्रयास किए और इन देशों में आज स्थिति यह है कि विद्यालयी स्तर पर तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर भी हिंदी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। इसकी विस्तार से चर्चा आगे की जाएगी।

ii) दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो आधुनिक युग में नौकरी के लिए भारत से बाहर गए और किन्हीं देशों में किसी क्षेत्र का अल्पसंख्यक वर्ग बन गए। इस वर्ग की चर्चा को हम हिंदी भाषियों तक भी सीमित नहीं रखना चाहेंगे, बल्कि उन सभी भारतीयों की बात करना चाहेंगे, जो विभिन्न भारतीय भाषाएँ बोलते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख देश हैं — इंग्लैंड (हिंदी भाषियों की आबादी लगभग 8 लाख), अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मलाया-सिंगापुर आदि। इन देशों के भारतीय मूल के लोगों को आमतौर पर प्रवासी* भारतीय कहा जाता है। इनके अलावा अन्य देशों में भी भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन वे इतनी कम संख्या में हैं कि एक वर्ग नहीं बन पाते जो हिंदी को संप्रेषण के लिए अपना सकें। उपर बताए 5 देशों के प्रवासी भारतीयों के सामने अपनी सांस्कृतिक-सामाजिक अस्मिता का सवाल था। इन लोगों को धार्मिक कार्य-कलापों तथा अन्य रीति-रिवाजों के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ी। ये देश अधिक उन्नत देश हैं अतः इन देशों में पत्र-पत्रिकाओं और रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से जन-संचार की सुविधाएँ हैं। इस कारण यहाँ के प्रवासी भारतीयों को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए इन माध्यमों के उपयोग की छूट मिलती है।

17.3 अन्य देशों में हिंदी

ऊपर के भाग में हमने भारतीय मूल के हिंदी भाषियों की चर्चा की, जो विभिन्न देशों में रह रहे हैं। इस भाग में हम ऐसे देशों का उल्लेख करेंगे जहाँ पर हिंदी भाषा किसी जनसमुदाय या वर्ग की अपनी भाषा नहीं है, लेकिन लोग किन्हीं स्थितियों में हिंदी भाषा के संपर्क में आते हैं। इन देशों को भी हम दो वर्गों में बाँट सकते है :

i) पहला वर्ग उन देशों का है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका आदि पड़ोसी देश एक ही भाषा परिवार की भाषाएँ बोलने वालों के देश हैं। इन देशों में इस कारण हिंदी भाषा से परिचय अधिक स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है, इस कारण पाकिस्तान के लोगों को हिंदी समझने-बोलने में अधिक कठिनाई नहीं होती। यहाँ के लोग शौक से हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी फ़िल्में देखते हैं। नेपाल की भाषा नेपाली है। यह हिंदी की उपभाषा पहाड़ी के अंतर्गत आती है। इस कारण नेपाली और पूर्वी हिंदी काफ़ी समान है। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इन समान तत्वों के कारण नेपाली भाषा के लिए हिंदी भाषा संप्रेषणीय लगती है। रेडियो, दूरदर्शन आदि संचार साधनों के संप्रेषणीयता को और बढ़ा दिया है। अफ़गानिस्तान की भाषा पश्तो है जो भारत-ईरानी शाखा की भाषा है इस कारण अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए हिंदी सुगम्य लगती है और वहाँ के लोग हिंदी फ़िल्मों और गानों में रुचि लेते हैं। श्रीलंका की भाषा सिंहली एक आर्यभाषा है। इसकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। सिंहली की लिपि के कई चिह्न (अक्षर या वर्ण) भारतीय लिपि-चिह्नों से मिलते हैं। इस दृष्टि से श्रीलंका के लोगों के लिए हिंदी अधिक कठिन भाषा नहीं है।

ii) संसार में ऊपर बताए देशों के अलावा क्यूबा, कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, पोलैंड आदि लगभग 50 देशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। इन देशों में न तो हिंदी कक्षा के बाहर बोली-सुनी जाती है और न हीं वहाँ यह सांस्कृतिक सेतु का ही काम करती है। यहाँ हिंदी सीखने वाले लोग विदेशी ही हैं जो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं। इन देशों के अंतर्गत पूर्वी-पश्चिम यूरोप, अमरीका, रूस आदि भी आ जाते हैं। यहाँ हिंदी के प्रति लोगों को गहरी रुचि दिखाई देती है। ये लोग हिंदी सीखकर नौकरी पाने की लालसा नहीं रखते, न ही दैनिक व्यवहार में इसका प्रयोग करते हैं। ये लोग इस भाषा के माध्यम से इसका विपुल साहित्य पढ़ना चाहते हैं, भारतीय दर्शन की गहराई में पहुँचना चाहते हैं, इस देश की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को समझना चाहते हैं। यही कारण है कि पूर्वी यूरोप के देशों में व्यापक स्तर पर हिंदी साहित्य का अनुवाद हो रहा है, जिसकी विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। इन देशों में मात्र हिंदी का शैक्षिक संदर्भ है, सामाजिक संदर्भ का अभाव है, क्योंकि सामाजिक प्रयोजनों के लिए हिंदी का व्यवहार नहीं होता। इन देशों में हिंदी का अध्ययन या तो व्यक्तिगत रुचि के कारण है या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे अनुवाद, स्थानीय रूप से प्रसारण आदि।

17.4 विदेशों में हिंदी का प्रयोजन पक्ष

हमने भाग 16.2 और 16.3 में क्रमशः भारतीय मूल के लोगों और हिंदी में रुचि रखने वाले विदेशियों की चर्चा की। इन सबकी आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। भारतीयों के लिए हिंदी अपनी अस्मिता* की भाषा है। इन देशों के लोग कामकाज के लिए स्थानीय भाषा अर्थात् जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की राजभाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका के लोग अंग्रेज़ी के माध्यम से काम करते हैं। हालैंड में बसे भारतीय डच भाषा में काम करते हैं। फ़ीजी तथा मॉरिशस की भी राजभाषा अंग्रेज़ी है। इस कारण आजीविका* से संबंधित क्षेत्रों में यहाँ के लोग हिंदी से इतर किसी भाषा में काम करते हैं। हिंदी की आवश्यकता सांस्कृतिक तथा शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के सवाल पर हम अगले भाग में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। इस भाग में हम यहाँ के भारतीयों की सांस्कृतिक आवश्कताओं की चर्चा करेंगे। ये आवश्यकताएँ हैं:

i) धार्मिक जीवन और संस्कार
ii) साहित्यिक सर्जना और पुस्तक प्रकाशन
iii) जन संचार (रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाएँ आदि)
v) संपर्क

17.4.1 धार्मिक जीवन और संस्कार

भारतीय समाज के व्यक्तियों के लिए शादी-विवाह, तीज-त्योहार आदि से संदर्भ में अपनी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ये सब काम अंग्रेज़ी आदि विदेशी भाषाओं में नहीं हो सकते। जिस प्रकार भारत में धार्मिक कार्यों के लिए संस्कृत प्रयोजनपरक भाषा है, उसी प्रकार इन देशों में भी भारतीय संस्कृत का व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसे अवसरों पर व्यक्ति आपस में अपनी मातृभाषा में संपर्क करते हैं। धर्म जनसमुदाय को जोड़ने का सबसे उपयुक्त साधन है। धर्म की रक्षा के लिए लोग पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन, कथावाचन आदि कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि विदेशों में जहाँ भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं के बोलने वाले मिलते हैं तो स्वभावतः हिंदी संपर्क की भाषा हो जाती है।

17.4.2 साहित्यिक सर्जना और पुस्तक प्रकाशन

जहाँ विभिन्न देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, हम अनुमान कर सकते हैं कि वे साहित्य द्वारा सर्जनात्मक क्षमता को अभिव्यक्ति देंगे। उन्नत साहित्य का निर्माण भाषा का विकास सूचित करता है। इस दृष्टि से विदेशों में बसे भारतीयों में जो साहित्यिक प्रतिभा है उसे उभारा जाना चाहिए। इस प्रकार हिंदी साहित्य सही अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य बनेगा। लेकिन साहित्य सृजन के लिए भाषा पर अधिकार की भी आवश्यकता है। विदेशों में बसे भारतीयों के संदर्भ में हम यह देखते हैं कि हिंदी पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण उच्च स्तर का साहित्य अधिक मात्रा में नहीं लिखा गया। इस दृष्टि से जिन देशों में हिंदी भाषा का अधिक अच्छा स्तर है, उन देशों में साहित्य सृजन दिखाई पड़ता है।

मॉरिशस के कई लेखक उल्लेखनीय हैं। श्री अभिमन्यु अनत उपन्यासकार हैं। उन्होंने "लाल पसीना" जैसे कई सशक्त उपन्यास लिखे हैं, जिसमें मॉरिशस के भारतीयों के जीवन का सजीव चित्रण किया किया है। श्री अनत अच्छे कवि भी हैं। इनकी कविताओं का एक संग्रह "कैक्टस के दाँत" हैं जिसमें मज़दूरों की विपन्नता और दुर्गति तथा उसके शोषण और सामाजिक विषमताओं का मार्मिक चित्रण है। इनकी कविता का एक नमूना देखिए:

बड़ी कृतहन मज़दूर जाति
जो चिल्ला-चिल्ला कर कह रही
कि तुमसे उसे कुछ भी नहीं मिला
लेकिन मैं तो तुम्हारा आभारी हूँ
जानता हूँ कि मेरी फटेहाल झोली का
यह खालीपन! तुम्हारी ही देन है।

अभिमन्यु अनत

मॉरिशस के अन्य उल्लेखनीय कवि श्री सोमदत्त बखौरी, श्री मुनिश्वरलाल चिंतामणि, श्री ठाकुरदत्त पांडेय आदि हैं। मॉरिशस की कवयित्री श्रीमती भागवती देवी ने 1912 में ही भोजपुरी गीतों का संकलन प्रकाशित किया। श्री रामदेव धुरंधर जाने-माने उपन्यासकार हैं और बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखते हैं। मॉरिशस के कई प्रसिद्ध कहानीकार हैं, जिन्होंने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा भारतीय चिंतन पर आधारित जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। ऐसे कुछ कहानीकार हैं — दीपचंद बिहारी, बृजलाल रामदीन, प्रेमचंद मूली, भानुमति, नागदान आदि।

फ़ीजी में हिंदी में साहित्य रचना का लंबा सिलसिला है। फीजी के प्रख्यात कवि पं. कमला प्रसाद मिश्र काफ़ी पहले से लिख रहे हैं और इनकी कविताएँ छायावाद युग की हैं। मिश्र जी की कविताओं में फ़ीजी प्राकृतिक सौंदर्य शब्दबद्ध है। कुछ नमूने देखिए:

यहाँ सूरज पहले निकलता है और दूर अँधेरा होता है
फ़ीजी फ़िरदौस है पैसिफ़िक का यहाँ पहले सवेरा होता है।
हर ओर गज़ब हरियाली है ओर छटा मतवाली है
यह फ़ीजी वही जिसमें हर माह बहार का फेरा होता है।
(यहाँ पहले सवेरा होता है)
रेवा में जीवन का उल्लास छिपा है
मृदु प्रकृति-परी का अनुपम हास छिपा है।
किस तरह जान पायेंगे रेवा के वासी
इन लहरों में क्या-क्या इतिहास छिपा है।
(रेवा नदी के प्रति
— कमला प्रसाद मिश्र

फ़ीजी के एक प्रसिद्ध कथाकार हैं श्री जोगिन्द्र सिंह कंवल, जिनके 'सवेरा', 'करवट', 'धरती मेरी माता' आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 'सवेरा' उपन्यास पर उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से पुरस्कार भी दिया गया है। अपने उपन्यासों में अत्याचार, शोषण तथा अपने जीवन के अनुभवों को ही उभारा है, जो अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है।

सूरीनाम के कवि मुंशी रहमान खान के सूरनामी भाषा में दो काव्य ग्रंथ लिखे हैं — 'दोहा-शिक्षावली' तथा 'इतिज्ञान-प्रकाश समद्रि'। प्रकाशन के अभाव के कारण सूरीनाम के अन्य लेखकों का साहित्य प्रकाश में नहीं आया है।

विदेशी हिंदी साहित्यकारों में चेकोस्लोवाकिया के श्री ओदोलेन स्मेकल तथा रूस के ई.पी. चैलिशेव प्रमुख हैं। ये विद्वान सृजनात्मक लेखक ही नहीं, विचारक, वैयाकरण भी हैं।

पड़ोसी देशों में हिंदी की साहित्यिक संपदा में श्रीवृद्धि करने का श्रेय सबसे अधिक नेपाल को जाता है। नेपाल में साहित्य सृजन लगभग उतना ही पुराना है जितना भारत में। ऐसा माना जाता है कि नाथ और सिद्ध साहित्य की रचना नेपाल में भी हुई। इसके बाद मध्यकाल में मल्ल राजाओं के समय हिंदी में साहित्य रचा गया। इस साहित्य का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। 'जगतज्योतिर्मल्ल' और 'जयस्थितिमल्ल' के हिंदी भजन और नाटक उल्लेखनीय हैं। मध्यकाल में और भी कई नाटक हिंदी में लिखे गए। वर्तमान युग में हिंदी में लिखने वाले लेखकों में श्री बुद्धी लाल, केदार मानंधर आदि प्रमुख हैं।

17.4.3 जनसंचार

भाषा-भाषियों को एक साथ जोड़ने के लिए जनसंचार भी अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक युग में जनसंचार एक प्रकार से जीवनदायी रक्त की नलिका है। इसमें तीन प्रमुख माध्यमों को ले सकते हैं — रेडियो, दूरदर्शन तथा पत्र-पत्रिकाएँ। कनाडा, अमेरिका आदि देशों में जनसंचार की अत्यंत उन्नत व्यवस्था है। अमेरिका के कई प्रदेशों में रेडियो और दूरदर्शन पर अलग से "चैनल" या प्रसारण समय मिल जाता है, जिसके कि वे अपने-अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि इंग्लैंड के हिंदी के रेडियो कार्यक्रम स्तर की दृष्टि के काफ़ी अच्छे हैं। "महाभारत" नामक जो धारावाहिक भारत में मशहूर हुआ, वह इन दिनों इंग्लैंड में टी.वी. पर प्रसारित हो रहा है। मॉरिशस, फ़ीजी आदि देशों में रेडियो तथा

टी.वी. पर सरकारी नियंत्रण है, फिर भी इन देशों में हिंदी में कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। फ़ीजी रेडियो पर कृषि संबंधी कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित किए जाते थे, जो यह प्रकट करता है कि प्रशासन जनता तक संदेश पहुँचाने के लिए रेडियो को एक कारगर साधन मानता है। रूस तक में, जहाँ अधिक भारतीय नहीं हैं, टी.वी. पर हिंदी की फ़िल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

पत्र-पत्रिकाएँ जन-संचार का दूसरा सफल माध्यम हैं। इन देशों में समय-समय पर कई पत्रिकाएँ निकलती रहती हैं जिनमें स्थानीय लेखकों ने अपने देश के विषय में लिखा है। सबसे पहली विदेशी पत्रिका 1909 में मॉरिशस से निकली। यह हिंदुस्तानी नामक साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद फ़ीजी में 1913 में 'सैटलर' नामक अंग्रेजी पत्रिका का हिंदी अनुवाद साइक्लोस्टाइल रूप में निकला। इस समय कई देशों से कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ निकल रही हैं। मॉरिशस की वसंत नामक पत्रिका के संपादक श्री अभिमन्यु अनत हैं।

फ़ीजी में हाल तक 'जय फ़ीजी' तथा 'शांतिदूत' नाम की पत्रिकाएँ निकलती रहीं। फ़ीजी में मनोरंजन तथा साहित्य की ही नहीं, बल्कि प्रयोजनपरक पत्रिकाएँ भी निकलती रही हैं। किसानों की पत्रिका 'जागृति' लोकप्रिय रही। इस तरह 'किसान', 'मजदूर' आदि अन्य पत्रिकाएँ भी निकलीं। खेद की बात है कि इनमें से कई पत्रिकाएँ बंद हो गई।

सूरिनाम से सबसे पहले 1964 में 'आर्य दिवाकर' नाम की पत्रिका प्रकाशित हुई, जो अब तक निकल रही है। अन्य देशों की पत्रिकाओं में इंग्लैंड से श्री जगदीश कौशल के संपादकत्व में निकलने वाली 'अमर दीप', अमेरिका से स्वीडन से अमित जोशी के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका 'शांतिदूत' महत्वपूर्ण हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका जापान की 'ज्वालामुखी' है क्योंकि इसके संपादक जापान के ही श्री योशियुकी सुजुकी हैं।

इस समय टोरांटो से श्री त्रिलोचन सिंह गिल के संपादन में सन् 1975 से मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। इसके साथ ही विश्व भारती नामक पत्रिका भी श्री रघुवीर सिंह के संपादन में निकल रही है जो पाक्षिक है। यहाँ हमारा उद्देश्य विश्व के सभी देशों से निकलने वाली सभी पत्रिकाओं का इतिहास देना नहीं है। हम केवल यह चर्चा करना चाहते हैं कि विभिन्न देशों में अलग-अलग समय पर हिंदी भाषियों ने पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसमें वे हिंदी भाषी समाज को इस माध्यम से जोड़े रख सकें। कठिनाइयों के कारण कभी पत्रिकाएँ बंद हुई या नई पत्रिकाएँ प्रकाश में आई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रवासी भारतीयों ने इस माध्यम को अपनाया। पत्र-पत्रिकाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयाम है विदेशी प्रशासनों की ओर से अपने देश के बारे में हिंदी मे पत्र प्रकाशन। रूस की कई पत्रिकाएँ हिंदी में प्रकाशित होती हैं जिनमें 'सोवियत संघ', 'सोवियत नारी', 'सोवियत भूमि', 'स्पुतनिक', प्रमुख हैं। चीन से 'सचित्र चीन' नामक पत्रिका आती है। जर्मनी, जापान, अमेरिका आदि देशों का हिंदी में सूचना पत्रों का प्रकाशन होता है। यूनेस्को का 'यूनेस्को दूत' एक अंतर्राष्ट्रीय पत्र है। इस तरह विभिन्न देशों से हिंदी में पत्र-पत्रिका का प्रकाशन तथा हिंदी में कार्यक्रमों का प्रसारण यह स्पष्ट करता है कि ये देश भारत के साथ संबंध को कितना महत्व देते हैं।

बोध प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए।

i) मॉरिशस, फ़ीजी, सूरीनाम तीनों देशों में पहुँचे प्रवासी भारतीय भोजपुरी बोली बोलने वाले थे। हाँ/नहीं

ii) दो सौ वर्ष पूर्व भारतीय मज़दूरों के रूप में अमेरिका में जा बसे। हाँ/नहीं

iii) विदेशों में हिंदी का प्रयोजन मूलक पक्ष अभी नहीं उभरा है। हाँ/नहीं

iv) अभिमन्यु अनत फ़ीजी के प्रख्यात लेखक हैं। हाँ/नहीं

v) विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय काम-काज के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ/नहीं

2) वर्ग 'क' में देश का नाम है 'ख' में उसके किसी विशिष्ट अभिलक्षण का। दोनों का मिलान कीजिए।

वर्ग "क"	वर्ग "ख"
अ) पड़ोसी देश	i) भारत के प्रति रुचि
आ) फ़ीजी	ii) उन्नत संचार साधन
इ) अमेरिका	iii) एक ही भाषा परिवार वाले
ई) पोलैंड	iv) हिंदी में विशद साहित्य लेखन
उ) नेपाल	v) अस्मिता का सवाल

3) विदेशों में बसे भारतीयों की 1) धार्मिक सुरक्षा, 2) साहित्यिक सर्जना, 3) जनसंचार में हिंदी का प्रयोग, तथा 4) परस्पर संपर्क में हिंदी के बारे में दस पंक्तियाँ लिखिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

17.4.4 संपर्क

ऊपर यह उल्लेख किया गया था कि विदेश में बसे हुए हिंदी भाषियों की ही नहीं, बल्कि भारतीय मूल के सभी निवासियों के संपर्क की भाषा हिंदी है। औपचारिक प्रयोजनों के लिए व्यक्ति स्थानीय भाषा का प्रयोग भले करे, लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक प्रयोजनों में हिंदी ही एक प्रकार से संपर्क की कड़ी बन जाती है।

उपर्युक्त चारों भागों में कही गई बात के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विदेशों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी भारत में है। वहाँ भी हिंदी संपर्क भाषा है, जैसे भारत में है। वहाँ भी कहीं-कहीं हिंदी प्रयोजन की भाषा है, वहाँ की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, सिर्फ़ परिवेश में अंतर के कारण स्तर भेद दिखाई पड़ता है। मुख्य अंतर है — अपनी संस्कृति से जुड़े रहने तथा अपनी अस्मिता को बनाये रखने की कोशिश में। इसके लिए ये देश भारत की ओर देखते हैं। हमें इन संबंधों को मज़बूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने चाहिए।

17.5 विदेशों में हिंदी शिक्षण की स्थिति

कुछ दिनों में हम शायद यह कह सकेंगे कि संसार में शायद ही कोई देश हो जहाँ हिंदी भाषा पढ़ाई न जाती हो। हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व के कारण कई देशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था हुई है। पोलैंड जैसे छोटे सुदूर देश में भी तीन विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। मंगोलिया का उलनबात्र विश्वविद्यालय, क्यूबा का हवाना विश्वविद्यालय, फिनलैंड का हैलसिंकी विश्वविद्यालय आदि हिंदी शिक्षण के कुछ नए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हैं। हिंदी भाषा के विदेशों में शिक्षण को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं:

i) फ़ीजी, मॉरिशस आदि देशों में हिंदी भाषा की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से मातृभाषा के रूप में आयोजित की जाती है, लेकिन इन देशों में उच्च स्तर पर हिंदी शिक्षण की व्यवस्था नहीं है क्योंकि कुल मिलाकर उच्चस्तरीय अध्ययन की सुविधाएँ सीमित हैं।

ii) जिन देशों में भारतीय मूल के निवास रहते हैं तथा जो भारतीय शिक्षा पद्धति के जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सी.बी.एस.सी. के अंतर्गत लगभग 27 स्कूल विदेशों में कार्य कर रहे हैं जहाँ हिंदी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। इनमें से रूस, साऊदी अरब आदि देश आते हैं।

iii) विश्व के अन्य देशों में, जहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए स्कूली स्तर पर हिंदी शिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर के हिंदी भाषी छात्र सीनियर कैंब्रिज में हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे देशों में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ हिंदी शिक्षण की व्यवस्था करती हैं। ऐसी संस्थाएँ हालैंड, गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस आदि देशों में भी हैं, जो स्कूली शिक्षा के बाहर लोगों को हिंदी से जोड़े हुए है।

iv) अन्य देशों में अधिकतर विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, जिसमें भारतीय ही नहीं, वहाँ के नागरिक भी हिंदी सीखते हैं। इनमें से कई विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर पर शोध कार्य करने का भी प्रावधान है।

विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तकें, अनूदित साहित्य, व्याकरण, कोश आदि संदर्भ ग्रंथों का निर्माण हो। फ़ीजी, मॉरिशस आदि देशों में स्कूली शिक्षा के लिए स्थानीय परिवेश पर आधारित पाठ्य पुस्तकें तैय की जाती हैं। जहाँ तक व्याकरण तथा कोश ग्रंथों का प्रश्न है, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि देशों में कई विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे चेकोस्लोवाकिया के पोरिज्का, ओ. एमाइकेल, रूस के श्री बारान्निकोव, इंग्लैंड के मैग्रेगर, अमेरिका के फ़ेयरबैंक्स आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार के केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने विदेशी भाषाओं के लिए द्वि-भाषी कोशों का निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है, जो हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए आवश्यक अंग है।

उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तथा देशों के बीच भावात्मक स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि साहित्य का आदान-प्रदान हो। यह आदान-प्रदान आमतौर पर अनुवाद के माध्यम से ही संभव होता है। अनुवाद से भाषा समृद्ध भी होती है। हिंदी में अगर सारे विश्व की महत्वपूर्ण कृतियों का अनुवाद उपलब्ध हो, तो यह हिंदी भाषा को समृद्धि प्रदान करता है और हिंदी देश की अन्य भाषाओं को विश्व की भाषाओं से जोड़ने वाली कड़ी बनती है। इस दृष्टि से हिंदी में स्थिति संतोषजनक है। अंग्रेज़ी से ही नहीं बल्कि रूसी, पोलिश, ज़र्मन, हंगेरियन, चैक, जापानी, चीनी आदि भाषाओं में हिंदी में महत्वपूर्ण काव्य कृतियों एवं कथा साहित्य का अनुवाद हुआ। इसी तरह हिंदी भाषा के कई साहित्यकारों का कई विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। कहा जाता है कि प्रेमचंद का 'गोदान' उपन्यास विश्व की कई भाषाओं में अनूदित हुआ है। इसी प्रकार 'रामचरित मानस' का भी रूसी, फ्रैंच आदि विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है।

प्रशिक्षण

शिक्षा के क्षेत्र को व्यवस्थित और सुगठित करने के लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। स्कूली स्तर पर प्रशिक्षण के लिए फ्रीजी और मॉरिशस देशों में अपनी आंतरिक व्यवस्था है। मॉरिशस में भारत सरकार के सहयोग से 'महात्मा गांधी संस्थान' स्थापित किया गया, जहाँ पर हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, और अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। अन्य देशों में इस प्रकार के प्रशिक्षण का अभाव हिंदी शिक्षण को कमज़ोर बनाता है।

17.6 विदेशों में हिंदी भाषा का स्वरूप

विदेशों में भारतीयों को हमने दो वर्गों में बाँटा:

i) मॉरिशस, फ्रीजी, सूरीनाम आदि देशों में 200-250 वर्ष पहले भारतीय मूल के लोग गए। ये लोग अपनी बोलियाँ अपने साथ लेकर गए। तीनों देशों के भारतीय मूल के लोग प्रमुखतः भोजपुरी भाषी थे। उन्होंने अपनी बोली को सुरक्षित रखा और आज तक कई लोग देहात में बोली बोलते हैं। भारत में जिस ढंग से और जिस गति से मानक हिंदी का आविर्भाव हुआ, उसकी लहर इन देशों में भी फैली और इन देशों के लोगों ने संपर्क के लिए और शिक्षा आदि सामाजिक प्रयोजन के लिए मानक हिंदी को अपनाया। लेकिन इन देशों की भाषायी पृष्ठभूमि भारत से भिन्न प्रकार की है। मॉरिशस एक प्रकार से बहुभाषी देश है। लोग घरों में भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, शिक्षा आदि के लिए, सामाजिक प्रयोजनों के लिए तथा व्यापक जनसंपर्क के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। देश में अभारतीय नागरिकों के साथ भोजपुरी, फ्रैंच के मिश्रण के बने क्रियोल नामक मिश्रित भाषा का रूप का इस्तेमाल करते हैं, कार्यालयों में अंग्रेज़ी के माध्यम से काम करते हैं और इतर सांस्कृतिक-सामाजिक संदर्भों में फ्रैंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण मॉरिशस के लोगों की हिंदी की भूमिका सीमित हो जाती है। मॉरिशस की हिंदी में भोजपुरी का पुट मिलता है। मॉरिशस हिंदी का एक उदाहरण देखिए:

अब पछताल से का होई लछी? ई तरह हाथ-पाँव बाँध के बैठे रहल से कुछ ना होई। हम सभी को सोमा को खोज में निकले के चाही।
न जाने हमके का हो गइल रहल। हम घरवा ना छोड़ती त ई सब ना होवत।
लछी, चुप भी रह। हम कह चुकली कि इ सब होवे ओला रहल। होनी को कौन रोके? अब माथा ठोकल से बेहतर त ई होई कि सोमा के ढूँढल जाय।
अभी त सन्तू के खातिर रोअल बन्द ना होल रहल कि....
हम बोलत बानी चुप भी त रह। देख, विनय आ गया। बैठल से बात ना बनी बेटा!

(लाल पसीना)
— अभिमन्यु अनत

आपने यह जो नमूना देखा था वह मॉरिशस में बोली जाने वाली भोजपुरी का है, लेकिन बोलचाल के बाहर प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में अर्थात् शिक्षा जनसंचार आदि में मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है।

पाठ 20

नाना — आओ रतन, यहाँ बैठो।
रतन — मैं अभी आता हूँ।
नानी घर में है।
नानी को बुलाता हूँ।
मैं नानी को घर से बुलाता हूँ।
नाना — ठहरो रतन, वहाँ मत जाओ।

नानी — रतन नाना के पास रहो।
मैं अभी आती हूँ।

मे
मे — म — मे — मे

स्रोत: हिंदी की पहली-पुस्तक, महात्मा गांधी संस्थान, मॉरिशस

लगभग यही स्थिति फ़ीजी की भी है। फ़ीजी का राजभाषा अंग्रेज़ी है और वहाँ कोई अन्य प्रमुख स्थानीय भाषा नहीं है। फीजी में भोजपुरी भाषा/भाखी जिस ढंग से बोलते हैं उसे फीजी हिंदी का नाम दिया जाता है। फ़ीजी हिंदी का प्रयोग सिर्फ़ बोलचाल में होता है। शिक्षा आदि सामाजिक प्रयोजनों के लिए और औपचारिक अवसरों पर मानक हिंदी का ही प्रयोग होता है। फ़ीजी हिंदी का नमूना देखिए:

का	आपके कितने बच्चे?
हि	हमार पाँच लड़का है, और तीन लड़की।
का	लड़कन कौनची करे?
हि	दुई तो हमार संघे खेती करे, एक मकेनिक है, और दुई स्कूल पढ़े।
का	लड़की के शादी होय गये?
हि	सब से बड़ी जोन है, उसके शादी तो होय गये। इस मे छोटी पढ़ावे, और सब से छोटकनी घरे हैं अभी।
का	सब से छोटी के कितना उमर है?
हि	ऊ खाली चार साल के है।
का	तब तो काफी छोटी ही है।
हि	हाँ। अच्छा, हम यहीं उतर जाई। घर आय गये।
का	बहुत अच्छा रहा।
हि	कभी आना घरे, ना?
का	अच्छा, मौका लगे, तो जरूर आ जायेगा।
हि	अच्छा तो।
का	अच्छा।

*　　　*　　*

सरोज	तुम कौन जगह रहता?
लता	लम्बासा में।
सरोज	कौन काम करता?
लता	हम टीचा है।
सरोज	शादी होये गये?
लता	जी हाँ, हमार आदमी भी पढ़ावे।
सरोज	तो कितना बच्चा है?
लता	बस एक लड़का अभी।
सरोज	ऊ कितना साल के है?
लता	दुई साल।
सरोज	आपके नाम?
लता	लता प्रसाद।
सरोज	अच्छा, लता। फिर मिलेगा।
लता	अच्छा, जरूर।

फ़ीजी में शिक्षा के स्तर पर मानक हिंदी का प्रयोग होता है। यानि बोलचाल की भाषा का स्वरूप अलग है और प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप अलग। फ़ीजी की एक पाठ्यपुस्तक से नमूना प्रस्तुत है:

पाठ २२

रामू और राजू

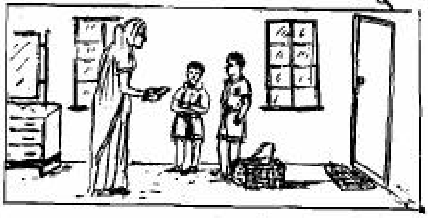

लायेंगे मारेंगे
गायेंगे कूदेंगे
नाचेंगे चूसें

आज शनिवार है। शहर में बाज़ार लगेगा। रामू की माँ ने कहा, "आज घर में कुछ भी सौदा नहीं है। बाज़ार कौन जायेगा?"

रामू और उसका भाई राजू दोनों ने कहा, "माँ, हम दोनों जायेंगे। कुछ सौदा हम पटेल की दूकान से लायेंगे और कुछ हरी की दूकान से लायेंगे। शीला बहन के लिए कुछ मिठाई भी चाहिये। हम ताजी ताजी जलेबियाँ लेते आयेंगे। आज रात को किशोर के यहाँ गाना होगा। हम दोनों मिल कर एक गाना गायेंगे। किशोर कहता था कई लोग गाना गायेंगे, कई नाचेंगे। हम दोनों भी नाचेंगे और गायेंगे, माँ।"

सवाल —

१) किसने कहा, "घर में कुछ भी सौदा नहीं है?"
२) बाज़ार कौन जायेंगे?
3) शीला के लिये राम कौन चीज़ लायेगा?
४) रात को वे कहाँ जायेंगे?

स्रोत: नवीन फ़ीजी रीडर (भाग)
शिव प्रसाद

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन देशों में बोलियों का जो भी सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व हो, इन देशों के भारतीय निवासी, मुख्यतः हिंदी भाषी मानक हिंदी के लिए भारत की तरफ देखते हैं। भाषा रूपों में भिन्नता के कारण उन लोगों को मानक हिंदी के प्रयोग में कुछ कठिनाई होती है। इसे दूर करने के लिए अच्छी पाठ्यपुस्तकें, खेल-सामग्री, हिंदी की फिल्में आदि की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अगर प्रयत्न न किया जाए तो इन देशों में हिंदी भाषा पर अधिकार कम होने की आशंका है।

बोध प्रश्न 2

4) खाली जगह सही शब्द भरिए।

i) विदेशों में लगभग .... विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था है। (25/150)

ii) .... और .... देशों में प्राथमिक स्कूल स्तर से हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था है।

iii) फ़ीजी, मॉरिशस आदि देशों में .... स्तर पर हिंदी अध्ययन की सुविधा नहीं है। (निजी/विश्वविद्यालय)

iv) मॉरिशस में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कई .... भाषाएँ भी पढ़ाई जाती हैं। (भारतीय/विदेशी)

v) कई विदेशी विद्वानों ने हिंदी में कई अच्छे .... लिखे हैं। (उपन्यास/व्याकरण ग्रंथ)

5) फ़ीजी, सूरिनाम तथा मॉरिशस की भाषिक स्थिति पर दस पंक्तियाँ लिखिए।

....

....

....

....

....

....

....

17.7 सारांश

हिंदी भारत का राजभाषा है, देश में व्यापक जनसंपर्क की भाषा है और देश को एक सूत्र में बाँधने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन इस भाषा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। यह भाषा मॉरिशस, फ़ीजी, सूरिनाम, ट्रिनिडाड आदि देशों में बसे भारतीयों की भाषा है जो अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा को सुरक्षित रखे हुए हैं। इन देशों में जो भारतीय प्रवासी लगभग 200 वर्ष पहले गए थे, वे अपने साथ बोलियाँ ले गये थे लेकिन भारत में हुए परिवर्तनों के कारण वे अब शैक्षिक प्रयोजन आदि के लिए मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं। ये देश छोटे हैं इसलिए उच्च शिक्षा की सुविधाएँ नहीं हैं। इस कारण हिंदी का उच्च अध्ययन,हिन्दी में शोध, विपुल साहित्य-सृजन आदि का अभाव दिखाई पड़ता है। इन देशों में प्रयोजनमूलक पक्षों में हिंदी का प्रयोग हो तो इसके व्यापक प्रचार को बल मिलेगा।

इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में एक तरफ लाखों प्रवासी भारतीय हैं, जो सांस्कृतिक अस्मिता के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति उच्च स्तर पर हिंदी में शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन अधिकतर व्यक्ति केवल बोलचाल की भाषा में ही हिंदी का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर इन देशों में स्थानीय व्यक्ति रुचि से हिंदी में उच्च अध्ययन या शोध करते हैं। आज संसार में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी विश्व में भारत की प्रमुख भाषा के रूप में किस तरह महत्वपूर्ण मानी जाती है।

17.8 शब्दावली

प्रवासी : विदेश में जाकर बसे

अस्मिता : स्वयं की पहचान (आइडेंटिटी)

आजीविका : गुज़ारा

17.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ — भोलानाथ तिवारी, पांडुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, 1987

भाषा — केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका — का द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन विशेषांक, 1985.
गगनांचल — भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका — के अंक

17.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ iv) नहीं v) नहीं
2) अ) iii आ) v इ) iii ई) i उ) iv
3) धार्मिक सुरक्षा : अस्मिता का प्रश्न, परंपरा को बनाये रखने की आवश्यकता साहित्य सर्जना — प्रतिभा के कम अवसर तथा प्रकाशन के अभाव के कारण, कई निष्ठावान लेखक जनसंचार — वर्तमान से जुड़ने की कड़ी, उन्नत देशों में अधिक अवसर संपर्क — भारतीय को जोड़ने वाला सेतु।

बोध प्रश्न 2

4) i) 150 ii) फ़ीजी, मॉरिशस iii) विश्वविद्यालय iv) भारतीय v) व्याकरण ग्रंथ

5) फ़ीजी : हिंदी का बोलचाल का रूप "फ़ीजी हिंदी", देश की राजभाषा।

अंग्रेज़ी : स्थानीय भाषा, काईबीती, शिक्षा में मानक हिंदी जीवन के विविध स्तरों पर उपयोग।

मॉरिशस : बहुभाषी देश — भोजपुरी, हिंदी, फ्रेंच, अंग्रेजी, क्रियोल, शिक्षा में मानक हिंदी, जीवन के विविध स्तरों पर उपयोग।

सूरिनाम : राजभाषा : 'डच', स्थानीय हिंदी का रूप सरनामी, अपेक्षाकृत कम स्तर, सीमित उपयोग।

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

UGHI-06 / CSSHI-06

हिन्दी भाषा : इतिहास और वर्तमान

खंड
5

शिक्षा में हिंदी

इकाई 18
पाठ्यचर्या में भाषा 5

इकाई 19
माध्यमिक शिक्षा में हिंदी 22

इकाई 20
उच्च शिक्षा में हिंदी 38

इकाई 21
माध्यम भाषा के रूप में हिंदी 48

इकाई 22
शैक्षिक सामग्री एवं प्रशिक्षण 67

इकाई 23
कार्यक्षेत्र में हिंदी: संभावनाएँ और समस्याएँ 82

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

डॉ. भ.ह. राजूरकर
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
औरंगाबाद

डॉ. राम सिंह तोमर
28, पूर्वपल्ली
विश्वभारती विश्वविद्यालय
शांतिनिकेतन
पं. बंगाल

प्रो. भीमसेन निर्मल
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

डॉ. संसार चन्द
अवकाश प्राप्त आचार्य एवं
अध्यक्ष (हिन्दी विभाग)
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू

डॉ. अंबाशंकर नागर
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

डॉ. रमानाथ सहाय
आगरा

डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा
हिन्दी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़

डॉ. बख्शीश सिंह
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन (संयोजक)
निदेशक, मानविकी
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

पाठ लेखन
हीरालाल बाछोतिया
वी. रा. जगन्नाथन
डा. रीता रानी पालीवाल

संकाय सदस्य
डा. वी. रा. जगन्नाथन (संपादक)
डा. रीता रानी पालीवाल

सामग्री निर्माण

श्री बालकृष्ण सेल्वराज
कुल सचिव
मुद्रण एवं प्रकाशन प्रभाग
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

श्री एम.पी. शर्मा
संयुक्त कुलसचिव
मुद्रण एवं प्रकाशन प्रभाग
ई.गां.रा.मु.वि.

अक्टूबर, 1992

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1992

ISBN-81-7263-209-6.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खंड परिचय

देश के ज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य की सृजनात्मक प्रतिभा और कार्य कुशलता सामने आती है।
भाषा देश की संस्कृति, आर्थिक-सामाजिक संरचना तथा समस्त वाङ् मय का आधार है, आगार है। भाषा के बिना कोई भी चिंतन या विचार संभव नहीं हो सकता। इस तरह ज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा का सवाल जुड़ा हुआ है। इस खंड में हम शिक्षा और भाषा के जुड़े हुए सवाल पर गहराई से विचार करेंगे।

शिक्षा में भाषा का तीन स्तरों पर महत्वपूर्ण स्थान है-
i) मातृभाषा के रूप में भाषा उसके बोलने वाले समाज की अस्मिता और बोलने वालों के व्यक्तित्व की भाषा है।
ii) भाषा अन्य विषयों के अर्जन का साधन है। व्यक्ति जिस भाषा में ज्ञान अर्जित करता है, उसी भाषा में जीवन में अपने कार्यकलाप करता है, तो उच्च स्तर के अध्ययन तक देश की भाषाओं में शिक्षा मिलनी चाहिए।
iii) भाषा अपने में अध्ययन का विषय है। लोग भाषा के विशेष अध्ययन और शोध द्वारा उसके सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं।

भारत में बहुभाषिकता की स्थिति है। लोगों को शिक्षा में एक से अधिक भाषाएँ सिखायी जाती है। छात्र मातृभाषा, अन्य भाषा और गौण(तृतीय) भाषा के रूप में भाषाएँ पढ़ सकते है। भाषा अध्ययन के ये तीनों रूप एक जैसे नहीं हो सकते। अध्ययन का समय, पढ़ने वालों की भाषाई पृष्ठभूमि, उनकी आवश्यकताएँ आदि के संदर्भ में तीनों पाठ्यक्रम जगह-जगह अलग-अलग तरह के होंगे।

उपर्युक्त दोनों आयामों को ध्यान में रखते हुए हम इस खंड में स्कूल स्तर और कालेज स्तर पर भाषा अध्ययन के स्वरूप की चर्चा करेंगे। माध्यम के रूप में हिंदी भाषा के स्थान और विकास की संभावनाओं की चर्चा करेंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्वरूप की चर्चा करते हुए अच्छे भाषा शिक्षण की आवश्यक सामग्री की चर्चा करेंगे। खंड की अंतिम इकाई में यह देखेंगे कि हिंदी भाषा के माध्यम से सीखने वालों के लिए आजीविका के क्या क्षेत्र खुले हैं। खंड में सिर्फ हिंदी भाषा को केंद्र में रखकर चर्चा की गयी है। अन्य भाषाओं के छात्र अपने क्षेत्र में अपनी भाषा की स्थिति पर भी इसी ढंग से विचार कर सकते हैं।

इस खंड के सार के रूप में एक आडियो(टेप) पाठ तैयार किया गया है। खंड को पढ़ने से पहले टेप सुन लें तो उपादेय होगा।

इकाई 18 पाठ्यचर्या में भाषा

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य
18.1 प्रस्तावना
18.2 स्कूली शिक्षा में भाषा
18.3 त्रिभाषा सूत्र
18.4 भाषा के विविध नाम
18.4.1 नामों का भाषावैज्ञानिक महत्व
18.4.2 नामों का शिक्षाशास्त्रीय महत्व
18.5 त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन
18.5.1 भाषिक आवश्यकताएँ
18.5.2 अपूर्ण परिपालन
18.6 विभिन्न राज्यों में त्रिभाषा की स्थिति
18.7 सारांश
18.8 शब्दावली
18.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
18.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

18.0 उद्देश्य

स्कूली शिक्षा में मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाएँ पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। विभिन्न भाषाएँ पढ़ाने के संबंध में जो नीति है, उसे त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। इस इकाई में हम स्कूली शिक्षा में भाषा और त्रिभाषा सूत्र का अध्ययन करेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- स्कूली स्तर पर अधिक भाषाएँ पढ़ाने की उपयुक्तता समझ सकेंगे;
- त्रिभाषा सूत्र की परिभाषा दे सकेंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे;
- बहुभाषी देश में त्रिभाषा सूत्र के लागू करने संबंधी कठिनाइयों का वर्णन कर सकेंगे; और
- विभिन्न प्रदेशों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन का स्वरूप बता सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

भारत एक बहुभाषी देश है। यह बहुभाषिकता हमारी विशेषता है। भारत की इन विभिन्न भाषाओं में कई अंतर्निहित सामान्य तत्व है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रशासन,शिक्षा उद्योग व्यवसाय में अंग्रेज़ी का ही प्रयोग होता था । इसके कारण भारतीय भाषाओं के विकास और आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हमारी शिक्षा पद्धति पर अंग्रजी का प्रभाव पड़ा लेकिन अब हमारी भाषाएँ अंग्रेज़ी के स्थान पर व्यवहृत होने लगी है। वे साहित्यिक भाषा ही नहीं, प्रदेशों की राज भाषाएँ भी है। हिन्दी देश की राजभाषा है। इस कारण सभी भाषाओं का अपना अपना महत्व है। छात्रों के लिए एक से अधिक भाषाएँ सीखना आवश्यक हो गया है।

शिक्षा,विशेषकर स्कूली शिक्षा में छात्रों को अन्य विषयों के साथ भाषा भी पढ़नी होती है। छात्र मातृभाषा इस उद्देश्य से पढ़ता है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करे। अन्य भाषाएँ सीखने से ज्ञान का विस्तार होता है, भाषिक क्षमता में वृद्धि होती है। हम यह जानना चाहेंगे कि छात्र किस स्तर पर, कितनी भाषाएँ सीखे, उन्हें उन भाषाओं में कितनी दक्षता

मिले, भाषाएँ पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हों और भाषाएँ पढ़ाने की क्या विधि हो।

भारत एक बहुभाषी देश है। अंग्रेजी राज की विरासत के कारण अब भी शासन तंत्र में, निजी क्षेत्र में और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हिंदी संपर्क भाषा है, देश की राजभाषा है। अहिंदी भाषी इसके माध्यम से देश के अन्य लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि वे हिन्दी सीखें, जिससे देश की एकसूत्रता बनी रहे। देश के अहिंदी भाषी राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषा/राजभाषाएँ हैं।

इसलिए प्रदेशों मे प्रादेशिक भाषाओं को पढ़ाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भाषाओं को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे छात्र आगे जीवन में इनका उपयोग कर सकें।

त्रिभाषा सूत्र भारत सरकार की वह नीति है-जो स्कूली शिक्षा मे विभिन्न भाषाओं को शामिल करने के बारे में व्यवस्था देती है। इस इकाई में हम त्रिभाषा सूत्र के निर्देशों और विभिन्न राज्यों में उनके कार्यान्वयन के बारे में अध्ययन करेंगे।

ऊपर के पैरा से लगता है कि त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषा तीनों का ही स्थान है। लेकिन यह व्यवस्था सरल नहीं है। आंध्र प्रदेश में मराठी या तमिल भाषी क्या करे ? क्या वह अपनी मातृभाषा न सीखे ? कर्नाटक में बसा उर्दूभाषी छात्र क्या करे ? वह हिन्दी को छोड़कर उसके स्थान पर उर्दू का अध्ययन करे ? हिन्दी भाषी राज्यों के छात्र तीसरी भाषा के रूप में क्या सीखें ? या वे दो ही भाषाएँ सीखें, जबकि अन्य प्रदेशों के व्यक्ति तीन भाषाएँ सीखते हैं? कई छात्र चाहते हैं कि वे धार्मिक दृष्टि से संस्कृत या अरबी का अध्ययन करें। यह कैसे संभव हो सकता है ? इन समस्याओं के कारण ही त्रिभाषा सूत्र में संशोधन होते रहे हैं। हम इन स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे।

त्रिभाषा सूत्र में यद्यपि तीन भाषाओं के पढ़ने पर बल दिया गया है, फिर भी तीनों को समान रूप से समय नहीं दिया जा सकता। जो भाषा व्यक्ति की प्रथम भाषा होगी, जिसके माध्यम से वह आगे पढ़ना चाहेगा, उसे ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। छात्र के लिए वह कौन-सी भाषा हो और उसे पढ़ाने की व्यवस्था क्या हो, इसके बारे में हम आगे इकाई में विस्तार से चर्चा करेंगे।

18.2 स्कूली शिक्षा में भाषा

बच्चों को स्कूल में भाषा क्यों पढ़ायी जाती है ? इसके कई कारण हैं। भाषा का विकास व्यक्तित्व का विकास है। हम अपने जीवन के समस्त कार्य भाषा के माध्यम से ही करते हैं। वक्ता हो या लेखक, नेता हो या अभिनेता, सबको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी अर्ध-शिक्षित व्यक्ति का पत्र पढ़कर देखिए। आप अनुभव करेंगे कि उसे अपने को अभिव्यक्त करने में कितनी कठिनाई होती है। इसी कारण शिक्षा में भाषा अनिवार्य है, जिससे हम भाषण या लेखन द्वारा अपने को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त कर सकें।

भाषा ज्ञान-विज्ञान के अर्जन का साधन है। छात्र उच्च शिक्षा के स्तर पर जिस किसी विषय में भी विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहे, उसके लिए आवश्यक है कि वह भाषा के माध्यम से विषय को समझे, गूढ़ से गूढ़ विचारों पर चिंतन कर सके और मौलिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हर व्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा के स्तर तक बराबर भाषा का अध्ययन करना आवश्यक होता है।

ये बातें मातृभाषा के अध्ययन के संदर्भ में हुई। छात्र अन्य भाषाएँ क्यों सीखे ? इसके भी कई कारण हैं। जिस तरह से गणित सीखने से चिंतन का विस्तार होता है, अन्य भाषाएँ सीखने से भी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। भाषा भी एक अनुशासन है, एक व्यवस्थित ज्ञान है। कुछ कारण व्यावहारिक हैं, जीवन से संबंधित हैं। जैसे, अंग्रेजी का अध्ययन कई लोगों के लिए आजीविका का आधार है। कुछ लोग इस कारण विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं जिससे वे विदेश में जा बसें। कुछ कारण भावात्मक हैं, राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हिंदी का शिक्षण देश के संपर्क के लिए आवश्यक है अन्य प्रदेशों की भाषाएँ सीखने से देश में भावात्मक एकता सुदृढ़ होगी। इन विविध विचारों के संदर्भ में कह सकते हैं कि स्कूली स्तर पर व्यक्तियों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएँ भी पढ़नी चाहिए। इसी संदर्भ में सरकार ने त्रिभाषा सूत्र की व्यवस्था दी जिससे हर व्यक्ति को स्कूल स्तर पर तीन भाषाएँ पढ़ाने की व्यवस्था हो। अगले प्रकरण में हम त्रिभाषा सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे।

18.3 त्रिभाषा सूत्र

भारत की बहुभाषिकता वास्तव में हमारी भाषायी स्वतंत्रता का जीता-जागता उदाहरण है। हमारे देश में लोग भले ही एक भाषा बोलते हों, प्रायः वे अनेक भाषाओं से परिचित होते हैं। अंतः स्थानीय या क्षेत्रीय आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए एक से अधिक भाषाओं की जानकारी सहायक हो सकती है। एक बहुभाषी समाज के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि अपने भौतिक और मानसिक विकास के लिए भाषा की भूमिका की नये सिरे से योजना बनाएँ। उक्त

स्थिति के संदर्भ में 1956 में गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा भारतीय विद्यालयों में भाषा शिक्षण की उलझी समस्या पर गहराई से विचार किया गया। इस आयोग ने वैचारिक मंथन के बाद त्रिभाषा सूत्र का प्रवर्तन किया।

1956 से पूर्व भी इस दिशा में सोच-विचार हुआ था जिस पर दृष्टिपात करना उपयोगी होगा। इस दृष्टि से जिन विभिन्न संस्थाओं/निकायों ने भाषाओं के बारे में सुझाव दिये, उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949): सरकार के नीति संबंधी वक्तव्यों तथा कमेटियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में तीन भाषाएँ शामिल करने का सुझाव दिया था। इस दृष्टि से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव इस प्रकार हैं:-

1) क्षेत्रीय भाषा
2) सामान्य भाषा (हिन्दी)
3) अंग्रेजी

सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन (1952): इस आयोग की सिफ़ारिश में भाषा शिक्षण का रूप इस प्रकार है-

1) मातृभाषा
2) क्षेत्रीय भाषा
3) संपर्क भाषा (हिन्दी)
4) एक प्राचीन भाषा - संस्कृत, पालि, प्राकृत, अरबी और फारसी

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (1956)

माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ बोर्ड के प्रस्तावों पर विचार किया और माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग और स्थान के संबंध में नीति को स्पष्ट करने के लिए त्रिभाषा सूत्र के निम्नलिखित दो विकल्प बनाए-

विकल्प 1 (क)

1 (क) मातृभाषा
या
(ख) प्रादेशिक भाषा
या
(ग) प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा का मिला-जुला कोर्स
या
(घ) क्लासिकल भाषा और मातृभाषा का मिला-जुला कोर्स

2. हिंदी या अंग्रेजी
3. कोई आधुनिक भारतीय या आधुनिक यूरोपीय भाषा बशर्ते वह उपर्युक्त (1) और (2) में न पढ़ी गई हो।

विकल्प 2 (ख)

1. जैसे पहले में
2. अंग्रेजी या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा
3. हिन्दी (अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लिए) या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी-भाषी क्षेत्र के लिए)

लगभग सभी राज्यों ने दूसरा सूत्र ही चुना- कुछ ने उसे ज्यों का त्यों अपनाया और कुछ ने उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर लिया।

1961 में मुख्यमंत्रियों की बैठक में उक्त त्रिभाषा सूत्र को थोड़ा सरल बनाया गया तथा इसका अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार--

"तीसरी भाषा हिंदी के बदले, जो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में छात्रों के लिए अनिवार्य होगी, हिंदी क्षेत्रों में (हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा) छात्रों को एक और भारतीय भाषा पढ़नी चाहिए।"

इस सिफ़ारिश के द्वारा एक तरह से त्रिभाषा सूत्र ने हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से समानता स्थापित कर दी।

शिक्षा आयोग (1964-66)

आयोग ने जिस त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की वह एक तरह से 1956 की सिफारिशों का व्यावहारिक रुप था। इसके अनुसार भाषा अध्यापन की स्थिति निम्नानुसार रखी गई--

(1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
(2) संघ की राजभाषा या सहचरी भाषा (जब तक वह रहे तब तक)
(3) एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा जो (1) और (2) के अंदर न आई हो और शिक्षण के माध्यम के रुप में प्रयुक्त भाषा से भिन्न हो। शिक्षा नीति जिसकी जानकारी 18 जनवरी 1968 में संसद को दी गई,कि सिफारिशें निम्नानुसार हैं---

"हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): इस रिपोर्ट में 1968 की शिक्षा नीति का समर्थन किया गया तथा अपना सुझाव इस प्रकार दिया गया-

"1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रुप से विचार किया गया था। उस नीति की मूल सिफ़ारिशों में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो और वे जितनी प्रासंगिक पहले थीं उतनी ही आज भी हैं। किंतु देश भर में 1968 की नीति का पालन एक समान नहीं हुआ। अब इस नीति को अधिक सक्रियता और सोद्देश्यता से लागू किया जायेगा। हाल ही में आचार्य राममूर्ति कमेटी ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की। त्रिभाषा सूत्र संबंधी इस कमेटी की प्रमुख बाते इस प्रकार है :-

"त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में जो भी कठिनाइयाँ और विषमताएँ हों यह सूत्र अपनी परीक्षा में सफल सिद्ध हुआ है। अतः यह वांछनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि इस सूत्र पर पुनः विचार किया जाए।"

कमेटी ने त्रिभाषा सूत्र को समान तथा बुद्धिसंगत रुप से लागू करने के लिए उपायों की खोज की है जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण विभिन्न भाषाओं का उपलब्धि स्तर तय करना, तीन भाषाओं को शुरु करने संबंधी कक्षाओं तथा अध्यापन अवधि आदि की चर्चा की है।

त्रिभाषा सूत्र का तात्पर्य

अब हम यह देखना चाहेंगे कि शिक्षा आयोग (19-64-66) ने जो सिफारिश की है, उससे लोगों के सामने क्या विकल्प उपस्थित हो रहे हैं। बहुभाषिक समाज में भिन्न-भिन्न भाषाई वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए। यह हम यह जानना चाहेंगे कि इस सूत्र में इस प्रकार का लचीलापन है या नहीं। इसके विवेचन से पहले हम विभिन्न वर्गों की स्थित की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे-

i) हिंदी भाषी प्रदेश	- मातृभाषा भाषी वर्ग - अन्य (अष्टम सूची की) भाषाएँ बोलने वाले गौण भाषाएँ बोलने वाले
ii) अष्टम सूची की भाषाएँ	- जिनकी मातृभाषा स्थानीय हो - अन्य भाषा-भाषी - गौण भाषाएं बोलने वाले
iii) अष्टम सूची से भिन्न भाषाएँ बोलने वाले प्रदेश जैसे मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर	- जिनकी मातृभाषा स्थानीय भाषा है - अन्य भाषाएँ बोलने वाले
iv) सिंधी और उर्दू जिसका प्रदेश नहीं है।	

चूँकि वर्ग दो में हिंदी और अंग्रेजी है और वर्ग 3 में भी हिंदी और अंग्रेजी शामिल है, उक्त सूत्र में उपर्युक्त चारों वर्गों के लिए स्थानीय भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी का अवसर है। वर्ग (ii) की गौण भाषाएँ बोलने वालों के लिए मातृभाषा, स्थानीय भाषा का अध्ययन मुश्किल है। यही बात वर्ग (iv) पर लागू होती है।

इस तरह त्रिभाषा सूत्र में चार भाषाएँ सीखने की स्थिति में कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर इन वर्गों के व्यक्ति मातृभाषा, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी सीखना चाहें तो हिंदी को छोड़ सकते हैं। लेकिन राज्यों ने हिंदी के अध्ययन को कुछ हद तक अनिवार्य किया ही इसके बारे में हम अगली इकाई में पढ़ेंगे।

बोध प्रश्न 1

1. प्रश्नों को पढ़कर सही कथन पर (✔) चिह्न लगाइए।

i) हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में क्यों स्वीकार किया गया ?
1. हिंदी अत्यंत प्राचीन भाषा है।
2. हिंदी राजकाज की भाषा है।
3. स्वतंत्रता से पूर्व उसकी ऐतिहासिक भूमिका थी।
4. स्वतंत्रता के पश्चात सिविल सर्विस में उसकी भूमिका है।
5. वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है।

ii) मातृभाषा सीखना क्यों आवश्यक है ?
1. इससे ज्ञान का विकास होता है।
2. इससे व्यक्तित्व का विकास होता है।
3. शिक्षा पद्धति में भाषा एक अंग है।
4. इससे भाषिक क्षमता का विकास होता है।
5. मातृभाषा माता के समान प्रिय होती है।

iii) संपर्क भाषा इसलिए जरूरी है कि
1. समग्र समाज हिंदी बोल सके।
2. हमारा विदेशों के साथ संपर्क हो सके।
3. हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले सके।
4. बहुभाषी समाज में संप्रेषण कायम रह सके।
5. सब लोग अपनी-अपनी भाषा बोल सकें।

iv) दक्षिण भारत की भाषाएँ किस भाषा परिवार की हैं ?
1. आर्य भाषा परिवार
2. आस्ट्रिक भाषा परिवार
3. द्रविड़ भाषा परिवार
4. मुंडा भाषा परिवार

v) त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिकरण ने किया है ?
1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949)
2. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (1956)
3. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1969)
4. राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति (1986)
5. आचार्य राममूर्ति कमेटी (1991)

vi) सेकंडरी एजूकेशन कमीशन (माध्यमिक शिक्षा आयोग) ने भाषा शिक्षण का रूप इस प्रकार रखा-
1. मातृभाषा 2. क्षेत्रीय भाषा 3. संपर्क भाषा (हिंदी)। इसके साथ एक चौथी भाषा भी रखी गई थी। वह चौथी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी ?
1. लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रैंच आदि आधुनिक यूरोपीय भाषा
2. दक्षिण भारत की कोई भाषा
3. कोई प्रादेशिक भाषा
4. संस्कृत, पालि, प्राकृत, अरबी, फ़ारसी आदि एक शास्त्रीय भाषा
5. उर्दू

vii) संविधान ने हिंदी का दायित्व किसे सौंपा है ?
1. हिंदी भाषी राज्यों को
2. केन्द्रीय सरकार को
3. हिंदी सेवी संस्थाओं को
4. अहिंदी भाषा भाषी राज्यों को
5. सर्वोच्च न्यायालय को

viii) बहुभाषिकता के परिप्रेक्ष्य में भाषा की समस्या के तीन रूप देखे जा सकते हैं। ये हैं-

1 --------------- 2--------------- 3---------------

ix) बहुभाषिकता की स्थिति में भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की दो विशेषताएँ हैं -

1. --

2. ---

x) त्रिभाषा सूत्र को रूप देते समय विभिन्न अभिकरणों की सिफ़ारिशों में कहाँ अंतर आता है ?

18.4 भाषा के विविध नाम

त्रिभाषा सूत्र के विश्लेषण से पहले हम भाषाओं के लिए जो विविध नाम दिये गये हैं, उनका अर्थ और तात्पर्य समझना चाहेंगे। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने भाषाओं के शिक्षण का सुझाव देते हुए भाषाओं के नामों की चर्चा की है। ये नाम इस प्रकार हैः-

मातृभाषा -	अन्य भाषा -	विदेशी भाषा
प्रथम भाषा -	द्वितीय भाषा -	तृतीय भाषा
क्लासिकल भाषा -	क्षेत्रीय भाषा -	अल्पसंख्यक भाषा

यहाँ इन नामों से आशय और उनके महत्व पर चर्चा की जा रही है--

18.4.1 नामों का भाषावैज्ञानिक महत्व

मातृ भाषा

व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है। बालक मातृभाषा अपने माता-पिता से सुनकर स्वाभाविक रूप से अनुकरण द्वारा सीख लेता है। मातृभाषा उसके अपने चहुमुखी विकास में सहायक है। अतः मातृभाषा का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। शिक्षा के माध्यम तथा सबसे उच्च स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए।

अन्य भाषा

मातृभाषा के बाद जो भी भाषा बालक सीखता है वह अन्य भाषा कहलाती है। अन्य भाषा हम इसलिए सीखते हैं कि उस अन्य भाषा समुदाय की संस्कृति से परिचित हो सकें। इतना ही नहीं, अन्य भाषा सीखने से राष्ट्रीय या भावनात्मक एकता को बल मिलता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के सूत्र दृढ़ होते हैं। अतः मातृभाषा के साथ हमें अन्य भाषा सीखनी चाहिए। अन्य भाषा में जो ज्ञान है उससे हम परिचित ही नहीं होते, उस ज्ञान को अपनी मातृभाषा में रूपांतरित कर सकते हैं। इससे भाषाओं के प्रति हममें भाविक सहिष्णुता पैदा होती है।

हम प्रायः देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। अन्य भाषा सीखकर हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लोगों से निकट परिचय स्थापित करने में इसका महत्व अत्यधिक है।

विदेशी भाषा

आज के इस युग में हमारा विदेशों से लगातार संपर्क बढ़ रहा है। विदेशी हमारे देश में आते हैं। भारतीय भी विभिन्न उद्देश्यों से विदेश जाते हैं। इसके कारण विदेशी भाषाओं के अध्ययन का महत्व बढ़ गया है।

आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान तथा तकनीकी विकास से परिचित होने के लिए भी विदेशी भाषा का अध्ययन आवश्यक है। अमरीका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि में हो रहे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का प्रामाणिक ज्ञान उनकी भाषाओं के माध्यम से ही हो सकता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक, साहित्यिक कलात्मक साहित्य से परिचय प्राप्त करने के लिए ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच आदि भाषाओं का अध्ययन उपयोगी होता है।

यह अवश्य है कि कोई भी विदेशी भाषा रोजमर्रा के जीवन में काम में नहीं आती किन्तु इसके अध्ययन से ही वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं को गहराई से समझा जा सकता है।

क्लासिकल भाषा

क्लासिकल भाषा को प्राचीन अथवा संस्कृति भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन साहित्य,संस्कृति,कला,शिल्प आदि का परिचय संस्कृति भाषा में ही सुरक्षित है। भारत में यह भाषा संस्कृत और यूरोप में ग्रीक और लैटिन हैं। इनमें ग्रीक और लैटिन का उल्लेख विदेशी भाषा में आया है।

भारतीय क्लासिकल भाषाओं में संस्कृत,पालि,अरबी,फ़ारसी आदि का समावेश है। संस्कृत उत्तर भारत की सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के शब्द निर्माण में संस्कृत से पर्याप्त सहायता मिलती है। यही कारण है कि इन भाषाओं के शब्दों में बड़ी समानता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की भाषाओं मलयालम,तमिल, कन्नड़ आदि पर भी संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव है।

इधर हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों की रचना में संस्कृत से पर्याप्त सहायता मिली है।

इसी प्रकार संस्कृति की भाषा पालि भी प्राचीन साहित्य, शिल्प आदि को समझने में सहायता करती है। हमारे देश में मुस्लिम शासन काल में अरबी-फारसी का महत्व रहा है। इन भाषाओं में उच्च कोटि के साहित्य की रचना ही नहीं हुई, ज्ञान-विज्ञान, शिल्प आदि पर भी लिखा गया। अतः साहित्य और समाज की आशा को समझने में अरबी-फारसी का ज्ञान उपयोगी है।

इन क्लासिकल भाषाओं का अध्ययन विद्यार्थियों को करना चाहिए। किस स्तर पर यह प्रश्न विचारणीय है।

क्षेत्रीय भाषा

क्षेत्रीय भाषा का अर्थ क्षेत्र विशेष की भाषा है। राज्य की भाषा भी क्षेत्रीय भाषा कही जाती है। प्रश्न उठता है तब क्षेत्रीय भाषा क्या मातृभाषा ही है ?

उक्त प्रश्न के दो उत्तर हैं। क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा हो भी सकती है, नहीं भी। मातृभाषा होने की स्थिति में वह एक समुदाय की ही भाषा होगी। यह भी संभव है कि अन्य समुदायों की बोलियाँ उस क्षेत्रीय भाषा के परिवार की ही हों। अपने घर परिवार में व्यक्ति उसी बोली सीमित अर्थ में भाषा का प्रयोग करता है किन्तु सामाजिक व्यवहार के लिए क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार तथा व्यापक संप्रेषण में क्षेत्रीय भाषा का स्थान महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बिहार में बसा मुंडा भाषाई समाज पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, किन्तु गाँव के स्तर पर भोजपुरी का और पूरे क्षेत्र से जुड़ने के लिए हिन्दी का।

अन्य स्थितियों में या पढ़े-लिखे परिवारों में समाज स्वीकृत परिनिष्ठित क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग घर में भी होता है तथा बाहर क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक स्तर पर भी होता है। जिन राज्यों में हिन्दी अपने क्षेत्र या राज्य की भाषा है, वहाँ पढ़े-लिखे घरों में हिन्दी का परिष्कृत रुप ही प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे उदाहरण में मातृभाषा ही क्षेत्रीय भाषा होती है।

इस संदर्भ में अन्य उदाहरण आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के अलावा उर्दू, कन्नड़, तमिल,उड़िया,मराठी,गुजराती ऐसी भाषाएँ हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय की भाषाएँ हैं। किन्तु इन भाषाओं के बोलने वाले क्षेत्रीय भाषा तेलुगु से जुड़ते हैं, क्योंकि तेलुगु आंध्रप्रदेश की राजभाषा है।

अल्पसंख्यक भाषा

किसी राज्य में क्षेत्रीय भाषा के अलावा अनेक अन्य भाषा बोलने वाले भी होते हैं। ऐसे अल्पसंख्यक लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह अल्पसंख्यक भाषा कही जाती है। यह अल्पसंख्यक भाषा संविधान-स्वीकृत भाषा भी हो सकती है, कोई अन्य भाषा भी। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में भी हमने देखा कि कन्नड, तमिल,उड़िया मराठी, गुजराती आदि अपने राज्यों की राजभाषाएँ हैं किन्तु आंध्र प्रदेश में ये अल्पसंख्यक भाषाएँ हैं। दूसरी ओर बिहार में मुंडा भाषा एक अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा है। मध्यप्रदेश में अनेक आदिवासी बोलियाँ या भाषाएँ हैं जिनका प्रयोग एक बड़ा समूह करता है। उर्दू,सिंधी जैसी भाषाएँ अनेक राज्यों में बोली-समझी जाती हैं। ये अनेक राज्यों में अल्पसंख्यक भाषाएँ हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की जाती है।

18.4.2 नामों का शिक्षाशास्त्रीय महत्व

मातृभाषा, अन्यभाषा आदि संकल्पनाएँ भाषा विज्ञान या समाजभाषा विज्ञान की सहायता से समझी जा सकती हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, हम तीन भाषाएँ पढ़ाते हैं, तो उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा की संज्ञा दी जाती है। यह संकल्पना शैक्षिक आवश्यकता के कारण है, भाषाविज्ञान पर आधारित नहीं है।

प्रथम भाषा

शैक्षणिक दृष्टि से मातृभाषा को प्रथम भाषा कहा जाता है। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि यह मातृभाषा बालक की वास्तविक मातृभाषा भी हो। वह क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। विद्यालयी शिक्षा में पहली कक्षा में पढ़ाई जाने वाली भाषा को प्रथम भाषा कहा जाता है। प्रथम भाषा परिनिष्ठित तथा समाज स्वीकृत भाषा होती है। जीवन के विभिन्न क्रिया-कलापों में प्रयुक्त भाषा जिसे हम शिक्षित व्यक्तियों के परिवेश में रहते हुए सीखते हैं, प्रथम भाषा कहलाती है।

इस प्रकार एक तरह से किसी मातृभाषा भाषी बालक को प्रथम भाषा सीखने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। हाँ, यह अवश्य है कि मातृभाषा और प्रथम भाषा में समझने की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर नहीं हुआ करता।

प्रायः राज्य सरकारें अपने राज्य के शिक्षित लोगों की भाषा को प्रथम भाषा घोषित कर देती है। लोग इसी प्रथम भाषा को उदार दृष्टि अपनाते हुए अपनी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा के समान प्रथम भाषा में भी चारों कौशलों (सुनना,बोलना,पढ़ना और लिखना) का विकास शिक्षण का उद्देश्य होता है।

द्वितीय भाषा

द्वितीय भाषा सीखी हुई भाषा होती है। इसकी ध्वनियाँ, शब्दावली वाक्य-संरचना सब कुछ सीखना होता है। मातृभाषा भाषी बच्चा भाषा के चार कौशलों में से दो सुनना और बोलना अनायास वातावरण से सीख लेता है जबकि द्वितीय भाषा के शिक्षार्थी को सुनना और बोलना सीखने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। मातृभाषा सीखने में पहले सीखा हुआ ज्ञान बहुत सहायता करता है। द्वितीय भाषा का एक पक्ष और भी है। द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का ज्ञान कठिनाइयाँ पैदा करता है। मगर सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा मातृभाषा परिवार की है तब तो मातृभाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के सीखने में मदद करता है लेकिल अलग परिवार की भाषा होने पर कठिनाइयां आती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई मराठी भाषी द्वितीय भाषा के रुप में हिन्दी सीखे तो प्रयास की मात्रा कम होगी क्योंकि हिन्दी और मराठी एक ही परिवार की भाषाएँ हैं। किन्तु एक मलयालम भाषी यदि हिन्दी सीखे तो प्रयास की मात्रा अधिक होगी। मलयालम का भाषा ज्ञान शिक्षार्थी के हिन्दी सीखने पर हर स्तर पर कठिनाई भी पैदा करेगा। उसे अधिक प्रयास करना पड़ेगा।

प्रयोजन या उपयोग की दृष्टि से देखें तो मातृभाषा की तुलना में द्वितीय भाषा कुछ खास उद्देश्यों को ही पूरा करेगी।

तृतीय भाषा

प्रथम भाषा के बाद जो भी भाषाएँ हम सीखते है वे सब सीखने की दृष्टि से द्वितीय भाषाएँ मानी जाती हैं। शैक्षणिक दृष्टि से तृतीय भाषा भी द्वितीय भाषा ही होती है। अन्तर केवल भाषा कौशल की दक्षता की मात्रा का होता है। चूँकि तृतीय भाषा का सीखना द्वितीय भाषा सीखना शुरु करने के बाद शुरु होगा, दोनों को पढ़ने के लिए मिलने वाले समय में अंतर है। अतः द्वितीय भाषा में अधिक दक्षता प्राप्त की जा सकेगी। तृतीय भाषा की दक्षता तुलनात्मक दृष्टि से कम हो सकती है। किन्तु तृतीय भाषा सीखने का उद्देश्य अधिक व्यापक है। इस बहुभाषी देश में हिन्दी के माध्यम से संपर्क स्थापित करने में योग देना और राष्ट्रीय भावात्मक एकता का आधार पुष्ट करना तृतीय भाषा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है। तृतीय भाषा हिन्दी से यह भी अपेक्षा है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने।

18.5 त्रिभाषा सूत्र का कार्यन्वयन

एक बहुभाषा-भाषी समाज में शिक्षा में भाषा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया गया था कि इससे भाषिक स्तर से भावात्मक एकता स्थापित हो सकती है। लेकिन सूत्र बनने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसके कार्यन्वयन में जो समस्याएँ सामने आ सकती है उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें कार्य योजना बनानी होगी। इस समय त्रिभाषा सूत्र के कार्यन्वयन में दो कठिनाइयां है- एक ओर इसकी अपर्याप्तता है, जिससे सारे छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। दूसरी ओर देश में इसका ठीक से परिपालन भी नहीं होता। आगे हम इन दोनों-पहलुओं पर विचार करेंगे।

18.5.1 भाषिक आवश्यकताएँ

भाषाओं के महत्व और स्थान के बारे में पहले की गई चर्चा के संदर्भ में यह देखना उचित होगा कि शिक्षार्थी किस या किन भाषाओं को पढ़ना चाहेगा। कई राज्यों के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित भाषाओं का प्रावधान रखा गया है-

1. हिंदी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत

यहाँ क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा हो रही है। बालक क्षेत्रीय भाषा का व्यवहार दैनिक जीवन में भले ही करता है किन्तु शिक्षाक्रम में इसका स्थान नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएँ अनेक हैं। किसी एक क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा में स्थान देने पर अन्य लोग भी चाहेंगे कि उनकी भाषा को भी यही स्थान मिले।

दूसरे, त्रिभाषा सूत्र में एक और भाषा पढ़ाने का प्रावधान कैसे हो ? विद्यालय के टाइम टेबिल में इसके लिए समय कैसे निकाला जाए ?

1968 की शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को अत्यधिक स्थान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि "शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास में भारतीय भाषाओं और संस्कृति का उत्साहपूर्वक विकास एक अनिवार्य शर्त है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, लोगों की सृजनात्मक शक्तियाँ हमारे समक्ष नहीं आ पाएँगी, शिक्षा के स्तर नहीं सुधरेंगे, लोगों तक ज्ञान नहीं पहुँच पाएगा तथा बुद्धिजीवियों और जन साधारण के मध्य खाई यदि और न बढ़ी तो जितनी है, वह बनी रहेगी।"

दूसरी ओर आंध्र प्रदेश का उदाहरण हमारे समक्ष है, जहाँ (आंध्र प्रदेश में) उर्दू को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ने वाले शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित व्यवस्था उपलब्ध है-

1. उर्दू 2. हिंदी 3. तेलुगु

इस व्यवस्था में निम्नलिखित भाषाएँ छूट रही हैं।

1. अंग्रेजी 2. क्लासिकल भाषा - अरबी या फारसी

बालक उपयोगिता के दृष्टि से अंग्रेजी अवश्य पढ़ना चाहेगा किंतु उर्दू पढने वाले के लिए तेलुगु जो की राजभाषा है,को अनिवार्य रूप से पढ़ना है। हिंदी पढ़ना राष्ट्रीय संदर्भों में ज़रुरी है। दूसरे उर्दू के निकट होने से हिंदी में उसकी रुचि होना भी स्वाभाविक है। तब अंग्रेजी ?

इसी प्रकार क्लासिकल भाषा पढ़ना भी इसकी रुचि का क्षेत्र है। त्रिभाषा सूत्र में इसकी गुंजाइश नहीं है। संस्कृति भाषा के रूप में पढ़ाई के लिए समय कैसे मिले ?

एक अन्य व्यवस्था आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ही देखी जा सकती है। आंध्र के आदिवासी-बहुल क्षेत्र का बालक अपनी आदिवासी भाषा पढ़ना चाहेगा किंतु उसकी उपयोगिता सीमित होने के एक दो साल तक इसका अध्ययन करने के बाद निम्नलिखित भाषाओं का चयन करता है-

1. तेलुगु 2. हिंदी 3. अंग्रेजी

इस व्यवस्था में भी कुछ न कुछ छूट रहा है। कोई बालक किसी विदेशी भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसके लिए स्थान नहीं है। इसी प्रकार क्लासिकल भाषा के लिए भी इस व्यवस्था में स्थान नहीं है। विद्यालय में व्यवस्था संभव हो और बालक रुचि हो तो विदेशी या क्लासिकल भाषाओं में से किसी की व्यवस्था अतिरिक्त समय में की जा सकती है।

अगर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) की सिफारिशें देखें तो संस्कृत, पालि, प्राकृत, अरबी, फ़ारसी में से किसी एक भाषा के अध्ययन का विकल्प दिखाई देगा। 1968 की शिक्षा नीति में भी स्तर पर संस्कृत के शिक्षण की सुविधा देने की बात कही गई है।

इसी प्रकार केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (1956) में आधुनिक यूरोपीय भाषा के शिक्षण का प्रावधान किया था किन्तु वर्तमान व्यवस्था में इन ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए?

18.5.2 अपूर्ण परिपालन

चूंकि शिक्षा राज्य का विषय है अतः त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन राज्यों पर छोड़ दिया गया था। परिणाम स्वरूप केन्द्र से सही मार्ग दर्शन के अभाव में हर राज्य ने अपनी सुविधानुसार त्रिभाषा सूत्र को लागू किया। यही कारण है कि राज्यों के त्रिभाषा सूत्र में एक रूपता नहीं है। भाषाओं को परिभाषित करने की कठिनाई ने भी त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में अड़चनें डालीं। मातृभाषा के लिए प्रथम भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार अन्य भाषा शिक्षण और द्वितीय/तृतीय भाषा शिक्षण शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार विदेशी भाषा तथा क्लासिकल यूरोपीय भाषा शब्दों के अर्थ में भी स्पष्टता नहीं है।

भाषा शिक्षण और द्वितीय/तृतीय भाषा शिक्षण शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार विदेशी भाषा तथा क्लासिकल यूरोपीय भाषा शब्दों के अर्थ में भी स्पष्टता नहीं है।

भारतीय मन मस्तिष्क में उलझनों में से रास्ता खोजने की अपूर्व क्षमता है। त्रिभाषा सूत्र की कल्पना एक उलझन पूर्ण भाषा समस्या से निपटने के लिए की गई थी। वह सूत्र आज भी मूल्यवान है और उसे ईमानदारी और आस्था से लागू किया जाना चाहिए। भाषा नीति का विकास अपने संदर्भों में उचित था। वह हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में उठाया गया सही कदम है।

बोध प्रश्न 2

निर्देश : रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।

1. भारत की बहुभाषिकता हमारी - - - - - - - - - - - - का जीता जागता उदाहरण है।
   (अभिव्यक्ति स्वतंत्रता/भाषायी स्वतंत्रता/आर्थिक स्वतंत्र)
2. दुनिया भर में भारत ही ऐसा देश है जहाँ विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में - - - - - - - - - - - - पढ़ाई जाती है।
3. अन्य भाषा सीखने में हम में - - - - - - - - - - - पैदा होती है।
   (भाषिक सहिष्णुता/भाषिक टकराहट/भाषिक दक्षता)
4. क्लासिकल भाषा को - - - - - - - - - - - - भाषा भी कहा जाता है।
   (संस्कृति की/ऐतिहासिक/पौराणिक)
5. क्षेत्रीय भाषा का अर्थ है - - - - - - - - - - - - - - ।
   (क्षेत्र विशेष की भाषा /देश-विदेश की भाषा/छोटी जगह की भाषा)
6. व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग - - - - - - - - - - के लिए करता है।
   (सामाजिक व्यवहार/संप्रेक्षण/सामाजिक व्यवहार और संप्रेषण)
7. शैक्षणिक दृष्टि से - - - - - - - - को प्रथम भाषा कहा जाता है।
   (मातृभाषा/विदेशी भाषा/क्लासिकल भाषा)
8. भाषा द्वितीय - - - - - - - - - - भाषा होती है।
   (सुनी हुई/बोली हुई/सीखी हुई)
9. शिक्षा - - - - - - - - - - - - - - - का विषय है।
   (राज्य/केन्द्र/स्वैच्छिक संस्था)
10. प्रयोजन या उपयोग की दृष्टि से तृतीय भाषा द्वितीय भाषा की तुलना में लक्ष्य और उद्देश्य की दृष्टि से - - - - - - - - - -है। (समान/विस्तृत/सीमित)

18.6 स्कूल स्तर पर तीन भाषाएँ सीखने की वर्तमान स्थिति संबंधी विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	तीन भाषा के सीखने के स्तर			भाषाओं का नाम
		प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	तृतीय भाषा	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	I-X	III-X तेलुगु VIII-X हिन्दी	VI-X	प्रथम भाषा—तेलुगु/उर्दू द्वितीय भाषा—तेलुगु/हिन्दी तृतीय भाषा—अंग्रेज़ी
2.	अरुणाचल प्रदेश	IX	I-X	VI-VII	प्रथम भाषा—अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा—हिन्दी तृतीय भाषा—असमिया/संस्कृत
3.	असम	I-X	V-X	V-VII	प्रथम भाषा—असमिया/हिन्दी/बंगाली/बोडो/मणिपुरी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—हिन्दी
4.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	प्रथम भाषा—हिन्दी/उर्दू/बंगाली/ उड़िया/मैथिली/पन्थाली द्वितीय भाषा—हिन्दी (हिन्दीतर छात्रों के लिए) संस्कृत (हिन्दी छात्रों के लिए) तृतीय भाषा—अंग्रेजी
5.	गोवा	I-X	V-X	V-VII (अंग्रेज़ी या आधुनिक भारतीय भाषाएँ) VII-X हिन्दी/मराठी/ कोंकणी/गुजराती/ कन्नड़/उर्दू/संस्कृत/ अरबी/लैटिन/जर्मन/ फ्रेंच/पुर्तगाली	प्रथम भाषा—हिन्दी/उर्दू/मराठी/ कोंकणी/अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा (हिन्दी और शास्त्रीय भाषा) मराठी/कोंकणी/अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—हिन्दी मराठी/कोंकणी गुजराती/कन्नड़/उर्दू/संस्कृत/ अरबी/लैटिन/जर्मन/फ्रेंच/पुर्तगाली
6.	गुजरात	I-X	V-X	V-X	प्रथम भाषा—गुजराती द्वितीय भाषा—हिन्दी तृतीय भाषा—अंग्रेज़ी
7.	हरियाणा[1]	I-X	VI-X	VI-VII	प्रथम भाषा—हिन्दी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—तेलुगु/संस्कृत/पंजाबी/उर्दू
8	हिमालय प्रदेश	I-X	IV-X	IX-X	प्रथम भाषा—हिन्दी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—उर्दू/तमिल/तेलुगु

1. कक्षा के विद्यार्थी निम्नलिखित भाषाओं में से कोई एक भाषा वैकल्पिक विषय के तौर पर ले सकते हैं--संस्कृत/पंजाबी/उर्दू/तेलुगु/हिन्दी/अंग्रेज़ी/फ़ारसी/तमिल/बंगाली/रूसी/जर्मन/फ्रेंच

1	2	3	4	5	6
9	जम्मू और कश्मीर	I-X	VI-X	VI-X	प्रथम भाषा—उर्दू/हिन्दी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—हिन्दी/उर्दू/पंजाबी (ऐच्छिक)
10.	कर्नाटक	I-X	V-X	VI-X	प्रथम भाषा—कन्नड़ द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—हिन्दी
11.	केरल	I-X	IV-X	V-X	प्रथम भाषा—मलयालम द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—हिन्दी
12.	मध्यप्रदेश	I-X	VI-X	VI-X	प्रथम भाषा—प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/ मिडिल स्तर पर मातृभाषा या अंग्रेज़ी में माध्यमिक स्तर, निम्नलिखित में से कोई एक भाषा— हिन्दी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, सिन्धी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम द्वितीय भाषा—संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिन्दी, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, अरबी, फ़ारसी, फ्रेंच
13	महाराष्ट्र	I-X	V-X	V-X	प्रथम भाषा—मराठी, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेज़ी, सिन्धी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली। द्वितीय भाषा—हिन्दी, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, सिन्धी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली। द्वितीय भाषा—हिन्दी, मराठी, उर्दू तृतीय भाषा—हिन्दी, अंग्रेज़ी
14.	मणिपुर	I-X	VI-VIII	VI-VIII	प्रथम भाषा—मणिपुरी/मान्यताप्राप्त स्थानीय बोली द्वितीय भाषा—अंग्रेजी तृतीय भाषा—हिन्दी
15	मेघालय	I-X	V-X	V-VIII	प्रथम भाषा—मातृभाषा द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—हिन्दी,खासी,गारो,असमिया,बंगाली
16	मिजोरम	I-X	V-X	V-VIII	प्रथम भाषा—मिज़ो, अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी, मिज़ो तृतीय भाषा—हिन्दी
17	नागालैंड	I-X	I-X	V-VIII	प्रथम भाषा—स्थानीय आंचलिक बोली/अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी, स्थानीय आंचलिक बोली/ हिन्दी तृतीय भाषा—हिन्दी

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	I-X	IV-X	VI-X	प्रथम भाषा—उड़िया, हिन्दी, बंगाली, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी, हिन्दी तृतीय भाषा—हिन्दी, उड़िया
19.	पंजाब	I-X	III-X	VI-X	प्रथम भाषा—पंजाबी द्वितीय भाषा—हिन्दी तृतीय भाषा—अंग्रेज़ी
20.	राजस्थान	I-X	VI-X	VI-X	प्रथम भाषा—हिन्दी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी
21	सिक्किम	I-X	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	प्रथम भाषा—अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा—नेपाली, भोटिया, लेपचा, लिम्बो, हिन्दी तृतीय भाषा—नेपाली, भोटिया, लेपचा, लिम्बो, हिन्दी
22.	तमिलनाडु	I-X	III-X	अनुपलब्ध	प्रथम भाषा—तमिल या मातृभाषा द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी या अन्य विदेशी भाषा
23.	त्रिपुरा	I-X	III-X	VI-X	प्रथम भाषा—बंगाली, कोके-बोरोक, लुशाई द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—हिन्दी
24.	उत्तरप्रदेश	I-X	III-VIII	VI-VIII	प्रथम भाषा—हिन्दी, उर्दू, अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा—हिन्दी, अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—संस्कृत, उर्दू या कोई आधुनिक भारतीय भाषा
25	पश्चिम बंगाल	I-X	VI-X	VI-VIII	प्रथम भाषा—बंगाली या मातृभाषा द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी, बंगाली, नेपाली तृतीय भाषा—बंगाली, हिन्दी, संस्कृत, पाली, फ़ारसी, अरबी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, पैनिश, इटेलियन
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	I-X	VI-X	VI-VIII	प्रथम भाषा—बंगाली, हिन्दी, अंग्रेज़ी, तमिल, मलयालम, कोरेन, निकोबारी द्वितीय भाषा—हिन्दी तृतीय भाषा—हिन्दी, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, उर्दू, संस्कृत
27	चंडीगढ़	I-X	I-X	III-X	प्रथम भाषा—हिन्दी, पंजाबी, अंग्रेज़ी (अंग्रेज़ी माध्यमिक स्तर) द्वितीय भाषा—पंजाबी, हिन्दी तृतीय भाषा—अंग्रेजी, पंजाबी, हिन्दी (पंजाबी, हिन्दी माध्यमिक स्तर)
28	दादरा और नागर हवेली	I-X	IV-X	V-X	प्रथम भाषा—गुजराती द्वितीय भाषा—हिन्दी तृतीय भाषा—अंग्रेज़ी

1	2	3	4	5	6
29.	दमण और दीव	I-X	V-VII	VIII-X	प्रथम भाषा—मातृभाषा, अंग्रेज़ी, मराठी, उर्दू, हिन्दी द्वितीय भाषा—हिन्दी, मराठी, कोंकणी, अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—अरबी, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली तथा हिंदी, मराठी, कोंकणी, अंग्रेज़ी
30.	दिल्ली	I-X	VI-VIII	VI-VIII	प्रथम भाषा—सामान्यतः हिन्दी द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—संस्कृत, पंजाबी (उर्दू, बंगाली, सिंधी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी जैसी अल्पसंख्यक भाषाएँ भी पढ़ाई जाती हैं)।
31	लक्षद्वीप	I-X	IV-X	V-X	प्रथम भाषा—मलयालम द्वितीय भाषा—अंग्रेज़ी तृतीय भाषा—हिन्दी
32.	पांडिचेरी	I-X	VI-VIII	VI-X	प्रथम भाषा—तमिल, मलयालम, तेलुगु द्वितीय भाषा—अंग्रेजी तृतीय भाषा—हिन्दी

बोध प्रश्न 3

निर्देश । हर प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए।

1. स्थानीय या क्षेत्रीय आवश्यकताओं की जानकारी किस भाषा के माध्यम से मिल सकती है ?
   ----
2. त्रिभाषा सूत्र का प्रारंभ किस शिक्षा आयोग द्वारा किया गया था ?
   ----
3. बालक मातृभाषा किससे सीखता है ?
   ----
4. मातृभाषा बालक के कौन से विकास में सहायक होती है ?
   ----
5. मातृभाषा का ज्ञान ही हर व्यक्ति के लिए क्यों अनिवार्य है ?
   ----
6. उच्च स्तर की शिक्षा किस माध्यम में दी जानी चाहिए ?
   ----
7. अन्य भाषा किसे कहते हैं ?
   ----
8. अन्य भाषा हमें क्यों सीखना चाहिए ?
   ----
9. विदेशी भाषा का ज्ञान किन बातों में सहायक होता है ?
   ----
10. भारतीय क्लासिकल भाषाएँ कौन-कौन सी हैं ?
   ----
11. संस्कृत से आधुनिक भारतीय भाषाओं को क्या सहायता मिली है ?
   ----

12. तृतीय भाषा अध्ययन के दो उद्देश्य बताइए।

----

13. त्रिभाषा सूत्र की कल्पना क्यों की गई थी ?

----

14. त्रिभाषा सूत्र हमारी किन आवश्यकताओं की पूर्ति में सही कदम है ?

----

15. कोई व्यक्ति अपनी बोली का प्रयोग कहाँ करता है ?

18.7 सारांश

भारत एक बहुभाषिक देश है। इसमें लगभग 1650 भाषाएँ बोली जाती हैं। हिंदी देश की राजभाषा है। यह संपर्क भाषा भी है। देश में 15 और भाषाएँ प्रमुख हैं, जो संविधान की अष्टम सूची में उल्लिखित हैं। इनमें कई भाषाएं प्रदेशों की अन्य भाषाओं में कुछ महत्वपूर्ण है, साहित्य संपन्न है, और इनके बोलने वालों की संख्या लाखों में है। शेष कई भाषाएँ अलिखित हैं, साहित्य संपन्न नहीं हैं और उनके बोलने वालों की संख्या भी अधिक नहीं है।

शैक्षिक दृष्टि मातृभाषा का ज्ञान व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है: मातृभाषा से भिन्न अन्य भाषाओं का ज्ञान निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है-

ज्ञान प्राप्त करने का साधन
भाषिक ज्ञान
भाषिक सहिष्णुता और भावात्मक एकता
संपर्क

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अन्य एक या दो भाषाएँ पढ़े। इसी उद्देश्य से स्कूली स्तर पर तीन भाषाएँ पढ़ाने का विधान किया गया है जिसे त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है। त्रिभाषा सूत्र पूरे देश पर लागू है, लेकिन यह कानूनी-व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शिक्षा राज्य की अपनी व्यवसथा है। इस कारण इसके परिपालन में अंतर भी है।

त्रिभाषा सूत्र के परिपालन में अंतर का एक दूसरा कारण भी है। वे तीन भाषाएँ कौन-सी हों ? हिंदी संपर्क भाषा है। ऐतिहासिक कारणों से अंग्रेजी पढ़ने पर बल दिया जाता है और मातृभाषा का शिक्षण अनिवार्य है। लेकिन इस स्थिति में कुछ विसंगति आती है।

i) हिंदी भाषी प्रदेशों में तीसरी भाषा क्या हो, क्योंकि यह इन प्रदेशों की मातृभाषा है ?
ii) इन लोगों के संदर्भ में क्या व्यवस्था हो, जो अहिंदी भाषी प्रदेशों में रहते हैं और जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्न कोई है ?
iii) इन तीनों भाषाओं के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अन्य कोई विदेशी भाषा या प्राचीन भाषा सीखना चाहे तो क्या किया जाए ? इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई त्रिभाषा सूत्र बनाना मुश्किल है जिससे इन तीन प्रश्नों का भी समाधान हो सके। यही कारण है कि 1949 से अब तक विभिन्न आयोगों/अन्य अभिकरणों द्वारा अलग-अलग तरह के सुझाव दिये जाते रहे हैं। अब हमारे सामने जो स्थिति है, वह 1964-66 के शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर है, जो निम्न प्रकार से है-

1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
2) संघ की राजभाषा या सहचरी भाषा
3) एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा

हमने देखा कि यह व्यवस्था अत्यंत लचीली है, जिसमें सब लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप भाषाएँ सीखने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस स्थिति में कोई हिंदी न सीखना चाहे तो गुंजाइश है। लेकिन लगभग पूरे देश में राज्यों के निर्णय के अनुसार हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। जिसके बारे में आप अगली इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे।

इकाई के अंत में आपने पढ़ा कि त्रिभाषा सूत्र चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो इसका अनुपालन सब जगह एक जैसा नहीं हो रहा है। अहिंदी भाषी राज्य चाहते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में कोई भारतीय भाषा पढ़ायी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तमिलनाडु ने हिंदी के विरोध के कारण द्विभाषा सूत्र (तमिल और अंग्रेजी का) चला रखा है। इन

स्थितियों के कारण इस सूत्र से जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। सद्भावना हो तो इस स्थिति में परिवर्तन आ सकता है।

18.8 शब्दावली

कार्यान्वयन - अमल में लाना
प्रासंगिक - सार्थक
सर्वोपरि - सबसे ऊपर
परिष्कृत - सुधारा हुआ, मानक
आदिवासी - बहुल क्षेत्र - वह क्षेत्र जहाँ आदिवासी बड़ी संख्या में हों

18.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

खंड के अंत में देखें

18.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) 3 ii) 2 iii) 4 iv) 3 v) 1 vi) 4
   vii) 2

viii) मातृभाषा, अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ, संपर्क भाषा

ix) व्यक्तित्व के विकास के लिए मातृभाषा, ज्ञान के विकास के लिए अन्य कोई भाषा सिर्फ तीन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था में प्राचीन भाषा की उपेक्षा होती है, जो सांस्कृतिक विरासत के लिए आवश्यक है या यूरोपीय भाषा छूट जाती है जो अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए आवश्यक है।

बोध प्रश्न 2

1. भाषायी स्वतंत्रता
2. तीन भाषाएँ
3. भाषिक सहिष्णुता
4. संस्कृति की
5. क्षेत्र विशेष की भाषा
6. सामाजिक व्यवहार और संप्रेषण
7. मातृभाषा
8. सीखी हुई
9. राज्य
10. सीमित

बोध प्रश्न 3

1. स्थानीय भाषा
2. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949)
3. समाज
4. व्यक्तित्व का विकास
5. अभिव्यक्ति के लिए
6. मातृभाषा
7. मातृभाषा से भिन्न, अपने सांस्कृतिक परिवेश की भाषा को
8. ज्ञान विस्तार, संपर्क के लिए
9. संपर्क, संस्कृति का परिचय
10. संस्कृत, अरबी, फारसी, पालि और प्राकृत
11. भाषिक विरासत, खासकर शब्दावली के स्तर पर
12. संपर्क के लिए सामान्य प्रयोजनों की भाषा, भावात्मक एकता
13. बहुभाषिक समाज के लोगों की भाषाई आकांक्षा की पूर्ति
14. शैक्षिक, सामाजिक
15. हर तक निकट परिवेश

इकाई 19 माध्यमिक शिक्षा में हिंदी

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य
19.1 प्रस्तावना
19.2 त्रिभाषा सूत्र में हिंदी शिक्षण
19.3 विभिन्न राज्यों में हिंदी शिक्षण की स्थिति
19.3.1 हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी शिक्षण
19.3.2 संघीय क्षेत्र
19.3.3 अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी
19.3.4 केंद्र स्तरीय शिक्षा व्यवस्था
19.4 विधि का सवाल
19.4.1 पाठ्य सामग्री का निर्माण
19.4.2 प्रशिक्षण
19.5 सारांश
19.6 शब्दावली
19.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
19.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

19.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप अध्ययन करेंगे कि भारत के विभिन्न प्रांतों में हिंदी शिक्षण की क्या स्थिति है।
इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- विभिन्न प्रदेशों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन और हिंदी के अध्ययन की स्थिति बता सकेंगे;
- हिंदी भाषी प्रदेशों में मातृभाषा के रूप में और अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था का वर्णन कर सकेंगे;
- राज्यों के अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर स्कूल शिक्षण में हिंदी की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे;
- स्वैच्छिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का स्वरूप समझा सकेंगे;
- और शिक्षण के संदर्भ में सामग्री निर्माण; प्रशिक्षण आदि की चर्चा कर सकेंगे।

19.1 प्रस्तावना

भारत में सदियों से विभिन्न भाषिक समूह या परिवार रहे हैं। उनमें लगातार राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक आदान-प्रदान होता रहा है।
इसके कारण विभिन्न भाषिक परिवारों का सम्मिश्रण हुआ है ।
इधर हाल के दशकों में औद्योगीकरण के कारण नगरीकरण* हुआ।
इसने भाषिक समुदायों के सम्मिश्रण को और बढ़ाया; विशेष रूप से बड़े शहरों में जिससे महानगरों में एक विशेष किस्म की बहुभाषिकता ने रूप ग्रहण कर लिया है । आधुनिक शिक्षा शुरू से ही एक से अधिक भाषाओं की पक्षधर रही है। उसने द्विभाषिकता तथा बहुभाषिकता को बढ़ाने में अपूर्व योग दिया है।

देश की बहुभाषिक स्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्न भाषा बोलने वालों में तालमेल हो, वे परस्पर आदान-प्रदान करने के लिए हिंदी के साथ-साथ अन्य भाषाओं का भी उपयोग कर सकें, भावात्मक स्तर पर एकता रहे और भाषा के नाम पर संघर्ष या तनाव न हो।
दूसरी ओर शैक्षिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि छात्र अपनी मातृ भाषा के साथ अन्य भाषाएँ भी सीखें। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने नीति के रूप में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया।
हमने पिछली इकाई में त्रिभाषा सूत्र की चर्चा की और विभिन्न राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन का परिचय प्राप्त किया।
स्कूली शिक्षा विशेषकर माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस बहुमुखी समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में विविध प्रकार का है।
भारत में 25 प्रदेश हैं जिनकी अपनी कोई प्रमुख भाषा है।
इन भाषाओं में हिन्दी प्रमुख है जो छह प्रदेशों में बोली जाती है।

10 प्रदेशों में अष्टम सूची की भाषाएँ हैं, शेष प्रदेशों में कोई स्थानीय भाषा है जो अष्टम सूची में नहीं है। अरुणाचल, नागालैण्ड जैसे राज्यों में बहुभाषिकता है।

कुछ संघ शासित राज्यों में, जैसे दिल्ली, अंडमान-निकोबार आदि में बहुभाषिक स्थिति है।

पांडिचेरी, दमन-दीव, लक्षद्वीप आदि में कोई स्थानीय भाषा है। इस तरह विभिन्न राज्यों की भाषाई आवश्यकताएँ भिन्न हो जाती हैं। देश में लोगों के आवागमन के कारण भी शहरों में बहुभाषिकता की स्थिति पैदा हो जाती है। नौकरी, व्यापार आदि कारणों से लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर बसते हैं। इनकी भी भाषिक आवश्यकताएँ हैं।

इस कारण स्कूली शिक्षा की दो विशिष्ट धाराएँ हैं- राज्य स्तर के विद्यालय और सी.बी.एस.सी. जैसे अखिलभारतीय विद्यालय संगठन। हम इस इकाई में इन विद्यालयों की व्यवस्था में भाषा के स्थान का अवलोकन करेंगें।

19.2 त्रिभाषा सूत्र में हिंदी शिक्षण

भारत की बहुभाषिकता के संदर्भ में ही त्रिभाषा सूत्र को देखा जाना चाहिए। या यह कहना अधिक प्रासंगिक होगा कि त्रिभाषा सूत्र उक्त स्थिति के कारण ही अस्तित्व में आया।

विश्वविद्यालय आयोग 1949 ने क्षेत्रीय भाषा, सामान्य भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी की सिफारिश की थी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सन् 1952 में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संपर्क भाषा तथा क्लासिक भाषा संस्कृत, अरबी, फारसी की सिफारिश की थी।

किंतु "त्रिभाषा सूत्र" केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 का प्रस्ताव है जिसे 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने संशोधित रूप दिया जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें हैं :

1. प्रादेशिक भाषा और अगर मातृभाषा प्रादेशिक भाषा भिन्न है तो मातृभाषा
2. हिंदी या हिंदी भाषी क्षेत्रों में कोई दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा, और
3. अंग्रेजी या कोई दूसरी आधुनिक यूरोपीय भाषा।

शिक्षा नीति 1968 ने त्रिभाषा सूत्र को प्रासंगिक बनाने का सुझाव दिया।

1986 में राष्टीय शिक्षा नीति के द्वारा उक्त त्रिभाषा सूत्र को चालू रखने की अनुशंसा की गई।

इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र में राज्य की भाषिक अस्मिता के साथ संपर्क हेतु हिंदी तथा पुस्तकालय भाषा के रूप में अंग्रेजी की व्यवस्था के द्वारा बहुभाषी समाज में अपनी भाषा के पोषण के साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया।

विद्यालयी शिक्षा और हिंदी शिक्षण

विद्यालयी शिक्षा में हिंदी का अध्यापन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। इसमें हिंदी का प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा तथा तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना शामिल है।

यहाँ दी जा रही तालिका द्वारा इस स्थिति को बखूबी समझा जा सकता है। (तालिका आगे देखें)

इस तालिका के अध्ययन से आपको मालूम होगा कि विभिन्न राज्यों में हिंदी की स्थिति क्या है। सभी हिंदी भाषी प्रदेशों में और ज्यादातर संघीय क्षेत्रों में यह प्रथम भाषा है। कुछ अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ने की व्यवस्था है। हिंदी भाषी प्रदेशों में इसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था है। अधिकतर अहिंदी भाषी प्रदेशों में यह अनिवार्य रूप से तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। सिर्फ तमिलनाडु में स्कूल स्तर पर हिंदी शिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

19.3 विभिन्न राज्यों में हिंदी शिक्षण की स्थिति

इस प्रकरण में हम यह देखना चाहेंगे कि हर प्रदेश में और केंद्रीय स्तर पर आयोजित शिक्षा व्यवस्था में हिंदी का क्या स्थान है वह हर प्रदेश में पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी प्रथम भाषा है और शिक्षा का माध्यम भी। अहिंदी भाषी प्रदेशों में वह प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के साथ पढ़ाई जाती है। कहीं दूसरी भाषा है, कहीं वह तीसरी भाषा। लगभग सभी जगह वह अनिवार्य भाषा है। लेकिन हर प्रदेश में हिंदी शिक्षण में स्तर भेद दिखाई पड़ता है।

हम अगले भाग में हिंदी शिक्षण की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे।

19.3.1 हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी शिक्षण

जैसे कि पहले कहा गया है, छह हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण मातृभाषा के रूप में होता है।

ये हैं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश,राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

इनके अलावा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ हिंदी को मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। यहाँ इन राज्यों में हिंदी अध्यापन की स्थिति पर विस्तार से विचार किया गया है।

स्कूल स्तर पर हिंदी सीखने की वर्तमान स्थिति

राज्य	प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	तृतीय भाषा	टिप्पणी
आंध्र प्रदेश	--	द्वितीय भाषा कक्षा 8-10	--	
अरुणाचल प्रदेश	--	द्वितीय भाषा कक्षा 1.-10	तृतीय भाषा कक्षा 5-7	
असम	प्रथम भाषा कक्षा 1-10	--	तृतीय भाषा	
बिहार	प्रथम भाषा कक्षा 1-10	द्वितीय भाषा कक्षा 5 6-10	--	
गोआ	प्रथम भाषा कक्षा 1-10		--	
गुजरात	--	द्वितीय भाषा कक्षा-10	--	
हरियाणा	प्रथम भाषा	--	वैकल्पिक रूप में हिंदी	
हिमाचल प्रदेश	प्रथम भाषा	-- कक्षा 1-10	--	
जम्मू-कश्मीर	प्रथम भाषा कक्षा 1-10	-- कक्षा 6-10	तृतीय भाषा	
कर्नाटक	-- कक्षा 6-10	--	तृतीय भाषा	
केरल	--	--	तृतीय भाषा कक्षा 6-10	
मध्य प्रदेश	प्रथम भाषा कक्षा 1-10	द्वितीय भाषा कक्षा 6-10	तृतीय भाषा कक्षा 6-10	
महाराष्ट्र	प्रथम भाषा कक्षा 1-10	द्वितीय भाषा कक्षा 5-10	तृतीय भाषा कक्षा 5-10	
मणिपुर	--	--	तृतीय भाषा कक्षा 6-8	
मेघालय	--	--	तृतीय भाषा कक्षा 5-8	
मिज़ोरम	--	--	तृतीय भाषा कक्षा 5-7	
राजस्थान	प्रथम भाषा कक्षा 1-10	--	--	
सिक्किम	--	द्वितीय भाषा	तृतीय भाषा	
तमिलनाडु	--	--	--	अनुपलब्ध
त्रिपुरा	--	--	तृतीय भाषा कक्षा 6-10	
उत्तर प्रदेश	प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	--	
पश्चिम बंगाल	--	द्वितीय भाषा	--	
संघीय क्षेत्र				
अंडमान-निकोबार	प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	तृतीय भाषा	
चंडीगढ़	प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	तृतीय भाषा	
दादरा और नगर हवेली	--	द्वितीय भाषा	तृतीय भाषा	
दमन और दीव	प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	--	
दिल्ली	प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	--	
लक्षद्वीप	प्रथम भाषा कक्षा 1-10	--	--	
पांडिचेरी	--	--	तृतीय भाषा कक्षा 6-10	

बिहार

बिहार की मुख्य भाषा हिंदी है जो माध्यमिक शिक्षा की भी मुख्य भाषा है। उर्दू और बंगला दो अन्य प्रमुख भाषाएँ हैं । इसके अलावा नेपाली, ओड़िया , मैथिली, संथाली और अनेक आदिवासी भाषाएँ प्रयोग में आती हैं। यह भी एक रोचक तथ्य है कि बंगला, ओड़िया जैसी भाषाएँ संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाएँ है तथा अल्पसंख्यक भाषा के नाते उनके पठन-पाठन की व्यवस्था राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है । किंतु यहाँ उन बोलियों या भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अत्यधिक है जो संविधान की आठवीं सूची में नहीं आतीं । इनके बोलने वाले विद्यालयी शिक्षा में हिंदी ही पढ़ते हैं। बिहार में मातृभाषा या प्रथम भाषा का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर होता है तथा माध्यमिक स्तर तक चलता है।

जो बच्चे प्रथम भाषा के रूप में हिंदी नहीं पढ़ते उन्हें हिंदी का अध्ययन पाँचवीं/छठी से दसवीं तक द्वितीय भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से करना होता है।

हरियाणा

हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी है, जो यहाँ की राजभाषा भी है। ज्यादातर लोग या तो हिंदी का प्रयोग करते हैं और कभी पंजाबी या उर्दू का भी प्रयोग होता है।

प्राथमिक स्तर पर आम तौर पर हिंदी माध्यम है किंतु कुछ विद्यालयों में पंजाबी का भी माध्यम के रूप में अध्यापन होता है।

प्राथमिक स्तर पर हिंदी का अध्यापन अनिवार्य रूप से होता है, हालाँकि अल्पसंख्यक भाषायी समुदाय के लिए पंजाबी और उर्दू का भी प्रबंध है ।

छठी कक्षा से अंग्रेजी का अध्यापन द्वितीय भाषा के रूप में माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य रूप से किया जाता है ।

छठी/सातवीं कक्षा से तृतीय भाषा भी पढ़ाई जाती है जो उर्दू, पंजाबी, तेलुगु या संस्कृत में से कोई भी हो सकती है। जो बच्चे हिंदी का अध्ययन प्रथम भाषा के रूप में नहीं करते हैं, उन्हें तृतीय भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़नी होती है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी है। यही इस राज्य की राजभाषा भी है। ज्यादातर लोग या तो हिंदी बोलते हैं या अपनी बोली का प्रयोग करते हैं।

हिमाचल प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर हिंदी माध्यम भाषा है।

प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। पाँचवीं/छठी कक्षा से अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई जाती है।

उच्च प्राथमिक स्तर से उर्दू और पंजाबी अनिवार्य रूप से तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

मध्य प्रदेश

क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश के राजभाषा अधिनियम 1950 के अनुसार इस राज्य की राजभाषा हिंदी है ।

फिर भी प्रशासन में अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है।

मध्य प्रदेश में तीन प्रमुख भाषाएँ बोली जाती हैं - हिंदी, मराठी और उर्दू। किंतु बहुसंख्यक लोगों की माध्यम भाषा हिंदी है।

पूरी विद्यालयी व्यवस्था में हिंदी ही माध्यम भाषा है । फिर भी पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर मराठी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, मलयालम, बंगला, गुजराती, तेलुगु और अंग्रेजी भी माध्यम भाषाएँ हैं।

प्राथमिक कक्षा में बालक निम्नलिखित में से किसी एक भाषा को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ता है :

हिंदी, मराठी, सिंधी, उर्दू, बंगला, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी पांचवी/छठी कक्षा से कक्षा दस तक विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय भाषाओं का अध्ययन करते हैं । जिन्होंने इससे पहले हिंदी नहीं पढ़ी है, उनके लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का पढ़ना अनिवार्य है।

माध्यमिक स्तर पर सभी बच्चों के लिए हिंदी किसी न किसी रूप में पढ़ना अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

राजस्थान
हिंदी राजस्थान की राजभाषा है तथा प्रयोग की भी भाषा है। अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयी व्यवस्था है ।
प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक हिंदी माध्यम भाषा है
किंतु निम्नलिखित में से भी माध्यम भाषा चुनने का विकल्प है :

पंजाबी, सिंधी, उर्दू, गुजराती और अंग्रेजी राजस्थान में अनेक आदिवासी भाषाएं भी हैं। किंतु बच्चा जब पहली कक्षा में भर्ती होता है तो वह हिंदी सीखना शुरू करता है ।
हिंदी ही अनिवार्य रूप से प्रथम भाषा है जो माध्यमिक स्तर तक हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।
माध्यमिक स्तर पर द्वितीय और तृतीय भाषाओं के अध्यापन की भी व्यवस्था है। किंतु उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल प्रथम
और द्वितीय भाषाओं का ही प्रावधान है ।

उत्तर प्रदेश
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी है
जो इस राज्य की राजभाषा भी है।
पूरी विद्यालयी शिक्षा में हिंदी ही माध्यम भाषा है। बच्चा पहली कक्षा में भर्ती होते ही हिंदी को मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप
में सीखना शुरू कर देता है।

उच्च प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर पर द्वितीय और तृतीय भाषाओं की शिक्षण व्यवस्था की गई है।
उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रथम भाषा तथा द्वितीय भाषा की व्यवस्था उपलब्ध है

19.3.2 संघीय क्षेत्र

चंडीगढ़
संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ की प्रमुख भाषा हिंदी है। इस संघीय क्षेत्र के ज्यादातर लोग हिंदी या पंजाबी का प्रयोग करते हैं। यहाँ विद्यालयी शिक्षा क्रम में हिंदी और पंजाबी माध्यम भाषाएँ हैं, प्रथम भाषाएँ भी । उच्च प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक यदि बालक हिंदी प्रथम भाषा लेता है तो पंजाबी द्वितीय । इसी स्तर पर अंग्रेजी तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

दिल्ली
दिल्ली की राजभाषा हिंदी है । उर्दू को दूसरी या सहायक राजभाषा बनाया गया है । यहाँ देश के हर हिस्से से आए लोग निवास करते है।
दिल्ली की प्रमुख भाषाएँ हिंदी और उर्दू हैं । जो अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं
वे है- पंजाबी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, सिंधी, मराठी और गुजराती। एक तरह से दिल्ली छोटा भारत ही है।
विद्यालयी शिक्षाक्रम में ज्यादातर बच्चों की मातृभाषा हिंदी है जिसे प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है ।
उच्च प्राथमिक मिडिल स्तर पर अंग्रेजी का अध्यापन अतिरिक्त भाषा के रूप में अनिवार्य है।
इसी स्तर पर जो बच्चे प्रथम भाषा हिंदी पढ़ते हैं संस्कृत का अध्ययन भी शुरू करते हैं। जो बच्चे उर्दू माध्यम में पढ़ते हैं वे अरबी/फारसी का अध्ययन शुरू करते हैं।
अन्य भाषा को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ना होता है ।
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र हिंदी तथा अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ते हैं।

अंडमान-निकोबार
मुख्य भूमि के बाहर यह अकेला संघ शासित क्षेत्र है, जहाँ हिन्दी आम बोलचाल की भाषा है।
हिन्दी का अध्यापन यहाँ प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भाषा के रूप में होता है। तेलगु, बंगला, उर्दू भी कतिपय विद्यालयों में पढ़ाई जाती है।

19.3.3 अहिंदी राज्यों में हिंदी

अनेक अहिंदी भाषी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में भी पढ़ाई जाती है । (तालिका देखें) किंतु इन राज्यों में वह अल्पसंख्यक भाषा है। अतः प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या सीमित होती है।

अनिवार्य रूप से हिंदी का द्वितीय भाषा के रूप में अध्यापन भी अनेक अहिंदी भाषी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में होता है (तालिका देखें)।

द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी अध्यापन का विशेष महत्व है ।

अहिंदी भाषा भाषी छात्र अपनी मातृभाषा के अलावा जिन दो अन्य भाषाओं का अध्ययन करते हैं उनमें हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में बहुसंख्यक छात्रों द्वारा पढ़ी जाती है । उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश में तेलुगु मातृभाषा या प्रथम भाषा है। आठवीं कक्षा से तेलुगु भाषी छात्र हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में दसवीं तक पढ़ते हैं । यहाँ हिंदी का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि तेलुगु और हिंदी भिन्न परिवारों की भाषाएँ हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ता है।

गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब में भी हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है । गुजरात में छठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक इसके अध्यापन की व्यवस्था है । महाराष्ट्र में भी द्वितीय भाषा हिंदी का अध्यापन छठी से दसवीं तक होता है । पंजाब में भी हिंदी द्वितीय भाषा का अध्यापन होता है।

किंतु जैसा कि पहले कहा गया है गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र की अपनी भाषाएँ उसी परिवार की हैं जिस परिवार की हिंदी है। मराठी की लिपि देवनागरी है जो हिंदी लेखन में भी प्रयोग में आती है। अतः इन राज्यों में हिंदी सीखना और वह भी द्वितीय भाषा के रूप में उतना कठिन कार्य नहीं है जितना कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी छात्र के लिए हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखना। द्वितीय भाषा के रूप में सीखना छात्रों के प्रयास की मात्रा की दृष्टि से एक ही बात नहीं है।

19.3.4 केंद्र स्तरीय शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा प्रमुखतः राज्य का विषय है। फिर भी गत वर्षों में केंद्रीय स्तर पर शिक्षा के आयोजन तथा क्रियान्वयन के निम्नलिखित अभिकरण कार्यरत हैं -

1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2. इंटर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बोर्ड
3. केंद्रीय विद्यालय संगठन
4. संघीय क्षेत्र के विद्यालय

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बड़ा योगदान है । बोर्ड स्वशासी* संस्था है और परीक्षा लेना ही इसका प्रमुख कार्य है। इसका क्षेत्र मात्र संघ शासित क्षेत्र दिल्ली न होकर संपूर्ण देश है।

बोर्ड से संबद्ध अनेक विद्यालय विदेशों में भी संचालित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

बोर्ड की परीक्षाओं, इसकी भाषा नीतियों तथा निर्धारित पाठ्यक्रम से राज्यों के शिक्षा बोर्ड न केवल प्रभावित होते हैं, वरन् अपने आयोजनों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समानांतर रखने की कोशिश करते हैं।

इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा की एकरूपता के लिए कार्यरत रहा है। इंटर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बोर्ड पहले की जूनियर सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षाएँ अब इस बोर्ड के द्वारा ली जाती हैं। अल्पसंख्यक विद्यालय इस बोर्ड से संबद्ध हैं। यहाँ हिंदी द्वितीय या तृतीय भाषा है। विभिन्न राज्यों यहाँ तक कि अहिंदी भाषी राज्यों में भी उक्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालय हैं । अनेक पब्लिक स्कूल भी इससे संबद्ध हैं और अपने विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करते हैं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन

केंद्रीय विद्यालयों का हिंदी शिक्षण में विशेष योगदान है । ये विद्यालय भारत के सभी भागों यहाँ तक कि विदेशों में भी हैं।

इन विद्यालयों में हिंदी का अध्यापन पहली कक्षा से प्रथम भाषा के रूप में किया जाता है जो दसवीं तक अनिवार्य रूप से चलता है । उच्च माध्यमिक स्तर हिंदी का अध्यापन एक विषय के रूप में भी होता है।

केंद्रीय विद्यालयों की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यहाँ सामाजिक विज्ञान के विषय हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छी तरह दक्षता प्राप्त कर लेते हैं।

नवोदय विद्यालय

राष्टीय शिक्षा नीति, 1986 में दिए आदेश के आधार पर नवोदय विद्यालय योजना तैयार की गई । 1968 में शिक्षा नीति के अनुसार सार्वजनिक स्कूल प्रणाली की दिशा में कारगर उपाय करने की सिफारिश की गई है।
सार्वजनिक स्कूल प्रणाली का तात्पर्य है जाति, धर्म, स्थान या लिंग का भेद किए बिना सब विद्यार्थियों के लिए तुलनात्मक रूप से अच्छी शिक्षा मुहैया कराना इस योजना के अनुसार हर जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय है ।
इन स्कूलों में 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत आरक्षण रहेगा । लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की 1/3 रखना भी प्रस्तावित है । इन स्कूलों में आवास, भोजन सहित शिक्षा निःशुल्क होगी। ये स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध होंगे। अब तक 29 राज्यों में 261 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके है।

इन विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक हिंदी और अंग्रेजी का शिक्षण अनिवार्य है । तीन वर्षों के दौरान छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी में इतनी दक्षता प्राप्त कर लेनी है ताकि नवीं कक्षा से सामाजिक विज्ञान के विषय हिंदी माध्यम से पढ़ सकें तथा विज्ञान विषय अंग्रेजी के माध्यम से।

बोध प्रश्न 1

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

i) त्रिभाषा सूत्र के अस्तित्व में आने का कारण है ----------------------- ।
(बहुभाषिकता/राजभाषा हिंदी/ संविधान)

ii) त्रिभाषा सूत्र में 'लाइब्रेरी' भाषा के रूप में------------------भाषा की सिफ़ारिश की गई है।
(हिंदी/संस्कृत/अंग्रेजी)

iii) जिन हिंदी भाषी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है वह वास्तव में----------------- है। (मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषा/विदेशी भाषा)

iv) हिंदी और मराठी में एक बड़ी समानता है। वह है----------------की समानता। (उच्चारण/लिपि/व्याकरण)

v) गुजरात में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में------------कक्षा से------------तक पढ़ाया जाता है ।
(पहली से दसवीं/ पांचवीं से दसवीं/आठवीं से दसवीं)

vi) गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र की भाषाएँ--------------की भाषाएँ है जिस परिवार की हिंदी है।
(अन्य परिवार/उसी परिवार/भिन्न परिवार)

vii) अहिंदी भाषी छात्र अपनी मातृभाषा के अलावा जिन दो अन्य भाषाओं का अध्ययन करते है उनमें बहुसंख्यक छात्रों
द्वारा -------------भाषा पढ़ी जाती है। (अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू)

viii) भिन्न परिवार की भाषा सीखने में छात्रों को---------प्रयास करना पड़ता है।
(अधिक/कम/साधारण)

ix) मराठी, नेपाली और हिंदी की एक ही लिपि है । वह है--------------- ।
(ब्राह्मी/रोमन/देवनागरी)

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए :

i) द्विभाषिकता तथा त्रिभाषिकता को बढ़ाने में किसने योग दिया है ?
----

ii) विश्वविद्यालय आयोग ने किन तीन भाषाओं की सिफारिश की थी ?
----

iii) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने हिंदी के अध्यापन की सिफारिश किस रूप में की थी ?
----

iv) हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में कितने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है ?
----

v) हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में कितने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है ?
----

vi) हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में कितने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है ?
----

vii) कितने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में हिंदी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है ?
----

viii)बिहार में जो बच्चे प्रथम भाषा के रूप में हिंदी नहीं पढ़ते उन्हें किन कक्षाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी का अध्ययन करना होता है ?

----

ix) हरियाणा में जो बच्चे प्रथम भाषा के रूप में उर्दू या पंजाबी पढ़ते है उन्हें हिंदी किस रूप में पढ़नी होती है ?

----

x) भाषा की दृष्टि से दिल्ली को "छोटा भारत" क्यों कहा जाता है ?

19.4 विधि का सवाल

हमने इस इकाई के प्रारंभ में चर्चा की कि भारत में हिन्दी भाषा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पढ़ाई जाती है और अहिंदी भाषी राज्यों में भी। कहीं यह प्रथम भाषा है, कहीं द्वितीय और कही तृतीय। यह न केवल राज्य शिक्षा विभागों द्वारा प्रदेश के छात्रों को पढ़ाई जाती है, बल्कि केन्द्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के द्वारा भी पढ़ाई जाती है, जहाँ विषय के रूप में ही नहीं,
माध्यम के रूप में भी इसका उपयोग होता है। क्या इन सारी स्थितियों में हिन्दी भाषा का एक सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए ? क्या सभी स्थितियों में एक जैसी पाठ्यपुस्तकों का उपयोग संभव या अपेक्षित है ?
प्रश्न पर विचार करते हुए आपको जरूर लगा होगा कि स्थिति के अनुसार अलग-अलग पाठ्यपुस्तकें हों, तो अच्छा है। इसका क्या वैचारिक आधार है ? यह प्रश्न हमें भाषा शिक्षण की उपयुक्त विधि के सवाल पर ले आता है।

भाषा शिक्षण की उपयुक्त विधि से हमारा क्या तात्पर्य है ? भाषा सीखने का उद्देश्य है भाषा के चारों कौशलों पर अधिकार प्राप्त करना।
पाठ्यक्रम पूरा करने पर व्यक्ति भाषा सुन-पढ़ कर समझ सकें और बोल-लिखकर अपने विचार प्रकट कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति में विधि सहायता करती है। भाषा सीखने की सबसे उपयुक्त विधि वह है जिससे अधिक से अधिक छात्र, कम से कम समय में अच्छी से अच्छी भाषा सीख सकें। हमने जिक्र किया था कि एक ही पाठ्यपुस्तक सब लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। इन भिन्न पाठ्यक्रमों या पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का आधार विधि है।
विधि ही भिन्न-भिन्न स्थितियों के अनुरूप भाषा शिक्षण के कार्य को आयोजित करने में हमारी सहायता करती है दूसरे शब्दों में विधि के निर्माण में हमें विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा, जिससे शिक्षण का आयोजन ठीक से कर सकें।
आगे हम कुछ प्रमुख कारकों की चर्चा कर रहे हैं–

समय या स्तर :

भाषा तीन स्तरों पर पढ़ाई जाती है, जिसे हम प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में देख चुके है। भारतीय संदर्भ में त्रिभाषा के परिप्रेक्ष्य में इन तीन स्तरों का अंतर सिर्फ समय है
अर्थात् प्रथम भाषा के लिए अधिक समय मिलता है, इसलिए हम साहित्य की शैलियों तक जा सकते हैं; तृतीय भाषा के लिए सबसे कम समय मिलता है, इसलिए भाषा का परिचय तथा भाषा के माध्यम से सामान्य संप्रेषण हमारा लक्ष्य हो सकता है।
इस तरह समय के कारण लक्ष्य (कितना पढ़ाया जाए) में अन्तर आ जाता है।
स्तर का एक दूसरा आयाम है मातृभाषा, अन्य भाषा और विदेशी-भाषा के रूप में
अध्यापन। इनमें भी सामान्यतः समय का वही अनुपात हो सकता है लेकिन पढ़ने के उद्देश्यों में किस प्रयोजन से पढ़ाया जाए में अंतर आ सकता है। मातृ भाषा का अध्ययन एक भाषा पर पूर्ण अधिकार के लिए किया जाता है;
अन्य भाषा आमतौर पर उसी संस्कृति की कोई भाषा होती है और उसका अध्ययन संप्रेषण के अतिरिक्त माध्यम के रूप में होता है; विदेशी भाषा के अध्ययन का उद्देश्य है उस भाषा का परिचय, सामान्य संप्रेषण और उसके माध्यम से उस भाषा का संस्कृति का परिचय आदि। अगर हम भाषा के वर्गीकरण की दोनों दृष्टियों को अपने सामने रखें, अध्ययन के लिए उपलब्ध समय को आधार बनाएँ तो हमें किसी पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने में सुविधा होगी। पाठ्यक्रम इन्हीं लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के होंगे।

उम्र :

पाठ्य सामग्री के निर्माण में सीखने वाले की उम्र और मानसिक स्तर के आधार पर अंतर होगा। आप जानते ही है कि जो बच्चे पहली कक्षा में भाषा पढ़ते है उनके लिए बाल गीत, परी कथाएँ आदि रोचक लगेंगी, लेकिन अगर कोई सातवीं कक्षा में तृतीय भाषा के रूप में भाषा पढ़े, तो उसे यह सामग्री रोचक नहीं लगेगी। इसी तरह भाषा के अन्य तत्वों के प्रस्तुतीकरण में भी उम्र के अनुसार अंतर किया जा सकता है। जैसे, टेप सामग्री का उपयोग करते हुए सांचा अभ्यास (अर्थात् वाक्य बनाकर बोलने का अभ्यास) बड़ों के लिए है; बच्चों के लिए वार्तालाप अधिक उपयोगी है।
इसी तरह रेखाओं के विश्लेषण से लिपि सीखना बड़ों के लिए अधिक उपयोगी है।

भाषाई पृष्ठभूमि :

सीखने वालों की भाषाई पृष्ठभूमि का भी विशेष महत्व है। यह तो आप जानते ही है कि किसी विदेशी को हिंदी सीखने की अपेक्षा गुजराती या पंजाबी भाषा सिखाना अधिक आसान काम है, हिंदी तथा सीखने वालों की मातृभाषा में जो समानताएँ हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण का आयोजन कर सकते हैं। गुजराती या पंजाबी भाषा में 'ने' की व्यवस्था है, इसलिए इसे जल्दी ही पढ़ाया जा सकता है, जबकि तमिल भाषी को 'ने' का अभ्यास अन्य क्रियाएँ सीखने के बाद कराना चाहिए। मराठी की लिपि
देवनागरी है, इसलिए मराठी भाषी को लिपि सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, तमिल भाषी की अपेक्षा मलयालम भाषी या बंगला भाषी अधिक संस्कृत मूल के शब्द जानते हैं। इस कारण वे शीघ्र अधिक शब्द सीख सकते हैं।
कई भाषा शिक्षणविद् दिभाषी विधि की चर्चा करते हैं,
जिसमें मातृभाषा की समान रचनाओं का उपयोग करते हुए हिन्दी सीखने पर बल दिया जाता है।

परिवेश :

परिवेश भी भाषा शिक्षण को प्रभावित करता है। अगर कोई विदेशी हिंदी सीखे तो उनके लिए यह जानना कठिन होगा कि 'विमल' लड़के का नाम है या लड़की का। इसी तरह कई सांस्कृतिक तत्व उनकी समझ मे नहीं आ सकते।
उल्लू क्यों गाली है? क्या 'गुड नाइट' का हिंदी में कोई समान प्रयोग है ?
बड़ों के पैर छूने से क्या तात्पर्य है ? मंदिर में जूता-चप्पल क्यों नहीं पहना जाता ?
लड़की होने पर घर में क्यों दुःख मनाया जाता है ?
शादी में दहेज देने का यह रिवाज क्या है और क्यों है ? इस कारण विद्वान यह मानते है कि किसी नई भाषा को सीखने वालों के अपने परिवेश में प्रस्तुत किया जाए और धीरे-धीरे छात्र को भाषा के परिवेश में लाया जाए। जैसे केरल की हिंदी की
पहली पाठ्य पुस्तक केरल के जीवन पर आधारित हो।

तथ्य और विधि :

केवल भाषा एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसका अपना कोई विषय नहीं है। भूगोल का विषय है पृथ्वी के भूभागों का परिचय देना, इतिहास का विषय है बीते हुए समय का विश्लेषण। इस दृष्टि से भाषा का विषय माना जा सकता है ध्वनि,लिपि,शब्द,वाक्य आदि। लेकिन भाषा शिक्षण में ये भाषाई तत्व अकेले नहीं पढ़ाये जाते, बल्कि इनका उपयोग करते हुए भाषा द्वारा संप्रेषण करना हमारा अंतिम उद्देश्य है। संप्रेषण का अर्थ है, जीवन के विविध संदर्भों में विचारों का आदान-प्रदान।
इस तरह सभी विषय भाषा के विषय हैं। इसलिए पाठ्यपुस्तक में सभी तरह के विषय समाविष्ट होने चाहिए। कुछ लोग शिक्षण के आयोजन के इस कार्य को पाठ्यचर्या (करीकुलम) का विकास कहते हैं। मानव मूल्यों का शिक्षण भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। गणित या अर्थ शास्त्र में हम मूल्यों के अध्ययन को नहीं जोड़ सकते।
लेकिन भाषा के अध्ययन का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। इसलिए इसमें देशप्रेम, सहयोग,साहस आदि मूल्यों को स्थान दे सकते हैं।

भाषा शिक्षण का उद्देश्य संप्रेषण है: संप्रेषण में ऊपर बताये अनुसार सुनकर समझना-बोलना-पढ़ना-लिखना ये चारों कौशल शामिल हैं।
इन कौशलों के विकास के लिए पाठों का चयन किया जाना चाहिए।
कहानी सुनकर समझने के कौशल के लिए उपयोगी है। डायरी, पत्र आदि विधाओं द्वारा लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है: संवाद,नाटक आदि विधाएँ बोलने के लिए आधार हैं। इस तरह अन्य कारकों के संदर्भ में उचित ढंग से विषयों और विधाओं का समावेश पाठ्यपुस्तक को अधिक उपयोगी बना सकता है।

19.4.1 पाठ्य सामग्री का निर्माण

विधि की चर्चा के उपरांत हम यह जानना चाहेंगे कि विधि किस तरह अच्छी पाठ्य सामग्री याने पाठ्यपुस्तक आदि के निर्माण में सहायता देती है।
भाषा शिक्षण के आयोजन में तीन प्रमुख सोपान माने जाते हैं। ये है- चयन,अनुस्तरण और प्रस्तुतीकरण का संबंध कक्षा अध्यापन से है। इसकी चर्चा हम अगले प्रकरण में करेंगे। चयन और अनुस्तरण का संबंध पाठ्यपुस्तक आदि के निर्माण से है।
इनकी यहाँ चर्चा करेंगे।

चयन :

पाठ्यपुस्तक में क्या जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित के आधार पर होता है, जिसका उल्लेख ऊपर भी कर चुके है-
भाषाई तत्व - ध्वनि, लिपि, शब्द, वाक्य आदि।
ये भाषा शिक्षण के लक्ष्य कहलाएँगे। इनके चयन का आधार स्तर, उम्र, भाषाई पृष्ठभूमि आदि हैं।
विषय - विज्ञान, इतिहास, साहित्य आदि।

विधाएँ - निबंध, कहानी, पत्र, डायरी, संवाद आदि इनका चयन भाषा शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित होगा।
इनके चयन का आधार स्तर, उम्र, परिवेश आदि हैं।
चयन किये गये बिंदुओं को ही हम भाषा शिक्षण के पाठ्य बिंदु कहते हैं।

अनुस्तरण :

चयन किये गये तत्वों को क्रम से सामग्री का रूप देना अनुस्तरण कहलाता है। अनुस्तरित सामग्री को हम इस पाठ आदि के रूप से देंगे। हर पाठ में भाषा तत्वों और विषय तथा विधा का उचित समायोजन* होगा।
पिछले सीखे हुए पाठों के आधार पर हर नये पाठ मे कुछ नये भाषा तत्वों और नये विषयों का समावेश* होगा। इस तरह पहली कक्षा के पहले पाठ से लेकर अंतिम कक्षा के अंतिम पाठ तक हम निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो सकेंगे और सारे कौशलों पर अधिकार कराने के उद्देश्य की पूर्ति भी कर सकेंगे।
पाठ्यबिंदुओं के इस क्रमिक विकास को ही भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम (सिलेबस) की संज्ञा दी जाती है। पाठ्यपुस्तक इसी पाठ्यक्रम के आधार पर निर्मित होगी। पाठ्य सामग्री के अन्तर्गत निम्नलिखित सामग्री शामिल है-
पाठ्यपुस्तकः यह सबसे प्रमुख पाठ्य सामग्री है। इसी के माध्यम से सभी पाठ्य बिंदुओं को प्रस्तुत किया जाता है।
पूरक पुस्तिका या द्रुत* पठन की पुस्तक : यह सहायक पाठ्यपुस्तक है।
इसका उद्देश्य है सीखे हुए पाठ्य बिंदुओं को आधार बनाकर आगे पढ़ने के लिए सामग्री प्रस्तुत करना। उम्मीद की जाती है कि बिना अधिक सहायता छात्र स्वयं इसे शीघ्र पढ़ें। इसीलिए इसे द्रुत पठन की पुस्तक कहा जाता है।

दृश्य-श्रव्य साधन :

टेप, फिल्म आदि। इनका प्रयोजन क्रमशः मौखिक कौशलों का विकास करना और भाषा के परिवेश को प्रस्तुत करना है। ये अतिरिक्त साधन है।

अभ्यास पुस्तिकाएँ :

इनका प्रयोजन है लिखित अभिव्यक्ति के कौशल का विकास करना।

यह समस्त सामग्री स्तरीकृत हो तो छात्र के लिए उपयुक्त है। ये चारों किसी एक पाठ्यक्रम में समन्वित* रूप से प्रयोग में लाये जाएँ तो वह उत्तम पाठ्यक्रम है।

19.4.2 प्रशिक्षण

भाषा शिक्षण के कार्य को हम एक त्रिभुज से प्रकट करना चाहेंगे-

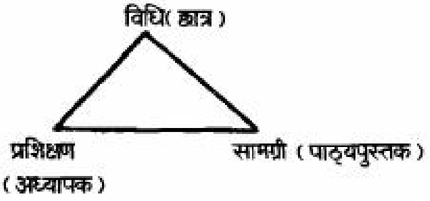

भाषा शिक्षण के आयोजन को एक त्रिभुज द्वारा व्यक्त करने का एक कारण है- इसके तीनों कोणों पर
उल्लिखित तीनों कारक एक दूसरे से जुड़ते हैं।
अध्यापक को यह मालूम होना चाहिए कि वह जिस विधि का उपयोग कर रहा है, उसका महत्व क्या है, वह किन लोगों के लिए है।
वह जिस सामग्री का प्रयोग कर रहा है वह कैसे पढ़ाई जानी चाहिए। इस तरह अध्यापक को विधि और पुस्तक के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
अगर विधि संगत हो और पुस्तकें उपयुक्त, फिर भी अध्यापक इसके बारे में न जाने तो अध्यापन सार्थक नहीं होगा।

प्रस्तुतीकरण :

पाठ्य सामग्री के कक्षा में प्रस्तुतीकरण ही प्रशिक्षण का मूलाधार है। पुस्तक के आधार पर भाषा कैसे पढ़ाई जाए, उच्चारण का अभ्यास कैसे कराया जाए, पाठों को आधार बनाकर अध्यापक कौशलों का विकास कैसे करें;
कुशाग्र बुद्धि बालकों और मंदबुद्धि बालकों को किस तरह आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, बार-बार होने वाले दोषों का कैसे निवारण किया जाए; सह पाठ्यचर्या कार्यकलापों का आयोजन कैसे किया जाए- ये सब भाषा अध्यापन के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रशिक्षण अध्यापक इन स्थितियों का सामना करने के लिए पहले से तैयार हो सकता है।

अब हम विधि के संदर्भ में और पाठ्य सामग्री निर्माण तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति की चर्चा करना चाहेंगे। भारत में अब तक मातृभाषा तथा अन्य भाषा की पाठ्यपुस्तकों में भी अन्तर नहीं किया जाता था। अतः लगभग सभी पुस्तकों की विधि एक जैसी थी। अब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और अधिक वैज्ञानिक पुस्तकों का निर्माण होने लगा है। फिर भी दृश्य-श्रव्य साधनों और उपयोगी अभ्यास पुस्तिकाओं का लगभग अभाव है। पाठ्य सामग्री के संदर्भ में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) तथा राज्य सरकारों की ओर से अच्छी शुरुआत हुई है। इस संदर्भ में विस्तार से आप इकाई 22 में अध्ययन करेंगे।

भाषा शिक्षण के प्रशिक्षण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ज्यादातर शिक्षक परंपरागत बी.एड. पाठ्यक्रमों से आते हैं, जहाँ शिक्षा शास्त्र की अधिक चर्चा होती है और भाषा शिक्षण गौण हो जाता है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान भाषा शिक्षण का प्रमुख केंद्र है, जहाँ हिंदी को अन्य भाषा तथा विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाने के बारे में विशिष्ट कार्य होता है। लेकिन इस संस्था का पाठ्य सामग्री के निर्माण में हाथ नहीं है। इस कारण प्रशिक्षण अधिक व्यावहारिक नहीं हो पाता। फिर भी मान सकते हैं कि पिछले 15-20 वर्षों में भाषा शिक्षण के क्षेत्र में जागृति आयी है और सुधार के लक्षण दीख रहे हैं।

बोध प्रश्न 2

3. पूछे गये प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए।

i) विधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन-से हैं ?

....

....

....

ii) भाषा शिक्षण के आयोजन के तीन सोपान कौन-से हैं ?

1.................. 2.......................... 3..........................

iii) विधि का संबंध छात्र से है और प्रशिक्षण का................................ से है।

4. प्रश्नों का हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i) तृतीय भाषा और विदेशी भाषा एक ही अर्थ सूचित करते हैं।

हाँ/नहीं

ii) भाषा पढ़ने वाले सभी छात्रों की कठिनाई एक जैसी होती है।

हाँ/नहीं

iii) संवाद के पाठ का उद्देश्य है बोलने के कौशल का विकास करना।

हाँ/नहीं

iv) कक्षा में पाठ्य सामग्री के उपयोग को ही प्रस्तुतीकरण कहते हैं।

हाँ/नहीं

v) भारत में वैज्ञानिक ढंग से लिखी हिंदी की पाठ्यपुस्तकें और दृश्य-श्रव्य सामग्री विपुल मात्रा में उपलब्ध है।

हाँ/नहीं

5. चयन, अनुस्तरण और प्रस्तुतीकरण का 10 पंक्तियों में परिचय दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

19.5 सारांश

हमने पिछली इकाई में त्रिभाषा सूत्र का परिचय प्राप्त किया। इस इकाई में उक्त सूत्र के आधार पर विभिन्न शैक्षिक संगठनों द्वारा शिक्षण के आयोजन का परिचय प्राप्त किया।

त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिंदी भाषा लगभग पूरे देश में पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह प्रथम भाषा है, उच्च अध्ययन का माध्यम भी है।
अहिंदी राज्यों में यह द्वितीय और/या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।
अन्य अहिंदी भाषी राज्यों में एक प्रमुख स्थानीय भाषा है जो प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।
इन राज्यों की तुलना में वे शैक्षिक संगठन आते हैं जो केंद्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही इस वर्ग में हम कुछ संघ शासित क्षेत्रों को भी शामिल कर सकते हैं। इनकी भाषाई स्थिति अखिल भारतीय है, जहाँ सभी भाषाओं के छात्र पढ़ते हैं। स्वभावतः इन संगठनों में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है और कहीं उच्च माध्यमिक स्तर पर माध्यम भाषा भी बनती है।

इकाई के शुरू में आपने विभिन्न राज्यों में हिन्दी शिक्षण की स्थिति को तालिकाबद्ध रूप से देखा।
इसकी तुलना आप अपने प्रदेश की स्थिति से कर सकते हैं। आगे केंद्रीय स्तर पर काम करने वाले प्रमुख संगठनों की शिक्षा पद्धति के बारे में अध्ययन किया। ये संगठन हैं-

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
इंटर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बोर्ड
केंद्रीय विद्‌यालय संगठन
नवोदय विद्‌यालय

इकाई के दूसरे भाग में हमने विधि की चर्चा की। चूँकि भाषा सीखने वालों में पाठ्‌यक्रम का स्तर, अध्ययन के लिए उपलब्ध समय, सीखने वाले छात्रों की उम्र और भाषाई पृष्ठभूमि, पाठ्य सामग्री की प्रस्तुति का परिवेश और तथ्य और पाठों की विधा आदि की दृष्टि ये अंतर दिखायी पड़ता है, विधि के निर्माण में इन कारकों पर ध्यान रखना होता है और इनके अनुरूप पाठ्य सामग्री का निर्माण करना होता है।

पाठ्य सामग्री के निर्माण के दो प्रमुख सोपान हैं।

चयन : इसमें ऊपर बताये कारकों के संदर्भ में सीखने वालों की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्य बिंदुओं का चयन किया जाता है।

अनुस्तरण : इस सोपान में इन समस्त बिंदुओं को पठनीय पाठों के रूप में क्रम से तैयार करने का काम होता है। अर्थात् अनुस्तरण से हमें पाठ्‌यक्रम का खाका (सिलेबस) मिलता है और सामग्री प्राप्त होती है।
पाठ्य सामग्री का कक्षा में अध्यापन विधि का तीसरा सोपान है। इस सोपान को प्रस्तुतीकरण कहा जाता है। प्रस्तुतीकरण के लिए अध्यापक को प्रशिक्षित करना होता है। प्रशिक्षण में अध्यापक को विधि के आधारभूत सिद्धांतों का परिचय दिया जाता है, पाठ्य सामग्री का इस परिप्रेक्ष्य में परिचय दिया जाता है
और कक्षा में भाषिक तत्वों और कौशलों को प्रस्तुत करने का तरीका सिखाया जाता है।

अभ्यास : इसे इकाई को पढ़ाने के बाद आप
i) अपने प्रदेश में हिंदी शिक्षण की स्थिति का अध्ययन करें।
ii) किसी केंद्र स्तरीय संगठन की पाठ्‌यपुस्तकों का अवलोकन और उसमें सुधार के सुझाव दें।

19.6 शब्दावली

नगरीकरण - गाँवों का नगरों में विकास
परिप्रेक्ष्य - दृष्टि
समायोजन - सभी अंगो का उचित मात्रा में संयोजन
समावेश - शामिल होना
द्रुत - शीघ्र, जल्दी
समन्वित - ठीक से जोड़ा गया (इन्टीग्रेटेड)

19.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

खंड के अंत में देखें

19.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

i) बहुभाषिकता ii) अंग्रेजी iii) मातृभाषा
iv) लिपि v) पाँचवीं, दसवीं vi) उसी परिवार
vii) हिंदी viii) अधिक ix) देवनगरी

2. i) बहुभाषिकता
ii) क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी
iii) प्रादेशिक भाषा या उससे भिन्न मातृभाषाः हिंदी या आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी या यूरोपीय भाषा
iv) 10 राज्य और 5 संघ शासित क्षेत्र
v) 9 राज्य और 5 संघ शासित क्षेत्र
vi) 12 राज्य और 4 संघ शासित क्षेत्र
vii) 2 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र
viii) पाँचवीं/छठी से दसवीं तक
ix) तृतीय भाषा, छठी/सातवीं से
x) बहुभाषिकता के कारण

बोध प्रश्न 2

3. i) स्तर या समय, उम्र, भाषाई पृष्ठभूमि, परिवेश, कथ्य और विधा
ii) चयन, अनुस्तरण, प्रस्तुतीकरण
iii) अध्यापक

4. i) नहीं ii) नहीं iii) हाँ iv) हाँ v) नहीं

5. कक्षा का स्तरः उम्र आदि के संदर्भ में भाषाई तत्व, विषय, विधा से संबंधित पाठ्य बिंदुओं का चयन किया जाता है। इन्हें समन्वित रूप से पाठों के रूपों से सामने लाना अनुस्तरण है। इस पाठ्य सामग्री का कक्षा अध्यापन प्रस्तुतीकरण है। विस्तृत विवरण के लिए भाग 19.4 को फिर से पढ़े।

इकाई 20 उच्च शिक्षा में हिंदी

इकाई की रूपरेखा

20. 0 उद्देश्य
20. 1 प्रस्तावना
20. 2 उच्च शिक्षा का स्वरूप
20. 3 उच्च शिक्षा में भाषा : स्वरूप और संकल्पना
20. 4 भाषा शिक्षा की प्रयोजनपरक दृष्टि
20. 5 भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम
20. 6 पाठ्यक्रमों का स्वरूप
20. 7 सारांश
20. 8 शब्दावली
20. 9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
20.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

20. 0 उद्देश्य

पिछली इकाई में आपने स्कूली स्तर पर हिंदी शिक्षण, भाषा शिक्षण और हिंदी के स्थान के बारे में अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में आप कालेज और विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा में हिंदी के अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- भारत में उच्च शिक्षा में हिंदी के स्थान का वर्णन कर सकेंगे,
- उच्च शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर हिंदी के कार्यक्रमों का परिचय दे सकेंगे,
- उच्च शिक्षा में भाषा के पाठ्यक्रमों विशेषकर हिंदी के पाठ्यक्रमों के संदर्भ में नये दृष्टिकोणों की व्याख्या कर सकेंगे,
- विविध भाषा उन्मुख पाठ्यक्रमों की आवश्यकता का विश्लेषण कर सकेंगे, और
- हिंदी में शोध की नयी दिशाओं का परीक्षण कर सकेंगे, इन क्षेत्रों में शोध की संभावनाओं का वर्णन कर सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना

स्कूल स्तर के अध्ययन को आम तौर पर विकास की अवधि (Development Stage) कहा जाता है ।
इस दौरान छात्र को शिक्षा के माध्यम से संसार का परिचय दिया जाता है ।
इस परिचय में भाषाओं का ज्ञान भी शामिल है। छात्र को मातृभाषा के विकास का अवसर प्रदान किया जाता है और अन्य भाषाओं का समावेश किया जाता है।

उच्च शिक्षा का क्षेत्र छात्र को जीवन में किसी विशिष्ट दिशा में कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना है । इस अवधि में छात्र जिन विषयों का अध्ययन करता है, वे एक प्रकार से उसकी आजीविका का साधन बनते हैं और उसे विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि स्कूली स्तर पर भाषा का अध्ययन परिचय के लिए, सामान्य जानकारी के लिए किया जाता है, जबकि उच्च शिक्षा में उन्हें अधिक व्यावहारिक धरातल पर अपने जीवन के लिए तैयार किया जाता है।

त्रिभाषा सूत्र केवल स्कूली स्तर तक की शिक्षा के लिए अपनाई गई नीति है, क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि स्कूली स्तर पर छात्रों को अपनी भाषा के साथ-साथ किन्हीं और भाषाओं का ज्ञान देना शैक्षिक दृष्टि से आवश्यक है, उपयोगी है । उच्च शिक्षा में भी छात्र को अपनी भाषा के साथ अन्य किन्हीं भाषाओं का अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है। इस स्तर पर त्रिभाषा सूत्र की नीति नहीं अपनाई जाती, बल्कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में अन्य विषयों के अध्ययन के संदर्भ में भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में भाषाओं को शामिल करते हैं। इसी संदर्भ में

यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि स्कूली स्तर पर उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर उद्देश्यों और लक्ष्यों में किस प्रकार का अंतर आत है। इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए पुनः उस बात को दोहरा लेना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि व्यवहारमूलक होनी चाहिए। जीवन में अपने कार्यों के लिए उन्हें तैयार करने का उद्देश्य प्रमुख होना चाहिए।

स्कूल से लेकर कालेज तक भाषाओं के शिक्षण के संदर्भ में उद्देश्यों को लेकर प्रायः मतभेद पैदा होता है। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि स्कूली स्तर तक भाषा के अध्यापन का लक्ष्य भाषिक होना चाहिए अर्थात् छात्र को भाषा के चारों कौशलों में अर्थात् जैसे सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने में दक्ष बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों को यह आपत्ति हो सकती है कि साहित्य से कटा हुआ सिर्फ भाषिक पाठ्यक्रम नीरस हो सकता है, रुचिकर नहीं हो सकता है। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि स्कूली स्तर पर भाषाओं को पढ़ाते समय भाषा के सामान्य कौशलों का अच्छा परिचय देना और भाषा पर अधिकार कराना हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए । लेकिन भाषा साहित्य से हटकर या जीवन के सामान्य प्रसंगों से हटकर अकेले अस्तित्व में नहीं आती। इस दृष्टि से रोचकता आदि के संदर्भ में भाषा के पाठ्यक्रम को सिर्फ वाक्य विश्लेषण आदि से निकालकर साहित्यिक क्षेत्र में ले जाना शैक्षिक दृष्टि से भी आवश्यक है। यह काम किस ढंग से और क्रमिक रूप से किस अनुपात में किया जाए, यह पाठ्यक्रम निर्माण करने वालों पर निर्भर है।

भाषा और साहित्य के विविध संदर्भ में यह लगता है कि अगर भाषा के पाठ्यक्रम स्कूली स्तर पर भाषोन्मुख हो तो विश्वविद्यालय स्तर पर उन्हें स्वभावतः साहित्य मूलक होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि भाषा का विकल्प स्वभावतः साहित्य है । इस इकाई में हम इस पर भी विचार करेंगे कि जीवन के विविध संदर्भों में भाषा का उपयोग केवल साहित्य के अध्यापन तक ही सीमित नहीं है। भाषा के पाठ्यक्रमों में जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनमूलक दृष्टि अपनाये जाने की आवश्यकता है । इस पाठ्यक्रम में हम उच्च शिक्षा में साहित्य के अध्यापन के साथ-साथ प्रयोजनमूलक दृष्टि अपनाने के बारे में भी विचार करेंगे और उसी संदर्भ में विविध पाठ्यक्रमों की रूपरेखा और विविध क्षेत्रों में शोध की दिशाओं का विवेचन करेंगे।

20.2 उच्च शिक्षा का स्वरूप

इस इकाई के प्रारंभ मे हम विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के स्थान के बारे में विचार करेंगे । जैसे हमने ऊपर उल्लेख किया, विश्वविद्यालयों में स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की तरह अनिवार्य विषय के रूप में भाषाएँ नहीं पढ़ाई जाती हैं। फिर भी कई पाठ्यक्रमों में भाषा के सामान्य ज्ञान को आधार के रूप में शामिल किया जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषा आदि किन्हीं भाषाओं को अनिवार्य विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है । इसे आम तौर पर जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी आदि नाम से अभिहित* किया जाता है।

विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर तक मुख्य रूप से विषय पढ़ाये जाते हैं जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि। इसी तरह विश्वविद्यालयों में विषय के रूप में भाषाओं को भी समाविष्ट किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चाहे तो स्नातक स्तर पर हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी भाषाओं को विषयों के रूप में पढ़ सकता है। इस प्रकार भाषा के इन दोनों पाठ्यक्रमों को हम क्रमशः सामान्य भाषा का पाठ्यक्रम और ऐच्छिक भाषा का पाठ्यक्रम कहेंगे । भारत में हिंदी भाषा को सामान्य भाषा के रूप में किन-किन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और यह विषय के रूप में किन-किन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है इसे आप आगे की तालिका (तालिका 1) से समझ सकते हैं।

स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थात् एम.ए. स्तर पर छात्र किसी एक विषय में विशेषज्ञता की ओर प्रवृत्त होता है। आम तौर पर स्नातकोत्तर स्तर पर एक ही विषय पढ़ाया जाता है। इस कारण लोग राजनीति विज्ञान में या इतिहास मे एम.ए. कर सकते हैं, इसी तरह हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी आदि किसी भाषा में एम.ए. कर सकते हैं । एम.ए. के स्तर पर अन्य कोई विषय या अन्य कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाती है । लेकिन किन्हीं विश्वविद्यालयों में इस बात की व्यवस्था है कि पाठ्यक्रम में ही एक से अधिक विषयों को स्थान दिया जाए। जैसे, हिंदी में उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई विश्वविद्यालयों में हिंदी एम.ए. के पाठ्यक्रम में अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत या उर्दू साहित्य या स्थानीय भाषा का पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है। भारत में जिन विश्वविद्यालयों में एम.ए. में हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था है उसे हम तालिकाबद्ध रूप में आगे दे रहे हैं। (तालिका 2)

विश्वविद्यालयों में भाषा पढ़ाने के संदर्भ में विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं जिन्हें बी.ए. या एम.ए. में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति जर्मन, आदि कोई विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है। लेकिन उसे पाठ्यक्रम में इस भाषा के पढ़ने का अवसर न मिले तो अतिरिक्त अवसर के रूप में अलग पाठ्यक्रम के तौर पर इन भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है । इस तरह कई विश्वविद्यालयों में भाषाओं में प्रमाण-पत्र (Certificate) , उपाधि-पत्र (Diploma), उच्च उपाधि-पत्र (Advanced Diploma) आदि पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है । भारत में कई

छात्र त्रिभाषा सूत्र की सीमाओं के कारण हिन्दी भाषा पढ़ नही पाते हैं और वे उच्च शिक्षा के दौरान या शिक्षा की समाप्ति के बाद भी हिंदी भाषा में रुचि के कारण कोई पाठ्यक्रम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कई विश्वविद्यालयों में हिंदी में प्रमाण-पत्र, उपाधि-पत्र आदि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है । हम तालिका-3 में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रमों की सूची दे रहे हैं।

हिंदी भाषा राजभाषा है और इस भाषा के माध्यम से अन्य कई क्षेत्रों में कार्य करने की संभावना बढ़ी है । कई लोग कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदी में पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है और हिंदी के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है । इस बहु-राजभाषी देश में हमें अनुवादकों की भी अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय अनुवाद पत्रकारिता आदि में प्रमाण-पत्र, उपाधि-पत्र आदि पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं । आगे तालिका-4 में हम विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित ऐसे पाठ्यक्रमों की सूची दे रहे हैं।

तालिकाएँ

भारतीय विश्वविद्यालय - 137
सामान्य विश्वविद्यालय - 102 (हिंदी भाषी क्षेत्र -41)
तकनीकी विश्वविद्यालय- 35 (अहिंदी भाषी क्षेत्र -61)

तालिका 1
स्नातक स्तर पर हिंदी का अध्यापन

		स्नातक स्तर	आनर्स स्तर		
विश्वविद्यालय		सामान्य हिंदी	ऐच्छिक हिंदी	मुख्य हिंदी	गौण हिंदी
हिंदी भाषी क्षेत्र	सामान्य	20	39	12	4
	तकनीकी	2	-	-	-
अहिंदी भाषी क्षेत्र	सामान्य	58	35	3	1
	तकनीकी	3	-	-	-

तालिका 2
स्नातकोत्तर स्तर/शोध में हिंदी

विश्वविद्यालय	एम.ए	एम.फिल	पी.एच.डी.
हिंदी भाषी क्षेत्र	38	12	39
अहिंदी भाषी क्षेत्र	45	10	31

तालिका 3
अतिरिक्त हिंदी पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय		प्रमाण पत्र	डिप्लोमा	उच्च डिप्लोमा
हिंदी भाषी क्षेत्र	सामान्य	3	2	-
	तकनीकी	-	-	-
अहिंदी भाषी क्षेत्र	सामान्य	2	2	-
	तकनीकी	-	-	-

तालिका 4

हिंदी के प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय	प्रमाणपत्र	डिप्लोमा	उच्च डिप्लोमा
हिंदी सामान्य	1	3	-
भाषा तकनीकी क्षेत्र	-	-	-
अहिंदी सामान्य	1	4	-
भाषी तकनीकी क्षेत्र	-	-	-

नोट: अहिंदी भाषी क्षेत्र में 2 डिप्लोमा सामान्य प्रयोजन वाले हैं। शेष सभी पाठ्यक्रम अनुवाद के लिए है।

तालिकाओं का विश्लेषण

उक्त तालिकाओं से आप हिंदी शिक्षण के संदर्भ में कुछ सामान्य बातें जान सकते हैं।

i) अधिकतर सामान्य श्रेणी के विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था है। कई स्वैछिक हिंदी संस्थाएँ भी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम चलाती हैं।

ii) तकनीकी विश्वविद्यालयों में सिर्फ कुछ विश्वविद्यालय भाषा के अध्ययन को महत्व देते हैं। इनमें भी अधिकतर विश्वविद्यालय सामान्य अंग्रेजी का ही पाठ्यक्रम देते हैं। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की उपेक्षा है। यह भी द्रष्टव्य है कि तकनीकी विश्वविद्यालय सिर्फ बी.एस.सी में ही हिंदी पढ़ाते हैं। इसके अलावा कृषि, पशुपालन आदि स्नातक उपाधियाँ भी हैं। वे विषय गहरे रूप से जन जीवन से जुड़े हैं। लेकिन इनमें जन साधारण की भाषा की उपेक्षा समझ में नहीं आती। होना यह चाहिए कि वे विषय देश की भाषाओं में पढ़ाये जाएँ। लेकिन माध्यम के रूप में भी इनका उपयोग नहीं होता।

iii) हिंदी भाषी प्रदेशों में स्थानीय लोगों के लिए हिंदी में अतिरिक्त पाठ्यक्रम अपेक्षित हैं, जिससे अहिंदी भाषी इस भाषा का अध्ययन कर सकें। इस संदर्भ में स्थिति संतोषजनक नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस आवश्यकता की पूर्ति स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ करती हैं।

iv) प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम अहिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस संदर्भ में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

20.3 उच्च शिक्षा में भाषा : स्वरूप और संकल्पना

अब तक हमने वर्तमान स्थिति में भाषा का उच्च शिक्षा में जो स्थान मिला है उसकी चर्चा की । इस इकाई के आगे के प्रकरणों में हम यह देखना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा में भाषा के अध्ययन-अध्यापन की क्या नयी स्थिति हो सकती है, इस क्षेत्र में हमारे सामने कौन-सी नयी दिशाएँ और नयी संभावनाएँ खुलती हैं।

अगर किसी विश्वविद्यालय में स्नातक (बी.ए.) तथा स्नातकोत्तर (एम.ए.) दोनों पाठ्यक्रमों में हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है तो आप पाएँगे कि दोनों में अधिक अंतर नहीं दिखाई पड़ता है । हिंदी काव्य, हिंदी गद्य, भक्ति साहित्य, आधुनिक साहित्य, साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र आदि शीर्षक लगभग समान रूप से दोनों में दिखाई पड़ते हैं। अंतर मात्र इतना होता है कि एम.ए. स्तर पर कुछ विकल्प अधिक मिलते हैं या किन्हीं विषयों में थोड़ा-सा अधिक विस्तार दिखाई पड़ता है । अगर हम यह मानकर चलें कि बी.ए. स्तर पर छात्र साहित्य का अध्ययन कर चुका है, तो एम.ए. स्तर पर सिर्फ उसे विस्तार देना ही पर्याप्त नहीं है । यह भी हमने उल्लेख किया था कि स्नातकोत्तर स्तर पर आवश्यक है कि छात्रों के सामने भाषा के जीवन में उपयोग की दृष्टि से नये क्षेत्र खुलें। इस संदर्भ में साहित्य के पाठ्यक्रमों को उपयोगी बनाने की दृष्टि से कम ही प्रयास हुए हैं। एक उदाहरण लिया जाना चाहिए । आधुनिक युग में कंप्यूटरों का महत्व बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर का इस्तेमाल न केवल अध्ययन-अध्यापन के लिए किया जाता है, बल्कि शोध के कई क्षेत्रों में इसका सफल प्रयोग किया जा सकता है। क्या यह संभव या आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भाषा के छात्रों को भाषा के माध्यम से कंप्यूटर पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए ? इसी तरह कई ऐसे नये क्षेत्र हैं, जिनमें भाषा का उपयोग होता है और उन क्षेत्रों के लिए छात्रों को तैयार किया जाए तो उच्च शिक्षा अधिक सार्थक होगी।

प्रसंग से हम यहाँ दो देशों में उच्च शिक्षा में भाषा के अध्ययन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। अमरीकी विश्वविद्यालयों में पिछले दो दशकों में सृजनात्मक लेखन में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के कई केन्द्र खुले हैं । इनमें छात्रों को

साहित्यिक लेखन या सृजन का प्रशिक्षण दिया जाता है। यों समझ ले कि यह क्षेत्र सामान्य भाषा पाठ्यक्रमों से भिन्न है, अधिक प्रयोजनपरक है । पूरे अमरीका में लगभग 300 स्नातकोत्तर केन्द्र हैं, जहाँ सृजनात्मक लेखन का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। अगर हम उच्च शिक्षा में साहित्य को ही महत्त्व दें तो भी क्या यह आवश्यक नहीं है कि साहित्यिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा को विकसित करने का अवसर दें। भारत के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में यानी स्नातकोत्तर स्तर पर भी भाषा के पाठ्यक्रमों में साहित्य का परिचय ही दिया जाता है, जबकि साहित्य के सार्थक अध्ययन के लिए आवश्यक होगा कि हम साहित्य के रसास्वाद या ज्ञान के साथ सृजन की प्रतिभा को भी यथासंभव विकसित करें। सृजनात्मक लेखन आजीविका से भी जुड़ता है । किसी भी विकसित समाज में हमेशा ऐसे प्रशिक्षित लेखकों की आवश्यकता पड़ती है, जो थिएटर, रेडियो या टी.वी. के लिए स्क्रिप्ट लिख सकें, पत्र-पत्रिकाओं में लेख आदि लिख सकें, अन्य संस्थाओं के लिए विज्ञापन तैयार कर सकें आदि।
ऐसे लोगों को उच्च अध्ययन के स्तर पर ही प्रशिक्षित किया जा सके, तो अच्छा ही होगा।

इसी तरह इंग्लैंड में स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य भाषा के पाठ्यक्रम जैसे अंग्रेजी में एम.ए. पाठ्यक्रम आदि नहीं चलते । यह माना जाता है कि स्नातक स्तर तक छात्र भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य और आलोचना के स्वरूप से परिचित हो जाता है । वह आगे स्वयं इस कौशल का आवश्यकतानुसार विस्तार कर सकता है। इसी कारण एम.ए. में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया नहीं जाता, जो बी.ए. स्तर तक छात्र पढ़ चुका है। स्नातकोत्तर स्तर पर विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं जो उपयोगी हैं और उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने का यत्न किया जाता है । इस तरह इंग्लैंड में विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण में एम.ए. का पाठ्यक्रम मिल सकता है या साहित्यिक या भाषापरख शोध की तरफ उन्मुख पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सकता है।

हमें भी अपने देश में इस बारे में सोचना है कि हम उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों को अधिक सार्थक बनाएँ। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में पत्रकारिता, अनुवाद, भाषा शिक्षण आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के संदर्भ में नये पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की है । लेकिन ये पाठ्यक्रम सामान्य एम.ए. और बी.ए. के पाठ्यक्रमों से बाहर हैं, विशेष प्रकार के प्रमाण-पत्र या उपाधि-पत्र पाठ्यक्रम हैं । चूँकि ये पाठ्यक्रम ऐच्छिक हैं, संभवतः बहुत से छात्र इनमें रुचि न लें । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस दिशा में भी विचार कर सकता है कि हम उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भी इन विषयों को प्रविष्ट करें।

बोध प्रश्न 1

1 प्रश्नों का हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i) त्रिभाषा सूत्र विश्वविद्यालय के स्तर पर भी लागू है
हाँ/नहीं

ii) भारत के अधिकतर विश्वविद्यालयों में हिंदी में शोध की गुंजाइश है
हाँ/नहीं

iii) उच्च शिक्षा में साहित्य का उच्च अध्ययन ही उद्देश्य होता है।
हाँ/नहीं

iv) भारत में उच्च अध्ययन के स्तर पर सृजनात्मक लेखन का अधिक अवसर नहीं है।
हाँ/नहीं

v) भाषा पर अधिकार कराने का काम स्कूल स्तर पर हो जाना चाहिए।
हाँ/नहीं

2. उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।

i) उच्च शिक्षा द्वारा छात्र____________________।
(खुद को आजीविका के लिए तैयार करता है/व्यक्तित्व का विकास करता है)

ii) स्नातक स्तर पर हिंदी के अध्यापन में__________ का बड़ा योगदान है। (तकनीकी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं)

iii) उच्च शिक्षा में पत्रकारिता को शामिल करना____________कहा जायेगा। (भाषा-उन्मुख/प्रयोजनपरक)

iv) इस समय तक भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर साहित्य के ____________ पर बल दिया जाता रहा है। (ज्ञान/सृजन)

v) उच्च स्तर पर प्रयोजनपरक दृष्टि अपनाने से ____________ के क्षेत्र में भी नये रास्ते खुलते हैं। (पाठ्यक्रमों/शोध)

3. उच्च स्तर पर हिंदी के शिक्षण की क्या दृष्टियाँ हो सकती है? चार-पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

20.4 भाषा शिक्षा की प्रयोजनपरक दृष्टि

भाषा समाज की व्यवस्था है। समाज में भाषा की कई भूमिकाएं होती हैं जिनके बारे में हम पिछली इकाइयों में पढ़ चुके हैं । इन भूमिकाओं के निर्वाह के लिए हमें भाषा को विकसित करना होगा और इन दिशा में काम करने के लिए हमें व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना होगा। हाँ, पहले हिंदी केवल साहित्यिक भाषा के रूप में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह राजभाषा बनी है, शिक्षा की भाषा बनी है, इस भाषा के माध्यम से वाणिज्य-व्यापार, पत्रकारिता, जन संचार आदि विविध क्षेत्रों में कार्य होने लगा है। इन सब क्षेत्रों में भाषा के महत्व को पहचानकर उसको तदनुरूप विकसित करने का यत्न इस आधुनिक समाज का दायित्व है। इसी को हम भाषा शिक्षण की प्रयोजनपरक दृष्टि कहेंगे।

भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भाषाएँ जिस रूप में पढ़ाई जाती हैं,उसमें केवल साहित्य के अध्ययन-अध्यापन की ही दृष्टि दिखाई पड़ती है। साहित्य का अध्ययन करने वाला व्यक्ति आगे क्या करे ? इस समय साहित्य के अध्ययन के उपरांत व्यक्ति के सामने दो ही आजीविका के क्षेत्र उपस्थित हैं। वह आगे लेखन कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। लेकिन हमने ऊपर चर्चा की थी कि लेखन में विशेषकर सृजनात्मक लेखन में छात्रों को प्रशिक्षित करने का कोई सुनिश्चित कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में नहीं है । दूसरा क्षेत्र अध्यापन का है: यानी जिस तरह के पाठ्यक्रम से लोग परिचित हुए हैं उसी तरह के पाठ्यक्रम का वे आगे अध्यापन करेंगे । इस कारण अध्ययन का क्षेत्र लक्ष्य की दृष्टि से व्यक्ति को और सीमित करता है और ये क्षेत्र भी अधिक विस्तृत नहीं हैं। इन बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में अपने देश में जो साहित्योन्मुख पाठ्यक्रम चल रहा है वह आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है।

भाषा के अध्यापन में इस महत्व को विदेशों में पहले से पहचाना गया था। इस समय अगर आप किसी भी पुस्तकालय में अंग्रेजी शिक्षण से संबंधित ग्रंथों को देखेंगे तो पाएँगे कि कमर्शियल इंगलिश, ऑफ़ीशियल इंगलिश, टेक्नीकल इंगलिश नाम की कई किताबें देखने को मिलेंगी । टैक्नीकल इंगलिश वह क्षेत्र है जहाँ विज्ञान में अंग्रेजी भाषा के उपयोग की चर्चा की जाती है। ऑफ़ीशियल इंगलिश का तात्पर्य है राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली अंग्रेजी भाषा । ऐसे विशेष पाठ्यक्रमों को भाषा अध्यापन के साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि भाषा सीखने वाला अपने क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा से परिचित होता जाता है, जिससे वह भाषा सीखने के बाद तुरंत अपने क्षेत्र में भाषा के माध्यम से काम करना शुरू कर सके । इस प्रकार के प्रयोजनपरक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को देखते हुए आधुनिक युग में विशिष्ट पाठ्यक्रमों का प्रचलन शुरू हुआ । लेकिन ऐसे पाठ्यक्रम आम तौर पर उच्च शिक्षा के बाहर अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के रूप में ही उपलब्ध हैं। इस बात की संभावना हो सकती है कि हम स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की उच्च शिक्षा में भी ऐसे विशिष्ट पाठ्यक्रमों का प्रारंभ करें । अक्सर यह अनुभव किया जाता है कि ऐसे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इनमें साहित्यिक शिक्षा जैसी गरिमा नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन अगर इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा के बारे में विश्लेषण किया जाए और इन क्षेत्रों में भाषा के प्रयोग को बढ़ाने के उपाय किये जाएँ तो हम इस क्षेत्र को न केवल उच्च शिक्षा में ला सकते हैं बल्कि इससे शोध कार्य को भी जोड़ सकते हैं।

20.5 भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम

आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की थी कि सभी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में साहित्योन्मुख पाठ्यक्रमों की ही तरह भाषोन्मुख पाठ्यक्रमों का भी प्रावधान* किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि विश्वविद्यालय जहाँ एम.ए. हिंदी साहित्य की उपाधि देते हैं वहीं वे एम.ए. हिंदी भाषा की उपाधि भी दे सकते हैं । भारत के बाहर कई देशों में इस प्रकार भाषोन्मुख पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के स्तर पर उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के बावजूद आज भी कई विश्वविद्यालयों में भाषा के पाठ्यक्रम नहीं चलते। एम.ए. स्तर पर बंबई और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आदि कुछ संस्थाओं को छोड़कर

अन्य विश्वविद्यालयों में भाषा पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं हो सके हैं । समाज में भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम लोग अभी विलंब कर रहे हैं।

इस प्रसंग में हम स्कूली स्तर पर और कालेज स्तर पर भाषा के पाठ्यक्रमों में साहित्य और भाषा के अनुपात पर फिर से विचार कर सकते हैं। हमने पिछली दो इकाइयों में चर्चा की कि स्कूली स्तर पर भाषा पाठ्यक्रम भाषा का परिचय कराता है, भाषा कौशलों का विकास कराता है। जो छात्र मातृभाषा के रूप में भाषा को पढ़ते हैं, उनके भाषिक कौशलों के विकास के लिए हम साहित्यिक कृतियों के उपयोग पर बल दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे माध्यम के रूप में भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करें । जहाँ तक दूसरी या तीसरी भाषा का सवाल है इन भाषाओं को पढ़ाने का उद्देश्य अधिकतर प्रयोजनपरक होना चाहिए। अर्थात् जो व्यक्ति तीसरी भाषा हिंदी का अध्ययन करता है उसे हम विशिष्ट शब्दों से युक्त साहित्यिक कृतियों से अधिक परिचित नहीं करा सकते। बल्कि हम यह अपेक्षा करेंगे कि तीसरी भाषा का छात्र अध्ययन के परिणामस्वरूप किन्हीं क्षेत्रों में भाषा में अपने को अभिव्यक्ति कर सके, यानि पत्र लिख सके, भाषण दे सके, डायरी लेखन कर सके, या पढ़े हुए किसी अंश को अपने शब्दों में दोहरा सके। इस तरह हम स्कूली स्तर पर भी प्रयोजनपरक दृष्टि से बच नहीं सकते हैं।

कालेज स्तर पर मात्र साहित्य नहीं पढ़ाया जाना चाहिए बल्कि प्रयोजनपरक पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए, इसकी चर्चा हम ऊपर के प्रकरण में कर चुके हैं। हमें एक ओर साहित्य में विशेष अध्ययन की सुविधा देनी होगी, तो साथ-साथ अन्य भाषिक पक्षों पर भी बल देना होगा।

भाषोन्मुख पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य उन पाठ्यक्रमों से है जिनमें भाषा की जानकारी और भाषाविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग (Application) निहित है । अगर कोई व्यक्ति अनुवाद करना चाहे तो उसके लिए आवश्यक होगा कि वह दोनों भाषाओं की संरचना से परिचित हो, शब्दार्थ के संदर्भ में जानकारी रखता हो और अनुवाद में होने वाली कठिनाइयों के निवारण के लिए विचार कर सकता हो । यह काम तभी संभव होगा, बल्कि व्यक्ति को भाषा के बारे में अच्छी जानकारी हो । इसी कारण हम ऐसे कार्यों को भाषा के अनुप्रयोग का क्षेत्र कहते हैं । इसी तरह जो व्यक्ति भाषा सीखता है उसके लिए भी आवश्यक होगा कि वह भाषा की संरचना के तत्वों जैसे लिपि, उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना आदि का अध्ययन कर चुका हो और छात्रों की संभावित त्रुटियों के निवारण के लिए भाषा के ज्ञान का समुचित उपयोग कर सके । इस तरह भाषा शिक्षण, अनुवाद, शैलीविज्ञान, वाक् दोषों का सुधार, कोशकला आदि क्षेत्र भाषा के अनुप्रयोग के क्षेत्र कहलाते हैं और इन क्षेत्रों के बारे में जिस विज्ञान में चर्चा की जाती है उसे अनुप्रयोगात्मक भाषाविज्ञान (Applied Linguistics) कहा जाता है।

इन क्षेत्रों में कार्य करने की अत्यंत संभावनाएँ है । शायद आप यह जानते है कि भारत में एक लाख से अधिक हिंदी भाषा के अध्यापक हैं। हर वर्ष लाखों पृष्ठों का अनुवाद किया जाता है जिसके लिए प्रशिक्षित अनुवादकों की कमी है। भारत में तुतलाना, हकलाना आदि वाक् दोषों से पीड़ित लाखों लोग हैं जिनके इलाज के लिए प्रशिक्षित लोगों की कमी है। आने वाले युगों में कंप्यूटर के माध्यम से काम करने के लिए हमें लाखों लोगों की आवश्यकता होगी जिनकी तैयारी अभी शुरू भी नहीं हुई है । इस स्थिति में हम कल्पना कर सकते हैं कि भाषा के अनुप्रयोगात्मक क्षेत्र में आगे काम करने की कितनी संभावनाएँ हैं। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें उच्च शिक्षा में प्रयोजनपरक पाठ्यक्रमों को, जिनका आधार भाषा का अनुप्रयोग है, शामिल करना होगा, इसके लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना होगा, इन पाठ्यक्रमों के लिए उपर्युक्त सामग्री तैयार करनी होगी और इन समस्त कार्यों के संदर्भ में शोध को विस्तृत करना होगा। इस संबंध में अब तक जो कार्य हुआ है वह अत्यल्प है, अति सीमित है । इस संदर्भ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक कदम उठाया है और स्नातक स्तर से ही भाषा के पाठ्यक्रमों को छात्रों के सामने लाने की पहल की है।

20.6 पाठ्यक्रमों का स्वरूप

इस समय जो पाठ्यक्रम हैं। उनके स्वरूप के संबंध में हमें पुनः विचार करना होगा । इस संदर्भ में हमारे सामने दो प्रमुख समस्याएँ हैं। एक तरफ हिंदी भाषा कुछ प्रदेशों के लोगों की मातृभाषा है, जिसमें उनकी अभिव्यक्ति अधिक मँजी हुई है और कुछ क्षेत्रों की यह मातृभाषा से भिन्न भाषा है और उन क्षेत्रों के लोगों के लिए इस भाषा की अभिव्यक्ति अर्जित है, अधिक दक्ष नहीं है । क्या हम यह मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का एम.ए. हिंदी का पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम उसी मात्रा में और उसी स्तर पर केरल या पांडिचेरी में भी चलाया जा सकता है । इस संदर्भ में हमें भारत में विषमता दिखाई पड़ती है। कुछ जगहों में हिंदी के पाठ्यक्रम की मात्रा अधिक है, गहन है, तो कुछ क्षेत्रों में समान स्तर की उपलब्धि के लिए पाठ्यक्रम की मात्रा में अंतर दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के लिए ब्रज या अवधी के काव्य का अध्ययन अधिक सहज है क्योंकि वह इन बोलियों से भी परिचित है, जबकि दक्षिण या पूर्व के लोगों के लिए इन बोलियों में उपलब्ध साहित्य कठिनाई पैदा करता है । हमने अब तक भाषा के पाठ्यक्रमों में एक समान दृष्टि की कल्पना की। अगर हम प्रयोजनपरक दृष्टि को सामने रखें तो हम बिना मात्रा में परिवर्तन किये दोनों

क्षेत्रों के लोगों के लिए समान स्तर के पाठ्यक्रम दे सकते हैं। साहित्योन्मुख पाठ्यक्रम हम उन लोगों को दे सकते हैं जो भाषा की अभिव्यक्ति में अधिक दक्ष हैं। इसी तरह प्रयोजनपरक पाठ्यक्रम उन लोगों को दे सकते हैं जो साहित्य के अध्ययन के साथ-साथ अन्य दिशाओं में भी काम करना चाहेंगे । इस दृष्टि के संदर्भ में हो सकता है कि दक्षिण का छात्र संभवत: प्रयोजनपरक पाठ्यक्रम में अधिक सफल हो सकेगा, क्योंकि उसे आगे भाषा शिक्षण, अनुवाद आदि क्षेत्रों में काम करना है।

उच्च पाठ्यक्रम के संदर्भ में एक दूसरी विषमता पाठ्यक्रम के स्वरूप के संदर्भ में है। हिंदी भाषा भारतीय भाषाओं के बीच सेतु है। हिंदी के माध्यम से अध्ययन करने वाला अहिंदी भाषी छात्र उस सेतु की कड़ी है। उससे हम यह अपेक्षा करेंगे कि वह अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के तत्वों को हिंदी के माध्यम से लाए और हिंदी के वाङ्मय कोष की वृद्धि करे। आज का अहिंदी भाषी छात्र हिंदी साहित्य का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में मातृभाषा-भाषी करता है। उसके लिए शायद यह अधिक उपयुक्त हो कि वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपनी भाषा को आधार बनाकर हिंदी भाषा का और,हिंदी साहित्य का अध्ययन करे। उदाहरण के लिए हर भारतीय भाषा में भक्ति साहित्य विद्यमान है। हर भाषा में आधुनिक साहित्य उपलब्ध है । भक्ति साहित्य या आधुनिक साहित्य चाहे जिस भाषा में भी लिखा गया हो उसका सवाल एक है और वह है भारतीय सवाल । इस दृष्टि से आवश्यक होगा कि हम उच्च शिक्षा में हिंदी साहित्य के अध्ययन को अखिलभारतीय दृष्टि दें, विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा, साहित्य और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के अखिलभारतीय स्वरूप का परिचय दें। कुछ विश्वविद्यालयों में इसी उद्देश्य को लेकर मिश्रित पाठ्यक्रम (Composite Course) को प्रवर्तित* किया गया है। उन विश्वविद्यालयों में एम.ए. स्तर पर हिन्दी तथा स्थानीय दोनों साहित्यों का परिचय दिया जाता है । लेकिन व्यावहारिक रूप से वे छात्र जो स्थानीय भाषा और हिंदी दोनों पढ़ते हैं दोनों में अधूरे गिने जाते हैं। यही कारण है कि जिन विश्वविद्यालयों में मिश्रित पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे, उनमें या तो वे पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो गये या उनकी उपयोगिता सीमित हो गई। समानुपातिक* मिश्रण की इस दृष्टि से हटकर हमें अखिलभारतीय संदर्भ में भारतीयता की दृष्टि देने वाले पाठ्यक्रमों का प्रवर्तन करना होगा जिससे छात्र हिंदी ही पढ़े, लेकिन उसे अखिलभारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़े। ऐसे पाठ्यक्रम न केवल हिंदी भाषी प्रदेशों में बल्कि अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी पढ़ाये जा सकते हैं, जिससे इस भाषा का अखिलभारतीय महत्व बढ़े।

इस बात को आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि साहित्य के अध्यापन में भी प्रयोजनपरक दृष्टि अपनायी जा सकती है। वर्तमान युग में तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन का महत्व है । सृजनात्मक साहित्य में जैसे भारतीय साहित्य, अमरीकी साहित्य, दक्षिण अमरीकी साहित्य, अमरीकी नीग्रो अंग्रेजी साहित्य आदि विविध रूप हैं । इन सभी साहित्यों में भी हमें कुल मिलाकर विश्व मानवता के विशिष्ट सवाल दिखाई पड़ते हैं और उनका अध्ययन हमारे लिए मनुष्य को समझने के लिए आवश्यक होगा । कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साहित्य के अध्ययन को भी हम केवल एक भाषा तक ही सीमित न रखें बल्कि उसे उस भाषा की सीमा से परे और साहित्यों से जोड़ने का यत्न करें।

बोध प्रश्न 2.

4. प्रश्नों का एक-दो पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

i) मिश्रित पाठ्यक्रम क्या है ?

....

....

ii) अनुप्रयोगात्मक भाषाविज्ञान क्या है ?

....

....

iii) एम.ए. के स्तर पर भाषा के पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या सिफारिश की थी ?

....

....

iv) चार प्रमुख प्रयोजनमूलक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।

....

....

....

v) आप यह जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की क्या दृष्टि रही है ?

....

5. भारत में उच्च अध्ययन के स्तर पर भाषा शिक्षण के स्वरूप में क्या और कैसे अंतर है ? 7-8 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

20.7 सारांश

शिक्षा के तीन प्रमुख स्तर हैं- प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल स्तर और उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूली शिक्षा की अवधि विकास की अवधि है जिसमें व्यक्ति जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध विषयों का सामान्य स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे व्यक्ति ठीक ढंग से लिख-बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके और दूसरों की भाषा सुन-पढ़कर समझ सके। इस स्तर पर व्यक्ति अपने को आगे के जीवन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भाषा और साहित्य दोनों का सामान्य परिचय भी प्राप्ता करता है। इस स्तर पर यह भी आवश्यक माना जाता है कि राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक उद्देश्यों के कारण व्यक्ति अपनी मातृभाषा के ज्ञान के साथ अन्य भाषाएँ भी सीखे। इस कारण स्कूल स्तर तक हर व्यक्ति को तीन भाषाएँ पढ़नी होती हैं। इस नीति को हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं।

विश्वविद्यालय स्तरीय उच्च शिक्षा में व्यक्ति किन्हीं विषयों में विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करता है और अपने को आजीविका के लिए तैयार करता है। इस स्तर पर भाषाओं का भी अन्य विषयों की तरह गहन अध्ययन किया जाता है।
और भाषा विशेष में उपाधि प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं है, विषयों के अध्ययन में भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्तर पर दो-तीन भाषाएँ पढ़ायी जाती हैं, जिन्हें जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी आदि नामों से जाना जाता है। जो लोग इन भाषाओं को किसी उपाधि पाठ्यक्रम में न पढ़ सके हों, लेकिन अपनी रुचि या आवश्यकता के कारण किन्हीं भाषाओं का अध्ययन करना चाहें, तो उनके लिए हिंदी,संस्कृत, अंग्रेजी, भारतीय भाषा, विदेशी भाषा आदि में प्रमाण पत्र, उपाधि पत्र आदि विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। अंत में, अनुवाद,पत्रकारिता आदि प्रयोजन मूलक पक्षों पर प्रमाण पत्र आदि पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं, जिससे लोग अपने को इन आजीविका के क्षेत्रों के लिए तैयार कर सकें। इस इकाई में हिंदी के संदर्भ में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में किस-किस तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

हमने उल्लेख किया था कि उच्च शिक्षा में नई दृष्टि लाना आवश्यक है,क्योंकि हिंदी की नई भूमिकाओं के संदर्भ में लोगों को तैयार करने के लिए शिक्षा उत्तम साधन है। इसलिए आवश्यक है कि साहित्य उन्मुख पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम भी चलाये जाएँ और लोगों को आजीविका के लिए तैयार करने के लिए प्रयोजनपरक अध्ययन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाए। इसी तरह साहित्य उन्मुख पाठ्यक्रम की भी नयी दृष्टि अपनानी होगी। लेखन या सृजन आधुनिक युग की आवश्यकता है। उच्च स्तर पर हम साहित्य का ज्ञान देते हैं, समीक्षा की दृष्टि देते हैं। अगर इस स्तर पर लेखन का अभ्यास कराया जाए तो पाठ्यक्रमों की अधिक सार्थकता होगी।

उच्च शिक्षा में भाषा का एक जुड़ा हुआ सवाल है। यह आमतौर पर देखा जाता है कि सामाजिक विज्ञान आदि में हिंदी का माध्यम उपलब्ध है। लेकिन तकनीकी शिक्षा, खासकर इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, कंप्यूटर विज्ञान आदि क्षेत्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। एक हिसाब से ये विषय क्षेत्र आजीविका के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। इनमें हिंदी माध्यम का न होना हिंदी के विकास के लिए एक चुनौती है।

20.8 शब्दावली

अभिहित करना - पुकारा जाना

प्रवर्तित करना - प्रांरभ करना
समानुपातिक - सही अनुपात में

20.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

खंड के अंत में देखें

20.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) नहीं ii) हाँ iii) नहीं iv) हाँ v) हाँ

2. i) आजीविका के लिए ii) स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं iii) प्रयोजनपरक iv) ज्ञान v) शोध

3. साहित्य का अध्ययन, सृजनात्मक लेखन, प्रयोजनमूलक दृष्टि, भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम

बोध प्रश्न 2

4. i) दो अलग भाषाओं में एक एम.ए. का पाठ्यक्रम
ii) प्रयोजनपरक पाठ्यक्रमों के लिए भाषाविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग
iii) भाषोन्मुख पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की
iv) अनुवाद, भाषा शिक्षण, वाक् दोष सुधार, कोशकला
v) भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम,व्यावहारिक क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक तैयारी

5. हिंदी भाषी क्षेत्र/अहिंदी-भाषी क्षेत्र: प्रयोजनपरक दृष्टि: भाषा और साहित्य का सामंजस्य: इन तीनों को चर्चा का आधार बनाएँ।

इकाई 21 शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी

इकाई की रुपरेखा

21.0 उद्देश्य
21.1 प्रस्तावना
21.2 शिक्षा माध्यम का महत्व
21.3 शिक्षा माध्यम का राष्ट्रीय सामाजिक जीवन से संबंध
21.4 हिन्दी शिक्षा का माध्यम क्यों ?
21.4.1 भारतीय हिन्दी शिक्षा व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
21.4.2 शिक्षा और जन सामान्य
21.4.3 शिक्षा माध्यम और राजभाषा
21.4.4 रोजगार से जुड़ाव
21.4.5 भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ाव
21.5 स्वाधीन भारत की शिक्षा माध्यम संबंधी नीति
21.6 शिक्षा माध्यम निर्धारण और कार्यान्वयन
21.6.1 माध्यम संबंधी निर्णय
21.6.2 शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर माध्यम की स्थिति
21.7 हिन्दी माध्यम की पाठ्य सामग्री का निर्माण
21.7.1 सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया
21.7.2 हिन्दी माध्यम से सामग्री तैयार करने वाली संस्थाएं
21.8 हिन्दी माध्यम सामग्री निर्माण का भाषिक पक्ष
21.8.1 पारिभाषिक शब्दावली
21.8.2 भाषा की सहजता और स्पष्टता
21.8.3 अनुवाद
21.9 परीक्षा का माध्यम
21.10 मूल्यांकन: सीमाएँ और संभावनाएँ
21.11 सारांश
21.12 शब्दावली
21.13 उपयोगी पुस्तकें
21.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

21.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- शिक्षा माध्यम का महत्व और उसकी सामाजिक प्रासंगिक्ता के बारे में बता सकेंगे;
- इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे कि शिक्षा का माध्यम हिन्दी क्यों हो;
- शिक्षा माध्यम को निर्धारित और कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं का उल्लेख कर सकेंगे;
- हिन्दी माध्यम की पाठ्य-सामग्री निर्माण की प्रक्रिया और उसके विविध पक्षों को समझा सकेंगे; और
- हिन्दी माध्यम की सीमाओं औए संभावनाओं का विवेचन कर सकेंगे।

21.1 प्रस्तावना

इस खंड की पिछली इकाइयों में आप विविध स्तरों पर हिन्दी शिक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आरंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था में हिन्दी की शिक्षा किन-किन रूपों में उपलब्ध है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की इस विषय में क्या नीति है; विभिन्न संगठनों तथा संस्थाओं यानि राज्य स्तरीय स्कूल बोर्डों केन्द्रीय विद्यालय संगठन,नवोदय विद्यालय संगठन, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों और विश्वविद्यालयों तथा अन्य समकक्ष संस्थाओं ने इस संबंध में क्या व्यवस्था की है एवं उसे किस प्रकार लागू किया है। इस तरह,विभिन्न स्तरों पर चल रहे हिन्दी पाठ्यक्रमों का सामान्य परिचय आपको मिल चुका है। इस इकाई में हम आपको शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी के एक अन्य रुप से परिचित कराएँगे। यह रुप शिक्षण के माध्यम से संबंधित है। आपको ध्यान देना होगा कि खंड 4 के अंतर्गत संपर्क भाषा हिन्दी की इकाई में हमने शैक्षिक संपर्क की भाषा की चर्चा की थी। आप पढ़ चुके हैं कि शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त भाषा ही शैक्षिक संपर्क की भाषा होती है। हम चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का संबंध दो प्रकार का होता है:

1 भाषा के अध्ययन के रूप में

2 अध्ययन के माध्यम के रूप में

पहले के अन्तर्गत छात्र भाषा सीखता है। हिन्दी,तमिल,बंगला,पंजाबी,अंग्रेजी जैसी किसी भी भाषा की लिपि, ध्वनियाँ,व्याकरण, मुहावरा और उसके विविध प्रयोग सीखता है। साथ ही, उसके साहित्य की जानकारी भी प्राप्त करता है। यह अध्ययन प्राथमिक स्तर से आरंभ होकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर से होता हुआ विश्वविद्यालयी स्तर तक पहुँचता है। किस भाषा को किसी स्तर पर पढ़ना है यह शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा विद्यार्थी की अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार तय होता है। शैक्षिक क्षेत्र में भाषा का दूसरा प्रकार्य होता है अध्ययन के माध्यम के रुप में। यानि विद्यार्थी विभिन्न विषयों को जिस भाषा के माध्यम से पढ़ता है, उसके रूप में। यह भाषा का बड़ा ही गंभीर और दायित्वपूर्ण प्रकार्य है क्योंकि इसी के द्वारा भाषा ज्ञान और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में किसी भाषा की स्थिति के विषय में अध्ययन के दौरान यह जानना जरूरी है कि शिक्षा माध्यम के रुप में उस भाषा की क्या भूमिका है। प्रस्तुत इकाई इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस खंड मे शामिल की गई है।

शिक्षा के माध्यम का सवाल चूँकि शासकीय शिक्षा नीति से जुड़ा होता है, आधुनिक भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक संदर्भ का परिचय देते हुए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और उसके माध्यम की चर्चा भी इस इकाई में आवश्यकतानुसार की जाएगी। आरंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के विविध रुपों तथा स्तरों पर हिन्दी माध्यम की व्यवस्था और स्थिति पर चर्चा के साथ ही हिन्दी माध्यम की सामग्री निर्माण प्रक्रिया का विवेचन किया जाएगा तथा उसकी सीमाओं और संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। इस पूरी चर्चा के दौरान दोनों पक्षों शिक्षा देने वाले और ग्रहण करने वाले-यानि क शिक्षा सामग्री तैयार करने वाली संस्थाओं तथा शिक्षकों ख विद्यार्थी वर्ग को मद्दे नजर रखा जाएगा।

21.2 शिक्षा माध्यम का महत्व

छात्र इतिहास, भूगोल,विज्ञान,गणित आदि विविध विषयों को जिस भाषा के माध्यम से पढ़ता है, वह माध्यम भी पढ़े जाने वाले विषयों से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। यह महत्व कई संदर्भों में होता है। विद्यार्थी के संदर्भ में यह ज्ञानार्जन की सुविधा और जीवन में उस ज्ञान के उपयोग की संभावनाओं की दृष्टि से होता है। विद्या प्राप्ति के पश्चात् रोजगार पाने से लेकर रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने तक इसकी भूमिका होती है। इस दृष्टि से छात्र के लिए वही माध्यम उपयुक्त होता है, जिसे वह सुविधापूर्वक ग्रहण कर सके तथा जो उसको सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सके। दूसरी ओर, किसी भाषा का शिक्षा का माध्यम होना उस भाषा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अत्यन्त गहन एवं ठोस दायित्व भाषा के विकास की प्रक्रिया में बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है। भाषा जिन-जिन विषयों अथवा ज्ञान के क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है, उन-उन क्षेत्रों में उपयोग के अनुरूप वह ढलती है और उसे व्यापक रूप तथा अर्थवत्ता प्राप्त होती है।विभिन्न विषयों का माध्यम बनने से भाषा के सामाजिक सरोकार बनते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गाँव या शहर में ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता तो उसे उस गाँव या शहर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ आने वाले लोगों के बारे में तो काफ़ी गहरी जानकारी होती है लेकिन उसके बाहर क्या है इस विषय मे वह दूसरों से सुनकर या पढ़कर ही जान पाता है । लेकिन जब यह व्यक्ति उस स्थान से बाहर देश-विदेश की यात्रा करता है, पहाड़,नदी,झरने, समुद्र,कारखाने, मशीनें, आदि देखता है विभिन्न स्थानों के
लोगों से मिलता है तो विभिन्न प्रकार के दृश्यों,स्थलों,वस्तुओं, लोगों के बारे में स्वयं अनुभव प्राप्त करता है। यह अनुभव निश्चय ही उसके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। इसी तरह से भाषा जब विभिन्न विषयों के ज्ञान से होकर गुजरती है तो निश्चय ही अधिक अनुभव सम्पन्न और समृद्ध बनती है।

21.3 शिक्षा माध्यम का राष्ट्रीय सामाजिक जीवन से संबंध

किसी भी समाज के शिक्षा-तंत्र में माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। वस्तुतः शिक्षा के माध्यम का प्रश्न एक राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न होता है क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करने वाले नागरिकों के व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा से जुड़ा होता है। व्यक्ति को जिस माध्यम से शिक्षा दी जाती है,वह उसके सर्वांगीण विकास में जितनी सहायक एवं उपयोगी होता है, उतना ही वह व्यक्ति को रचनाशील बना सकता है। इस दृष्टि से शिक्षा का माध्यम छात्र को दो प्रकार से प्रभावित करता है- सर्वप्रथम तो जिस माध्यम से उसे शिक्षा दी जा रही है उस माध्यम में छात्र की क्षमता के रूप में यानि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान छात्र कीबौद्धिकक्षमता के समुचित उपयोग और विकास के रूप में। दूसरे शिक्षा प्राप्ति के पश्चात अर्जित ज्ञान के उसके व्यावसायिक उपयोग और सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन मे योगदान के रूप में।

माध्यम भाग ही ज्ञान को जीवन के विविध प्रकार्यों से जोड़ती है। इतिहास, राजनीति, गणित, चिकित्सा, भौतिकी, वाणिज्य आदि विषय जिस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति पाकर छात्र तक पहुँचते है वही ज्ञान के क्षेत्र से उसकी संपर्क भाषा होती है। यदि वह भाषा ऐसी भाषा हो जिसकी व्यवहार क्षमता छात्र में भली-भाति होती है तो उसे न केवल ज्ञानार्जन में सुविधा रहती है, बल्कि शिक्षा प्रापित के उपरांत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के अनुप्रयोग में उसे कोई कठिनाई नही होती। लेकिन यदि उसका भाषिक आधार दृढ़ नहीं होता तो विषय विशेष के सिद्धांतों की जानकारी के बावजूद व्यक्ति के लिए अपने ज्ञान का समुचित रचनात्मक प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। दूसरी ओर, यदि शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा होगी जिसे सीखने में ही विद्यार्थी को अपनी आधिकाधिक बौद्धिक शक्ति

का इस्तेमाल करना होगा तो स्वाभाविक ही है कि वह विषय पर उतनी शक्ति नहीं लगा सकेगा, जितनी कि सामान्य स्थिति में लगा सकता है। इसलिए व्यक्ति की अपनी प्रतिभा के विकास में शिक्षा का माध्यम काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।

यह भी आवश्यक है कि जिस माध्यम से शिक्षा दी जाए वह जीवन के बृहत्तर प्रकार्यों से जुड़ा हो। यानि विद्यार्थी के ज्ञान अर्जित करने का भाषा माध्यम तथा ज्ञान के अनुप्रयोग का भाषा माध्यम एक-दूसरे से अलग-अलग न हो यानि शिक्षा और रोज़गार, शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षा और जीवन व्यवहार एक-दूसरे से भाषिक स्तर पर अलग न हों। ऐसा न होने पर शैक्षिक संस्थाओं से निकले नौजवान नागरिक अपने को मुख्यधारा से सहजता से नहीं जोड़ पाते और उनमें आत्म-विश्वास नहीं पैदा हो पाता। परिणामस्वरूप,उनकी रचनात्मक शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पाता। समाज और राष्ट्र के निर्माण में वह अपनी संपूर्ण प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाते।

शिक्षा के माध्यम की सामाजिक प्रासंगिकता का एक अन्य पहलू भी है। यह पहलू जन-सामान्य की शिक्षा से जुड़ता है। किसी भी राष्ट्र के शिक्षा तंत्र की भाषा यदि उस राष्ट्र के व्यापक जन-समुदाय की भाषा से अलग होगी तो वह जन-सामान्य को शिक्षित करने के अपने प्रयासों को सफल नहीं बना सकता। और राष्ट्र का विकास तभी पूरा हो सकता है, जब जन-समुदाय का विकास हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यम भाषा का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है।

बोध प्रश्न।

क शिक्षा के क्षेत्र से भाषा किन दो रूपों से सम्बद्ध होती है ?

....

....

ख) नीचे कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक के सामने रिक्त स्थान पर लिखिए कि उसका सम्बद्ध हिन्दी भाषा तथा साहित्य के अध्ययन से है या हिन्दी माध्यम से-

i) सुबोध हिन्दी व्याकरण ....

ii काव्य-कुसमांजलि ....

iii गोदान ....

iv यूरोप का इतिहास ....

v कामायनी ....

vi भारतीय संविधान और शासन ....

vii आर्थिक सिद्धांत और अर्द्ध-विकसित क्षेत्र ....

निम्नलिखित प्रश्नों का लगभग तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए:

ग शिक्षा माध्यम का प्रश्न किस अर्थ में राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न होता है ?

....

....

....

घ .शिक्षा का माध्यम बननें से भाषा किस प्रकार विकसित होती है ?

....

....

....

21.4 हिन्दी शिक्षा का माध्यम क्यों ?

हम देख चुके हैं कि शिक्षा के माध्यम के मायने किसी भाषा विशेष का शिक्षा में इस्तेमाल मात्र नहीं है बल्कि उस समाज और राष्ट्र के विकास में उस भाषा की व्यापक भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में यह समझ लेना जरूरी है कि हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की क्या सार्थकता है। वास्तव में इस प्रश्न के द्वारा हिन्दी का ही नहीं, सभी ऐसी भारतीय भाषाओं का सवाल जुड़ा है,जो शिक्षा का माध्यम बनने में समर्थ हैं। अतः हिन्दी की चर्चा में अन्य भाषाओं का संदर्भ स्वतः समाहित है।

21.4.1 भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शिक्षा के माध्यम की चर्चा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख अपेक्षित है क्योंकि भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ और विकास ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विस्तार, समाज में उत्पादन संबंधों के बदलाव, राजनीतिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया और आधुनिक भारतीय नवजागरण की पृष्ठभूमि में हुआ है।

ब्रिटिश शासन से पूर्व शिक्षा

ब्रिटिश पूर्व भारत में जन-साधारण की शिक्षा के लिए गाँवों और नगरों में स्थानीय पाठशालाएँ और मदरसे थे। ये स्थानीय विद्यालय छात्रों को जीवन के लिए उपयोगी आरंभिक शिक्षा प्रदान करते, जिसमें गणित, भाषा और संस्कृति आदि का ज्ञान कराया जाता। इस आधारिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएँ यानि हिन्दी,मराठी,बंगला आदि होता। उच्च ज्ञान की व्यवस्था संस्कृत,अरबी और फ़ारसी भाषाओं के माध्यम से थी। छात्र दर्शन,ज्योतिष, न्याय आदि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से पढ़ते थे। पंडितों,मुंशियों और मौलवियों की इस शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त अहम भूमिका थी।

गुरु-शिष्य परम्परा को बढ़ावा देने वाली इस शिक्षा पद्धति में स्वाध्ययन,चिंतन-मनन का अवसर और महत्व था। लेकिन यह शिक्षा-व्यवस्था आधुनिक ढंग की औपचारिक परीक्षा पद्धति, डिग्री और रोज़गार से प्रत्यक्ष जुड़ी शिक्षा व्यवस्था न थी। उच्च शिक्षा में ज्ञानार्जन और अध्ययन की परम्परा का महत्व था।

ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा

भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ का श्रेय तीन श्रेणियों के लोगों को दिया जाता है-

1 ईसाई मिशनरी

2 ब्रिटिश सरकार

3 प्रगतिशील भारतीय जन

इनमें से पहली श्रेणी के लोगों का उद्देश्य विशुद्ध रूप से धर्म प्रचार था, दूसरी श्रेणी का उद्देश्य शासन के लिए उपयुक्त कर्मचारी जुटाना था। लेकिन, तीसरी श्रेणी के लोग वे लोग थे जिन्हें भारतीय जनता की उन्नति में दिलचस्पी थी और वे भारतीय समाज को दुनियाभर के नए ज्ञान से जोड़ना चाहते थे। इन तीनों वर्गों के लोगों के सम्मिलित प्रयासों से शिक्षा का आधुनिक ढाँचा शुरू हुआ। व्यापार के उद्देश्य से आए अंग्रेजों के अलावा ईसाई मिशनरी लोग यहाँ धर्म प्रचार के उद्देश्य से आए थे। धर्म प्रचार कार्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए इनको शैक्षिक तंत्र का विकास करना पड़ा। ये लोग भली-भाँति समझ गए कि इस व्यापक देश में धर्म प्रचार यहाँ की भाषाओं के माध्यम से ही संभव है और इन भाषाओं में भी हिन्दी ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से बहुत बड़े जन-समुदाय से संपर्क संभव है। अतः उन्होंने बाइबिल तथा अन्य धार्मिक साहित्य का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया। उन्होंने मिशनरी स्कूलों के लिए पाठ्य-सामग्री तैयार कराने की व्यवस्था की। स्कूल बुक सोसाइटियाँ स्थापित कीं और हिन्दी में बड़ी मात्रा में पाठ्य-सामग्री तैयार की गई। इस तरह, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी,बंगला आदि भाषाओं का प्रयोग इन मिशनरियों ने बड़ी ही बुद्धिमता से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। यद्यपि इससे हिन्दी भाषा भी लाभान्वित हुई। हिन्दी में तैयार की जाने वाली इस सामग्री के विषय में आपने खड़ी बोली हिन्दी गद्य के विकास के विषय में अध्ययन के दौरान पढ़ा होगा। शिक्षा का व्यवस्थित ढाँचा सरकार के प्रयासों से शुरू हुआ। आरंभ में कंपनी सरकार की इस देश के लोगों को शिक्षित करने की कोई योजना न थी, क्योंकि उसका उद्देश्य तो मूलतः व्यापार ही था। लेकिन उन्नीसवीं सदी के मध्य तक आते-आते देश का बहुत बड़ा भाग ब्रिटिश शासन के अधीन हो चुका था। साथ ही, ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित माल बड़े पैमाने पर भारत के बाजार में आने लगा था। अतः अब प्रशासन और अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए बड़ी संख्या में देशी कर्मचारियों की और विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ी, जो ब्रिटिश संस्कृति तथा सभ्यता में आस्था रखें। इस दृष्टि से देशी लोगों को शिक्षित करने का कार्य शुरू हुआ। गौर करने की बात है कि शिक्षा की शुरुआत किसी विकास योजना अथवा सुधारपरक चिंता के तहत न होकर सरकार की प्रशासनिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। सन् 1913 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के प्रति राजकीय दायित्व निर्वाह करने और इस पर कम से कम एक लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की थी। सन् 1935 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने मैकाले के इस मत को स्वीकार किया कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के स्थान पर पश्चिमी संस्कृति की प्रतिष्ठा स्थापित करना हो तथा शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से ही दी जाए। सरकार द्वारा प्रकाशित प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का भारत में प्रसार करना है। साथ ही यह भी कहा गया कि शिक्षा के लिए उपलब्ध "यह सारी राशि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देशज आबादी को अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा देने में खर्च की जाए।"

(सैयद नूरुल्ला ऐंड जे.पी.नायक " ए हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इंडिया)

इस नीति के अंतर्गत देशभर में अंग्रेजी स्कूल खोले गए। कंपनी सरकार की इस शिक्षा नीति में गाँवों की पाठशालाओं तथा मदरसों की पूरी तरह से अवहेलना की गई। इस तरह जन-सामान्य की प्राथमिक शिक्षा का मार्ग धीरे-धीरे रोक दिया गया। एक ओर तो अंग्रेजी शिक्षा रोजगार से जुड़ जाने के कारण समाज के साधन संपन्न वर्ग को आकृष्ट करने लगी दूसरी ओर आर्थिक साधनों के अभाव में पाठशालाएँ धीरे-धीरे समाप्त होने लगीं और उन्नीसवीं सदी तक पहुँचते-पहुँचते इन देशी विद्यालयों की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। आम जनता के साक्षर होने और सांस्कृतिक विकास का मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध हो गया। वास्तव में सरकार का उद्देश्य भी जन-सामान्य को शिक्षित करना न था बल्कि उसका मानना था कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान कर दी जाए तो अन्य लोग मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों तक शिक्षा अधोमुखी संतरण सिद्धांत* (Downword Filtration Theory) द्वारा स्वतः ही पहुँच जाएगी। अंग्रेज़ों द्वारा की गई इस व्यवस्था में शिक्षा माध्यम को आम जनता के हितों से दूर करके प्रशासनिक हितों से जोड़ दिया गया।भारतीयों का एक वर्ग भी, जिसके अग्रणी राजा राममोहन राय थे, अंग्रेजी माध्यम का पक्षधर था।उसे लग रहा था कि इस तरह पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से जुड़ जाना सहज होगा। लेकिन शिक्षा के माध्यम को लेकर एक बड़े वर्ग ने यह प्रयास किया कि देश के जन-सामान्य को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा प्रचलित भारतीय भाषाओं

के माध्यम से दी जाए। महाराष्ट्र में और विशेष रूप से बंबई में यह प्रयास बड़ी तत्परता से किया गया। एजूकेशन बोर्ड के तीन भारतीय सदस्यों - जगन्नाथ शंकर सेठ, प्रामजी कावास जी तथा एन.आई. मकबा और मुनरो तथा एल्लीफिंस्टन जैसे जन-हितकामी अंग्रेज़ों ने जोर देकर इस बात को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन ब्रिटिश पूँजीवादी उपनिवेशवादी नीतियों के चलते उनका अधिक वश न चला। लेकिन मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को इस देश के सभी विद्वत-जन लगातार महसूस करते रहे और इसके लिए प्रयास भी करते रहे। इसका उदाहरण है रवींद्र नाथ टैगोर का निम्नलिखित वक्तव्य- "मातृभाषा का अपमान दूर हो, युग-शिक्षा की उमड़ती धारा हमारे चिंतन की सूखी नदी के रेतीले मार्ग से बाढ़ की तरह बह निकले, दोनों तट पूर्ण चेतना से जाग उठें, घाट-घाट पर आनन्द-ध्वनि मुखरित हो उठे।   मैं देशभाषा के विश्वविद्यालय की भी एक सजीव समग्र शिशु-मूर्ति देखना चाहता हूँ। वह मूर्ति कारखानों में बनी खण्ड-खण्ड विभागों की क्रमशः योजना नहीं होगी। पूरी उम्र वाले विश्वविद्यालयों के बगल में ही वह खड़ी हो जाए- बालक विश्वविद्यालय के रूप में। उसकी बालकमूर्ति में ही हम देखेंगे उसकी विजयी मूर्ति और देखेंगे उसके ललाट पर राजासन-अधिकार का प्रथम टीका।"

(रवींद्रनाथ टैगोर,आ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के " मृत्युंजय रवींद्र" में उद्धृत)

भाषा के माध्यम संबंधी इस बिन्दु पर टैगोर,गांधी,तिलक,रानाडे, केशवचन्द्र सेन आदि के बीच एकमत था और भारतीय भाषाओं के लिए लड़ाई स्वाधीनता की लड़ाई का अनिवार्य अंग थी।   सन 1854 में वुड्स एजुकेशन डिस्पैच (Wood's Education Despatch) आया। इसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा* के रूप जाना जाता है। क्योंकि भारत में आधुनिक शिक्षा को शुरू करने का श्रेय इसी को है। शिक्षा के औपनिवेशिक उद्देश्यों को केन्द्र में रखते हुए भी इसमें जन-साधारण तथा स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व सरकार को सौंपा गया था। इस तरह अधोमुखी संतरण या निस्यंद सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था। शिक्षा के माध्यम के बारे में डिस्पैच का निर्णय था कि 1) कालेज स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग हो 2) माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं-दोनों के माध्यम से हो 3) आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कालांतर में वे उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो सकें। लेकिन शिक्षाविदों का आक्षेप है कि पिछले दोनों निर्णयों का भली-भाँति कार्यान्वयन नहीं हुआ।

इस प्रकार शिक्षा के माध्यम को लेकर वुड के एजूकेशन डिस्पैच को जनहितैषी लोगों की माँग को मद्दे नजर रखना पड़ा था। लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाने और उनके विकास के कार्य का दायित्व सरकार को सौंपा गया था, उनकी पूर्ति तभी होती जब सरकार की दिलचस्पी जनसामान्य में होती। ऐसी स्थिति में वह भाषाओं के विकास और उच्च शिक्षा में उन्हें माध्यम बनाने के लिए समुचित प्रयास करती। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीति तो कमोबेश वही थी, जिसकी चर्चा मैकाले कर चुका था।

आजादी के बाद एक बार इस बात पर गहराई से विचार किया गया कि उच्च-स्तरीय शिक्षा में हिन्दी माध्यम का प्रयोग हो, लेकिन उसके समन्वित प्रयास अभी शेष हैं।

"सैयद नूरुल्ला और जे.पी. नायक" "ए हिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन इन इंडिया" 1943

21.4.2 शिक्षा और जनसामान्य

हिंदी माध्यम का सवाल जन-सामान्य के विकास से व्यापक रूप से जुड़ा है।वस्तुतः यह न केवल हिन्दी भाषा बल्कि सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षा के माध्यम के रुप में प्रयुक्त होने का सवाल है। पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा द्वारा अपने लिए उपयुक्त योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करना चाहती थी, किन्तु किस प्रकार भारतीय जन के विकास के लिए चिंतित लोग भारतीय भाषाओं में शिक्षा के माध्यम की माँग कर रहे थे। और इसी माँग के परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर माध्यम के रूप में अपनाने का प्रावधान किया गया था। प्रश्न यह है कि जनसामान्य की यह उन्नति इन भाषाओं के माध्यम से किस तरह हो सकती है। सर्वप्रथम बात तो यह है कि बच्चा जिस भाषा के परिवेश में बड़ा होता है, वही यदि उसकी शिक्षा की भाषा हो तो सहज ही वह उसके लिए संप्रेषणीय होती है, उसके जीवन व्यवहार और शिक्षा में एक स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है जो आगे चलकर उसके विचार प्रवाह और चिंतन को विकसित करता है। फिर भारत जैसे देश में तो आजादी के चार दशक बाद भी निरक्षरता, गरीबी और पिछड़ापन है, इस स्थिति से उबरने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन जब तक शिक्षा लोगों को उनकी अपनी भाषा में नहीं दी जाएगी तब तक यह वर्ग, जो पहले ही काफ़ी वंचित है, मुख्य धारा में नहीं आ सकता। मुख्य धारा में लाने का प्रयास तभी सफल हो सकता है जब सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम एक ही हो। माध्यमिक स्तर पर एक माध्यम में शिक्षा पाने के बाद यदि विश्वविद्यालय स्तर पर अथवा तकनीकी शिक्षा के स्तर पर छात्र को अंग्रेजी माध्यम अपनाना पड़े तो उसकी समस्याएँ कई गुना बढ़ जाती हैं। प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली छात्र भी एक तरह के भाषिक संघर्ष की स्थिति से जूझने को मजबूर हो जाता है। माध्यमिक स्तर तक उसने जो शब्दावली सीखी है, वह अपर्याप्त और अनावश्यक लगने लगती है। पारिभाषिक शब्दों को उसे नए सिरे से सीखना पड़ता है और मस्तिष्क में मौजूद अर्थ से उनका नये ढंग से तालमेल स्थापित करना पड़ता है। व्याकरण स्तर पर भी उसे विशिष्ट सतर्कता अपनानी पड़ती है। अब तक प्राप्त भाषिक सहजता उसके लिए अपर्याप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, अब तक प्रयुक्त होने वाली भाषा ही की उसके सीखने की भाषा होती है और उसे सोचने की भाषा से अभिव्यक्ति की भाषा में निरंतर अनुवाद करना पड़ता है। इस तरह, विषय के ज्ञान के उपयोग हो सकने वाली शक्ति को भाषा के ज्ञान में लगाना पड़ता है। सुविधाओं से वंचित छात्र, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त अधिकार नहीं है, इस दौड़ में सदैव के लिए पिछड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा

लगातार हिन्दी में ही अथवा छात्र की अपनी भाषा में ही हो तो छात्र ऐसी कठिनाइयों से बचे रहते हैं।

दूसरी ओर, यदि विज्ञान तथा तकनीकी और प्रौद्योगिक शिक्षा की भाषा हिन्दी हो तो विज्ञान का लाभ जन-जन तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की जा सकती है, कई तरह के पिछड़ेपन और अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। साथ ही समाज के कारीगर वर्ग, शिल्पकार वर्ग, कृषक वर्ग, तथा उच्च शिक्षित तकनीकी वर्ग में बेहतर संपर्क स्थापित हो सकता है। हिन्दी यदि व्यापक शैक्षिक संपर्क की भाषा होती है तो स्वाभाविक है कि अन्य भारतीय भाषाओं का भी माध्यम के रूप में अधिक प्रयोग होगा और इस देश की जनता काबौद्धिकआदान-प्रदान और योगदान ज्यादा विस्तृत और उपयोगी हो सकेगा।

21.4.3 शिक्षा माध्यम और राजभाषा

शिक्षा के माध्यम का राजभाषा से बड़ा ही सहज संबंध होता है। व्यक्ति जिस भाषा के माध्यम से पढ़ता है, अपने व्यवसाय के दौरान उसी माध्यम से वह बड़ी कुशलता से काम कर सकता है। ध्यान देने की बात है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक ज़रूरतों की पूर्ति की दृष्टि से ही की थी। आजादी के बाद हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिए जाने पर यह जरूरत पड़ी कि केन्द्र सरकार और उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन संस्थाओं का प्रशासनिक कार्य हिन्दी में ही हो। चूँकि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात प्रशासन का वही ढाँचा कायम रखा गया जो ब्रिटिश शासन से चला आ रहा था, राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने के लिए सरकार को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, हिन्दी शिक्षण योजना, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान जैसे विभागों और कार्यालयों की स्थापना करनी पड़ी, जो अंग्रेजी में चली आ रही कामकाज की प्रक्रिया को हिन्दी में परिवर्तित करने के लिए प्रशासनिक साहित्य तथा हिन्दी में काम करने में सक्षम कर्मचारी उपलब्ध करा सकें। यह सभी प्रयास अपनी जगह उपयुक्त हैं, लेकिन हिन्दी के प्रयोग को वास्तव में प्रभावी और सक्षम बनाने में हिन्दी माध्यम से शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक कारगर भूमिका हो सकती है। इस प्रकार, शिक्षा प्राप्त लोगों द्वारा प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करने की परम्परा स्वतः स्थापित हो जाएगी और शब्दावली, अनुवाद, कठिन भाषा आदि जैसी समस्याओं का खुद-ब-खुद समाधान हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में जब हिन्दी भाषा का व्यापक प्रचलन हो जाएगा तो निजी क्षेत्र में भी सुगमता से संभव हो सकता है। शिक्षा में हिन्दी माध्यम के द्वारा प्रशासनिक, व्यावसायिक और शैक्षिक कार्यों में व्यापक जनसमुदाय की भागीदारी संभव हो सकती है। आरंभ में इस तथ्य को शासकीय स्तर पर अनुभव किया गया था, इसलिए हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली निर्माण की व्यवस्था के साथ-साथ हिन्दी में पाठ्य-सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1963 के आसपास विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुवाद और प्रकाशन कक्षों की स्थापना की थी।

21.4.4 रोजगार से जुड़ाव

शिक्षा प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति जो रोजगार करता है, उससे वह कितना संतुष्ट होता है, यह न केवल उसके स्वस्थ व्यक्तित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि रोजगार में उसकी कार्य दक्षता और निष्पादन पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। व्यक्ति जिन लोगों के बीच काम करता है उनके साथ भाषिक निकटता निश्चय ही उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। कृषि विज्ञान, भवन निर्माण, इंजीनियरी आदि क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान की भाषा और जनसामान्य की भाषा में दूरी होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान अपने-आप को उन सहकर्मियों के उतने नजदीक नहीं पा सकता, जितना कि भारतीय भाषा में शिक्षा पाने की स्थिति में।अतः दोनों के बीच मिल-जुलकर कार्य करने की वह आत्मीय निकटता नहीं उत्पन्न हो पाती जिससे दक्षता के उच्च मानदंड स्थापित हो सकें। यह बात अन्य रोजगारों/क्षेत्रों में भी उतनी ही लागू होती है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा के कारण वे चाहे फ़ैक्ट्री मैनेजर हों या बैंक मैनेजर या उच्च प्रशासनिक अधिकारी आम जनता अथवा अपने सामान्य शिक्षा प्राप्त सहकर्मी से एक तरह की दूरी पर रहने की स्थिति में होते हैं। यही नहीं शिक्षक और छात्र के बीच भी यदि भाषिक दूरी हो तो भी यह स्थिति बनी रहती है और व्यक्ति से अपने रोजगार के प्रति एक प्रकार के परायेपन का बोध रहता है, जो राष्ट्रीय सामाजिक विकास में एक अप्रत्यक्ष बाधा के रूप में काम करता है। लेकिन यदि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ शिक्षा और रोजगार के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से प्रचलित हों तो इस तरह की अप्रत्यक्ष अड़चन की संभावना नहीं रहती। अपने रोजगार में व्यक्ति अपने को पराया महसूस नहीं करता। उसे यह महसूस नहीं होता कि वह जिस काम के लायक है उससे नीचे के स्तर के काम में उसे लगा दिया गया है।

शिक्षा और रोजगार की भाषा का सहज संबंध होता है। हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया और अंग्रेजी भाषा को नौकरियों से जोड़ा। अब जब देश में ये प्रशासनिक कार्यों के लिए हिन्दी को संघीय स्तर पर भारतीय भाषाओं को प्रादेशिक स्तर पर अपनाया जा रहा है, तब शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का सर्वोत्तम तरीका इन भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाना है।

21.4.5 भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ाव

भाषा और संस्कृति का बड़ा ही गहरा रिश्ता होता है। जिस भाषा को हम सम्मान देते हैं उससे जुड़ी अधिकांश चीजों के प्रति हमारे मन में अनायास ही सम्मान बोध होता है दूसरी ओर, हर भाषा उसे बोलने वालों की संस्कृति,आचार-विचार और जीवन पद्धतियों से अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। संस्कृति के मायने केवल रीति-रिवाज, उत्सव-त्योहार या ललित कलाएँ ही नहीं होता, बल्कि किसी समाज विशेष द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान-विज्ञान भी उसकी संस्कृति का ही हिस्सा होता है जो उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा

में मौजूद रहता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान संस्कृत भाषा में विद्यमान है। लेकिन उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के साथ ज्ञान की परंपरा इन भाषाओं में विकसित हुई जो आज भी इनमें मौजूद है। आधुनिक शिक्षा को इस ज्ञान से जोड़ने के लिए इन भाषाओं के माध्यम की बृहत्तर उपयोगिता है। खास तौर से लोकोपयोगी विज्ञान के क्षेत्र में मौजूद ज्ञान यदि शिक्षा से जोड़ा जाता है तो जन-जन से देश की प्रगति में योगदान पाया जा सकता है। कृषि,बागवानी,विभिन्न प्रकार के शिल्प-लोहे, सोने, चाँदी आदि धातु कर्म, चमड़े, मिट्टी, लकड़ी आदि के शिल्प संबंधी जो भी लोक प्रचलित ज्ञान है उसे आधुनिक विज्ञान से संपृक्त किया जा सकता है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में समाज के सभी वर्गों की सामूहिक भागीदारी हो सकती है। ऐसा होने से न तो शिक्षा प्राप्त जन अपने आप को जन-सामान्य से कुछ ज्यादा श्रेष्ठ और अलग समझेगा और न ही जन-सामान्य अपने को हीन। संभवतया इसी बात को दृष्टि में रखते हुए प्रख्यात वैज्ञानिक डा. आत्माराम ने चेतावनी दी थी- "यदि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के मन में यह बात समा जाती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ तो केवल शहरी लोगों के लिए है, हमारे भाग्य में इन आविष्कारों का सुख कहाँ तो यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा।" यह चेतावनी भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी को हटाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

दूसरी ओर, शिक्षित युवा वर्ग में राष्ट्रीय दायित्व और लगाव पैदा करने में भी शिक्षा का माध्यम भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक शिक्षित वर्ग में यह भावना पैदा करने के लिए उनकी शिक्षा का लाभ उनके अपने देश को मिलना चाहिए, उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव तथा राष्ट्रीय दायित्व की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा और अनुसंधान आदि वे अपनी भाषा में करते हैं और उसके माध्यम से बेहतर सफलता पाते हैं तो उनमें भाषा और देश के प्रति गौरव की भावना पैदा होती है जो उनके अपने व्यक्तित्व को भी अधिक आत्मविश्वासपूर्ण बनाती है। जापानी, जर्मन,रूसी,फ्रांसीसी आदि उन्नत राष्ट्रों की भाषाओं में ऐसा ही हुआ है। गौर करने की बात है कि ब्रिटिश शासन की शिक्षा की नीति के अंतर्गत मैकाले तथा विलियम बैंटिक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार करना है जो तन से भारतीय हो किन्तु मन से ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का शिक्षा माध्यम के रूप में उपयोग किया था। आज स्वाधीन देश के प्रति निष्ठा और सम्मान की भावना पैदा करने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग शिक्षा माध्यम के रूप में किया जाना नितांत आवश्यक है।

21.5 स्वाधीन भारत की शिक्षा में माध्यम संबंधी नीति

आजादी के बाद भारत सरकार ने शिक्षा का लाभ जन-सामान्य तक पहुँचाने की ओर ध्यान दिया है। साथ ही उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाओं, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, चिकित्सा तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं। केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग तथा राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा विभागों को ये दायित्व सौंपे गए हैं। साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि संस्थाएँ स्थापित की हैं। शिक्षा संबंधी नीति-निर्माण के लिए समय-समय पर समितियां गठित हुई और उनके प्रभावी परिणाम भी देखने में आए। शिक्षा माध्यम को शुरु से ही महसूस किया गया कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था हो। लेकिन कार्यान्वयन की स्थिति में वुडस एजूकेशन डिस्पैच को पूर्णतया बहिष्कृत कर के आगे नहीं बढ़ा गया। अंग्रेजी तथा हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा, दोनों ही माध्यमों में शिक्षा की व्यवस्था हुई। माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयी स्तर पर तथा तकनीकी स्तर पर एक ही भाषा का माध्यम सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक रुप से लागू नहीं हुआ। इससे न केवल छात्रों की कठिनाई बढ़ी बल्कि अध्यापन और राजभाषा कार्यान्वयन को भी समुचित बढ़ावा न मिल सका। हालाँकि जागरुक भारतीय चिंतकों ने समय-समय पर इस बात के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। नीचे कुछ वक्तव्य देखने योग्य हैं:

"शिक्षा-माध्यम की इस द्वैध नीति का परिणाम यह है कि आज तक भी भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं हुआ और भारतीय भाषाओं के बारे में देश के अनेक शिक्षा-विशेषज्ञ सन् 1962 ई. में भी वही बात कह रहे हैं जो वुड(Wood) ने सन् 1854 ई. में कही थी। एक सौ आठ वर्षों के सुदीर्घ प्रयोग से यह बात अन्धे को भी दिखायी देनी चाहिए कि वुड की नीति से भारतीय भाषाओं का विकास नहीं हो सकता। किन्तु, भारतीय शिक्षा के जो लोग कर्णधार समझे जाते हैं, वे आज भी वुड की नीति को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यह दृश्य भगवान के ही देखने योग्य है।"

(रामधारी सिंह दिनकर "संस्कृति के चार अध्याय")

देश के विश्वविद्यालयों से आशा की जा सकती थी कि वे इस भाषा को अंगीकार* करते और इसे समृद्ध बनाने में सहायता पहुँचाते परन्तु उन्होंने इस विषय में कोई सहायता नहीं पहुँचायी। जब देश की लोकशक्ति बहुत आगे बढ़ गयी और जब विश्वविद्यालयों के लिए अधिक टालमटोल करना असम्भव हो गया तब बड़ी कृपापूर्वक उन्होंने हाईस्कूल इण्टरमीडिएट तक के स्टैण्डर्ड के लिए हिन्दी का माध्यम स्वीकार किया, परन्तु इसमें भी कितनी हिचकिचाहट दिखायी गयी है! अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का जन्मसिद्ध अधिकार भी इस अभागे देश में तर्क और बहस-मुबाहिसे* का विषय बना हुआ है।

(आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी "मृत्युंजय रवींद्र")

सातवें दशक के मध्य में शिक्षा माध्यम के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्विचार किया गया। सन् 1969 में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में कार्यान्वित करने की नीति निर्धारित हुई।

1965-75 तक हिन्दी माध्यम की सामग्री निर्माण और कार्यान्वयन में काफी तेजी से प्रगति भी हुई। उसके बाद, फिर उत्साह धीमा पड़ गया।

बोध प्रश्न 2

क भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय किन तीन वर्गों को है?

....

....

....

ख अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसके प्रयासों से बनी ?

....

....

....

ग हिन्दी माध्यम से शिक्षा और राजभाषा हिन्दी पर पाँच पंक्तियाँ लिखिए।

....

....

....

घ भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना से हिन्दी शिक्षा का क्या संबंध हो सकता है ? लगभग पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

21.6 शिक्षा माध्यम का निर्धारण और कार्यान्वयन

21.6.1 माध्यम संबंधी निर्णय कौन लेता है?

आप पढ़ चुके हैं कि नीति के स्तर पर मूलतया शासकीय निर्णय होता है कि देश में शिक्षा किस भाषा या किन भाषाओं के माध्यम से दी जाए। हालाँकि यह शिक्षाविदों तथा अन्य विशेषज्ञों की राय से किया जाता है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत आज देश में हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी माध्यमों में शिक्षा उपलब्ध है। शिक्षा माध्यम संबंधी नीति का कार्यान्वयन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होता है, जिनकी संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं।

स्कूल स्तर पर शिक्षा माध्यम संबंधी नीति का निर्णय केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय शिक्षा विभागों द्वारा लिया जाता है। राज्यों के विद्यालयों में शिक्षा की भाषा अथवा भाषाएँ कौन-सी होंगी यह राज्य शिक्षा विभागों के द्वारा तय किया जाता है। इसी नीति के तहत विभिन्न राज्यों में हिन्दी, अन्य भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जा रही है। हिन्दी भाषी राज्यों में स्कूली शिक्षा का प्रमुख माध्यम हिन्दी है। साथ ही बड़ी संख्या में अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं। अन्य भारतीय भाषाओं के भी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। हिन्दी भाषी प्रदेशों के अलावा अन्य प्रदेशों में भी हिन्दी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में देश भर में ये दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। इनमें से कौन-सा विद्यालय किस माध्यम से शिक्षा देगा, यह तय करने की व्यवस्था भिन्न-भिन्न प्रकार से है-

क राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालयों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के नियंत्रणाधीन विद्यालयों के मामले में यह निर्णय राज्य शिक्षा विभाग करते हैं।

ख मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामलों में विद्यालय स्वयं यह निर्णय लेते हैं।

ग केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों के मामले में यह निर्णय केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय संगठन करते हैं।

उच्च शिक्षा के स्तर पर विश्वविद्यालयी शिक्षा के मामले में शिक्षा संबंधी निर्णय विश्वविद्यालयों का होता है। शिक्षा नीति के अंतर्गत तो अंग्रेजी तथा हिन्दी भारतीय भाषा, दोनों के माध्यमों से शिक्षा का प्रावधान है। अतः विश्वविद्यालय छात्रों को दोनों में से कोई भी विकल्प चुनने का अवसर देता है। पारंपरिक शिक्षा पद्धति और दूर शिक्षा पद्धति दोनों में ही यह विकल्प उपलब्ध है। विभिन्न कालेज अपने यहाँ दाखिला लेने वाले छात्रों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार पढ़ाई हिन्दी/अंग्रेजी में उपलब्ध कराते हैं। दूर शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अपनी सामग्री दोनों माध्यमों में प्रस्तुत करते हैं। तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के मामले में यह निर्णय स्वयं संस्थाओं द्वारा लिया जाता है।

21.6.2 शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिन्दी माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था

1 स्कूल स्तर

स्कूल स्तर की शिक्षा में हिन्दी माध्यम की पर्याप्त व्यवस्था है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में व्यापक रूप से शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। साथ ही, केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में भी इसका व्यापक प्रयोग है। देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के माध्यम की स्थिति को आगे दी गई तालिका द्वारा भली-भांति समझा जा सकता है:

स्कूली शिक्षा के स्तर पर शिक्षा माध्यम की राज्यवार स्थिति

क.सं.	राज्य/संघ राज्य	प्राथमिक			मिडिल			माध्यमिक			उच्च		
		क्षेत्रीय	हिन्दी	अन्य	क्षेत्रीय	हिन्दी	अन्य	क्षेत्रीय	हिन्दी	अन्य	क्षेत्रीय	हिन्दी	अन्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	40014	76	2244	6584	79	315	3231	42	341	222	2	77
2.	आसाम	16622	176	2738	3126	49	800	1282	15	212	56	--	17
3	बिहार	--	56481	3200	--	10007	365	--	2817	605	--	--	--
4.	गुजरात	21927	67	1658	--	--	--	2432	25	79	--	--	--
5.	हरियाणा	--	6952	6	--	1890	1	--	1024	4	--	105	5
6.	हिमाचल प्रदेश	--	5222	20	--	1084	3	--	510	17	--	103	24
7.	जम्मू और कश्मीर	6497	2925	8523	891	968	2358	213	345	1145	15	31	89
8.	कर्नाटक	19068	13	2327	9178	21	1308	1699	12	528	208	1	190
9.	केरल	8609	3	29	3525	1	--	1332	1	389	--	4	40
10.	मध्य प्रदेश	--	51806	564	--	9033	106	--	--	1	--	1993	116
11.	महाराष्ट्र	45759	366	2126	19961	135	350	5011	197	578	456	16	71
12.	मणिपुर	3120	1	39	343	1	4	185	4	181	27	1	26
13.	मेघालय	2851	2	245	325	1	33	--	5	109	--	--	4
14.	नागालैंड	--	4	93	--	1	2	--	3	87	--	--	--
15.	उड़ीसा	32480	29	290	5311	28	9	199	11	6	9	6	6
16.	पंजाब	11834	318	77	2771	179	6	1495	160	31	236	64	20
17.	राजस्थान	--	24626	196	--	6050	--	--	1369	83	--	539	39
18.	तामिलनाडु	26275	6	539	5638	2	135	2556	15	265	3	3	42
19.	त्रिपुरा	1743	1	80	361	--	--	37	--	2	69	1	1
20.	उत्तर प्रदेश	--	64511	1131	--	14681	20	--	4138	14	--	2294	24
21.	पश्चिम बंगाल	45672	448	311	7181	59	14	4370	54	15	1997	69	37
22.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	97	--	125	28	--	23	--	--	13	--	--	9
23.	अरुणाचल प्रदेश	--	--	553	--	--	--	--	--	1	--	--	18
24.	चंडीगढ़	--	172	182	--	88	76	--	35	62	--	7	15
25.	दादरा और नगर हवेली	141	--	24	--	--	--	4	--	3	--	--	--
26.	दिल्ली	--	1578	132	--	850	44	--	--	--	--	497	216
27.	गोआ दमन और दीव	895	1	306	151	--	6	43	--	176	--	--	1
28.	लक्षद्वीप समूह	27	--	1	12	--	--	7	--	1	1	--	1
29.	मिज़ोरम	--	--	468	--	1	5	--	--	104	--	--	--
30.	पांडिचेरी	376	--	21	124	--	--	52	--	12	--	--	4

अच्छे स्तर की पाठ्य-सामग्री भी स्कूली छात्रों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य स्तरीय प्रकाशन भी महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं।

2 विश्वविद्यालय स्तर

2) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा हिन्दी/भारतीय भाषाएँ दोनों की व्यवस्था है। स्नातक स्तर की शिक्षा में हिन्दी का व्यापक प्रयोग है हालाँकि उच्चतर शिक्षा तकनीकी शिक्षा में अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। यद्यपि काफी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन इन माध्यमों के अपनाने वालों के लिए अभी उतनी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, जितनी अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए। छात्र अपनी रुचि के अनुसार माध्यम चुनते हैं। कक्षाएँ छात्रों द्वारा चुने गए माध्यम के अनुरुप होती हैं, कुछ स्थानों पर तो विशुद्ध रुप से हिन्दी माध्यम से ही कक्षाएँ होती हैं। जिन कालेजों में दोनों माध्यमों के छात्र होते हैं, वहाँ कक्षाएँ सामूहिक होती हैं और शिक्षण की भाषा मिली-जुली होती है। स्नातकोत्तर स्तर पर भी मिली-जुली कक्षाओं का प्रावधान है। जहाँ महानगरों में अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का प्रतिशत अधिक होता है, वहीं छोटे नगरों और कस्बों में हिन्दी माध्यम के छात्रों का।

विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई तालिका से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम में शिक्षण

क्र०सं०	विषय क्षेत्र जिनकी शिक्षा विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है	स्नातक स्तर पर हिन्दी माध्यम में शिक्षण उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी माध्यम में शिक्षण उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या
1.	कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान आदि।	48	41
2.	वाणिज्य	45	34
3.	शिक्षा	38	31
4.	इंजीनियरी	10	9
5.	पुस्तकालय विज्ञान	9	2
6.	विधि	31	15
7.	चिकित्सा	11	9
9.	विज्ञान	38	24
10.	प्रौद्योगिकी	1	3
11.	कृषि	6	7
कृषि विश्वविद्यालय			
12.	कृषि	6	1
13.	पशु-चिकित्सा विज्ञान	4	1
विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएँ			
14.	कला	5	5
15.	वाणिज्य	1	—
16.	शिक्षा	5	4
17.	विज्ञान	2	2

*'' दी ईयर बुक ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (1989) में दिए गए आँकड़ों पर आधारित

III.) तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा

तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। उपर्युक्त तालिका में यद्यपि आपने देखा है कि इंजीनियरी की शिक्षा स्नातक स्तर पर 10 विश्वविद्यालयों में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 9 विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर 1 विश्वविद्यालय में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 3 विश्वविद्यालयों में शिक्षा उपलब्ध है। चिकित्सा में 11 और 9 की स्थिति है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पोलिटेक्निक स्तर पर भी हिन्दी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध है। रुड़की के केन्द्रीय

भवन अनुसंधान संस्थान तथा सिंचाई-अनुसंधान संस्थान आदि जैसी संस्थाओं में भी हिन्दी माध्यम की व्यवस्था है। किन्तु राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पांच भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एँड रिसर्च तथा सी.एस.टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस एँड टैक्नोलॉजी में केवल अंग्रेजी माध्यम ही है उनकी शिक्षण व्यवस्था में हिन्दी में शोध लेखन की अनुमति तो देते हैं लेकिन अध्ययन की भाषा और अभिव्यक्ति की भाषा की भिन्नता निश्चय ही छात्र के लिए सुविधा की स्थिति तो नहीं पैदा कर सकती। मातृभाषा में उसे अभिव्यक्ति की सुविधा तो होगी पर जो तकनीकी शब्दावली अब तक उसने अंग्रेजी में ही पढ़ी है, उसका हिन्दी भाषा में अंतरण करना इतना सहज नहीं है।व्यापक रूप से हिन्दी का प्रचलन न होने के कारण इस क्षेत्र के हिन्दी माध्यम की अच्छी पाठ्य-सामग्री भी उपलब्ध नहीं है।

बोध प्रश्न 3

सही (✓) तथा गलत (x) का निशान लगाकर उत्तर दीजिए

क) शिक्षा माध्यम संबंधी नीति निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन करता है?

i गृह मंत्रालय
ii राजभाषा विभाग
iii शिक्षा विभाग

ख) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा माध्यम के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य सही है ?
i हर क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध है।
ii केवल अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा उपलब्ध है।
iii सभी क्षेत्रों में दोनों भाषाओं के माध्यम का प्रावधान है।
iv कुछ विषय क्षेत्रों में दोनों माध्यम उपलब्ध हैं।

ग) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में :
i केवल अंग्रेजी माध्यम उपलब्ध है।
ii केवल हिन्दी माध्यम उपलब्ध है।
iii व्यापक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम प्रयुक्त होता है।
iv कुछ जगह हिन्दी माध्यम भी उपलब्ध है।

21.7 हिन्दी माध्यम की पाठ्य सामग्री का निर्माण

विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री निर्माण शिक्षा माध्यम कार्यान्वित करने की प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस समय हमारे यहाँ शिक्षा की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं
1) पारम्पारिक कक्षा में शिक्षण पद्धति, 2) दूर शिक्षा पद्धति।
पहली पद्धति के लिए पाठ्य पुस्तकों की जरूरत पड़ती है, दूसरी पद्धति के लिए स्वयं-शिक्षण सामग्री की।
आगे हम चर्चा करेंगे कि यह पाठ्य सामग्री किस प्रकार तथा किसके द्वारा तैयार की जाती है।

21.7.1 सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया

पाठ्य सामग्री तैयार करने में आम तौर से मूल लेखन तथा अनुवाद दोनों प्रक्रियाओं की सहायता ली जाती है। स्कूली शिक्षा में आरंभिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें मूलतः हिन्दी में ही लिखी जाती हैं। लेकिन माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें सामान्यतया अंग्रेजी में तैयार कराकर हिन्दी में अनूदित की जाती हैं। राज्य स्तरीय संस्थाएँ मूलतया हिन्दी में ही अपनी पुस्तकें तैयार करती हैं। विश्वविद्यालयी शिक्षा स्तर पर पुस्तकें तैयार कराने वाली संस्थाएँ विषय विशेषज्ञों की सहायता से मूल लेखन कराने का प्रयास करती हैं। साथ ही, उच्च कोटि की पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था भी करती हैं ताकि छात्रों को अधिकाधिक उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

दूर शिक्षण संस्थाएँ- पत्राचार विद्यालय तथा महाविद्यालय और ओपन स्कूल तथा मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यसामग्री अंग्रेजी में तैयार कराके उनका हिन्दी अनुवाद कराते हैं। इस अनुवाद पद्धति का मूल उद्देश्य एकरूपता निश्चित करना होता है। स्वतंत्र रूप से विभिन्न विषयों पर लिखने वाले विद्वान अपनी रुचि के अनुसार माध्यम चुनते हैं। यद्यपि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लेखन और अनुसंधान में अक्सर अंग्रेजी का ही प्रचलन अधिक है लेकिन इन लेखकों की अपनी पुस्तकों तथा शोध ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद कराने में दिलचस्पी होती है। इसलिए अंग्रेजी प्रकाशन के पश्चात कुछ समय बाद वे हिन्दी अनुवाद प्रकाशन का प्रयास करते हैं।

21.7.2 हिन्दी माध्यम से सामग्री तैयार करने वाली संस्थाएँ

हिन्दी माध्यम की सामग्री निर्माण और प्रकाशन की व्यवस्था में तीन तरह की संस्थाएँ कार्यरत हैं:
1 सरकारी अथवा विश्वविद्यालयी संस्थाएँ
2 निजी क्षेत्र की (Private) संस्थाएँ
3 दूर शिक्षा संस्थाएँ

स्कूल स्तर की पाठ्य सामग्री तैयार करने वाली संस्थाएँ
स्कूल स्तर की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य सामग्री उपर्युक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं द्वारा तैयार होती हैं।

i राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद अखिल भारतीय स्तर की संस्था है। इसके द्वारा तैयार पुस्तकें केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध देश के अधिकांश विद्‌यालयों के पाठ्यक्रम में निर्धारित होती हैं। राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की संस्थाएँ कार्यरत हैं।

ii राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का समावेश करते हुए विभिन्न अध्यापकगण पुस्तकें तैयार कर निजी प्राइवेट प्रकाशकों से प्रकाशित कराते हैं।

iii पत्राचार विद्‌यालय तथा ओपन स्कूल अपनी पाठ्य सामग्री स्वयं तैयार कराते हैं। अक्सर यह कार्य किसी एक लेखक द्वारा न कराके सामूहिक कार्य (Team Work) के रुप मे कराया जाता है।

विश्वविद्‌यालय स्तरीय पाठ्य सामग्री तैयार करने वाली संस्थाएं विश्वविद्‌यालय स्तरीय पाठ्य सामग्री तैयार करने वाली संस्थाएँ भी उपर्युक्त तीनों श्रेणियों की हैं। विभिन्न हिन्दी भाषी राज्यों की हिन्दी ग्रंथ अकादमियों के अतिरिक्त कुछ विश्वविद्‌यालयों में हिन्दी माध्यम सामग्री निर्माण विभाग/कक्ष है, जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ लेखकों के सहयोग से पुस्तकें तैयार कराते हैं। ग्रंथ अकादमियाँ जहाँ विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों की उच्च कोटि की पुस्तकों द्वारा हिन्दी के प्रसार में योग देती हैं,वहीं विश्वविद्‌यालयों के उपर्युक्त विभाग/कक्ष सामग्री निर्माण करते समय पाठ्यक्रमों में होने वाले अद्यतन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखते हैं जिससे कि परीक्षा की दृष्टि से भी विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री उपलब्ध होती है।

इन संस्थाओं को पुस्तक के प्रकाशन पर आने वाली लागत के लिए वित्तीय सहायता केन्द्र सरकर के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से प्राप्त होती है। इससे ये प्रकाशन कम कीमत पर छात्रों को उपलब्ध हो पाते हैं। मंत्रालय का वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग इन संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इससे तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र मे एकरूपता ला पाना संभव हो पाता है

i) हिन्दी माध्यम की पुस्तकें प्रकाशित करने वाली ऐसी प्रमुख संस्थाएँ हैं:

- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
- मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
- बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
- हरियाणा हिन्दी ग्रंथ अकादमी
- राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी
- हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय,दिल्ली विश्वविद्‌यालय
- हिन्दी माध्यम कक्ष, बनारस हिन्दू विश्वविद्‌यालय (विज्ञान संबंधी प्रकाशनों के लिए)
- पंत नगर कृषि विश्वविद्‌यालय का प्रकाशन निदेशालय (कृषि एवं इंजीनियरी संबंधी प्रकाशनों के लिए)
- प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

इनके अतिरिक्त इतिहास की पुस्तकों के अलीगढ़ विश्वविद्‌यालय द्वारा कराए गए हिन्दी अनुवाद तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा कराए गए हिन्दी अनुवाद भी गुणवत्ता एवं उपयोगिता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं।

ii) उपर्युक्त सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने भी हिन्दी माध्यम की अच्छी और उपयोगी सामग्री प्रकाशित की है। इनमें वाणिज्य की पुस्तकों के लिए सुल्तान चंद एंड संस, दिल्ली तथा सामाजिक विज्ञानों की पुस्तकों के लिए मैक्मिलन के हिन्दी प्रकाशनों का उल्लेख किया जा सकता है। मोतीलाल बनारसी दास के इतिहास और दर्शन संबंधी हिन्दी प्रकाशन भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।

iii) भिन्न-भिन्न विश्वविद्‌यालयों की पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थाएँ तथा मुक्त विश्वविद्‌यालय अपनी सामग्री अंग्रेजी में तैयार करा के उनके हिन्दी अनुवाद छपवाते हैं इनमें से कुछ का प्रकाशन संबद्ध विश्वविद्‌यालयों के अपने प्रेस अथवा प्रकाशन विभागों द्वारा होती है, शेष अपनी अन्यत्र व्यवस्था करते हैं।

21.8 हिन्दी माध्यम सामग्री निर्माण का भाषिक पक्ष

शिक्षण सामग्री तैयार करने की प्रकिया का महत्वपूर्ण पक्ष है भाषिक पक्ष। शिक्षण सामग्री तैयार करते समय सामाजिक विज्ञानों,वाणिज्य तथा विज्ञान आदि के विविध क्षेत्रों में हिन्दी भाषा के समुचित स्वरुप को कायम रखने की जरुरत होती है ताकि भाषा ज्ञान के क्षेत्र में संपर्क और सम्प्रेषण का दायित्व समुचित रीति से वहन कर सके।
इस दृष्टि से निम्नलिखित पक्षों पर विचार करना अपेक्षित है:

21.8.1 पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं, जिनका ज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित और परिसीमित अर्थ होता है। प्रत्येक विषय की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। इसे उस विषय की तकनीकी शब्दावली भी कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा में हम अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी माध्यम की ओर बढ़ रहे हैं। अतः विभिन्न विषयों के लिए अंग्रेजी में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली के लिए हिन्दी में पर्याय निर्धारण किए गए हैं। इस पारिभाषिक शब्दावली का समुचित प्रयोग और इसमें एकरूपता रखना हिन्दी माध्यम की पाठ्य-सामग्री तैयार करने वाली संस्थाओं तथा उनसे संबद्ध व्यक्तियों का होता है। साथ ही, कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक भी इस दायित्व से मुक्त नहीं होते। एकरूपता विद्यार्थी और विषय विशेष दोनों की दृष्टि से जरुरी होती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों के "बृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह" तथा विभिन्न विषयों (चिकित्सा, इंजीनियरी, मानविकी,विज्ञान आदि) के कोश तथा "परिभाषा कोश" न केवल अनुवाद के लिए उपयोगी हैं बल्कि मूल लेखन करते समय संकल्पनाओं को समझने की दृष्टि से भी लाभदायक है। इस दिशा में किए गए कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी महत्वपूर्ण विशेष में जो शब्द किसी संकल्पना के लिए प्रचलित हो गए हैं, उनका लेखन में अथवा अनुवाद के दौरान निर्वाह आवश्यक है। विशेष रुप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे नए पर्याय चुनना छात्रों के लिए भ्रामक तथा शैक्षिक संपर्क की दृष्टि से अव्यावहारिक होगा। अतः इससे बचना चाहिए।

21.8.2 भाषा की सहजता और स्पष्टता

शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त भाषा की पहली शर्त होती है कि वह उन लोगों के लिए बोधगम्य हो जिनके लिए पुस्तकें अथवा पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है। अर्थात् जो ज्ञान हम छात्रों को देना चाह रहे हैं, वह उन्हें सुरुचिपूर्ण ढंग से समझ में आ जाए। यह तभी संभव होगा जब ज्ञान बहुत ही स्पष्ट और सहज भाषा मे दिया जायेगा। पाठ्य सामग्री तैयार करने वालों को चाहे वे मूल लेखन कर रहे हों अथवा अनुवाद-भाषा के इस पक्ष पर सदैव ध्यान रखना होगा। यही वह बिन्दु है जहाँ साहित्यिक हिन्दी और शिक्षा माध्यम की हिन्दी में भेद हो जाता है। साहित्य की भाषा में जरूरत पड़ने पर व्यंजना, अलंकरण और प्रयोगशीलता का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन भौतिकी अथवा अर्थशास्त्र की पुस्तक तैयार करते समय ऐसा नहीं किया जा सकता। वहाँ सूचना को सीधे और सरल तरीके से प्रस्तुत करना होगा। सरलता का मायने यह नहीं कि उसमें कठिन पारिभाषिक शब्द नहीं होंगे। पारिभाषिक शब्द यदि संस्कृत मूल से आए हैं और तत्सम रुप में हैं तो भी उन्हें रखना ज़रुरी होगा। लेकिन उन्हे संपूर्ण विचार के साथ इस प्रकार संबद्ध करके रखा जाना चाहिए कि वाक्य विन्यास सहज और स्पष्ट हो तथा स्वतः खुलता जाए। तात्पर्य यह है कि हिन्दी माध्यम से लेखन का मायने यह नहीं कि तथ्यों का नीरस सार मात्र प्रस्तुत कर दिया जाए। सिद्धान्तों को भली-भांति समझते हुए उन्हें रोचक ढंग से विवेचित किया जाना चाहिए।

21.8.3 अनुवाद

हिन्दी माध्यम की पाठ्य सामग्री निर्माण में इस समय अनुवाद का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। ऊपर हम चर्चा कर चुके है कि काफी सामग्री तो पहले अंग्रेजी में तैयार करके हिन्दी में अनुदित होती है। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन इस समय कई प्रकार की सीमाओं और परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, मूल लेखन के दौरान भी अनुवाद की मदद नए अनुसंधानों और प्रकाशनों का उपयोग करने की दृष्टि से ली जाती है। यह उपयोग निश्चय ही काफ़ी सार्थक और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अनुवाद की इस प्रकिया के दौरान हिन्दी भाषा को नजरअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। मूल भाषा अगर अनुवाद की भाषा पर हावी हो जाएगी तो निश्चय ही लेखन में सहजता और स्पष्टता नहीं आ पायेगी जिसकी अपेक्षा हम हिन्दी में तैयार पाठ्य सामग्री से कर रहे हैं। यदि हिन्दी माध्यम में तैयार पाठ्य सामग्री जटिल और ऊब पैदा करने वाली होगी तो न केवल छात्रों को बहुत कठिनाई होगी बल्कि उनकी भाषिक अभिव्यक्ति और विचार क्षमता के विकास में भी बाधा पड़ेगी। आगे दिए गए उदाहरण को पढ़ें। आप देखेंगे कि किसान आंदोलन के इतिहास को बड़ी ही स्वच्छ भाषा में प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि यह मूल लेखन नहीं, अनुवाद है।

"अगली सभा की तारीख और जगह की घोषणा की गई। रायबरेली ज़िले के ऊँचाहार गाँव में 15 जनवरी 1921 को अगली सभा किया जाना तय किया गया और लोगों से बताया गया कि वहाँ उन्हें नागपुर कांग्रेस के संदेश दिए जायेंगे। लोगों ने काफी शान्तिपूर्वक और ध्यान से सब कुछ सुना।

किसानों की यह विशाल रैली, जिसमें भाग लेने वालो की संख्या पचास हजार से एक लाख तक बताई जाती है,किसान-संघर्षों के इतिहास का एक अनूठा प्रदर्शन थी। इस महासभा के बाद किसान अपने घरों को लौट पड़े, पर वहाँ भी कठिनाइयों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। किसानों की वापसी के मामले में स्टेशन-मास्टर ने अड़ंगा लगा दिया, गौरीशंकर उससे उलझ पड़े, बहस चल पड़ी, यह एक तरह से किसान की शक्ति की परख थी। किसानों ने सत्याग्रह शुरु कर दिया, वे रेल की पटरियों पर लेट गये और रेलगाड़ी का चक्का जाम कर दिया। इंजिनों से बरसते गरम पानी की बौछारें और पुलिस की लाठियाँ किसानों की दृढ़ता में खरोंच तक नहीं लगा पाई। अन्ततः अधिकारियों को झुकना पड़ा और किसान अपने घरों को जाने वाली गाड़ियों में सवार हो गए। खुद रामचन्द्र ने माताबादल की मदद से गरीब किसानों को उनकी वापसी के लिए आर्थिक मदद जुटाई।

अयोध्या सम्मेलन ने अवध के किसानों की ज़िन्दगी में नवजीवन का संचार किया। इस नयी जागृति के बारे में जे.ए.फ़रनॉन ने रायबरेली के डिप्टी-कमिशनर को ये शब्द लिखेः

वे इस बार अपनी असली और आम कष्टों के काफ़ी गहरे एहसास के साथ (अयोध्या से) वापस लौटे हैं। वे इन पर अपनी स्थानीय

सभाओं में विचार कर रहे हैं,वैसे सभाएँ अब हर गाँव में गठित हो चुकी हैं। इतिहास मे पहली बार उन्होंने एकताबद्ध किसानों की ताकत को पहचाना है- उन्हें पता चल गया है कि ज़मींदारों द्वारा की जाने वाली गैर-कानूनी जबरिया वसूली के सामने घुटने टेकने जैसी साफ और जघन्य भूलों का हल वे खुद खोज सकते हैं, कर सकते हैं।

("किसान विद्रोह, कांग्रेस और अंग्रेजी राज" - डा. कपिल कुमार)
(अनुवादक - असद जैदी मूल कृति: Peasants in Revolt)

बोध प्रश्न 4

क) हिन्दी माध्यम से पाठ्य सामग्री निर्माण की दो प्रक्रियाएं कौन-सी हैं ?

ख) इस समय देश में प्रचलित दो शिक्षा पद्धतियां कौन-सी हैं ?

ग) स्कूल स्तरीय पाठ्य सामग्री तैयार करने वाली प्रमुख राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए।

-------------- --------------- -------------

घ) विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य सामग्री तैयार करने वाली किन्हीं तीन संस्थाओं के नाम बताइए।

--------------- ---------------- ----------------

ड शैक्षिक सामग्री तैयार करने में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका पर पाँच पंक्तियाँ लिखिए।

च शैक्षिक सामग्री में भाषा की सहजता और स्पष्टता क्यों अपेक्षित है? लगभग तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

21.9 परीक्षा का माध्यम

परीक्षा की चर्चा के वक्त सीधे ही हमारे दिमाग में जो बिंब बनता है, वह पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद की परीक्षा यानी अध्ययनोपरांत परीक्षा का होता है। अतः आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा के माध्यम की अलग से चर्चा करने की जरूरत क्या है, यह तो स्वाभाविक ही है कि जिस माध्यम में पढ़ाई होगी, उसी में परीक्षा ली जायेगी। आपकी बात सही है। लेकिन यही गौर करने की बात है कि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें पढ़ाई का माध्यम तो हिन्दी नहीं है, लेकिन छात्रों को परीक्षा हिन्दी माध्यम से देने की अनुमति देते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों तथा कुछ पाठ्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

विश्वविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रमों का विवरण
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	बी.ए./बी.काम.
भागलपुर विश्वविद्यालय	एल.एल.बी.,बी.लिब.,एम.एस.सी.,एम.काम.
बिहार विश्वविद्यालय	अंग्रेजी में पढ़ाये जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा हिन्दी में दी जा सकती है।
बम्बई विश्वविद्यालय	एम.ए. में कुछ विषयों में हिन्दी माध्यम से परीक्षा दी जा सकती है।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	एम.एड.
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	चिकित्सा और विज्ञान का शिक्षण तो अंग्रेजी में है, लेकिन परीक्षा हिन्दी में दी जा सकती है।
जोधपुर विश्वविद्यालय	इंजीनियरिंग विधि तथा विज्ञान के लिए शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी है लेकिन परीक्षा हिन्दी में दी जा सकती है।
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	बी.एड. की परीक्षा हिन्दी माध्यम से दी जा सकती है।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, एम.एस.सी. कृषि ,बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) की परीक्षा हिन्दी में दी जा सकती है।

*दी इयर बुक ऑफ एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज (1989) में प्रस्तुत सूचना पर आधारित।

इन अध्ययनोपरांत परीक्षाओं के अतिरिक्त कई तरह की परीक्षाएँ और होती है। आगे हम चर्चा कर रहे है कि इनमें से किन-किन परीक्षाओं में कहाँ-कहाँ हिन्दी माध्यम उपलब्ध है।

प्रवेश परीक्षा

कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए छात्र को परीक्षा पास करनी पड़ती है। जैसे इंजीनियरी, चिकित्सा आदि पाठ्यक्रमो के लिए। हिन्दी भाषी राज्यों के कुछेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था है। वहाँ पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा हिन्दी में होता है।

शोध प्रबंध

जिन संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से शिक्षण उपलब्ध है, उनमें हिन्दी में शोध प्रस्तुत करने की व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही, आई.आई.टी. दिल्ली और कानपुर जैसी संस्थाओं का शिक्षण माध्यम तो अंग्रेजी है, लेकिन वहाँ के छात्र अपने शोध प्रबंध हिन्दी मे प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी शोध की परीक्षा तथा हिन्दी में मौखिकी की व्यवस्था है।

सेवा परीक्षाएँ

सेवा परीक्षाओं का संबंध व्यक्ति के रोजगार से होता है। यही वह बिंदु है, जहाँ शिक्षा रोजगार से जुड़ना शुरू होती है। शिक्षा का माध्यम और सेवा परीक्षा का माध्यम एक-दूसरे से बहुत अलग नहीं हो सकता। आगे हम विभिन्न प्रकार की सेवा परीक्षाओं में माध्यम की चर्चा करेंगे।केन्द्र सरकार की सेवाओं के क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग स्तर की सभी सेवाओं से संबंधित भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम उपलब्ध हैं। संघ लोक सेवा आयोग की कुछ परीक्षाओं में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम ही उपलब्ध है। स्थिति का विवरण नीचे दी गयी तालिका में देखा जा सकता है:

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में माध्यम की स्थिति

	परीक्षा का नाम	प्रश्न-पत्रों का माध्यम	
		हिन्दी-अंग्रेजी दोनों	केवल अंग्रेजी
1.	सिविल सेवा प्रधान परीक्षा	√	—
2.	आशुलिपिक परीक्षा ग्रेड बी.	√	—
3.	अनुभाव अधिकारी	√	—
4.	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा	केवल कुछ प्रश्न-पत्रों में हिन्दी माध्यम	√
5.	सीमित विभागीय परीक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ग्रेड अवर सचिव	√	—
6.	इंजीनियरिंग	—	√
7.	भारतीय वन सेवा	—	√
8.	भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा	—	√
9	सहायक इंजीनियर, (के.एल.ओ.) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा	—	√
10.	वे परीक्षाएँ जिनके प्रश्न-पत्र वस्तुपरक होते हैं:		
	i) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा	√	—
	ii) स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैन्टिस	√	—
	iii) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा	√	—
	iv) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा	√	—
	v) भारतीय नौ सेवा अकादमी परीक्षा	√	—
	vi) भूविज्ञान परीक्षा	√	—
	vii) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा	√	—
	viii) सहायक ग्रेड परीक्षा	√	—

साक्षात्कार

हिन्दी माध्यम से लिखित परीक्षा देने वाले उम्मीदवारा की मौखिक परीक्षा तथा साक्षात्कार का माध्यम भी हिन्दी होता है। लिखित परीक्षा अंग्रेजी में देने वाले उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी ही साक्षात्कार की भाषा होती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निली क्षेत्र की सेवा परीक्षाओं में अधिकांश अंग्रेजी की प्रधानता है। साक्षात्कार अपेक्षानुसार अंग्रेजी/हिन्दी में होते है।

21.10 मूल्यांकन: सीमाएँ और संभावनाएँ

शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी की जरुरत और इसकी वर्तमान स्थिति के विषय में उपर्युक्त चर्चा के पश्चात हम कुछ निष्कर्षों पर पहुँचते हैं जहाँ तक हिन्दी भाषा अथवा मान्य भाषा क्षेत्रों में वहाँ की भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के माध्यम की उपयोगिता का प्रश्न है, यह तो निर्विवाद है कि यह माध्यम भारतीय जनता के विकास और राष्ट्रीय प्रगति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। शिक्षित समाज में उत्पन्न वर्ग भेद को इसी माध्यम से दूर किया जा सकता है और यह माध्यम जब तक उच्च शिक्षा स्तर पर व्यापक रूप से नहीं अपनाया जाता तब तक केवल माध्यमिक शिक्षा स्तर रहने से कोई खास लाभ नहीं हो पाता।

दोहरे माध्यम की मौजूदा प्रणाली में हिन्दी माध्यम की उतनी सामग्री उच्च शिक्षा के स्तर पर उपलब्ध नहीं है, जितनी कि अपेक्षित है। लेकिन इस कार्य को पर्याप्त उत्साह तथा चुनौती पूर्ण ढंग से लिया भी नहीं गया है। यदि हम अतीत पर थोड़ी सी निगाह डाले तो पाएँगे कि शुरु-शुरु में जब आधुनिक ढंग की शिक्षा पद्धति लागू हुई और बड़ी संख्या में विद्‌यालय तथा कुछ विश्वविद्‌यालय खोले जाने लगे तब बुद्धिजीवी वर्ग में एक नया उत्साह और उमंग दिखाई दी। 1860 के दशक से आजादी मिलने तक के काल में बड़ी भारी संख्या में लेखकगण हिन्दी में विभिन्न विषयों की पुस्तकों के लेखन और अनुवाद में लगे दिखाई देते हैं। इनमें काशी प्रसाद जायसवाल,श्री भंडारकर,वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास, सस्कृति,अर्थशास्त्र आदि विषयों पर तथा फूलदेव सहाय, गोरख प्रसाद, महेश चरण सिन्हा, डा. सत्य प्रकाश आदि विज्ञान के क्षेत्र में लेखन में अग्रणी थे। इस काल में पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद हुए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हैकल की पुस्तक "रिडिल आफ़ दि यूनिवर्स" का "विश्व प्रपंच" नाम से अनुवाद किया।

लेखन की इस प्रक्रिया की जीवंतता इस बात में थी कि इस दौरान " विज्ञान" तथा " आयुर्वेद" महासम्मेलन पत्रिका (जैसी विशिष्ट विषयगत पत्रिकाएँ तो निकली ही इसके अलावा हिन्दी की सभी प्रमुख पत्रिकाएँ जिनमें) "सरस्वती","विशाल भारत", "प्रभा" आदि लंबे समय तक शीर्षस्थ रही-विभिन्न विषयों पर शोधपरक और विश्लेषणात्मक लेख छापा करती थीं। बुद्धिजीवी विद्वान वर्ग न केवल साहित्यिक विषयों पर बल्कि साहित्यिक महत्वपूर्ण विषयों पर हिन्दी में लेखन अपना दायित्व समझता था।

आज़ादी के बाद शिक्षा माध्यम की नीति में कोई खास बदलाव न होने के कारण थोड़े समय के लिए यह उत्साह मंद पड़ा। लेकिन 1965 से 1975 तक एक बार फिर से इसका सिलसिला शुरु हुआ। विभिन्न शिक्षा संस्थानों में सामग्री निर्माण की तेज लहर दौड़ी। पर उसके बाद फिर धीमी पड़ गई। आज सरकारी स्तर पर हिन्दी में मौलिक लेखन के प्रसार को काफी बढ़ावा दिया जाता है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से विविध विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कारों की योजना है। लेकिन लेखन कार्य में उत्साह का अपेक्षित विस्तार नहीं है। विश्वविद्‌यालयों का शिक्षक वर्ग, उच्चतम विद्वत जन और विशेषज्ञ अपनी पूरी लगन के साथ इस कार्य में नहीं लगे हैं। जब तक वे इस कार्य में अपने आपको समर्पित नहीं कर देते तब तक हिन्दी माध्यम की पाठ्य सामग्री निर्माण की प्रक्रिया को पूरा बल नहीं मिल सकता। परंतु प्रश्न यह है कि इन लोगों में उत्साह की कमी क्यों है ? क्या ये लोग हिन्दी माध्यम के महत्व को नहीं समझते या इनमें राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है ? उत्तर यह होगा कि निश्चय ही यह वर्ग अपने दायित्व और माध्यम के महत्व को भली-भाँति जानता है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था के भीतर यह माध्यम को सही अर्थों में कार्यान्वित नहीं देख रहा है। अतः उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो रहा है। मौजूदा नौकरशाही तंत्र (Bureaucracy) में भारतीय भाषाओं का माध्यम अपना वह स्थान नहीं पा सका है,जो वास्तव में अपेक्षित है। उच्चतर रोजगार के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व होने के कारण संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उसके प्रति ललक है। उच्च शिक्षा शोध और अनुसंधान में भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए उन्हें समाज की अर्थव्यवस्था से यानी रोजगार से जोड़ना ज़रूरी है। यदि ऐसा होता है तो छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग और विद्वत-जन स्वतः ही इस माध्यम को अंगीकार करेंगे और अपनी पूरी शक्ति से इसमें सक्रिय होंगे। जब पाठ्य सामग्री अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया के दौरान ही होगा तो निश्चय ही उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। आधुनिकयुगीन नवजागरण काल में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में जिस तेज़ी से हिन्दी तथा अन्य भाषाओं को प्राचीन-नवीन ज्ञान-विज्ञान से जोड़ने के प्रयास हुए वे पुनः संभव है बशर्ते कि इस क्षेत्र में सक्रिय वर्ग को उसकी सामाजिक,आर्थिक प्रासंगिकता महसूस हो।

बोध प्रश्न 5

क) हिन्दी माध्यम से परीक्षा की वर्तमान स्थिति पर पाँच पंक्तियाँ लिखिए।

....

....

....

....

....

21.11 सारांश

इस इकाई में अपने शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम के विपक्ष में पढ़ा। अब आप शिक्षा माध्येम के महत्व और उसकी राष्ट्रीय-सामाजिक जीवन में प्रासंगिकता के बारे में जान गए हैं। आपको मालूम हो गया है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा माध्यम के रूप में अपनाने की क्या उपयोगिता है। इस दृष्टि से आपके ऐतिहासिक संदर्भों और वर्तमान सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्य के विषयों में जानकारी प्राप्त की है। आपको पता चला गया है कि शिक्षा माध्यम की नीति किस प्रकार निर्धारित होती है तथा उसे किस ढ्रग से कार्यन्यवित किया जाता है। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में स्कूल स्तर पर विश्वविद्लाय स्तर पर हिन्दी माध्यम की स्थिति के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। इस क्षेत्र में पाठ्यसामग्री निर्माण करने वाली संस्थाओं तथा उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं के विषय में आपको पता चल गया है। परीक्षा के स्तर पर हिन्दी माध्यम के विषय में भी आपने इस इकाई में पढ़ा है। आपको पता चल गया है कि न केवल हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ ही हिन्दी में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करती है, वरन् ऐसी संस्थाएँ/विश्वविद्लाय भी है, जो पढ़ाते अंग्रेजी में है, किन्तु परीक्षा तथा शोध के स्तर पर छात्र को हिन्दी माध्यम में अभिव्यक्ति की छूट देते है। अब आप हिन्दी माध्यम की सीमाओं के/और संभावनाओं के विषय में बता सकते है।

21.12 शब्दावली

अधोमुखी संतरण सिद्धांत ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति का सिद्धांत, जिसके अनुसार समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करने की जरूरत नहीं समझी गई। बल्कि यह माना गया कि उच्च और मध्य वर्ग के कुछ लोगों की शिक्षा प्रदान कर दी जाए। कालांतर में निम्न व्रग्र तक शिक्षा स्वयं पहुँच जाएगी।

मैग्ना कार्टा: ऐसा विधिक दस्तावेज, जिसमें प्रस्तुत सिद्धांतों द्वारा शासक वर्ग शासित वर्गो को अधिकार प्रदान करे या अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया निश्चित करे।

द्वैध: दोहरी
अंगीकार करते: अपनाते
बहस मुबाहसा: तर्क–वितर्क
परिसीमित करना: एक सीमा के भीतर निश्चित करना

21.13 उपयोगी पुस्तकें

मोहन लाल तिवारी, माध्यम भाषा सिद्धांत और समीक्षा,नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी.

21.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

क) भाषा के अध्ययन के रूप में
शिक्षा के माध्यम के रूप में

ख) i भाषा तथा साहित्य ii भाषा तथा साहित्य iii भाषा तथा साहित्य iv हिन्दी माध्यम v भाषा तथा साहित्य vi हिन्दी माध्यम हिन्दी माध्यम

ग) यह राष्ट्र का निर्माण करने वाले नागरिकों से जुड़ा होता है। भाग 21.3

घ) उससे ज्ञान-विज्ञान की सामग्री तैयार होती है। भाग 21.2 और 21.3

बोध प्रश्न 2

क) 1. ईसाई मिशनरी
2. ब्रिटिश सरकार
3. प्रगतिशील भारतीय जन
ख) मैकाले तथा विलियम बेंटिक
ग) छात्र जिस माध्यम से शिक्षा पाएँगे उसे रोजगार में अपनाने में उन्हें सुविधा होगी। भाग 21.4.3
घ) भाषा और संस्कृति का सम्बन्ध उनमें राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना पैदा करेगा। भाग 21.4.5

बोध प्रश्न 3

क) (iii) ख) (iv) ग) (iii) घ) (iv)

बोध प्रश्न 4

क) मूल लेखन और अनुवाद

ख) पारंपरिक शिक्षा पद्धति और दूर शिक्षा पद्धति

ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

घ) किन्हीं तीन संस्थाओं का उल्लेख हो सकता है भाग 21.8.2

ङ) शब्दावली की एकरूपता-अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय।, भाग 21.9.1

च) बोधगम्यता की दृष्टि से। भाग 21.9.2

बोध प्रश्न 5

क) जहाँ शिक्षण हिन्दी में है वहाँ तो परीक्षा हिन्दी में होती है साथ ही काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिन्दी मे शिक्षण की व्यवस्था नहीं लेकिन परीक्षा देने की व्यवस्था है। कई सेवा परीक्षाएँ भी हिन्दी में होती हैं।

इकाई 22 शैक्षिक सामग्री

इकाई की रूपरेखा

22.0 उद्देश्य
22.1 प्रस्तावना
22.2 भाषा शिक्षण सामग्री
22.3 भाषा शिक्षण सामग्री के प्रकार
22.4 उचित विधि का चयन
22.5 भाषा शिक्षण में दृश्य-श्रव्य साधन
22.6 भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम
22.7 सामग्री निर्माण के अभिकरण
22.8 अनौपचारिक शिक्षा
22.9 प्रौढ़ शिक्षा
22.10 प्रशिक्षण व्यवस्था
22.11 सारांश
22.12 शब्दावली
22.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें
22.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

22.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उपादान याने शिक्षण सामग्री की चर्चा करेंगे।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

- अन्य विषयों की सामग्री की तुलना में भाषा शिक्षण की सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे,
- मातृभाषा शिक्षण और अन्य भाषा शिक्षण की सामग्रियों का विवरण दे सकेंगे,
- भाषा शिक्षण की विविध पुस्तकों और दृश्य-श्रव्य सामग्री की उपयोगिता समझ सकेंगे,
- स्कूल-कालेज से इतर भाषा शिक्षण कार्यक्रमों की सामग्री का विवरण दे सकेंगे, और
- भाषा शिक्षण सामग्री के उचित प्रयोग के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता समझा सकेंगे।

22.1 प्रस्तावना

प्रायः यह सवाल किया जाता है कि भाषा पाठ्यक्रमों के लिए सबसे उपयुक्त पाठ्यचर्या (करिकुलम) या पाठ्यविवरण (सिलेबस) क्या हो।

जहाँ तक गणित या भौतिकविज्ञान के पाठ्यक्रमों का सवाल है, उनकी पाठ्य सामग्री का विवरण अधिक स्पष्ट है, जैसे भौतिकी में बल, बिजली,चुम्बकीय शक्ति आदि का पाठ्यक्रम में शामिल होना विषय के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

लेकिन जहाँ तक भाषा का सवाल है इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है और न ही यह बताया जा सकता है कि पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है।

इसी स्थिति के कारण भाषा के अध्यापन के लिए भाषा में प्रस्तुत किसी भी सामग्री की पाठ्यपुस्तकें बनाई जा सकती हैं।

एक ज़माने में लोग भाषा का अध्ययन महाकाव्य के अंश से शुरू करते थे।

आधुनिक युग में भी ज्यादातर कहानी, कविता और निबंध आदि के संग्रह पाठ्यपुस्तकों का काम करते हैं। हम यह

जानना चाहेंगे कि क्या भाषा आदि के लिए इसके अतिरिक्त और अधिक वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई कोई सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। भाषा शिक्षण का तात्पर्य भाषा के चारों कौशलों यथा लिखना,पढ़ना, बोलना, और समझना आदि में दक्षता प्राप्त करना है।

मुद्रित पाठ्यपुस्तकें छात्र को केवल भाषा के लिखित रूप से परिचय कराती हैं। भाषा के उच्चरित पक्ष पर अधिकार करने के लिए आधुनिक युग में रेडियो, टेप रिकार्डर आदि साधन उपलब्ध हैं। किसी अच्छे पाठ्यक्रम में इन सब साधनों का भी उपयोग किया जाना चाहिए जिससे छात्र चारों कौशलों पर समान अधिकार प्राप्त कर सकें। भाषा शिक्षण में भाषा के चारों कौशलों पर अधिकार करने पर बल दिया जाता है। मुद्रित पाठ्यपुस्तकें छात्र को भाषा पढ़कर समझने की शक्ति प्रदान करती हैं लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति आदि में कौशलों के अर्जन के लिए आवश्यक है कि हम पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य सहायक/पूरक पाठ्य सामग्रियों का भी उपयोग करें।

इस इकाई में हम उपर्युक्त संदर्भ में देश में हिंदी भाषा शिक्षण की स्थिति और उसके लिए उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करेंगे।

भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकें एक आयाम हैं, इसके साथ जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण आयाम हैं पुस्तकों को पढ़ाने के संदर्भ में अध्यापकों का प्रशिक्षण और सामग्री को तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि का चयन। इस इकाई में हम इन अन्य आयामों के संदर्भ में भारत में हिंदी शिक्षण की स्थिति की चर्चा करेंगे।

22.2 भाषा शिक्षण सामग्री

हमने प्रस्तावना में उल्लेख किया है कि भाषा शिक्षण का क्षेत्र ऐसा है जिसमें पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण के बारे में सुनिश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। भाषा पाठ्यक्रमों में भाषा ही पढ़ाई जाती है, लेकिन वह भाषा किस ढंग से सामने आये इस पर विचार किया जा सकता है। किसी भी विषय पर भाषा में लिखी सामग्री को पाठ्यपुस्तक माना जा सकता है। अच्छे अध्यापक इसकी सहायता से छात्रों को भाषा का ज्ञान दे भी सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सामग्री अधिक वैज्ञानिक हो जिसमें स्तरीकृत ढंग से पाठ्य बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण हो जिससे छात्र आसानी से भाषा का अर्जन कर सकें।

भाषा में लिखी गई किसी भी सामग्री के दो पहलू हो सकते हैं, जो छात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भाषा के माध्यम से कुछ जीवनोपयोगी प्रसंग प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो छात्र के लिए उन प्रसंगों में कौशलों का अर्जन करने के लिए उपयोगी होंगे। इन्हीं प्रसंगों के माध्यम से जीवन मूल्यों की भी जानकारी दी जाती है। दूसरी तरफ़ भाषा के पाठांशों में लिपि,वर्तनी, शब्दार्थ, शब्द रचना, वाक्य संरचना आदि भाषिक इकाइयों का समावेश किया जा सकता है, जो भाषा को अर्जित करने के लिए छात्र के लिए उपयोगी हैं। इस संदर्भ में मातृभाषा और अन्य भाषा शिक्षण में भी अंतर कर सकते हैं। मातृभाषा का छात्र भाषा से परिचित होता है लेकिन शिक्षा के दौरान उसे भाषा के विस्तृत व्यवहार का अभ्यास कराया जाता है। अन्य भाषा-भाषी छात्र को भाषा की इकाइयों का भी क्रमिक परिचय दिया जाना चाहिए जिससे वह सीखी हुई संरचनाओं को आत्मसात कर भाषा के माध्यम से भाषिक कौशलों का अर्जन कर सके। चूँकि दोनों तरह के छात्रों में उद्देश्य में अंतर है और प्रारंभ करने की स्थिति में अंतर है, उन दोनों के लक्ष्य विभिन्न प्रकार के होंगे। इस कारण उनकी पाठ्य सामग्री भी भिन्न होगी। इसी तरह भाषा सीखने के प्रयोजनों में भी अंतर होता है। जो व्यक्ति तीसरी भाषा के रूप में कोई भाषा सीखे तो उसका उद्देश्य अधिक प्रयोजनपरक होगा। भाषा के माध्यम से सामान्य बातचीत, अपने विषय के संबंध में भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्षमता आदि तृतीय भाषा के प्रयोजन हैं जबकि प्रथम भाषा जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के साधिकार प्रयोग पर बल देती है।

इन दोनों शब्दों या संकल्पनाओं को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं:

भाषा शिक्षण का लक्ष्य - व्यक्ति कितने समय में कितनी भाषा सीखे।

भाषा सीखने के उद्देश्य या प्रयोजन - व्यक्ति किन कार्यों के लिए भाषा सीखे और उनके लिए किस प्रकार की भाषा सीखे।

लक्ष्य और उद्देश्य के संदर्भ में भाषा शिक्षण की सामग्री भिन्न-भिन्न प्रकार की होगी। हम इस इकाई में यह देखना चाहेंगे कि भारत की हिंदी शिक्षण की योजना के संदर्भ में लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक भाषा पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार बनाया जाता है।

22.3 भाषा शिक्षण सामग्री के प्रकार

शिक्षण पद्धति में शैक्षिक सामग्री का विशिष्ट स्थान है। शिक्षण सामग्री के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक, पूरक पठन सामग्री, सहायक पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएँ आदि का समावेश होता है।

पाठ्यपुस्तक के द्वारा अध्यापक विभिन्न विषयों को समझाने में समर्थ हो पाता है। कक्षा में एक साथ अनेक छात्रों को पढ़ाना पाठ्यपुस्तक के द्वारा ही संभव होता है। यदि कोई छात्र किसी बात को पूरी तरह न समझ पाए, तो पाठ्यपुस्तक का सहारा लेकर वह आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

भाषा की शिक्षा में तो पाठ्यपुस्तकों का महत्व और भी अधिक है। भाषा के तत्वों * तथा विषय वस्तु का ज्ञान कराने और पठन का विकास करने का तथा अर्थ ग्रहण का विकास पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ही हो सकता है।

पाठ्यपुस्तक सामान्य पुस्तक से पूरी तरह भिन्न होती है। पाठ्यपुस्तक मूल रूप से भाषा की शिक्षा देने के लिए तैयार की जाती है, अर्थात् शिक्षण के लिए बनायी गयी सामग्री है, जबकि सामान्य पुस्तक पूरक पठन सामग्री है। इसीलिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण बहुत सोच-समझकर किया जाता है। भाषा की पाठ्यपुस्तक अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों से अधिक विस्तृत होती है। इसमें एक ओर जहाँ वैचारिक सामग्री होती है, वहाँ भाषायी इकाइयों का भी समावेश रहता है।

पाठ्यपुस्तक में अभ्यास कार्य हेतु प्रश्न दिये जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है सिखाए गए शिक्षण बिंदुओं का पुनरवलोकन करना तथा उन्हें सुदृढ़ करना। इस प्रकार अभ्यास कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं :

1. वैचारिक पक्ष से संबंधित
2. भाषाई पक्ष से संबंधित

प्रथम के अंतर्गत बोध, विचार तथा सराहना के प्रश्न होते हैं। दूसरे के अंतर्गत भाषिक बिंदुओं से संबंधित प्रश्न रखे जाते हैं जो इन इकाइयों के उपयोग से अभिव्यक्ति के कौशल पर अधिकार करा सकें।

छोटी कक्षाओं के लिए विशेष रूप से गहन अभ्यास कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण किया जाता है। इन अभ्यास पुस्तिकाओं में लेखन द्वारा अभ्यास की बारंबारता* पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

पूरक पठन सामग्री या पुस्तक विस्तृत पठन अथवा द्रुत पठन के लिए होती है। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से जिन योग्यताओं, कौशलों आदि का विकास किया जाता है उन्हें प्रयोग द्वारा पुष्ट करने का कार्य पूरक पठन सामग्री करती है। इनके पढ़ने से विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास होता है। अतः पूरक पठन पुस्तक का सरल तथा रुचिकर होना ज़रूरी है। इसमें मनोरंजक सामग्री का होना भी बहुत जरूरी है ताकि छात्रों को पढ़ने की आदत पड़े।

चाहे पाठ्यपुस्तक हो या पठनपुस्तक, सभी में आकर्षक तथा विषयवस्तु को स्पष्ट करने वाले चित्रों का होना आवश्यक है। चित्रों की संख्या की दृष्टि से कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। छोटी कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में चित्र पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ऊँची कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में चित्र छोटे और सूचनापरक होने चाहिए। सहायक या पूरक पठनपुस्तक में चित्रों का उद्देश्य पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करना है। ऊँची कक्षाओं में चित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

मातृभाषा की शैक्षिक सामग्री और विशेष रूप से पाठ्यपुस्तक और अन्य भाषा की शैक्षिक सामग्री में पर्याप्त अन्तर होता है। मातृभाषा की पाठ्य सामग्री अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। यह सामग्री वैचारिक तथा भाषायी पक्ष से संबंधित होती है। वैचारिक पक्ष के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, पौराणिक तथा वैज्ञानिक आदि विषय आते हैं। इनकी अभिव्यक्ति के लिए भाषायी पक्ष आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत सामान्य भाषा एवं साहित्य के विभिन्न रूपों तथा विधाओं का समावेश होता है। विधाओ में मौखिक और लिखित का समावेश होता है।

भाषा के मौखिक पक्ष के अंतर्गत वार्तालाप, भाषण, कविता पाठ आदि विधाओं का समावेश होता है। लिखित पक्ष के अंतर्गत पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि विधाएँ आती हैं। इसमें पद्य खंड भी होता है जिसमें प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक, गीत आदि की गणना की जाती है। भाषाओं के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक में इन सबका परिचय दिया जाता है।

बालकों की अवस्था को ध्यान में रखकर प्राथमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के स्वरूप में अन्तर होता है।

प्राथमिक स्तर पर प्रवेशिका तथा उच्च कक्षाओं की अन्य पाठ्यपुस्तकों में भिन्नता स्वाभाविक है। प्रवेशिका में पठनारंभ योग्यता का विकास तथा पठन और लेखन की शिक्षा दी जाती है।

उच्च प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक रचनाओं का समावेश किया जाता है। साथ ही कुछ रचनाएँ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखी या लिखवाई जाती हैं।

उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक रचनाओं का समावेश किया जाता है। साथ ही कुछ रचनाएं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखी या लिखवाई जाती हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में साहित्यिक रचनाओं की अधिकता होती है। साहित्य की विभिन्न विधाओं से परिचित कराना तथा सांस्कृतिक मूल्यों एवं साहित्यिक समालोचना का विकास करना भी इस स्तर की पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य होता है। इस स्तर पर अनेक सहायक/पूरक पुस्तकों का उपयोग भी बालकों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है।

पाठ्य पुस्तक के वैचारिक पक्ष तथा भाषायी पक्ष का उल्लेख पहले किया गया है। इसका एक अन्य पक्ष प्रस्तुतीकरण है। प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक के दो पक्ष हैं--शैक्षिक और रूपात्मक। शैक्षिक पक्ष का संबंध पाठ्यपुस्तक के आंतरिक गुणों से है और रूपात्मक पक्ष का आशय पुस्तक के शरीर अथवा बाहरी गुणों से है। इनका निर्धारण पाठ्यक्रम, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधि तथा प्रयोगकर्ता (शिक्षार्थी) की अवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है।

हम अगले प्रकरण में पाठ्यपुस्तक के निर्माण के संबंध में उचित विधि के चयन के बारे में चर्चा करेंगे।

22.4 उचित विधि का चयन

शब्दों को पढ़ना सिखाने के लिए उसे आधार शब्द के रूप में लेना एक उपयोगी विधि है। आधार शब्द में ऐसे संकेतों का होना आवश्यक है जिनकी बारंबारता अधिक हो तथा जिनके मेल से शब्द आसानी से बनें। इसे लिपि संकेत की व्युत्पादक क्षमता कहा जाता है। 'क' 'म' 'ब' 'स' 'प' आदि लिपि संकेत अधिक प्रयुक्त लिपि संकेत हैं। इन लिपि संकेतों को सीखना ही पढ़ना सीखने की पहली सीढ़ी हो सकती है। यह क्रम इस प्रकार होना चाहिए :

समस्या पर चर्चा या बातचीत	→	उभरने वाले शब्द	→	आधार शब्द	→	लिपि

आधार शब्द से मिलने वाले हर लिपि संकेत को अलग-अलग पहचानना जरूरी है। पहचान के लिए पहले वह लिपि संकेत बोर्ड पर लिखें, फिर उनका उच्चारण करें और अपने शिक्षार्थियों से करवाएँ। लिपि संकेत की पहचान के लिए फ्लेश कार्ड की सहायता भी ली जा सकती है। लिपि संकेत को पहले अकेले फिर मात्रा सहित पहचानना सिखाया जाता है। किन्तु यह भी धीरे-धीरे ही होगा। उदाहरण के लिए काम में तीन आवाजें हैं- क आ म। 'क' और 'म' की पहचान करवाने के बाद 'क' में (आ की) मात्रा के साथ इसका उच्चारण करें। 'क' और 'का' के उच्चारण में अंतर के बारे में शिक्षार्थी से पूछें। कोई न कोई यह बता सकेगा कि 'का' की लंबी आवाज का कारण उसमें 'ा' लगा होता है। इसी तरह 'मा' का अभ्यास कराएँ। 'क' 'का' तथा 'म' 'मा' की पहचान पक्की करने के लिए कागज के टुकड़ों को ही फ्लैश कार्ड की तरह काम में लाया जा सकता है। हर शिक्षार्थी को एक-एक फ्लैश कार्ड दिया जा सके, तो इसमें और सहायता मिल सकती है। उस हालत में अध्यापक अपनी जगह खड़े होकर पूछ सकता है-

'क/का' बारी-बारी से दिखाएँ या 'म/मा' कहने पर दिखाएँ। लिपि संकेतों की पहचान पक्की होने पर दूसरी सीढ़ी की ओर बढ़ें, जैसे-

लिपि संकेत ---> शब्द ---> वाक्यांश ---> वाक्य

वास्तव में पहली प्रक्रिया को फिर उलटा जा रहा है। विश्लेषण पद्धति में हमने आधार शब्द को लिपि संकेतों में तोड़ा था। अब उन्हें संश्लेषण पद्धति अपना कर जोड़ना शुरू करते हैं। लिपि संकेतों के मेल से शब्द निर्माण, फिर वाक्यांश और फिर वाक्य तक पहुँचते हैं।

उदाहरण के लिए 'काम' को लें, इनसे निर्मित होने वाले शब्द निम्नलिखित हो सकते हैं-
का कम काम कमा काका माम मामा का काम आदि

'कामा, मका' आदि शब्द भी इसकी सहायता से लिख सकते हैं, किन्तु ये गृहीत शब्द नहीं हैं।

वाक्यांश स्तर पर चेतना निर्माण करने की दृष्टि से उपयोगी शब्दों का लेना ठीक रहेगा। यथा-

काम

काका का काम
मामा का काम

'काम' को आधार शब्द बनाकर प्राप्त लिपि संकेत को सीखने के बाद दूसरे पाठ का विषय क्षेत्र रोजगार व्यवसाय से संबंधित ग्रामीण टेक्नालाजी को लिया जा सकता है। किसान जिन चीजों का उपयोग करता है उनमें हल सर्वप्रमुख है। चर्चा को हल के आसपास केन्द्रित किया जा सकता है। फिर 'हल' को आधार शब्द के रूप में लेकर पढ़ना सिखाया जा सकता है।

'ह' और 'ल' की पहचान करवाने के बाद पहले पढ़े गये 'काम' के लिपि संकेतों को 'हल' में जोड़कर अनेक निर्मित शब्द पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। यथा--

ह ल
ह क ह म
महक महल कमल कमाल कमला
कल काल कला काला कलम कमला कालका
लाल लाला ललक मलहम कलकल मलमल लकलम
मालामाल
मामा का हल
लाला मामा का हल ला।

उक्त उदाहरण में देखा जा सकता है कि बहुप्रयुक्त लिपि संकेतों के मेल से शब्द का निर्माण किस तेजी से होता है। अतः निर्मित शब्दों की तुलना विशेष रूप से दूसरे पाठ में अत्यधिक है। यहाँ दी शब्दों की सूची को और भी बढ़ाया जा सकता है। कमला, कालम आदि शब्द भी प्रस्तुत पाठ में सिखाए गए लिपि संकेतों की सहायता से लिखे जा सकते हैं। किन्तु विषय क्षेत्र से संबंधित शब्द ही पढ़ने के लिए दिए जाएँ तो उपयोगी होगा, क्योंकि पढ़ने की कुशलता के द्वारा भी चेतना के निर्माण का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। शब्दों को केन्द्र बनाकर भी पुनः चेतना निर्माग का प्रयत्न किया जा सकता है। अंत में दिए गए वाक्यांश में भी संदेश देने का प्रयत्न किया जाता है। अन्यथा पाठ 2 के अंत में बहुत लंबा-सा वाक्य भी दिया जा सकता था। जैसे "माला का लाल महल" या "लाला, कल कम माल ला।"

उपर्युक्त चर्चा से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अधिक इकाइयों का क्रमिक प्रस्तुतीकरण और विकास, और एक कौशल से दूसरे का अभ्यास सीखने के काम को आसान बनाता है। यह मात्र एक नमूना था। भाषा के सभी कौशलों का विकास इसी प्रकार किया जा सके, तो छात्रों को लाभ मिलेगा। ऐसी विधि पर पुस्तकें निर्मित करने के बारे में हमें सचेत होना चाहिए।अगले प्रकरण में हम भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त विविध साधनों की चर्चा करेंगे।

22.5 भाषा शिक्षण में दृश्य-श्रव्य साधन

पाठ्य सामग्री को सुबोध तथा रोचक बनाने की दृष्टि से दृश्य-श्रव्य सामग्री का महत्व अत्यधिक है। दृश्य साधनों के अंतर्गत चित्र, श्यामपट, चार्ट आदि का प्रयोग पहले से होता आ रहा है। आज भी इनकी उपयोगिता वैसी ही बनी हुई है। ये ऐसे साधन हैं जो आम शिक्षकों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका प्राप्त होना भी आसान है। अतः जो भी साधन विद्यालयों में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए। श्यामपट पर जहाँ आवश्यक हो न केवल सुंदर सुडौल लेखन ही किया जाना चाहिए बल्कि रेखाचित्र बनाकर शब्दों की संकल्पना (कंसेप्ट) को स्पष्ट किया जा सकता है।

दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग सिर्फ रोचकता के लिए नहीं किया जाता है। आपने पढ़ा था कि भाषा उच्चरित है, बोलना और सुनना इसके दो प्रमुख कौशल हैं। इन कौशलों पर अधिकार कराने के लिए रेडियो, टेप रिकार्डर आदि श्रव्य साधन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है, इसका एक पहलू है भाषा के प्रयोग के संदर्भ। अर्थात् जीवन के विविध संदर्भों में भाषा के व्यवहार को समझना भाषा ग्रहण के लिए अनिवार्य है। टेलीविजन, सिनेमा, आदि साधन भाषा के व्यवहार के संदर्भ को स्पष्ट कर सकते हैं।

श्रव्य साधन

श्रव्य साधनों की उपयोगिता विशेष रूप से अन्य भाषा शिक्षण में अत्यधिक है। अन्य भाषा की मानक ध्वनियों को सीखने में श्रव्य साधनों का उपयोग तेजी से किया जा रहा है।

श्रव्य साधनों में रेडियो, ग्रामोफोन, लिंग्वाफ़ोन, टेप रिकार्डर आदि शामिल हैं। रेडियो से भाषा के पाठ प्रसारित किए जाते हैं। इनकी मदद से संबंधित भाषा सीखी जा सकती है। ध्वनि शिक्षण के लिए रेडियो का उपयोग सर्वविदित है। ग्रामोफ़ोन से भी भाषा शिक्षण में सहायता मिलती रही है। लिंग्वाफोन भाषा प्रयोग शालाओं में उपलब्ध होते हैं। इनकी मदद से तेज़ी से भाषा सीखी जा सकती है तथा उसके बोलने का अभ्यास भी किया जा सकता है।

इधर टेपरिकार्डर का प्रयोग भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रेडियो की यह सीमा है कि यदि कोई बात हम दुबारा सुनना चाहें तो यह तत्काल संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। इसी प्रकार लिंग्वाफ़ोन आदि के लिए भाषा प्रयोगशाला का होना जरूरी है। इन कठिनाइयों की दृष्टि से टेपरिकार्डर सबसे सुलभ वस्तु है। टेपरिकार्डर को जहाँ चाहें काम में ला सकते हैं। यह बिजली से भी चलता है और बैटरी से भी। इसका नियंत्रण भी हमारे अपने हाथ में है। भाषा सीखते हुए कोई बात हम दुबारा सुनना चाहें या किसी अभ्यास को बार-बार दोहराना चाहें तो कैसेट को पीछे ले जाकर सुनना संभव है। इतना ही नहीं, जब भी सीखने वाले को समय हो वह इसकी सहायता से भाषा सीख सकता है।

टेपरिकार्डर की चर्चा में यह बताना जरूरी है कि टेपांकित सामग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में द्वितीय/तृतीय भाषा सीखने के लिए ऐसी टेपांकित सामग्री अधिक मात्रा में तथा विविध रूपों में उपलब्ध नहीं है। गीतों, कविताओं आदि के कैसेट तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएँगे किंतु भाषा सीखने के लिए ऐसे कैसेट कम हैं जिनमें उच्चारण, साँचा अभ्यास आदि का स्तरीकृत* शिक्षण दिया जाता है। इधर द्वितीय भाषा हिंदी के शिक्षण के लिए एन.सी.ई.आर.टी. ने ऑडियो कैसेट का निर्माण किया है। हर कैसेट का पूर्वार्द्ध पाठ्यपुस्तक से संबंधित है, जबकि उत्तरार्द्ध मुक्त अभ्यास के लिए है। हिंदी सीखने वाला कोई भी शिक्षार्थी सुविधानुसार इनका उपयोग कर सकता है।

दूरदर्शन या टी.वी. से भी भाषा शिक्षण संभव है। इसमें देखना और सुनना एक साथ होता है। इधर कम्प्यूटर के उपयोग पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। पूना स्थित ओशो कम्यून इंटरनेशनल ने हाल ही में संपूर्ण हिंदी शब्द कोश को एक फ़्लॉपी में तैयार किया है। यह फ़्लॉपी "एपल" कम्प्यूटर पर काम करेगी।

अन्य भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री की उपयोगिता बहुत अधिक है। अच्छे किस्म की सहायक सामग्री का निर्माण तेजी से किया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न 1

1. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i) मातृभाषा, अन्य भाषा सबके लिए एक जैसी पाठ्य सामग्री पर्याप्त है।

हाँ/नहीं

ii) भाषा शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को भाषा के चारों कौशलों में प्रशिक्षित करना है।

हाँ/नहीं

iii) जीवन के उचित प्रसंग और जीवन मूल्यों का समावेश भाषा की पाठ्यपुस्तक की वस्तु या कथ्य है।

हाँ/नहीं

iv) छोटी कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में चित्र पर्याप्त होने चाहिए।

हाँ/नहीं

v) दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग रोचकता के लिए किया जाता है।

हाँ/नहीं

2. निम्नलिखित कथनों को उचित शब्द लेकर पूरा कीजिए।

i) उचित ______________ के चयन से भाषा शिक्षण की सामग्री अधिक कारगर होती है। (विधि/सामग्री)

ii) भाषा के चार प्रमुख कौशल हैं :

1. ______________ 2. ______________ 3. ______________ 4. ______________

iii) पाठ्य पुस्तक में शिक्षण बिन्दुओं का समावेश है और ______________ पुस्तक में उनका विस्तार होता है। (अभ्यास/पूरक पठन)

iv) उचित विधि में हम लिपि से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से ______________ में जा सकते हैं। (वाचन/बातचीत)

v) अन्य भाषा शिक्षण में ____________________ का प्रस्तुतीकरण महत्वपूर्ण है। (पाठों/भाषिक इकाइयों)

22.6 भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम

विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों तथा सहायक सामग्री पर विचार करते हुए हमने देखा है कि ये पुस्तकें साहित्योन्मुख हैं अर्थात् इनमें साहित्य और समालोचनात्मक पाठों का बाहुल्य* है।

विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों में जहाँ शिक्षण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, यह स्थिति अधिक विचारणीय है।

विद्यालयों में भाषा के चारों कौशलों की दक्षता पर समान बल दिया जाना चाहिए। साहित्योन्मुख पाठों के कारण इन कौशलों की उपेक्षा होने लगती है। रसात्मक या सराहना के पाठों का बाहुल्य होने से प्रयोजनमूलक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। अतः विद्यालयी शैक्षिक सामग्री में भाषायी दक्षता अर्जित करने पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए।

इस स्थिति का दूसरा पहलू यह है कि शिक्षार्थी हिंदी माध्यम से विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं। भाषा शिक्षक तो भाषा की त्रुटियों या प्रयोगों पर ध्यान देते हैं। अशुद्ध भाषा लिखने पर भाषा अध्यापक उन त्रुटियों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं। किंतु हिंदी माध्यम से अन्य विषय पढ़ाने वाले अध्यापक भाषा की त्रुटियों आदि पर ध्यान ही नहीं देते। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य विषय वस्तु की जाँच करने तक सीमित है। भाषा की त्रुटियों पर ध्यान देना उनका काम नहीं है। यह काम भाषा अध्यापक का है।

यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सीखना एक सतत्* प्रक्रिया है। सही भाषा का प्रयोग सिखाना अकेले भाषा शिक्षक का ही काम नहीं है। अन्य विषयों के अध्यापकों को इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। इसके अभाव में छात्र शुद्ध भाषा प्रयोग के प्रति उदासीन हो जाता है। अतः केवल भाषा शिक्षण में ही नहीं भाषा प्रयोग आदि पर उस समय भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए जब इसे माध्यम के रूप में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए काम में लाया जा रहा हो।

इसी प्रकार महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिंदी का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें अत्यधिक साहित्योन्मुख* हैं। छात्र साहित्यिक मुद्दों पर भले ही विचार विमर्श में सक्षम हो जाते हैं, किंतु यह विचार विमर्श जिस माध्यम से किया जाता है उसमें अपेक्षित दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते। विशेष रूप से विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम साहित्य की विधाओं आदि की बोझिल चर्चाओं से भरा हुआ देखा जा सकता है। हिंदी के सामने जो चुनौतियाँ हैं छात्र उनसे बेखबर रहते हैं।

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। "हिंदी दरिद्र है, हिंदी में उपयुक्त साहित्य उपलब्ध नहीं है" आदि फतवे देकर हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को हतोत्साह किया जाता है।

इस संबंध में स्थिति यह है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर बिना पूरी जानकारी के यह कहा जाता है कि उच्च शिक्षा हेतु हिंदी में स्तर की पाठ्यपुस्तकों का अभाव है, जबकि स्थिति इससे भिन्न है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी ग्रंथ अकादमियों और अहिंदी भाषी राज्यों में ग्रंथ निर्माण मंडलों तथा राज्य भाषा संस्थानों द्वारा हिंदी में मौलिक ग्रंथ निर्माण तथा उनके अनुवाद का कार्य व्यापक स्तर पर हो रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का उपयोग कर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में मानक ग्रंथों और विश्वविद्यालयों के लिए मौलिक एवं अनूदित पुस्तक निर्माण का कार्य किया और कराया है। इसमें केवल मानविकी के विषयों पर किया गया कार्य ही नहीं वरन् आयुर्विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग आदि से संबंधित ग्रंथ निर्माण का कार्य भी शामिल है।

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम को भाषोन्मुख बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि हिंदी की आज की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। आज विभिन्न क्षेत्रों में अनुवादकों, हिंदी भाषा में कार्य करने वालों तथा हिंदी को द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाने वाले अध्यापकों की जरूरत है। साहित्योन्मुख पाठ्यक्रम के द्वारा उक्त उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः भाषोन्मुख विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तथा हिंदी माध्यम को व्यावहारिक बनाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

हिन्दी को भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना है। इस जिम्मेदारी को निभाने की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों मे ऐसी पाठ्य सामग्री दी जानी चाहिए जिससे विभिन्न अंचलों की संस्कृति का परिचय प्राप्त करने मे सहायता मिले। वर्तमान में हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में परम्परा से चली आ रही पाठ्य सामग्री का बाहुल्य है। इसमें परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। अन्य अंचलों की समृद्ध साहित्य परंपरा का परिचय इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इससे हिन्दी सच्चे अर्थों में सार्वदेशिक भाषा के रूप में विकसित होगी और राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता मे अधिकाधिक योगदान कर सकेगी।

22.7 सामग्री निर्माण के अभिकरण

जैसे पहले कहा गया है, शैक्षिक सामग्री का निर्माण एक कठिन काम है। शैक्षिक सामग्री का निर्माण कर लेना ही काफी नहीं है, उसे विद्यार्थियों तक पहुँचाना तथा प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाते रहना भी जरूरी है। क्षेत्र की प्रतिक्रिया जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों* की प्रतिक्रियाएँ भी हो सकती है, के आधार पर इसे संशोधित करते रहना चाहिए। इस दृष्टि से केन्द्र स्तर तथा राज्य स्तर पर शैक्षिक सामग्री निर्माण के संबंध में चर्चा की जा रही है-

केन्द्र स्तर

केन्द्र स्तर पर हिन्दी शैक्षिक सामग्री के निर्माण का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा निर्मित शैक्षिक सामग्री में मातृ भाषा हिन्दी या प्रथम भाषा हिन्दी की पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं जिनका निर्माण सभी विद्यालयी स्तरों के लिए किया जाता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालय इन्हें प्रयोग में लाते हैं। कुछ समय पहले तक कक्षा नवीं तथा दसवीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता था। अब इनका निर्माण भी एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया जाता है।

मातृभाषा हिन्दी के अलावा द्वितीय भाषा हिन्दी तथा तृतीय भाषा हिन्दी के अध्ययन के लिए पुस्तक निर्माण का कार्य भी एन.सी.ई.आर.टी. में शुरु किया गया है। इसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों,पूरक पठनपुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं आदि का निर्माण शामिल है। इस शैक्षिक सामग्री का उपयोग प्रथमतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में किया जाना निर्धारित है किन्तु हिन्दी को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें भी चाहें तो इनका उपयोग कर सकेंगी। इस क्रम में यह उल्लेख भी जरूरी है कि एन.सी.ई.आर.टी. ने कुछ विशेष क्षेत्रों या विशेष विद्यालयों के लिए भी हिन्दी में शैक्षिक सामग्री का निर्माण किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश के लिए तैयार की गई हिन्दी शैक्षिक सामग्री भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में पहली कक्षा से द्वितीय भाषा हिन्दी का अध्यापन किया जाता है। एन.सी.ई.आर.टी. ने अरुणाचल प्रदेश में पहली से पांचवी कक्षा तक द्वितीय भाषा हिन्दी के शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण किया है।

इसी प्रकार देश में खुले नवोदय विद्यालयों में छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण हेतु एन.सी.ई.आर.टी. ने पाठ्यपुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण किया है। नवोदय विद्यालयों की विशेष बात यह है कि सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन हिन्दी माध्यम से करना है। सामान्यतया द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य उस भाषा को माध्यम के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना नहीं होता। अतः वहाँ द्वितीय भाषा हिन्दी का शिक्षण विशेष उद्देश्य से प्रेरित है।

राज्य स्तर

राज्य सरकारों द्वारा गठित पाठ्यपुस्तक निगमों द्वारा अपने-अपने राज्यों में प्रयोग के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाता है। सभी हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों यथा बिहार,उत्तर प्रदेश,हिमाचल प्रदेश,राजस्थान,मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में हिन्दी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। इन पाठ्यपुस्तकों में वहाँ की आँचलिक विशेषताओं की झलक देखने को मिलती है।

विभिन्न हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडलों द्वारा भी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाता है किन्तु पाठ्यपुस्तक निगमों के गठन के बाद अब यह कार्य इन निगमों द्वारा किया जा रहा है।

अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में भी हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कार्य हुआ है। इनमें प्रमुख रूप से जम्मू-कश्मीर, पंजाब,महाराष्ट्र,गुजरात,उड़ीसा तथा दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल का उल्लेख किया जा सकता है। इन राज्यों में पंजाब और महाराष्ट्र में हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हिन्दी को प्रथम तथा द्वितीय भाषा के रूप में अध्ययन हेतु किया जाता है।

UGHI-06/CSSHI-06/303

केरल, कर्नाटक में द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में अध्यापन हेतु पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया है। कहीं द्विभाषी विधि का साहस किया गया है, कुछ पाठ्यपुस्तकों में स्तरीकृत सामग्री देने का यत्न किया गया है। कुछ राज्यों ने एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों को ही अपनाया है। वहाँ यह देखने का यत्न किया गया है कि ये पुस्तकें लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार उचित हैं या नहीं।

स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का योगदान

केन्द्र तथा राज्य स्तर पर होने वाले पाठ्यपुस्तक निर्माण के अलावा कुछ स्वैच्छिक संस्थाएँ भी हिन्दी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में अपना योगदान देती आ रही है।

इन स्वैच्छिक संस्थाओं में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद , नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी , राष्ट्रभाषा समिति वर्धा आदि प्रमुख हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग एक स्वैच्छिक संस्था है जो हिन्दी की परीक्षाओं का आयोजन करती है। अपनी इन परीक्षाओं में उपयोग में आने वाली हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण सम्मेलन द्वारा किया गया है। नागरी प्रचारिणी सभा ने पुस्तक निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। सभा द्वारा तैयार की गई पुस्तकें कई स्तरों पर विशेष रूप से महाविद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हिन्दी पाठ्यपुस्तक निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। समिति द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें विशेष रूप से समिति की परीक्षाओं के लिए निर्धारित होती हैं। अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में स्थित स्वैच्छिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख नाम है- दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास । प्रचार सभा हिन्दी परीक्षाओं का आयोजन करती है। इन परीक्षाओं में उपयोग के लिए हिन्दी पाठ्य पुस्तकें आदि प्रचार सभा द्वारा तैयार की जाती हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की अनेक शाखाएँ तमिलनाडु तथा दक्षिण के अन्य राज्यों में हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की शाखाएँ तो हैं ही, साथ ही कुछ राज्यों में अलग से कुछ स्वैच्छिक संस्थाएँ हिन्दी के कार्य को गति दे रही हैं। उदाहरणार्थ केरल में केरल हिन्दी प्रचार सभा (तिरुवनंतपुरम) भी हिन्दी परीक्षाओं का आयोजन करती है तथा परीक्षाओं में उपयोग के लिए अपनी हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करती है।

इसी प्रकार राष्ट्रभाषा की देशभर में फैली अन्य संस्थाएँ भी हिन्दी पाठ्यपुस्तक के निर्माण में लगी हुई हैं। उदाहरणार्थ असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गौहाटी ने न सिर्फ हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया वरन् अन्य विषयों-विज्ञान, गणित आदि की पाठ्यपुस्तकें भी हिन्दी में तैयार की हैं। मणिपुर में मणिपुर हिन्दी साहित्य समिति द्वारा तृतीय भाषा हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया है।

निजी संस्थाएँ

केन्द्र स्तर, राज्य स्तर तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के अलावा निजी प्रकाशक भी हिन्दी पुस्तक व्यवसाय में बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। किन्तु उनके लिए यह व्यवसाय है। ऐसे निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ग्रंथ पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। पाठ्यपुस्तक के रूप में लगाए जाने पर प्रकाशक प्रायः ऐसी पुस्तकों के विद्यार्थी संस्करणों का प्रकाशन भी करते हैं। निजी प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की अपनी सीमाएँ हैं।पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में कार्यरत कुछ प्रमुख प्रकाशन गृह हैं- राजकमल प्रकाशन,किताब घर,लोक भारती, हिन्दी प्रचारक संस्थान आदि।

22.8 अनौपचारिक शिक्षा

हमारे देश में बीच ही में स्कूल छोड़ देने वाले ड्राप आउट बच्चों की संख्या अत्यधिक है। अनेक बच्चे दूसरी कक्षा की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते और स्कूल छोड़ देते हैं। इसके कई कारण हैं। इसमें प्रमुख कारण है माता-पिता की गरीबी। माता-पिता काम पर जाते हैं घर में छोटे बच्चों को देखने के लिए बड़े बच्चे पर यह भार आ जाता है। विशेष रूप से लड़कियों को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए घर पर ही रहना पड़ता है। इसी प्रकार 7-8 साल के लड़के को घर के कामों या पशु चराने जैसे कामों में लगा दिया जाता है। इसी प्रकार शहरों में गरीब माता-पिता के बच्चे किसी न किसी रूप में बाल श्रमिक के रूप में काम करने लगते हैं। उक्त कारणों से स्कूल छोड़ देने वाले या पूर्णतः अशिक्षित बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने तथा एक और अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनौपचारिक

शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और पाठ्य-सामग्री को बच्चों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसकी अवधि औपचारिक शिक्षा की अवधि से कम होती है। इसके अर्न्तगत कक्षाओं का समय बच्चों की सुविधानुसार रखा जाता है। जैसे बालिकाओं के लिए यह समय दोपहर बाद तथा काम करने वाले बच्चों के लिए वह समय सायंकाल में रखा जाता है।

इस समय अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 2.4 लाख केन्द्र चल रहे हैं, जिनमें 78000 केवल बालिकाओं के लिए हैं। कुछ केन्द्र स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा भी चलाए जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है इसका स्थानीय होना। अर्थात् इसमें शिक्षार्थी भी स्थानीय हैं तथा इसका संचालन विशेष रूप से प्रशिक्षित स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम उच्च वेतन पाने वाले पेशेवर अध्यापकों पर निर्भर नहीं है। शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों की सुविधा और तालमेल से इन केन्द्रों का संचालन होता है। अवश्य ही पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें शिक्षा विभाग द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एन.सी.ई.आर.टी. ने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में उपयोग हेतु केन्द्रीय स्तर पर पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री तैयार की है। किन्तु यह केवल मॉडल के लिए है। राज्य सरकारें इन्हें काम में ला सकती हैं, इनमें परिवर्धन आदि कर सकती है तथा चाहे तो अपनी सामग्री का निर्माण कर सकती है।

22.9 प्रौढ़ शिक्षा

निरक्षरता एक बड़ी बाधा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 30 करोड़ निरक्षर थे, जबकि 1981 में यह संख्या 43.7 करोड़ हो गई। सन् 1981 की जन गणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 36.2 था। ऐसा भी नहीं है कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए सघन प्रयास नहीं किए गए हों। स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में भी उत्साह दिखाया गया किन्तु ठोस उपलब्धि प्राप्त न हो सकी। उस समय पढ़ना, लिखना और गणित सिखाना प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। 1960 के दशक में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता प्रारंभ की गई और देश में छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 513 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएँ प्रोजेक्ट स्वीकृत की जा सकीं, जिनमें 100 और 300 केन्द्रों की परियोजनाएँ शामिल थीं। हर केन्द्र पर 15 से 35 आयु वर्ग के 30 प्रौढ़ शिक्षार्थी दर्ज किए जाते थे।

राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में जन शिक्षा कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम (Mass Programme For Functional Literacy) शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य था 1978 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को और गति देना। इसके द्वारा 1995 तक 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। युवाओं,शिक्षकों, विद्यार्थियों, कामगारों, मजदूर संघों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सामान्य जन के सहयोग से इसे जन आंदोलन बनाना।

प्रौढ़ शिक्षा : जागरूकता साक्षरता और कार्यात्मकता का समन्वय

प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कार्यात्मक साक्षरता (फंक्शनल लिटरेसी) का प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य है-

1. पढ़ने, लिखने और हिसाब करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
2. अपने वंचित रहने के कारणों के प्रति जागृत होना या संगठन द्वारा विकास में भागीदारी के द्वारा चेतनशील होना।
3. आर्थिक स्तर और सामान्य रहन-सहन को सुधारने के लिए नई बातें सीखना।
4. राष्ट्रीय एकता,पर्यावरण संरक्षण, स्त्री समानता, छोटा परिवार जैसे मूल्यों का आत्मसात करना।

इस दृष्टि से साक्षरता का विकास से जुड़ा होना जरूरी है। साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का सबसे आवश्यक अंग और गंतव्य है। किन्तु अकेली साक्षरता शिक्षार्थी में सीखने की प्रेरणा जगाने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसे चेतना और कार्यत्मकता से जोड़ा गया है। तीनों अंग मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं।

चेतना से तात्पर्य है शिक्षार्थी में अपने वंचित रहने के कारणों के प्रति जागरुकता पैदा करना, आर्थिक स्तर बढ़ाना,छोटा परिवार आदि की मानसिकता उत्पन्न करना आदि। इस चेतना निर्माण में हर कोई भाग ले सकता है। किन्तु उसे

साक्षरता से जोड़ दिया जाए तो साक्षरता अर्थवान बन सकेगी। चेतना या जागरूकता पैदा करने के लिए चर्चा सबसे आसान उपाय है। इसके द्वारा जीवन की मूलभूत जरूरतों के प्रति दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। काम-धंधे, स्वास्थ्य,सफाई, व्यावसायिक दक्षता* आदि विषयों पर चर्चा के द्वारा प्रौढ़ों को अपनी समस्या पर खुद बातचीत का मौका दिया जा सकता है। समस्याओं के हल में उनके अनुभवों और भागीदारी का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि अनुदेशक के पास संबंधित विषय पर नई जानकारी हो ताकि बीच-बीच में वह नई बातें जोड़ता चले। इतना ही नहीं प्रौढ़ जिन काम-धंधों में संलग्न हैं उन पर परस्पर बातचीत की जा सकती है। अनुदेशक कहीं यह प्रश्न भी छेड़ सकता है कि पारंपरिक ढंग से काम करने की बजाय क्या उसमें कुछ सुधार हो सकता है ? थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए तो प्रौढ़ को कुछ अतिरिक्त *आर्थिक लाभ भी हो सकता है।* उदाहरणार्थ कोई कुम्हार पारंपरिक रूप से घड़े बनाने की बजाय जालीदार चीज़ें बनाए तो कुछ अधिक आय हो सकती है। इसी प्रकार हाथ से चलाये जाने वाले चाक की जगह यदि यंत्रीकृत चाक का प्रबंध किया जा सके तो उसका उत्पादन बढ़ सकता है। अर्थात् प्रौढ़ अपने काम में थोड़ा सुधार कर यदि अर्थार्जन* में वृद्धि कर सके तो यह सबसे बड़ी अभिप्रेरणा हो सकती है। *यही कार्यात्मकता का पहलू है।*

प्रौढ़ शिक्षा: प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रौढ़ *शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1978 में प्रारंभ हुआ था। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा* इस कार्यक्रम को पुष्ट करने हेतु कदम उठाए गए। वर्तमान में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। केन्द्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय कार्यरत था जिसे अब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का रूप दे दिया गया है।

उक्त राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के द्वारा विशेष रूप से नमूने की शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्ट भी संस्थान द्वारा तैयार की जाती है। राज्य स्तर पर *भी प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय* कार्यरत है। वह निदेशालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी तथा उसके अंतर्गत परियोजना अधिकारियों पर नियंत्रण भी रखता है तथा उनके कामों की जाँच-परख भी करता है। परियोजना अधिकारी प्रायः 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की देखभाल करता है। आमतौर पर 30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को देखने या चलाने के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का संचालन *अनुदेशक करता है। महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन भार अनुदेशिका* का होता है।

इस प्रकार एक स्तरीकृत ढाँचा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत है। राज्य स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र राज्य के विभिन्न अंचलों के प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण करता है। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों तथा परियोजना अधिकारियों के प्रशिक्षण का भार भी राज्य संसाधन केन्द्र पर है। पर्यवेक्षकों तथा अनुदेशकों/अनुदेशिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था परियोजना अधिकारी द्वारा की जाती है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जाता है तथा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी किया जाता है।

प्रशिक्षण की व्यवस्था योजना के अनुसार की जाती रहे तो निरक्षर प्रौढ़ों को शिक्षित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है।ऊपरी स्तर पर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था ठीक है किन्तु ग्राम स्तर पर या अनुदेशक के स्तर पर वह कारगर नहीं रह पाती। अनुदेशक विशुद्ध अस्थायी कार्यकर्ता है। उसे वेतन नहीं, थोड़ा-सा पारिश्रमिक भर मिलता है। उसमें उत्साह की कमी है। वह स्वयं यथोचित रूप से शिक्षित भी नहीं है। जागरूकता,साक्षरता तथा कार्यात्मकता जैसी बातों को समझने में भी वह कठिनाई का अनुभव करता है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षण सामग्री का सही उपयोग करना सिखाना ही प्रशिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ऊंचे स्तर के अधिकारियों आदि के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं में इस आशय की प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। इधर अनेक विश्वविद्यालयों ने प्रौढ़ शिक्षा में डिप्लोमा का एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया है। इसका *विस्तार होना चाहिए ताकि प्रौढ़ शिक्षा* कार्य से जुड़ने वाले भावी व्यक्तियों को ऐसे शिक्षण-प्रशिक्षण की पूर्व व्यवस्था सुलभ हो सके।

22.10 प्रशिक्षण व्यवस्था

भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है। अतः भाषा व्यवहार के दो पक्ष देखे जा सकते हैं - ग्रहण तथा अभिव्यक्ति। विचार, भाव तथा अर्थ का ग्रहण सुनकर और पढ़कर संभव है। इसी प्रकार विचार या भाव की अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर की जा सकती है। भाषा की इन चार कुशलताओं में सुनकर अर्थग्रहण करने तथा

बोलकर अभिव्यक्ति करने का संबंध मौखिक भाषा से है। पढ़कर अर्थग्रहण करने तथा लिखकर अभिव्यक्ति करने के विकास का संबंध भाषा के लिखित रूप से है। भाषा की इन आधारभूत कुशलताओं का विकास भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा और साहित्य का ज्ञान प्रदान करना भी है। इसके अंतर्गत भाषा के तत्वों, विषयवस्तु, रचना के विभिन्न रूपों तथा साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य रखा जाता है। किन्तु सृजन और सराहना मातृभाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बन गए हैं। परिणामस्वरूप मातृभाषा प्रशिक्षण भी साहित्योन्मुख बन गया है।

मातृभाषा शिक्षण में

मातृभाषा शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर भाषा के चारों कौशलों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से उच्चारण, शब्दरूपों का सामान्य ज्ञान तथा पढ़े हुए पाठों की जानकारी पर बल दिया जाना चाहिए। साहित्य में रुचि का बीजारोपण भी इसी स्तर पर होता है।

माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर भी भाषा कौशलों को दृढ़ करने पर समान ध्यान देना चाहिए। साथ ही साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर साहित्य की समीक्षा करने की योग्यता का विकास भी शिक्षण का उद्देश्य होता है। स्वतः रचना करने की योग्यता का विकास भी शिक्षण का उद्देश्य होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन पर बल दिया जाना चाहिए।

प्राथमिक स्तर के मातृभाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन संस्थाओं में वरिष्ठता के आधार पर प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऐसे व्यक्तियों की प्रशिक्षण कार्य में रुचि को आधार बनाया जाना चाहिए। यही स्थिति माध्यमिक शिक्षकों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण महाविद्यालयों की भी है। जरूरत इस बात की है कि प्रशिक्षण कार्य में लगे भाषा अध्यापकों को अधुनातन भाषावैज्ञानिक पद्धतियों तथा नई संकल्पनाओं की जानकारी नियमित रूप से दी जाए ताकि भाषा-शिक्षण कार्य अधिक प्रासंगिक तथा सुदृढ़ हो सके।

अन्य भाषा शिक्षण में

बालक मातृभाषा को सहज ही सीख लेता है जबकि अन्य भाषा का सीखना प्रयत्नपूर्वक सीखने पर निर्भर है। अन्य भाषा सीखते समय छात्र को अत्यंत सावधानी से नई आदतों को सीखना होता है। ऐसा करते हुए छात्र मातृभाषा के तथ्यों को अन्य भाषा में खोजने की कोशिश करता है। यही कारण है कि अन्य भाषा सीखने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। ये कठिनाइयाँ ध्वनि,रूप,वाक्य तथा अर्थ के स्तर पर होती हैं। इसके लिए दो भाषाओं की तुलना कर उनमें समान और असमान तत्वों का पता लगाया जाना चाहिए। इसे व्यतिरेकी* भाषाविज्ञान कहते हैं। इसके आधार पर भाषा सिखाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। प्रशिक्षण व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो फिलहाल अन्य भाषा के शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थाओं में नहीं के बराबर है। इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं में नए सिरे से भाषा शिक्षण की जरूरतों पर विचार किया जाना चाहिए तथा उनके लिए एक भिन्न पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पहले से जो अध्यापक अन्य भाषा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उनके लिए सेवाकालीन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

अनौपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षण

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और औपचारिक स्कूल में पर्याप्त समानताएँ हैं। स्कूली बच्चों का पाठ्यक्रम पूरी तरह पूर्व-निर्धारित होता है: अनौपचारिक कार्यक्रम के बच्चों की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की गुंजाइश है। यह इसलिए कि इन बच्चों को आवश्यकतानुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। किन्तु इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। इसका एक कारण यह भी है कि शिक्षकों को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया। औपचारिक स्कूलों के अध्यापक भी इस कार्य में संलग्न हैं। वे शिक्षक सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। किन्तु कोई अन्य व्यक्ति भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर प्रेरक नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे प्रेरकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 में विशेष प्रशिक्षण का निर्देश दिया गया था। आचार्य राममूर्ति कमेटी ने भी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के शिक्षकों जिन्हें सह-शिक्षक कहा गया है, के लिए "इंटर्नशिप माडल" के प्रशिक्षण हेतु कहा है। अर्थात् शिक्षक के कक्षा के अनुभव से ही प्रशिक्षण होता रहे। इस लिए जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थान डी.आई.ई.टी. को शिक्षा कांप्लेक्स के परामर्श से इंटर्नशिप और सेवाकालीन प्रशिक्षण का मिला-जुला कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

बोध प्रश्न 2

निम्नलिखित प्रश्नों का दिये गये स्थान में उत्तर दीजिए।

i) भाषा शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ?(3 पंक्तियाँ)

....

....

....

ii) दृश्य-श्रव्य साधन क्यों उपयोगी हैं ? (5 पंक्तियाँ)

....

....

....

....

....

iii) हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के अभिकरण कौन-कौन से हैं? (4 पंक्तियाँ)

....

....

....

....

iv) प्रौढ़ शिक्षा का महत्व समझाइए। (4 पंक्तियाँ)

....

....

....

....

v) भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है ? (5 पंक्तियाँ)

....

....

....

....

....

अभ्यासः
अपने प्रदेश में हिन्दी पाठ्यपुस्तकों की स्थिति के बारे में अध्ययन कर स्थिति और समस्याओं का वर्णन कीजिए।

22.11 सारांश

इस इकाई में हमने प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के संदर्भ में भाषा के पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त सामग्री की चर्चा की। पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका, पूरक पठन-पुस्तकें, दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि भाषा के विविध कौशलों के अर्जन के लिए उपयोगी हैं। ये पुस्तकें उद्देश्य और लक्ष्य के संदर्भ में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तीनों प्रकार की भाषाओं के लिए अलग-अलग ढंग से बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में विविध अभिकरणों द्वारा तैयार पुस्तकों में

कुछ परिवर्तन आ रहा है और पहले की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक सामग्री तैयार करने के बारे में प्रयत्न शुरु हुआ है। पाठ्य सामग्री के निर्माण में तीन प्रकार के अभिकरणों का योगदान है- राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर हिंदी की अपनी पुस्तकें तैयार करती है। केन्द्र स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. का प्रयत्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संस्था ने नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। हिन्दी शिक्षण में प्रारंभ से ही स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में योगदान किया है।

पाठ्य सामग्री के निर्माण के संदर्भ में कुछ परिवर्तन आया है और स्तर में सुधार हुआ है, फिर भी बहुत अधिक वैज्ञानिक ढंग से निर्मित पुस्तकों का अभी तक अभाव है। विशेषकर दृश्य-श्रव्य साधनों के संदर्भ में हिन्दी शिक्षण में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। कंप्यूटर के युग में हमारे लिए आवश्यक होगा कि हम इस क्षेत्र पर अधिक बल दें। कोई भी सामग्री तभी सफल हो सकती है अध्यापक उसकी विधि से परिचित हो और उसे अपने स्तर पर उपयुक्त ढंग से पढ़ाने का यत्न करें। किंतु यहाँ भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सामान्य बी.एड. आदि पाठ्यक्रमों में भाषा शिक्षण के आयोजन पर विशेष बल नहीं दिया जाता और प्रशिक्षण को किन्हीं नयी पाठ्यपुस्तकों के आधार पर संचालित नहीं किया जाता। सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी संतोषजनक व्यवस्था नहीं है, इस स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है।

22.12 शब्दावली

भाषा के तत्व - ध्वनि, लिपि, शब्द, वाक्य आदि भाषा के अंग
बारंबारता - दुहराना, पुनरावृत्ति
स्तरीकृत - प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक क्रम में रखा हुआ
बाहुल्य - बहुलता, अधिकता
सतत् - निरंतर, बराबर चलने वाला
साहित्योन्मुख - साहित्य की ओर झुके हुए
अनूदित - अनुवाद की हुई
अभिभावक - माता-पिता आदि जो देखभाल करते हैं
व्यावसायिक दक्षता-व्यवसायों में कुशलता
अर्थार्जन - पैसा कमाना
व्यतिरेक - तुलना

22.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

खंड के अन्त में देखें

22.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) नहीं ii) हाँ iii) हाँ iv) हाँ v) नहीं
2. i) विधि ii) सुनकर समझना, बोलना, लिखना,पढ़ना
iii) पूरक पठन iv) भाषिक इकाइयाँ

बोध प्रश्न 2

3. i) उद्देश्य - किन प्रयोजनों के लिए सीखें लक्ष्य- कितनी भाषा सीखें
ii) दृश्य-श्रव्य साधन - रोचकता, उच्चारण, संदर्भ
iii) सरकारी संस्थाएँ, निजी प्रकाश, स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ
iv) देश के विकास तथा अच्छे जीवन के लिए साक्षरता आवश्यक है। लाभ है- आत्म निर्भरता, विकास में भागीदारी,स्तर सुधार, ज्ञानप्राप्ति
v) भाषा शिक्षा का उद्देश्य है- भाषिक कौशलों का अर्जन। अध्यापक को इसके लिए उपयुक्त विधि तथा आधुनिक तकनीकों का ज्ञान चाहिए।

इकाई 23 कार्यक्षेत्र में हिंदी

इकाई की रूपरेखा

23.0 उद्देश्य
23.1 प्रस्तावना
23.2 कार्यक्षेत्र परिभाषा और क्षेत्र विस्तार
23.3 सेवाएँ
23.4 भाषा संबंधी अन्य क्षेत्र: संभावनाएँ
23.5 निजी क्षेत्र में भाषा
23.6 स्वीकृति का सवाल और उपाय
23.7 सारांश
23.8 शब्दावली
23.9 कुछ उपयोगी ग्रंथ
23.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

23.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि किस तरह भाषा का सवाल आजीविका* से जुड़ता है और हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या-क्या आजीविका के मार्ग खुलते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- हिन्दी के माध्यम से काम करने के अवसरों का वर्णन कर सकेंगे;
- विभिन्न सेवाओं में प्रवेश के लिए भाषा की स्थिति पर प्रकाश डाल सकेंगे;
- भाषा संबंधी विशिष्ट सेवाओं का उल्लेख कर सकेंगे;
- निजी क्षेत्र में भाषा की स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे; और
- हिन्दी भाषा के विकास और उसकी स्वीकृति पर विचार कर सकेंगे.

23.1 प्रस्तावना

आपने अनुभव किया होगा कि अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में लोग अपनी भाषाओं का उपयोग नहीं करते और जीवन के हर पहलू में अंग्रेजी के उपयोग पर बल देते हैं। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजी जानना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है और हिंदी में काम करना मजबूरी की हालत में ही होता है। इस स्थिति का कारण क्या है ?

शिक्षाविद् मानते हैं कि व्यक्ति को अपनी भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तभी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा। दूसरी भाषाओं के माध्यम से मौलिक चिंतन या अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी क्या कारण है कि भारत में आज भी अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के प्रति तीव्र मोह है, जबकि भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययन की उपेक्षा की जाती है। हमने पिछली इकाइयों में चर्चा की है कि उच्च शिक्षा में, विशेषकर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का बोलबाला है। इसका क्या कारण है। लोग उस भाषा के माध्यम से क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं ?

इस स्थिति के कई कारण बताये जाते हैं। मानसिकता को सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। कहा जाता है कि हम स्वतंत्र तो हो गये, लेकिन हममें से गुलामी नहीं गयी। कभी यह तर्क दिया जाता है कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है, पाठ्यग्रंथों और संदर्भ ग्रंथों का अभाव है, जिसके कारण लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजी के माध्यम से ऊंची नौकरी पाना आसान है, इसलिए लोग अंग्रेजी शिक्षा पसंद करते हैं। इन सभी कथनों में सत्य तो है ही। आज भी अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति ही अधिक विद्वान माना जाता है। सिर्फ भारतीय भाषाएँ जानने वाले विद्वान बहुत सम्मान नहीं पाते। यह भी सत्य है कि अभी हिंदी में कई विषयों के ग्रंथ नहीं है। लेकिन यह भाषा की कमजोरी नहीं है। पढ़ाई हिंदी में नहीं होती, इसलिए हिंदी में ग्रंथों का अभाव है। इस विषम चक्र से हम तभी निकल सकते हैं, जब हिंदी में सारे विषयों की पढ़ाई होने लगे। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा का आजीविका के साधन के रूप में उपयोग। शिक्षा पाने वाला शिक्षा के उपरांत, शिक्षा के आधार पर नौकरी पाना चाहता है। इसके लिए वह वही शिक्षा ग्रहण करेगा, जिससे उसे ऊंची नौकरी मिल सके।

लोग भाषा प्रेम की दुहाई देकर कहते हैं कि लोगों में अपनी भाषा के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। यही बात राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम के संदर्भ में भी कही जाती है। हमें इस पहलू पर व्यावहारिक ढंग से तथा तटस्थ भाव से विचार करना होगा। हम पिछली इकाइयों में चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रभाषा की हैसियत से हिंदी भाषा का सर्वत्र व्यवहार

होता है, उसका स्वागत होता है। देश के हर कोने में हिंदी संपर्क की भाषा है। लोग हिंदी की फिल्में तथा दूरदर्शन कार्यक्रम बड़े चाव से देखते हैं, रेडियो कार्यक्रम, गाने, भजन, गजलें आदि पसंद से सुनते हैं, लेकिन कार्य के लिए अंग्रेजी को अपनाते हैं। इसे हम "प्रकार्यों का वितरण " कहेंगे । दैनंदिन व्यवहार के लिए अपनी भाषा तथा कामकाज के लिए कोई दूसरी भाषा। यह वितरण कई देशों में मिलता है, जहाँ की भाषाएँ विकसित नहीं हैं। लेकिन भारत की भाषाएँ संपन्न हैं, विकसित हैं, फिर भी कामकाज के लिए उनकी उपेक्षा क्यों ? इस इकाई में इसी प्रश्न का हिंदी के संदर्भ में उत्तर ढूंढने का यत्न करेंगे। अन्य भाषाएँ बोलने वाले हमारे छात्र इस चर्चा के संदर्भ में अपनी भाषा की स्थिति पर भी विचार करें और उपयुक्त समाधान का यत्न करें।

23.2 कार्य क्षेत्र : परिभाषा और क्षेत्र विस्तार

कार्य क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन सब क्षेत्रों से है, जिनमें भाषा जानने के कारण और भाषा के माध्यम से कार्य करने के लिए नौकरी मिलती है। पुनः उल्लेख करना चाहेंगे कि देश की भाषाओं का महत्व तभी है, जब उनके माध्यम से लोगों को आजीविका का साधन मिले। जिन क्षेत्रों में अब भी मुख्यतः अंग्रेजी के माध्यम से काम होता हो, वहाँ लोगों को हिंदी की शिक्षा के आधार पर कार्य मिले, इसकी संभावना कम है।

कार्य क्षेत्र का विस्तार क्या है ? क्या थोड़ी-सी नौकरियों के पीछे पूरे देश की भाषाई स्थिति में अंतर आना चाहिए ? इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आजीविका के कितने क्षेत्र खुले हैं, उनका स्तर क्या है और उनके कारण भाषा की स्वीकृति में क्यों अंतर आना चाहिए ? कार्यक्षेत्र में विस्तार की चर्चा का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि हिंदी के माध्यम से काम करने वालों के लिए कितनी नौकरियाँ उपलब्ध हैं। इन नौकरियों के कारण पूरी व्यवस्था में क्या अंतर आता है, इसे आगे देखेंगे।

जब लोग हिंदी के माध्यम से काम करना चाहेंगे, तो उनके शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी, जिससे वे तैयारी करें। शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की जाएगी। इस कार्य से हर विषय के विद्वान संलग्न होंगे। इन पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण में हजारों व्यक्ति जुड़ेंगे। इनके प्रकाशन के लिए कम्प्यूटर के प्रोग्राम बनेंगे और उस दिशा में कार्य करने वाले कई व्यक्ति होंगे। फिर इन सारे क्षेत्रों में भी शोध और प्रशिक्षण के मार्ग खुलेंगे। इस तरह हिंदी के माध्यम से कार्य करने का तात्पर्य कुछ सौ या कुछ हजार व्यक्तियों की नौकरी का सवाल नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में व्यापक परिवर्तनों का है हिंदी में काम होने लगे, तो उसे संभालने के लिए हर स्तर पर कार्य होगा और भाषा का सर्वांगीण विकास होगा।

भाषा के कार्य के क्षेत्र विस्तार के बारे में हम देखना चाहेंगे कि किन प्रमुख क्षेत्रों में हिंदी भाषा का स्थान है और उनमें किस प्रकार शिक्षण-प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हिंदी के कार्य को हम दो बड़े भागों में बाँट सकते हैं -

क) जन संपर्क तथा जन संचार का क्षेत्र

ख) प्रयोजनमूलक क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्र

क) जन संपर्क तथा जन संचार का क्षेत्र

हमने ऊपर उल्लेख किया था कि भारत में भाषा के संदर्भ में प्रयोजनों का वितरण है चाहे कारण जो भी हो। हिंदी जन संपर्क की भाषा है, सामान्य व्यवहार की भाषा है, साहित्यिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की भाषा है। भारत में अंग्रेजी की लगभग कोई फिल्म नहीं बनती, अंग्रेजी के नाटक कुछ महानगरों को छोड़कर और जगह नहीं होते। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी में हजारों लेखक सृजनात्मक लेखन करते हैं। इनकी तुलना में अंग्रेजी में लिखने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्में, रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अखिलभारतीय स्तर पर हिंदी का प्रमुख स्थान है और मातृभाषा के बाद देश के लेखक सृजनात्मक लेखन के लिए अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी को अपनाते हैं। जन संपर्क का यह क्षेत्र अनियोजित है। अर्थात् यहाँ भाषा के प्रयोग के लिए योजना बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। लोग स्वतः इस क्षेत्र में रुचि लेते हैं और भाषा में समस्त कार्य करते हैं। समाज में भाषा की स्वीकृति हो तो जन संपर्क अपने आप बढ़ता है।
आजीविका का दूसरा क्षेत्र जन संचार का है। यह अधिक नियोजित• क्षेत्र है। साचार-पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं में पूरे भारत में हिंदी का प्रयोग होता है। देश के विभिन्न भागों से हिंदी में अखबार निकलते हैं। लेकिन अंग्रेजी पत्रकारिता का क्षेत्र हिंदी के मुकाबले अधिक समृद्ध और समुन्नत है। पत्रकारिता का संबंध शिक्षा, आजीविका के साधन आदि से जुड़ता है। अर्थात् उच्च शिक्षा के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में विकास और स्तरीयता आती है। इस कारण हम अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता और शिक्षा में वृद्धि की बात पर बल दें, तो पत्रकारिता का विकास अपने आप होने की बात स्वतः सिद्ध होती है।

ख) प्रयोजनमूलक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र

आजीविका की दृष्टि से प्रयोजनमूलक प्रकार्यों का क्षेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। अदालती कार्रवाई, कार्यालय प्रशासन, वाणिज्य-व्यापार, तकनीकी विकास आदि क्षेत्र प्रयोजनों के क्षेत्र हैं। कानून का क्षेत्र सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र है, यहां कोई निजी प्रयत्न नहीं हो सकता। प्रशासन, तकनीकी विकास और वाणिज्य-व्यापार के क्षेत्र सार्वजनिक भी हैं, निजी क्षेत्र में भी आते हैं। हम आगे इन दोनों पर अलग-अलग चर्चा करेंगे। प्रयोजनमूलक क्षेत्र का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षा से है। किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने के लिए व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। व्यक्ति जिस भाषा के माध्यम से कार्य करेगा, उसी में शिक्षा ग्रहण करना उसके लिए सुविधाजनक है। इसीलिए प्रायः कार्य की भाषा और उच्च शिक्षा की बात एक होती है और उसी में विकास होता है।

इस समय हिंदी राजभाषा है, अंग्रेजी सह-राजभाषा है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी भाषा के माध्यम से काम करने की छूट है। परंपरा के कारण और अंग्रेजी में शिक्षा की अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण लोग अंग्रेजी के माध्यम से काम करना पसंद करते हैं। यही हिंदी के लिए बड़ी समस्या है। आजादी के बाद हमारे प्रयत्नों के कारण स्थिति में परिवर्तन हुआ है। फिर भी अंग्रेजी के वर्चस्व में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। हिंदी का प्रयोजनपरक क्षेत्र पहले से अधिक सबल हुआ है। विधि, प्रशासन आदि क्षेत्रों के संदर्भ ग्रंथों का निर्माण हुआ है, लेकिन मूलतः हिंदी में काम नहीं हो रहा है। शिक्षा के लिए विविध विषयों पर पुस्तकें लिखी जा रही हैं, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अपेक्षित संख्या में मौलिक ग्रंथों का निर्माण नहीं हो रहा है।

इस स्थिति में तभी परिवर्तन आएगा, जब प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक हिंदी में ही प्रशिक्षित पीढ़ी हमारे सामने आएगी, हिंदी के माध्यम से सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगी और अनुवाद का सहारा छोड़कर मूल रुप से काम करेगी। यह कार्य कम से कम अगली पीढ़ी तक हो जाए, इसके लिए यह देखना आवश्यक होगा कि हम आज सही दिशा अपना रहे हैं। हम अगले प्रकरणों में इसके लिए आज उपलब्ध सुविधाओं की चर्चा करेंगे।

23.3 सेवाएँ

इस इकाई में हम यह देखना चाहते है कि भाषा का सवाल नौकरी से कैसे जुड़ता है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता* सरकारें (केंद्र तथा प्रादेशिक) हैं। भरती अधिकतर चयन परीक्षा के आधार पर होती है। क्या कोई व्यक्ति हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देकर नौकरी पाने की उम्मीद कर सकता है ? जब तक ऐसे लोग सेवाओं में न आएँ, तब तक मूलतः हिंदी में काम करने का वातावरण नहीं बनेगा।

सेवाओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिनकी चर्चा आगे की जा रही है।

क. प्रशासनिक सेवाएँ

केंद्र स्तर पर योग्य व्यक्तियों के चयन के लिए दो अभिकरण* हैं - संघ लोक सेवा आयोग प्रथम श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा चलाता है, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी आई.ए.एस., आई. पी. एस. आदि सेवाओं के लिए चुने जाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग अन्य श्रेणियों के लिए परीक्षा के आधार पर चयन करता है। इन दोनों में हिंदी के तथा अन्य अष्टम सूची की भाषाओं के माध्यम से भी परीक्षा दी जा सकती है। चुने गये व्यक्तियों को प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा भी सिखायी जाती है, जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर हिंदी में भी काम कर सकें। अभ्यर्थी हिंदी के माध्यम से आयोगों की परीक्षा दे सकते हैं।

यह स्थिति पहले नहीं थी। पहले सेवा परीक्षाओं में सिर्फ अंग्रेजी थी। अब धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं का इन परीक्षाओं में प्रवेश हुआ। इसका परिणाम आने वाले समय में देखा जा सकेगा, जब हिंदी माध्यम से आने वाले हिंदी में कार्य करेंगे।

ख. तकनीकी सेवाएँ

तकनीकी सेवाओं में हम प्रौद्योगिकी और विनिर्माण*, औद्योगिक उत्पादन, चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, आदि क्षेत्रों को ले सकते हैं। इन सेवाओं में अभी तक शिक्षा का माध्यम प्रमुखतः अंग्रेजी ही है, यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में भी, जिसका संबंध जन जीवन से है, हिंदी भाषा का प्रमुख स्थान नहीं है। इस कारण लोग इन क्षेत्रों में अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं। इसके बारे में आपने इकाई 21 में अध्ययन किया और समस्या की जानकारी प्राप्त की।

इन सेवाओं में नौकरी के लिए सर्वत्र प्रवेश परीक्षा नहीं है। व्यक्ति तकनीकी अर्हताओं* के आधार पर साक्षात्कार के

जरिए चुन लिए जाते हैं। जहाँ कहीं परीक्षा होती है, वह अंग्रेजी के माध्यम से होती है। इस कारण तकनीकी सेवाओं में हिंदी का स्थान गौण है।

ग. वाणिज्य-व्यापार की संस्थाएँ

तकनीकी सेवाओं की तरह वाणिज्य-व्यापार बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले बैंक आदि संस्थाएँ प्रशासन की तरह देश के कोने-कोने में फैली हैं और कार्य की दृष्टि से इनका जनता के स्तर तक पहुँच है। इस कारण इस क्षेत्र में हिंदी के माध्यम से काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। आज लोग बैंकिंग सेवा आयोग की परीक्षाएँ हिंदी के माध्यम से दे सकते हैं और हिंदी के माध्यम से काम भी कर सकते हैं।

23.4 भाषा संबंधी अन्य क्षेत्र : संभावनाएँ

राजभाषा और शिक्षा की भाषा के रूप में हिंदी देश में व्यवहार में आए, तो भाषा संबंधी और कई नये क्षेत्र खुलेंगे, जिनमें लोगों को नौकरी मिलेगी। ऐसे कुछ क्षेत्र है -

अनुवाद
भाषा शिक्षण
यांत्रिकीकरण और कम्प्यूटर प्रोग्राम
पुस्तक प्रकाशन
पत्रकारिता

यहां हम ऐसे नये क्षेत्रों की संभावना पर विचार करेंगे।

अनुवाद: अगर हम देश की भाषाओं के माध्यम से काम करना शुरु करे, तो हिंदी को देश को एकता के सूत्र में बाँधे रखने का दायित्व निभाना होगा। उस स्थिति में हिंदी देश की भाषाओं के बीच सेतु का काम करेगी और भारत की समस्त सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का आगार बनेगी। इस स्थिति में भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी के माध्यम से अन्य भाषाओं से अनुवाद कार्य को बढ़ावा देना होगा। अब तक भारतीय भाषाओं से हिंदी में अधिकतर साहित्य का ही अनुवाद होता रहा है। हमें वाङ् मय और ज्ञान-विज्ञान के साहित्य पर भी बल देने की आवश्यकता है।

कई विद्वानों की यह आशंका थी कि अंग्रेजी के हटने के बाद ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हम विश्व से कट जाएँगे, क्योंकि इनके मत से अंग्रेजी "विश्व की खिड़की" है। इस बात में किंचित् सत्य भी है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है और उसमें अन्य देशों का ज्ञान उसके माध्यम से भी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन स्थिति का दूसरा पहलू यह भी है कि हम अन्य देशों की जानकारी के लिए अंग्रेजी पर आश्रित हैं, जबकि फ्रेंच, जर्मन, रूसी, जापानी आदि भाषाओं से हमें ज्ञान मिल सकता है। इससे हम वंचित हैं। हमें इन भाषाओं से अनुवाद कर विश्व के ज्ञान को हिंदी में लाना होगा। इससे हिंदी समृद्ध होगीसीधे ज्ञान प्राप्त करना होगा। यह स्थिति आ जाए, तो हम विश्व के देशों के प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और हिंदी भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के लिए "ज्ञान की खिड़की" बन सकेगी। इस क्षेत्र में अनुवादकों का महतवपूर्ण योगदान होगा।

भाषा शिक्षण: इस समय हिंदी शिक्षण स्कूल स्तर के छात्रों और विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों तक सीमित है। स्कूल स्तर पर भाषा की सामान्य जानकारी दी जाती है और विश्वविद्यालयों में साहित्य का अध्यापन होता है। राजभाषा आदि के स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण और सेवापूर्व प्रशिक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसमें अपेक्षित स्तर तक प्रशिक्षण नहीं हो पाता। हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, भारतीय मूल के प्रवासी भी हिंदी सीखते हैं और अन्य देशों के अहिंदी भाषी भी हिंदी सीखते हैं। विडंबना यह है कि आज तक विदेशियों को पढ़ाने के लिए कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं बना है, न ही अच्छी शिक्षण सामग्री का निर्माण हो पाया है।

हिंदी में निम्नलिखित क्षेत्रों में भाषा के शिक्षण और प्रशिक्षण की गुंजाइश है -

i) विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम
ii) सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (प्रत्यक्ष संपर्क से तथा दूर शिक्षा के माध्यम से)
iii) विदेशियों के लिए पाठ्यक्रम
iv) इन विविध पाठ्यक्रमों के लिए भाषा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

यांत्रिकीकरणः यह युग यांत्रिक सुविधाओं का है। कंप्यूटर इनमें सबसे प्रमुख साधन है। शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटरों का प्रयोग हो सकता है। अभी तक हिंदी में ऐसे कार्यक्रमों का अभाव है, जिनकी सहायता से प्रयोक्ता सुचारु रूप से अपना कार्य संपन्न कर सकें। कंप्यूटर का उपयोग प्रशासन, वाणिज्य-व्यापार आदि क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए हिंदी में उपयोगी कार्यक्रम तैयार करना आवश्यक होगा, जिससे वे सुगमता से अपना कार्य हिंदी में कर सकें। कंप्यूटर जन संचार, प्रसारण, पुस्तक प्रकाशन आदि क्षेत्रों में भी सहायता दे सकते हैं। 1947 में हमारे देश में टंकण यंत्र तक नहीं बनते थे, लेकिन आज हमारे देश में आधुनिकतम कंप्यूटरों तक का निर्माण हो रहा है। इसी तरह भारतीय भाषाओं में कंप्यूटरों के उपयोग के क्षेत्र में भी हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। लेकिन अंग्रेज़ी की तुलना में हम बहुत पिछड़े हैं। हिंदी में कार्यक्रमों के विकास में कंप्यूटर निर्माता, प्रोग्राम तैयार करने वाले वैज्ञानिक तथा विषय-विशेष के विशेषज्ञ विद्वान योगदान कर सकते हैं और लाखों लोगों को उच्च स्तरीय नौकरियों का लाभ मिल सकता है। इस संबंध में विस्तार से आप खंड 7 में पढ़ेंगे।

पुस्तक प्रकाशनः अगर हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए सेतु बनेगी और इसमें विदेशी भाषाओं से ज्ञान-विज्ञान का साहित्य आएगा, तो पुस्तक लेखन और प्रकाशन में कई गुना वृद्धि होगी।

पत्रकारिताः हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च स्तरीय ग्रंथों के प्रकाशन के साथ-साथ शोध पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन में भी वृद्धि होगी।

उपर्युक्त क्षेत्रों में हिंदी में काम बढ़ने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में शोध, शिक्षण-प्रशिक्षण आदि सहवर्ती कार्यक्रमों में भी वृद्धि होगी। इस तरह विविध क्षेत्रों में कार्य हो सके, तो हिंदी का स्वतः विकास होगा और वह सही मायने में राष्ट्र की प्रमुख भाषा याने राष्ट्रभाषा बनेगी।

बोध प्रश्न 1

1. निम्नलिखित प्रश्नों के दो-दो पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

i) भारत में लोग अभी भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पर बल क्यों देते हैं ?

1. ....

2. ....

ii) सेवाओं के सन्दर्भ में आप किन दो क्षेत्रों को प्रमुख मानेंगे ?

1. ....

2. ....

iii) प्रयोजनमूलक हिन्दी के संदर्भ में आप किन तीन प्रमुख सेवा क्षेत्रों को महत्व देंगे ?

1. ....

2. ....

iv) अनुवाद इस देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ?

1. ....

2. ....

v) पत्रकारिता में विकास का प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है ?

1. ....

2. ....

vi) प्रकायों के वितरण के बारे में आप क्या सोचते हैं ?

1. ....

2. ....

2. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i) कुछ भाषाएँ उन्नत होती हैं, कुछ भाषाएँ कमजोर होती हैं।

हाँ/नहीं

ii) जन संचार में योजना की अपेक्षा स्वीकृति अधिक आवश्यक है।

हाँ/नहीं

iii) आज अधिकतर प्रवेश परीक्षाएँ हिंदी के माध्यम से दी जा सकती हैं।

हाँ/नहीं

iv) अनुवाद साहित्य निर्माण के लिए जितना आवश्यक है उतना ही देश को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए है।

हाँ/नहीं

v) हिंदी भाषा में अंग्रेजी के बराबर कम्प्यूटर पर काम करने की सुविधाएँ हैं।

हाँ/नहीं

23.5 निजी क्षेत्र में भाषा

लोगों को नौकरी सार्वजनिक ' सरकारी' क्षेत्र से ही नहीं मिलती, बल्कि निजी क्षेत्र में भी करोड़ों लोग काम करते हैं। निजी क्षेत्र में वाणिज्य-व्यापार की संस्थाएँ, उद्योग-धंधे, सरकारी अनुदान से चलने वाली शैक्षिक संस्थाएँ, संगठन आदि प्रमुख हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदी के कार्यान्वयन के नियम हैं, हिंदी के लिए लोगों की नियुक्ति का विधान है, जिसके बारे में आप अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। निजी क्षेत्र में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, हिन्दी में काम करने का संवैधानिक बंधन नहीं है। लोग किसी भी भाषा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी का बोलबाला है। छोटी-छोटी दुकानों तक के कैश मेमो आदि अंग्रेजी में छपते हैं, भले ही दुकानदार विवरण हिंदी में लिखें। इसका क्या कारण है ?

निजी क्षेत्र के उद्यम सरकारी संस्थाओं की तरह द्विभाषी ढंग से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वे अतिरिक्त व्यय नहीं उठाना चाहेंगे। वे या तो हिंदी में काम करेंगे या अंग्रेजी में। फाइलों पर भी दो भाषाओं में काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अनुवादक रखना उनके लिए अनिवार्य व्यय नहीं है। वे हिंदी में काम करने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण आदि पर व्यय नहीं करेंगे । इसलिए बिना अतिरिक्त व्यय के बिना श्रम के हिंदी में काम करने की स्थिति न आए, तब तक हम निजी क्षेत्र से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह हिंदी में काम करने के बारे में पहल करे। इस तरह यह उत्तरदायित्व स्वतः सरकार पर आता है कि वह हिंदी में काम करने के लिए स्थिति पैदा करे और निजी क्षेत्र उसका लाभ उठाए।

निजी क्षेत्र में जो संगठन राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, उनके लिए अंग्रेजी अपनाना सुविधाजनक स्थिति है, क्योंकि अब तक अंग्रेजी में ही काम होता रहा है। जो संस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं, उन्हें हिंदी में पत्र-व्यवहार के लिए द्विभाषी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। वह व्यय वे भाषा प्रेम के लिए तो नहीं उठाएँगी। इस स्थिति में परिवर्तन तभी आएगा, जब निजी क्षेत्र के लिए हिंदी में काम करना सुविधाजनक और लाभदायक होगा। और यह परिवर्तन तुरंत नहीं आ सकता।

निजी क्षेत्र में भी लाखों शिक्षित व्यक्ति नौकरी पाते हैं। आज की स्थिति में ये हिंदी की शिक्षा के आधार पर नौकरी नहीं पा सकते । इस कारण जो व्यक्ति निजी क्षेत्र में काम करने की अपनी तैयारी करें, वे अंग्रेजी में शिक्षा पाना चाहेंगे। इस तरह जब तक निजी क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी में और प्रादेशिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में काम न हो, तब तक अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा का आग्रह कम नहीं होगा।

23.6 स्वीकृति का सवाल और उपाय

हिंदी भाषा के प्रति विरोध या उदासीनता को हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। भाषा का क्षेत्र भावना का क्षेत्र है, साथ ही भाषा का सवाल आजीविका का सवाल है। अगर इन दोनों ही बातों पर राष्ट्रीय स्तर पर सहमति और सद्भावना हो, तो भाषाई विवाद कम किया जा सकता है।

हिंदी संघ की राजभाषा है, कुछ प्रदेशों की भी राजभाषा है। अष्टम सूची की भाषा तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ प्रदेशों की राजभाषाएँ हैं। हम खंड 4 में चर्चा कर चुके हैं कि इन भाषाओं के सामने भी प्रयोजनपरक प्रकार्यों को विकसित करने और अपनी भाषा के विकास का प्रश्न है। प्रदेशों में अंग्रेजी के मोह के बावजूद (जिसके कारणों की चर्चा इसी इकाई के पूर्व भाग में की जा चुकी है) स्थानीय भाषा या प्रदेश की राजभाषा को विकसित करने के प्रयत्न स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ते हैं। अष्टम सूची की सभी भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण, स्थानीय राजभाषा में संदर्भ ग्रंथों और पाठ्य पुस्तकों का मौलिक लेखन या अनुवाद द्वारा निर्माण, यांत्रिक साधनों का विकास, शिक्षण-प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में द्रुतगति से काम हो रहा है। इस संदर्भ में यह आवश्यक होगा कि हिंदी इस विकास योजना में अन्य भाषाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर काम करे और यथासंभव अन्य भाषाओं का मार्गदर्शन करे। इस तरह

1) देश की अन्य भाषाओं के लिए सेतु का काम करने

2) भारतीय भाषाओं के लिए ज्ञान-विज्ञान का आगार बनने और

3) भाषा विकास में सहयोग और मार्ग दर्शन करने से हिंदी का विरोध कम होगा। यह भी कह सकते हैं कि उसकी

UGHI-06/CSSHI-06/315

उपयोगिता बढ़ेगी।

इस संदर्भ में भारत सरकार ने उचित कदम उठाये हैं। कंप्यूटर के पर्दे पर सारी भारतीय भाषाओं की लिपियों का एक साथ प्रवेश हुआ है। पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में एक अखिलभारतीय शब्दावली के निर्माण के यत्न हुए हैं। ये भावनात्मक स्तर पर भाषाई विवाद को समाप्त करने के संदर्भ में उचित कदम है। भाषा के विवाद का दूसरा मुद्दा कुछ लोगों के अनुसार रोजी-रोटी का सवाल है। कुछ प्रदेशों में यह कहा जाता है कि हिंदी के राजभाषा बनने के कारण ज्यादातर नौकरियाँ हिंदी भाषियों को ही मिलेंगी। इस प्रश्न के निवारण में दो तर्क हैं। नौकरी में आने के लिए व्यक्ति के ज्ञान की ही परीक्षा की जाए, भाषाई पृष्ठभूमि की नहीं। जब उपयुक्त व्यक्ति चुन लिये जाएँ, तो उन्हें भाषा में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। काम करने वालों के लिए भाषा कोई दीवार नहीं है। जो भारतीय छात्र फ्रांस, रूस, जर्मनी आदि देशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं उन्हें सिर्फ कुछ महीनों का स्थानीय भाषा में शिक्षण लेना होता है। इसके बाद वे स्थानीय भाषा में उच्च अध्ययन करते हैं। जब शिक्षा में यह संभव है तो कार्य क्षेत्र में भी यह तरीका सुगमता से अपनाया जा सकता है। भारत सरकार की यही नीति रही है और भाषा के कारण लोगों को कोई असुविधा नहीं होती। यह बात केंद्र सरकार के संदर्भ में ही नहीं, राज्य सरकारों के स्तर पर अपनायी जानी चाहिए। आज हम देखते है कि कुछ प्रदेशों में नौकरी में आने से पहले ही स्थानीय भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है और इससे और भाषा भाषियों को नुकसान होता है।

रोजी-रोटी के संदर्भ में यह भी विचारणीय विषय है कि प्रयोजनमूलक भाषा के संदर्भ में अहिंदी भाषियों के लिए भी आजीविका के उतने ही रास्ते खुलेंगे जितने हिंदी भाषियों के लिए उपलब्ध होंगे। अन्य भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण, अनुवाद, द्विभाषी कोशों का निर्माण आदि क्षेत्र तो सिर्फ अहिंदी भाषी विद्वानों के लिए होंगे।

बोध प्रश्न 2

हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i.) निजी क्षेत्रों पर संविधान के राजभाषा संबंधी नियम लागू नहीं होते।

हाँ/नहीं

ii) जब फायदा होगा, तो निजी क्षेत्र अपने आप हिन्दी में काम करना पसंद करेंगे।

हाँ/नहीं

iii) निजी क्षेत्र हिन्दी के विकास की योजनाओं पर कार्य कर रहा है।

हाँ/नहीं

iv) हिन्दी के राजभाषा होने के कारण सरकारी नौकरी से पहले हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

हाँ/नहीं

v) भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय सहमति का अर्थ है नियमों द्वारा भाषा के उपयोग को निश्चित करना।

हाँ/नहीं

4. पाँच-पाँच पंक्तियों में संक्षिप्त उत्तर दीजिए।

1) अंग्रेजी के बने रहने के क्या कारण है ?

....

....

....

....

....

ii) हिन्दी में आजीविका के नये क्षेत्र कौन से खुले है ?

....

....

....

....

....

iii) भाषा की स्वीकृति के सवाल पर विचार कीजिए।

....

....

....

....

23.7 सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा कि किस तरह भाषा का सवाल आजीविका के सवाल से गहरे जुड़ा हुआ है। मातृभाषा-भाषी भी सिर्फ भाषा प्रेम की भावना से उत्प्रेरित होकर काम नहीं करता। उसे अपनी आजीविका और भविष्य के बारे में सोचना है। वह उसी भाषा में काम करना पसंद करेगा, जिसमें उसे आगे बढ़ने की दिशा मिलेगी।

हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। इसे हिंदी भाषियों को भी अपने कार्यों के लिए अपनाना है, अहिंदी भाषियों को इसमें कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना है। जब लोग हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे, हिंदी के माध्यम से नौकरियाँ प्राप्त करेंगे, तो स्वतः हिन्दी में काम करेंगे। इसके लिए दो बातों की आवश्यकता होगी:

i) लोगों को हिन्दी के माध्यम से पढ़ने की सुविधा मिले। इस संबंध में हम पिछली इकाई में चर्चा कर चुके हैं।

ii) लोग शिक्षा के आधार पर सेवा परीक्षाओं में बैठ सकें और चुने जा सकें। इस संबंध में भारत में बहुत परिवर्तन आया है। लगभग हर सेवा परीक्षा में लोग हिन्दी तथा कई जगह अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी परीक्षा दे सकते हैं और चुने जा सकते हैं।

भाषा के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल स्वीकृति का है। देश में हिन्दी के प्रति अन्यमनस्कता* या विरोध की भावना के पीछे लोगों की आशंकाएँ काम कर सकती हैं। कोई यह सोच सकता है कि हिन्दी के कारण उसकी भाषा का महत्व कम हो सकता है, कोई कह सकता है कि हिन्दी में काम करने पर हिन्दी भाषियों को ही ज्यादा नौकरियाँ मिलेंगी। लोगों को यह भी भय है कि हिन्दी से उन्हें ज्ञान, विज्ञान का भंडार नहीं मिलेगा जो अंग्रेजी से संभव है। इन भ्रांतियों के निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित बातें द्रष्टव्य है-

i) देश की अन्य प्रमुख भाषाएँ भी विकास के पथ पर अग्रसर हैं। हिन्दी इस विकास प्रक्रिया में उनका मार्ग दर्शन करे, तो उन्हें हिन्दी से विरोध नहीं होगा। देश ने इस संदर्भ में पहल की है।

ii) हिन्दी देश की सामासिक संस्कृति का वाहक बने, इसके लिए आवश्यक है कि हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान का भंडार उपलब्ध हो। उस स्थिति में वह अंग्रेजी से भी अच्छा सेतु बनेगी,क्योंकि उसमें समस्त भारतीय वाङ्मय मिल सकेगा। उपर्युक्त स्थितियों में नौकरी के संदर्भ में आशंका निर्मूल होगी, क्योंकि प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में कार्य के लिए कहीं अहिंदी भाषी अधिक उपयुक्त होंगे।

निजी क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के माध्यम से काम करना देश की भाषाओं के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस समय निजी क्षेत्र में लगभग सारा कार्य अंग्रेजी के माध्यम से होता है क्योंकि निजी क्षेत्र भाषा प्रेम के वशीभूत होकर काम नहीं करता, मितव्ययता,सुविधा पर अधिक बल देता है। निजी क्षेत्र तभी हिन्दी को अपनाएगा जब उसे प्रशिक्षित व्यक्ति मिलें, कार्य के लिए आवश्यक यांत्रिक साधन मिलें और यह उसे लाभदायक रहे। इस तरह शिक्षण-प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रोग्रामों की उपलब्धता, भाषा की स्वीकृति आदि कुछ उलझे हुए सवाल हैं। इनके हल से भाषा का प्रयोग बढ़ेगा। सेवा परीक्षाओं में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़कर प्रशासन ने इस संदर्भ में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

23.8 शब्दावली

आजीविका - नौकरी आदि जो व्यक्ति अपने गुज़ारे के लिए अपनाता है।
मानसिकता - मन की स्थिति
नियोजित - योजना के अनुसार चलने वाला
नियोक्ता - नियुक्त करने वाला
अभिकरण - कार्य करने वाली संस्था
अभ्यर्थी - आवेदक
विनिर्माण - फ़ैक्टरी में उत्पादन (मैन्युफ़ैक्चरिंग)
अर्हता - योग्यता

अन्यमनस्कता - आधे मन से काम करना, उदासीनता

23.9 कुछ उपयोगी ग्रंथ

विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रयोगः समस्याएँ और समाधान
प्रशांत वेदालंकार (सं.)
विनीता प्रकाशन, दिल्ली

23.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) व्यापक स्तर पर रोजगार के रास्ते खुले हैं- शिक्षा की सुविधा है।
ii) जन संपर्क तथा जन संचारः प्रयोजनमूलक तथा शैक्षिक
iii) प्रशासनिक, तकनीकी, वाणिज्य-व्यापार
iv) हमारे पास अंग्रेजी से प्राप्त प्रक्रिया साहित्य हैः विविध विषयों पर ग्रंथ हैं। विदेशों से ज्ञान आ सकता है।
v) शैक्षिक स्तर, सेवाओं के लिए।
iv) जैसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हिंदी और प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी की व्यवस्था थी।

2. i) नहीं ii) हाँ iii) हाँ iv) हाँ v) नहीं

बोध प्रश्न 2

3. i) हाँ ii) हाँ iii) नहीं iv) नहीं v) नहीं
4. i) नौकरी, काम करने की सुविधा, शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क

ii) शिक्षा, प्रशासन, तकनीकी क्षेत्र,वाणिज्य-व्यापार, अनुवाद, पत्रकारिता, फिल्म आदि जन संचार कार्यक्रम, पुस्तक प्रकाशन आदि सद्भावना, सेतु का कार्य, भाषाओं में परस्पर सहयोग और नौकरी के संदर्भ में विचार कीजिए।

हिन्दी माध्यम की सुविधा

भाग-एक

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा जो निम्नलिखित सेवाओं में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा है:

क) अखिल भारतीय सेवाएँ:

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. भारतीय पुलिस सेवा

ख) केंद्रीय सेवाएँ: ग्रुप 'क' सेवाएँ/पद:

1. भारतीय विदेश सेवा
2. भारतीय डाक-तार लेखा एवं वित्त सेवा
3. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा
4. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा
5. भारतीय रक्षा लेखा सेवा
6. सैन्य भूमि और छावनी सेवा
7. भारतीय आयकर सेवा
8. भारतीय आयुध कारखाना सेवा (सहायक प्रबंधक, गैरतकनीकी)
9. भारतीय डाक सेवा
10. भारतीय सिविल लेखा सेवा
11. भारतीय रेल यातायात सेवा
12. भारतीय रेल लेखा सेवा
13. भारतीय रेल कार्मिक सेवा
14. रेल सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद
17. केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड-II)
18. केन्द्रीय व्यापार सेवा (ग्रेड-III)

ग) केन्द्रीय सेवाएँ ग्रुप 'ख' सेवाएँ/पद:

1. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)
2. रेल बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)
3. भारतीय विदेश सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)
4. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा (सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड)

5. सीमा शुल्क निरूपक सेवा

6. दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा

7. पांडिचेरी पुलिस सेवा

8. गोवा, दमन और दीव पुलिस सेवा

9. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेट के पद

10. भारत रिफैक्टीज लिमिटेड की अधिकारी प्रशिक्षुओं की चयन परीक्षा

11. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन में अधिकारी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति परीक्षा

भाग - दो

अन्य आयोगों आदि द्वारा ली जाने वाली कुछ भर्ती परीक्षाएँ जिनमें हिन्दी का विकल्प है:

रेल मंत्रालय तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाएँ भारतीय मानक ब्यूरो की भर्ती व पदोन्नति परीक्षाएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों की परिवीक्षाधीन अधिकारी वर्ग की भर्ती परीक्षाएं

राष्ट्रीयकृत बैंकों की लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक की स्टाफ "ए" तथा "बी" अधिकारियों की भर्ती परीक्षाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक की लिपिकों की भर्ती परीक्षा

भारतीय बैंकर्स संस्थान, बम्बई द्वारा संचालित एसोसिएट परीक्षा

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की परीक्षा

बैंकिग सेवा भर्ती बोर्ड पश्चिमी समूह 1) बम्बई द्वारा कृषि वित्त अधिकारी, 2) विधि अधिकारी, 3) औद्योगिक अधिकारी, 4) चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायकों की भर्ती परीक्षा

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिकों की भर्ती परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित आशुलिपिकों की भर्ती परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न मौसम विज्ञान केन्द्रों में वरिष्ठ प्रेक्षकों की भर्ती परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों व आयकर निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग की पुलिस सब इन्सपैक्टर (दिल्ली पुलिस व सी बी आई) की भर्ती परीक्षा

भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक प्रशासनिक अधिकारियों और विकास अधिकारियों की भर्ती परीक्षा

भारतीय साधारण बीमा निगम की मार्केटिंग ट्रेनीज की भर्ती परीक्षा

भारतीय जीवन बीमा निगम की टंककों एवं सहायकों की भर्ती परीक्षाएँ

भारतीय जीवन बीमा निगम की अधिकारी वर्ग की भर्ती परीक्षा

भारतीय जीवन बीमा निगम की लिपिक वर्ग की भर्ती परीक्षा

फैडरेशन आफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, बम्बई की लाइसेंसिएट परीक्षा

राष्ट्रीय सैन्य कालेज, देहरादून की प्रवेश परीक्षा के कुछ प्रश्न-पत्र

थल सेना के शिक्षा अनुदेशकों के पदों की भर्ती परीक्षा

नौ-सेना गोदीवाड़ा, बम्बई के अप्रेन्टिस स्कूल की प्रवेश परीक्षा

भारतीय नौ-सेना की नौसैनिकों के लिए भर्ती परीक्षा
भारतीय नौ-सेना की आर्टिफिशियल अप्रैंटिस की भर्ती परीक्षा

तट रक्षक बल के नाविकों की भर्ती परीक्षा

गैर-तकनीकी ट्रेडों में वायु सैनिकों की भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा में प्रश्न-पत्र द्विभाषी होते हैं और तकनीकी ट्रेडों मे बुद्धि परीक्षा और सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र भी द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में होते हैं।

परमाणु उर्जा विभाग द्वारा "क" व "ख" क्षेत्रों में भर्ती परीक्षाएँ, साक्षात्कार

दूर संचार विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती परीक्षा

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती परीक्षा

ट्रेड फेयर मैनेजमैंट के सर्टिफिकेट कोर्स की प्रवेश परीक्षा

केन्द्रीय पुलिस संगठनों, जैसे केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में उप-पुलिस निरीक्षकों, कम्पनी कमाण्डरों, सहायक कमाण्डेंटों, पुलिस अधीक्षकों के पदों के लिए भर्ती परीक्षाएँ

अनेक राज्यों के महालेखाकार कार्यालयों द्वारा आयोजित मण्डलीय लेखाकारों (डिविजनल एकाउन्टेंट) की भर्ती परीक्षाएँ

हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, कलकत्ता (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा डिप्लोमा और आई टी आई इंजीनियरों की भर्ती परीक्षाएँ

भाग - तीन

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की शिक्षण प्रकृति की परीक्षाएँ:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी) में शोध प्रबन्ध हिन्दी में दिये जाने की अनुमति

मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा एम.डी. की परीक्षा में शोध प्रबन्ध हिन्दी में भी प्रस्तुत किये जाने की अनुमति

अलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा एम.एड. परीक्षा हिन्दी में भी दिए जाने की अनुमति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को आदेश दे दिए गए है कि स्नातकोत्तर और पी.एच.डी. की परीक्षाओं के शोध प्रबन्ध हिन्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते है और छात्रों को उनका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं देना होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए जूनियर रिसर्च फैलोशिप की परीक्षा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए जूनियर रिसर्च फ़ैलोशिप की परीक्षा

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा

दिल्ली विश्वविद्यालय की अखिलभारतीय छात्रवृति परीक्षा

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स कोर्स की प्रारम्भिक, इण्टर व फ़ाइनल परीक्षाएँ

कम्पनी सेक्रेट्रीज की प्रारम्भिक, इण्टर (सिवाय इंग्लिश एँड बिजनेस कम्यूनिकेशन पेपर) की पुराने और नए पाठ्यक्रम दोनों की परीक्षाएँ तथा पुराने पाठ्यक्रम की फाइनल परीक्षा

कास्ट एकाउन्टेंट कोर्स की प्रारम्भिक, इण्टर व फ़ाइनल की परीक्षाएँ

सैन्य चिकित्सा कालेज, पुणे द्वारा उपचर्या (नर्सिंग) की प्रवेश परीक्षा

विभिन्न राज्य उपचर्या परिषदों द्वारा नर्सिंग की भर्ती का माध्यम

राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम (एन.टी.पी.सी.) द्वारा 'क' क्षेत्र के लिए प्रशिक्षु पर्यवेक्षक (डिप्लोमा होल्डर्स) की भर्ती परीक्षा

इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की ए.एम.आई.ई. के सेक्शन 'ए' की परीक्षा

अनेक होटल प्रबन्ध संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा

नेशनल फर्टीलाईज़र्स लिमिटेड द्वारा ली जाने वाली जूनियर ग्रेजुएट की ट्रेनीज़ की भर्ती परीक्षा

सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई टी) में प्रवेश परीक्षा का माध्यम (1990 में)

भारत सरकार के अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी में प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था, उनकी परीक्षाओं में हिन्दी विकल्प और प्रश्न-पत्र भी द्विभाषी है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्टाफ़ अधिकारी भर्ती परीक्षा। यह बहु-विकल्प वस्तुपरक प्रकार की होती है तथा प्रश्नपत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। साक्षात्कार में भी हिन्दी का विकल्प है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली नमक निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा। प्रश्न पत्र वस्तुपरक बहुविकल्प प्रकार के होते हैं जो हिन्दी-अंग्रेजी में छपते हैं। साक्षात्कार में भी हिन्दी का विकल्प है।

बैंकिंग सेवा भर्ती मंडल, दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलूर की परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं कृषि-विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक परीक्षा

स्रोत: (श्री जगन्नाथः केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के सौजन्य से।)

सामान्य पुस्तक सूची

शिक्षा में हिंदी के बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए निम्नलिखित पुस्तकों का अवलोकन कर सकते हैं-

1. Language Policy and Programmes
   D.P. Pattanyak (Ed.)
   Ministry of Education and Youth Services.
   G vernment of India: New Delhi: 1970.

2. Languages and Media of Instruction in Indian Schools
   (Third All-India Educational Survey)
   M.G. Chaturvedi & Satvir Singh (Ed.)
   NCERT, New Delhi: 1981.

3. Distribution of Languages in India in States & UTs
   CIIL, Mysore: 1973.

4. Language Teaching and Learing in India-
   The need for Research and Analysis
   M.G. Chaturvedi
   NCERT, New Delhi: 1974.

5. The Position of Languages in School Curriculum in India
   M.G. Chaturvedi & B.V. Mohala
   NCERT, New Delhi: 1976.

नई शिक्षा नीति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली: 1986

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

UGHI-06 / CSSHI-06

हिन्दी भाषा : इतिहास और वर्तमान

खंड

6

संविधान में हिंदी

इकाई 24
संविधान में हिंदी संबंधी उपबंध 5

इकाई 25
संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई 19

इकाई 26
राजभाषा अधिनियम और आदेश 32

इकाई 27
राजभाषा के विकास के विविध आयाम 48

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

डॉ. भ.ह. राजूरकर
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
औरंगाबाद

डॉ. राम सिंह तोमर
28, पूर्वपल्ली
विश्वभारती विश्वविद्यालय
शांतिनिकेतन
प. बंगाल

प्रो. भीमसेन निर्मल
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

डॉ. संसार चन्द्र
अवकाश प्राप्त आचार्य एवं
अध्यक्ष (हिंदी विभाग)
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू

डॉ. अंबाशंकर नागर
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

डॉ. रमानाथ सहाय
आगरा

डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा
हिंदी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

डॉ. बलशीश सिंह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रो. डॉ. वी.रा. जगन्नाथन (संयोजक)
निदेशक, मानविकी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

पाठ लेखक
प्रो. वी.रा. जगन्नाथन

मुद्रण प्रस्तुति

सुश्री पुष्पा गुप्ता
कापी एडिटर
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मई 1997 (पुन: मुद्रित)

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1991

ISBN-81-7091-943-6

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक मानविकी विद्यापीठ, प्रो. आशा एस कंवर द्वारा पुन: मुद्रित।

खंड परिचय

हिंदी आज भारत की राजभाषा है। 1947 तक भारत परतंत्र था और अंग्रेज़ों के शासन के समय अंग्रेज़ी भारत की राजभाषा थी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो यह स्वाभाविक था कि भारत की कोई भाषा राजभाषा बने। हिंदी इसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा थी क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। यह एक प्रकार से भारत की संपर्क भाषा थी और इस भाषा में साहित्य, शब्द-निर्माण आदि के संदर्भ में विकास की संभावनाएँ थीं। इस खंड में हम यही अध्ययन करेंगे कि हिंदी को राजभाषा बनाने का इतिहास क्या रहा, राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज देश में राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है।

हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न सिर्फ 1947 से ही शुरू नहीं हुए हैं। हिंदी (या हिंदुस्तानी) को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के संदर्भ में प्रवर्तन 1917 में ही शुरू हो चुका था, जब महात्मा गाँधी ने इस भाषा को देश की एकता का सूत्र समझा और इसे देश के चारों कोनों में ले जाने का प्रवर्तन किया। 1917 से लेकर 1947 तक इस संदर्भ में कई स्तरों पर विचार-विमर्श हुए, निर्णय हुआ और कार्यान्वयन भी हुआ, लेकिन उस समय का यह प्रयत्न सरकारी नीति नहीं थी, एक जनाकांक्षा थी। 1947 में, आज़ादी के तुरंत बाद, संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने के संदर्भ में व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श हुआ और संविधान में एकमत होकर **उसके** निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कोशिश की।

इकाई 24 में आप संविधान बनने से पूर्व हिंदी के लिए किए गए प्रयास का अध्ययन करेंगे और बाद में यह पढ़ेंगे कि संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रतिष्ठापन के लिए क्या आधार रखा गया।

संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय तो हो चुका था, लेकिन इस व्यापक कार्य में आगे बढ़ने के बारे में दिशा-निर्देश भी आवश्यक थे। जो भाषा राजभाषा बनती है, उसमें विधिक और प्रशासनिक साहित्य की आवश्यकता होती है। इस साहित्य के निर्माण के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता है। जब साहित्य उपलब्ध हो तो काम करने वालों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार के अनवर्ती कार्यक्रमों का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 344 में है। इसी संदर्भ में आगे की कार्रवाई क्या की गई और राजभाषा आयोग का गठन किस कारण हुआ और आयोग के गठन के संदर्भ में राष्ट्रपति ने राजभाषा के विकास के लिए क्या आदेश निकाले, इन सबका अध्ययन आप इकाई 25 में करेंगे।

संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए समय देते हुए 1965 तक अंग्रेज़ी राजभाषा बनी रहेगी और 1965 में अधिनियम द्वारा हिंदी को पूर्ण रूप से राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। इस संदर्भ में 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के कारण तमिलनाडु में उथल-पुथल शुरू हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में घोषणा की कि जब तक राज्य चाहेंगे कि वे अंग्रेज़ी में काम करते रहें, तब तक अंग्रेज़ी को हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनाए रखा जाएगा। इस आश्वासन के संदर्भ में पारित विधेयक को पुन: 1967 में संशोधित रूप में पारित किया गया। उक्त अधिनियम के संदर्भ में कार्यान्वयन को मूर्त्त रूप देने के लिए 1976 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने राजभाषा नियम घोषित किए। इकाई 26 में आप 1963 के अधिनियम (1967 में संशोधित रूप में) तथा 1976 के राजभाषा नियम का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आज हिंदी के कार्यान्वयन के संदर्भ में देश में किस प्रकार की व्यवस्था है।

राजभाषा का संदर्भ अखिल भारतीय संदर्भ है। राजभाषा के क्षेत्र में, देश के कोने-कोने में फैले हुए रेल, डाक और तार विभाग, बैंक, सरकारी उपक्रम आदि कार्य करते हैं। इनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना होगा, उन्हें हिंदी में काम करने के लिए सुविधाएँ देनी होंगी और हिंदी के काम की देख-रेख करनी होगी। ऐसे कार्यक्रम विविध स्तरों पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इकाई 27 में हम नियमों में कार्य करने के बारे में दी गई व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उस व्यवस्था के अनुरूप किए जाने वाले काम की स्थिति का भी अध्ययन करेंगे।

इकाई 24 संविधान में हिंदी संबधी उपबंध

इकाई की रूपरेखा

24.0 उद्देश्य
24.1 प्रस्तावना
24.2 स्वतंत्रता के समय भारत में भाषा का मसला
24.3 संविधान और हिंदी
 24.3.1 संघ की राजभाषा
 24.3.2 प्रदेशों की राजभाषा/राजभाषाएँ
 24.3.3 प्रदेशों के बीच संपर्क
24.4 शासन के अंग और भाषा
 24.4.1 न्यायांग में राजभाषा
 24.4.2 विधानाग में राजभाषा
 24.4.3 कार्यांग में राजभाषा
24.5 राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा
24.6 विशेष निर्देश
24.7 सारांश
24.8 शब्दावली
24.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
24.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

24.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम भारत के संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग और विकास के बारे में जो प्रावधान किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- राजभाषा शब्द की परिभाषा और व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत के प्रशासन के तीनों अंगों में हिंदी के प्रकार्य को स्पष्ट कर सकेंगे;
- शासन तंत्र में हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका का विवरण दे सकेंगे;
- अनुच्छेद 351 की व्याख्या कर सकेंगे, जो बहुभाषी समाज में हिंदी की केंद्रीय भूमिका का वर्णन करता है; और
- भाषाओं के संदर्भ में संविधान का विवेचन कर सकेंगे।

इस खंड की इकाइयों में आप कानून की भाषा के स्वरूप का भी परिचय प्राप्त करेंगे।

24.1 प्रस्तावना

1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए। उनके समय तक अंग्रेज़ी ही भारत की राजभाषा थी। उनके जाने के बाद भारत के शासन के लिए एक राजभाषा की आवश्यकता थी, जिससे प्रशासनिक तौर पर पूरा देश जुड़ा रह सके।

भारत 1950 में जनवरी, 26 तारीख को गणतंत्र स्थापित हुआ। इस गणतंत्र ने इस देश के शासन के लिए अपना संविधान स्वीकृत किया था, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। इस संविधान में अन्य कई प्रमुख मुद्दों के अतिरिक्त भाषा के प्रश्न पर भी बड़ी गहराई से चर्चा की गई है। यहाँ हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भाषा के मसले पर देश के प्रमुख विद्वानों के विचारों का विवेचन करेंगे, जिससे संविधान के उपबंधों के बारे में सही प्रेरिप्रेक्ष्य अपना सकें।

24.2 स्वतंत्रता के समय भारत में भाषा का मसला

भारत बहुभाषी देश है। आदिकाल से ही इसमें कई भाषाएँ विद्यमान रही हैं। उन भाषाओं का स्वतंत्र विकास भी होता रहा है, साथ में सभी भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान भी होता रहा है। इस दृष्टि से भारत में भाषिक सहिष्णुता ही नहीं, भाषिक समन्वय का भी लंबा इतिहास है। आदिकाल से ही देश के कोने-कोने में विद्वान संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि भाषाओं में साहित्य सर्जन और विषय निरूपण करते रहे हैं। भाषाओं के परस्पर सहयोग के कारण देश की जनता कहीं भी भाषा की दृष्टि से या भाषा के कारण पंगु नहीं रही। भारतीय भाषाओं की परस्पर संप्रेषणीयता के कारण, सामान्य मूलभूत तत्वों के कारण यह बहुभाषी देश वास्तव में एक 'भाषिक क्षेत्र' बन सका। इस संदर्भ में आप इकाई 4 में अध्ययन कर चुके हैं।

मध्य और पूर्व आधुनिक युग तक यह परंपरा बनी रही। बंगाल के कवियों ने ब्रज-बुलि में साहित्य रचना की, जो ब्रजभाषा का ही बदला हुआ रूप है। केरल के स्वाति तिरुवाल ने 17वीं शताब्दी में ब्रजभाषा में पद रचे और आंध्र प्रदेश के पुरुषोत्तम कवि ने 19वीं शताब्दी में हिंदी में नाटक लिखे। इस तरह हिंदी प्रदेश की भाषा को अखिल भारतीय रूप प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में अधिक विस्तार से आप इकाई 16 में पढ़ चुके हैं।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और तब से स्वतंत्रता तक आंदोलन गहराता चला। 1904 में महात्मा गांधी की अफ्रीका से वापसी के बाद से इस संग्राम में बड़ी तेज़ी आई। गांधी जी ने स्वतंत्रता के संग्राम के लिए तीन प्रमुख हथियार दिए—सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। ये तीनों इस लड़ाई के लिए बलशाली हथियार थे। साथ में उन्होंने लड़ाई के अन्य आवश्यक उपादानों के रूप में भाषा के प्रश्न को भी प्रमुख स्थान दिया। वे देश की स्वतंत्रता के लिए देश की जनता की संपूर्ण सहभागिता पर बल देते थे। यह सहभागिता देश की भाषा/भाषाओं से ही संपन्न हो सकती थी। उन्होंने इसी कारण इस लड़ाई के लिए देश की भाषा/भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना। 1909 में अपनी पुस्तक 'स्वराज्य' में उन्होंने लिखा—"हर शिक्षित भारतीय को अपनी भाषा के साथ-साथ पूरे देश की भाषा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए।" उन्होंने 20 अक्तूबर, 1917 को दूसरे गुजरात शिक्षा अधिवेशन में कहा कि "अंग्रेज़ी इस देश की राष्ट्रभाषा न हो सकती है, न होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की अधिकांश जनसंख्या की भाषा नहीं है। केवल हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि यह सरल है, सांस्कृतिक-सामाजिक धरातल पर संप्रेषण की भाषा है और देश की अधिकांश जनता यह भाषा जानती है।" इस तरह उन्होंने अपनी भाषा की नीति स्पष्ट कर दी थी। इस नीति के कार्यान्वयन के तौर पर उन्होंने 1917 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा की नींव रखी और दक्षिण में हिंदी के प्रचार आंदोलन को गति दी।

आप जानते ही हैं कि गांधी जी समन्वयवादी थे। वे जानते थे कि देश की एकता के लिए जनता की एकता अनिवार्य है और इस संदर्भ में उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता पर बहुत बल दिया। वे यह भी जानते थे हिंदू संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा के पक्षधर थे, और मुस्लिम फारसी लिपि में लिखित अरबी-फारसी शब्दों से युक्त उर्दू भाषा के हिमायती थे। लेकिन देश की आम जनता न पंडिताऊ हिंदी शैली का प्रयोग करती थी, न खालिस उर्दू ज़बान का। वह परस्पर विचार-विमर्श के लिए, सार्वजनीन व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती थी, उसे गांधी जी हिंदुस्तानी कहते थे। उनके अनुसार यही हिंदुस्तानी इस देश की राष्ट्रभाषा थी, देश को जोड़ने वाली कड़ी थी।

इस शताब्दी के आरंभ में भाषा की आवश्यकता का जो सवाल उठा, वह ज़ोर पकड़ता गया। देश की ही किसी भाषा में कार्य किया जाना चाहिए, यह अनिवार्यता थी। वह भाषा हिंदी ही हो सकती है, यह निर्विवाद सत्य था। बहुभाषी समाज में अन्य जो भाषाएँ हैं, उनका विकास होना चाहिए और लोगों को अपनी भाषा के प्रयोग का अवसर मिलना चाहिए, यह चेतना थी और व्यावहारिक दृष्टि थी। आइए, हम देखें कि संविधान में इन सबकी क्या व्यवस्था की गई है।

संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ा मुद्दा था इस भाषा को हिंदी कहें या हिंदुस्तानी कहें। हिंदुस्तानी शब्द जन साधारण में व्यवहृत उस सहज, सरल रूप का प्रतीक था, जो हिंदू और मुस्लिम सभी उपयोग में लाते थे। अतः कई लोग राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में 'हिंदुस्तानी' रखना पसंद करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी को हर जगह राष्ट्रभाषा

(national language) ही कहा गया था। संविधान तो राजकाज के प्रकार्यों के बारे में कानून बना सकता है; राष्ट्रभाषा का दर्जा कानून की परिधि में आ सकता है? हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या हमारा संविधान राष्ट्रभाषा के प्रश्न को अनदेखा कर गया है?

बोध प्रश्न 1

1) संविधान निर्माताओं के सामने कौन-सा बड़ा मुद्दा था?

....

....

2) गांधी जी किन दो कारणों से "हिंदुस्तानी" को ही राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त मानते थे?

....

....

24.3 संविधान और हिंदी

संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और भाषा से संबंधित कुल 11 अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल 18 भाग हैं और एक पूरा भाग (भाग 17) भाषा संबंधी व्यवस्था के लिए दिया गया है। इसी से अनुमान हो सकता है कि संविधान के निर्माताओं ने इस बहुभाषी देश के लिए भाषा के मसले को कितना महत्व दिया है। यहाँ हम उन अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे, जो भाषा के प्रश्न पर विचार करते हैं।

24.3.1 संघ की राजभाषा

343. संघ की राजभाषा–1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2) खंड 1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा–

क) अंग्रेज़ी भाषा का, या

ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंक (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) का उपयोग होगा। यह प्रावधान किया गया है कि 15 वर्ष की अवधि तक (अर्थात् 1965 तक) अंग्रेज़ी का उपयोग पूर्ववत् होता रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति इस अवधि में अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा तथा देवनागरी अंकों के उपयोग के लिए आदेश निकाल सकते हैं। यह भी प्रावधान था कि संसद 15 वर्ष की अवधि के बाद भी विधि द्वारा किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग का उपबंध कर सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रमिक दायित्व ग्रहण और अंग्रेज़ी के यथावश्यकता बने रहने का प्रावधान किया गया था।

24.3.2 प्रदेशों की राजभाषा/राजभाषाएँ

आगे के दो अनुच्छेद 345 तथा 346 में राज्यों की राजभाषा तथा राज्यों के बीच संपर्क की भाषा के बारे में विचार किया गया है। अनुच्छेद 347 में राज्य में भाषा को मान्यता देने के बारे में विशेष उपबंध है। ये तीनों अनुच्छेद अध्याय दो में आते हैं, जिसका संबंध प्रादेशिक भाषाओं से है।

अध्याय 2—प्रादेशिक भाषाएँ

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ—अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि* की राजभाषा—संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा के बारे में चर्चा करता है। राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य में किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य चाहे जितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे सकता है। यह भी बात महत्वपूर्ण है कि राज्य किन्हीं भाषाओं को सीमित शासकीय प्रयोजनों के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा। भारतीय बहुभाषिकता की स्थिति में यह आवश्यक है कि किसी राज्य की सभी भाषाओं के बोलने वालों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। राज्य के किसी क्षेत्र में किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बसते हों, तो इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार उस क्षेत्र में उस भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। यह निर्णय केंद्र सरकार नहीं करेगी, बल्कि उस राज्य का विधान मंडल इसके लिए विधि बना सकेगा।

ऐसा भी हो सकता है कि राज्य/राज्य का विधान मंडल उस प्रदेश में बोली जाने वाली किसी भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार न करे। उस स्थिति में क्या उस भाषा के बोलने वाले अपनी उचित माँग के बावजूद अपने अधिकार से वंचित रहें? अनुच्छेद 347 में ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा किसी भाषा को मान्यता देने के संबंध में प्रावधान है—

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध—यदि इस निमित्त माँग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

राष्ट्रपति द्वारा किसी भाषा की मान्यता संबंधी आदेश के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं—

i) उस भाषा के बोलने वालों की पर्याप्त संख्या हो,

ii) वे माँग करें कि उनकी भाषा को मान्यता दी जाए।

उनका आदेश उस भाषा को पूरे राज्य में या किन्हीं क्षेत्रों में तथा कुछ या सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए राजकीय मान्यता देने के लिए हो सकता है। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधान मंडल बिना किसी की माँग के भी एक या अनेक भाषाओं को राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। अनुच्छेद 347 जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को महत्व देने पर बल देता है।

24.3.3 प्रदेशों के बीच संपर्क

अनुच्छेद 346 किन्हीं दो राज्यों के बीच संपर्क के लिए भाषा के सवाल पर प्रकाश डालता है। क्या दो प्रदेश जिनकी राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी से अलग कोई और है, आपस में अपनी राजभाषा में पत्राचार कर सकते हैं? क्या दो राज्य अपनी-अपनी राजभाषा में (जो हिंदी या अंग्रेज़ी से अलग हो) आपस में पत्राचार कर सकते हैं। उक्त अनुच्छेद के अनुसार यह संभव नहीं है, सभी राज्यों को संघ की राजभाषा के माध्यम से ही पत्राचार आदि करना होगा।

इस व्यवस्था का आधार शायद यही है कि दो राज्यों के बीच का संपर्क जब आगे केंद्र सरकार में विचार के लिए आएगा, या उनके बीच का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में आएगा या उन राज्यों के कानून जो संघ के कानून का अंग बनेंगे, तो उनपर तभी विचार किया जा सकेगा जब पत्रादि संघ की राजभाषा में हों।

24.4 शासन के अंग और भाषा

हम संविधान में हिंदी के संदर्भ में अब तक की चर्चा को थोड़ी देर के लिए रोककर यह देखना चाहेंगे कि भारत में संघ और राज्यों के कार्यों का बँटवारा किस तरह का है और इन कार्यों के संदर्भ में देश की भाषा नीति देश की संघीय व्यवस्था को किस तरह प्रतिबिंबित करती है।

राष्ट्र के तीन प्रमुख अंग हैं—

		संघ स्तर पर	राज्य स्तर पर
1)	विधानांग (विधायिका)	संसद (राज्य सभा और लोकसभा)	विधान मंडल (विधान सभा और विधान परिषद्, जहाँ भी हों)
2)	न्यायांग (न्यायपालिका)	उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय	जिला न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय
3)	कार्यांग (कार्यपालिका)	केंद्र सरकार अन्य संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएँ	राज्य सरकारें मंडल तथा ज़िला स्तर का प्रशासन अन्य स्थानीय प्रशासन राज्य स्तर के उपक्रम आदि

राजभाषा का प्रयोग इन्हीं तीन शासन के अंगों में होता है। ऐसी व्यवस्था की जानी है कि संघ स्तर पर तीनों अंगों में संघ की राजभाषा का प्रयोग हो, राज्य स्तर पर राज्य किसी एक या किन्हीं भाषाओं के माध्यम से कार्य करे और संघ और राज्यों के बीच तथा दो या अधिक राज्यों के बीच का संपर्क विधि सम्मत हो। इस चर्चा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि हमारी भाषा नीति किस हद तक संघीय (federal) है, जिससे हर स्तर पर कार्य सुगमता से चलता रहे और देश के लोगों की भाषा संबंधी आकांक्षाएँ भी पूरी हो सकें। यहाँ हम कार्य की सुगमता के संदर्भ में इन तीन अंगों में भाषा के सवाल पर विचार करेंगे।

24.4.1 न्यायांग में राजभाषा

सबसे पहले हम न्यायांग की चर्चा करें। संविधान के भाग 17 के अध्याय 3 के दो अनुच्छेदों में, अर्थात् अनुच्छेद 348 तथा 349 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भाषा के सवाल पर विचार किया गया है। ये दोनों संघीय व्यवस्था में आते हैं, संविधान द्वारा निर्देशित रूप से कार्य करते हैं। राज्य स्तर के अन्य न्यायालयों की भाषा नीति राज्य सरकारें तय करेंगी।

अध्याय 3—उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा—1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक—

क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी,

ख) i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

ii) संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के,प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।

2) खंड 1) के उपखंड क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3) खंड 1) के उपखंड ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

349. भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया—इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड 1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।
यहाँ हम अनुच्छेद 348 के उपबंधों की चर्चा करेंगे।

1) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों "अभिलेख-न्यायालय" (court of records) हैं। अर्थात् इनके अपने निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं। कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय को अपने निर्णय का आधार बना सकता है। अधीनस्थ न्यायालय अपने से बड़े न्यायालय के निर्णय के विपरीत कोई निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए न्यायालयों के पास अन्य (उच्चतम और उच्च) न्यायालयों के निर्णय प्राप्त होने चाहिए। यह तभी संभव होगा, जब सारे निर्णय संघ की राजभाषा में हों। साथ ही न्यायालय देश के कानून के अंतर्गत, उनकी व्याख्या और संवैधानिकता पर विचार करते हुए निर्णय करते हैं। ये कानून हैं—भारत का संविधान, संसद के सदन या विधान मंडलों में पारित अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, संसद/विधान मंडलों के कानूनों के अनुसार निकाले गए आदेश, नियम, विनियम और उपविधियाँ (orders, rules, regulations and bye-laws)। न्यायालयों के पास ये सारे कानून अभिलेख के रूप में होने चाहिए और संघ की राजभाषा में होने चाहिए। अनुच्छेद 348 के खंड 1) में यह बात देखी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों "अपील न्यायालय" (courts of appeal) हैं, अर्थात्, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ़ क्रमशः इनमें अपील की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों के फैसलों पर ही कार्रवाई* की जाती है और गवाहों के बयान, आदि का काम नहीं होता। इसलिए उच्चतम न्यायालय में संघ की राजभाषा के अतिरिक्त भाषा की कार्रवाइयों के

लिए अन्य किसी भाषा की ज़रूरत नहीं हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में जिला स्तर के न्यायालय की अपील के संदर्भ में कार्यवाहियों में स्थानीय भाषा की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुच्छेद 348 के खंड 2) में इसी का प्रावधान है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए हिंदी या प्रदेश में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा को प्राधिकृत कर सकते हैं।

कानून बनाने के संदर्भ में अगर किसी राज्य का विधान मंडल अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी और भाषा के माध्यम से विधेयक प्रस्तुत करता हो, अधिनियम पारित करता हो या इनके आधार पर आदेश, नियम आदि जारी करता हो, तो उसे राज्यपाल के प्राधिकार से अंग्रेज़ी का अनुवाद प्रस्तुत करना होगा। अब सवाल उठता है कि राज्य की भाषा का पाठ, जो मूल पाठ कहलाएगा और अंग्रेज़ी में अनूदित पाठ, जो मूल की प्रतिकृति होगा, इन दोनों में कौन-सा मान्य है? क्या किसी विवाद के सिलसिले में कोई यह कह सकता है कि अनूदित पाठ मान्य नहीं है और मूल पाठ ही मान्य होना चाहिए। खंड 3) में इसी संदर्भ में नियमन है कि राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के राजपत्र में प्रकाशित पाठ प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

बोध प्रश्न 2

3) सही शब्द चुनकर उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा करें।
   i) संविधान के भाग .... में राजभाषा की चर्चा है।
   ii) अनुच्छेद .... में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसकी लिपि .... होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के .... रूप का प्रयोग होगा।
   iii) देश के शासन के तीन अंग हैं ...., ..., ...
   iv) 1865 तक की अवधि में न्यायालयों में फ़ैसले आदि की भाषा में संशोधन .... से ही हो सकता था। (राष्ट्रपति आदेश/उच्चतम न्यायालय)
   v) जनता को .... में अपनी भाषा को मान्यता देने की माँग करने का अधिकार है। (संघ शासन/राज्य)

4) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।
   i) हर राज्य की राजभाषा एक ही होगी।
   ii) विधानांग में कानून का हिंदी अनुवाद प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।
   iii) दो राज्यों के बीच संघ की राजभाषा में ही पत्र व्यवहार आदि हो सकता है।
   iv) राज्य की राजभाषा का निर्णय संसद करती है।
   v) 1965 के बाद भी संसद अंग्रेज़ी के प्रयोग को किन्हीं प्रयोजनों के लिए जारी रख सकती थी।

5) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संविधान के अनुसार i) कार्रवाई के लिए और ii) फ़ैसले आदि के लिए भाषा के प्रश्न पर चार पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....
....
....
....

24.4.2 विधानांग में राजभाषा

न्यायांग के संदर्भ में भाषा की नीति की चर्चा के उपरांत हम यहाँ विधानांग में भाषा की स्थिति के बारे में विचार करेंगे। विधानांग में दो ही निकाय आते हैं--संघ स्तर पर संसद के दोनों सदन और राज्य में विधान मंडल के दो (या कहीं-कहीं सिर्फ़ एक) सदन। इनमें देश के कोने-कोने से सांसद/विधायक चुनकर आते हैं। इनमें कई सदस्य अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हो सकते हैं। सदस्यों को अपने कार्य से संबंधित निम्नलिखित भाषाई आवश्यकताएँ हो सकती है। उदाहरण के लिए, आगे हम संसद के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं--

i) उन्हें अपने कार्य के लिए आधार सामग्री के रूप में सांविधिक सामग्री, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन आदि, अन्य लोगों के प्रश्न आदि उपलब्ध होने चाहिए। यह संघ की राजभाषा में ही संभव हो सकेगा, भारत की सभी भाषाओं में यह सामग्री उपलब्ध कराना अत्यंत दुष्कर कार्य है।

ii) उन्हें संसद के सदन में अपने विचार व्यक्त करने होंगे। यह संभव है कि सदस्य की राजभाषा में अपनी बात कहने की पर्याप्त क्षमता न हो। इस कारण वह अपनी भाषा में ही सदन को संबोधित करना चाहेंगे। लेकिन उसकी बात सदन के सभी सदस्य समझ नहीं सकेंगे। अत: ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि वह अपनी मातृभाषा में बोल सके और सभी सदस्य उसके विचार भी समझ सकें।

इन दो प्रमुख आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए अनुच्छेद 120 का अध्ययन कीजिए और देखिए कि उक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ तक हो पाती है।

120. संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा—1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् में कार्य हिंदी में या अंग्रेज़ी में किया जाएगा :

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेज़ी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

इसी तरह विधान मंडल में भाषा के संदर्भ में अनुच्छेद 210 में विधान है कि व्यक्ति पूर्व अनुमति से किसी भी भाषा में सदन को संबोधित कर सकेगा।

210. विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा—1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेज़ी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

[परंतु [हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में विधान-मंडलों] के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों :]

[परंतु यह और कि [अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों] के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों।]

24.4.3 कार्यांग में भाषा

विधानांग में भाषा की चर्चा के उपरांत हम कार्यांग (या कार्यपालिका) में भाषा के प्रश्न पर संविधान के उपबंधों की चर्चा करना चाहेंगे। अनुच्छेद 345 से 347 तक राजभाषा के प्रश्न पर जो उपबंध किए गए हैं, वे इसी रूप में कार्यांग की भाषा पर लागू होंगे। कार्यांग आदि में भाषा की नीति क्या हो, इसे संविधान के उपबंधों के भीतर रहते हुए प्रशासन को निर्णय करना है। अनुच्छेद 344 में इस प्रश्न पर विचार किया गया है। यह अनुच्छेद संविधान के अनुसार कार्य करने की उस प्रणाली को स्पष्ट करता है, जो देश के सामने

1950 के समय में दिशा के रूप में दिखाई पड़ती थी। आइए, पहले इस अनुच्छेद का अध्ययन करें और बाद में इसकी व्याख्या करें।

344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति–1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति से–

क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करें।

3) खंड 2) के अधीन सिफ़ारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड 5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

इस अनुच्छेद को समझने के लिए हमें आठवीं अनुसूची की संकल्पना को समझना होगा। यद्यपि संविधान संघ शासन के संदर्भ में सिर्फ़ राजभाषा हिंदी की बात करता है, संविधान के निर्माताओं ने देश की बहुभाषिता की स्थिति और देश में विद्यमान अन्य भाषाओं के महत्व से मुँह नहीं मोड़ा। यह अनुसूची संविधान में निम्न प्रकार है :

अष्टम सूची

(अनुच्छेद 344 (1) और 351)

1) असमिया	2) उड़िया	3) उर्दू
4) कन्नड़	5) कश्मीरी	6) गुजराती
7) तमिल	8) तेलुगु	9) पंजाबी
10) बांग्ला	11) मराठी	12) मलयालम
13) संस्कृत	14) सिंधी	15) हिंदी

अब हम अनुच्छेद 344 के प्रसंग पर आएँ। इसके अनुसार राजभाषा के कार्यान्वयन में व्यापक प्रतिनिधित्व वाली बात अपनायी गयी है। जो राजभाषा आयोग गठित होगा उसमें

8वीं अनुसूची की भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे, और वह शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के बारे में सिफ़ारिश करेगा। आयोग राजभाषा के कार्यान्वयन की सिफारिश करने में एक तरफ औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का ध्यान रखेगा और दूसरी ओर सेवाओं में अहिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों (उनके भाषिक अधिकारों) और हितों का पूरा ध्यान रखेगा। इस तरह आयोग अपने गठन और अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य लेकर चलता है।

आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बनेगी, जिसके सदस्य क्रमशः दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

आयोग की सिफ़रिशों पर समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति कार्यान्वयन के निदेश देंगे।

इस तरह राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी पूरी प्रक्रिया जनतांत्रिक है, इसमें सबके हितों का ध्यान रखा गया है और राजभाषा हिंदी के क्रमिक विकास पर बल दिया गया है।

24.5 राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा

आइए, अब हम संविधान के भाग 17 के अंतिम अनुच्छेद (अनुच्छेद 351) की चर्चा करें जिसका शीर्षक है 'हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश।' संविधान में अन्य अनुच्छेद सार्वाधिक हैं, अर्थात् कानून के तौर पर उनका पालन किया जाना है। लेकिन यह अनुच्छेद 'निदेश' है, जो हिंदी के विकास के लिए दिशा देता है, वैचारिक भूमि देता है।

संविधान में भाषा संबंधी अन्य अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रश्न है, लेकिन अनुच्छेद 351 सिर्फ हिंदी की बात करता है। क्या यह अनुच्छेद राजभाषा के अकेले संदर्भ में है? नहीं, यह कुल मिलाकर हिंदी भाषा के संदर्भ में है, जो राजभाषा के अतिरिक्त शिक्षा की भाषा, साहित्य की भाषा, जन संपर्क की भाषा आदि अन्य भूमिकाओं का भी वहन करेगी। इसीलिए इस अनुच्छेद का संबंध हिंदी भाषा के स्वरूप, भूमिकाएँ तथा उसकी समृद्धि के प्रसंगों से है।

कई विद्वान कुछ निराशा के साथ कहते हैं कि हिंदी को संविधान में सिर्फ राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं। क्या आप भी मानते हैं कि संविधान में इसे राष्ट्रभाषा न कहे जाने के कारण इस भाषा का महत्व कम हो गया है? इस निराशा का संभवतः यह भी कारण है कि स्वतंत्रता से पूर्व के भाषा आंदोलन में प्रायः यही कहा जाता था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा national language हो सकती है। लेकिन संविधान में सिर्फ राजभाषा (जिसमें 'सरकारी भाषा' के महत्वहीन तात्पर्य की गंध दिखायी पड़ती है) का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रभाषा कहने पर दो तात्पर्य निकलते हैं। एक है राष्ट्र की एकमात्र भाषा। किसी भी बहुभाषिक देश में अन्य सारी भाषाओं की अस्मिता को ठुकराते हुए उनके स्थान पर सिर्फ़ एक भाषा को ही स्वीकार करने वाली बात किसी भी जनतांत्रिक देश में सही दृष्टि नहीं मानी जा सकती। इस कारण कुछ विद्वान राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए इस शब्द के अर्थ को विस्तार देकर कहते हैं कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला आदि सभी हमारी राष्ट्रभाषाएँ हैं। फिर इस अर्थ में 'राष्ट्रभाषा' का कोई निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। राष्ट्रभाषा का दूसरा अर्थ यह है कि उससे सांकेतिक सम्मान प्रकट होता है, जैसे राष्ट्रगान से। हिंदी भाषा का प्रश्न सम्मान से अधिक उसके प्रयोजनों का है, उसकी भूमिकाओं का है। राजभाषा हिंदी की एक अहम भूमिका है, एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे संविधान में परिभाषित और व्याख्यायित किया गया है। इसकी अन्य कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं—यह देश की भाषाओं के बीच एक सेतु है, एक संपर्क भाषा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो दस से अधिक देशों में बोली जाती है और लगभग 150 विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ायी जाती है। आप आगे अनुच्छेद का अध्ययन करें और देखें कि क्या आपको इसमें अन्य भूमिकाओं का संकेत मिलता है?

351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश—संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति* के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके

शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

आइए, अब इस अनुच्छेद की व्याख्या करें और इसके तात्पर्य को गहराई से देखें। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रमुख कथ्य हैं :

i) संघ का पहला दायित्व होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। यहाँ राजभाषा से इतर जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, अन्य क्षेत्रों में हिंदी के प्रसार का निदेश है। अर्थात् संघ शासन शैक्षिक, साहित्यिक आदि स्तरों पर इसके प्रसार का उपाय करे। तभी राजभाषा के रूप में उसके प्रसार को बल मिलेगा।

ii) संघ का दूसरा दायित्व होगा कि वह हिंदी का विकास इस रूप में करे कि वह भारत की सामासिक composite संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस कथ्य का यह आशय है कि हिंदी को एक बहुभाषी समाज में सभी भाषाओं के बीच सेतु बनना चाहिए। इस अर्थ में यह सही मायने में राष्ट्रीय भाषा होगी। इस तरह का सेतु या संपर्क सूत्र बनने के लिए उसे सभी भाषा क्षेत्रों के सांस्कृतिक तत्वों को अभिव्यक्त करना होगा। यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के ज्ञान-विज्ञान का भंडार तथा सांस्कृतिक-साहित्यिक कृतियाँ उपलब्ध हों। स्वाभाविक रूप, शैली तथा अभिव्यक्ति का ग्रहण तभी संभव होगा जब हिंदी में उन भाषाओं की संकल्पनाओं और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश होगा। इस तरह हिंदी देश की प्रमुख भाषा के वाङ्मय का आगार बनेगी और उन भाषाओं के बीच सेतु बनेगी। इस प्रकार का विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इस विकास की स्थिति में सभी भाषाएँ दूसरी भाषाओं की सामग्री के लिए हिंदी भाषा को आधार या माध्यम बनाएँगी। हिंदी भाषा की इस महत्वपूर्ण भूमिका को हम राष्ट्रभाषा का तीसरा तात्पर्य कह सकते हैं।

iii) संघ का तीसरा दायित्व होगा कि वह हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करे। इसके लिए दो निदेशक तत्व दिए गए हैं–

अ) हिंदुस्तानी तथा अष्टम सूची की अन्य पंद्रह भाषाओं से रूप form, शैली style तथा अभिव्यक्तियों expressions को आत्मसात करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार अन्य भाषाओं के तत्वों को ग्रहण करने पर भी हिंदी भाषा की मूल प्रकृति में किसी प्रकार का कृत्रिम परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अगर हिंदी भाषा ऊपर के कथन ii) के संदर्भ में राष्ट्रीय संस्कृति का सेतु या वाहक बने, तो अन्य भाषाओं के साहित्य और वाङ्मय के साथ उनके रूप, शैली तत्व और अभिव्यक्तियाँ सहज रूप में आएँगी। हिंदी भाषा में इस तरह से रूप आदि खप जाएँगे और भाषा की समृद्धि स्वाभाविक रूप से होगी।

आ) हिंदी भाषा की समृद्धि का दूसरा निदेशक तत्व यह है कि हिंदी भाषा आवश्यकतानुसार संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगी। यहाँ भी वांछनीय शब्द ग्रहण तभी हो सकेगा, जब हिंदी में उन भाषाओं का साहित्य आएगा।

इन दोनों निदेशक तत्वों पर गौर कीजिए–रूप, शैली तथा अभिव्यक्तियाँ अष्टम सूची की भाषाओं से आएँगी, जबकि शब्द भारत की सभी भाषाओं से ग्रहण किए जा सकेंगे। जो यह बात फिर स्पष्ट करती है कि हिंदी को अष्टम सूची की भाषाओं के सहयोग से विकास का सामान्य रास्ता अपनाना है।

अनुच्छेद 351 में संघ के तीन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, उन्हें निम्नलिखित आरेख से दिखा सकते हैं :

संघ के कर्तव्य

हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना	हिंदी का विकास करना–जिससे कि वह सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बने	हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करना साधन : i) हिंदुस्तानी और अष्टम सूची की भाषाओं से रूप, शैली तथा अभिव्यक्ति पद ii) शब्द ग्रहण-मुख्यतः संस्कृत से, गौणतः अन्य भाषाओं से

उपर्युक्त चर्चा के संदर्भ में कह सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी की उन भूमिकाओं का संकेत करता है, जिनके आधार पर इसे सच में राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा कहा जा सकता है। भारतीय भाषाओं के विकास की नीति में इस प्रकार हिंदी को एक केंद्रीय तथा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो इसके ऐतिहासिक विकास क्रम के संदर्भ में वांछनीय है, आवश्यक है।

24.6 विशेष निर्देश

अध्याय 4 के अनुच्छेद 350 में तीन निर्देश हैं:

1) देश का कोई नागरिक अपनी व्यथा* निवारण के लिए देश की किसी भाषा में संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे सकता है।

इसका तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा देश के हर व्यक्ति को भाषिक स्वतंत्रता दी गयी है। यह बात नेमी पत्राचार आदि के लिए नहीं है, सिर्फ व्यथा निवारण के लिए है।

इस अनुच्छेद के शेष दो निर्देश 350 (क) तथा 350 (ख) संविधान संशोधन सं. 7, 1950 के अनुसार जोड़े गये। 350 (क) अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण की स्वतंत्रता देता है। 350 (ख) में यह प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जो उन वर्गों के हितों की रक्षा से संबंधित मामलों का अन्वेषण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। इन दोनों मामलों पर राज्य सरकार को निदेश देने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।

अध्याय 4— विशेष निर्देश

350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा—प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

350. क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ—प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

350. ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी—(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

बोध प्रश्न 3

6) उपयुक्त शब्द से या सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।

   i) इस समय अष्टम (आठवीं) अनुसूची में .... भाषाओं का उल्लेख है।

   ii) भाषायी आयोग को .... के बारे में सिफारिशें देनी थीं। (1965 के बाद अंग्रेजी को जारी रखने / हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने)

   iii) अनुच्छेद 350 (क) में अल्पसंख्यकों को .... स्तर तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। (प्राथमिक/कालेज)

   iv) अनुच्छेद 351 में .... भाषा के प्रकार्यों और विकास के निदेश हैं (राज/प्रादेशिक/हिंदी)

   v) देश का कोई नागरिक संघ शासन के पत्र में .... के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। (नौकरी के आवेदन /व्यथा निवारण)

7) बताइए कि व्यक्ति के भाषाई अधिकार क्या हैं?

i) ....,

ii) ....,

iii) ....,

iv) ....,

8) अनुच्छेद 351 की अपने शब्दों में (लगभग 10 पंक्तियों में) व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

24.7 सारांश

संविधान में भाषा के सवाल को बहुत महत्व दिया गया है। कुल 395 अनुच्छेदों में 11 अनुच्छेद इसी सवाल पर हैं। इससे यही बात प्रकट होती है कि एक बहुभाषी समाज में भाषा की ऐसी नीति तय करना, जो जनतांत्रिक हो और संघीय हो, कितनी जटिल प्रक्रिया है। संविधान के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है और राजकीय प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले भारतीय अंक प्रयोग में लाये जाएँगे।

राजभाषा से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों में (विधानांग, न्यायांग और कार्यांग में) प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इन अंगों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहा। उसके 1965 तक जारी रहने का प्रावधान है। इस बीच क्रम से विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग का अध्ययन किया जाएगा और 1965 से हिंदी को राजभाषा के रूप में अमल में लाने का अधिनियम लाया जाएगा। आवश्यकतानुसार अंग्रेजी 1965 के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए जारी रह सकेगी।

अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा की प्रकृति और विकास प्रक्रिया का उल्लेख है। यह अनुच्छेद राजभाषा की चर्चा नहीं करता। इसकी भाषा से अनुमान कर सकते हैं कि इसमें अखिल भारतीय हिंदी या राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में चर्चा है।

संविधान व्यक्तियों को भाषिक अधिकार देता है। इस दृष्टि से यह जनतांत्रिक है।

संविधान हिंदी के साथ-साथ देश की भाषाओं के विकास और परस्पर सहयोग की व्यवस्था देता है। इस दृष्टि से यह संघीय प्रकृति का है।

24.8 शब्दावली

पत्रावि : पत्र, फ़ाइल पर कार्य, सूचनाएँ आदि सांविधिक सामग्री—संविधान, अधिनियम, अध्यादेश आदि जो संविधि कहलाते हैं।

कार्रवाई : काम

कार्रवाही : अदालत में सुनवाई आदि।

सामासिक संस्कृति : देश की कई संस्कृतियों की एक समस्त समन्वित संस्कृति।

व्यथा : व्यक्ति के प्रति राज्य (state) द्वारा अन्याय या व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन।

24.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

भारत का संविधान

गोपाल राव एकबोटे–**राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र**, मेसर्स एकबोटे ब्रदर्स, हैदराबाद (1987)

कैलाश चंद्र भाटिया–**राजभाषा हिंदी**, वाणी प्रकाशन, दिल्ली (1989)

24.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) नाम को लेकर
2) बोलचाल की भाषा, समन्वयवादी दृष्टि

बोध प्रश्न 2

3) i) 17 ii) 343, देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय iii) विधानांग, न्यायांग, कार्यांग iv) राष्ट्रपति आदेश v) राज्य

4) i) नहीं ii) हाँ iii) हाँ iv) नहीं v) हाँ

5) – उच्चतम न्यायालय .... कार्रवाई .... स्थानीय भाषा में बातचीत संभव।
– दोनों न्यायालय .... फैसले दोनों राजभाषाओं में

बोध प्रश्न 3

6) i) 15 ii) प्रयोग बढ़ाने iii) प्राथमिक iv) हिंदी ii) व्यथा निवारण

7) i) मातृभाषा में व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन ii) अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा iii) पर्याप्त अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को राजकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता iv) संसद/विधान मंडल में मातृभाषा में संबोधन की अनुमति।

इकाई 25 संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई

इकाई की रूपरेखा

25.0 उद्देश्य
25.1 प्रस्तावना
25.2 राजभाषा आयोग
25.3 संसदीय समिति का गठन
25.4 राष्ट्रपति का आदेश, 1960
 25.4.1 राष्ट्रपति के आदेश का मूल रूप
 25.4.2 राष्ट्रपति के आदेश का विवेचन
25.5 अधिनियम की ओर
25.6 सारांश
25.7 शब्दावली
25.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
25.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

25.0 उद्देश्य

इस इकाई में संविधान के निर्देशों के अनुसार 1965 तक राजभाषा हिंदी के विकास के लिए किये गये प्रयत्नों का परिचय प्राप्त करेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- राजभाषा आयोग की और उस पर संसदीय समिति की संस्तुतियों की चर्चा कर सकेंगे;
- उक्त दोनों के आधार पर 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कर सकेंगे;
- 1963 के राजभाषा अधिनियम की प्रस्तुति की भूमिका तथा उससे उत्पन्न विवादों का वर्णन कर सकेंगे; और
- आदेश की मूल भावना को पहचान सकेंगे।

25.1 प्रस्तावना

संविधान ने नागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। लेकिन व्यवस्था यह की गयी थी कि संविधान लागू होने से 15 साल तक, अर्थात् 1965 तक अंग्रेज़ी देश की राजभाषा रहे और इस बीच में हिंदी भाषा के विकास के प्रयत्न किये जाएँ, जिससे वह 1965 से राजभाषा के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। आप यह जानना चाहेंगे कि उन 15 वर्षों में हिंदी के विकास के लिए क्या प्रयत्न किये गये। आप यह भी जानना चाहेंगे कि क्या हिंदी अंग्रेज़ी के स्थान पर 1965 में देश की एकमात्र राजभाषा बन गयी। शायद आपका अनुभव यह बताता होगा कि आज भी देश में राजकाज के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। फिर आज देश की भाषाई स्थिति क्या है? हमारी राजभाषा कौन-सी है? राजभाषा के रूप में आज हिंदी की स्थिति क्या है? अनुच्छेद 351 के निर्देशानुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं? इन सब प्रश्नों पर हम इस इकाई में चर्चा करेंगे।

संविधान के उपबंधों के संदर्भ में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को हम तीन प्रमुख चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण 1950 से 1963 तक का था, जिसमें विशिष्ट राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग को संवैधानिक रूप से प्राधिकृत करना था और हिंदी के विकास के लिए निश्चित रूपरेखा तैयार करने का था। इस अवधि में राष्ट्रपति के चार आदेश निकले और संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था। दूसरा चरण 1963 से

1967 तक का था। संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना था। इस चरण में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के संबंध में मतैक्य न होने के कारण कुछ संशोधन किये गये, जिससे अंग्रेजी को अनिर्दिष्ट* समय तक सह-राजभाषा का दर्जा दिया गया। तीसरा चरण 1967 के बाद का है, जिसमें 1967 के अधिनियम के आधार पर कार्यान्वयन संबंधी विविध प्रयास किये जा रहे हैं। आगे की इकाइयों में हम इन तीनों चरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।

इस इकाई में हम प्रथम चरण अर्थात् 1950 से लेकर 1963 तक के घटना क्रम की चर्चा करते हुए राजभाषा हिंदी के विकास के लिये गये प्रयत्नों का अध्ययन करेंगे।

25.2 राजभाषा आयोग

संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार राष्ट्रपति ने 27 मई 1952 को आदेश जारी किया जिसमें राज्यपालों और उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्र में अंग्रेज़ी के साथ हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया।

3 दिसंबर, 1955 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया–

i) जनता से व्यवहार
ii) प्रशासनिक रिपोर्टें, सरकारी पत्रिकाएँ तथा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट
iii) सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम
iv) जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है, उनके साथ पत्र व्यवहार
v) संधियाँ और करार
vi) अन्य देशों की सरकारों, राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार
vii) राजनयिक और कांसल के पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किये जाने वाले औपचारिक दस्तावेज़।

राष्ट्रपति का तीसरा (क्रम से दूसरा) आदेश 7 जून 1955 का है, जिसमें राजभाषा आयोग के गठन की सूचना है। यह गठन अनुच्छेद 344 (1) के उपबंधों के अनुसार किया गया था और आयोग को अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी थी। बंबई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बी.जी. खेर इस आयोग के अध्यक्ष थे और विभिन्न राज्यों के 20 अन्य प्रतिनिधि थे। आयोग के सामने निम्नलिखित मुद्दे थे–

i) संघ में हिंदी के किसी/किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग
ii) किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी पर रोक
iii) पत्राचार की भाषा का निर्णय
(देखिए इकाई 24.4.3)

आयोग ने कई बैठकों में सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा संस्थाओं से भेंट की और अपना प्रतिवेदन जुलाई 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों पर बल दिया था:

1) माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का अनिवार्य शिक्षण
2) उच्च स्तर पर हिंदी में कार्य करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली
3) उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम को प्रोत्साहन
4) प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए किसी स्तर तक अनिवार्य ज्ञान
5) सेवा परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र
6) देवनागरी देश की सब भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि होगी।

आयोग ने देश की बहुभाषिक प्रकृति का ध्यान रखते हुए विधायी क्षेत्र और न्यायालयों की कार्रवाइयों में तथा विभागों/संगठनों द्वारा जनता से संपर्क के लिए क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर बल दिया।

25.3 संसदीय समिति का गठन

आयोग की इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1957 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। समिति ने आयोग की सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 1959 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने आयोग के अधिकांश सुझावों को स्वीकार करने की राष्ट्रपति को सलाह दी। प्रमुख अंतर यही था कि आयोग की "अनिवार्य" शर्तों को समिति ने हल्का कर दिया और 1965 के बाद भी अंग्रेजी के चलते रहने का सुझाव दिया।

बोध प्रश्न 1

1) राजभाषा आयोग किन उपबंधों के अनुसार गठित किया गया?

....

....

2) संसदीय समिति की सदस्यता क्या थी?

....

....

3) संसदीय समिति की रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई अपेक्षित थी?

....

....

25.4 राष्ट्रपति का आदेश, 1960

संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के अनुसार समिति ने आयोग की सिफारिशों की परीक्षा की और उनपर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन पर संसद के दोनों सदनों में विचार-विमर्श हुआ। तदुपरांत 27 अप्रैल, 1960 में राष्ट्रपति ने आगामी कार्यक्रमों का संकेत करते हुए आदेश निकाला। हम आगे आदेश को मूल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका अध्ययन करने के बाद आप उसका विवेचन पढ़ेंगे।

25.4.1 राष्ट्रपति के आदेश का मूल रूप

ग) **राष्ट्रपति का आदेश , 1960**

गृह मंत्रालय की दिनांक 27 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना संख्या 2/8/60-रा० भा० की प्रतिलिपि

अधिसूचना

राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल, 1960

लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक समिति प्रथम-राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी, 1959 को पेश कर दी। नीचे रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं जिनसे समिति के सामान्य दृष्टिकोण का परिचय मिल सकता है:

संसदीय समिति की सिफारिशें :

क) राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इस में योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है।

ख) विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ राज्यों में शिक्षा और सरकारी काम-काज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएँ अपना उचित स्थान प्राप्त करें। अतः व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो। यह परिवर्तन धीरे-धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो और कम से कम असुविधा हो।

ग) 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 में हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी किन्तु उसके उपरान्त अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए।

घ) संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खंड (3) के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरान्त भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए, जिन्हें संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे, तब तक होता रहे जब तक कि वैसा करना आवश्यक रहे।

ङ) अनुच्छेद 351 का यह उपबन्ध कि हिंदी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएं।

रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल मास में रख दी गई थीं और रिपोर्ट पर विचार-विमर्श लोकसभा में 2 सितम्बर से 4 सितम्बर, 1959 तक और राज्य सभा में 8 और 9 सितम्बर, 1959 को हुआ था। लोकसभा में इस पर विचार-विमर्श के समय प्रधानमंत्री ने 4 सितम्बर, 1959 को एक भाषण दिया था। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था।

2) अनुच्छेद 344 के खंड (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर, इसके बाद निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं।

3) **शब्दावली**—आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया वे ये हैं—(1) शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए; (2) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए, या जहाँ भी आवश्यक हो, अनुकूलन कर लिया जाए; (3) सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसमें जहाँ तक हो सके अधिकतम एकरूपता हो; और (4) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केन्द्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति का यह मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहाँ तक हो सके, एकरूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी ही होनी चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए काम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के लिए और सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रामाणिक शब्दकोश निकालने के लिए एक ऐसा स्थायी आयोग कायम किया जाए जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् हों।

शिक्षा मंत्रालय निम्नलिखित विषय में कार्रवाई करे—

क) अब तक किए गए काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल शब्दावली का विकास/विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे शब्द, जिनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, कम से कम परिवर्तन के साथ अपना लिए जाएँ;

अर्थात् मूल शब्द वे होने चाहिए जो आजकल अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में काम आते हैं। उनसे व्युत्पन्न शब्दों का जहां भी आवश्यक हो भारतीयकरण किया जा सकता है;

ख) शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबन्ध करने के विषय में सुझाव देना; और

ग) विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समिति के सुझाव के अनुसार स्थायी आयोग का निर्माण।

4) **प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि-साहित्य* का अनुवाद**—इस आवश्यकता को दृष्टि में रखकर कि संहिताओं और अन्य कार्यविधि-साहित्य के अनुवाद में प्रयुक्त भाषा में किसी हद तक एकरूपता होनी चाहिए, समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि यह सारा काम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए।

शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अलावा बाकी सब संहिताओं और अन्य कार्यविधि-साहित्य का अनुवाद करे। सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद, संविधियों के अनुवाद के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, इसलिए यह काम विधि मंत्रालय करे। इस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों की शब्दावली में जहाँ तक हो सके एकरूपता रखी जाए।

5) **प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण**—(क) समिति द्वारा अभिव्यक्त मत के अनुसार 45 वर्ष से कम आयु वाले सब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा-कालीन हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तृतीय श्रेणी के ग्रेड से नीचे के कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थाओं और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह बात लागू न होगी। इस योजना के अंतर्गत नियत तारीख तक विहित योग्यता प्राप्त कर सकने के लिए कर्मचारी को कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए सुविधाएँ प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए।

ख) गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और आशुलिपिकों को हिंदी टाइपराइटिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करे जो केन्द्रीय सरकार की नौकरी में हैं।

ग) शिक्षा मंत्रालय हिंदी टाइपराइटरों के मानक की-बोर्ड (कुंजी पटल) के विकास के लिए शीघ्र कदम उठाए।

6) **हिन्दी प्रचार**—(क) आयोग की इस सिफारिश से कि यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए, समिति सहमत हो गई है। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाएँ पहले से ही विद्यमान हैं उनमें उन संस्थाओं को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी जाए और जहां ऐसी संस्थाएँ नहीं हैं वहां सरकार आवश्यक संगठन कायम करे।

शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिंदी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है वह कैसी चल रही है। साथ ही वह समिति द्वारा सुझाई गई दिशाओं में आगे कार्रवाई करे।

ख) शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा-विज्ञान, भाषा-शास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन और अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए और अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेश के अनुसार हिंदी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

7) **केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती**—(क) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आन्तरिक कामकाज के लिए हिंदी का प्रयोग करें और जनता के साथ पत्र-व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें।

अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करने के वास्ते योजना तैयार करने में केन्द्रीय सरकारी विभाग इस आवश्यकता को ध्यान में रखें कि यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रादेशिक भाषाओं में फार्म और विभागीय साहित्य उपलब्ध करा कर वहाँ की जनता को पूरी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

ख) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक अभिकरणों और विभागों में

कर्मचारियों की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, और कर्मचारियों का प्रादेशिक आधार पर विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए; इसके लिए भर्ती के तरीकों और अर्हताओं में उपयुक्त संशोधन करना होगा।

स्थानीय कार्यालयों में जिन कोटियों के पदों पर कार्य करने वालों की बदली मामूली तौर पर प्रदेश के बाहर नहीं होती उन कोटियों के सम्बन्ध में यह सुझाव, कोई अधिवास* सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए बिना, सिद्धान्ततः मान लिया जाना चाहिए।

ग) समिति आयोग की इस सिफारिश से सहमत है कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह विहित कर देना न्यायसम्मत होगा कि उसकी नौकरियों में लगने के लिए एक अर्हता यह भी होगी कि उम्मीदवार को हिन्दी भाषा का सम्यक् ज्ञान हो। पर ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि इसके लिए काफी पहले से सूचना दे दी गई हो। और भाषा-योग्यता का विहित स्तर मामूली हो और इस बारे में जो भी कमी हो उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता हो।

यह सिफारिश अभी हिंदी-भाषी क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकारी विभागों में ही कार्यान्वित की जाए, हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों के स्थानीय कार्यालयों में नहीं।

(क), (ख) और (ग) में दिए गए निर्देश भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के अधीन कार्यालयों के सम्बन्ध में लागू न होंगे।

8) **प्रशिक्षण संस्थान**–(क) समिति ने यह सुझाव दिया है कि नेशनल डिफेन्स एकेडमी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी ही बना रहे किन्तु शिक्षा सम्बन्धी कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाए।

रक्षा मंत्रालय अनुदेश पुस्तिकाओं इत्यादि के हिन्दी में प्रकाशन आदि के रूप में समुचित प्रारम्भिक कार्रवाई करे, ताकि जहाँ भी व्यवहार्य हो वहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग सुगम हो जाए।

ख) समिति ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ही परीक्षा के माध्यम हों, किन्तु परीक्षार्थियों को यह विकल्प रहे कि वे सब या कुछ परीक्षा पत्रों के लिए उनमें से किसी एक भाषा को चुन लें और विशेष समिति यह जांच करने के लिए नियुक्त की जाए कि नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग परीक्षा के माध्यम के रूप में कहाँ तक शुरू किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और कोई नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे।

9) **अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती–(क) परीक्षा का माध्यम**–समिति की राय है कि–(1) परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी बना रहे और कुछ समय पश्चात् हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए। उसके बाद जब तक आवश्यक हो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ही परीक्षार्थी के विकल्पानुसार परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट हो; और (2) किसी प्रकार की नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

कुछ समय के पश्चात् वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करे। वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने से गम्भीर कठिनाइयाँ पैदा होने की सम्भावना है, इसलिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

ख) **भाषा विषयक प्रश्न-पत्र**–समिति की राय है कि सम्यक् सूचना के बाद समान स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न-होने चाहिए जिनमें से एक हिंदी और दूसरा हिंदी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का होना चाहिए और परीक्षार्थी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह इनमें से किसी एक को चुन ले।

अभी केवल एक ऐच्छिक हिन्दी परीक्षा-पत्र शुरू किया जाए। प्रतियोगिता के फल पर चुने गए जो परीक्षार्थी इस परीक्षा-पत्र में उत्तीर्ण हो गए हों, उन्हें भर्ती के बाद जो विभागीय हिंदी परीक्षा देनी होती है, उसमें बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने की शर्त से छूट दी जाए।

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई

10) **अंक**—जैसा कि समिति का सुझाव है केन्द्रीय मंत्रालयों के हिन्दी प्रकाशनों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग के संबंध में एक आधारभूत नीति अपनाई जाए, जिसका निर्धारण इस आधार पर किया जाए कि वे प्रकाशन किस प्रकार की जनता के लिए हैं और उनकी विषयवस्तु क्या है। वैज्ञानिक, तकनीकी और सांख्यिकीय प्रकाशनों में, जिसमें केन्द्रीय सरकार का बजट सम्बन्धी साहित्य भी शामिल है, बराबर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाए।

11) **अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा**—क) समिति ने राय दी है कि संसदीय विधियाँ अंग्रेज़ी में बनती रहें किन्तु उनका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए।

संसदीय विधियां अंग्रेजी में बनती रहें पर उनके प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करने के वास्ते विधि मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करे। संसदीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबन्ध भी विधि मंत्रालय करे।

ख) समिति ने राय जाहिर की है कि जहाँ कहीं राज्य विधान मण्डल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों का मूल पाठ हिंदी से भिन्न किसी भाषा में है, वहाँ अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए।

राज्य की राजभाषा में पाठ के साथ-साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सांविधिक लिखतों के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए।

12) **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा**—राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अन्ततः हिंदी होनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश मान ली है।

आयोग ने उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी के पक्ष-विपक्ष में विचार किया और सिफारिश की कि जब भी इस परिवर्तन का समय आए, उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिक्रियों) और आदेशों की भाषा सब प्रदेशों में हिंदी होनी चाहिए, किन्तु समिति की राय है कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से आवश्यक विधेयक पेश करके यह व्यवस्था करने की गुंजाइश रहे कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिक्रियों) और आदेशों के लिए उच्च न्यायालय में हिंदी राज्यों की राजभाषाएँ विकल्पतः प्रयोग में लाई जा सकेंगी।

समिति की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय अन्ततः अपना सब काम हिंदी में करे यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार्य है और इसके संबंध में समुचित कार्रवाई उसी समय अपेक्षित होगी जब कि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगा।

जैसा कि आयोग की सिफारिश की तरमीम करते हुए समिति ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में यह व्यवस्था करने के लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करे कि निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिक्रियों) और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिंदी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा।

13 **विधि क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कदम**—मानक विधि शब्दकोश तैयार करने, केन्द्र तथा राज्य के विधान निर्माण से संबंधित सांविधिक ग्रंथ का पुनःअधिनियमन करने, विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संक्रमण काल में सांविधिक ग्रंथ और साथ ही निर्णय विधि अंशतः हिंदी और अंग्रेज़ी में होंगे, उस अवधि में प्रारम्भिक कदम उठाने के बारे में आयोग ने जो सिफारिश की थी उन्हें समिति ने मान लिया है। साथ ही समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संविधियों के अनुवाद और विधि शब्दावली तथा कोशों से संबंधित सम्पूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न राष्ट्रभाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग या इस प्रकार का कोई उच्चस्तरीय निकाय बनाया जाए।

समिति ने यह राय भी जाहिर की है कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे भी केन्द्रीय सरकार से राय लेकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

समिति के सुझाव को दृष्टि में रख कर विधि मंत्रालय (यथासंभव सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए) सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिन्दी में अनुवाद संबंधी पूरे काम के लिए समुचित योजना बनाने और पूरा करने के लिए विधि विशेषज्ञों के एक स्थायी आयोग का निर्माण करे।

14) **हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम**—समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए और कार्यान्वित करे। संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक न लगाई जाए।

तदनुसार गृह मंत्रालय एक योजना या कार्यक्रम तैयार करे और उसे अमल में लाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। इस योजना का उद्देश्य होगा संघीय प्रशासन में बिना कठिनाई के हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रारम्भिक कदम उठाना और संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड (2) में किए गए उपबंध के अनुसार संघ के विभिन्न कार्यों में अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग कहां तक किया जा सकता है यह बात इन प्रारम्भिक कार्रवाइयों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। इस बीच प्राप्त अनुभव के आधार पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के वास्तविक प्रयोग की योजना पर समय-समय पर पुनर्विचार और उसमें हेर-फेर करना होगा।

25.4.2 राष्ट्रपति के आदेश का विवेचन

इन आदेशों की व्याख्या करने से पहले आप दो बातों पर गौर करें। पहली बात, क्या आपको इसकी भाषा संविधान की भाषा से कुछ अधिक सरल और बोधगम्य नहीं लगी? इसका कारण यह है कि जब कानून आदेश, निदेश या नियमों के रूप में सामने आता है, उसकी भाषा अधिक सरल हो जाती है। यह कानून की भाषा की विशेषता है, जिसके बारे में आप इकाई 16 में चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आदेश के हर मुद्दे में पहले आयोग की सिफारिश का उल्लेख है, बाद में (या साथ में) उस मुद्दे पर समिति की संस्तुति (पक्ष में या विपरीत मत के तौर पर) का उल्लेख है और अंत में आदेश का वह अंश है, जिसका परिपालन किया जाना चाहिए। अगर आप तीनों विचार बिंदुओं को समझ सकें, तो आप पाएँगे कि देश भाषा नीति के निर्धारण में किस तरह सबके हित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता रहा है।

हमने पिछली इकाई में चर्चा की थी कि राजभाषा के प्रयोग के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं— विधानांग (या विधायिका), न्यायांग (न्यायपालिका) और कार्यांग (कार्यपालिका)। विधानांग में भाषा नीति के बारे में संविधान में व्यवस्था घोषित की गयी थी। 1965 के बाद इसमें परिवर्तन संवैधानिक तौर पर एक अधिनियम द्वारा किया जाना था। इस संबंध में की गयी जानकारी आपको अगली इकाई में मिलेगी। इसी कारण आदेश में इस संबंध में उल्लेख नहीं है।

संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित अधिनियम, राष्ट्रपति के अध्यादेश आदि कानून (या विधि) हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड (2) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति 1965 से पहले भी आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते थे। इसी के संदर्भ में 1960 के आदेश में विधायी भाषा के रूप में कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।

शासन का तीसरा और सबसे व्यापक अंग कार्यांग है। इसमें दो राय नहीं कि कार्यांग में हिंदी का प्रयोग बढ़ना चाहिए। आदेश में यह उल्लेख है कि संघ सरकार इसके लिए क्रमबद्ध योजना बनाकर उस पर कार्रवाई करे। शासन के तीनों अंगों में हिंदी के प्रयोग के क्षेत्रों को पहचानकर उनका उल्लेख करना एक बात है। उन क्षेत्रों में कार्य को गति देने के व्यावहारिक उपाय सुझाना और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना अधिक महत्वपूर्ण बात

है। आदेश में हिंदी विकास की दिशाएँ, सेवा में भर्ती के लिए तथा सेवारत कर्मचारियों के लिए भाषा का प्रश्न, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रसार तीन प्रमुख बातें हैं, जिन्हें आदेश में शामिल किया गया है। हम आगे इन तीनों के बारे में आदेश की व्यवस्था को देखेंगे।

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई

न्यायांग में भाषा

नियम 12 में आदेश है कि विधि मंत्रालय विधेयक द्वारा उच्च न्यायालयों में निर्णय, डिक्री और आदेश के लिए हिंदी का विकल्प के रूप में प्रयोग करे। इसी तरह राज्यों की राजभाषाएँ भी इस प्रयोजन के लिए विकल्प हो सकेंगे। नियम 11 में आदेश है कि संसदीय विधियाँ अंग्रेजी में बनती रहें, लेकिन इनका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह राज्यों के अधिनियमों/विधेयकों तथा अन्य विधिक साहित्य के अनुवाद के लिए उचित समय पर विधेयक पेश करने की सलाह है।

विधिक साहित्य के अनुवाद के साथ विधि की शब्दावली की भी आवश्यकता होती है। नियम 13 में समिति की संस्तुति के अनुसार विधि मंत्रालय का दायित्व होगा कि वह हिंदी में अनुवाद तथा हिंदी की विधि शब्दाबली निर्माण के लिए एक स्थायी आयोग का गठन करे।

कार्यांग में भाषा

नियम 14 के अनुसार गृह मंत्रालय का दायित्व होगा कि वह कार्यपालिका में भाषा के लिए योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करे। इस कार्यान्वयन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

i) हिंदी के क्रमिक (प्रगामी) प्रयोग को आसान बनाने के लिए प्रारंभिक कदम उठाना।
ii) विभिन्न प्रशासन कार्यों में अंग्रेजी के साथ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

हिंदी भाषा का विकास

यह शिक्षा मंत्रालय का दायित्व होगा कि वह हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों के लिए एक आयोग का गठन करे। शब्द कैसे बनें और उनका स्वरूप क्या हो, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। (निदेश 3)

शिक्षा मंत्रालय को संहिताओं और कार्यविधि साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था करनी होगी। (निदेश 4)

कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करने तथा हिंदी टंकण (टाइपिंग) और आशुलिपि में प्रशिक्षण देने का दायित्व गृह मंत्रालय का होगा। (निदेश 5)

हिंदी का प्रचार

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भविष्य और साहित्यिक दृष्टि से भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने और हिंदी का विकास करने का दायित्व शिक्षा मंत्रालय तथा (तत्कालीन) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का होगा। शिक्षा मंत्रालय स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से तथा उनके अलावा अन्य आवश्यक संगठनों के माध्यम से हिंदी का प्रचार बढ़ाए। (निदेश 6)

सेवा में भाषा

निदेश 6, 7 तथा 8 में (सेवा में प्रवेश से पहले तथा सेवा में रहते हुए) भाषिक योग्यता के बारे में विचार प्रकट किये गये हैं। इन निदेशों की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं:

रक्षा मंत्रालय प्रशिक्षण में हिंदी को माध्यम बनाने के लिए कदम उठाए, हिंदी को प्रवेश परीक्षा में वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाने की कार्रवाई करे तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी माध्यम के रूप में अपनाने के बारे में समीक्षा करे।

गृह मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से हिंदी को माध्यम बनाने के बारे में कार्रवाई करे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र शुरू करने का निदेश है।

अहिंदी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों में हिंदी में अनिवार्य योग्यता न निश्चित की जाए।

बोध प्रश्न 2

4) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) राष्ट्रपति का आदेश 1965 के बाद हिंदी को राजभाषा बनाने के संदर्भ में है।

   ii) इस आदेश में संसद और विधान-मंडल में राजभाषा के संदर्भ में उल्लेख नहीं है।

   iii) आदेश वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों के निर्माण के लिए विधायी आयोग के गठन का निर्देश देता है।

   iv) आदेश पूरे देश में सेवा के लिए अनिवार्य हिंदी की योग्यता का निर्देश नहीं देता।

   v) उच्च न्यायालय राज्य की राजभाषा में फैसले सुना सकते हैं।

5) उपयुक्त शब्द से या दिये गये शब्दों से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें।

   i) विधि संबंधी अनुवाद तथा शब्दावली निर्माण .... आयोग का कार्य होगा (राजभाषा/विधायी)

   ii) जनता की सुविधा के लिए स्थानीय कार्यालय .... भाषा में फार्म आदि उपलब्ध कराए।

   iii) राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना और कार्यान्वयन .... मंत्रालय का दायित्व है। (शिक्षा/गृह)

   iv) आदेश में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में .... को वैकल्पिक माध्यम बनाने का निर्देश है। (हिंदी/प्रादेशिक भाषा)

   v) हिंदी के प्रचार में .... याने स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

25.5 अधिनियम की ओर

संविधान ने 1965 तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जारी रखने तथा उक्त अवधि समाप्त होने से पहले ही संसद को विधि द्वारा नयी व्यवस्था स्थापित करने का निदेश दिया था। 1950 से 1960 तक हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में विकसित करने, उसके प्रयोग क्षेत्रों को पहचानने तथा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में काफी प्रगति हो गयी थी। अब तक की गतिविधियों में भाषा नीति की तीन प्रमुख बातें स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आयीं—

i) 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी का प्रयोग आवश्यकतानुसार जारी रखा जाएगा

ii) हिंदी को क्रमिक तथा योजनाबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा, इसके लिए भाषा विकास के आवश्यक कदम उठाये जाएँगे।

iii) हिंदी के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में विकसित करने की सलाह थी।

यह नीति एक बहुभाषी समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार जनतांत्रिक थी, उदार थी। इसी दिशा में आगे बढ़ने पर राष्ट्रीय सहमति अपेक्षित थी। अगले कदम के रूप में 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन इस अधिनियम का तमिलनाडु में व्यापक विरोध हुआ और राज्य में कई जगह हिंदी विरोधी उग्र प्रदर्शन हुए इसलिए 1963 के अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम तथा बाद के कार्यकलाप का अध्ययन आप अगली इकाई में करेंगे। आइए देखें कि तमिलनाडु के विरोध का कारण क्या था?

तमिलनाडु में इस शताब्दी की दूसरी दशाब्दी में ही 'उच्च कुल के लोगों के वर्चस्व' के विरोध में ई० वी० रामस्वामी नायक्कर ने जस्टिस पार्टी (न्याय दल) की स्थापना की और अंग्रेजों का समर्थन किया। बाद में नायक्कर ने द्रविड़ कलगम (द्रविड़ संघ) नामक दल का प्रवर्तन किया, जो द्रविड़ संस्कृति पर अलग द्रविड़स्थान की माँग लेकर चल रहा था। इस माँग का आधार यह था कि तमिलनाडु के ब्राह्मण आर्य हैं, अतः आर्य संस्कृति का

बहिष्कार कर द्रविड़ संस्कृति की स्थापना करनी होगी जिससे ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो। इस तरह ब्राह्मण विरोध ने आर्य विरोध का रूप लिया और 'आर्यों' से संबंधित सभी बातें त्याज्य मानी गयीं। इसी के परिणामस्वरूप हिंदी विरोध और हिंदुत्व का विरोध इस दल के प्रमुख नारे थे। राजनीति के कारण द्रविड़ कलगम से अलग होकर अण्णादुरै के नेतृत्व में ''द्रविड़ मुन्नेट्र कलगम'' (प्रगतिशील द्रविड़-संघ) बना और बाद में एम.जी. रामचंद्रन के नेतृत्व में 'अखिल भारतीय अण्णा द्र. मु. क.' अलग हुआ। दो बार दल के विभाजन के बाद भी हिंदी विरोध दलों का समान नारा था (और अब भी है)। इन दलों का हिंदी विरोध के पक्ष में क्या तर्क है? हम इन तर्कों का विवेचन कर लें।

i) पहला तर्क यह है कि हिंदी वास्तव में बहुसंख्यक आबादी की भाषा नहीं है, क्योंकि इसमें कई बोलियाँ हैं। जिसे हिंदी कहते हैं, वह तो मुट्ठी भर लोगों की भाषा है। हम पहले इसके खंडन में विवेचन कर चुके हैं कि हिंदी उस विशाल क्षेत्र की ही भाषा नहीं, जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, बल्कि इसका प्रयोग क्षेत्र पूरा देश है।

ii) दूसरा तर्क यह है कि यह भाषा समृद्ध नहीं है और प्राचीन भी नहीं है। राजभाषा होने के लिए प्राचीन होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी तरह साहित्यिक संपदा की अपेक्षा ज्ञान-विज्ञान का साहित्य, प्रक्रिया साहित्य, विधि साहित्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से भारत की कोई भी भाषा स्वतंत्रता के दिन राजभाषा के दायित्व के वहन के लिए सक्षम नहीं थी। लेकिन हिंदी इस कार्य के लिए योग्य थी, यह बात पिछले चालीस वर्ष के विकास से सिद्ध हो गयी है।

iii) तीसरा तर्क यह है कि हिंदी का साम्राज्यवाद भारतीय भाषाओं को समाप्त कर देगा। ''साम्राज्यवाद'' तो वास्तव में अंग्रेज़ी का था, क्योंकि उस समय भारतीय भाषाओं का कोई महत्त्व नहीं था। संविधान के अध्ययन में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं को विकास का पूर्ण अवसर देना हमारी नीति है।

iv) चौथा तर्क यह है कि अंग्रेजी ज्ञान-विज्ञान की भाषा है और हिंदी को लाने से हम ज्ञान-विज्ञान से दूर हो जाएँगे। यह तर्कसंगत है, फिर भी दो विचारणीय बिंदु हैं। सिर्फ अंग्रेज़ी ही क्यों, अन्य विदेशी भाषाओं से हम क्यों वंचित रहे। यह भी कि हमें अपनी भाषाओं का भी इतना ही विकास करना चाहिए जिससे देश की सारी आबादी के लिए ज्ञान-विज्ञान के रास्ते खुलें। अंग्रेज़ी शिक्षा से कुछ गिने-चुने लोग ही लाभ उठाते हैं। अंग्रेजी के आधिपत्य से यह खतरा है कि हमारी भाषाएँ विकास न कर पाएं।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिंदी विरोध नकारात्मक दृष्टि है और इससे अंग्रेज़ी को बल मिलता है और भारतीय भाषाओं का विकास रुक सकता है। सकारात्मक और व्यावहारिक दृष्टि यही होनी चाहिए कि हम अपनी सारी भाषाओं का विकास करें और जन सामान्य को देश के उत्थान में कार्यशील होने का अवसर दें।

बोध प्रश्न 3

6) हिंदी विरोध के संदर्भ में दिए गए तर्कों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दस पंक्तियों में उत्तर दें।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

25.6 सारांश

इस इकाई में हमने संविधान बनने के बाद से 1963 में राजभाषा अधिनियम बनने तक की घटनाओं का अध्ययन किया। इस अवधि में राजभाषा हिंदी के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई।

संविधान के उपबंधों के अनुसार (अनुच्छेद 344) राजभाषा आयोग का गठन किया गया, उसकी सिफारिशों पर संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी राय दी और 1960 में राष्ट्रपति ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्देश दिये।

संविधान ने 1965 तक अंग्रेज़ी को राजभाषा का दर्जा दिया था। अधिनियम द्वारा नीति निर्धारण करने की बात थी कि 1965 के बाद अंग्रेजी की भूमिका क्या रहेगी। यह अधिनियम 1963 में प्रस्तुत किया गया। तमिलनाडु में इसके विरोध में उठ खड़े हुए विद्रोह के कारण इस अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया जिसके बारे में हम अगली इकाई में पढ़ेंगे।

राष्ट्रपति के आदेश में

i) न्यायांग में हिंदी के प्रयोग संबंधी निर्देश हैं

ii) हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के निर्देश हैं।

iii) कर्मचारियों की हिंदी में योग्यता और सेवा परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के बारे में सुझाव हैं।

इस तरह 1950 में संविधान बनने के बार पहली बार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राजभाषा हिंदी के विकास के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश हुए।

25.7 शब्दावली

अनिर्निष्ट : जिसका निर्देश या उल्लेख न किया गया हो।

कार्यविधि साहित्य : कार्यालय में प्रयुक्त मैन्युअल, नियमावली आदि।

अभिकरण : करने वाली संस्था (agency)

अधिवास : रहने का स्थान

25.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

शिवराज वर्मा – *हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास*
आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली, 1970

मलिक मोहम्मद – *राजभाषा हिंदी : विकास के विविध आयाम,* प्रवीण प्रकाशन, दिल्ली

25.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) संविधान का अनुच्छेद 344 खंड (2)

2) लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य, निर्वाचन द्वारा

3) राष्ट्रपति का आदेश

बोध प्रश्न 2

4) i) नहीं ii) हाँ iii) नहीं iv) हाँ v) हाँ

5) i) विधायी ii) प्रादेशिक iii) गृह iv) हिंदी v) स्वैच्छिक

इकाई 26 राजभाषा अधिनियम और आदेश

इकाई की रूपरेखा

26.0 उद्देश्य
26.1 प्रस्तावना
26.2 राजभाषा अधिनियम
  26.2.1 राजभाषा अधिनियम 1963 का मूल रूप
  26.2.2 उक्त अधिनियम का विवेचन
26.3 राजभाषा नियम
  26.3.1 राजभाषा नियम 1976 का मूल रूप
  26.3.2 उक्त नियम का विवेचन
26.4 सारांश
26.5 शब्दावली
26.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें
26.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

26.0 उद्देश्य

इकाई 24 में हमने संविधान में हिंदी के संदर्भ में जो उपबंध किये गये उनका अध्ययन किया।

इकाई 25 में हमने उन उपबंधों के आधार पर आगे की कार्रवाइयों और समस्याओं का अध्ययन किया।

इकाई 26 में हम राजभाषा के संदर्भ में 1963 के अधिनियम (1967 में संशोधित रूप में) के बारे में तथा उसके आधार पर 1976 में राजभाषा विभाग द्वारा प्रवर्तित नियमों का अध्ययन करेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- अधिनियम के लोकतांत्रिक स्वरूप को और इसकी मूल भावना को पहचान सकेंगे;
- राजभाषा अधिनियम के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग के क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे;
- उक्त अधिनियम के आधार पर जो स्पष्ट नियम घोषित हुए थे उनका वर्णन कर सकेंगे; और
- यह सोच सकेंगे कि भाषा के विकास के लिए किन दिशाओं में कार्य करना अपेक्षित या आवश्यक है।

26.1 प्रस्तावना

हमने पिछली दो इकाइयों में यह अध्ययन किया था कि संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये। इस समय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दायित्व वहन करने के लिए पंद्रह साल की अवधि (1965 तक का समय) दी थी। इस बीच राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग गठित किया और उसकी सिफारिश पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में विचार-विमर्श हुआ और उसके उपरांत 1960 में राष्ट्रपति ने आगे की कार्रवाई के आदेश दिये।

1963 में संसद में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ और इसके विरोध में तमिलनाडु में व्यापक विरोध हुआ। इस विरोध के कारण यह अधिनियम 1967 में संशोधित किया

गया। इस इकाई में हम राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 में संशोधित रूप में) का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि राजभाषा के क्या प्रकार्य सुझाये गये हैं।

संविधान या अन्य अधिनियम दिशा संकेत करते हैं। लेकिन वास्तविक कार्रवाई क्या हो, इसे संविधान के अनुरूप प्रशासन निश्चित करता है। कौन व्यक्ति कब, किस प्रकार से राजभाषा का व्यवहार करे आदि सूचनाएँ नियमों के रूप में सूचित की जाती हैं और व्यक्तियों और पदाधिकारियों को इन नियमों का अनुपालन करना होता है। इस संदर्भ में राजभाषा के 1976 के नियम महत्वपूर्ण हैं। हम इस इकाई में 1976 के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

26.2 राजभाषा अधिनियम[1]

यहाँ हम राजभाषा अधिनियम को, जो 1967 में संशोधित किया गया था, संशोधित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आप इसका अध्ययन करें। इसकी कई बातें संविधान के अनुच्छेदों और 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में आ चुकी हैं। अधिनियम के अध्ययन के बाद आप इसकी व्याख्या देखेंगे।

26.2.1 राजभाषा अधिनियम 1963 का मूल रूप

यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963
(1963 का अधिनियम स० 19)
(10 मई, 1963)

उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. **परिभाषाएँ:**

इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

क) "नियत दिन" से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26वाँ दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है;

ख) "हिंदी" से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. **संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना।**

(1) संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही—

क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लायी जाती थी; तथा

ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए;

प्रयोग में लायी जाती रह सकेगी:

1. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा मूल धारा के स्थान पर रखा गया।

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा–

i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;

ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियत्रंण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच;

प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कम्पनी का कर्मचारीवृन्द हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथाशक्ति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही–

i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किये जाते हैं,

ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए,

iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिये तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार, धारा 8 के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन-साधारण के हितों का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाये गये नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिये जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजभाषा के सम्बन्ध में समिति

1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने पर, गठित की जाएगी।

2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

3) इस समिति का कर्त्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किये हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा:

परन्तु इस प्रकार निकाले गये निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत* नहीं होंगे।

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद।

1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित–

क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गये किसी आदेश, नियम, विनियम, या उपविधि का–

हिंदी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों, और उन सब संशोधनों के, जो उनके सम्बन्ध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाएँ।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

जहाँ किसी राज्य के विधान मण्डल ने उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात्, प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

* शब्द के ऊपर का यह चिह्न "शब्दावली" के लिए है। अधिनियम के मूल पाठ का अंग नहीं है।

7. **उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग**

नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से। अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. **नियम बनाने की शक्ति**

1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपांतरित* रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर पर लागू न होना

9) धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्यों को लागू न होंगे।

26.2.2 उक्त अधिनियम का विवेचन

आइए अब हम राजभाषा अधिनियम 1963 का विवेचन करें और देखें कि इसमें हिन्दी के किन प्रकार्यों का संकेत किया गया है और उन प्रकार्यों को अमल में लाने के लिए किस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं?

संविधान के अनुसार, 1965 से हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त करना था और राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रक्रिया से यह निर्णय करना था कि अंग्रेजी उसके बाद किस मात्रा में और किन प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाई जाती रहेगी। पिछली इकाई में की गई चर्चा के संदर्भ में यह दोहराना चाहेंगे कि हिंदी को राजभाषा बनाने के मामले में कुछ राज्यों की, खासकर तमिलनाडु की असहमति थी। तमिलनाडु यह चाहता था कि अंग्रेज़ी का उपयोग समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अंग्रेज़ी को पूर्ववत् व्यवहार में लाया जाना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में आश्वासन दिया था कि राजभाषा के सवाल पर पूरे देश की सहमति होनी चाहिए और सहमति न हो तो अंग्रेज़ी भाषा के व्यवहार को आगे तक के लिए जारी रखना चाहिए। इसी संदर्भ में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का पहला वाक्य यह सूचित करता है कि राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा का व्यवहार जारी रहेगा। इस स्थिति को आम तौर पर इस ढंग से विद्वान विश्लेषित करते हैं कि 1965 से हिंदी देश की राजभाषा है और अंग्रेज़ी देश की सह-राजभाषा (Associate Official Language) के रूप में बनी रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि इस समय देश की दो राजभाषाएँ हैं।

इस संदर्भ में आप यह जानना चाहेंगे कि क्या दोनों भाषाओं का समान रूप से प्रयोग किया जाता रहेगा या क्या हिंदी या अंग्रेज़ी के कुछ विशिष्ट प्रकार्य होंगे, जिनके बारे में अधिनियम में चर्चा की गई है? इस चर्चा को समझने के लिए हमें शासन तंत्र में भाषा की स्थिति के बारे में जानना होगा। अधिनियम लागू होने की तिथि तक अंग्रेज़ी भाषा अधिकतर प्रयोजनों के लिए व्यवहृत होती रही है। सरकार के कार्य फ़ाइलों में अंग्रेज़ी के माध्यम से होते रहे हैं। इस कारण सरकारी कर्मचारी अंग्रेज़ी में काम करने के आदी रहे

* राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा जोड़ा गया।

हैं। अगर दोनों भाषाओं का समान रूप से राजभाषा घोषित किया जाता और दोनों में से किसी भी भाषा को उपयोग में लाने की छूट दी गई होती तो खतरा यह था कि लोग आदत के कारण अंग्रेज़ी के माध्यम से ही काम करते रहते और हिंदी उपेक्षित रह जाती। यद्यपि अंग्रेज़ी के व्यवहार को मान्यता दी गई, फिर भी संविधान के उपबंधों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रसार को और उसके विकास को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि अंग्रेज़ी में काम करने के बावजूद हिंदी का प्रसार हो और उसके व्यवहार क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इस तरह हिंदी भाषा को अधिकाधिक प्रयोजनों में काम में लाने की प्रक्रिया इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य है।

इस अधिनियम का दूसरा प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा का विकास करना है। अब तक सरकार के कानून में दी गई व्यवस्था के कारण विनियम, मैनुअल आदि अधिकांश साहित्य अंग्रेज़ी के माध्यम से ही उपलब्ध रहा है। अगर यह साहित्य हिंदी के माध्यम से उपलब्ध न कराया जाए तो लोगों से हिंदी के माध्यम से काम करने की अपेक्षा करना संभव नहीं। इस प्रकार, हिंदी भाषा को अनुवाद का सहारा देते हुए अंग्रेज़ी में उपलब्ध प्रशासनिक साहित्य को हिंदी के माध्यम से उपलब्ध कराना एक प्रमुख उद्देश्य था। इन अधिनियमों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से हिंदी में प्रशासनिक साहित्य उपलब्ध कराया जाए, उस साहित्य का उपयोग करने के संदर्भ में कुछ व्यवस्था सुझायी जाए, जिससे लोग हिंदी की उपेक्षा न करें और हिंदी में काम कर सकें।

इन परिस्थितियों के कारण पत्राचार तथा साहित्य के सृजन/अनुवाद के संदर्भ में अधिनियम क्या कहता है, इसकी चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि दो प्रदेश आपस में पत्राचार आदि के लिए भाषा की क्या नीति अपनाएँ। जिन राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, उनके साथ संघ का व्यवहार अंग्रेज़ी के माध्यम से जारी रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और उस राज्य के बीच, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया, हिंदी के माध्यम से पत्राचार आदि संभव होगा। जहाँ तक दो राज्यों का सवाल है, जिनमें से एक ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया और दूसरे ने नहीं, हिंदी राजभाषा वाले राज्य से निकलने वाले पत्र अगर हिंदी में हैं तो उनके साथ अंग्रेज़ी का अनुवाद भेजा जाएगा, लेकिन अगर ऐसे दो राज्य चाहें कि वे अंग्रेज़ी को बीच में लाए बिना हिंदी के माध्यम से पत्राचार करें तो अंग्रेज़ी का अनुवाद भेजना अनिवार्य नहीं होगा।

पत्र आदि के संदर्भ में हम राज्यों की स्थिति या संघ और राज्यों की स्थिति से केंद्र संघ की आंतरिक स्थिति को अलग करना चाहेंगे। केंद्र सरकार के कार्यालय दो प्रकार के हैं: देश की राजधानी में मंत्रालय हैं। इन मंत्रालयों में आपस में पत्राचार तथा फ़ाइलों का काम होता है। देश के अन्य स्थानों में सरकार के अन्य विभाग हैं, केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में स्थापित कंपनियाँ, निगम आदि हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, निगमों तथा कंपनियों में काम करने वाले लोग इस प्रकार पूरे देश में फैले हुए हैं। इनकी भाषाई पृष्ठभूमि अलग-अलग है और इनमें कई अहिंदीभाषी हैं, जो संभवतः हिंदी में अधिक दक्ष नहीं हैं या पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, इस कारण केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों आदि के बीच का पत्राचार आदि हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा में हो सकता है, बशर्ते कि दूसरी राजभाषा में अनुवाद संलग्न किया जाएगा। अंग्रेज़ी अनुवाद तब तक संलग्न किया जाएगा, जब तक अमुक विभाग के कर्मचारी हिंदी मे कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें। कार्यसाधक ज्ञान से क्या तात्पर्य है, इसे हम इस इकाई में आगे स्पष्ट करेंगे।

एक तरफ़ पत्र आदि का सवाल है जिसमें पत्राचार तथा फ़ाइलों का काम शामिल है, दूसरी तरफ़ सरकार की ओर से निकलने वाले आदेश, नियम आदि का सवाल है, जो आम जनता के उपयोग के लिए है। आम जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि आम आदमी के उपयोग के सारे कागज़ पत्र द्विभाषी रूप में हों। यह बात अधिनियम की उपधारा 3 (3) में स्पष्ट की गई है। आप उसमें स्वयं देखें कि किन तीन प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएँ इस उपधारा में जोड़ी गई हैं।

उक्त तीन उपधाराओं में किन विशेष परिस्थितियों में हिंदी का अनिवार्य प्रयोग हो, यह स्थिति स्पष्ट की गई है। इस अनिवार्यता के कारण यह शायद आवश्यक हो जाता कि प्रशासनिक तंत्र का हर व्यक्ति दोनों भाषाओं का प्रयोग करे अन्यथा अधिनियम का अनुपालन संभव नहीं है, लेकिन बहु-भाषी समाज में तुरंत ही दोनों भाषाओं की अनिवार्य दक्षता को अमल में लाना कठिन हो सकता है और उस स्थिति में अनुपालन न करने पर व्यक्ति दंडित भी किया जा सकता है। सरकार यद्यपि राजभाषा हिंदी के अनिवार्य प्रयोग के लिए वचनबद्ध है, फिर भी वह किसी व्यक्ति को भाषा न जानने के कारण दंडित नहीं

करना चाहेगी। यह बात उपधारा 4 में स्पष्ट की गई है, जिसके अनुसार जो व्यक्ति जिस भाषा में दक्ष हो वह उस भाषा में काम करता जाए। यह स्थिति कैसे संभव बनाई गई है, इसकी चर्चा हम 1976 के आदेश के संदर्भ में आगे करेंगे। यहाँ यह उल्लेख करना मात्र आवश्यक है कि भाषा की नीति के कारण किसी व्यक्ति का अहित नहीं किया जा रहा है। यह इस अधिनियम की मूलभावना है।

फिर यह सवाल उठ सकता है कि अंग्रेज़ी कब तक बनी रहेगी और अंग्रेज़ी के स्थान पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग कैसे पूर्णतया अमल में लाया जा सकता है। तब धारा 35 में यह उल्लेख किया गया है कि जब तक सभी राज्यों के विधान मंडल यह संकल्प न पारित कर लें कि वे धारा 3 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग समाप्त न कर दें और उन संकल्पों के आधार पर संसद के दोनों सदनों से आशय का संकल्प न पारित कर दें तब तक अंग्रेज़ी इन प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाई जाती रहेगी। यह उपधारा यह स्पष्ट करती है कि संविधान के उपबंधों के बावजूद जन भावना के संदर्भ में देश की भाषा नीति को अत्यंत लोकतांत्रिक बनाया गया है। धारा 3 में दोनों राजभाषाओं के प्रकार्यों की स्थिति स्पष्ट की गई है और इसके संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई की देखरेख के लिए और हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति के आकलन के लिए एक राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के कार्य और कार्य-प्रणाली के बारे में हम अगली इकाई में विचार करेंगे।

हमने ऊपर उल्लेख किया था कि अधिनियम, अध्यादेश आदि जब अंग्रेज़ी में पारित किए जाते हैं और उनके आधार पर सरकार द्वारा आदेश, नियम आदि अंग्रेज़ी में बनाए जाते हैं तो उनका हिंदी में अनुवाद संलग्न करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में हमने इकाई 24 में चर्चा की थी कि अनुवाद की मान्यता क्या है? क्या अनुवाद को कोई कहीं पर अमान्य कह सकता है, क्योंकि मूल अधिनियम आदि अंग्रेज़ी में पारित किए गए थे? धारा 5 में पुनः इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हिंदी अनुवाद हिंदी का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। उपधारा 5(2) में यह भी उल्लेख है कि अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ ही प्रस्तुत होगा और दोनों पाठ एक साथ प्राधिकृत किए जाएँगे।

इसी तरह, राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम आदि के संदर्भ में नीति की घोषणा धारा 6 में की गई है। यह संभव है कि राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेज़ी से भिन्न कोई क्षेत्रीय भाषा हो। स्वभावतः अधिनियम आदि उस क्षेत्रीय भाषा में ही प्रस्तुत होंगे। ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था की गई है कि अंग्रेज़ी और हिंदी, दोनों भाषाओं में राज्य विधान मंडल के अधिनियम आदि का अनुवाद किया जाएगा और हिंदी अनुवाद, हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

संविधान के अध्ययन के संदर्भ में हमने उल्लेख किया था कि उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए संघ की राजभाषा से भिन्न कोई क्षेत्रीय भाषा स्वीकृत की जा सकती है। लेकिन संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय निर्णय, डिक्री, आदेश आदि प्रयोजनों के लिए जब तक अन्यथा व्यवस्था न की जाए अंग्रेज़ी भाषा का ही प्रयोग करता रहेगा। धारा 7 में निर्णय, डिक्री, आदेश आदि के लिए संवैधानिक तरीके से क्षेत्रीय भाषा, जो राजभाषा स्वीकृत की गई हो, के उपयोग का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में संघ की राजभाषा में प्राधिकृत पाठ उपलब्ध होना भी अनिवार्य है, अन्यथा संघ के स्तर पर कानूनी कार्रवाई असंभव हो जाएगी। धारा 7 में यह भी उल्लेख है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश की भाषा में निर्णय, डिक्री आदि पारित किया जाए तो उनके साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाएगा।

इस तरह हम देखते हैं कि इस अधिनियम से राजभाषा हिंदी को ही नहीं, बल्कि राज्यों के स्तर पर विधान मंडल और उच्च न्यायालय द्वारा देश की अन्य भाषाओं के प्रयोग की भी व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के संदर्भ में यह भी ध्यान रखा गया है कि देश के स्तर पर संपर्क बना रहे। इस अधिनियम की यह उपलब्धि है कि देश की भाषाओं को राजभाषा के स्तर पर उचित स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है।

अधिनियम के आधार पर विशिष्ट कार्य-प्रणाली सूचित करने के लिए नियम आदि बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। केंद्र सरकार को यह दायित्व धारा 8 द्वारा सौंपा गया है कि वह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों की घोषणा करे। नियम बनाने की शक्ति के बावजूद संसद को यह अधिकार होगा कि सहमति न होने की स्थिति में वह नियम दोनों सदनों द्वारा सुझाए गए रूप में प्रभावित

होगा या निरस्त होगा। यह धारा स्पष्ट करती है कि कार्यान्वयन पर भी संसद को निगरानी करने और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जो किसी जनतांत्रिक देश के लिए अच्छी अवस्था है।

हमने उल्लेख किया था कि राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यक कार्यान्वयन हेतु नियम पारित करे। इस संदर्भ में भारत सरकार के गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग कार्यरत है। राजभाषा विभाग राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। इस विभाग के कार्यों का विस्तृत विवरण हम अगली इकाई में देंगे। विभाग ने 1976 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो नियम बनाए हैं, उनकी जानकारी हम इसी इकाई में आगे प्राप्त करेंगे।

बोध प्रश्न 1

1) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) इस समय अंग्रेज़ी भारत की सह-राजभाषा है।
   ii) दो राज्य जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, हिंदी में पत्राचार नहीं कर सकते।
   iii) संकल्प, आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, संसद रिपोर्ट, निविदा आदि द्विभाषी होंगे।
   iv) अधिनियम और अध्यादेश के अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद को एक साथ प्रस्तुत और प्राधिकृत किया जाएगा।
   v) राज्य का विधान मंडल क्षेत्र की राजभाषा में अधिनियम नहीं बना सकता।
   vi) उच्च न्यायालयों के आदेश आदि के हिंदी पाठ को संसद के दोनों सदन प्राधिकृत करेंगे।
   vii) हिंदी के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर संसद द्वारा विचार किया जा सकता है।

2) इस अधिनियम में संसद द्वारा अधिनियम और विधेयकों को हिंदी में प्रामाणिक पाठ के रूप में प्राधिकृत करने के बारे में उल्लेख है। क्यों?

   ....
   ....
   ....

3) इस अध्यादेश में संसद सदस्यों की तीस सदस्यीय समिति का उल्लेख है। i) इसका पहले कहाँ उल्लेख आया है? ii) इसका कार्य पहले की समिति से कहाँ तक भिन्न है?

   ....
   ....
   ....

26.3 राजभाषा नियम

हमने उल्लेख किया था कि संसद अधिनियम बनाती है और इसके आधार पर प्रशासन नियम बनाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर 1976 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने नियम घोषित किये थे, जिन्हें हम आगे देखेंगे। चूँकि ये नियम उक्त अधिनियम पर आधारित हैं, आप पहले से अधिनियम का ठीक से अध्ययन कर चुके होंगे, तो इन नियमों की भाषा आपको बोधगम्य लगेगी। यहाँ आगे पहले नियम मूल रूप से दिए जा रहे हैं और बाद में उनकी व्याख्या की जा रही है।

26.3.1 राजभाषा नियम 1976 का मूल रूप

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं. 11011/1/73-रा.भा. (क-1) दिनांक 28-6-76 की प्रतिलिपि

सा.का.नि.—राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:

1) **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**—1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 है।

2) इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2) **परिभाषाएँ**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क) "अधिनियम" से राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

ख) "केंद्रीय सरकार के कार्यालय" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात्:

i) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय

ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय;

ग) "कर्मचारी" से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

घ) "अधिसूचित कार्यालय" से नियम 10 के उपनियम 4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;

ङ) "हिंदी में प्रवीणता" से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

च) "क्षेत्र क" से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

छ) "क्षेत्र ख" से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ संघ राज्य अभिप्रेत है;

ज) "क्षेत्र ग" से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

झ) "हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान" से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि—1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें किसी को कोई पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से—

क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्यक्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के साथ पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेज़ी या हिंदी में भेजे जाएँ और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएँगे।

ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में भेजे जा सकते है।

3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4) उपनियम 1) और 2) में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र 'ग' में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हों) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

4) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं;

ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाएँ और उससे संबंधित आनुषंगिक बातो का ध्यान रखते हुए समय पर अवधारित करें;

ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न हैं पत्रादि हिंदी में होंगे;

घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं;

ड) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते है :

परंतु जहाँ ऐसे पत्रादि–

i) 'क' क्षेत्र के किसी कार्यालय को संबोधित हों वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा :

परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5) **हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर**– नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएँगे।

6) **हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग**–अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ों के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में तैयार किये जाते हैं, निष्पादित किये जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

7) **आवेदन, अभ्यावेदन, आदि**–1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।

2) जब उपनियम 1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक् विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

) **केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना**–1) कोई कर्मचारी किसी फ़ाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेज़ी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

2) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4) उपनियम 1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी मे प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

9) **हिंदी में प्रवीणता**--यदि किसी कर्मचारी ने--

क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या

ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप से यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10) **हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान**--1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने--

i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उतीर्ण कर ली है; या

ii) केंद्रीय सरकार को हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, जहाँ उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्न परीक्षा विनिर्दिष्ट है, तब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

ख) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध* रूप में यह घोषणा करता है कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम 2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11) **मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि**--1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेज़ी में द्विभाषीय रूप में, यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।

3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएँगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों में छूट दे सकती है।

12) अनुपालन का उत्तरदायित्व—1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह—

i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के लिए उपाय करे।

2) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

26.3.2 उक्त नियम का विवेचन

आपने राजभाषा नियम 1976 का अवलोकन किया होगा। संभव है कि कई बातें आपको स्वतः स्पष्ट हो गई होंगी क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, उनका उल्लेख संविधान और 1963 के राजभाषा अधिनियम में किसी न किसी रूप में हुआ है। यह नियम उस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करते हैं। हम इन नियमों की कुछ प्रमुख विशेषताओं की यहाँ चर्चा करेंगे जिससे आप अनुभव कर सकते हैं कि संविधान की लोकतांत्रिक और सर्वजनहित संबंधी नीति का प रपालन इन नियमों में किस प्रकार किया गया है।

संघ शासन के बारे में बातचीत करते हुए हमने ऊपर के प्रकरण में चर्चा की थी कि केंद्र सरकार के कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं। इन कार्यालयों में भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी कार्य करते हैं और उनके लिए हिंदी में दक्षता या प्रशिक्षण के अभाव में हिंदी में काम करना कठिन हो सकता है। हमने यह भी उल्लेख किया था कि सरकार की नीति भाषा के ज्ञान के अभाव के कारण किसी व्यक्ति को दंडित करने की नहीं है, बल्कि कार्य को सुचारू रूप से सपन्न करते हुए व्यक्ति को भाषा के मामले में यथासंभव स्वतंत्रता देने की है। अधिनियम में यह भी हमने चर्चा की थी कि जब तक व्यक्ति हिंदी भाषा में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त न कर ले, तब तक उसे यह सहायता मिलती रहेगी। 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति 45 वर्ष से ऊपर का है, उसे भाषा सीखने के लिए मजबूर न किया जाए, बल्कि पूर्ववत् काम करने की अनुमति दी जाए। प्रसंग से यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की छूट की स्थिति 1960 में घोषित की गई थी, लेकिन लोग अब तक यह मानकर चल रहे हैं कि 45 वर्ष से ऊपर के होने पर उन्हें हिंदी में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह बात उन्हीं लोगों के संदर्भ में थी, जो 1960 में 45 वर्ष से ऊपर थे। लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था उस समय की व्यवस्था के अनुरूप शुरू हो जाती तो सभी लोग अब तक प्रशिक्षित हो गये होते। प्रशिक्षण की आवश्यकता और व्यवस्था भी भारत सरकार का दायित्व है, जिससे व्यक्ति हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर ले और यथासंभव हिंदी में काम करे। प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है इसकी चर्चा अगली इकाई में करेंगे। प्रशिक्षण के संदर्भ में इन नियमों में जो दो शब्द हैं, उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। हर व्यक्ति के लिए हिंदी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना होगा, इसकी व्यवस्था सरकार अपनी योजनाओं के अंतर्गत करती है। कार्यसाधक ज्ञान का तात्पर्य नियम 10 में स्पष्ट किया गया है। उल्लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना या सिर्फ यह सूचित करना कि व्यक्ति भाषा जानता है, पर्याप्त है। लेकिन जिन लोगों के मामले में इस प्रकार का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उनके लिए केंद्र सरकार हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत परीक्षा चलाएगी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने को कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। इस परीक्षा से संबंधित जानकारी हम अगली इकाई में देंगे। नियम 9 प्रवीणता की परिभाषा देता है। हिंदी भाषा में प्रवीणता का तात्पर्य नियमित अध्ययन के उपरांत परीक्षा पास करना है और साथ में प्रवीणता की

घोषणा करना भी पर्याप्त है। इन दोनों शब्दों का तात्पर्य नियम 10 के खंड 2, 3 और 4 में स्पष्ट किया गया है। अगर हम यह मान लेते हैं कि किसी एक विभाग या कार्यालय के कई सदस्य हिंदी भाषा में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं तो अपेक्षा यह होती है कि उस कार्यालय में हिंदी के माध्यम से कार्य हों। इस प्रकार, जिस कार्यालय में अस्सी प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लें तो उस कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। कार्यसाधक ज्ञान का आशय यह है कि फिर वह व्यक्ति हिंदी में प्रस्तुत किसी कागज़, पत्र का अनुवाद नहीं माँग सकता। इस तरह अनुवाद की अनिवार्यता कम होगी और हिंदी में सक्षम व्यक्तियों को काम करने की सुविधा मिलेगी। कार्यसाधक ज्ञान, दक्षता नहीं सूचित करता। इसलिए दस्तावेज़ विधि से संबंधित हो या अधिक तकनीकी हो तो व्यक्ति अनुवाद माँग सकता है। प्रवीणता घोषित करने का आशय यह है कि जिस कार्यालय में प्रवीणता प्राप्त व्यक्ति हो उनसे प्रशासन यह माँग कर सकता है कि वे टिप्पण, प्रारूप लेखन आदि शासकीय प्रयोजनों के लिए सिर्फ़ हिंदी का प्रयोग करें। इस तरह, कार्यसाधक ज्ञान और प्रवीणता को व्यक्तियों के काम से जोड़ा गया है, जिससे जानकार लोग हिंदी के माध्यम से यथासंभव काम कर सकें। इस व्यवस्था को आप नियम 8 में देख सकते हैं। नियम 8 में कर्मचारियों को यह भी सुविधा दी गई है कि वे फाइलों पर हिंदी या अंग्रेज़ी, किसी भी भाषा में काम करें और उनसे उसका अनुवाद देने को कहा नहीं जाएगा। अनुवाद की व्यवस्था सरकार स्वयं करेगी और व्यक्ति अपने कार्य में भाषा के कारण प्रभावित नहीं होगा। इस तरह, 1976 के ये आदेश काम करने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भाषा के व्यापक प्रयोग की व्यवस्था देता है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में आप नियम 5, 6 और 7 में देख सकते हैं। मान लें कि कोई व्यक्ति हिंदी में किसी मंत्रालय या विभाग में पत्राचार करता है तो उसे हिंदी में ही उत्तर मिलना चाहिए। नियम 8, 9 और 10 में की गई व्यवस्था के संदर्भ में कर्मचारी अपनी क्षमता की भाषा में काम करने को स्वतंत्र है। फिर भी, कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही जाए। यह व्यवस्था कार्यालय करेगा। नियम 7 पुनः व्यक्ति की भाषिक स्वतंत्रता का संकेत करता है। कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेज़ी में दे सकता है। व्यक्ति सेवा संबंधी विषयों अर्थात् उसके अपने कार्य से संबंधित मामलों की जानकारी हिंदी या अंग्रेज़ी में चाहे तो बिना विलंब के उसे उसकी माँग के अनुसार उल्लिखित भाषा में यह विषय तुरंत प्राप्त कराए जाने चाहिए। नियम 5 के संदर्भ में 7(2) में भी पुनः उल्लेख है कि हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। इस तरह, नियम 5, 7 और 8 में व्यक्ति को भाषिक स्वतंत्रता भी है और साथ में कार्यालय की यह बाध्यता भी है कि वह व्यक्तियों के अपने हित के संदर्भ में किन स्थितियों में, किस भाषा में उत्तर दे। नियम 6 ऐसी ही एक और बाध्यता की चर्चा करता है। मान लें कि कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता और उसे अधिनियम '63 की उपधारा 3(3) के अनुसार किसी दस्तावेज पर (प्रेस विज्ञप्ति या रिपोर्ट में) दस्तखत करने हैं। वह उपधारा यह स्पष्ट करती है कि ऐसे कागज-पत्र द्विभाषी होने चाहिए। इस तरह ऐसे दस्तावेज़ों पर दस्तखत करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि दस्तावेज दोनों भाषाओं में हो।

इन नियमों के विवेचन को हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि हम भाषा की दृष्टि से व्यक्ति की सुविधा और उसके हित को पहले रखकर चर्चा करना चाहेंगे। व्यक्ति को भाषा में काम करने की स्वतंत्रता (प्रवीणता और कार्यसाधक ज्ञान की शर्त के संदर्भ में) उपलब्ध है लेकिन यह कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि वह अधिनियम के अनुसार अनुवाद की प्रक्रिया से कागज़-पत्र तैयार करने का पूर्ण परिपालन करें। इसी चर्चा में हम आगे यह भी बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार/राज्य सरकारों के बीच पत्र आदि की जो व्यवस्था होगी, उसमें भी नियम का अनुपालन अपनी जगह होगा और पत्र आदि से संबंधित व्यक्तियों को ऊपर बताए अनुसार अपनी भाषा में काम करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। इस सुविधा के रहते हुए सरकार यह व्यवस्था करेगी कि नियमों के अनुसार पत्र आदि दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने के संदर्भ में अनुवाद आदि की व्यवस्था करें। इस व्यवस्था के बारे में हम अगली इकाई में पुनः चर्चा करेंगे। यहाँ हम इस 'पत्र आदि' की चर्चा को फिर दोहराना चाहेंगे।

पत्राचार आदि के लिए निम्न प्रकार के बिंदु बनते हैं :

- **केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच**
- **केंद्र और राज्य सरकार के बीच**

- राज्य सरकारों के बीच
- केंद्र सरकार और व्यक्तियों के बीच

इन चार बिंदुओं के संदर्भ में विचार करने से पहले हम इन चारों की भाषिक पृष्ठभूमि को भी समझना चाहेंगे। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो हिंदी में ही लिख सकते हैं या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ऐसी राज्य सरकारें हैं जो हिंदी भाषी हैं, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है, ऐसी राज्य सरकारें हो सकती हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है और हिंदी में काम करने को तैयार हैं। इस प्रकार की विभिन्न भाषिक स्थितियों में विभिन्न प्रकार के कार्यालयों और व्यक्तियों के बीच संपर्क को नियम के संदर्भ में देखने के लिए राजभाषा नियम 1976 में सुझाव दिया गया है।

नियम 3 के अनुसार, देश को तीन भागों में बाँटा गया है। आप नियम 3 को पढ़कर स्वयं देख सकते हैं कि 'क' क्षेत्र में हिंदी भाषी प्रदेश हैं, 'ख' क्षेत्र में वे राज्य आते हैं, जिनमें हिंदी भाषी अधिक संख्या में हैं या जो राज्य हिंदी में काम करने को तैयार हैं और 'ग' क्षेत्र देश के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों और संघ राज्यों को सूचित करता है। नियम 3 राज्यों और केंद्र सरकार के बीच पत्राचार की व्यवस्था देता है। इस व्यवस्था को आप इस नियम की मूल भावना से पहचान सकते हैं। क्षेत्र 'ग' के राज्य के साथ संघ या दूसरे राज्य के पत्र आदि अंग्रेज़ी में होंगे। 'ख' क्षेत्र के राज्य के साथ पत्र या तो हिंदी में हों या द्विभाषिक रूप में होंगे। 'क' क्षेत्र के राज्य या राज्य के कार्यालय या व्यक्ति के साथ सामान्य रूप से पत्राचार हिंदी में होगा और अंग्रेजी में पत्र जाए तो उसका हिंदी अनुवाद भी जाएगा। जहाँ तक व्यक्तियों का सवाल है, 'ख' क्षेत्र के व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेज़ी में पत्र भेजा जा सकता है, 'ग' क्षेत्र के व्यक्ति को अंग्रेज़ी में पत्र जाएगा और 'क' क्षेत्र के व्यक्ति को आमतौर पर हिंदी में और अगर अंग्रेज़ी में पत्र भेजा जाए तो हिंदी अनुवाद के साथ भेजा जाएगा।

नियम 3 में राज्यों और राज्य के कार्यालयों तथा व्यक्तियों के साथ पत्र आदि की व्यवस्था सूचित की गई है। नियम 4 में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र आदि का उल्लेख है। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों के बीच पत्र आदि हिंदी या अंग्रेज़ी में होंगे। जो कार्यालय पत्र आदि प्राप्त करता है, वह अपने यहाँ आवश्यकतानुसार अनुवाद की व्यवस्था करेगा। 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी में होंगे और इन पत्रों का अनुपात इन कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात में होगा। क्षेत्र 'क' के कार्यालयों और शेष दोनों क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं। क्षेत्र 'ख' और 'ग' के कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं। इस नियम में अनुवाद के संदर्भ में यह नियम है कि 'क' क्षेत्र को संबोधित हो तो वहाँ दूसरी भाषा में पत्र प्राप्त करने वाला कार्यालय अनुवाद की व्यवस्था करेगा। लेकिन ''ग'' क्षेत्र में किसी कार्यालय को पत्र भेजा जाए तो प्रेषित करने वाला विभाग दूसरी भाषा में अनुवाद संलग्न करेगा। जिस कार्यालय को नियम 10 के अनुसार अधिसूचित किया गया है, अर्थात् जिसमें कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हों, उन कार्यालयों के पत्र आदि में अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

इस प्रकार नियम 3 और 4 विभिन्न कार्यालयों के बीच पत्र आदि की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिससे कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और किसी कार्यालय को भाषा के कारण कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन नियमों के अनुसार **व्यक्ति** को कार्य करने के लिए मैनुअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य **द्विभाषिक** रूप में उपलब्ध होना चाहिए। तभी वह अपनी क्षमता की भाषा में कार्य कर सकेगा। नियम 11 में यह उल्लेख है कि किस प्रकार की सामग्री द्विभाषिक रूप में तैयार की जाएगी। जिन तीन प्रकार की सामग्रियों का उल्लेख किया गया है उन्हें आप देख लें और समझने की कोशिश करें कि क्या कार्यालय में काम करने वाले सभी व्यक्तियों की भाषिक आवश्यकता की पूर्ति उल्लिखित सामग्री से पूरी हो जाती है या नहीं।

बोध प्रश्न 2

1) सही शब्द से या दिए गए सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए।

   i) 'ख' क्षेत्र में.........., ..., ... राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

   ii) व्यक्तियों के हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर.......... में ही देना होगा।

iii) केंद्र सरकार का कर्मचारी अगर हिंदी में .... प्राप्त न हो तो अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है। (प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान)

iv) 'ग' क्षेत्र के किसी केंद्र सरकार के कार्यालय से 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को .... में पत्रादि भेजे जा सकते हैं।

v) व्यक्ति अगर अंग्रेजी में टिप्पणी लिखे, तो उससे हिंदी .... नहीं माँगा जाएगा।

2) हाँ/नहीं में उत्तर लिखिए।

i) कर्मचारी आवेदन, अपील आदि किसी भी भाषा में दे सकते हैं।

ii) अगर व्यक्ति 'ग' क्षेत्र का हो, तो उसे सिर्फ अंग्रेज़ी में पत्रोत्तर दिया जा सकता है।

iii) व्यक्ति बिना परीक्षा पास किए स्वयं हिंदी में अपनी प्रवीणता या अपने कार्यसाधक ज्ञान का घोषणा कर सकता है।

iv) केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के बीच हिंदी या अंग्रेजी के पत्र आदि का अनुवाद संलग्न किया जाना चाहिए।

v) 'क' क्षेत्र के दो कार्यालयों के बीच हिंदी में ही पत्रादि होंगे।

3) कार्य साधक ज्ञान प्राप्त और प्रवीणता प्राप्त व्यक्तियों से हिंदी में किस प्रकार के कार्य की अपेक्षा की जाती है?

....

....

....

4) राजभाषा हिंदी के संदर्भ में केंद्र सरकार में कार्यरत व्यक्तियों के क्या अधिकार और दायित्व हैं? 5 पंक्तियों में उत्तर लिखिए।

....

....

....

....

....

26.4 सारांश

हमने इस इकाई में संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 के बाद के समय के लिए राजभाषा की नीति घोषित करने के लिए पारित राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उक्त अधिनियम के आधार पर 1976 में घोषित नियमों का अध्ययन किया।

1963 का अधिनियम 1965 के बाद अंग्रेज़ी को सह-राजभाषा का दर्जा देता है। यह भाषा तब तक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए बनी रहेगी जब तक सारे राज्यों के विधान मंडल और संसद के दोनों सदन इसे छोड़ने का संकल्प न पारित कर लें।

दोनों राजभाषाओं की स्थिति में कई संदर्भों में विशेषकर जनता के संपर्क की स्थिति में द्विभाषिक रूप से कार्य किए जाएँगे। पत्रादि में जहाँ हमेशा द्विभाषिक रूप से कार्य नहीं हो सकता, इस बात की व्यवस्था की गई है कि उस स्थिति में किस भाषा या दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। अधिनियम इस द्विभाषिक स्थिति में कार्य करने की सुविधा के संदर्भ में सांविधिक साहित्य के प्रामाणिक पाठों की व्यवस्था देता है। अधिनियम की मूल भावना को निम्नलिखित कथनों से व्यक्त कर सकते हैं:

i) व्यक्ति को भाषिक स्वतंत्रता मिलेगी और भाषा के कारण किसी का अहित नहीं होगा।

ii) लेकिन व्यक्ति की सुविधा या रुचि के कारण भाषा की नीति प्रभावित न हो। यह सरकार का दायित्व है कि वह उपबंधों के कार्यान्वयन की व्यवस्था करे।

1976 के नियमों में अधिनियम की मूल भावना को सुरक्षित रखा गया है और इन बातों को स्पष्टत: व्याख्यायित किया गया है। अधिनियम के अन्य निर्देशों को स्थितियों के हिसाब से स्पष्ट किया गया है।

26.5 शब्दावली

निवारित : रोकना

कार्यसाधक : कामचलाऊ

संविदा : कांट्रैक्ट

निविदा प्ररूप : टेंडर फ़ार्म

एकल संक्रमणीय मत : हर सदस्य का एक वोट, जो हस्तांतरित हो सकता है

असंगत : विपरीत, विरोधी

उपांतरित : बदले हुए, संशोधित

उपाबद्ध : जोड़े गए, जुड़े हुए

26.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कैलाशचंद्र भाटिया — *राजभाषा हिंदी*, वाणी प्रकाशन, 1990

मलिक मोहम्मद — *राजभाषा हिंदी*, विकास के विविध आयाम, प्रवीण प्रकाशन, दिल्ली

राजभाषा विभाग (गृहमंत्रालय) — *हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन*

26.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ iv) हाँ v) नहीं vi) नहीं vii) हाँ

2) इस संबंध में व्यवस्था का उल्लेख राष्ट्रपति के आदेश 1960 में पैरा 11 में किया जा चुका है।

3) i) इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) में किया जा चुका है
ii) पहली समिति का कार्य राजभाषा आयोग की सिफ़ारिशों का परीक्षण कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी था, इस समिति का उद्देश्य हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का निरीक्षण कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी है।

बोध प्रश्न 2

1) i) महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब ii) हिंदी iii) प्रवीणता iv) हिंदी v) रूपांतरण या अनुवाद

2) i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ iv) नहीं v) हाँ

3) क्रमश: अनुवाद न माँगना, टिप्पण-प्रारूप लेखन करना

4) **अधिकार** : 1) किसी भी भाषा में आवेदन 2) किसी भी भाषा में प्रारूप लेखन (अगर प्रवीणता न हो) 3) अपनी सेवा संबंधी विषयों के कागज़ पत्र किसी भी भाषा में माँग सकना 4) स्वयं अनुवाद न देना

दायित्व : 1) कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना 2) उपधारा 3(3) के कागज़ पत्रों को द्विभाषी रूप से जारी करना 3) कार्यसाधक ज्ञान हो तो अनुवाद न माँगना, प्रवीणता की स्थिति में हिंदी में टिप्पण लिखना।

क्या आप बता सकते हैं कि हिंदी में प्राप्त पत्र का हिंदी में उत्तर देना आदि को यहाँ क्यों नहीं शामिल किया गया है?

इकाई 27 राजभाषा के विकास के विविध आयाम

इकाई की रूपरेखा

27.0 उद्देश्य
27.1 प्रस्तावना
27.2 तीनों अंगों में भाषा
    27.2.1 न्यायांग में राजभाषा
    27.2.2 कार्यांग में राजभाषा
27.3 राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन
27.4 हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य
27.5 सारांश
27.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें
27.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

27.0 उद्देश्य

अब तक हमने संविधान में हिंदी की स्थिति और संविधान के संदर्भ में आगे के प्रकार्यों के रूप में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा आदेश आदि के संदर्भ में विचार किया। इस इकाई में हम यह जानना चाहेंगे कि उक्त अधिनियमों और आदेश के संदर्भ में आगे किस प्रकार की कार्रवाई हुई और हिंदी के संदर्भ में क्या स्थिति है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- शासन के तीनों अंगो में हिंदी के विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल के बारे में उठाए गए कदमों का वर्णन कर सकेंगे;
- कार्यांग में कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के लिए किए गए प्रयत्नों और अब तक की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- हिंदी के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली, योजनाओं तथा उपलब्धि का आकलन कर सकेंगे;
- संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के विकास के लिए किए गए प्रयत्नों को स्पष्ट कर सकेंगे; और
- हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के संदर्भ में आगे की दिशा बता सकेंगे।

27.1 प्रस्तावना

इस खंड की पिछली इकाइयों में हमने संविधान के उपबंधों की चर्चा की। ये उपबंध दिशा-निर्देश करते हैं और वास्तविक कार्य का निर्देश नहीं करते। वास्तविक कार्यों का निर्देश आदेश से प्राप्त होता है और उन आदेशों के संदर्भ में विभागीय तौर पर नियम आदि बनते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रपति के आदेश और 1976 के राजभाषा के नियम की हमने चर्चा की। इन नियमों के संदर्भ में सूचित किए गए निर्देशों के अनुसार, विभिन्न संस्थाओं को काम करना होता है, जिससे हिंदी का राजभाषा के रूप में सही ढंग से इस्तेमाल हो। राष्ट्रपति के आदेश में भी हमने देखा था कि किन कार्यों के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी किन-किन मंत्रालयों को सौंपी गई थी? मंत्रालय फिर इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाते हैं? मंत्रालय को विभिन्न योजनाएँ बनाकर, विभिन्न अभिकरणों या संस्थाओं के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाना होता है, जैसे गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस बात की देखरेख करता है कि सरकारी कर्मचारी हिंदी में प्रशिक्षित हो। यह भी देखता है कि विभिन्न कार्यालयों में किस प्रकार नियमों के अनुसार हिंदी में कार्य चल रहा है। इस इकाई में हम यह अध्ययन करेंगे कि किस तरह विभागीय तौर पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हिंदी के राजभाषा के रूप में और हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

27.2 तीनों अंगों में भाषा

हमने पहले यह उल्लेख किया था कि शासन के तीन अंग हैं—कार्यांग, विधानांग और न्यायांग। इन्हीं तीनों अंगों में कार्य के लिए राजभाषा की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी भाषा सीखें और भाषा के माध्यम से कार्य करें तभी राजभाषा हिंदी का प्रसार बढ़ सकता है। इस प्रकार कार्यांग राजभाषा के कार्यान्वयन में सबसे व्यापक और सबसे आधारभूत क्षेत्र है। विधानांग और न्यायांग में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण और राजभाषा के कार्य करने के दायित्व आदि का भी संबंध कार्यांग से ही है। विधानांग में एक तरफ़ संसद और विधान मंडलों में कार्रवाई का अध्ययन करते हैं और इसके माध्यम से प्रस्तुत अधिनियम आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। विधानांग आंतरिक कार्रवाई के संदर्भ में संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं उनके अतिरिक्त कार्यान्वयन की विशेष आवश्यकता नहीं है। इस तरह राजभाषा के कार्यान्वयन के संदर्भ में जो आवश्यक कार्य करने होते हैं, उनकी चर्चा हम कार्यांग के प्रकरण में (कर्मचारियों के राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में) और न्यायांग में (विधानांग द्वारा तैयार की गई सांविधिक सामग्री के प्रसंग में) कर सकते हैं।

27.2.1 न्यायांग में राजभाषा

न्यायांग में राजभाषा के प्रयोगों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं।

i) उच्च न्यायालय की कार्यवाहियाँ : इस संबंध में संविधान द्वारा संकेत दिया जा चुका था और राष्ट्रपति के 1960 के आदेश में उच्च न्यायालयों में प्रदेश की राजभाषाओं में कार्यवाही करने की अनुमति सूचित की गई थी।

ii) अभिलेखों की भाषा : अभिलेख दो प्रकार के हैं : क) सांविधिक सामग्री तथा अन्य न्यायालयों के फ़ैसले आदि। ख) किसी एक न्यायालय में किसी एक मामले से संबंधित कागज़-पत्र, फ़ैसले, डिक्री आदि। राजभाषा हिंदी के न्यायांग में प्रयोग के लिए हमारे पास हिंदी में अभिलेख प्राप्त होने चाहिए इसके लिए राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के अनुसार जून, 1961 में विधायी आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मुख्य काम था मानक विधि शब्दावली का निर्माण करना, अंग्रेज़ी में उपलब्ध विधि साहित्य के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना और हिंदी में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक आदि के संदर्भ में हिंदी प्रारूप तैयार करना आदि। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार संसद में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों के अंग्रेज़ी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ उनका अनुवाद भी पेश करना आवश्यक है। सन् 1970 से यह धारा अनौपचारिक रूप से लागू कर दी गई थी और अब सभी विधेयकों के अंग्रेज़ी के पाठ के साथ-साथ हिंदी पाठ भी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। आयोग ने विधि शब्दावली नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया जिसमें 3400 विधिक शब्दों के हिंदी रूप दिए गए हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए विधि संबंधी साहित्य के और पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए कार्य चल रहा है।

विधायी आयोग की स्थापना से पहले अब तक निम्न प्रकार से कार्य संपन्न हो चुका है:

i) लगभग 40,000 पृष्ठों के विधिक साहित्य का अनुवाद, (सभी मंत्रालयों, विभागों आदि के लिए ठेके, करार, निविदा आदि कानूनी दस्तावेज़ों के)।

ii) लगभग 26,000 पृष्ठों की सामग्री का अनुवाद।

iii) उच्च-न्यायालय पत्रिका और उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका का हिंदी में प्रकाशन।

भारत सरकार में अनुवाद के लिए दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। भिन्न-भिन्न प्रकार के साहित्य का प्रशासनिक अनुवाद गृह मंत्रालय के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में होगा और विधि संबंधी साहित्य का अनुवाद राजभाषा विधायी आयोग में होगा। इस दृष्टि से न्यायांगों और कार्यांगों की देखरेख को भारत सरकार ने अलग कर दिया है, जिससे अनुवाद में प्रमाणिकता बनी रहे। अगर कोई विभाग अपने यहाँ विधिक साहित्य के अनुवाद की खुद व्यवस्था कर दे, उसके लिए यह बाध्य होगा कि पुनरीक्षण और अंतिम रूप देने के लिए उस अनुवाद को विधि/न्याय मंत्रालय के राजभाषा विभाग में भेजे।

काम के स्थायित्व को देखते हुए स्वयं राजभाषा हिंदी के लिए विधि मंत्रालय में एक स्कंध काम करता है जिसे राजभाषा स्कंध कहा जाता है। इस स्कंध का प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है।

27.2.2 कार्यांग में राजभाषा

जैसे कि हमने ऊपर उल्लेख किया था कि कार्यांग राजभाषा के कार्यान्वयन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सबसे अधिक विस्तार है। मंत्रालय, विभाग, देश के विभिन्न स्थानों में स्थापित केंद्र सरकार के कार्यालय, पूर्णत: सरकार के अनुदान से स्थापित स्वायत्त संस्थाएँ, 'उपक्रम' कंपनी आदि कार्यांग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इन सब संस्थाओं में हिंदी के कार्यान्वयन को देखना एक प्रमुख कार्य है। कर्मचारी हिंदी में काम करें, उन्हें काम करने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिए जाएँ, कर्मचारियों के हिंदी में शिक्षण-प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाए, यह सब विषय कार्यांग में हिंदी के कार्यान्वयन के भीतर आते हैं। कार्यान्वयन का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है।

कार्यांग में हिंदी के संदर्भ में उसके विकास और उसके प्रचार-प्रसार का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हिंदी की साहित्य संपदा में वृद्धि करना, कोश आदि संदर्भ ग्रंथों का निर्माण करना, शिक्षा में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना, देश और विदेश में हिंदी के प्रचार को बढ़ाना आदि कार्यों की ज़िम्मेदारी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के ऊपर है।

27.3 राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

हिंदी के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी प्रमुखत: गृह मंत्रालय पर है। गृह मंत्रालय में पहले राजभाषा के लिए अलग विभाग नहीं था, बल्कि गृह मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हिंदी सलाहकार इस कार्य को देखते थे। 1976 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और इसका प्रमुख राजभाषा सचिव है। राजभाषा विभाग भारत सरकार में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की व्यवस्था और देखरेख करता है।

हिंदी के कार्यान्वयन की व्यवस्था के संदर्भ में हम तीन प्रकार की समितियों का उल्लेख करेंगे जो विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन की देखरेख कर रही हैं।

i) **केंद्रीय हिंदी समिति :** यह राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा अभिकरण है, इसका गठन 1967 में किया गया था। भारत के प्रधान मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और प्रमुख मंत्रालयों के मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के अतिरिक्त हिंदी के कुछ वरिष्ठ विद्वान इसके सदस्य होते हैं। यह समिति देश के हिंदी के कार्यान्वयन के संदर्भ में महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करती है और नीति निर्धारण करती है।

ii) **हिंदी सलाहकार समिति :** प्राय: सभी मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय स्तर की हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। संबंधित मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रालय के विभागों के अध्यक्ष तथा संबंधित निकायों, कार्यालयों के शासी प्रधान इसके सदस्य होते हैं, साथ ही कुछ संसद सदस्य और हिंदी के विशिष्ट विद्वान इसके नामित सदस्य होते हैं। इस समिति का काम संबंधित मंत्रालय में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति को देखना और विकास के उपाय सुझाना है।

iii) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति :** मंत्रालयों तथा इसके अधीन कार्य करने वाले कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित उपक्रमों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। मंत्रालय की समिति का अध्यक्ष संयुक्त सचिव होता है, अन्य कार्यालयों में कोई वरिष्ठ अधिकारी मुख्य राजभाषा अधिकारी की हैसियत से इस कार्य को देखता है। हर कार्यालय में जो हिंदी प्रकोष्ठ है, वह प्राय: मुख्य राजभाषा अधिकारी की देखरेख में काम करता है।

अगर किसी शहर में कई कार्यालय हों, तो उन सभी कार्यालयों की कार्यान्वयन समितियों का एक सामूहिक संगठन होता है, जिसे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कहते हैं। उस नगर का सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होता है। यह समिति सभी कार्यालयों की प्रगति के आकलन के साथ-साथ समस्याओं के समाधान के भी उपाय ढूँढती है।

प्रगति संबंधी सूचना का आकलन और निरीक्षण : भारत सरकार के हर कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व है कि वह कार्यालय में राजभाषा संबंधी नियम के अनुपालन तथा हिंदी में कार्य करने की प्रगति संबंधी विवरण हर तीन माह में राजभाषा विभाग को भेजे। इसे त्रैमासिक विवरण कहा जाता है। यह विवरण तैयार करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जाँच बिंदुओं की एक सूची जारी की गई है कि कितने पत्र हिंदी या द्विभाषिक रूप में प्राप्त हुए, उत्तरित हुए, कितने प्रपत्र या रबड़ की मुहरें द्विभाषिक हो गयी हैं आदि का संकेत इन जाँच बिंदुओं में दिया गया है। हिंदी प्रकोष्ठ संबंधित जानकारी एकत्र करता है और विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। अपने स्तर पर विभागाध्यक्ष सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं और स्थिति में सुधार ला सकते हैं। राजभाषा विभाग इन रिपोर्टों का अध्ययन करता है और उनके आकलन और विश्लेषण के आधार पर संसद के पटल पर अद्यतन प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

हमने देखा कि संविधान में एक संसदीय समिति की सिफ़ारिश की गई थी जो राजभाषा आयोग के सुझावों पर विचार करे। हमने यह भी देखा कि 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में संसदीय समिति को प्रगति के निरीक्षण हेतु मान्यता दी गई। वर्तमान स्थिति भी यही है कि 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति है जो देश में राजभाषा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यालयों की स्थिति का नियंत्रण करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर इन सब निकायों के कारण राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति को देखा जा सकता है और समस्याओं के समाधान के उपरांत कार्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।

कार्यान्वियन का एक दूसरा पहलू अनुवाद है। भारत सरकार के नेमी प्रशासनिक साहित्य (मैनुअल, संहिताएँ आदि) के अनुवाद की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे राजभाषा अधिनियम नियम 8 के अनुसार कर्मचारियों को हिंदी भाषा में साहित्य उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नामक संस्था व्यवस्था करती है। ब्यूरो की स्थापना मार्च, 1971 में गृह मंत्रालय के अधीन हुई, उससे पहले अनुवाद का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधीन था। ब्यूरो न केवल अनुवाद करता है बल्कि हिंदी स्टाफ को अनुवाद में प्रशिक्षण भी देता है।

ब्यूरो दो स्तरों पर *काम करता है। यह अनुवाद करने की अनुवादनीयता के संदर्भ में* मंत्रालयों तथा उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के लिए अनुवाद में तीन महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। भारत सरकार के विविध मंत्रालयों-कार्यालयों आदि के *मैनुअल आदि प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद का कार्य करता है। रक्षा, डाक/तार* जैसे कुछ बड़े मंत्रालयों को छोड़कर जिनके पास हिंदी में काम करने की अपनी पूरी व्यवस्था है, अन्य सभी मंत्रालय अनुवाद कार्य ब्यूरो में भेजते हैं।

कर्मचारियों के संदर्भ में हिंदी के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था : राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए न केवल साहित्य चाहिए बल्कि कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण के संदर्भ में गृह मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाएँ हैं। i) गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना नामक निकाय काम करता है, जो सरकारी अधिकारियों के लिए प्राज्ञ नामक परीक्षा चलाता है। हमने पहले ही उल्लेख किया था कि प्राज्ञ की परीक्षा उत्तीर्ण करना कार्यसाधक ज्ञान माना जाता है। सरकारी कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए भेजें और उन्हें कार्यसाधक ज्ञान दिलाएँ।

i) गृह मंत्रालय के अतिरिक्त दो और संस्थाएँ अपने-अपने ढंग से प्राज्ञ परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम चलाती हैं। एक संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो सरकारी अधिकारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा आयोजित करती है। इस तरह जो व्यक्ति अपने स्थान पर हिंदी में प्रशिक्षित न हो सकें, उनके लिए यह पूरक व्यवस्था है। दूसरी संस्था है केंद्रीय हिंदी संस्थान (दिल्ली केंद्र), जो तीन महीने के गहन शिक्षण द्वारा सरकारी अधिकारियों को प्राज्ञ की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम चलाती है।

हिंदी शिक्षण योजना का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है — टंककों और आशुलिपिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। देश के विभिन्न नगरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। *अंग्रेज़ी के टंकक और आशुलिपिक,* इन पाठ्यक्रमों में हिंदी में टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण ले सकते हैं जिससे वे आगे दोनों भाषाओं में काम कर सकें। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को दोनों भाषाओं में काम करने के लिए *अतिरिक्त वेतन आदि की भी सुविधा है।*

ii) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1984 में की गई। यह संस्थान अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देता है। हिंदी के माध्यम से सेवा में प्रवेश लेने वाले लोगों के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में हिंदी को माध्यम के रूप में स्थान दिया गया है। जो लोग सेवा से पूर्व ही हिंदी में प्रशिक्षित हो जाते हैं उनके लिए बाद में हिंदी में दक्षता के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है लेकिन लोग हिंदी में काम कर सकें इसके लिए हर विभाग समय-समय पर कार्यशालाएँ आयोजित करता है और इन कार्यशालाओं में हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देता है, इस प्रकार हिंदी में अधिकारियों को तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सेवा पूर्व या सेवा के मध्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्य अब भी सकारात्मक ढंग से प्रोत्साहन आदि के माध्यम से किया जाता है और किसी व्यक्ति को काम न करने की स्थिति में दंडित नहीं किया जाता। व्यक्तियों को प्राज्ञ की परीक्षा में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा पास करने पर नकद पुरस्कार दिया जाता है, हिंदी में पर्याप्त रूप से काम करने पर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार आदि दिए जाते हैं, जो विभाग हिंदी में काम करते हैं, उनको शील्ड आदि देकर सम्मानित किया जाता है।

बोध प्रश्न 1

1) राजभाषा हिंदी के लिए काम करने वाली तीन संस्थाओं के नाम बताइए।

   क) देश के स्तर पर ....

   ख) मंत्रालय के स्तर पर ....

   ग) कार्यालय/उपक्रम स्तर पर ....

2) विधि संबंधी अनुवाद का दायित्व .... मंत्रालय के राजभाषा स्कंध पर है। अन्य मंत्रालयों के मैनुअल आदि प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद का दायित्व .... पर है।

3) निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रयोजन बताइए:

   i) हिंदी कार्यशाला

   ....

   ....

   ii) तिमाही रिपोर्ट

   ....

   ....

   iii) हिंदी शिक्षण योजनाएँ

   ....

   ....

27.4 हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य

हिंदी के प्रचार से हमारा तात्पर्य यह है कि देश के अधिक से अधिक लोग जो शिक्षा आदि के माध्यम से हिंदी न सीख पाते हों उनके लिए हिंदी में शिक्षण की व्यवस्था करना। इस संबंध में राजभाषा आदेश में यह उल्लेख है कि प्रचार के कार्य में जो स्वैच्छिक संस्थाएँ काम कर रही हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक अनुदान दिया जाए और उनके सहयोग से प्रचार कार्य को बढ़ाया जाए। भारत सरकार अब इसी दृष्टि से कार्य कर रही है और प्रचार के कार्य के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेती है। हिंदी के लिए इस समय निम्नलिखित स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ काम कर रही हैं :

1) असम राजभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी

2) हिंदी विद्यापीठ, गुवाहाटी
3) उड़ीसा राष्ट्र भाषा परिषद्, पुरी (उड़ीसा)
4) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
5) दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास
6) बंबई हिंदी विद्यापीठ, बंबई
7) महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे
8) मणिपुर हिंदी परिषद्, इंफाल, मणिपुर
9) मणिपुर हिंदी प्रचार परिषद्, बंगलूर
10) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
11) सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, राजकोट (गुजरात)
12) हिदुस्तानी प्रचार सभा, बंबई
13) हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद
14) हिंदी विद्यापीठ, देवघर
15) हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
16) कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, बंगलूर
17) कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, बंगलूर
18) केरल हिंदी प्रचार सभा, तिरुअनंतपुरम

ये संस्थाएँ समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न स्तर की परीक्षाएँ चलाती हैं। भारत सरकार इन परीक्षाओं को स्तर के अनुरूप इंटर, बी.ए. आदि समकक्ष परीक्षाओं की मान्यता देती है। इस प्रकार इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्तियों की तरह समान पद और वेतन प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्थाएँ अपने प्रकाशनों, संगोष्ठियों के आयोजन आदि के माध्यम से हिंदी के कार्य को आगे बढ़ाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इनमें से अधिकतर संस्थाएँ अहिंदी भाषी प्रदेशों में हैं। इस प्रकार अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी के कार्य को आगे बढ़ाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एक और स्वैच्छिक संस्था है केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, जो सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों का संगठन है। यह संस्था उन व्यक्तियों को विविध प्रकार से योजनाओं, प्रकाशनों और कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार का कोई भी कार्यालय, जिसमें पर्याप्त संस्था में हिंदी में काम करने वाले हों, अपने कार्यालय में परिषद की शाखा स्थापित कर सकता है और कार्य कर सकता है।

शिक्षण-प्रशिक्षण

विदेशों में हिंदी के प्रचार के लिए भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत विदेशी छात्रों को भारत में हिंदी सिखाने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। भारत सरकार अपने स्तर पर प्रचार आदि के लिए और कई योजनाएँ चलाती हैं। भारत सरकार का कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय अहिंदी भाषी लेखकों को पुरस्कार तथा प्रकाशन अनुदान देने की योजनाएँ चलाता है, नव लेखकों को प्रशिक्षण देता है, अहिंदी भाषी प्रदेशों से हिंदी भाषी प्रदेशों में छात्र-छात्राओं के अध्ययन दल का आयोजन करता है, हिंदी भाषी अध्यापकों की अहिंदी भाषी राज्यों में प्रतिनियुक्त करता है जिससे देश में विद्वानों के बीच आदान-प्रदान हो सके। इसी तरह केंद्रीय हिंदी निदेशालय अलग-अलग पुस्तकों, प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।

विकास की योजनाएँ

भाषा के विकास के लिए आवश्यक है कि पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों आदि का प्रकाशन हो। केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कोष ग्रंथों के निर्माण का कार्य करता है। हिंदी के लिए विविध प्रकारों के कोशों का निर्माण, हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के लिए द्विभाषी तथा त्रिभाषी कोशों का निर्माण केंद्रीय हिंदी निदेशालय का दायित्व है। हिंदी के लिए उच्च स्तर के अध्ययन के लिए हिंदी में पाठ्य

पुस्तकों के निर्माण का दायित्व पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय पर था। कार्य की अधिकता को देखते हुए और कार्य को विभिन्न क्षेत्रों में बाँटने के उद्देश्य से अब यही कार्य राज्य की हिंदी ग्रंथ अकादमियों को सौंप दिया गया है। यह ग्रंथ अकादमियाँ अनुवाद या मूल लेखन के रूप में उच्चस्तरीय ग्रंथों का निर्माण अपने-अपने प्रदेश में करती हैं। इस संदर्भ में आप इकाई 22 में पढ़ चुके हैं। विकास की दूसरी दिशा पर्याप्त शब्दों की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग का एक निकाय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का कार्य करता है। यह कार्य वास्तव में 1952 में ही शुरू हो गया था जब यह शब्दावली की आवश्यकता पर कार्रवाई कर रहा था। बाद में 1961 में आयोग की स्थापना हुई तब यह कार्य आयोग को सौंप दिया गया था। आयोग देश के विभिन्न भाषा-भाषी और संबंधित विषय क्षेत्र के विद्वानों के सहयोग से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करता है। इस निर्माण में आयोग संविधान के अनुच्छेद 351 में बताए गए निर्देश का पूरा-पूरा पालन करता है। यों मान सकते हैं कि अब तक आयोग ने ज्ञान-विज्ञान के विषयों और प्रशासनिक शब्दावली के क्षेत्र में लगभग 4 लाख शब्दों का निर्माण किया है। इन शब्दावलियों को सुलभता से व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय शब्दावलियों के रूप में भी प्रकाशित करता है, जैसे—डाक-तार शब्दावली, रेल शब्दावली आदि। नये युग की नयी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब आयोग ने अपने कार्यों का क्षेत्र विस्तार किया है और इस समय कंप्यूटर के माध्यम से शब्दावली देने की पहल की है। विकास का तीसरा आयाम तकनीकी विकास है। आधुनिक युग की आवश्यकताओं के लिए हमें टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, इलेक्ट्रानिक टंकण यंत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी में काम करने लायक साफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस दिशा में प्रयत्न न किया जाँए तो हिंदी पिछड़ सकती है और अंग्रेज़ी का उपयोग जारी रह सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ी में इंग्लैंड तथा अमेरिका में इस दिशा में काफ़ी कार्य हो रहा है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिंदी के तकनीकी विकास के लिए एक निदेशालय स्थापित किया गया है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। यह प्रभाग एक तरफ इलेक्ट्रानिक यंत्रों में हिंदी के प्रयोग की दिशा में काम कर रहा है और दूसरी तरफ़ इस कार्य को मानकीकरण ढंग से करने के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाता है। इसके साथ ही भारत सरकार के अन्य कई उपक्रम जैसे हैदराबाद का इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद का सी.एम.सी., पुणे का सी डैक, बंबई का नेशनल सेंटर फार साफ्टवेयर डेवलपमेंट आदि विविध स्तरों पर कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार का इलेक्ट्रानिकी विभाग इनकी देखरेख करता है।

शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा

प्रचार और विकास की दिशा के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा को बढ़ाना अनिवार्य है तभी आने वाली पीढ़ियाँ हिंदी के माध्यम से सक्षम रूप में काम कर सकेंगी साथ ही विभिन्न विकास और प्रचार-प्रसार कार्यों में जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षित करना या उन्हें इस काम में प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भाषा पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है। यह शिक्षा विभाग का ही काम है। इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कई कदम उठा रहा है। त्रि-भाषा सूत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि लगभग देश के सभी नागरिक माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का अध्ययन कर सकें। व्यवहार में लगभग पूरे देश में शिक्षा में त्रि-भाषा सूत्र के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। केवल दो एक राज्यों में हिंदी शिक्षण की अनिवार्यता नहीं है, इस संदर्भ में आप इकाई 19 में अध्ययन कर चुके हैं। देश के विभिन्न विभागों में हिंदी भाषी तथा दूसरी भाषाएँ बोलने वाले छात्र रहते हैं इनके लिए स्थानीय भाषा में शिक्षण प्राप्त करना कठिन हो सकता है और इनमें कई हिंदी के माध्यम से या हिंदी को विषय के रूप में पढ़ना पसंद करते हैं, इसी उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे छात्र देश में कहीं भी हों हिंदी का अध्ययन कर सकें। इस संदर्भ में इकाई 20 में पढ़ चुके हैं।

उच्च स्तर पर अध्ययन के लिए या तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से अध्ययन के लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालय हिंदी को विषय के रूप में और जहाँ संभव हो काम के रूप में अपनाएँ। इस समय लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी उच्च स्तर तक के अध्ययन में माध्यम भाषा है और देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। हिंदी के शिक्षण के साथ-साथ यह भी आवश्यक होगा कि छात्रों को उपयुक्त पाठ्य सामग्री मिले। स्कूली स्तर पर राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे अपनी पुस्तकें तैयार करें, फिर भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हिंदी विषय की तथा हिंदी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती

हैं और अन्य क्षेत्रों और राज्यों में ये पाठ्य पुस्तकें उपयोग में लाई जाती हैं। उच्च स्तर पर पुस्तकें हिंदी भाषा को माध्यम भाषा के रूप में अपनाने के लिए ग्रंथ अकादमियों का कार्य उल्लेखनीय है। हिंदी के अध्यापकों के प्रशिक्षण और हिंदी के अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने 1961 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान हिंदी के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ हिंदी भाषा के अनुसंधान और हिंदी भाषा से संबंधित शोध ग्रंथों का प्रकाशन करता है। यह भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक होगा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा भी होती है जिसके लिए भारत सरकार यथा आवश्यकता सहायता देती है।

बोध प्रश्न 2

4) मिलान कीजिए।

i) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	क) हिंदी में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन
ii) केंद्रीय हिंदी निदेशालय	ख) अनुवाद में प्रशिक्षण
iii) हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ	ग) पत्राचार द्वारा हिंदी का पाठ्यक्रम
iv) स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ	घ) पारिभाषिक शब्दों का निर्माण
v) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो	ङ) हिंदी का प्रचार-प्रसार

5) निम्नलिखित क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के लिए क्या काम किए जा रहे हैं।

   i) उच्च शिक्षा में राजभाषा का प्रशिक्षण
   ii) टंकण और आशुलिपिक का प्रशिक्षण
   iii) कंप्यूटर में हिंदी
   iv) कोषों का निर्माण
   v) सामान्य लोगों के लिए हिंदी भाषा में प्रशिक्षण

27.5 सारांश

पिछली तीन इकाइयों में हमने स्वतंत्रता-पूर्व के समय से लेकर वर्तमान समय तक राजभाषा हिंदी के विकास के क्रमिक इतिहास को देखा। इस इतिहास की परिणति 1976 के राजभाषा नियम के रूप में हमारे सामने आती है। इन नियमों के कार्यान्वयन के संदर्भ में और कार्यान्वयन की देखरेख के संदर्भ में आज हमारे सामने क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हमने इस इकाई में चर्चा की है।

यह काम दो प्रकार का है। एक ओर शासन के तीनों अंगों में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए और उसके लिए आवश्यक साहित्य तथा सामग्री तैयार की जानी चाहिए। यह कार्यालयों का कार्य है कि वे अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, अपने कार्यालय में हिंदी में काम करने की प्रगति का निरीक्षण करें, अपने कार्यालय के लिए आवश्यक साहित्य के लेखन और अनुवाद की व्यवस्था करें। इस संदर्भ में वह कार्यालय किस ढंग से काम कर रहा है और उसके लिए भारत सरकार की और किन संस्थाएँ सहायता आदि पहलुओं पर हमने इस इकाई में चर्चा की है।

दूसरी ओर, राजभाषा की स्वीकृति और व्यापक प्रचार-प्रसार का सवाल है। सरकारी कार्यालय प्रोत्साहन आदि के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करते हैं और हिंदी में काम को बढ़ाने के लिए लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन करते हैं। सरकारी कार्यालय के अतिरिक्त स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ भी देश के स्तर पर तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम देखती हैं। इस इकाई में हमने इन संस्थाओं के कार्यों के बारे में भी आपको जानकारी दी है।

राजभाषा के विकास के लिए आवश्यक है कि हिंदी में काम करने के लिए यांत्रिक साधन आदि भी उपलब्ध हों। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में हम इकाई 31 में विस्तार से चर्चा करेंगे।

27.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

राजभाषा हिंदी, कैलाश चंद्र भाटिया, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1990

हिंदी भाषा, पांडु रंग ढगे (सं), हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, 1986

27.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) क) केंद्रीय हिंदी समिति ख) हिंदी सलाहकार समिति

   ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति

2) विधि और न्याय, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

3) i) हिंदी में प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण

   ii) कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन पर हर तीन महीने में राजभाषा को भेजा जाने वाला प्रतिवेदन

   iii) सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित।

बोध प्रश्न 2

4) i) घ ii) ग iii) क iv) ङ v) ख

5) i) विश्वविद्यालयों में प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यक्रम

   ii) गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना में पाठ्यक्रम

   iii) राजभाषा विभाग में निदेशालय तथा अन्य

   iv) मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय

   v) स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ तथा स्कूल-कॉलेज

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

UGHI-06 / CSSHI-06

हिन्दी भाषा : इतिहास और वर्तमान

खंड

7

विकास की दिशाएँ

इकाई 28

आधुनिक संदर्भों के लिए हिंदी भाषा का विकास

इकाई 29

हिंदी का आधुनिकीकरण

इकाई 30

मानक हिंदी और मानकीकरण की समस्या

इकाई 31

हिंदी भाषा में यांत्रिक साधन

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

डा. भ. ह. राजूरकर
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
औरंगाबाद

डा. संसार चंद
चंडीगढ़

डा. रामसिंह तोमर
विश्व भारती विश्वविद्यालय
(प. बंगाल)

डा. अंबाशंकर नागर
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

प्रो. जी. सुंदर रेड्डी
विशाखापट्नम

डा. रमानाथ सहाय
आगरा

डा. भीमसेन निर्मल
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
प्रो. बख्शीश सिंह
डा. लक्ष्मीनारायण शर्मा

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

पाठ लेखन
प्रो. वी. रा. जगन्नाथन
डॉ. (श्रीमती) मंजु गुप्ता

संकाय सदस्य
प्रो. वी. रा. जगन्नाथन (संपादक)
डॉ. (श्रीमती) मंजु गुप्ता

मुद्रण प्रस्तुति

सुश्री पुष्पा गुप्ता
कापी एडिटर
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मई 1997 (पुनः मुद्रित)
© *इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1992*

ISBN-81-7263-147-2

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक मानविकी विद्यापीठ, प्रो. आशा एस कंवर द्वारा पुनः मुद्रित।

खंड 7 विकास की दिशाएँ

खंड परिचय

'हिंदी भाषा: इतिहास और वर्तमान' नामक ऐच्छिक पाठ्यक्रम का यह आख़िरी खंड है। जैसाकि इस पाठ्यक्रम से मालूम होता है, इस पाठ्यक्रम के पहले तीन खंडों में हमनें हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान युग तक हिंदी भाषा के विकास की चर्चा की। खंड 3 हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को प्रकट करता है जिसमें हिंदी भाषा की अवधारणा को उसके जनपदीय आधार और उर्दू के साथ उसके सह-अस्तित्व की चर्चा के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने का यत्न किया गया है।

खंड 3 हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को उसके क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखता है। हिंदी भाषा की अवधारणा के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण चर्चा है उसकी आधुनिक भूमिकाओं के संदर्भ। हिंदी भाषा को संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार किया और हिंदी के माध्यम से काम करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ तैयार करने का दायित्व भारत सरकार को सौंपा। हिंदी भाषा स्वतंत्रता से पूर्व देश की संपर्क भाषा रही और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा रही। इस कारण स्वतंत्रता से पूर्व ही लोगों ने हिंदी भाषा के इस महत्व को समझा और हिंदी को राष्ट्र भाषा की संज्ञा दी। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में इस समय भी हमारे बीच विद्यमान है। लोग देश के कोने-कोने में इसी भाषा के माध्यम से संपर्क करते हैं और इस भाषा के कारण देश की भावात्मक एकता बढ़ती है।

आज़ादी से पूर्व हिंदी भाषा की प्रशासन, शिक्षा आदि में कोई विशेष भूमिका नहीं रही। उस समय अंग्रेज़ी शासन था और अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों की राजभाषा थी। उस समय प्रशासन कार्य अंग्रेज़ी में ही चलता था और अंग्रेज़ी के माध्यम से ही लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। प्रशासनिक कार्यों के लिए अंग्रेज़ी में ही साहित्य उपलब्ध था और विविध विषयों के अध्ययन के लिए पुस्तकें उपलब्ध थीं। लेकिन राजभाषा बनने के बाद हिंदी के सामने ये दोनों रूप आये जिनके लिए तैयारी की आवश्यकता थी। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा में साहित्य उपलब्ध नहीं था और साहित्य के निर्माण के लिए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता थी। इसी तरह शैक्षिक भाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए शब्दों और पुस्तकों के निर्माण की आवश्यकता थी। यह समस्त कार्य लगभग 1960 से शुरू हुआ जिसे हम वर्तमान युग में हिंदी के विकास का इतिहास कह सकते हैं। इस विकास की योजना को खंड-6 में हमने संविधान में हिंदी के संदर्भ में स्पष्ट किया।

प्रस्तुत खंड इस आधुनिक विकास यात्रा की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। औपचारिक स्तर पर यानि राजभाषा और शिक्षा की भाषा के रूप में भाषा का विकास कैसे होता है और इस विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएँ बनानी पड़ती हैं इसे आप इकाई 28 में देखेंगे। इस विकास के संदर्भ में भाषा की समृद्धि के लिए जो उपाय किये जाते हैं उसे हम आधुनिकीकरण कह सकते हैं। हम आधुनिकीकरण की समस्याओं की चर्चा इकाई 29 में कर रहे हैं। जब भाषा को सुनियोजित ढंग से विकसित करने का यत्न किया जाता है तो भाषा के स्वरूप के विकास की भी अपनी योजना होनी चाहिए अन्यथा भाषा विषय-विशेष के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है। इस प्रक्रिया को हम मानकीकरण कहेंगे और इसका अध्ययन इकाई 30 में करेंगे। अंत में इकाई 31 में हिंदी भाषा के लिए यांत्रिक साधनों के उपयोग पर बल दिया गया है और इस संबंध में हिंदी में हुए कार्यों की चर्चा की गई है।

इस खंड के साथ यह पाठ्यक्रम समाप्त हो रहा है जिसमें हमने हिंदी भाषा के स्वरूप महत्व, प्रक्रिया आदि का सामान्य परिचय दिया। ये ज्वलंत प्रश्न हैं जो प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित होते हैं। अगर आपको इस क्षेत्र में रुचि हो तो आप इस संबंध में आगे की गतिविधियों की सूचना पत्र-पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस राष्ट्रीय मुद्दे पर सजगता से विचार करें और भाषा के सवाल पर सक्रिय, निर्माणात्मक योगदान दें।

इस पाठ्यक्रम के साथ हम कुछ श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आप अपने अध्ययन केन्द्रों में देख सकते हैं।

इकाई 28 आधुनिक संदर्भों के लिए हिंदी भाषा का विकास

इकाई की संरचना

28.0 उद्देश्य
28.1 प्रस्तावना
28.2 भाषा की नीति का सवाल
28.3 भाषा नियोजन
28.4 भाषा विकास
    28.4.1 प्रयोजन के क्षेत्र
    28.4.2 विकास की दिशाएँ
28.5 सारांश
28.6 शब्दावली
28.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
28.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

28.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम भाषा विकास की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और विकास के लिए किये गये प्रयत्नों का अध्ययन करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- आधुनिक युग में भाषा के स्थान का वर्णन कर सकेंगे;
- आधुनिक युग के लिए भाषा आयोजन की आवश्यकता का विश्लेषण कर सकेंगे;
- भाषा विकास की परिभाषा कर सकेंगे;
- भाषा विकास की दिशाओं का वर्णन कर सकेंगे; और
- विभिन्न विकास कार्यक्रमों का परिचय दे सकेंगे।

28.1 प्रस्तावना

पहले ज़माने में शिक्षा के सीमित प्रसार के कारण बहुत कम लोग भाषा के क्षेत्र में काम करते थे। ऐसे विद्वान दत्तचित्त होकर काम करते थे और उन्हें यथा आवश्यकता राज्याश्रय प्राप्त हो जाता था। समाज में भाषिक कलाओं या प्रयोजनों की आवश्यकता कम पड़ती थी और सृजन ज्यादातर साहित्यिक क्षेत्र में ही होता था। उस युग के मुकाबले आधुनिक युग में शिक्षा के प्रसार के कारण समाज के हर तबके को भाषा से वास्ता पड़ता है। सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर व्यक्तियों को जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना होता है। जिन प्रयोजनों के लिए भाषा का प्रयोग करना होता है, उन क्षेत्रों की भाषा को विकसित भी करना पड़ता है। ये सब कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिससे हम वांछित दिशा में, व्यवस्थित रूप से काम कर सकें।

विकास के लिए एक नीति की आवश्यकता पड़ती है और उस नीति को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित करना होता है। विकास की यह प्रक्रिया राष्ट्र के सभी अंगों में देखी जा सकती है। जैसे देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में राष्ट्र को यह निश्चित करना होता है कि विकास की दिशा क्या हो और विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अन्य विकास कार्यक्रमों की तरह भाषा विकास का भी आयोजन इसी ढंग से किया जाता है।

भाषा का विकास आख़िर क्यों किया जाता है? बहुत सी भाषाएँ स्वतः बिना योजना के विकास प्रक्रिया से गुज़री हैं और उनका विकास अपने आप हुआ। फिर हम यह क्यों कहें कि भाषा के विकास को योजनाबद्ध ढंग से लागू किया जाए? यह बात सही है कि संस्कृत जैसी भाषाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उसके लिए किसी विकास योजना की शायद आवश्यता नहीं थी। लेकिन यह बात हमेशा सही नहीं है। लैटिन भाषा

को रोम के साम्राज्य का प्रश्रय मिला, इस कारण वह भाषा दूर-दूर तक फैली। अंग्रेज़ी भाषा के अपने आधुनिक रूप में विकास के पीछे भी सरकारी प्रयत्न दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू है। पहले ज़माने में भाषाओं का विकास अधिकतर साहित्य के क्षेत्र में हुआ। इस दृष्टि से हम इसे विकास नहीं समृद्धि कहेंगे, जो विकास की एक दिशा है। साहित्यिक समृद्धि के लिए विकास प्रक्रिया की आवश्यकता भी नहीं है। अगर परिवेश या युग सजग हो तो साहित्यकार अपनी प्रतिभा को व्यक्त अवश्य करते हैं। और आवश्यकता हुई तो साहित्यकार भाषा की रचना स्वयं करते हैं। आधुनिक युग में यह संभव नहीं है क्योंकि करोड़ों लोग भाषा के क्षेत्र में काम करते हैं और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके लिए योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। आप यह जानना चाहेंगे कि विकास किन कारणों से और किन दिशाओं में किया जाता है? भारत जैसे देश में भाषा विकास की योजना की आवश्यकता क्या है? इस बात को हम तीन आधारों से स्पष्ट करना चाहेंगे:

(i) भारत एक नया राष्ट्र है। लगभग 40 साल पहले तक सिर्फ़ अंग्रेज़ी इस देश की राजभाषा थी। यद्यपि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था, इसे कार्यरूप में परिणत करने का कोई उपाय या साधन नहीं था। 1950 में जब भारत गणतंत्र राष्ट्र बना, तब यह सजगता और तुरन्त आवश्यकता सामने आई कि देश की अपनी राजभाषा होनी चाहिए। हिंदी भाषा इस प्रयोजन के लिए सबसे योग्य विकल्प थी। लेकिन हिंदी भाषा में इन प्रयोजनों के लिए शब्दावली, कामकाज के लिए साहित्य आदि नहीं थे। इतने बड़े राष्ट्र में इतने व्यापक प्रयोजनों के लिए भाषा को तैयार करना इतना सरल काम नहीं था। इस काम को जल्दी संपन्न करने के लिए योजना की आवश्यकता थी, नीति निर्धारण की आवश्यकता थी।

(ii) अगर भारत में सिर्फ़ एक भाषा होती तो विकास की इस प्रक्रिया में अधिक कठिनाइयाँ भी न होतीं। यह बहुभाषी देश है जिसमें तमिल, बंगला आदि अन्य भाषा-भाषियों की भी यह आकांक्षा रही कि उनकी भाषाएँ भी प्रमुखता प्राप्त करें। हिंदी के अलावा देश में और भाषाएँ हैं जो साहित्य की दृष्टि से संपन्न हैं और अपने-अपने प्रदेश में लोगों के कार्य के लिए सक्षम हैं। फिर करीब 700 भाषाएँ हैं जिनके बोलने वालों को भाषा के कारण कठिनाई नहीं होनी चाहिए और यह भी होना चाहिए कि वे चाहें तो अपने प्रयत्नों से अपनी भाषा का विकास भी कर सकें। इस संदर्भ में भाषा नीति ऐसी होनी चाहिए जो उदार हो और सबके हितों का ध्यान रखे। भाषा का विकास ऐसा होना चाहिए कि किसी भाषा के विकास से दूसरी भाषा का विकास अवरुद्ध न हो। इन्हीं बातों के कारण हिंदी भाषा के विकास को योजनाबद्ध ढंग से अमल में लाने की आवश्यकता पड़ी जिससे हिंदी देश की सामासिक संस्कृति की वाहिका के रूप में अन्य भाषाओं के सहयोग से विकास कर सके। इस संदर्भ में आप पिछले खंड में, इकाई 24 में अध्ययन कर चुके हैं।

(iii) राष्ट्र का विकास सर्वांगीण विकास होता है, यानी देश का आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक बौद्धिक विकास न हो। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। स्वतंत्रता के बाद इसे हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता पड़ी। उद्योग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा आदि कितने ही क्षेत्र हैं जिनमें हमें विकास की योजना बनानी पड़ी। भाषा का विकास भी राष्ट्र के विकास का अंग है। जब तक हम भाषा के विकास की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक देश का पूर्णरूप से विकास नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक है कि हम हर किसान तक अपना संदेश पहुँचा सकें। यह तभी होगा जब किसान शिक्षित होंगे। देश की भाषाओं के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना भाषा विकास का कार्यक्रम है, यह देश के विकास का आधार है।

अब आप अनुभव करते होंगे कि एक बहुभाषी विकासशील समाज में भाषाओं को शीघ्र से शीघ्र विभिन्न सामाजिक प्रयोजनों में उपयोग में लाने के लिए किस प्रकार योजना बनानी पड़ती है और योजनाबद्ध रूप से विकास कार्यक्रमों को लागू करना होता है।

28.2 भाषा नीति का सवाल

हम भाषा की योजना तभी बना सकते हैं जबकि हमें योजना की दिशा मिले। यह दिशा भाषा की नीति (Language policy) कहलाती है। नीति के निर्धारण में हमें देश की आवश्यकता, बहुभाषिकता का स्वरूप और विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाषा की भूमिका आदि के संदर्भ में नीति का निर्धारण करना होता है। यह नीति लोकतांत्रिक ढंग से तय की जाती है जिससे देश के सभी लोगों को भाषिक स्वतंत्रता और भाषिक अधिकार मिले।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ही देश के सामने नीति के संदर्भ में एक राष्ट्रीय सहमति* बन गई थी। महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्रीय नीति को स्वरूप देने में काफ़ी हद तक सफल रहे। उस

समय भी अंग्रेज़ी और हिंदी, हिंदी और उर्दू, हिंदी और भारतीय भाषाएँ आदि के संबंध/संघर्ष को वैचारिक धरातल पर देखा जा सकता था। इन विभिन्न मतभेदों के बीच जो सहमति के मुद्दे थे, उन्हें इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं:

i) भारत के लिए विभिन्न भाषायी समुदायों को एक साथ जोड़ने वाली राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है।

ii) राष्ट्रभाषा के रूप में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी भाषा ही स्थापित हो सकती है।

iii) भले हिंदी राष्ट्रभाषा बने, समस्त जनता को जागृत करने के लिए उनकी अपनी मातृभाषा ही सबसे प्रमुख साधन है। इस दृष्टि से देश की अन्य प्रमुख भाषाओं का विकास और प्रचार आवश्यक है।

iv) हिंदी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जन सामान्य उसे समझ सके। अर्थात् वह संस्कृतनिष्ठ हिंदी और अरबी-फ़ारसी शब्दों से युक्त शैली के बीच हो।

v) अंग्रेज़ों का साम्राज्य भले समाप्त हो गया हो, अंग्रेज़ी भाषा की उपयोगिता से विरोध नहीं है, ज्ञान-विज्ञान में विकास के लिए और विश्वसंपर्क के लिए अंग्रेज़ी भाषा की आवश्यकता पड़ सकती है। इस राष्ट्रीय सहमति के संदर्भ में 1950 में संविधान बना। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और उसके विकास की दिशा के निर्देश दिए गए। इस संबंध में आप पिछले खंड में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं कि भाषा के संबंध में आज हमारी क्या राष्ट्रीय नीति है। इस संदर्भ में आगे भी नीति निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जाती रहेगी। जैसे शिक्षा में भाषा के संबंध में राष्ट्रीय नीति का उल्लेख सन् 1958 के संसद के संकल्प से व्यक्त होता है जहाँ शिक्षा के लिए त्रिभाषासूत्र अपनाने का संकल्प व्यक्त हुआ था। इसी प्रकार विभिन्न शिक्षा आयोगों और राजभाषा से संबंधित समितियों आदि में विविध क्षेत्रों में नीति की चर्चा की जाती रही है।

28.3 भाषा नियोजन

जब भाषा संबंधी नीति स्पष्ट हो जाती है और उससे विकास के निर्देश मिल जाते हैं तो भाषा नियोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। नियोजन को आप विभिन्न पुस्तकों में योजना, आयोजन आदि शब्दों से भी व्यक्त होता देखेंगे। भाषा के नियोजन की प्रक्रिया यह स्पष्ट करती है कि किस तरह वांछित लक्ष्य के लिए कार्य करना होता है। इस नियोजन को हॉगन नामक विद्वान ने भिन्न प्रकार से एक आरेख द्वारा स्पष्ट किया है।

	रूप	प्रयोजन
समाज	चयन	स्वीकृति
भाषा	कोडबद्ध करना	विस्तार

इस आरेख को हम इस रूप में व्याख्यायित करेंगे:

भाषा नियोजन यह मानकर चलता है कि भाषा का एक रूप होना चाहिए, जिसको हम उस भाषा का प्रतिनिधि रूप मानें। यह प्रतिनिधि रूप विकास का आधार बनेगा। उसी रूप के संदर्भ में वाङ्मय विस्तार कार्य संपन्न होंगे, जिससे उस रूप का व्यापक प्रसार हो सके। भारत के संदर्भ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा वह रूप है जिसे राजभाषा के प्रकार्य के लिए चुना गया है। इस तरह नियोजन इस रूप के संदर्भ में होगा। जब समाज द्वारा भाषा रूप का चयन हो जाता है तो जनता द्वारा उसकी व्यापक स्वीकृति की बात आती है। जनता के लिए आवश्यक है कि वह विभिन्न सामाजिक प्रयोजनों के लिए उस भाषा को अपनाए और उस भाषा के माध्यम से काम करे।

भाषा उस चुने हुए रूप को कोडबद्ध करती है अर्थात् उसे एकरूपता प्रदान करती है। जैसे हम आगे की चर्चा में देखेंगे, एक निश्चित मानक रूप के अभाव में भाषा का विकास कठिन होता है। कोडबद्ध करने की इस प्रक्रिया को ही हम मानकता का नाम देंगे और इकाई 30 में भाषा के मानकीकरण की चर्चा करेंगे।

स्वीकृति के प्रश्न को अब हम दोनों संदर्भों में देख सकते हैं। एक तरफ़ चयन किए गए रूप की स्वीकृति आवश्यक है। बहुत से लोग अब भी यह मानकर चलते हैं कि अंग्रेज़ी कामकाज के लिए अधिक उपयुक्त है। दूसरी तरफ़ जो लोग हिंदी के राजभाषा बनने पर शंका नहीं करते, वे भाषा के बदलते स्वरूप को स्वीकृति नहीं देते। उन्हें लगता है कि हिंदी क्लिष्ट भाषा होती जा रही है, इसलिए हिंदी में काम करना कठिन है।

हॉगन के आरेख के संदर्भ में अगला शब्द 'विस्तार' यानि प्रयोजनों का विस्तार है। किसी भी भाषा के लिए आवश्यक है कि वह आधुनिक संदर्भ में, जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के माध्यम से काम करे। हमारे

सामने प्रशासन, विधि, वाङ्मय विस्तार, जन-संचार आदि कई नए क्षेत्र खुल रहे हैं, जहाँ भाषा के उपयोग की आवश्यकता पड़ रही है। इस प्रकार विविध आधुनिक प्रयोगों के लिए भाषा का उपयोग उसके आधुनिकीकरण के प्रश्न से जुड़ता है, जिसके बारे में हम अगली इकाई में चर्चा करेंगे।भाषा नियोजन संस्थागत कार्य है। पूरे देश की भाषा के संदर्भ में इस प्रकार विकास के कार्य को दिशा देना व्यक्तियों का काम नहीं है। व्यक्ति यह भी नहीं कर सकते कि वे व्यक्तिगत रूप से विकास की विभिन्न दिशाओं में काम करें। शिक्षा, राजभाषा, यांत्रिक उपकरणों का विकास आदि कई क्षेत्र हैं जिनमें विकास की सुनिश्चित दिशा और तदनुसार योजनाबद्ध कार्यक्रम होने चाहिए। भाषा की राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में विकास का काम भी राष्ट्रीय स्तर पर ही संभव हो सकता है।

बोध प्रश्न 1

1. भारत की भाषा नीति की प्रथम आधिकारिक घोषणा कब और किस माध्यम से हुई?

....

....

2. भाषा नीति के निर्धारण के पीछे जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति थी, उनका उल्लेख कीजिए। लगभग 8 पंक्तियों में उत्तर दें।

....

....

....

....

....

....

....

....

3. हॉगन ने विकास की प्रक्रिया के चार शब्द दिए हैं। उन्हें लिखिए ?

   i) ....

   ii) ....

   iii) ....

   iv) ....

4. भाषा विकास के लिए भाषा नियोजन क्यों आवश्यक है? तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

28.4 भाषा विकास

अक्सर यह सवाल उठता है कि विकसित भाषा कौन-सी है? हिंदी के संदर्भ में भी कई लोगों का मत था कि अंग्रेज़ी के मुकाबले हिंदी विकसित नहीं है। दूसरी तरफ हम कुछ जनजातियों की अलिखित, साहित्यरहित भाषाओं को अविकसित भाषा कहते हैं। विकास का आख़िर माप क्या है? समाज-भाषा-वैज्ञानिक अक्सर यह मानकर चलते हैं कि कोई भी भाषा सही मायने में अविकसित नहीं होती, क्योंकि हर भाषा उस समाज के व्यक्तियों के संप्रेषण की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होती है। इस दृष्टि से अरुणाचल की बोली और अंग्रेज़ी में भी कोई अंतर नहीं रह जाता। यहीं हम पर्याप्तता और विकास की संकल्पना में अंतर करना चाहेंगे। अरुणाचल की भाषा में भौतिक विज्ञान पर पुस्तक लिखना संभव शायद न हो, क्योंकि उस भाषा में उस विषय के लिए उपयुक्त शब्द नहीं हैं। किसी समाज के अपने वर्तमान रूप में उसकी संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए हर भाषा पर्याप्त होती है। लेकिन जैसे-जैसे उस समाज में आधुनिक प्रयोजनों का विस्तार होता है, उन्हें अभिव्यक्त करने की भाषा की क्षमता सीमित होती जाती है। इस तरह विभिन्न प्रयोजनों के संदर्भ में भाषा में पर्याप्तता कम होती जाती है। हम आधुनिक संदर्भों के लिए अपर्याप्तता को ही

'अविकास' कहेंगे। हिंदी भाषा प्रशासन या विधि की भाषा नहीं थी, इसमें इन क्षेत्रों की शब्दावली और साहित्य का अभाव था, इस दृष्टि से यह भाषा इन प्रयोजनों में 'अविकसित' थी। आधुनिक युग में प्रयोजन विस्तार के कारण भाषाओं को विविध क्षेत्रों में काम करना होता है। इस कारण उन प्रयोजनों के लिए क्षमता अर्जित करने के लिए भाषा को विकास की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उन विभिन्न प्रयोजनों और आवश्यकताओं को समझ लें तो हम भाषा विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं।

28.4.1 प्रयोजन के क्षेत्र

यहाँ हम यह जानना चाहेंगे कि आधुनिक युग में भाषाओं का प्रयोजन विस्तार किन क्षेत्रों में होता है। इन प्रयोजनों को अगर हम समझ जाएँ तो इनके लिए भाषा में विकास की दिशा को समझ सकेंगे।

i) **शिक्षा और भाषा** : आधुनिक युग में शिक्षा भाषा में प्रयोजनों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पहले, लोगों को सही अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अच्छी भाषा सीखना हर क्षेत्र में उपयोगी है। दूसरे, माध्यम भाषा ज्ञान-विज्ञान के अर्जन के लिए आवश्यक है। तीसरे, कई और क्षेत्र हैं जहाँ पर भाषा की आवश्यकता पड़ती है जैसे अनुवाद, संपादन आदि। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के आयोजन को समझने के लिए हमें शिक्षण, सामग्री निर्माण और अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में विचार करना होगा। उदाहरण के लिए अब तक हम स्कूली स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य प्रधान पाठ्यक्रम चलाते रहे हैं। क्या आधुनिक युग के नागरिकों के लिए इतना ही पर्याप्त है? हम यह चाहेंगे कि विविध स्तरों पर काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रकार के भाषा पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएँ जिससे छात्र को जीवनोपयोगी ज्ञान मिले। इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम कहे जाएँगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध भाषा के प्रयोजन विस्तार से है। शिक्षा की व्यवस्था में स्कूल-कालेज स्तर पर तथा अनौपचारिक शिक्षा के स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन विकास का सोपान है, जो नियोजन की माँग करता है।

ii) **राजभाषा** : राजभाषा भाषा के प्रयोजनों में से एक क्षेत्र है, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें प्रशासन, विधि आदि की भाषा शामिल है। इन सब अंगों की भाषा में मानकीकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। मानकीकरण के अभाव में विधि कभी कारगर नहीं हो सकती। विधि में हर शब्द का एक निश्चित, असंदिग्ध अर्थ होना चाहिए। इस प्रकार के प्रयोजन-विशेष के शब्दों का निर्माण एक बड़ी आवश्यकता है। साथ ही, इन शब्दावलियों के माध्यम से प्रशासन और विधि का समस्त साहित्य उपलब्ध होना चाहिए। यह वाङ्मय अनुवाद के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग पिछले एक सौ वर्ष से अंग्रेज़ी के माध्यम से हमारे पास क्रम से साहित्य उपलब्ध है। इस प्रकार राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में पारिभाषिक शब्द निर्माण, साहित्य निर्माण, इस साहित्य में कर्मचारियों का प्रशिक्षण आदि कई काम जुड़ जाते हैं और इन्हीं कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है।

iii) **भाषिक कलाएँ** : भाषिक कलाओं से हमारा तात्पर्य उन व्यापक कार्यों से है जो पूरे देश को जोड़ते हैं। जैसे साहित्य का अनुवाद तथा वाङ्मय का अनुवाद आदि कार्य देश में ज्ञान-विज्ञान के आदान-प्रदान में सहायक होते हैं। जन-संचार के क्षेत्र में रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि लगभग हर नागरिक तक पहुँचते हैं। पुस्तक प्रकाशन भाषिक कार्यों या भाषिक कलाओं का एक प्रमुख क्षेत्र है। साहित्यिक पुस्तकें, सामान्य ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें आदि शिक्षा देने के लिए तथा ज्ञान विस्तार के लिए उपयोगी हैं। भाषिक कलाओं का यह क्षेत्र असंगठित है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही कार्य होता है। इसकी तुलना में राजभाषा का क्षेत्र पूर्णतः संगठित क्षेत्र है और इसमें भाषा के विकास में निजी प्रयत्न नगण्य-सा है। इस दृष्टि से इस क्षेत्र में विकास की अत्यंत संभावनाएँ हैं। लेकिन साथ में हम यह भी कहना चाहेंगे कि इसमें नियोजित विकास की भी आवश्यकता है। राष्ट्र मानकीकरण आदि प्रक्रियाओं से इस क्षेत्र में नियंत्रण कर सकता है और पुरस्कार आदि प्रोत्साहन देकर विकास को गति दे सकता है।

28.4.2 विकास की दिशाएँ

हमने ऊपर के प्रकरणों की चर्चा की कि भाषा का नियोजित विकास आवश्यक है। विकास की कुछ दिशाएँ संगठित क्षेत्र याने सरकारी क्षेत्र में आती हैं। इनमें विकास को नियोजित करना मात्र प्रशासन का दायित्व है। विकास के कई और क्षेत्र हैं जहाँ निजी प्रयत्नों से निजी क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम चलते हैं। यह असंगठित क्षेत्र है। इस संदर्भ में हम आगे विकास की विभिन्न दिशाओं की चर्चा करेंगे और उनमें नियोजन के स्वरूप को देखने का यत्न करेंगे।

i) **भाषा की समृद्धि** : संविधान के अनुच्छेद 351 के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा को समृद्ध करना संघ शासन का दायित्व है। समृद्धि साहित्यिक कृतियों से होती है। साहित्य सृजन अभिव्यक्ति का क्षेत्र है, लेकिन उसका प्रकाशन व्यापारिक क्षेत्र है। इस कारण सरकार को चाहिए कि वह लेखकों को प्रोत्साहन दे, उनके प्रकाशन आदि के लिए अनुदान की व्यवस्था करे और प्रकाशित पुस्तकों को पुस्तकालय आदि में पहुँचाने का प्रबंध करे। भाषा की समृद्धि का यह भी तात्पर्य है कि उसमें संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हों, कोश, मानचित्र, निर्देशिका आदि छपें; यह भी सुनिश्चित हो कि हिंदी भाषा में देश-विदेश की साहित्यिक

कृतियाँ उपलब्ध हों। भाषा की समृद्धि का यह क्षेत्र अधिकतर निजी प्रयत्नों से ही संभव हो सकता है और सरकार इस क्षेत्र में प्रोत्साहन की योजनाओं से योगदान दे सकती है।

ii) **प्रसार** : हिंदी भाषा की स्वीकृति का सवाल पूरे देश के संदर्भ में है। देश के लोग इस भाषा को संपर्क के लिए इस्तेमाल करें इसके लिए आवश्यक है कि लोग इस भाषा से परिचित हों और रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाएँ आदि के माध्यम से संपर्क बनाए रखें। प्रसार के कार्य स्वीकृति बढ़ाने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले से ही बिना आर्थिक लाभ की आकांक्षा किए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने इसका प्रसार किया, हिंदी के माध्यम से वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, लेखन की प्रतियोगिताएँ, संगोष्ठियाँ आदि का आयोजन किया और हिंदी में सरल और रोचक पुस्तकों का प्रकाशन किया। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की व्यवस्था के कारण हिंदी का व्यापक प्रसार संभव हुआ है। जन-साधारण में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने में सिनेमा, रेडियो और दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सभी क्षेत्रों में सरकार विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं से प्रसार को गति देने की दिशा में प्रयत्नशील है।

iii) **प्रयोजनों का विस्तार** : विविध क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से काम करने के लिए नई प्रयुक्ति विकसित की गई है। विधि की भाषा प्रशासन की भाषा, जन संचार की भाषा आदि प्रयुक्तियों के विकास में मुख्य रूप से सरकार का हाथ है। इन क्षेत्रों में नयी पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। अनुवाद के माध्यम से साहित्य के निर्माण में अनुवाद और मूल लेखन की आवश्यकता पड़ती है और सामग्री को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करनी होती है। जहाँ तक राजभाषा का सवाल है, यह क्षेत्र राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम आदि से नियोजित है। अन्य क्षेत्रों में वैसे सिनेमा, समाचार पत्र आदि में विकास का नियोजन नहीं होता, बल्कि वहाँ भाषा का स्वरूप अपने आप प्रयोग से निखर कर विकसित होता है।

iv) **आधुनिकीकरण** : 'आधुनिकीकरण' से तात्पर्य एक तरफ आधुनिक प्रयोजनों के लिए भाषा का विकास है। इस संबंध में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आधुनिकीकरण का दूसरा पहलू यांत्रिक साधनों का विकास है, जो आधुनिक युग की भाषाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूरमुद्रक (teleprinter), टैलेक्स, इलेक्ट्रानिक टंकण यंत्र, कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए हिंदी में भाषा संसाधन (word processing) की सामग्री (software), पंक्ति मुद्रक (lineprinter) आदि यंत्र किसी भी आधुनिक कार्यालय के लिए अत्यंत आवश्यक सामग्री हैं। ऐसी सामग्री किसी भाषा में उपलब्ध न हो, तो फिर लोग उस भाषा में काम करने से कतराते हैं। उदाहरण के तौर पर पंक्तिमुद्रक कार्यालय में विशाल सूचियाँ आदि मुद्रित करने के लिए उपयुक्त साधन है, क्योंकि एक पंक्ति मुद्रक एक मिनट में 600 पंक्तियाँ छापता है, जबकि सबसे गतिशील इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर (जो हर बार एक-एक अक्षर छापता है) एक मिनट में सिर्फ़ 3-4 पंक्तियाँ छापता है। उल्लेखनीय है कि हिंदी में अभी तक पंक्ति मुद्रक विकसित नहीं किया गया है।

भारत सरकार इस क्षेत्र में नियोजन के लिए कई कदम उठा रही है। सरकारी प्रयत्नों से ही मानक हिंदी कुंजी पटल (Key-board) का विकास किया गया है, कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी के अक्षर लाने के लिए मानक तैयार किया गया है, दूरमुद्रक आदि कुछ उपकरणों को सरकारी क्षेत्र में विकसित किया गया है, और भारतीय भाषाओं को कंप्यूटर के पर्दे पर लाने के लिए और उन भाषाओं के माध्यम से 'प्रोग्रामिंग' करने के लिए सरकारी प्रयत्नों से ही GIST नामक कंप्यूटर कार्ड तैयार किया गया है। इस प्रकार यांत्रिक सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिर्फ एक समस्या है - मानकीकरण की, जिसकी चर्चा हम आगे की इकाइयों में करेंगे।

v) **मानकीकरण** : इस प्रसंग का संबंध हॉगन के कोडबद्ध करने की संकल्पना से है। जब तक कोड मानक रूप में व्यवहार में न आए, तब तक कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ण की मानक आकृति के अभाव में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना भेजना कठिन होता है। इसी तरह मानक वर्तनी के अभाव में कोश निर्माण, प्रोग्रामिंग आदि क्षेत्रों में कठिनाई हो सकती है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि हर विकसित भाषा का यथासंभव लचीलेपन के साथ एक मानक रूप तैयार किया जाए। मानकीकरण अपने आप नहीं होता। मानकीकरण के लिए संस्थागत प्रयत्न आवश्यक हैं। इस दृष्टि से सरकार ने मानकीकरण के कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक इसकी निश्चित योजना नहीं बनी है।

बोध प्रश्न 2

5. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

i)	किसी समाज की भाषा उसके अपने प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होती है।	हाँ/नहीं
ii)	भाषा की साहित्यिक समृद्धि का क्षेत्र संगठित क्षेत्र है।	हाँ/नहीं
iii)	उच्च शिक्षा में मातृभाषा का माध्यम प्रयोजन विस्तार है।	हाँ/नहीं
iv)	आधुनिक प्रयोजनों के लिए भाषा के उपयोग को मानकीकरण कहते हैं।	हाँ/नहीं
v)	हिंदी भाषा के प्रसार की व्यवस्था सरकारी स्तर पर होती है।	हाँ/नहीं

6. उपयुक्त शब्द से या सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें।

   i) .... भाषा वह है जो आधुनिक प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं, है। (विकसित/अविकसित)

   ii) राजभाषा के संदर्भ में उसके विकास का दायित्व सिर्फ .... पर है।

   iii) नीति से .... की प्रक्रिया शुरू होती है और आयोजन का उद्देश्य भाषा का .... करना है।

   iv) जहाँ विकास कार्यक्रम निजी क्षेत्र में चलते हों, वहाँ भी सरकार के लिए विकास को .... करना आवश्यक है।

   v) प्रयोजन विस्तार को हम दूसरे शब्दो में .... कह सकते हैं। (आधुनिकीकरण/मानकीकरण)

7. आधुनिक जीवन में भाषा विकास की आवश्यकता पर अपने शब्दों में दस पंक्तियाँ लिखिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

28.5 सारांश

इस इकाई में हमने देखा की हर विकासशील समाज के लिए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग के लिए भाषा का विकास करना आवश्यक होता है। हिंदी के संदर्भ में विकास की यह आवश्यकता और अधिक है क्योंकि यह बहुभाषी देश है और हिंदी के विकास का प्रश्न अन्य भाषाओं के विकास से गहराई से जुड़ा है। इस विकास की दिशा और प्रक्रिया निश्चित करने के लिए हमें एक नीति की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय सहमति से बनी हो। नीति के निर्धारण के बाद उन क्षेत्रों को पहचाना जाता है जहाँ भाषा की विशिष्ट भूमिका है। चूँकि हिंदी इन क्षेत्रों में इन भूमिकाओं का वहन नहीं कर रही थी, हमारे लिए यह भी आवश्यक था कि हिंदी को इन क्षेत्रों में प्रयोग के लिए सक्षम बनाएँ। इसी को हम भाषा का विकास कहते हैं।

इस इकाई में आपने उन क्षेत्रों की चर्चा की जिसमें हिंदी के प्रयोग के लिए उसके विकास की आवश्यकता थी। आपने इन क्षेत्रों में हिंदी के विकास की दिशाओं का परिचय प्राप्त किया। हर दिशा में हुए प्रयत्न, समस्याओं और आगे की संभावनाओं के संबंध में विचार किया।

28.6 शब्दावली

अभूतपूर्व -- जैसा पहले कभी नहीं हुआ

प्रश्रय -- शरण, सहारा

सर्वांगीण -- चहुँमुखी, चारों तरफ़ का

सहमति -- वह विचार जिसे सब मान लें

असंदिग्ध -- संदेह रहित, निश्चित

अनुदान -- आर्थिक सहायता

प्रयुक्ति -- हर क्षेत्र विशेष की अपनी भाषा, अपनी शैली

28.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिंदी का सामाजिक संदर्भ — रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव और रमानाथ सहाय (सं) केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 1976

28.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. 1950 भारत का संविधान, अनुच्छेद 343 से 353
2. अपने उत्तर का मिलान भाग 28.2 के विचारों से कीजिए। अपने उत्तर में निम्नलिखित बातों पर बल होना चाहिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता, हिंदी का प्रमुख स्थान, उसका सामान्य बोलचाल का स्वरूप, अन्य भाषाओं का महत्व, अंग्रेजी को ज्ञान-विज्ञान के लिए बनाये रखना।
3. i) चयन ii) स्वीकृति iii) कोडबद्ध करना iv) प्रयोजन
4. विकास को सही दिशा में, जल्दी, नियंत्रित ढंग से संपन्न करना, विकास राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए।

बोध प्रश्न 2

5. i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ
   iv) नहीं v) नहीं
6. i) अविकसित ii) सरकार या प्रशासन iii आयोजन; विकास
   iv) नियंत्रित v) आधुनिकीकरण
7. अपने उत्तर में देश के विकास और भाषा का समन्वय स्पष्ट कीजिए। विविध प्रयोजनों में भाषा की भूमिका का विवेचन कीजिए।

इकाई 29 हिंदी का आधुनिकीकरण

इकाई की रूपरेखा

29.0 उद्देश्य
29.1 प्रस्तावना
29.2 भाषा का प्रयोजन विस्तार
    29.2.1 राजभाषा
    29.2.2 शिक्षा की भाषा
    29.2.3 प्रसार का क्षेत्र
29.3. भाषा का कोड विस्तार
    29.3.1 ध्वनि और लिपि में कोड विस्तार
    29.3.2 शब्दावली
    29.3.3 नई अभिव्यक्तियाँ
    29.3.4 यांत्रिक सुविधाएँ
29.4 आधुनिकीकरण के आवश्यक कारक
    29.4.1 कार्य योजना
    29.4.2 यांत्रिकीकरण
    29.4.3 आधुनिकीकरण का अखिलभारतीय संदर्भ
29.5 आधुनिकीकरण की समस्याएँ
29.6 सारांश
29.7 शब्दार्थ
29.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
29.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

29.0 उद्देश्य

'आधुनिकीकरण' का तात्पर्य है आधुनिक बनाना। आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदी भाषा को आधुनिक बनाने के संदर्भ में इस इकाई में चर्चा है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- भाषा के आधुनिकीकरण की व्याख्या कर सकेंगे;
- भाषा के आधुनिक प्रयोजनों और आधुनिक स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे;
- हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण की प्रकृति को स्पष्ट कर सकेंगे; और
- हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण के लिए किये गये प्रयत्नों का वर्णन कर सकेंगे।

29.1 प्रस्तावना

हिंदी भाषा एक आधुनिक युग की एक आधुनिक भाषा है। हर आधुनिक भाषा के साथ उसका भूमिका विस्तार जुड़ता है, और उसे कई आधुनिक प्रयोजनों की भाषा बनना होता है। हिंदी भाषा के आधुनिक संदर्भ को हम निम्नलिखित तीन दृष्टियों से देख सकते हैं।

अ) हिंदी एक विकसनशील समाज की भाषा है

आ) हिंदी एक बहुभाषी समाज की भाषा है

इ) हिंदी इस देश की राजभाषा है।

एक विकासशील समाज की भाषा होने के कारण भाषा के सामने कई विशिष्ट प्रयोजन हो जाते हैं। तकनीकी विकास, वाणिज्य-व्यापार की व्यवस्था आदि नये क्षेत्र खुलते हैं और इन क्षेत्रों में भाषा के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। इन क्षेत्रों के संदर्भ में शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र का विस्तार होता है और शिक्षा के क्षेत्र में भाषा को अहम् भूमिका निभानी पड़ती है। नये क्षेत्रों के विस्तार के साथ-साथ समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ आदि जन संचार के क्षेत्रों में विकास होता है और इन क्षेत्रों में भी भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस तरह समाज में विकास एक साथ कई क्षेत्रों में होता है। इस विकास के कारण इन सभी क्षेत्रों में भाषा की नयी भूमिकाएँ अस्तित्व में आती हैं।

हिंदी एक बहुभाषी समाज की भाषा है। इस देश में कई भाषाएँ हैं, हर जगह की अपनी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था है, कई भाषाएँ अपने प्रदेश की राजभाषाएँ हैं। इस संदर्भ में हिंदी की एक अहम् भूमिका है, इन सब भाषाओं को जोड़ने और इन सबके माध्यम से देश में एकता लाने की। इसी भूमिका को हम संपर्क भाषा की भूमिका कहते हैं। इस भूमिका के निर्वाह के संदर्भ में भी हिंदी के ही कुछ विशिष्ट प्रयोजन हैं-- हिंदी भाषा अन्य भाषाओं के बीच सेतु बनेगी। इसके लिए आवश्यक होगा कि हिंदी में समस्त भारतीय वाङ्मय उपलब्ध हो। यह कार्य तभी संपन्न हो सकेगा, जब हिंदी में अन्य भाषाओं का साहित्य अनूदित होकर आए। इस तरह हिंदी अनुवाद की भाषा बनेगी, वाङ्मय का आधार बनेगी। इससे हिंदी में संदर्भ ग्रंथों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और हिंदी सही अर्थ में 'पुस्तकालय की भाषा' भी बनेगी। बहुभाषी समाज के मौखिक संप्रेषण के साधन के रूप में भी हिंदी का विस्तार होगा। इससे सामान्य बोलचाल के स्तर पर संपर्क के सूत्र के रूप में हिंदी का विकास होगा। इस भूमिका में अखिलभारतीय स्तर पर रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम, साहित्य सृजन तथा साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक तथा फिल्म आदि क्षेत्रों में नये प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का विकास होगा।

हिंदी इस देश की राजभाषा है। हमने खंड 6 में विस्तार से राजभाषा की भूमिका तथा राजभाषा के रूप में विधायी और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के इस्तेमाल के बारे में चर्चा की। हिंदी के लिए ये प्रयोजन के क्षेत्र नये हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद तक भी अंग्रेज़ी ही इन प्रयोजनों के लिए व्यवहार में आती रही है। इस कारण इस क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण और आवश्यक प्रक्रिया साहित्य का निर्माण आदि भाषा के विकास के नये क्षेत्र हैं, जिनमें शीघ्र कार्य करने की आवश्यकता है। हिंदी अंग्रेज़ी भाषा की सहायता से अनुवाद की प्रक्रिया द्वारा शब्द और साहित्य निर्माण में लगी है। साथ ही इस क्षेत्र में मूल रूप से व्यवहार द्वारा शब्द बनाने और मौलिक लेखन द्वारा साहित्य निर्माण करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

नयी भूमिकाओं में, इन नये क्षेत्रों में आधुनिक (नये) प्रयोजनो के लिए भाषा को तैयार करने की प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण कहलाती है।

आधुनिकीकरण भाषा विकास का एक अंग है या यों कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण भाषा विकास का वह योजनाबद्ध कार्य है, जिसमें भाषा को आधुनिक युग की भाषा बनाने का यत्न किया जाता है। पिछले ज़माने में भी भाषाओं का विकास होता था। कुछ भाषाएँ बिना योजना के विकास करती थीं और भूमिका विस्तार करती थीं। उस समय भी शासकीय आदि प्रयोजनों के लिए भाषा का व्यवहार होता था। लेकिन आधुनिक युग में भाषा विकास राष्ट्र की नीति और योजनाओं के संदर्भ में योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। विकास की योजना से ही हर भाषा की सामाजिक भूमिकाओं और इन भूमिकाओं के लिए उसके प्रयोजनों का पूर्व निर्धारण हो जाता है। इन प्रयोजनों के लिए भाषा को विकसित करने या आधुनिकीकृत करने की प्रक्रिया भी योजनाबद्ध ढंग से ही होती है। इस तरह आधुनिकीकरण भाषा के योजनाबद्ध विकास का अंग है।

हमने इकाई 28 में अध्ययन किया था कि भाषा विकास को हम बृहत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किस ढंग से दिखा सकते हैं।

	रूप	प्रकार्य
समाज	चयन	स्वीकृति
भाषा	कोडीकरण	कोड विस्तार

हमने यह भी देखा था कि कोडीकरण ही वास्तव में मानकीकरण की प्रक्रिया है और कोड विस्तार आधुनिकीकरण की। इस इकाई में हम कोड विस्तार के स्वरूप की चर्चा करेंगे और हिंदी भाषा के क्षेत्र में अब तक आधुनिकीकरण के लिए किये गये प्रयत्नों का विवेचन करेंगे।

29.2 भाषा का प्रयोजन विस्तार

हमने आधुनिकीकरण के लिए दो आवश्यक प्रक्रियाओं की चर्चा की। आधुनिक युग में भाषा का आधुनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग होगा। इस प्रक्रिया को हम प्रयोजनों का विस्तार कहेंगे। जब भाषा का विभिन्न

प्रयोजनों के लिए प्रयोग होगा, तो उसके रूप में परिवर्तन होगा। उसमें नये शब्द बनेंगे, नयी अभिव्यक्तियाँ बनेंगी। इसे हम कोड विस्तार कहेंगे। आगे हम क्रम से इन दोनों प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे।

हमने प्रस्तावना में हिंदी के आधुनिक प्रयोगों के कारण देखे थे। उसके आधार पर यह देखना चाहेंगे कि आधुनिक प्रयोजनों के क्षेत्र कौन-से हैं और उनके लिए भाषा में किन सामग्रियों का निर्माण हुआ है।

29.2.1 राजभाषा

सबसे पहला क्षेत्र राज भाषा का है। हिंदी भाषा का प्रयोग प्रशासन और विधि में हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी में प्रशासनिक साहित्य और विधि का साहित्य उपलब्ध हो। तभी हिंदी के माध्यम से सहजता से, सुगमता से काम हो सकता है।अंग्रेज़ी में प्रशासनिक साहित्य और विधि साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है। 1947 से पहले तत्कालीन 'इंडियन' सरकार के सारे अधिनियम, नियम-अधिनियम आदि अंग्रेज़ी में बने थे। आज तक प्रशासन के कई नियम कानून पहले के ही लागू हैं। इन नियमों को हिंदी में लाने की आवश्यकता सामने आयी तो स्वभावतः आसान तरीका यही था कि अंग्रेज़ी से हिंदी में इनका अनुवाद किया जाए। भारत सरकार ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना इसी उद्देश्य से की। यह ब्यूरो विभिन्न कई मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रशासनिक साहित्य का हिंदी में अनुवाद करता है। मंत्रालयों में जो हिंदी अधिकारी आदि नियुक्त हैं, वे दैनंदिन कार्यों में पत्राचार, टिप्पणी आदि का अनुवाद करते हैं। स्थायी प्रकृति की नियमावलियाँ, मैनुअल आदि का अनुवाद ब्यूरो ही करता है। भारत सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि आगे से जो प्रशासनिक साहित्य बनाया जाएगा, वह एक साथ हिंदी और अंग्रेज़ी में तैयार होगा। और यह समस्त साहित्य द्विभाषी रूप में छपेगा, जिससे उपभोक्ता दोनों में किसी भाषा में संदर्भ ढूँढ़ सकें। ब्यूरो हर साल लगभग 30 हजार मानक पृष्ठों की प्रशासनिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तक पहुँचाता है।

विधि साहित्य अधिक तकनीकी है, विशिष्ट प्रकार का है। इस कारण सरकार ने विधि साहित्य के अनुवाद का कार्य विधि मंत्रालय को सौंपा है। पहले विधि मंत्रालय में राजभाषा (विधायी) आयोग नामक अभिकरण था, जो अनुवाद कार्य देखता था। अब उसकी जगह विधायी विभाग का राजभाषा खंड नामक अभिकरण है जो इस कार्य को देखता है। इन अभिकरणों ने अब तक हज़ारों पृष्ठों की सामग्री का अनुवाद कार्य पूरा किया है।

29.2.2 शिक्षा की भाषा

शिक्षा भाषा के आधुनिक प्रयोजनों में महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य सारे प्रयोजनों की धुरी है। अगर शिक्षा का व्यापक प्रसार न हो, तो अन्य प्रयोजनों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को तैयार करना संभव नहीं होगा। इसमें में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का स्थान और महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आजीविका और प्रयोजनपरक कार्य क्षेत्र जुड़ते हैं। हिंदी में (तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी) उच्च शिक्षा का प्रवेश आधुनिक है। कुछ वर्ष पहले तक उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ी ही माध्यम थी। 1960 के बाद सरकारी प्रयत्नों से और निजी प्रकाशकों के प्रयत्नों से विविध विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में आप इकाई 21 में पढ़ चुके हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रदेशों की हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ, दिल्ली का हिंदी माध्यम कार्यान्वयन बोर्ड, निजी प्रकाशक आदि के प्रयत्नों से अब तक विविध विषयों की कई हज़ार पुस्तकें हिंदी में आ चुकी हैं।

पुस्तकों के साथ आवश्यक हैं संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथों में कोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूचियाँ, मानचित्र आदि, वार्षिकी (yearbook), व्यक्ति कोश, अनुक्रमणिकाएँ आदि। हिंदी में कोशों के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। सरकारी क्षेत्र में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पास कोश निर्माण का दायित्व है। निदेशालय ने कई द्विभाषी और त्रिभाषी कोशों का प्रकाशन किया है। निजी प्रकाशकों की ओर से भी कई कोश ग्रंथ प्रकाशित किये गये हैं। शेष सभी संदर्भग्रंथों का हिंदी में अभाव है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। अफसोस है कि हिंदी में एक भी समग्र, आधुनिक विश्वकोश नहीं हैं। इन ग्रंथों के अभाव का शायद यही कारण है कि इनके खरीदार नहीं हैं। प्रयोजन विस्तार से इन ग्रंथों की माँग बढ़ सकती है। हम उम्मीद करें कि इस क्षेत्र में भी ग्रंथों का प्रकाशन बढ़ेगा।

29.2.3 प्रसार का क्षेत्र

हिंदी के प्रसार का क्षेत्र असंगठित है; अर्थात इस क्षेत्र में कोई निश्चित और योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया जाता, बल्कि माँग के अनुसार कार्य का विस्तार होता है। इस क्षेत्र में अधिकतर कार्य निजी प्रयत्नों से होता है।

प्रसार के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम आते हैं :

i) पुस्तकों का प्रकाशन

ii) फिल्में

iii) रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम

iv) समाचार पत्र तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन

i) पुस्तक प्रकाशन से हमारा तात्पर्य साहित्यिक कृतियों के साथ-साथ जन सामान्य के लिए रोचक पुस्तकों का प्रकाशन भी है। इस क्षेत्र में अधिकांश प्रकाशन कार्य निजी प्रकाशकों के हाथ में है। सरकारी स्तर पर भारत की साहित्य अकादमी और प्रदेशों की साहित्य अकादमियाँ सारी भारतीय भाषाओं में मौलिक ग्रंथों तथा अनूदित ग्रंथों का प्रकाशन करती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग आदि सरकारी संस्थाएँ भी प्रकाशन में योगदान देती है।

ii) फ़िल्मों का निर्माण सिर्फ़ निजी उद्यमियों के हाथ में है। सरकार केवल वित्तीय सहायता देती है। भारत की स्तरीय भाषाओं में पूरे वर्ष में करीब 3000 फ़िल्मों का निर्माण होता है। ये फ़िल्में भाषा का प्रसार करती ही हैं, साथ ही लोगों को भावात्मक स्तर पर जोड़ने का काम भी करती हैं।

iii) रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम अब तक सिर्फ़ सरकारी नियंत्रण में हैं। ये लोगों की सृजनात्मक प्रतिभा तथा प्रस्तुति के कौशल के विकास में योगदान देते हैं। इन कार्यक्रमों की रोचकता के कारण भाषा के प्रसार में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में योजनाबद्ध कार्यक्रम की भी आवश्यकता नहीं है। मनोरंजन के कारण इनके द्वारा भाषा का प्रसार होता है; व्यापक प्रसार के कारण इन कार्यक्रमों की संख्या और गुणता भी बढ़ती है। इस तरह यह क्षेत्र अपना विकास खुद करता है।

iv) पत्र-पत्रिकाएँ और समाचार पत्र प्रमुखतः निजी क्षेत्र में हैं। सरकारी स्तर पर भारत में कोई समाचार पत्र नहीं है; सरकारी स्तर पर प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की संख्या भी सीमित है।

पत्र-पत्रिकाओं, विशेषकर जन साधारण के लिए प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन और सामान्य ज्ञान का विस्तार है। समाचार पत्रों का उद्देश्य सूचना देना है, ज्ञान देना है। शोधपरक पत्र-पत्रिकाएँ तथा विषय-विशेष की पत्र-पत्रिकाएँ उच्च स्तर के ज्ञान के विकास में सहायक होती हैं। इस तरह स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन तभी होगा, जब शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा, जब हिंदी के माध्यम से अध्ययन करने वालों के लिए आगे के अध्ययन और संदर्भ के लिए स्तरीय पत्रिकाएँ उपलब्ध होंगी। इस तरह शोध स्तर की पत्र-पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के प्रकाशन को योजनाबद्ध रूप में आयोजित करना होगा। यही कारण है कि अधिकतर शोध पत्रिकाएँ सरकारी स्तर पर संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

इस समय भारत में हिंदी में सैकड़ों समाचार पत्र और पत्र-पत्रिकाएँ छपती हैं। इनके कारण शिक्षा जगत को भी बल मिला है।

बोध प्रश्न 1

1. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।
   i) 1947 से पहले भारत की सरकार का कानून सिर्फ़ अंग्रेज़ी में उपलब्ध था। हाँ/नहीं
   ii) 'पुस्तकालय की भाषा' भाषा का एक आधुनिक प्रयोजन है। हाँ/नहीं
   iii) हिंदी में कई अच्छे विश्वकोश हैं। हाँ/नही
   iv) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय के सारे आदेशों का अनुवाद किया है। हाँ/नहीं
   v) अधिकतर शोध पत्रों का प्रकाशन सरकारी संस्थाएँ ही करती हैं। हाँ/नहीं

2. सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए-
   i) आधुनिक प्रयोजनों के लिए भाषा के व्यवहार के लिए भाषा को संपन्न करने की प्रक्रिया को हम .... कहते हैं। (मानकीकरण/आधुनिकीकरण)
   ii) जब आधुनिक युग में नयी भूमिकाओं के लिए भाषा का प्रयोग प्रयोजन विस्तार है और उसके लिए नये शब्दों और अभिव्यक्तियों का निर्माण. .... है। (कोड विस्तार/कोड निर्माण)
   iii) शिक्षा की भाषा के रूप में हिंदी-भाषा का विकास के .... सहारे हो रहा है। (अनुवाद/प्रकाशन)
   iv) ज्यादातर .... उद्यम से हिंदी के प्रसार के क्षेत्र में कार्य हो रहा है। (सरकारी/निजी)
   v) पत्र-पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के प्रकाशन का काम .... से जुड़ा हुआ है। (अनुदान/शिक्षा)

3. हिंदी की तीन प्रमुख भूमिकाओं के संदर्भ में आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर 8-10 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

29.3 भाषा का कोड विस्तार

आपने इकाई 1 में भाषा की परिभाषा के संदर्भ मे चर्चा करते हुए कोड शब्द सीखा था। फिर से उस शब्द का अर्थ देख लीजिए। भाषा एक कोड (code) है, क्योंकि यह प्रतीकों से बनी व्यवस्था है। भाषा ध्वनियों से बनती है, *ध्वनि प्रतीक अर्थ का वहन करते हैं और* संरचना में आकर शब्द संपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। इस कारण भाषा की व्यवस्था को कोड व्यवस्था कहते हैं। यहाँ हम कोड विस्तार से यही तात्पर्य ले रहे हैं। भाषा की ध्वनियों और लिपि चिह्नों को व्यवस्थित करना कोर्ड की व्यवस्था को रूप देता है। भाषा की शब्दावली आदि में विस्तार करने को कोड विस्तार करना कह सकते हैं।

हमने यह भी देखा कि भाषा की शब्दावली उस समाज की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन जब भाषा में प्रयोजन विस्तार होता है, तो नये-नये विचार आते हैं, नयी-नयी संकल्पनाएँ आती हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए नये-नये शब्दों की भी आवश्यकता होती है। हम ये नये शब्द बना सकते हैं या दूसरी भाषाओं से ले सकते हैं। *इस तरह शब्दावली को बढ़ाने का काम कोड विस्तार कहलाएगा।* यों कह सकते हैं कि प्रयोजन विस्तार से भाषा में सहज रूप से कोड विस्तार भी होता है। नये लिपि चिह्न अपनाना, शब्दावली में विस्तार करना, नयी-नयी अभिव्यक्तियों का निर्माण करना आदि कोड विस्तार की दिशाएँ हैं।

आगे हम हिंदी के संदर्भ में कोड विस्तार की दिशाओं की चर्चा करेंगे।

29.3.1 ध्वनि और लिपि में कोड विस्तार

हिंदी की वर्णमाला संस्कृत से ली हुई है। लेकिन आधुनिक युग में अन्य भाषाओं से संपर्क के कारण कुछ नयी ध्वनियों और लिपि चिह्नों की जरूरत पड़ी।

आधुनिक युग से पहले ही अनुनासिकता (ँ) और ड़ तथा ढ़ का उच्चारण हिंदी में आ चुका था और इनके लिए लिपि चिह्न भी बन गये थे। यद्यपि वर्णमाला में इनका स्थान निश्चित नहीं है, फिर भी लेखन में उनका स्थान निश्चित है। मुद्रण की व्यवस्था के कारण कुछ पत्र-पत्रिकाओं में अनुनासिकता का चिह्न नहीं छपता। लेकिन लोग प्रायः इन्हें लिखते हैं।

आधुनिक युग में उर्दू से पाँच ध्वनियाँ (और उनके लिए नुक्ते वाले पाँच चिह्न) आयीं। ये हैं क़, ख़, ग़, ज़, फ़।

उन्हें अपनाने के बारे में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें आवश्क मानते हैं, कुछ इन्हें छोड़ देने के पक्ष में हैं। जहाँ तक ध्वनियों का सवाल है, /क़ ख़ ग़/ का सामान्य बोलचाल की हिंदी में प्रयोग नहीं होता। केवल उर्दू के जानकार व्यक्ति ही इनका-हर जगह सही उच्चारण करते हैं। जहाँ तक /ज़ फ़/ का सवाल है, ये ध्वनियाँ *अंग्रेज़ी से भी हिंदी में आयी हैं और उनका कई लोग प्रयोग करते हैं।* ऐसे कुछ शब्द हैं-

उर्दू स्रोत के : ज़मीन ज़ोर तेज़ सज़ा मेज़ आजादी रोज़ इज़्ज़त ज्यादा राज़ी

फ़ायदा साफ़ नफ़ा रफ़ी मुफ़्त

अंग्रेज़ी मूल के : ज़ू ज़ेबरा नाज़ी ओज़ोन बज़र साइज़ डिज़ाइन

फ़्रेम फ़्लू फ़ाइल प्रूफ़ लिफ़्ट फ़िलिप

केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी की ध्वनि लिपि और वर्तनी के मानकीकरण के लिए उत्तरदायी संस्था है। उसने निर्णय किया है कि हिंदी में /ज़ फ़/ का लेखन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ध्वनियाँ सामान्य रूप से बोली जाती हैं।

हिंदी भाषा को हम संपर्क भाषा की हैसियत से देखते हैं। इसलिए हिंदी की देवनागरी में अन्य भाषाओं की प्रमुख ध्वनियों को लिखने के लिए चिह्न होने चाहिए, *जिससे लोग हिंदी की लिपि से अन्य भाषाओं की* ध्वनियों को पहचान सकें। भारत की भाषाओं में कई विशिष्ट ध्वनियाँ हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने

"परिवर्धित देवनागरी" नामक पुस्तिका में इन ध्वनियों के लिए चिह्न सुझाये हैं। हम यहाँ तीन प्रमुख ध्वनियों की चर्चा कर रहे हैं।

'ळ' ---- यह मराठी, गुजराती तथा द्रविड भाषाओं की मूर्धन्य /ल/ का लिपि चिह्न है।

ऎ --- यह द्रविड भाषाओं के ह्रस्व /ए/ का चिह्न है।

ऒ ---- यह द्रविड भाषाओं के ह्रस्व /ओ/ का चिह्न है।

अंग्रेज़ी से दो-चार स्वर हिंदी में आये हैं। उनके उदाहरण देखिए---

'आइ/आई' ---- लाइट पाइप साइकिल फ़ाइल टाई हाई

'आउ/आऊ' --- पाउंड हाउस साउंड ब्राउन टाउन हाऊ

'ऐ' --- बैट मैट हैट बैनर रैम्सन

'ऑ' ---- कॉलेज लॉ डॉक्टर ड्रॉ

इन चार ध्वनियों में पहली तीन को तो हम देवनागरी के ही लिपि चिह्नों से दिखाते हैं, यद्यपि इनका उच्चारण अलग है। चौथा लिपि चिह्न नया है, ध्वनि भी नई है। कुछ लोग इस चिह्न का ऐसे शब्दों में प्रयोग करते हैं, कई लोग नहीं करते।

29.3.2 शब्दावली

विकसनशील भाषा के लिए नये शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते ही हैं कि आपके देखते-देखते हमारे सामने कितने नये विचार आये हैं। पेट्रोलियम गैस, सूर्य के ताप से चलने वाला चूल्हा, उपग्रह जिसके माध्यम से हम सूचनाएँ भेजते हैं, टेलीविज़न का एन्टीना, एड्स नामक बीमारी, माइक्रोसर्जरी, कंप्यूटर, कंप्यूटर पर काम करने के लिए प्रोग्राम --- कितने ही ऐसे शब्द हैं जो 20-25 साल पहले अपरिचित थे। इन नये विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा में नये शब्द भी चाहिए । सिर्फ़ गैस कहेंगे, तो वह हवा भी है, पेट की वायु भी हो सकती है। लेकिन यह वस्तु पेट्रोलियम की गैस है, जो आग दिखाने पर जलती है। इस तरह हर नये विचार को हम अन्य परिचित विचारों से अलग कर नया शब्द देते हैं। नये शब्दों का निर्माण कोड विस्तार का एक प्रमुख आयाम है।

पारिभाषिक शब्द

ज्यादातर नये शब्द विषय विशेष से संबंधित शब्द होते हैं 'गैस' भौतिक विज्ञान-का शब्द है, उसका मिलने का स्थान तटवर्ती (on shore) क्षेत्र होगा या समुद्रतलीय (off shore)। इन शब्दों का संबंध भूगोल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से है। एड्स चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। उपग्रह, सूचना संप्रेषण आदि शब्द संचार विज्ञान के क्षेत्र से हैं। इस तरह विभिन्न विषय क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली को पारिभाषिक शब्द कहते हैं।

पारिभाषिक शब्दों के लक्षण

पारिभाषिक शब्द प्रमुखतः सामाजिक, भौतिक तथा जैविक विज्ञानों के शब्द होते हैं। विज्ञान का ज्ञान इन शब्दों के माध्यम से अध्येता तक पहुँचता है। अगर कोई दो व्यक्ति शब्द के दो अर्थ लें, तो विज्ञान का अध्ययन और विषयों पर चर्चा या शोध संभव नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यक है कि शब्द का सर्वत्र एक ही अर्थ हो। साथ ही एक ही संकल्पना के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा के अर्थ में विस्तार होता है, कहीं संदिग्धता भी होती है, कहीं एक ही अर्थ के कई शब्द होते हैं। हम बातचीत में अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करते चलते हैं। श्लेष का उपयोग जान-बूझकर बोलचाल की भाषा में किया जाता है जिससे उक्ति में चमत्कार आए। ये सब लक्षण पारिभाषिक शब्दो में नहीं होते, नहीं होने चाहिए। जिस तरह से 15 ग्राम कहने पर हम सबके मन में मात्रा का एक निश्चित अर्थ बोध होता है, उसी तरह पारिभाषिक शब्द का मन में एक निश्चित अर्थ आना चाहिए।

इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी पसंद से पारिभाषिक शब्द न बनाए। नहीं तो पारिभाषिक शब्दों में विविधता आ जाएगी। यह केवल एक संस्था का काम होना चाहिए। भारत सरकार ने पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की ज़िम्मेदारी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपी है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अधीन है।

इस संस्था ने विविध विषयों के पारिभाषिक शब्द निर्मित किए हैं और उन्हें निम्नलिखित दो शब्दकोशों में प्रस्तुत किया है :

(1) बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह (मानविकी खंड)

(2) बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह (विज्ञान खंड)

इसके अतिरिक्त आयोग ने विभिन्न विषयों की शब्दावलियाँ भी प्रकाशित की हैं जैसे 'आयुर्विज्ञान शब्दावली', 'कंप्यूटर शब्दावली' आदि।

विधि के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एवं संकलन विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खंड करता है। पहले यह कार्य राजभाषा (विधायी) आयोग करता था। इसके द्वारा निर्मित शब्दकोश 'विधि शब्दावली' नाम से प्रकाशित है। इस शब्दावली में करीब 50 हज़ार शब्दों को शामिल किया गया है।

29.3.3 नई अभिव्यक्तियाँ

जब भाषा आधुनिक प्रयोजनों में व्यवहार में आती है, तो उसमें नई अभिव्यक्तियाँ भी जन्म लेती हैं। हमने प्रयोजन मूलक भाषा के संदर्भ में विषय-विशेष की भाषा शैली की चर्चा की है, जिसे प्रयुक्ति कहते हैं। विज्ञान की भाषा, विधि की भाषा, विज्ञापन की भाषा आदि नई प्रयुक्तियाँ हैं। नई प्रयुक्तियों की नई भाषिक रचना होती है। जैसे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि वह वर्णन और विश्लेषण की भाषा है, जिसमें तथ्यपरक वाक्य तार्किक ढंग से जुड़ते हैं। प्रशासनिक भाषा निर्वैयक्तिक होती है, क्योंकि इसमें निर्णयों के पीछे पूरा तंत्र है, व्यक्ति नहीं। इसलिए प्रशासनिक भाषा में कर्तृवाच्य की अपेक्षा कर्मवाच्य की प्रधानता होती है।

नई प्रयुक्तियों के कारण भाषा का स्वरूप नया दिखाई पड़ता है। कहीं-कहीं लोग इस पर कृत्रिमता का भी आरोप लगाते हैं। नई प्रयुक्तियों के निर्माण में भी हमें अनुवाद का सहारा लेना होता है। कहीं-कहीं अनूदित वाक्य मूल अंग्रेज़ी वाक्य जैसा भी दिखाई पड़ता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नई प्रयुक्तियाँ हिंदी की प्रकृति के अनुरूप हों, सरल हों और संप्रेषणीय हों।

29.3.4 यांत्रिक सुविधाएँ

कोड विस्तार में हम ध्वनि, लिपि, शब्द तथा अभिव्यक्ति (या वाक्य संरचना) की चर्चा करते हैं, साथ ही यांत्रिक सुविधाओं की भी चर्चा करना चाहेंगे। यद्यपि यांत्रिक सुविधाओं का भाषा की प्रवृति या रचना से संबंध नहीं है, यह भाषा के प्रयोजनों के संदर्भ में कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए अच्छे साधन हैं। अर्थात ठीक से काम करने के लिए शब्द और अभिव्यक्तियाँ ही आवश्यक नहीं है, बल्कि कुछ यांत्रिक साधन भी चाहिए। इसीलिए हम यांत्रिक सुविधाओं को भी कोड विस्तार में शामिल कर रहे हैं।

टंकण यंत्र (टाइप मशीन) सबसे उपयोगी साधन है। इससे हम द्रुत गति से साफ़ पांडुलिपियाँ तैयार कर सकते हैं। कार्बन का उपयोग कर एक ही साथ चार-पाँच प्रतियाँ बना सकते हैं। अन्यथा हमें पाँच बार हाथ से लिखना पड़ता। आज भारत की सारी भाषाओं के लिए टंकण यंत्र उपलब्ध हैं।

भारतीय भाषाओं में तेज़ी से काम करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग आवश्यक है। कंप्यूटरों का अविष्कार पश्चिम में हुआ, इसलिए पश्चिम की भाषाओं के लिए इसका उपयोग पहले से ही होता रहा है। भारतीय भाषाओं के लिए कंप्यूटर का उपयोग नयी घटना है, लगभग पिछले दस वर्ष से ही कंप्यूटरों का इस क्षेत्र में प्रयोग हुआ है। इस नये विकास के कारण कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में पत्राचार, पांडुलिपियों का संपादन, कार्यालय में फाइलों का रख-रखाव और हिसाब-किताब रखना, शब्दकोश आदि तैयार करना, भाषा में शोध आदि कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस विकास के कारण राज भाषा आदि प्रयोजनपूरक क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से काम करना आसान हुआ है। इसके भाषा के प्रयोजन विस्तार में सहायता मिलेगी और भाषा का विकास होगा।

यांत्रिक सुविधाओं के बारे में आप इकाई 31 में विस्तार से पढ़ेंगे।

29.4 आधुनिकीकरण के आवश्यक कारक

हमने अब तक आधुनिकीकरण के महत्व और उसकी दिशाओं के बारे में अध्ययन किया। महत्त्व के संदर्भ में हमने चर्चा की कि प्रयोजन विस्तार के कारण भाषा को आधुनिक भूमिकाओं के लिए तैयार करना आवश्यक है, अन्यथा भाषा का विकास नहीं होगा और वह उन प्रयोजनों के निर्वाह में सक्षम नहीं होगी। जब विकास की प्रक्रिया शुरू होगी, तो हमें जानना होगा कि भाषा को किन क्षेत्रों में समृद्ध करना होगा। इस तरह आधुनिकीकरण समाज की परिस्थितियों से जुड़ी हुई प्रकिया है। हम किसी अविकसित समाज की भाषा के आधुनिकीकरण की बात नहीं सोच सकते। इसी तरह उचित परिस्थितियों के अभाव में भाषा के विकास का भी अर्थ नहीं है। जो भाषा एक छोटे-से समाज में सिर्फ सांस्कृतिक संप्रेषण की भाषा हो, उसमें विविध विषयों की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की बात अर्थहीन होगी।

आधुनिकीकरण के लिए हमें जो परिस्थितियाँ चाहिए, उनकी यहाँ चर्चा करना चाहेंगे।

29.4.1 कार्य योजना

आधुनिकीकरण के लिए एक सुनिश्चित कार्य योजना और योजनाबद्ध कार्यक्रम चाहिए। इस संदर्भ में हमने भाषा की नीति के निर्धारण की चर्चा पिछली इकाई में की। जैसे, राजभाषा का दर्जा एक नीति है। जब नीति हमारे सामने होगी, तो हम उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में योजना बनाएँगे। राजभाषा के रूप में कार्य करने के लिए हिंदी भाषा में विधि ओर प्रशासन से संबंधित प्रक्रिया साहित्य चाहिए। इससे हम अनुवाद के सवाल पर आएँगे, क्योंकि अंग्रेजी में उपलब्ध साहित्य को हिंदी में लाने के लिए हमें अनुवाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अनुवाद के लिए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता होगी। इन सबके लिए कार्यक्रम तैयार करना और उन पर अमल करना होगा। इस तरह हम पूरे क्षेत्र के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार कर काम शुरू कर सकते हैं। इस कार्य योजना को रूप देने के संदर्भ में हमें निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना होगा---

i) आधुनिकीकरण का कार्य समन्वित होना चाहिए। हमने उल्लेख किया था कि हर व्यक्ति अपनी ओर से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण नहीं कर सकता। इससे भाषा में अराजकता बढ़ेगी और कोई निश्चित उपलब्धि नहीं होगी। इसीलिए भारत सरकार ने इसे सरकारी तंत्र में लिया और प्रशासनिक तथा विषय-विशेष के शब्दों के निर्माण का कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा और विधि के शब्दों के निर्माण का कार्य राजभाषा (विधायी) आयोग को। इसी तरह दो संस्थाओं को एक जैसा कार्य सौंपा नहीं जाना चाहिए। इसी कारण शब्दकोश के निर्माण तथा हिंदीभाषा के मानकीकरण का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा गया है। काम के उचित बँटवारे से काम जल्दी होगा और उस पर नियंत्रण भी रखा जा सकेगा। इस तरह हिंदी के संबंध में विकास के कार्यक्रमों की देखरेख भारत सरकार का शिक्षा विभाग करता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में है। राजभाषा हिंदी से संबंधित विकास कार्यक्रमों की देखरेख गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग करता है।

ii) भाषा तभी आधुनिक होगी, जब लोग जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा का उपयोग करेंगे। जब भाषा से आजीविका के क्षेत्र खुलेंगे, तो अधिक से अधिक लोग उसे अर्जित करेंगे; आजीविका के क्षेत्रों में जाने के लिए तैयारी के रूप में भाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे। भाषा द्वारा काम और भाषा की शिक्षा दोनों क्षेत्रों में शोध कार्य एक आधार देगा। इस तरह भाषा के आधुनिकीकरण और सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि आजीविका के क्षेत्र खुलें और शिक्षा का प्रसार हो। इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी में जो विकास हुआ है और जो वर्तमान स्थिति है, इसके संदर्भ में आप खंड 5 में पढ़ चुके हैं। देश को चाहिए कि वह इन सभी क्षेत्रों के संदर्भ में विकास की दिशाओं के बारे में विचार करे और कार्य योजना तैयार करे।

29.4.2 यांत्रिकीकरण

भाषा के विकास के संदर्भ में छपाई, कंप्यूटर का प्रयोग आदि क्षेत्रों में यांत्रिक साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। जब तक यांत्रिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होंगी, लोग भाषा के माध्यम से काम करना शुरू नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया को हम यांत्रिकीकरण कह सकते है। हिंदी में यांत्रिकीकरण के संबंध में हम विस्तार से इकाई 31 में पढ़ेंगे। इस के संदर्भ में कार्य योजना तैयार कर अमल में लाना आवश्यक है।

29.4.3 आधुनिकीकरण का अखिलभारतीय संदर्भ

भाषा के आधुनिकीकरण की दौड़ में सिर्फ हिंदी नहीं है, भारत की अन्य कई भाषाएँ भी हैं। हम खंड 4 में अध्ययन कर चुके हैं कि अष्टम सूची की भाषाएँ राजभाषा, शिक्षा की भाषा आदि भूमिकाओं का वहन कर रही हैं। सबके सामने प्रक्रिया साहित्य के निर्माण और पारिभाषिक शब्द निर्माण की समस्या है। सभी भाषाओं के लिए मानकीकरण और यांत्रिकीकरण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में आधुनिकीकरण सिर्फ हिंदी की नहीं,सारी भाषाओं के लिए आवश्यक प्रक्रिया है।

हिंदी की इस संदर्भ में अहम् भूमिका है। हिंदी सारी भाषाओं के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकती है, सारी भाषाओं के साथ मिलकर आधुनिकीकरण का प्रयत्न कर सकती है। इस दृष्टि से दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग न केवल हिंदी के लिए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कार्य करता है, बल्कि अखिलभारतीय पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का यत्न भी करता है। इस दृष्टि से आयोग ने विभिन्न भाषाओं के विद्वानों के सहयोग से एक भारतीय पारिभाषिक शब्द संग्रह का प्रकाशन किया है। इस संदर्भ में दो कठिनाइयाँ हैं। द्रविड भाषाएँ अपने भाषा परिवार के धातु रूपों से शब्द बनाना चाहें, तो अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली की बात नहीं बनेगी। वास्तव में तमिल भाषा ने ऐसा ही प्रयत्न किया है। आज तमिल भाषा में द्रविड परिवार के धातुओं से बने शब्द अधिक हैं। दूसरी कठिनाई संस्कृत शब्दों के अर्थ में भिन्नता के कारण है। आपने इकाई 5 में पढ़ा कि 'शिक्षा' का अर्थ मराठी में 'दंड' है। फिर हिंदी के पचासों पारिभाषिक अर्थ वाले शब्द दोनों भाषाओं में समान नहीं हो सकते यथा प्रौढ़ शिक्षा, अशिक्षा, उच्च

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जन शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा आदि। अगर इन दोनों समस्याओं के संदर्भ में व्यावहारिक समाधान खोज लिये जाएँ तो अखिलभारतीय पारिभाषिक शब्दावली का सपना साकार हो सकता है।

दूसरा प्रमुख कार्य जिस्ट कार्ड का निर्माण है, जिससे कंप्यूटर पर सारी भारतीय भाषाओं में काम करना संभव हुआ है। इसके बारे में आप इकाई 31 में विस्तार से पढ़ेंगे।

ध्यान देने योग्य बात यही है कि भारतीय भाषाओं में आधुनिकीकरण एक राष्ट्रीय कार्य है। इसे समन्वित रूप से करना आवश्यक होगा, जिससे इसका लाभ सारी भाषाओं को मिले। अगर अन्य भाषाएँ दृढ़ होती हैं, तो इससे हिंदी भाषा का राष्ट्रीय महत्त्व बढ़ेगा, उसका विकास होगा।

29.5 आधुनिकीकरण की समस्याएँ

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपने आप नहीं हो जाती जिस तरह साहित्यिक भाषा का विकास होता है। यह एक योजनाबद्ध कार्य है, प्रयत्न से संभव होती है। लेकिन योजना बनाते समय हमें उन कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जो आधुनिकीकरण के सामने समस्या के रूप में उपस्थित होती हैं। यहाँ हम संक्षेप में कुछ प्रमुख कठिनाइयों की ओर संकेत करेंगे।

हमने देखा था कि प्रयोजन विस्तार आधुनिकीकरण को जन्म देता है। प्रयोजन विस्तार से कोड विस्तार की प्रक्रिया शुरू होती है याने भाषा में शब्द, अभिव्यक्ति, प्रक्रिया साहित्य का निर्माण होता है? प्रयोजन विस्तार अपने आप नहीं हो जाता। शिक्षित व्यक्ति को नौकरी चाहिए और नौकरी में लगे लोगों को काम करने की सुविधाएँ चाहिए। अगर इनमें कोई एक तत्त्व बिगड़ता है, तो प्रक्रिया नष्ट होती है। इस संदर्भ में हम यहाँ कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर ध्यान दिला रहे हैं—

1) आजीविका का सवाल

हिंदी भाषा का उपयोग राजभाषा और शिक्षा की भाषा के रूप में होने लगा है। इससे आजीविका के क्षेत्र खुले हैं। लेकिन जब तक निजी क्षेत्र में लोग स्वैच्छिक रूप से हिंदी का प्रयोग शुरू नहीं करेंगे, इसका प्रयोजन विस्तार नहीं होगा। इस संदर्भ में आप इकाई 23 में पढ़ चुके हैं।

2) यांत्रिकीकरण

हिंदी में काम करने के लिए यांत्रिक साधनों की आवश्यकता है। हमें मुद्रण तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने के लिए यंत्र चाहिए, इन पर काम करने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। अब तक इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, वह संतोषजनक है। लेकिन अंग्रेज़ी के मुकाबले में आगे आने के लिए और प्रयत्न करने होंगे। इस संदर्भ में आप इकाई 31 पढ़ेंगे।

3) मानकीकरण

हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण के विकास के लिए आवश्यक है कि भाषा का मानकीकरण हो। मानकीकरण के अभाव में यांत्रिकीकरण का कार्य अवरुद्ध होगा। भाषा में काम करने वालों और भाषा सीखने वालों को कठिनाई होगी। इस संदर्भ में अब तक प्रयत्न अवश्य हुआ है, लेकिन उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। इस संदर्भ में आप इसी खंड में आगे पढ़ेंगे।

4) साहित्य का प्रकाशन

हमने इसी इकाई में चर्चा की कि हिंदी में संदर्भग्रंथों, विविध विषयों की पाठ्यपुस्तकों और प्रयोजनपरक साहित्य की आवश्यकता है। यहाँ काम निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में हो सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि लोग ऊपर बतायी गयी समस्याओं का समाधान भी करें।

बोध प्रश्न 2

4. दिये गये प्रश्नों का हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।
   i) यांत्रिकीकरण का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। हाँ/नहीं
   ii) नयी शब्दावली, नयी अभिव्यक्तियाँ और नयी साहित्य का निर्माण कोड विस्तार कहा जाता है। हाँ/नहीं
   iii) हिंदी में प्रक्रिया साहित्य का निर्माण मुख्य रूप से अंग्रेजी से अनुवाद के माध्यम से होता है। हाँ/नहीं
   iv) आधुनिकीकरण का एक अखिलभारतीय संदर्भ है। हाँ/नहीं
   v) हिंदी में मानकीकरण का कोई यत्न नहीं हुआ है। हाँ/नहीं

5. दिये गये शब्दों से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए।

i) आधुनिकीकरण के लिए उचित .... की आवश्यकता है। (परिवेश/सामग्री)

ii) नये विषय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त शब्दों को हम .... शब्द कहते हैं। (प्रयोजनपरक/पारिभाषिक)

iii) जब तक .... क्षेत्र में आजीविका के मार्ग नहीं खुलेंगे, परिवेश का पूर्ण विस्तार नहीं होगा। (निजी/प्रकाशन)

iv) देश की सारी भाषाओं के संदर्भ में आधुनिकीकरण का .... कार्यक्रम बनाना होगा। (समग्र/समन्वित)

v) .... आधुनिकीकरण की एक प्रमुख समस्या है। (व्यापक प्रसार/यांत्रिकीकरण)

6. आधुनिकीकरण की प्रमुख समस्याओं पर 5-6 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

29.6 सारांश

हर विकसनशील समाज की भाषा उस समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होती है। उस भाषा को नये प्रयोजनों के लिए काम करना होता है। राजभाषा के रूप में उसका व्यवहार, शिक्षा के माध्यम की भाषा के रूप में उसका प्रयोग आदि भाषा के प्रयोजन विस्तार के क्षेत्र हैं। जब प्रयोजन विस्तार होने लगे, तो उन क्षेत्रों के लिए भाषा को समृद्ध करेंगे। प्रयोजन विस्तार और कोड विस्तार आधुनिकीकरण के दो पहलू हैं।

इस इकाई में हमने हिंदी के आधुनिकीकरण के संदर्भ में चर्चा की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी की नई भूमिकाएँ बनीं। हिंदी भाषा देश की राजभाषा बनी; भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की नीति के अनुसार वह शिक्षा के माध्यम की भाषा बनी; और प्रमुख राष्ट्रीय भाषा के नाते उसे देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के वाहिका के रूप में भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का काम करना है।

इन सब प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा में 1947 के आसपास पर्याप्त साधन नहीं थे। उस समय तक प्रशासन और विधि का कार्य अंग्रेज़ी में ही होता था और हिंदी में इन क्षेत्रों के साहित्य का पूर्ण अभाव था। उस साहित्य को हिंदी में लाने का काम प्रमुखतः अनुवाद के माध्यम से ही किया जा सकता था। इस अनुवाद के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता थी। अंग्रेज़ी में उपलब्ध पारिभाषिक शब्दों के आधार पर संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं का सहयोग लेते हुए नये परिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाना था। इन नये प्रयोजनों के लिए लोगों को तैयार करने के लिए हिंदी भाषा में प्रक्रिया साहित्य के सृजन और पुस्तक प्रकाशन आदि पर बल दिया जाना चाहिए। इस इकाई में आपने इन क्षेत्रों में हिंदी में अब तक हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त की और इन विविध कार्यों को संपन्न करने वाली संस्थाओं का परिचय प्राप्त किया। आगे आपने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त की और देखा कि उचित परिवेश क्या हो। समन्वित रूप से योजनाबद्ध कार्य हों और पूरे देश के संदर्भ में काम हो तो हिंदी का विकास होगा।

इकाई के अंत में आपने यांत्रिकीकरण, मानकीकरण आदि समस्याओं के बारे में पढ़ा। इन समस्याओं के उचित समाधान करने पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का सर्वांगीण विकास होगा।

29.7 शब्दावली

अहम् - महत्त्वपूर्ण

सेतु - पुल, जोड़ने वाली कड़ी

अनूदित होना - का अनुवाद होना

29.8 कुछ उपयोगी पुस्तक

हिंदी में आधुनिकीकरण — रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव
अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान –
रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव भोलानाथ तिवारी तथा कृष्ण कुमार
गोस्वामी (सं०) नामक ग्रंथ से

29.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) हाँ ii) हाँ iii) नहीं
   iv) नहीं v) हाँ
2. i) आधुनिकीकरण ii) कोड विस्तार iii) अनुवाद
   iv) निजी v) शिक्षा
3. भूमिकाएँ हैं— विकसनशील समाज की भाषा, बहुभाषी समाज की भाषा, राजभाषा। प्रस्तावना की चर्चा से आधार लीजिए।

बोध प्रश्न 2

4. i) नहीं ii) हाँ iii) हाँ
   iv) हाँ v) नहीं
5. i) परिवेश ii) पारिभाषिक iii) निजी
   v) समन्वित v) यांत्रिकीकरण
6. परिवेश, यांत्रिकीकरण और मानकीकरण पर ध्यान दीजिए।

इकाई 30 मानक हिंदी और मानकीकरण की समस्या

इकाई की रूपरेखा

30.0 उद्देश्य
30.1 प्रस्तावना
30.2 मानक भाषा और मानकीकरण
30.3 मानकीकरण का औचित्य
30.4 मानकीकरण का स्वरूप
30.5 मानकीकरण के उपाय और कार्यान्वयन
30.6 निदेशालय द्वारा मानकीकरण के सुझाव
 30.6.1 देवनागरी वर्णमाला का मानकीकरण
 30.6.2 हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण
30.7 सारांश
30.8 शब्दावली
30.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

30.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप हिंदी भाषा के संदर्भ में मानकीकरण की आवश्यकता और इस संदर्भ में किये गये प्रयत्नों के बारे में अध्ययन करेंगे।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- मानकीकरण की संकल्पना को स्पष्ट कर सकेंगे;
- मानक भाषा की व्याख्या कर सकेंगे;
- मानकीकरण की आवश्यकता और प्रक्रिया समझा सकेंगे;
- भाषा के विभिन्न अंगों के संदर्भ में मानकीकरण का स्वरूप समझा सकेंगे;
- मानकीकरण को लागू करने के उपाय सुझा सकेंगे; और
- हिंदी में हुए मानकीकरण के प्रयत्नों का परिचय दे सकेंगे।

30.1 प्रस्तावना

भाषा समाज की वस्तु है और समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि समाज के सभी लोग हमेशा हर स्थिति में एक जैसी भाषा बोलते हों। विविधता भाषा की प्रकृति है। इस विविधता के दो प्रमुख कारण हैं - एक तरफ़ ऐतिहासिक कारणों से भाषा में हुए (या हो रहे) परिवर्तनों के कारण भाषा में कई रूप आ जाते हैं। कुछ व्यक्ति पुराने रूपों का प्रयोग करते हैं और कुछ व्यक्ति बदलते हुए नए रूपों का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ़ विभिन्न सामाजिक वर्गों के कारण तथा क्षेत्र विस्तार के कारण अलग-अलग तबकों और अलग-अलग क्षेत्रों के अलग- अलग भाषा के रूप हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में व्यवहृत होना भाषा की प्रकृति है, उसका सहज स्वरूप है।

इस अंतर को हम भाषा के सभी अंगों में देख सकते हैं। जो तत्व सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है वह है उच्चारण में भिन्नता, क्योंकि हम आम तौर पर उच्चारण की विशेषता से ही व्यक्ति के स्थान को भी पहचान पाते हैं। जिस तरह से उच्चारण में अंतर आता है उसी तरह लिखित भाषा में सबसे पहले वर्तनी का अंतर हमारे ध्यान में आता है। हिंदी में हजारों शब्द हैं जो भिन्न-भिन्न वर्तनी रूपों में लिखे जाते हैं। जैसे :

बर्तन	बरतन
जाएगा	जायेगा
मुस्कराना	मुस्कुराना

इसी तरह शब्दावली, वाक्य संरचना आदि भाषा की अन्य इकाइयों में भी हमें कई वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं।

जहाँ तक मातृभाषा-भाषियों का सवाल है, ये वैकल्पिक प्रयोग संप्रेषण में अधिक कठिनाई पैदा नहीं करते हैं। मातृभाषा-भाषी यह जानता है कि 'गर्दन और गरदन' दोनों वास्तव में एक ही शब्द हैं। वह इन वैकल्पिक प्रयोगों के नियम से भी परिचित होता है जिससे अन्य विकल्पों की स्थिति में वह मूल शब्द को पहचान सके। जब कोई पूर्वी हिंदी भाषी 'कइसा' बोलता है तो उसे पहचानने में पश्चिमी हिंदी बोलने वालों को कठिनाई नहीं होती। यह भी शायद कहा जा सकता है कि ये वैकल्पिक प्रयोग कहीं भाषा में सौंदर्य भी उपस्थित करते हैं। इसके बावजूद व्यावहारिक दृष्टि से हमें एक मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी शब्द के कई वर्तनी रूप हों तो कोशकार को किसी एक रूप को प्रमुखता देनी होती है, अन्यथा उसे कई प्रविष्टियाँ बनानी पड़ेंगी। इसी तरह कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी के वर्णों को लाने के लिए आवश्यक है कि वर्णों की आकृति समान हो। सबसे पहले मानकीकरण की आवश्यकता अन्य भाषा या विदेशी भाषा के रूप में भाषा पढ़ाने में होती है। पहले ही दिन छात्रों को विभिन्न वर्णों के उच्चारण से परिचित कराना होता है। अगर अध्यापक के पास मानक उच्चारण न हो तो वह छात्रों के सामने उच्चारण का एक आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस तरह हम कह सकते हैं कि मानकीकरण किसी भी आधुनिक भाषा की पहली आवश्यकता है जिसकी भूमिकाएँ विस्तृत होती हैं।

इस इकाई में हम मानकीकरण की प्रक्रिया और मानकीकरण के क्षेत्र में हुए अद्यतन प्रयत्नों की चर्चा करेंगे।

30.2 मानक भाषा और मानकीकरण

इस पाठ्यक्रम की पहले की इकाइयों में हमने यह चर्चा की है कि सभी भाषाओं में बोलियाँ होती हैं। यों कह सकते हैं कि भाषा वास्तव में अमूर्त संकल्पना है; किन्हीं बोलियों के समूह को ही हम भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मराठवाड़े की बोली, विदर्भ की बोली और पुणे के आसपास की बोली तीनों मिलकर मराठी भाषा का रूप लेती हैं। (यहाँ पर सिर्फ़ विषय को सरल करने के लिए तीन बोलियों की बात की गई है। वास्तव में कई उप बोलियों के साथ संख्या काफ़ी लंबी हो सकती है)। लेकिन भाषा-भाषी प्रदेश उन तीनों बोलियों को किस प्रकार का महत्व देते हैं? क्या भाषा-भाषी इन तीनों में से किसी एक जगह की बोली को अधिक महत्व देते हैं? साहित्य की रचना के संदर्भ में अक्सर हम यह देखते हैं कि भाषा-भाषी किसी एक बोली को साहित्यिक भाषा का दर्जा देते हैं और लगभग पूरा समाज उसी बोली को भाषा का दर्जा देता है। आमतौर पर मानक भाषा का रूप धारण करने वाली वह बोली भाषा क्षेत्र के मध्यवर्ती क्षेत्र की होती है, जो पड़ोस की भाषाओं के प्रभाव से मुक्त और अपने शुद्ध रूप में व्यवहृत होती है। इसी कारण तमिलनाडु की तंजौर ज़िले की बोली मानक तमिल भाषा है क्योंकि यह स्थान उस क्षेत्र के केंद्र में है। इसी तरह तेलुगु के संदर्भ में सरकार ज़िलों की, अर्थात विजयवाड़ा के आसपास की भाषा (तटवर्ती ज़िलों की भाषा) जो पड़ोसी भाषाओं से दूर है, मानक भाषा मानी जाती है। यह बात अन्य भाषाओं के संदर्भ में भी देखी जा सकती है। जब भाषा के उस रूप को मानक भाषा की स्वीकृति मिल जाती है तो लोग आम तौर पर उसी भाषा में लिखते हैं, उनके योगदान से वह भाषा समृद्ध होती है और उस भाषा के लिए व्याकरण, संदर्भ ग्रंथ आदि की रचना शुरू होने लगती है। इस प्रकार बोली से भाषा का रूप विकसित होता है (जिसे हम मानक भाषा कह सकते हैं) और भाषा-भाषी समाज उसी भाषा के माध्यम से अपना सारा कार्य व्यवहार संपन्न करता है। इस तरह उस भाषा की भूमिकाओं का विस्तार होता है और उसमें प्रयोजनपरक शैलियाँ विकसित होने लगती हैं। हर किसी आधुनिक भाषा के लिए एक मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है जिससे वह अपने प्रयोग क्षेत्र का विस्तार कर सके और समृद्धि पा सके।

मानकीकरण मानक भाषा के बाद का सोपान है। दूसरे शब्दों में मानक भाषा में फिर मानकीकरण की आवश्यकता पड़ सकती है। मानक भाषा समाज द्वारा किसी रूप की स्वीकृति है जिसे इकाई 29 में हॉगन के सिद्धांत के संदर्भ में हम चयन की प्रक्रिया कह सकते हैं। उन्हीं के शब्दों में भाषा के रूप को कोडबद्ध करने की प्रक्रिया मानकीकरण है। हमने ऊपर यह चर्चा की कि भाषा जब चुन ली जाती है तो उसका प्रयोजन विस्तार होता है। शिक्षा, कंप्यूटर में प्रयोग आदि नये भाषिक प्रयोजन हैं। इनमें कोडबद्ध ढंग से (एक निश्चित रूप से) भाषा का व्यवहार करें तो हमारा काम आसान हो सकता है। मानकीकरण से हमारा यही तात्पर्य है कि भाषा की इकाइयों में जो विकल्प हों, उनमें से एक विकल्प को स्वीकृत किया जाए और अन्य विकल्पों को अमानक माना जाए। जो विकल्प मानक माने जाएँगे उन्हीं का प्रयोग पूरा समाज करेगा जिससे भाषा एकरूप होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा किसी एक भाषा रूप का चयन मानक भाषा को जन्म देता है और भाषाविदों द्वारा उस भाषा के किन्हीं निश्चित रूपों का चयन मानकीकरण कहा जाता है।

30.3 मानकीकरण का औचित्य

आम तौर पर यह सवाल किया जाता है कि क्या मानकीकरण संभव है? अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि भाषा बहती नदी के समान है और उसे कहीं किनारों से बाँधा नहीं जा सकता। इस विचार वाले विद्वान यह मानकर चलते हैं कि भाषा का मानकीकरण नहीं किया जा सकता। यह बात सही है कि भाषा नदी का प्रवाह है। भाषा को मानकीकृत करने का किसी एक व्यक्ति का प्रयत्न संभव नहीं हो सकता क्योंकि उसके प्रयत्न को स्वीकृति नहीं मिल सकती। अक्सर महावीर प्रसाद द्विवेदी का हवाला दिया जाता है कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस समय के भाषिक विकल्पों के संदर्भ में मानकीकरण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। यह सही है कि आज हिंदी जिस रूप में हमारे सामने है, उसका काफ़ी श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी शायद व्यक्ति की हैसियत से यह कार्य नहीं किया। उनके हाथ में एक तंत्र था। उन्होंने 'सरस्वती' आदि पत्रिकाओं के संपादन के दौरान यह कार्य संपन्न किया। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि मानकीकरण की प्रक्रिया संस्थागत होती है और संस्था के कार्य को ही स्वीकृति मिल पाती है। देश-विदेश में मानकीकरण के ऐसे संस्थागत प्रयत्न कई हुए हैं। इसके लिए भाषा-भाषी समुदायों ने मानकीकरण के सामूहिक प्रयत्न किए हैं। रूस में विभिन्न भाषाओं के लिए लिपि के मानकीकरण का प्रयत्न किया गया है। यह कार्य रूस की रूसी साहित्य अकादमी नामक संस्था ने अपने हाथ में लिया और आज हमारे सामने रूसी भाषा की लिपि और वर्तनी मानकीकृत रूप में आती है। फ्रांस में 'फ्रेंच एकेडमी आफ़ लिटरेचर' नामक संस्था फ्रांसीसी भाषा के मानकीकरण का कार्य करती है। यह उल्लेख करना शायद अप्रासंगिक न होगा कि विश्व की भाषाओं में फ्रेंच ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक मानकीकृत है। अंग्रेज़ी में यद्यपि मानकीकरण की फ्रेंच जैसी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती, फिर भी अंग्रेज़ी के वर्णों की आकृति और शब्दों के वर्तनी रूप लगभग मानकीकृत हैं। यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या इस प्रकार का मानकीकरण आवश्यक है? फ्रेंच अनुभव को कुछ विद्वान 'भाषिक अधिनायकवाद' की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार भाषा को अधिक मुक्त और स्वतंत्र किया जाना चाहिए, उसे बहुत अधिक कसा नहीं जाना चाहिए। कठोर मानकीकरण से शुद्धतावादी दृष्टि पनपती है और यह शुद्धता भाषा की प्रगति के लिए बाधक है। अंग्रेजी इस संदर्भ में उदार भाषा कही जाती है क्योंकि वह भाषिक शुद्धता की जगह सारी भाषाओं से शब्द आदि ग्रहण करने के पक्ष में है। इसी तरह अंग्रेजी विभिन्न स्रोतों से भाषिक तत्व ग्रहण करने के कारण एकरूप नहीं रह जाती, इसलिए हम इंगलैंड की अंग्रेजी, अमेरिका की अंग्रेज़ी, आस्ट्रेलिया की अंग्रेज़ी आदि क्षेत्रीय रूपों को स्वीकृति देते हैं। इस तरह मानकीकरण की प्रक्रिया भाषा के लिए बाधक है या आवश्यक, यह एक विवाद का सवाल बना हुआ है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में मानकीकरण संभव है? हिंदी के संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन इन सुझावों का अधिक परिपालन नहीं होता। विद्वान जिस वर्तनी में लिखने के आदी हैं, उस आदत को छोड़ नहीं पाते। इस कारण हम भले मानकीकरण के उपाय कर लें, जब तक इसे सामाजिक स्वीकृति न मिले तब तक मानकीकरण के उपाय सफल नहीं हो सकते। हमने ऊपर उल्लेख किया कि मानकीकरण एक संस्थागत प्रयत्न है और यह प्रक्रिया व्यापक सहमति द्वारा अपनाई जाती है। इस सहमति के कारण इसे स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। यहाँ सवाल स्वीकृति का नहीं बल्कि अनुपालन का है। अगर हम अनुपालन के अर्थात् भाषा के मानक रूप के व्यापक प्रयोग के उपाय कर सकें तो मानकीकरण संभव है।

हमें यह विचार करना है कि आखिर हम किन उद्देश्यों से मानकीकरण करना चाहते हैं। मानकीकरण के दो प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं :

i) एकरूपता

ii) सरलीकरण

i) एकरूपता : ऊपर बताए गए विवरण के अनुसार शिक्षा, यांत्रिकीकरण आदि की दृष्टि से भाषा का एकरूप होना आवश्यक है। अगर किसी वर्ण को तीन-चार प्रकार से लिखा जाए (जैसे हिंदी में इस समय 'छ,छ,छ' आदि तीन रूप प्रचलित हैं) तो उस वर्ण के मुद्रण, कंप्यूटर में प्रयोग आदि में कठिनाई होती है। मानकीकरण में यह निश्चय किया जाता है कि तीनों में से कौन सा मानक हो और शेष कौन-से रूप अमानक कहे जा सकते हैं। एकरूपता लाने के प्रयत्न में किसी को मानसिक रूप से कठिनाई नहीं होती, सिर्फ़ अन्य अमानक रूप लिखने वालों को अपनी आदत बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण एकरूपता की प्रक्रिया अधिक मानसिक अवरोध पैदा नहीं करती।

ii) सरलीकरण : मानकीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य भाषा का सरलीकरण है। हिंदी में 'द' से बनने वाले कुछ पुराने रूपों को हलन्त से लिखने की सिफारिश की गई थी। इससे आठ-दस संयुक्त अक्षरों की जगह हम केवल हलन्त से काम चलाते हैं। उदाहरण के लिए :

पुराने वर्ण : द्द द्ध द्य द्व द्म

मानक वर्ण : द्‌द द्‌ध द्‌य द्‌व द्‌म

इसी तरह ह, ट आदि से बनने वाले बहुत से संयुक्त वर्ण हलंत से लिखे जाते हैं तो सीखने वालों को आसानी होती है क्योंकि लेखन पद्धति सरल हो जाती है। लेकिन सरलीकरण की इस प्रक्रिया को जब कुछ लोग कृत्रिम रूप से परिवर्तन की दिशा में ले जाते हैं तो भाषिक समुदाय मानसिक अवरोध प्रकट करता है। जैसे लखनऊ में 1935 में गठित लिपि सुधार समिति ने 'की' को 'की' तथा 'कि' को 'कि' के रूप में लिखने की सिफ़ारिश की थी। इसी तरह नागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में 1935 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा गठित वर्धा समिति उल्लेखनीय है। इस समिति ने हिंदी के स्वरों को 'अ' की बारह खड़ी से लिखने की संस्तुति की थी। जैसे अ आ अि अी अु अू अे अै ओ औ अं अः। ऐसे प्रयत्न भाषा के सरलीकरण के कृत्रिम प्रयत्न माने जाते हैं और समाज आमतौर पर इन्हें स्वीकृत नहीं करता। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर मानकीकरण एकरूपता लाने और भाषा में कृत्रिम रूप से परिवर्तन किए बिना सरलीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो भाषा-भाषी समुदाय मानकीकृत रूप को स्वीकृत कर सकता है।

बोध प्रश्न 1

1. निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त शब्द से या दिए गए शब्दों से उपयुक्त रूप चुनकर पूरा कीजिए :
   i) विभिन्न बोलियों से एकरूप चुनना .... का चयन माना जाता है, मानक भाषा के विभिन्न विकल्पों में से कुछ विकल्पों का चयन .... माना जाता है।
   ii) आमतौर पर किसी भाषा की .... बोली मानक भाषा का रूप धारण करती है। (मध्यवर्ती/प्राचीन)
   iii) कठोर मानकीकरण से भाषा में .... दृष्टि पैदा होती है। (उदारवादी/शुद्धतावादी)
   iv) भाषा को सरलीकृत करने के यत्न से कभी-कभी भाषा .... हो जाती है।
   v) भाषा को व्यवस्थित रूप से कोडबद्ध करने की प्रक्रिया को .... कहते हैं।

2. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए :
   i) हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी ओर से मानकीकरण का महत्वपूर्ण काम किया। हाँ/नहीं
   ii) साहित्य का विकास मानकीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। हाँ/नहीं
   iii) एक समय में भाषा के कई मानक रूप हो सकते हैं। हाँ/नहीं
   iv) मानकीकरण से छात्रों को भाषा सीखने में आसानी होती है। हाँ/नहीं
   v) विविधता भाषा की प्रकृति है। हाँ/नहीं

30.4 मानकीकरण का स्वरूप

इस भाग में हम यह अध्ययन करेंगे कि भाषा के किन-किन अंगों में मानकीकरण हो सकता है? मानकीकरण की क्या प्रक्रिया हो सकती है? इस मानकीकरण का भाषा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानकीकरण भाषा के हर अंग या भाषा की हर इकाई में संभव है। ये इकाइयाँ हैं :

i) उच्चारण
ii) वर्ण की आकृति (Typology)
iii) वर्णमाला
iv) वर्तनी
v) व्याकरणिक संरचनाएँ
vi) शब्द

i) उच्चारण : भाषा में उच्चारण भेद सबसे अधिक प्रचलित होता है। लेकिन इसका मानकीकरण प्रायः नहीं किया जाता क्योंकि उच्चारण का मानकीकरण अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ता। उच्चारण में मानकीकरण का प्रयत्न संभव है। अंग्रेज़ी में मानक उच्चारण को Received Pronunciation या Queen's English के नाम से स्वीकृत किया गया है। प्रायः शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को यही मानक उच्चारण सिखाया जाता है। हिंदी भाषा क्षेत्र विस्तृत है, इसमें विविध बोलियाँ हैं, इस कारण हिंदी में उच्चारण के मानकीकरण की अधिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में अभी तक कोई संगठित या असंगठित प्रयत्न नहीं किया गया है। संगठित

प्रयास के अभाव में भी उच्चारण का एक मानक रूप उभर कर सामने आ रहा है जिसे हम फ़िल्मों, रेडियो के कार्यक्रमों और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुनते हैं।

ii) वर्णाकृति : वर्ण किस रूप में लिखा जाए, उसकी विभिन्न रेखाओं का अनुपात क्या हो, यही मानकीकरण का प्रमुख विषय है। अभी तक यह मानक रूप तैयार नहीं किया गया था और हिंदी के अक्षरों की बनावट का दायित्व मुद्रण के अक्षर बनाने वाली कंपनियों पर था। इस कारण हमें अनुपात के हिसाब से कई भिन्न प्रकार के अक्षर मिलते हैं जैसे :

ध ध

ऐसे भिन्न आकार के वर्णों से आधुनिक युग में कंप्यूटर के क्षेत्र में कठिनाई हो सकती है। अगर भिन्न अक्षर भिन्न कार्यक्रमों में व्यवहृत हों तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भाषा के माध्यम से सूचना का प्रवाह संभव नहीं हो पाता।

iii) वर्णमाला : वर्णमाला के मानकीकरण से हमारा तात्पर्य विभिन्न वर्णों की बनावट से है। हिंदी में कुछ ध्वनियों के लिए कहीं-कहीं दो-तीन भिन्न आकार मिलते हैं। मानकीकरण की प्रक्रिया में इनमें से किसी एक को मानक वर्ण का दर्जा दिया जाता है और शेष अमानक कहे जाते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यालय है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। निदेशालय ने वर्णमाला के अक्षरों को मानकीकृत करने के उद्देश्य से किन्हीं वर्णों को मानक माना है और बाकी को अमानक। जैसे :

पुराने वर्ण : अ ख छ झ ण भ श

नये वर्ण : अ ख छ झ ण भ श

वर्ण का मानकीकरण संभवतः भाषा का सबसे सरल पक्ष है क्योंकि वर्णों का नियंत्रण, 'फाउंड्रिस' करती हैं और आधुनिक युग में कंप्यूटर की कंपनियाँ कंप्यूटर के पर्दे पर वर्ण का आकार निश्चित करती हैं। एक बार इन दोनों स्रोतों से मानक वर्णों का प्रचलन शुरू हो जाए तो शिक्षा जगत उस आदत को अपनाता है। लेकिन कठिनाई यह है कि 'फाउंड्रियाँ' वर्णों का आकार अपने अपने ढंग से निर्धारित करती हैं और कंप्यूटर के पर्दे पर भी कंपनियाँ अपने-अपने ढंग से वर्ण व्यवस्था देती हैं। इस कठिनाई के कारण हिंदी में मानकीकरण संभव नहीं हो पाया है।

iii) वर्तनी : वर्तनी का मानकीकरण कोश निर्माण के लिए तथा कंप्यूटर पर भाषा के माध्यम से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं उन्हें हम इस इकाई में आगे दे रहे हैं। उस प्रकरण में आप देखेंगे कि भिन्न-भिन्न वर्तनी रूपों में से मानक रूप किस ढंग से चुने गए हैं। इस क्षेत्र में एक कठिनाई है। हिंदी में हज़ारों शब्द कई रूपों में लिखे जाते हैं और निदेशालय ने केवल कुछ ही शब्दों में मानकीकरण का यत्न किया है। साथ ही निदेशालय ने किन्हीं शब्दों में प्रचलित दोनों (या तीनों) रूपों को स्वीकृति दे दी है, जो मानकीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ़ है। मानकीकरण पूरी भाषा के संदर्भ में किया जाता है और मानकीकरण के उपरांत भाषा का मानक वर्तनी में कोश तैयार किया जाता है। इस संदर्भ में अभी काम अधिक नहीं हुआ है।

iv) व्याकरणिक संरचनाएँ : हिंदी में कई जगह दो भिन्न प्रकार की रचनाओं से वाक्य संरचना होती है। जैसे कई लोग 'मुझे जाना है' की जगह 'मैंने जाना है' का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर हम इसे विकल्प नहीं बल्कि त्रुटि मानते हैं। कुछ जगहों में कई विकल्प प्रचलित हैं जहाँ यह निश्चय करना मुश्किल हो जाता है कि मानक क्या है। जैसे :

मुझे मेहनत करना पड़ेगी।

ऐसे संदर्भों में इसे लोग शैली का नाम दे देते हैं। यह वाक्य उर्दू शैली का वाक्य कहा जाता है। कुछ प्रसंगों में नई उक्तियाँ काफ़ी प्रचलन में आ जाती हैं और पुरानी उक्तियाँ मानक हैं या अमानक हैं, यह बताना मुश्किल हो जाता है। जैसे :

'मैंने दिया हुआ है' एक उक्ति है और इसके विकल्प में 'मैंने दे रखा है' का प्रयोग हो सकता है। क्या ये दोनों उक्तियाँ समानार्थी हैं? क्या इनमें से किसी एक को हम छोड़ देना चाहेंगे?

व्याकरण के संदर्भ में इस प्रकार के कई प्रयोग हैं जो विकल्प के रूप में व्यवहृत हो रहे हैं। यह आवश्यक होगा कि हम इन विकल्पों में से एक को मानक मानें और दूसरे को छोड़ दें। त्रुटि, शैली, विकल्प आदि स्थितियों के संदर्भ में हमें मानकीकरण की आवश्यकता है, लेकिन इस समय हिंदी में वाक्य संरचना के क्षेत्र में मानकीकरण का कोई कार्य नहीं हो रहा है।

v) शब्द : इस प्रकरण में हम शब्द के मानकीकरण को शब्द और अर्थ के संदर्भ में और शब्द रचना के संदर्भ में ले सकते हैं। भाषा के सामान्य शब्दों के अर्थ के मानकीकरण का तात्पर्य शब्द के अर्थ को सीमित

करना नहीं है, बल्कि शब्द के अर्थ और प्रयोग को सुनिश्चित करना है। यह काम एक अच्छे प्रयोग कोश का दायित्व है, लेकिन हिंदी में शब्द के प्रयोगों के संदर्भ में कोई कोश उपलब्ध नहीं है।

शब्दावली के संदर्भ में एक दूसरा प्रमुख क्षेत्र पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिक शब्द विविध विषयों की विभिन्न संकल्पनाओं के लिए निर्मित किए जाते हैं। इस दृष्टि से भाषा के लगभग सारे पारिभाषिक शब्द मानकीकृत होते हैं। हिंदी में विधि, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि क्षेत्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन गठित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का कार्य देखता है। आयोग ने अब तक लगभग ढाई लाख नए पारिभाषिक शब्द निर्मित किए हैं।

30.5 मानकीकरण के उपाय और कार्यान्वयन

मानकीकरण एक संस्थागत प्रयत्न है और जैसे ऊपर बताया गया है, निजी प्रयत्नों से मानकीकरण नहीं हो सकता। लेकिन भाषा के सामान्य विकास क्रम में मानकीकरण की प्रवृत्ति हमेशा काम करती दिखाई पड़ती है। लेखक अपनी ओर से मानकीकरण का यत्न करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के अपने-अपने प्रयत्नों के कारण विविधता बढ़ जाती है। मुद्रण आदि यांत्रिक सुविधाओं के कारण भी मानकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर पूरे देश में देवनागरी के टाइप बनाने वाली केवल एक ही फ़ाउंडरी होती तो वह एक जैसा अक्षर बनाती और अक्षरों का इस प्रकार मानकीकरण हो जाता। जहाँ एक से अधिक फ़ाउंडरी काम करती हों या एक से अधिक कंप्यूटर कंपनियाँ कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी के अक्षर लाती हों, तो मानकीकरण में कठिनाई हो जाती है। मानकीकरण के क्षेत्र में काम करने वाला तीसरा अभिकरण प्रकाशक वर्ग है; लेखक चाहे जो भी लिखे, कुछ प्रकाशक या संपादक उसे अपने-अपने ढंग से मानकीकृत करने का यत्न करते हैं। इस संदर्भ में हमने ऊपर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान की चर्चा की थी। उस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी अकेले यह काम कर रहे थे, इस कारण वे भाषा में किसी हद तक एकरूपता लाने में सफल रहे। लेकिन आज बहुत-से प्रकाशक और संपादक हैं और सब अपने-अपने ढंग से मानकीकरण का यत्न करते हैं। इस दृष्टि से अगर इसी क्रम में मानकीकरण के निजी प्रयत्न चलते रहें तो संभवतः हम कभी मानकीकरण नहीं कर सकते। मानकीकरण एक संस्थागत प्रयत्न है और भारत सरकार मानकीकरण के लिए सबसे उपयुक्त अभिकरण है। भारत सरकार ने लिपि और वर्तनी के मानकीकरण का दायित्व केंद्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा है। निदेशालय ने अपनी ओर से मानकीकरण का यत्न किया जिसके परिणाम को हम आगे दे रहे हैं। लेकिन मानकीकरण के संदर्भ में अगर यह अभिकरण बहुत निश्चित दिशा में कार्य न करे तो कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं; हम यहाँ इस प्रकार के दो उदाहरण देखेंगे। हलंत से शब्द लिखने के सुझाव के संदर्भ में निदेशालय ने सबसे पहले सही वर्तनी के रूप में 'बुद्‌धि' का सुझाव दिया था। कुछ समय बाद निदेशालय ने इसे 'बुद्धि' के रूप में स्वीकार किया। आज फिर से इसे पूर्व रूप में बुद्‌धि स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार टंकण यंत्र के कुंजी पटल का मानकीकरण भारत सरकार का दायित्व है। यह कार्य गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की देख-रेख में होता है। जब निदेशालय ने 'द्‌ध', 'द्‌व' की सिफ़ारिश की थी उस समय कुंजी पटल में परिवर्तन करके 'द्ध', 'द्व' आदि पुराने वर्णों को हटा दिया गया था। कुछ ही समय बाद पुनः नयी कुंजी पटल के संदर्भ में विचार करते हुए विभाग ने इन दो पुराने वर्णों को कुंजी पटल में फिर से स्थान दे दिया। इस प्रकार अनिश्चित ढंग से मानकीकरण करने के यत्न के कारण भाषा में अधिक कठिनाई पैदा होती है।

मानकीकरण के अनुपालन के सुझाव दिये जाएँ, तो वे सुझाव कुछ हद तक सारे लोगों के लिए बाध्य होने चाहिए। पहले 'सम्बन्ध' शब्द इसी रूप में लिखा जाता था। निदेशालय ने 'म्' और 'न्' के स्थान पर अनुस्वार की सिफ़ारिश की और 'संबंध' शब्द की संस्तुति की। कुछ लोगों ने इसे माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। इस स्थिति में अब इस शब्द के चार रूप हो गये हैं :

1) सम्बन्ध 2) संबंध 3) सम्बंध 4) संबन्ध

इस प्रकार सिफ़ारिश को लागू न कर सकने के कारण अब कठिनाई चार गुनी हो गयी। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि दी गई सिफ़ारिश का तुरंत अनुपालन हो? जब तब सिफ़ारिश का अनुपालन नहीं होगा तब तक मानकीकरण का कोई भी यत्न कभी सफल नहीं होगा। मानकीकरण के अनुपालन के संबंध में सबसे बड़ा अभिकरण या क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र है। जो लोग पुराने ढंग से लिखने के आदी हैं, वे आगे भी इसी रूप में लिखते रहेंगे। उन्हें सुधारना शायद अधिक कठिन होगा। लेकिन जो बच्चे पहली बार स्कूल में प्रवेश करते हैं, उन्हें जिस मानकीकृत लिपि-वर्तनी पद्धति में सिखाया जाएगा, उसे वे अपनाएँगे। इस कारण आगे की पीढ़ियों को नियंत्रित करने का एक प्रमुख अभिकरण शिक्षा के लिए पुस्तक प्रकाशन का क्षेत्र है। भारत में शिक्षा जगत के लिए अधिकांश पुस्तकें सरकारी तंत्र में ही छपती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, ग्रंथ अकादमियाँ, राज्य शिक्षा बोर्ड, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन बोर्ड, नेशनल बुक ट्रस्ट,

प्रकाशन विभाग आदि प्रमुख प्रकाशक सरकारी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा नेशनल ओपन स्कूल, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएँ छात्रों के लिए हिंदी भाषा में सामग्री तैयार करती हैं। अगर *इन सब संस्थाओं के सामने एक आदर्श मानक रूप हो तो इन संस्थाओं के द्वारा मानकीकरण की प्रक्रिया* आसानी से लाई जा सकती है।

एक दूसरा प्रमुख क्षेत्र प्रकाशन का है। प्रकाशन तंत्र के लिए या तो फाउंडरी से बने अक्षर चाहिए या कंप्यूटर पर तैयार सामग्री चाहिए। अगर इन सामग्रियों को नियंत्रित किया जा सके तो प्रकाशन के क्षेत्र में भी मानकीकरण लाया जा सकती है। इस दृष्टि से अभी भारत में हिंदी भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में अधिक कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम शीघ्र मानकीकरण की प्रक्रिया को सही दिशा में आगे बढ़ाएँ।

30.6 निदेशालय द्वारा मानकीकरण के सुझाव

हमने उल्लेख किया था कि हिंदी की वर्णमाला तथा वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ प्रयत्न किये गये हैं। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानकीकरण के लिए उत्तरदायी संस्था है। इस संस्था ने भारत के भाषाविदों की सहायता से वर्ण तथा वर्तनी दोनों के मानकीकरण के सुझाव दिये हैं। आगे हम इस क्षेत्र में हुई प्रगति का परिचय प्राप्त करेंगे।

30.6.1 देवनागरी वर्णमाला का मानकीकरण

इस प्रयत्न से पहले हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों में बहुत विविधता थी। अनुनासिकता, ज़, फ़ आदि नुक्ते वाले व्यंजन आदि का वर्णमाला में निश्चित स्थान नहीं था। साथ ही, प्रमुख भारतीय भाषाओं के लेखन के लिए अक्षर 'ळ' की आवश्यकता थी, जो टंकण यंत्र में भी शामिल किया जा सके। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने मानक हिंदी वर्णमाला को अंतिम रूप दिया है, जिसे टिप्पणी सहित आगे मूल रूप में दे रहे हैं :

"भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिंदी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे और टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता अधिक बाधक न हो।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षों के विचार-विमर्श के पश्चात् हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया, वह इस प्रकार है :

मानक हिंदी वर्णमाला

स्वर	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ए	ऐ	ओ	औ
मात्राएँ		ा	ि	ी	ु	ू	ृ	े	ै	ो	ौ
अनुस्वार	ं (अं)										
विसर्ग	ः (अः)										
अनुनासिकता चिह्न	ँ										
व्यंजन	क	ख	ग	घ	ङ						
	च	छ	ज	झ	ञ						
	ट	ठ	ड	ढ	ण	ड़	ढ़				
	त	थ	द	ध	न						
	प	फ	ब	भ	म						
	य	र	ल	व		ळ					
	श	ष	स	ह							
संयुक्त व्यंजन	क्ष	त्र	ज्ञ	श्र							
हल् चिह्न	् (ड्)										
गृहीत स्वन	ऑ (ॉ),	ख़,	ज़,	फ़							
देवनागरी अंक	१	२	३	४	५						
	६	७	८	९	०						

भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	0

संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी वर्णमाला में तो ॠ, ऌ तथा ॡ भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इन वर्णों का प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार "संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए *भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकते हैं।*"

30.6.2 हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण

वर्तनी के मानकीकरण का निदेशालय का यह प्रयास समग्र प्रयत्न नहीं है; अर्थात् हिंदी के समस्त शब्दों का मानक वर्तनी रूप प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि कुछ प्रमुख कठिनाइयों का समाधान मात्र है। हम निदेशालय के सुझावों को यहाँ मूल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं :

"किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख तत्व हैं, उसका व्याकरण *और लिपि। लिपि का एक पक्ष है, सामान्य और विशिष्ट ध्वनों के पृथक् प्रतीक-वर्णों की समृद्धि, उनका* परस्पर स्पष्ट आकार-भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान-लाघव एवं प्रयत्न-लाघव।

लिपि का दूसरा पक्ष है, वर्तनी। एक ही ध्वन को प्रकट करने के लिए विविध वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष न्यूनतम है, फिर भी उसकी कुछ अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं।

इन सभी कठिनाइयों को दूर कर हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने *सन् 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने अप्रैल, 1962 में अपनी अंतिम सिफ़ारिशें* प्रस्तुत कीं, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया। इन्हें 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया था।

वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं :

(1) संयुक्त वर्ण

(क) खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा :

ख्याति, लग्न, विघ्न	व्यास
कच्चा, छज्जा	श्लोक
नगण्य	राष्ट्रीय
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास	स्वीकृति
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य	यक्ष्मा
शय्या	त्र्यंबक
उल्लेख	

(ख) अन्य व्यंजन

(अ) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर :

संयुक्त, पक्का, दफ़्तर, आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, पक्का दफ़्तर की तरह।

(आ) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ यथा :

वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि

(वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चि ब्रह्मा नहीं)

(इ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे, यथा :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

(ई) 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे 'श्र' के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त् + र के संयुक्त रूप के लिए त्र और त्र दोनों रूपों में से किसी के प्रयोग की छूट होगी। किंतु 'क्र' को क्र के रूप में नहीं लिख जाएगा।

(उ) हल् चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व, यथा : कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि

(कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं)।

(ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, उदाहरणार्थ :

संयुक्त, चिह्न, विद्या, चञ्चल, विद्वान, वृद्ध, अङ्क, द्वितीय, बुद्धि आदि।

(2) विभक्ति-चिह्न

(क) हिंदी के विभक्ति-चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे--राम ने, राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपदिक के साथ मिलकर लिखे जाएँ, जैसे--उसने, उसको, उससे, उसपर आदि।

(ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे--उसके लिए, इसमें से।

(ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए, जैसे--आप ही के लिए, मुझ तक को।

(3) क्रियापद

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ, जैसे--पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि।

(4) हाइफ़न

हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

(क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए, जैसे--

राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती-संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, हँसी-मज़ाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि।

(ख) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए, जैसे--

तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे।

(ग) तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे--भू-तत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे--रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

इसी तरह यदि 'अ-नख' (बिना नख का) समस्त पद में हाइफ़न न लागया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अ-नति (नम्रता का अभाव) : अनति (थोड़ा), अ-परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) : अपरस (एक चर्म रोग), भू-तत्व (पृथ्वी-तत्व) : भूतत्व (भूत होने का भाव) आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न-भिन्न शब्द हैं।

(घ) कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे :

द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थक आदि।

(5) अव्यय

'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ, जैसे--आपके साथ, यहाँ तक।

इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी में आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिह्न भी आते हैं, जैसे--अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए, जैसे--आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज़ भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपये मात्र आदि। सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ, जैसे--श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि।

समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएँगे, जैसे--प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अतः उसे व्यस्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है।

(6) श्रुतिमूलक 'य', 'व'

(क) जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात् किए-किये, नई-नयी, हुआ-हुवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए, जैसे--दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि

(ख) जहाँ 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे--स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि। यहाँ स्थाई, अव्यईभाव, दाइत्व नहीं लिखा जाएगा।

(7) अनुस्वार और अनुनासिकता-चिह्न (चंद्रबिंदु)

अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

(क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे--गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि से पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा (गङ्गा, चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक का नहीं)। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दुबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे--वाङ्मय, अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि। अतः वांमय, अंय, अंन, संमेलन, संमति, चिंमय, उंमुख, आदि रूप ग्राह्य नहीं हैं।

(ख) चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे--हंस : हँस, अंगना : अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है, जैसे--नहीं, में, मैं। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार छोटे बच्चों को प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो, वहाँ उसका

यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे--कहाँ, हँसना, आँगन, सँवारना, मैं, नहीं आदि।

(8) विदेशी ध्वनियाँ

(क) अरबी-फ़ारसी या अंग्रेज़ी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे--कलम, किला, दाग आदि (क़लम, क़िला, दाग़ नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ, जैसे--खाना : ख़ाना, राज : राज़, फन : फ़न। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि अरबी-फ़ारसी एवं अंग्रेज़ी की मुख्यतः पाँच ध्वनियाँ (क़, ग़, ख़, ज़ और फ़) हिंदी में आई हैं जिनमें से दो (क़ और ग़) तो हिंदी उच्चारण (क, ग) में परिवर्तित हो गई हैं, एक (ख़) लगभग हिंदी 'ख' में खपने की प्रक्रिया में है और शेष दो (ज़, फ़) धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खोने/बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं।

(ख) अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ, ॉ)। जहाँ तक अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त-सितंबर, 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफ़ारिश उल्लेखनीय है। उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत-चिह्न लगाने पड़ें। अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेज़ी उच्चारण के अधिक-से-अधिक निकट होना चाहिए। उसमें भारतीय शिक्षित समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोड़े-बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों के संबंध में भी यही नियम लागू होना चाहिए।

(ग) हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक-सी मान्यता है। फ़िलहाल इनकी एकरूपता आवश्यक नहीं समझी गई है। कुछ उदाहरण हैं--गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ़/बर्फ़, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फ़ुरसत/फ़ुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा, दूकान/दुकान, बीमारी/बिमारी आदि।

(9) हल् चिह्न

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे--'महान', 'विद्वान' आदि के 'न' में।

(10) स्वन-परिवर्तन

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए। अतः 'ब्रह्मा' को 'ब्रम्हा', 'चिह्न' को 'चिन्ह', 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार, आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं हैं। इनके स्थान पर क्रमशः गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए। जिन

तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है, जैसे--अर्द्ध/अर्ध, उज्ज्वल/उज्वल, तत्त्व/तत्व आदि।

(11) विसर्ग

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे--'दुःखानुभूति' में। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना ही काम चल जाएगा, जैसे--'दुख-सुख के साथी'।

(12) 'ऐ', 'औ' का प्रयोग

हिंदी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ 'है', 'और' आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की 'गवैया', 'कौवा' आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ, ै ; औ, ौ) का प्रयोग किया जाए। 'गवय्या', 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है।

(13) पूर्वकालिक प्रत्यय

पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे--मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि।

(14) अन्य नियम

(क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

(ख) फुलस्टॉप को छोड़ कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएँ, जो अंग्रेज़ी में प्रचलित हैं, यथा--

(- — , ; ? ! : =)

(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

(ग) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

(15) मानक वर्तनी के प्रयोग का उदाहरण

हिंदी एक विकासशील भाषा है। संघ की राजभाषा घोषित हो जाने के बाद यह शनैः शनैः अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर रही है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संपर्क में आकर, उनसे बहुत कुछ ग्रहण करके और अहिंदी भाषियों द्वारा प्रयुक्त होते-होते उसका यथासमय एक सर्वसम्मत अखिल भारतीय रूप विकसित होगा--ऐसी आशा है।

यद्यपि यह सही है कि एक विस्तृत भू-खंड में और बहुभाषी समाज के बीच व्यवहृत किसी भी विकासशील भाषा के उच्चारणगत गठन में अनेकरूपता मिलना स्वाभाविक है, उसे व्याकरण के कठोर नियमों में जकड़ा नहीं जा सकता; उसके प्रयोगकर्ताओं को, किसी ऐसे शब्द को जिसके दो या अधिक समानांतर रूप प्रचलित हो चुके हों, एक विशेष रूप में प्रयुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; ऐसे शब्दरूपों के बारे में किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्णय दे देने के बाद भी उनकी ग्राह्यता-अग्राह्यता के विषय में मतभेद बना ही रहता है; फिर भी प्रथमतः कम से कम लेखन, टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में तो हिंदी भाषा में एकरूपता और मानकीकरण की तत्काल आवश्यकता है ही। क्या ऐसा करना आज के यंत्राधीन जीवन की अनिवार्यता नहीं है?

भाषाविषयक कठोर नियम बना देने से उसकी स्वीकार्यता तो संदेहास्पद हो ही जाती है, साथ ही भाषा के स्वाभाविक विकास में भी अवरोध आने का थोड़ा-सा डर रहता है। फलतः भाषा गतिशील, जीवंत और समयानुरूप नहीं रह पाती। हिंदी वर्णमाला के मानकीकरण में और हिंदी वर्तनी की एकरूपता विषयक नियम निर्धारित करते समय इन सब तथ्यों को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए, जहाँ तक बन पड़ा है, काफ़ी हद तक उदारतापूर्ण नीति अपनाई गई है।

हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता

हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः एकरूपता का अभाव दिखाई देता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित **ए बेसिक ग्रामर ऑफ़ मॉडर्न हिंदी** में भी इस एकरूपता का अभाव था। अतः निदेशालय में 5-6 फरवरी, 1980 को आयोजित भाषाविज्ञानियों की बैठक में इस पर गंभीरता से विचार किया गया। तदनुसार एक से सौ तक

सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत हुआ, वह इस प्रकार है :

एक से सौ तक संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप

एक	दो	तीन	चार	पाँच	छह	सात	आठ	नौ	दस
ग्यारह	बारह	तेरह	चौदह	पंद्रह	सोलह	सत्रह	अठारह	उन्नीस	बीस
इक्कीस	बाईस	तेईस	चौबीस	पच्चीस	छब्बीस	सत्ताईस	अट्ठाईस	उनतीस	तीस
इकतीस	बत्तीस	तैंतीस	चौंतीस	पैंतीस	छत्तीस	सैंतीस	अड़तीस	उनतालीस	चालीस
इकतालीस	बयालीस	तैंतालीस	चवालीस	पैंतालीस	छियालीस	सैंतालीस	अड़तालीस	उनचास	पचास
इक्यावन	बावन	तिरपन	चौवन	पचपन	छप्पन	सतावन	अठावन	उनसठ	साठ
इकसठ	बासठ	तिरसठ	चौंसठ	पैंसठ	छियासठ	सड़सठ	अड़सठ	उनहत्तर	सत्तर
इकहत्तर	बहत्तर	तिहत्तर	चौहत्तर	पचहत्तर	छिहत्तर	सतहत्तर	अठहत्तर	उनासी	अस्सी
इक्यासी	बयासी	तिरासी	चौरासी	पचासी	छियासी	सतासी	अठासी	नवासी	नब्बे
इक्यानवे	बानवे	तिरानवे	चौरानवे	पचानवे	छियानवे	सतानवे	अठानवे	निन्यानवे	सौ

बोध प्रश्न 2

3. भाषा के किन अंगों में मानकीकरण हो सकता है? अपनी याद से छह अंगों का उल्लेख कीजिए।

....

....

4. निम्नलिखित कथनों की पुष्टि हाँ/नहीं द्वारा कीजिए।
   i) उच्चारण की अपेक्षा वर्णमाला का मानकीकरण अधिक आसान प्रक्रिया है। हाँ/नहीं
   ii) शिक्षा में भाषा आधुनिक प्रयोजनों में शामिल नहीं है। हाँ/नहीं
   iii) हिंदी भाषा के प्रसार में सरकार की अपेक्षा स्वैच्छिक संस्थाएँ अधिक योगदान दे सकती हैं। हाँ/नहीं
   iv) केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वाक्य संरचना के मानकीकरण के सुझाव दिये हैं। हाँ/नहीं

5. i) निदेशालय के सुझावों के अनुसार कौन-से वर्ण मानक हैं, बताइए।

   आ ख छ झ ण ल श द्य प्त क्ष

   ii) बताइए कि कौन-से वर्तनी रूप मानक हैं?

चिन्ह	बुद्धि	आप को	संमेलन
हंसना	मजाक	सम्पादक	स्थाई
कच्चा	दफ्तर	प्रति-दिन	पढ़ालिखा

30.7 सारांश

भाषा सामाजिक वस्तु है, समाज में उसका विकास होता है। इस विकास में बहुत-से लोगों के योगदान के कारण, ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण भाषा में विविधता आ जाती है।

जब भाषा आधुनिक प्रयोगों में आने लगे, तो उसका विकास आवश्यक है। यह विकास सही दिशा में चले इसके लिए जरूरी है कि उसका रूप एक हो। विशेषकर कंप्यूटर आदि के प्रयोग की स्थिति में उसका एकरूप होना अधिक आवश्यक है।

किसी भी समाज में भाषा की कई विशिष्ट बोलियाँ होती हैं। समाज उनमें किसी एक को मानक भाषा की स्वीकृति देता है। मानक भाषा का चयन एकरूपता की दृष्टि से पहला कदम है। इसी मानक भाषा में साहित्य सृजन होता है, वाङ्मय का निर्माण होता है और इसी रूप का पूरे समाज द्वारा विकास किया जाता है।

जब भाषा का मानक रूप निश्चित हो जाए, तो उसे मानकीकृत किया जाता है, जिससे वर्णमाला या वर्तनी में एकरूपता हो, सर्वत्र उसका उच्चारण एक जैसा हो और वाक्य संरचनाओं में विविधता और संदिग्धता न हो।

मानकीकरण प्रायः सामूहिक और संगठित होता है; अर्थात् हर व्यक्ति अपनी तरफ से भाषा का अपना मानक रूप स्थापित नहीं कर सकता। अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रेंच आदि भाषाओं का मानकीकरण संस्थाओं के प्रयत्न से ही हुआ है। हिंदी में मानकीकरण का दायित्व केंद्रीय हिंदी निदेशालय का है। इस इकाई में आपने यह भी पढ़ा

कि मानकीकरण में कुछ लचीलापन भी आवश्यक है, कठोर मानकीकरण भाषा को नियमों में बाँध देता है और विकास में बाधा बनता है।

मानकीकरण के दो प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। एक ओर, भाषा में एकरूपता लाना है। इससे सीखने-सिखाने वालों को सुविधा होगी, कंप्यूटर में प्रयोग आसान होगा, मशीनी अनुवाद, शब्दकोश निर्माण आदि क्षेत्रों में सुविधा होगी। दूसरा उद्देश्य भाषा को सरलीकृत करना है, जिससे भाषा की रचना स्पष्ट हो। लेकिन कृत्रिम सरलीकरण से बचना होगा, क्योंकि समाज इसे स्वीकृति नहीं देगा।

मानकीकरण के यत्न से भी महत्त्वपूर्ण है उसका समाज द्वारा अनुपालन। अन्यथा ये यत्न बेकार जाते हैं। आपने पढ़ा कि प्रकाशन तंत्र और शिक्षा का क्षेत्र दोनों पर ध्यान दें और नयी पीढ़ी को मानकीकृत भाषा के उपयोग के लिए प्रेरित करें, तो हम शीघ्र ही हिंदी भाषा को मानक रूप दे सकेंगे।

इकाई के अंत में आपने केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी की वर्णमाला और वर्तनी के मानकीकरण के सुझावों का अध्ययन किया। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी भाषा में यथासंभव उन सुझावों का परिपालन करें।

अभ्यास

1. आप रोज़ हिंदी का जो अखबार पढ़ते हैं, उसमें से अमानक वर्णों और वर्तनी रूपों को पहचानिए और उनकी सूची बनाइए।
2. उन वर्णों और वर्तनी रूपों को मानक रूप में लिखिए।

30.8 शब्दावली

प्रविष्टि – शब्दकोश का हर शब्द एक प्रविष्टि है।
(अंग्रेज़ी 'एन्ट्री')

अनुपालन – अमल में लाना

उत्तरदायी -- ज़िम्मेदार

राजकीय – राजभाषा से संबंधित

30.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. (i) मानक भाषा; मानकीकरण (ii) मध्यवर्ती (iii) शुद्धतावादी
   (iv) कृत्रिम (v) मानकीकरण
2. i) हाँ ii) नहीं iii) नहीं iv) हाँ v) हाँ

बोध प्रश्न 2

3. उच्चारण, वर्ण की आकृति, वर्णमाला, वर्तनी, शब्द, वाक्य संरचना

4. i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ iv) नहीं v) नहीं

5. i) छ ल प्त ii) बुद्धि,कच्चा

इकाई 31 हिंदी भाषा में यांत्रिक साधन

इकाई की रूपरेखा

31.0 उद्देश्य

31.1 प्रस्तावना

31.2 यांत्रिकीकरण क्या है?

31.2 तार

31.4 मुद्रण

31.4.1 टंकण

31.4.2 व्यावसायिक मुद्रण

31.4.3. कक्ष मुद्रण

31.5 कंप्यूटर और हिंदी

31.6 सारांश

31.7 शब्दावली

31.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

31.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

31.0 उद्देश्य

इस इकाई में हिंदी भाषा के लिए टंकण यंग, मुद्रण, कंप्यूटर आदि के विकास की चर्चा की गयी है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- विकसित भाषा के लिए यांत्रिक साधनों का महत्त्व समझा सकेंगे;
- हिंदी में टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में विकास और वर्तमान स्थिति का वर्णन कर सकेंगे;
- भाषा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को वर्णन कर सकेंगे; और
- यांत्रिकीकरण की कमियों का विश्लेषण कर सकेंगे।

31.1 प्रस्तावना

किसी भी आधुनिक प्रयोजनों वाली आधुनिक, विकसित भाषा के लिए आधुनिक यांत्रिक साधनों की आवश्यकता है। इसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। अखबार किसी भी विकसित समाज की आवश्यकता है। अखबार के अलग-अलग जगहों से तीन या चार संस्करण निकलते हैं। हर संस्करण लाखों प्रतियों का होता है। अखबार की प्रतियाँ सवेरे पाँच-छह बजे तक पाठकों के हाथ में होनी चाहिए और प्रयत्न यह होना चाहिए कि उसमें छपने तक (याने सवेरे एक-डेढ़ बजे तक) के अद्यतन समाचार हों। इस विशाल कार्य में निम्नलिखित उपव्यवस्थाएँ चाहिए ----

i) देश के कोने-कोने से हिंदी के माध्यम से समाचार प्राप्त हों और उन्हें संपादित किया जाए। इस कार्य में टेलेक्स, तार, टेलीप्रिंटर, फ़ैक्स आदि साधन उपयोगी होते हैं।

ii) जो समाचार अंग्रेज़ी में प्राप्त हों, उनका तुरंत अनुवाद किया जाए। इसमें कंप्यूटर की सहायता से अनुवाद का कार्यक्रम उपयोगी हो सकता है।

iii) सामग्री की कंपोज़िंग द्रुत गति से की जाए। इसमें कंप्यूटर द्वारा कंपोज़ करने की सुविधा अनिवार्य है। अगर हाथ से कंपोज़ किया जाए, तो अद्यतन समाचार देना संभव नहीं होगा। तैयार सामग्री त्रुटिहीन होनी चाहिए। कई व्यक्ति प्रूफ़ का पठन करते हैं, फिर भी जल्दी के कारण गलतियाँ रह जाने की संभावना होती है। आजकल कंप्यूटर पर वर्तनी-जाँच के कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जो तैयार सामग्री का निरीक्षण कर गलत शब्दों का विवरण देते हैं।

iv) एक जगह से दूसरी जगह सामग्री को इलेक्ट्रानिक साधनों से भेजा जाता है, जिससे सभी शहरों से समान संस्करण छपें। इसमें उपग्रह द्वारा भेजे गये फ़ैक्स संदेश उपयोगी होते हैं।

v) दो-तीन घंटे में लाखों प्रतियाँ छापकर तैयार करने के लिए अत्यंत गतिशील मुद्रण यंत्र चाहिए।

यह एक उदाहरण है, जिसमें हमने कार्य की मात्रा के संदर्भ में आवश्यकताओं की चर्चा की। ऐसे ही कई क्षेत्र हैं, जहाँ हमें यांत्रिक साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रशासन कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कार्यालयों में फ़ाइलों के रख-रखाव, हिसाब-किताब, टंकण-मुद्रण के लिए यांत्रिक साधन चाहिए; जनगणना विभाग में एकत्र आँकड़ों का विश्लेषण कर अलग-अलग तरह की सूचियाँ देने वाला कार्यक्रम चाहिए। अगर ये साधन अंग्रेज़ी के लिए उपलब्ध हों और हिंदी के लिए नहीं, तो विकास की दौड़ में हिंदी पिछड़ जाएगी और अंग्रेज़ी का वर्चस्व* बना रहेगा। ऐसे प्रमुख आधुनिक यांत्रिक साधन हैं—तार, टंकण यंत्र (हाथ का, बिजली का और इलेक्ट्रानिक), दूर मुद्रक (टेलीप्रिंटर), कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा कक्ष-मुद्रण (desk top printing) के कार्यक्रम, अन्य मुद्रण यंत्र आदि। हम इस इकाई में हिंदी के लिए उपलब्ध साधनों की स्थिति और समस्याओं का आकलन करेंगे।

31.2 यांत्रिकीकरण क्या है?

यांत्रिकीकरण का अर्थ है यंत्रों का उपयोग। हम जिन कार्यों को अपने हाथ से करते थे, उन्हें यंत्र की सहायता से करना यांत्रिकीकरण है। जैसे, पहले लोग हाथ की चक्की से आटा पीसते थे, अब बिजली की चक्की से आटा पीसते हैं। यांत्रिक साधनों के उपयोग से कई लाभ हैं। मनुष्य का श्रम बचता है, काम अधिक मात्रा में और जल्दी होता है। उचित साधनों के उपयोग से कई परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जैसे सिलाई मशीन से कढ़ाई, कसीदाकारी, गोटा-किनारा आदि आसानी से हो सकते हैं।

भाषा के क्षेत्र में यांत्रिकीकरण की क्या आवश्यकता है? हमने ऊपर प्रस्तावना में चर्चा की कि समाचार पत्र के प्रकाशन जैसे क्षेत्र में किस तरह यांत्रिक साधन देर तक का समाचार देना, बिना गलतियों के छापना, एक साथ कई शहरों से प्रकाशन करना आदि सुविधाएँ दे सकते हैं। इस कार्य के लिए भाषा चाहिए; और जिस भाषा में ये साधन होंगे उसके प्रकाशन का स्तर अच्छा होगा। अंग्रेज़ी आदि रोमन लिपि की भाषाओं के लिए ये सुविधाएँ उपलब्ध थीं, अब तकनीकी विकास के कारण हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होने लगी हैं।

यांत्रिकीकरण में परंपरागत मुद्रण तथा टंकण यंत्र एक तरफ़ हैं, दूसरी तरफ़ कंप्यूटर जैसी अत्याधुनिक मशीन है, जो जीवन के समस्त क्षेत्रों में उपयोगी साधन है। दोनों में भाषा का होना महत्त्वपूर्ण है। अर्थात् किसी भाषा के लिए मुद्रण की व्यवस्था न हो या उसमें टंकण यंत्र न हो तो उस समुदाय को इनका लाभ नहीं मिल सकता। हिंदी में आज़ादी से पहले मुद्रण की व्यवस्था तो थी, टंकण यंत्र नहीं थे। इसी तरह कंप्यूटर का उपयोग कर किसी भाषा में काम करना चाहें, तो उस भाषा के प्रयोग के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में 1980 से पहले कंप्यूटर का प्रयोग सपना था; आज हम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से कंप्यूटर पर विविध प्रकार के कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस इकाई में हम ऐसे यांत्रिक साधनों की प्रकृति, कार्य तथा उनसे मिलने वाले लाभ आदि के बारे में अध्ययन करेंगे और इनके विकास का परिचय प्राप्त करेंगे।

आगे हम यह देखना चाहेंगे कि यांत्रिकीकरण का क्या महत्त्व है। इसे जानने के लिए हम मुद्रण के क्षेत्र में यांत्रिकीकरण की चर्चा करेंगे।

मुद्रण आधुनिक युग का आविष्कार है। मुद्रण स्वयं ही भाषा के क्षेत्र में यांत्रिकीकरण का पहला उदाहरण है। मुद्रण से पहले पुस्तकें छापने की व्यवस्था नहीं थी। किसी एक पुस्तक की प्रति बनाने में महीनों लग जाते थे। ताड़ के पत्रों पर या कागज़ पर कोई लेखक एक-एक अक्षर लिखता जाता था। इस कारण अधिक लोगों को पुस्तक की प्रतियाँ नहीं मिल सकती थीं; ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाता था। 16 वीं शताब्दी में मुद्रण कला का प्रारंभ हुआ। इससे बड़ा लाभ हुआ। बिना अधिक परिश्रम के एक दिन में कागज़ पर कई सौ प्रतियाँ छापी जा सकती थीं। मुद्रण के प्रारंभ से सच में ज्ञान का विस्तार हुआ और शिक्षा का प्रसार हुआ। आधुनिक युग तक कागज़ पर पुस्तकों की छपाई हाथ से होती थी। मुद्रक सामग्री को पृष्ठ की शकल में कंपोज़ (Compose) कर लेता था और उसे कागज़ पर हाथ से दबाकर छापता जाता था।

आधुनिक युग में बिजली के आविष्कार और बिजली से चलने वाली मशीनों के निर्माण के साथ स्थिति में परिवर्तन होता गया। अब मशीनें एक साथ बड़े कागज़ पर, चार पृष्ठ की सामग्री एक साथ छाप सकती थीं। मशीन के सम दाब के कारण से भी कागज़ों पर एक जैसी सुंदर छपाई संभव हो सकी। धातु पर सुंदर अक्षर कटने लगे, इस कारण छपाई के स्तर में भी परिवर्तन आया। पुराने समय की तुलना में यह निश्चित रूप से

विकास था। लेकिन आधुनिक युग की आवश्यकताएँ अनंत हैं, इस कारण हमेशा स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता बनी रहती है। इस समय तक की मुद्रण व्यवस्था की दो कठिनाइयाँ थीं। i) एक ओर कंपोज़िंग श्रमसाध्य कार्य थी। कंपोज़ करने वाला व्यक्ति मूल पाठ के अनुसार एक-एक अक्षर लेकर पृष्ठ जमाता (कंपोज़ करता) जाता था। आप ख़ुद तुलना करके देखिए। एक कंपोज़िटर जितनी देर में एक पृष्ठ जमाता है, उतनी देर में एक टंकक आठ पृष्ठ की सामग्री टंकित कर सकता है। इस तरह हाथ से पृष्ठ जमाकर एक पुस्तक छापने में महीनों लग जाते थे। ii) दूसरी समस्या थी मुद्रण की मंद गति और मुद्रण में लगता श्रम और समय। कंपोज़ की हुई सामग्री को ट्रेडल मशीन पर छापा जाता था। इस मशीन में हर बार एक व्यक्ति अपने हाथों से एक-एक कागज़ रखता जाता था, मशीन से उस पर छाप पड़ती थी, व्यक्ति छपा हुआ कागज़ हटाकर दूसरा कागज़ रखता था। इस कारण घंटे में चार पृष्ठों की करीब 60 प्रतियाँ (अर्थात् एक घंटे में कुल 240 पृष्ठ) छपती थीं। यह विधि अधिक संख्या में पुस्तकें छापने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

आप यह जानना चाहेंगे कि हम मुद्रण जैसी व्यवस्था की इतनी विस्तृत चर्चा क्यों कर रहे हैं। आप यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे लिए यांत्रिकीकरण को जानना क्यों आवश्यक है। यह आपके और हमारे जीवन के हर दिन की समस्या है। आपने कभी शादी का निमंत्रण पत्र छापने दिया होगा या किसी समारोह का निमंत्रण पत्र छपवाया होगा। क्या प्रेस के आठ-दस चक्कर लगाने के बाद आपके मन में नहीं आया कि यह कितना मुश्किल काम है। आप कोई पुस्तक पढ़ते समय यह अनुभव करते होंगे कि इसके अक्षर इतने खराब क्यों हैं, छपाई इतनी खराब क्यों है या इसमें इतनी गलतियाँ क्यों रह गयी हैं। क्या आप यह नहीं सोचते कि छपाई का स्तर सुधारा जाना चाहिए। यांत्रिकीकरण वह प्रक्रिया है, जो विकसित तकनीक का उपयोग करके कार्य का स्तर सुधारने पर बल देती है। अब आप मुद्रण की ही समस्या को लीजिए। हमारी आवश्यकताएँ क्या हैं? हम अधिक संख्या में प्रतियाँ छापना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एक अखबार की रोज़ लाखों प्रतियाँ छपती हैं। ट्रेडल मशीन से यह काम संभव नहीं होगा। अखबार के लिए 20 या 24 बड़े पृष्ठों की सामग्री रोज़ कंपोज़ करनी होती है। इस काम के लिए सैकड़ों आदमी चाहिए, फिर भी गलतियाँ रह जाने की संभावना है। जल्दी पृष्ठ जमाने और प्रूफ़ पढ़ने की व्यवस्था होती, तो कितनी अच्छा होता। सबसे बड़ी समस्या है दूरी की। अगर कोई अखबार मद्रास का है और दिल्ली के लोग उसे खरीदना चाहें, तो वह दिल्ली के लोगों को एक-दो दिन बाद मिलेगा या हवाई जहाज़ से भेजे जाने पर बहुत महँगा पड़ेगा। इसका उपाय क्या है? क्या ही अच्छा होता कि वह अखबार एक ही रूप में सभी शहरों से छप पाता। ये ही समस्याएँ हैं जिनका समाधान उन्नत यंत्रों से ढूँढ़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया को ही हम यांत्रिकीकरण कहेंगे। इस इकाई में हम भाषा के क्षेत्र में, विशेषकर मुद्रण के क्षेत्र में यांत्रिकीकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

31.3 तार

तार दूर तक सूचना भेजने के लिए शायद सबसे पुराना और सबसे प्रचलित साधन है। व्यक्ति और कार्यालय जल्दी समाचार भेजने के लिए तार का उपयोग करते हैं। हम तार का संदेश लिखकर तार बाबू को देते हैं। वे तार भेजने वाले यंत्र से एक-एक अक्षर करके संदेश को प्रेषित करते हैं। संदेश वास्तव में ध्वनियों के रूप में भेजा जाता है, जो तार द्वारा बिजली की धारा के रूप में चलता है। प्राप्तिकर्ता उन ध्वनियों से अक्षर को पहचानते हैं और लिखते हैं, जैसे A के लिए छोटी ध्वनि है, B के लिए बड़ी ध्वनि आदि। अक्षरों को ध्वनियों में बदलने की इस व्यवस्था को 'मोर्स कोड' कहते हैं। भारत सरकार ने हिंदी में तार भेजने की सुविधा दी है, लेकिन हिंदी में तार भेजने के लिए कोड़ पद्धति का विकास नहीं किया है। जो लेग हिंदी में तार देते हैं, वे तार बाबू को हिंदी में संदेश लिखकर देते हैं। तार बाबू उस संदेश को रोमन में लिप्यंतरित करके मोर्स कोड से भेजते हैं। जैसे "मैं आ रहा हूँ" का रूप होगा 'Main a raha hun'. प्राप्ति स्थल पर इस संदेश को रोमन में लेकर पुन: हिंदी में लिखा जाता है। इस तरह i) दोषपूर्ण लिप्यंतरण और ii) प्राप्त सूचना को गलत समझने के कारण तार में त्रुटियाँ रह जाने की संभावना रहती है।

31.4 मुद्रण

इस इकाई के शुरू में हम मुद्रण के महत्त्व की चर्चा कर चुके है। यहाँ आगे मुद्रण के विविध रूपों तथा उनके विकास की चर्चा करेंगे और हिंदी में विकास की प्रक्रिया का परिचय प्राप्त करेंगे। मुद्रण पर चर्चा से पहले हम अपने ढंग से दो तरह के मुद्रण की कल्पना करेंगे। टंकण को हम घरेलू या निजी मुद्रण कहेंगे, क्योंकि इसकी सहायता से हम अपनी मेज़ पर वांछित सामग्री का 'मुद्रण' कर सकते हैं। लोग इसे मुद्रण नहीं कहेंगे, क्योंकि यह निजी आवश्यकताओं के लिए साधन है। लेकिन टंकण की कला से ही आधुनिक युग में घरेलू

या निजी तौर पर मुद्रण का कार्य संभव हो सका है। दूसरे प्रकार का मुद्रण एक व्यवसाय है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ दोनों क्षेत्रों के विकास पर अलग-अलग चर्चा करेंगे।

31.4.1 टंकण

टंकण से तो आप सब परिचित ही हैं। हर शहर या गाँव के कोने-कोने में, कार्यालयों में आप टंकण यंत्र देख सकते हैं। कई लोग अपने घर में भी टंकण यंत्र रखते हैं, जिससे यदा-कदा पत्र आदि 'छाप' सकें। टंकण यंत्र में एक कुंजीपटल होता है, और उनसे जुड़े हुए तारों के सिरों पर भाषा के सारे अक्षर (अ, आ, इ आदि) बने होते हैं। कुंजी दबाने पर वह तार उठता है, वह अक्षर उठकर तेज़ी से कागज़ पर आघात करता है और इससे वह अक्षर कागज़ पर छपता है। याने 'माला' जैसे शब्द को छापने के लिए टंकक को 4 कुंजियाँ दबानी होंगी। एक अच्छा टंकक हिंदी में प्रति मिनट 30-40 शब्द टंकित कर सकता है; इस तरह एक घंटे में 5-6 पृष्ठ टंकित कर सकता है। वह लगातार दिन में 8 घंटे काम करे, तो 40-50 पृष्ठ टंकित कर सकता है। गति के हिसाब से यह संतोषजनक है। लेकिन टंकण की कुछ सीमाएँ हैं। हम एक बार के टंकण से सिर्फ़ 4-5 प्रतियाँ (वह भी कार्बन लगा कर) प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण इसे मुद्रण की संज्ञा नहीं दे सकते। एक टंकण यंत्र के अक्षर एक जैसे होते हैं; उसमें छोटे-बड़े आकार के अक्षर नहीं बन सकते। इस कारण इसमें मुद्रण जैसी अक्षरों की विविधता नहीं आ सकती, वैसी सुंदरता नहीं आ सकती। टंकण यंत्र की कुंजी पर एक बार उँगली पड़ जाए, तो अक्षर छप ही जाता है; गलत होने पर उसमें सुधार करना कठिन है। इसकी तुलना में मुद्रण में प्रूफ़ पढ़ने और संशोधन करने की गुंजाइश है। इस कारण मुद्रण अधिकतर त्रुटिहीन होता है; टंकण में कुछ कमियाँ रह जाती हैं। टंकण का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वह व्यक्ति के लिए तुरंत उपलब्ध है, हर पल उपलब्ध है। अगर टंकण यंत्र से उक्त कमियाँ दूर कर दी जाएँ, तो वह घरेलू या निजी मुद्रण का एक उत्तम साधन हो सकता है। आगे देखेंगे कि टंकण यंत्र में कैसा परिवर्तन किया गया।

हाथों से चालित टंकण यंत्र के बाद विद्युतचालित टंकण यंत्र बने। इनकी गति पहले की मशीन की तुलना में दुगनी थी। गति के अलावा और सब दोष बने रहे। विकास के तीसरे दौर में इलेक्ट्रानिक टंकण यंत्र बने। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि कुंजी दबाने पर अक्षर तुरंत कागज पर नहीं पड़ते। वे अक्षर यंत्र के स्मृति कोष में जमा हो जाते। टंकक इन्हें एक पर्दे पर लाकर देख सकता है, जिस तरह हम कैलकुलेटर में अक्षर देखते हैं। वह गलतियाँ दीखने पर उन्हें सुधार सकता है। और मुद्रण त्रुटिहीन हो सकता है। इस स्तर तक भी दो कमियाँ रह ही गयीं, जिसके लिए और तकनीकों का आविष्कार आवश्यक हो गया। इससे अधिक प्रतियाँ नहीं मिल सकतीं। इलेक्ट्रानिक टंकण में भी मुद्रण जैसी अक्षरों की विविधता नहीं आ सकती, भले इसकी छपाई का स्तर अच्छे मुद्रण के बराबर हो।

अंग्रेज़ी का टंकण तंत्र लगभग सौ साल पुराना है। उसका कुंजी पटल, जिसे QWERTY कुंजी पटल कहते हैं, सारी दुनियाँ में एक जैसा है। केवल टंकण यंत्रों में ही नहीं, बल्कि आधुनिक कंप्यूटरों के कुंजीपटल में भी यही व्यवस्था है। इस कारण अंग्रेज़ी में टंकण सीखने वाला व्यक्ति किसी भी यंत्र पर बिना कठिनाई के काम कर सकता है।

हिंदी का कुंजी पटल लगभग 40 साल पहले बना था। लेकिन उसके बनने से लेकर अब तक तीन बार कुंजी पटल बदला जा चुका है। इस कारण टंककों को सभी यंत्रों पर काम करने में कठिनाई होती हैं। इस समस्या के कई कारण हैं। हम एक-एक करके समस्याओं की चर्चा करें।

i) अंग्रेज़ी में कुल 52 अक्षर हैं। (26 बड़े तथा 26 छोटे) जबकि हिंदी में निम्नलिखित ढंग से अक्षर हैं—

स्वर	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ए	ऐ	ओ	औ		
		ः — ं (अनुस्वार)				ँ (अनुनासिकता)							
मात्राएँ	ा	ि	ी	ु	ू	ृ	े	ै	ो	ौ	् (हलंत)		
व्यंजन	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ				
	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न			
	प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व				
	श	ष	स	ह	क्ष	त्र	ज्ञ	.(नुक्ता)					
अर्ध व्यंजन	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]									
विशिष्ट अक्षर	रु	रू	[illegible]	[illegible]	ॱ	ʼ	^		कुल	93			

कुंजी पटल की सीमा है। उसमें सारे अंकों, विराम चिह्नों के साथ 96 से अधिक अक्षर नहीं दिये जा सकते। इस तरह अंग्रेज़ी के 52 अक्षरों की जगह हिंदी के 93 अक्षर देना संभव नहीं है। इसीलिए प्रयत्न यह होता है कि कुंजियों की संख्या कम की जाए। जैसे

क + ॑	र्क	र + ु	रु
इ + ॑	ई	उ + ु	ऊ
		प + ु	फ

आदि संयोजनों से कई अक्षर बनाये जाएँ। इसी तरह अ + ा, से आ, ɒ + ा से ष, अ + ा + ` से ओ आदि से कुंजियों की संख्या कम की जाए। इससे भी समस्या नहीं सुलझी, तो रू, शृ आदि अक्षर छोड़ दिये गये। इस कारण हर जगह शृंगार को टंकक 'श्रृंगार' छापते हैं। सय्यद को सय्यद टंकित किया जाता है। आधे अक्षरों से खड़ी पाई लगाकर अक्षर छापने में मशीन की खराबी के कारण रेखाएँ एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं और श्भ (भ), ह्र, श्र (श) आदि अक्षर छपते हैं।

ii) दूसरा कारण मानकीकरण का अभाव है। अभी तक यह नहीं तय हो पाया है कि हिंदी की वर्णमाला क्या है। क्या ड़, ढ़ वर्णमाला में दिखाये जाने चाहिए? क्या ज़, फ़ हिंदी के अपने अक्षर हैं? क्या द्व, द्य आदि अक्षर हिंदी में स्वीकृत हैं या इन्हें हर जगह द्‌य और द्‌य से लिखा जाना चाहिए? क्या श्रृ को छोड़कर हम शृ का प्रयोग करना चाहेंगे? इन प्रश्नों पर सही चर्चा और अंतिम निर्णय के अभाव में कुंजीपटल के मानकीकरण का सवाल बना हुआ है। यह तो निश्चित बात है कि टंकण के विकास के कारण ट्व, द्य, द्व आदि संयुक्ताक्षर कम हो गये हैं और इन्हें द्‌य आदि के रूप में हलंत से लिखने की बात रखी गयी। श्व, ष, म्र, स आदि संयुक्ताक्षरों को श्च के रूप में आगे-पीछे के क्रम से लिखने की बात सुझायी गयी। फिर भी इनमें निश्चित मानक के अभाव के कारण कई विभिन्न रूप सामने आते है।

बोध प्रश्न 1

1. उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।
   - i) अपने कार्य के लिए कंप्यूटर आदि साधनों के प्रयोग को .... कहा जाता है। (आधुनिकीकरण/यांत्रिकीकरण)
   - ii) मोर्स कोड का उपयोग .... के लिए किया जाता है। (तार देना/कंपोज़ करना)
   - iii) इलेक्ट्रानिक टंकण यंत्र में .... दबाने और अक्षर .... के दौरान संशोधन किया जा सकता है। (कुंजी/अक्षर;बनाने/छापने)
   - iv) टंकण यंत्र के कुंजी पटल में आम तौर पर .... कुंजियाँ होती है। (52/96)
   - v) भाषा में यांत्रिकीकरण का विकास .... के समस्त कार्यों में क्रांति ला सकता है। (कार्यालयों/विद्यालयों)

2. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।
   - i) हिंदी में कंप्यूटर का प्रयोग 1950 से ही हो रहा है। हाँ/नहीं
   - ii) अभी तक हिंदी में मोर्स कोड नहीं बना है हाँ/नहीं
   - iii) हिंदी में इलेक्ट्रानिक टंकण यंत्र बन चुका है। हाँ/नहीं
   - iv) हिंदी के टंकण यंत्रों के कुंजी पटल का मानकीकृत रूप तैयार हो गया है। हाँ/नहीं
   - v) कंप्यूटर की सहायता से प्रूफ़ पढ़ा जा सकता है और वर्तनी की जाँच की जा सकती है। हाँ/नहीं

3. दो-तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए।
   - i) पुस्तक प्रकाशन की तुलना में आज समाचार पत्र का मुद्रण किन बातों में भिन्न है?

     ....

     ....
   - ii) हिंदी के टंकण यंत्र में हिंदी के सभी अक्षरों को कैसे छापा जाता है?

     ....

     ....

31.4.2 व्यावसायिक मुद्रण

हमने इस भाग के आरंभ में ही व्यावसायिक मुद्रण के आरंभ, विकास और स्थिति की चर्चा की। शुरू में मुद्रण के लिए एक-एक अक्षर जोड़कर पृष्ठ तैयार किया जाता था और उसे कागज़ पर दबाकर सामग्री की

छपाई की जाती थी। हमने इस पद्धति की दो कमियों की भी चर्चा की कि
i) कंपोज़िंग में समय लगता था और ii) एक-एक करके कागज़ पर छापना समयसाध्य था। हम यहाँ देखना चाहेंगे कि किस तरह इन दोनों ही कमियों को दूर करने के यत्न किये गये और व्यावसायिक मुद्रण में विकास हुआ।

कंपोज़िंग में सुधार : हमने देखा कि कंपोज़िंग में समय अधिक लगता है, जबकि टंकण में कम। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि टंकण की गति से कंपोज़िंग भी होती जाए? इस दिशा में दो महत्त्वपूर्ण प्रयास हुए। "मानो" मुद्रण में व्यक्ति टंकण करता था और अक्षर पंक्ति में आकर लगते थे। अर्थात यह यंत्रीकृत कंपोज़िंग थी। "लाइनो" मुद्रण में व्यक्ति जब एक पंक्ति टंकित करता था, तो पूरी पंक्ति की सामग्री धातु की एक पट्टी के रूप में ढलकर आती थी। इस तरह अगर किसी एक पंक्ति में गलती होती, तो पूरी पंक्ति को दुबारा ढालना पड़ता था। इस तरह इन प्रयासों में कंपोज़िंग में गति तो आ गयी, लेकिन सुधार कुछ कठिन कार्य था। साथ ही कंपोज़ की हुई सामग्री उसी तरह जमाये गये पृष्ठों के रूप में प्राप्त होती थी, जिसे छापने में समय लगता था।

मुद्रण में गति : जिस तरह पहिये का आविष्कार विज्ञान के विकास का पहला कदम था, उसी तरह बेलनाकार मुद्रण इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। हाथ की कंपोज़िंग से जब पृष्ठ बनते थे, तो इन पृष्ठों को एक पटल के रूप में, एक सतह पर लगाया जाता था। छापने के लिए इस पूरे पटल को कागज़ पर दाब के साथ रखा जाता था।

इस तरह पटल को बार-बार उठाकर फिर कागज़ तक ले जाने में समय लगता था। एक बार उठाकर रखने में आधा मिनट का समय लगे तो एक घंटे में लगभग 120 कागज़ छापे जा सकते हैं। लाखों प्रतियाँ छापने के लिए यह गति पर्याप्त नहीं है। मान लें कि पटल की जगह एक बेलनाकार यंत्र को ही पृष्ठों की सामग्री बना दें और उसे कागज़ पर तेज़ी से घूमते हुए छापने दें तो उसकी गति कितनी होगी? ऐसी मशीन घंटे में 3000 से 30000 तक कागज़ों पर छपाई कर सकती हैं। चूँकि कागज़ उठाकर रखना नहीं होगा, (वह हवा के दवाव से बेलन के नीचे खींच लिया जाता है) बड़े कागज़ पर छपाई हो सकती है, अर्थात हर बार एक साथ 16 पृष्ठों पर छपाई हो सकती हैं। मुद्रण की इस प्रक्रिया को आफ़सेट मुद्रण कहा जाता है। इस मुद्रण में धातु में ढले अक्षर काम में नहीं आ सकते, क्योंकि ये अक्षर बेलनाकार व्यवस्थित नहीं किये जा सकते। आफ़सेट मुद्रण के लिए "प्लेट" बनाने की आवश्यकता है। इस तरह आफ़सेट मुद्रण इलेक्ट्रानिक कंपोज़िंग या फ़ोटो कंपोज़िंग के साथ बखूबी जाता है। हम अगले प्रकरण में कक्ष मुद्रण के बारे में पढ़ेंगे और फ़ोटो कंपोज़िंग की प्रक्रिया का परिचय प्राप्त करेंगे।

31.4.3 कक्ष मुद्रण

हमने अब तक मुद्रण के दो पहलुओं की चर्चा की--- कंपोज़िंग और छपाई। व्यावसायिक मुद्रण में हमें दोनों ही कार्यों के लिए बाहर की संस्थाओं पर निर्भर करना पड़ता है। कंपोज़िंग कराने और प्रूफ़ पढ़ने के लिए दौड़-धूप करनी पड़ती है; फिर छपाई के लिए जगह ढूँढ़नी पड़ती है। मान लें कि हमें किसी प्रतिवेदन की सिर्फ़ 50 सुंदर, मुद्रित प्रतियाँ चाहिए तो भी इतना ही समय और श्रम लगता है। क्या ही अच्छा हो कि हम i) कंपोज़िंग अपने ही घर या दफ़्तर में बैठे कर लें और दौड़-धूप बचा लें और ii) थोड़ी-सी प्रतियों की छपाई भी अपने ही यहाँ कर लें, जिससे प्रेस का मुँह ताकने से बच जाएँ। इस इच्छा की पूर्ति के संदर्भ में हम मेज़ पर प्रकाशन (desk top publishing) के विकास की चर्चा कर सकते हैं, जो अपने ही घर या दफ़्तर में संपन्न हो सकता है। हम सुविधा के लिए इसे कक्ष मुद्रण कह रहे हैं।

कक्ष मुद्रण की सुविधा का आधार कंप्यूटर है। हम कंप्यूटर के पर्दे पर सामग्री टंकित कर सकते हैं; इस टंकित सामग्री को कंप्यूटर से जुड़े मुद्रक पर छाप सकते हैं। आप कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से तो परिचित होंगे। इस पर जो टंकित किया जाए, उसे हम सुधार सकते हैं; उस सामग्री के आकार-प्रकार में काट-छाँट, संशोधन, परिवर्तन कर सकते हैं; याने उस सामग्री को संपादित कर अंतिम रूप दे सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर कंपोज़िंग का एक सशक्त माध्यम है, कारगर विकल्प है। कंप्यूटर किस तरह अच्छी छपाई के लिए कंपोज़िंग कर सकता है, इसे निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं–

i) सुंदर, सुगढ़ मुद्रण के लिए विविध प्रकार के अक्षर चाहिए--- बहुत छोटे से बहुत बड़े, तिरछे, मोटे, सिकुड़े या फैले, छायाकृति* वाले आदि। अक्षरों की इतनी विविधता सिर्फ़ बड़े मुद्रणालयों में मिल सकती है। घरेलू कंप्यूटर में भी आसानी से ये सारे अक्षर मिल सकते हैं।

ii) मुद्रण में हमें तस्वीरें, तालिकाएँ, आरेख आदि की आवश्यकता होती है। ये ज़्यादातर बने बनाये नहीं मिलते। इनका ब्लाक बनवाना पड़ता है, जो खर्चीला काम है। अच्छे कंप्यूटर के कार्यक्रमों में तालिका, चार्ट, आरेख आदि बनाना आसान कार्य है; ग्राफ़िक्स नामक कार्यक्रम हो, तो हम तस्वीरें भी कंप्यूटर की सहायता से बना सकते हैं। इस तरह रिपोर्ट आदि छापने की सुविधा हमें अपने यहाँ ही मिल जाती है।

iii) कंपोज़िंग में प्रूफ़ पढ़ना पड़ता है, जिससे गलतियाँ न रह जाएँ। कई शब्द संसाधन कार्यक्रमों में वर्तनी जाँच नामक कार्यक्रम मिलता है, जिससे प्रूफ़ पठन का काम मिनटों में हो जाता है।

आइए, हम इस संदर्भ में मुद्रण के क्षेत्र में हुई प्रगति का अवलोकन करें। कंप्यूटर पर शब्द संसाधन द्वारा जब सामग्री को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ घरेलू मुद्रण यंत्र उसकी प्रतियाँ छापता है। इसके लिए हमें तीन तरह की प्रविधियाँ उपलब्ध हैं—

डाट मैट्रिक्स मुद्रक (dot matrix printer): यह मुद्रक काम में एक टंकण मशीन के समान है---- एक-एक अक्षर करके छापता है, एक समय में एक प्रति देता है (कार्बन लगा लेने पर 3-4 प्रतियाँ बन सकती हैं)। चूँकि यह कंप्यूटर से प्राप्त सामग्री को छापता है, इसकी गति तेज़ है। लेकिन यह मुद्रक टंकण यंत्र से मूलतः भिन्न है। टंकण यंत्र भाषा विशेष के लिए बने होते हैं, जैसे हिंदी का टंकण यंत्र, अंग्रेज़ी का टंकण यंत्र आदि। डाट मैट्रिक्स मुद्रक का भाषा से कोई संबंध नहीं हैं; यह वही छापता है जो कंप्यूटर के पर्दे पर आता है। इस कारण एक डाट मैट्रिक्स मुद्रक दुनिया की सारी भाषाओं में छपाई कर सकता है, बशर्ते कि कंप्यूटर के पर्दे पर वह भाषा आए। इसी तरह यह मुद्रक अक्षर ही नहीं तस्वीरें, आरेख, तालिकाएँ आदि भी छाप सकता हैं। टंकण यंत्र में अक्षरों के आकार-प्रकार में विविधता नहीं लायी जा सकती, इस मुद्रक में हर तरह के आकार के अक्षर छापे जा सकते हैं।

आप यह जानना चाहेंगे कि यह कैसे संभव है? परंपरागत मुद्रण या टंकण में धातु पर उस अक्षर का उलटा आकार बना होता है जिसे हम छापना चाहते हैं। जब इस पर स्याही लगाकर इसे कागज़ पर दबाएँ, तो वह अक्षर छपता है। निम्नलिखित उदाहरण देखिए -

धातु पर बना अक्षर

छपा अक्षर

यही कारण है कि हम अक्षरों के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, जब तक उस आकार के अक्षर धातु पर न कटे हों। इसके विपरीत डाट मैट्रिक्स मुद्रक में कोई कटे अक्षर नहीं होते, सुइयाँ होती हैं, जो कागज़ पर आकार बनाती हैं। आरेख देखिए —

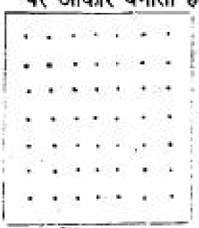

सुइयों का क्रम

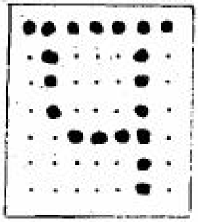

हिंदी अक्षर प

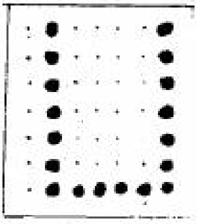

तमिल अक्षर ப (प)

इस तरह 7x7 के क्रम में व्यवस्थित सुइयों में से उचित सुइयों का चयन करने पर किसी भी भाषा के अक्षर का मुद्रण किया जा सकता है। अगर बड़े आकार के अक्षर चाहिए तो इन्हीं सुइयों से दो बार आधे-आधे अक्षर छापे जा सकते हैं। जैसे

बड़े आकार में अक्षर

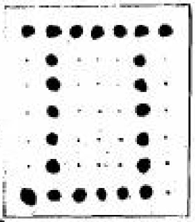

पहली बार ऊपर का आधा अक्षर छपा

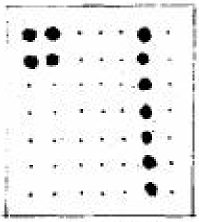

दूसरी बार नीचे का आधा अक्षर छपा

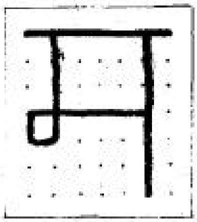

छपा हुआ पूरा अक्षर

इसी आधार पर तस्वीरें आदि भी छापी जा सकती हैं, बशर्ते हम कंप्यूटर पर तस्वीरों के बनाने का कोई कार्यक्रम चला सकें।

आपने देखा होगा कि हिंदी के 'प' अक्षर की छपाई उतनी सुंदर नहीं है, जैसे छपी पुस्तकों में होती है। इस मुद्रक की यही सबसे बड़ी कमी है कि अक्षर पठनीय तो बन जाते हैं, लेकिन छपाई में सुंदरता नहीं आती।

इस कारण कह सकते हैं कि यह मुद्रण केवल तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए, कम प्रतियों के लिए उपयोगी है, व्यावसायिक पुस्तक प्रकाशन आदि के लिए कारगर नहीं है।

लेसर मुद्रण (Laser printing) : आप 'लेसर' शब्द से तो परिचित होंगे ही; यह अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश किरण है। इससे कई लाभ हैं। इससे हम मुद्रण भी कर सकते हैं। लेसर का मुद्रण सिद्धांततः डाट मैट्रिक्स मुद्रण की तरह है। यहाँ अक्षरों के लिए 7x7 की जगह 25x25 बिंदुओं का क्रम है। इन बिंदुओं पर सुइयाँ जाकर नहीं लगती, बल्कि पतली धारवाली स्याही फेंकी जाती है। इस कारण लेसर मुद्रण में अक्षर सुंदर बनते हैं। आप यह जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, यह लेसर पर कंपोज़ की गयी है।

लेसर मुद्रण की तीन बड़ी कमियाँ है। इसमें हर बार एक प्रति छपकर निकल सकती है और घंटे में लगभग 250 प्रतियाँ निकल सकती है। इस तरह यह बड़े पैमाने पर मुद्रण के लिए उपयुक्त नहीं है; इसमें अधिक प्रतियाँ छापना खर्चीला काम है। दूसरे, लेसर पर सिर्फ़ उतना ही बड़ा कागज़ छप सकता है, जितना इस पुस्तक का एक पन्ना है। तीसरे, इसमें रंगीन तस्वीरें या फोटो जैसी बारीक तस्वीरें छापना आसान नहीं है। इन तीनों कमियों का निवारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

फ़ोटो कंपोज़िंग या फ़ोटो टाइपसेटिंग : हम इस मुद्रण की तकनीकी बातों में न जाकर यही बताना चाहेंगे कि यह कैसे काम करता है। इसमें जो 'फ़ोटो' शब्द है, वह इसे समझने में हमारी सहायता कर सकता है। 'फ़ोटो' के लिए एक नेगटिव चाहिए, उसके आधार पर एक विशेष प्रकार के कागज़ पर तस्वीर छापी जाती है। यहाँ पद्धति वही है, कुछ अंतर है। यहाँ नेगटिव नहीं है, बल्कि कंप्यूटर पर टंकित सामग्री ही नेगटिव की तरह है; छपाई विशेष प्रकार के कागज पर की जाती है। जिस तरह फ़ोटो में कागज़ पर बारीक से बारीक आकृतियाँ उभरकर आती है, इस प्रक्रिया में कागज पर बारीक से बारीक अक्षर,विशद विवरणों वाले चित्र आदि सुंदर ढंग से छपते हैं। अक्षरों की विविधता आदि कंप्यूटर से सिद्ध होती है, इस कारण फ़ोटो कंपोज़िंग में सबसे बढ़िया मुद्रणालय में छपी सामग्री का स्तर मिल सकता है।

छपाई में विकास

अब तक की चर्चा के संदर्भ में आपने देखा कि कंप्यूटर द्वारा कंपोज़ करना एक-एक करके अक्षर जोड़कर कंपोज़ करने से बेहतर स्थिति है। इसमें टंकण की गति से कंपोज़ होता है, मिनटों में सुधार किया जा सकता है, कंप्यूटर पर संकेत देकर अक्षरों में विविधता लायी जा सकती है, चित्र, आरेख आदि के मुद्रण में भी अधिक कठिनाई नहीं है। लेकिन वास्तविक मुद्रण की क्या स्थिति है? इन तीनों में एक-दो (या आवश्यकतानुसार ज्यादा भी) प्रतियाँ ज़रूर मुद्रित की जा सकती हैं, अधिक प्रतियों का मुद्रण इससे संभव नहीं होता। फ़ोटो कंपोजिंग में फोटो के कागज पर मुद्रण होता है, इसलिए यह मुद्रण है ही नहीं।

हमने पहले चर्चा की थी कि आधुनिक मुद्रण बेलनाकार ड्रम से किया जाता है, जिसमें धातु से बने अक्षरों की सामग्री काम में नहीं आ सकती। फिर उस बेलन पर क्या आधार सामग्री छपाई के लिए काम आ सकती है? बेलन पर टिन का शीट लपेटा जा सकता है, जिस पर अक्षर खुद जाए। इस शीट को आधुनिक मुद्रण की भाषा में 'प्लेट' कहा जाता है। लेसर या फ़ोटो कंपोज़िंग से निकली सामग्री को फ़ोटो के नेगटिव पर उतारा जाता है। इस नेगटिव से टीन के शीट पर फिर उलटे अक्षर बनाये जाते हैं। यही शीट छपाई का आधार है। शीट पर उलटे खुदे अक्षर जब कागज़ पर पड़ते हैं, तो कागज़ पर छपाई होती है। इसे 'आफ़सेट' मुद्रण कहते हैं। चूँकि यह शीट एक बेलन पर चढ़ाया जाता है छपाई की गति बेलन के घूमने की गति पर निर्भर होती है। एक घंटे में हज़ार से लेकर तीन हज़ार तक के कागज़ छापे जा सकते हैं। इस तरह लेसर और फ़ोटो कंपोज़िंग से शीघ्र कंपोज़िंग की जा सकती है; इन दोनों ही पद्धतियों से छपे कागज़ से आफ़सेट मुद्रण किया जा सकता है।

31.5 कंप्यूटर और हिंदी

10-12 वर्ष पहले तक कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी के अक्षर भी नहीं आते थे। फ़ोटो कंपोज़िंग के लिए विदेशों से लाइनोट्रान मशीनों का आयात किया जाता था, लेकिन ऐसी मशीनें कुछ गिने-चुने समाचार पत्रों और बड़े प्रकाशकों के पास ही थीं। इससे सामान्य उपभोक्ताओं के लिए कुछ विशेष लाभ नहीं था। 1977 में ई.सी.आई.एल. नामक हैदराबाद की कंपनी ने पहली बार हिंदी में 'फोर्ट्रान' नामक कंप्यूटर भाषा में एक छोटा-सा प्रोग्राम चलाकर दिखाया था। अर्थात कंप्यूटर के पर्दे पर पहली बार 1977 में हिंदी के अक्षर दिखायी पड़े। तब से लेकर इधर 14 वर्षों में कंप्यूटर की दुनिया में भारतीय भाषाओं के प्रयोग के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

कंप्यूटर दो प्रकार से काम करता है। एक तरफ़ वह दिये हुए आँकड़ों के अनुसार गणनाएँ करके परिणाम देता है। इसे हम आँकड़ा संसाधन (data processing) कहते हैं। वेतन बिल बनाना, गणित के सवालों को

हल करना, परीक्षा परिणाम निकालना, खाता-बही रखना आदि आँकड़ा संसाधन के उदाहरण हैं। आँकड़ा संसाधन के लिए फोर्ट्रान, कोबोल आदि कार्यक्रम उपयोग में आते हैं, इन्हें हम कंप्यूटर की प्रोग्राम भाषा कहते हैं। ये प्रोग्राम अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध थे। अब तक आँकड़े के साथ के नाम आदि अंग्रेज़ी में ही दिये जा सकते थे और हिंदी में कोई शब्द भरा नहीं जा सकता था। दूसरी ओर कंप्यूटर शब्द संसाधन (word processing) के लिए भी काम कर सकते हैं। पत्र लिखना, रिपोर्ट आदि तैयार करना, लेख लिखना आदि शब्द संसाधन के प्रमुख कार्य हैं। शब्द संसाधन के लिए वर्ड स्टार, वर्ड पर्फेक्ट आदि साफ़्टवेयर उपलब्ध हैं, जो अंग्रेज़ी में लिखी सामग्री के संपादन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

आवश्यकता इस बात की थी कि हिंदी में दोनों तरह के कार्यक्रम उपलब्ध हों। 1977 तक दोनों ही तरह के कार्यक्रम उपलब्ध नहीं थे। सबसे पहले शब्द संसाधन के क्षेत्र में कार्य शुरू हुआ। 1980 के आसपास दिल्ली की डी.सी.एम. नामक कंपनी ने 'सिद्धार्थ' नामक मशीन पर 'शब्द माला' नामक कार्यक्रम तैयार किया। यह हिंदी-अंग्रेज़ी द्विभाषी शब्द संसाधक था, एक साथ दोनों भाषाओं में सामग्री संपादन की सुविधा देता था। इसी समय हैदराबाद की सी.एम.सी. नामक कंपनी ने तीन भाषाओं (अंग्रेज़ी-हिंदी- और एक भारतीय भाषा) में शब्द संसाधन के लिए 'लिपि' नामक मशीन तैयार की। दोनों कार्यक्रमों के लिए पूरी मशीन भी खरीदनी पड़ती थी। अर्थात ये कार्यक्रम किसी भी कंप्यूटर पर नहीं चलाये जा सकते थे, न इन मशीनों पर और किसी तरह का आँकड़ा संसाधन किया जा सकता था। इस सीमित उपयोग के कारण ये मशीनें लोकप्रिय नहीं हो सकीं।

बाद में कई कंप्यूटर कंपनियों ने द्विभाषी शब्द संसाधन के लिए साफ़्टवेयर तैयार किये, जो सामान्य कंप्यूटरों पर काम कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख शब्द संसाधन कार्यक्रम हैं--- शब्दरत्न, अक्षर, सुलेख आदि। इनका मुद्रण डाट मैट्रिक्स मुंद्रक पर हो सकता है। इन कार्यक्रमों की दो कमियाँ हैं--- इन सबका आसानी से लेसर या फ़ोटो कंपोज़िंग पर मुद्रण नहीं हो सकता, औरह इस तरह व्यावसायिक मुद्रण संभव नहीं हो सकता। कुछ हद तक यह कमी दूर हो गयी है और लेसर मुद्रण होने लगा है। इनका कुंजीपटल अलग-अलग तरह का है, बने अक्षरों में अंतर है (अर्थात किसी में चंद्रबिंदु नहीं आ सकता, किसी में पुराने वर्ण बनते हैं, नये मानक वर्ण नहीं, अक्षरों की बनावट में अंतर है आदि)। मानकीकरण के अभाव में इस दिशा में सामूहिक योजना और समन्वित कार्यक्रम का अभाव है।

इस संदर्भ में पुर्ण स्थित भारत सरकार की कंपनी सी डैक (CDAC याने Centre for the Development of Advanced Computing)का योगदान महत्वपूर्ण है। इस कंपनी ने 1984 के आसपास GIST (Graphic based Indian Standard Terminlogy) नामक तकनीक का विकास किया। जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है, जिसे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं। चूँकि सारी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही कुंजी पटल है, किसी भी भाषा में दर्ज सामग्री को किसी अन्य भाषा में लिप्यंतरित किया जा सकता है। इस कंपनी का दावा है कि जिस्ट से लेसर और फ़ोटो कंपोज़िंग तक की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। यही नहीं, जिस्ट कार्ड लगने पर आँकड़ा संसाधन के कार्यक्रम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में आसानी से चल सकते हैं। इस तरह इस तकनीक से कंप्यूटर के क्षेत्र में 15 वर्षों से कम की अवधि में भारतीय भाषाओं के यांत्रिकीकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

हिंदी भाषा के लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे की संभावनाओं का उल्लेख करना चाहेंगे:

1) शीघ्र ही कंप्यूटर पर बहुभाषी शब्दकोश उपलब्ध होंगे, जिनसे इच्छानुसार शब्द का किसी भी भाषा में अर्थ मालूम किया जा सकेगा। ऐसे बृहदाकार कोश को मुद्रण द्वारा तैयार करना और उससे शब्द देखना कठिन कार्य होगा। तकनीकी तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने कंप्यूटर के लिए पारिभाषिक शब्दकोश का प्रारूप तैयार कर लिया है।

2) कंप्यूटर द्वारा कक्ष मुद्रण की चर्चा कर चुके हैं। अब लोग घर-घर में मुद्रण का आयोजन कर सकेंगे। संपादन कार्य भी आसान होगा।

3) कंप्यूटर सहायता से अनुवाद कार्य संपन्न किया जा सकेगा।

4) कंप्यूटर भाषा के शोध में उपयोगी होंगे।

5) कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके, तो लोग घर में बैठे विश्वकोश, डायरेक्टरी आदि की सूचना अपने टेलीविज़न के पर्दे पर देख सकेंगे; यथा आवश्यकता वांछित सामग्री की घर में मुद्रित प्रति बना सकेंगे।

6) कंप्यूटर की सहायता से लोगों को शिक्षित किया जा सकता है।

7) लिखित पाठ को उच्चारित रूप में बदलना, उच्चारण का कंप्यूटर द्वारा लेखन आदि संभव होंगे।

बोध प्रश्न 2

4. निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।
   i) लाइनो मुद्रक पृष्ठ कंपोज़ करके देता है जबकि कंप्यूटर मुद्रण के लिए अंतिम रूप से एक सही प्रति छापकर देता है। हाँ/नहीं
   ii) लेसर मुद्रण का उपयोग हज़ारों प्रतियाँ छापने के लिए आसानी से किया जा सकता है। हाँ/नहीं
   iii) शब्द संसाधन उस कार्यक्रम को कहते हैं जो कंप्यूटर पर पाठ के संशोधन-संपादन के लिए बना है। हाँ/नहीं
   iv) 'जिस्ट' कार्ड का उपयोग कंप्यूटर के पर्दे पर तस्वीरें बनाने के लिए किया जाता है। हाँ/नहीं
   v) अब कंप्यूटर द्वारा भारतीय भाषाओं में लिप्यंतरण संभव है। हाँ/नहीं
   vi) कंप्यूटर अनुवाद में सहायता कर सकता है। हाँ/नहीं

5. कक्ष मुद्रण से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर इसमें कैसे सहायता कर सकता है? 5-6 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

6. कंप्यूटर भाषा के क्षेत्र में किन कार्यों के लिए उपयोगी है? 5-6 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

अभ्यास

हिंदी की आठ-दस पुस्तकों और पत्रिकाओं को लीजिए। इनमें शुरू में मुद्रण की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। पुस्तकों के मुद्रण की प्रक्रिया की सूची बनाइए और मुद्रण की गुणता की तुलना कीजिए।

31.6 सारांश

किसी विकासशील समाज की भाषिक आवश्यकताएँ बढ़ती हैं; भाषा की भूमिकाएँ बढ़ती हैं और प्रयोजनों का विस्तार होता है। इन नये दायित्वों को वहन करने के लिए आवश्यक होगा कि भाषा में यांत्रिक साधन उपलब्ध हों। एक ज़माना था जब एक पुस्तक छापने में महीनों लग जाते थे। लेकिन आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हर वर्ष कई सौ पुस्तकों की लाखों प्रतियाँ प्रकाशित करता है। यह संभव न होता, तो दूर शिक्षा की पद्धति से इस तरह के पाठ्यक्रम चलाना संभव न होता। मुद्रण के क्षेत्र में हुए विकास के कारण ही यह संभव हो सका है।

टंकण यंत्र और ट्रेडल मशीन द्वारा छपाई पुराने यांत्रि.क साधन हैं। ये सामान्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थे। लेकिन बड़े पैमाने पर काम करने के लिए ये अपर्याप्त हैं। किसी ट्रेडल मशीन पर अखबार की लाखों प्रतियाँ छापने की बात अकल्पनीय है। आधुनिक युग में मुद्रण के क्षेत्र में तथा कंप्यूटर की दुनिया में हुए विकास के कारण मुद्रण कला का विकास हुआ है। मुद्रण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आफ़सेट मुद्रण के कारण हुआ। पुराने पटल की जगह बेलनाकार पहिये के ऊपर लपेटे टिन के शीट के कारण बड़े आकार के कागज़ पर घंटे में कई हज़ार प्रतियाँ छापना संभव हुआ है। मुद्रण के लिए सामग्री तैयार करने में कंप्यूटर सहायता करता है। यह शीघ्रता से सामग्री संपादित करने में मदद करता है। यही नहीं, सामग्री संकलन और संपादन के कार्य के लिए लोगों को प्रेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्यूटर की साहायता से अपने कक्ष

में ही लोग मुद्रण की सामग्री को अंतिम रूप दे सकते हैं। इस तरह मुद्रण यंत्र और कंप्यूटर के मेल से प्रकाशन जगत में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

कंप्यूटर मुद्रण के अलावा अनुवाद, शिक्षण, शोध, सूचना संग्रह आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी है।

हिंदी भाषा के माध्यम से कंप्यूटर पर काम करने की सुविधा हाल तक (1980 से पहले तक) उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज हम इस क्षेत्र में बहुत विकास कर चुके हैं। पुणे स्थित सी डैक नामक संस्था ने जिस्ट नामक कंप्यूटर कार्ड का निर्माण किया है, जिससे हम कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी ही नहीं, कई भारतीय भाषाओं को ला सकते हैं। आगे आने वाले वर्षों में कंप्यूटर की सहायता से भारतीय भाषाओं में कई तरह के काम कर सकेंगे।

इस क्षेत्र में अब भी कुछ कमियाँ हैं। हिंदी में अब तक पंक्ति मुद्रक (लाइन प्रिंटर) नहीं बन सका है, जो किसी भी बड़े कार्यालय के लिए आवश्यक साधन है। हिंदी में अभी प्रूफ पठन के लिए वर्तनी-जाँच का प्रभावी कार्यक्रम नहीं बना है। ऐसी कमियों के पीछे एक प्रमुख कारण है मानकीकरण का अभाव। मानकीकरण तथा तकनीकी विकास से ये कमियाँ दूर की जा सकेंगी।

31.7 शब्दावली

वर्चस्व - ऊँचा स्थान, बोलबाला

31.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कंप्यूटर के आधारभूत तत्त्व (Fundamentals of Computers— V. Rajaraman का अनुवाद)	वी.रा.जगन्नाथन (अनुवाद) दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास, 1992
कंप्यूटर क्या है?	गुणाकर मुले वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1986

31.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. i) यांत्रिकीकरण ii) तार देना iii) कुंजी : छापने
   iv) छियानवे v) कार्यालयों

2. i) नहीं ii) हाँ iii) हाँ
   iv) नहीं v) हाँ

3. i) अधिक प्रतियाँ, बड़े पृष्ठ का आकार, अंतिम क्षण तक का समाचार छापना, कई शहरों से प्रकाशन।

   ii) मूल अक्षर कुँजी में लेते हैं उनमें रेखाएं मात्राएँ, नुक्ते आदि जोड़कर अन्य अक्षर बनाते हैं।

बोध प्रश्न 2

4. i) हाँ ii) नहीं iii) हाँ iv) नहीं v) हाँ vi) हाँ

5. अपने घर पर स्वयं संपादन करके मुद्रण के लिए स्वच्छ प्रति तैयार करना। कंप्यूटर टंकित सामग्री को स्मृतिकोष में ले लेता है, इसमें शब्द संसाधन कार्यक्रम द्वारा वांछित संशोधन कर सकते हैं, पृष्ठ बनाने के कार्यक्रम से अक्षरों को इच्छानुसार आकार देकर पृष्ठ का अंतिम रूप तैयार कर सकते हैं।

6. अनुवाद, शिक्षण, संपादन, शोध, सूचना प्राप्त करना आदि

NOTES